पंचदश माला, खंड 34, अंक 3

बुधवार, 7 अगस्त, 2013
16 श्रावण, 1935(शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

(खंड 34 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : 115/- रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

उषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

संतोष कुमार मिश्र
संयुक्त सम्पादक

कीर्ति यादव
सम्पादक

अंजु मीना
सहायक सम्पादक

उमेश कुमार
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और बंगाल ऑफसैट वर्कस, 335 खजूर रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 34, चौदहवां सत्र, 2013/1935 (शक)

अंक 3, बुधवार, 7 अगस्त, 2013/16 श्रावण, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
सेशेल्स के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
सदस्य द्वारा निवेदन	
जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के समीप पाकिस्तानी सेना द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने के बारे में	3-5
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 60	5-176
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690	177-886
सभा पटल पर रखे गए पत्र	886-893
संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)-कार्य का सारांश	893
विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां - कार्य का सरांश	893
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
35वां प्रतिवेदन	893
याचिका समिति	
25वें से 27वां प्रतिवेदन	894
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
28वां प्रतिवेदन	894-895
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
21वां प्रतिवेदन	895
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
72वें से 74वां प्रतिवेदन	895-896

*सभा की कार्यवाही में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अतः, ये प्रश्न अतारांकित प्रश्न माने गये।

विषय	कॉलम
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
18वां प्रतिवेदन	896
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
196वां और 197वां प्रतिवेदन	896
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
"न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के माध्यम से लघु वन उत्पाद का विपणन तंत्र शुरू किया जाना और इन उत्पादों के लिए वैल्यूचेन के विकास की योजना	
श्री वी. किशोर चन्द्र देव	897-900
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षकों की कमी के बारे में दिनांक 13.3.2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2699 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण।.....	900-901
समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव	
(एक) लोक लेखा समिति.....	901-902
(दो) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति.....	902-903
(तीन) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति.....	903-904
राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव	904-905
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निमहांस), बंगलौर के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव	905
भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव	906
कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के बारे में.....	906-907
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) लोक सभा सदस्यों द्वारा सांसद कोटे के अंतर्गत उनके निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रहने वाले बच्चों को वहां स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की सिफारिश करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जयवंत गंगाराम आवले	908-909
(दो) मधुमेह रोधी औषधि "पायोग्लिटाजोन" पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता	
श्री एन. पीताम्बर कुरूप	909-910

विषय		कॉलम
(तीन)	केरल के कोचीन बंदरगाह पर राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल की माल-संभलाई क्षमता की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चार्ल्स डिएस	910
(चार)	आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सिरिसिल्ला शहर में विद्युत करघों के उन्नयन के लिए निधि मंजूर किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पोन्नम प्रभाकर	910-911
(पांच)	आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का श्रेणीकरण किए जाने हेतु कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	911-912
(छह)	तमिलनाडु के अरानी में एक रेशम पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम. कृष्णास्वामी	912-913
(सात)	कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमलों के कारण हुए मौत/ घायल होने से हुए नुकसान पर मुआवजा दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आर. ध्रुवनारायण	913
(आठ)	राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अदा किए गए प्रीमियम के अनुरूप किसानों के फसल बीमा दावों का निपटान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सिंह कस्वां	914
(नौ)	असम के मंगलदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
	श्री रमेन डेका	915
(दस)	प्राचीन भारतीय धार्मिक-ग्रन्थ वेदों को राष्ट्रीय ग्रन्थ घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती सुमित्रा महाजन	915-916
(ग्यारह)	गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को मामूली शुल्क पर रेलवे लाइन के नीचे पानी की पाइप लाइन बिछाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	916-917

विषय **कॉलम**

(बारह) राज्यों द्वारा भर्ती किए जाने वाले अध्यापकों के संबंध में अध्यापक पात्रता परीक्षा संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 917

(तेरह) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सुचारू यातायात प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए गंगा और यमुना नदियों के साथ-साथ एक रिंग रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री कपिल मुनि करवारिया 918

(चौदह) तमिलनाडु के मोरापुर और बोमिडी स्टेशनों पर चेन्नई-पलानी एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन 918

(पन्द्रह) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए.के.एस. विजयन 919

(सोलह) कटक में मधुपटना पुलिस स्टेशन के नजदीक फ्लाईओवर के निर्माण पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 919-920

(सत्रह) ओडिशा के कटक सर्किल में बी.एस.एन.एल. द्वारा काम पर लगाए गए ठेका मजदूरों को एक महीने में उन्हें काम पर लगाए गए दिनों की संख्या के अनुपात में दिहाड़ी दिए जाने और उनके कार्य अनुभव तथा निष्पादन के अनुसार उनका वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री बिभू प्रसाद तराई 920-921

(अठारह) पश्चिमी घाट क्षेत्र की जैव विविधता को प्रदूषित करने वाले बाक्साइट उत्खनन और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं को रोके जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी 921-922

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011-वापस लिया गया 922-923

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013-पुरःस्थापित 923-927

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 के बारे में वक्तव्य 927

विषय		कॉलम
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012	.....	930
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव		
श्री वीरेन्द्र कश्यप	.....	930
अनुबंध-I		
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	.....	931-932
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	.....	932-942
अनुबंध-II		
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	.....	943-944
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	.....	943-946

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री सतपाल महाराज

श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 7 अगस्त, 2013/16 श्रावण, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

सेशेल्स के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं सभा के माननीय सदस्यों की ओर से तथा अपनी ओर से हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारतीय यात्रा पर आए सेशेल्स की नेशनल असेम्बली के डिप्टी स्पीकर, महामहिम श्री आन्द्रे और सेशेल्स के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करती हूं।

वे रविवार 4 अगस्त, 2013 को भारत पहुंचे और इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं।

माननीय सदस्यों, भारत-सेशेल्स के संबंध प्रगाढ़ मित्रता और आपसी समझ पर आधारित हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से हमारे दोनों देशों जो समान मूल्यों में आस्था रखते हैं, के बीच संबंध और सुदृढ़ होंगे।

हम अपने देश में सेशेल्स के संसदीय शिष्टमंडल के सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से सेशेल्स की संसद, सरकार और वहां की मित्र जनता का अभिनन्दन करते हैं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने दो पूर्व सहयोगियों सर्व श्री पी. सुब्बिया अम्बलम और अमर रॉय प्रधान के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री पी. सुब्बिया अम्बलम 1957 से 1962 तक दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य के रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से एक वकील, श्री अम्बलम ने पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री पी. सुब्बिया अम्बलम का निधन 92 वर्ष की आयु में 21 जून, 2013 को शिवगंगा, तमिलनाडु में हुआ।

श्री अमर रॉय प्रधान 1977 से 2004 तक लगातार आठ बार लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे तीन बार पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य भी रहे।

एक योग्य सांसद, श्री प्रधान ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति के सभापति और अनेक संसदीय और परामर्शदात्री समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री अमर रॉय प्रधान का निधन 82 वर्ष की आयु में 3 जुलाई, 2013 को जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको विदित है 6 अगस्त, 2013 को हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट नागोरी में एक बस के गहरी खाई में गिरने से दस व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य कई लोग घायल हो गए।

यह सभा इस त्रासदीपूर्ण घटना जिसके कारण शोक संतप्त परिवारों और घायल व्यक्तियों को कष्ट पीड़ा का सामना करना पड़ा है, पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ हों।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, प्रश्न-काल शुरू करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैंने प्रश्न-काल को निलंबित किए जाने के लिए सूचना दी है।*...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.05 बजे

इस समय, श्री एम. आनंदन, श्री पी. लिंगम, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी, डॉ. राम चन्द्र डोम और कुछ अन्न माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के समीप पाकिस्तानी सेना द्वारा घात लगाकर हमला करने के बारे में

अध्यक्ष महोदया: हां, अब विपक्ष के नेता बोलेंगे। नेता, विपक्ष को बोलने दें। परंतु, बहुत संक्षेप में होना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से इस सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।*...(व्यवधान)* मैं भारतीय सेना के जवानों के लिए बोलना चाहती हूं*...(व्यवधान)* अध्यक्षा जी, आप जानती हैं कि कल पांच भारतीय जवानों की शहादत के संबंध में, हमने रक्षा मंत्री जी से एक वक्तव्य की मांग की थी।*...(व्यवधान)* रक्षा मंत्री जी तीन बजे सदन में आए और उन्होंने एक वक्तव्य भी दिया।*...(व्यवधान)* लेकिन, देर शाम यह जानकारी मिली कि दिन में रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस विज्ञप्ति इस घटना के संबंध में जारी की गई थी।*...(व्यवधान)* मुझे बहुत दु:ख से कहना पड़ता है कि रक्षा मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उसमें पहले दी गई विज्ञप्ति के सारे तथ्यों को पूरी तरह बदल दिया और इस तरह बदला कि उस घटना का स्वरूप ही बदल गया।*...(व्यवधान)* उस घटना में जो दोषी करार दिए गए थे, उनको दोषमुक्त कर दिया।*...(व्यवधान)* मेरे पास वे दोनों प्रतियां हैं।*...(व्यवधान)* मैं उनमें से सिर्फ एक-एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहती हूं।*...(व्यवधान)* दिन में, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो विज्ञप्ति दी गई थी, उसमें कहा गया था*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

"शस्त्राशस्त्रों में पूरी तरह लैस लगभग 20 आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के सिपाहियों के साथ घात लगाकर हमला किया था।"*...(व्यवधान)* लेकिन जो बयान रक्षा मंत्री जी ने दिया, उन्होंने कहा कि "शस्त्रों से पूरी तरह लैस 20 आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने लोगों के साथ घात लगाकर हमला किया था।"*...(व्यवधान)* जो रक्षा मंत्रालय की टिप्पणी थी उसमें कहा गया था*...(व्यवधान)* "यह कार्य संभवत: तंजीन आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना की निराशा के परिणामस्वरूप था।"

[हिन्दी]

यह लाइन पूरी की पूरी रक्षा मंत्री के वक्तव्य से काट दी गई।*...(व्यवधान)* यानी, रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना को इस घटना के लिए पूरी तरह दोषी ठहराया था।*...(व्यवधान)* लेकिन, रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी आर्मी को क्लीन चिट दे दी और पूरी तरह से उनको दोष मुक्त कर दिया।*...(व्यवधान)* उनको बरी कर दिया।*...(व्यवधान)* इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह बहुत बड़ा गंभीर विषय सदन में उपस्थित हुआ है।*...(व्यवधान)* मैं आपका संरक्षण चाहती हूं।*...(व्यवधान)* आप निर्देश दें कि रक्षा मंत्री यहां आएं।*...(व्यवधान)* इस सच को स्वीकारें और पूरे देश से माफी मांगने का काम करें।*...(व्यवधान)* जो पाकिस्तानी आर्मी इसके लिए दोषी है, उसको सरकार दोषी स्वीकार करे।*...(व्यवधान)* रक्षा मंत्री यहां नहीं हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं।*...(व्यवधान)* यह संयोग है।*...(व्यवधान)* मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी खड़े हों और कहें कि इस घटना के लिए पाकिस्तानी सेना दोषी है।*...(व्यवधान)* हम उनको दोष मुक्त करने वाले कौन होते हैं?*...(व्यवधान)* जब रक्षा मंत्रालय ने स्वयं माना कि वे पाकिस्तान आर्मी के लोग थे जो टेररिस्ट के साथ आए थे।*...(व्यवधान)* लेकिन, सरकार कह रही है कि वे कुछ लोग थे जो पाकिस्तानी वर्दी में आ गए थे, सेना की वर्दी में आ गए थे।*...(व्यवधान)* आप प्रधानमंत्री जी को कहिए कि वे इस पर रिस्पांड करें।*...(व्यवधान)* आप निर्देश दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप रिस्पांड कीजिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से रक्षा मंत्री जी को अवगत करा दूंगा*...(व्यवधान)* मुझे यह नहीं मालूम कि यह सच है या झूठ*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप सब अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब प्रश्न काल होगा।

प्रश्न संख्या 41, श्री हरिश्चंद्र चव्हाण।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता

***41. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**

श्री पी. कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या हाल ही में देश के विभिन्न भागों में खराब गुणवत्ता वाला मध्याह्न भोजन खाने से कई बच्चों की मौत हो गई है/बीमार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान बच्चों की मौत तथा बीमारी के राज्य/संघ क्षेत्र-वार कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) क्या इन घटनाओं की जांच कराई गई थी तथा यदि हां, तो इसके घटना-वार क्या परिणाम रहे तथा कितने व्यक्ति/अधिकारी दोषी पाए गए तथा दंडित किए गए;

(घ) क्या सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना संबंधी दिशा-निर्देशों की पुनरीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान, इस मंत्रालय में मध्याह्न भोजन योजना की घटिया गुणवत्ता की 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भागीदारों से शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात् इन शिकायतों को इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सकारात्मक कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया था। मामला-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। की गई कार्रवाई में संबद्ध गैरसरकारी संगठन और उत्तरदायी अधिकारियों को चेतावनी देना, प्रधानाचार्य/मुख्य अध्यापिका के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करना और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उनकी लापरवाही के लिए आपराधिक मामले दर्ज करना शामिल है।

23 मौतों की दु:खद दुर्घटना 16 जुलाई, 2013 को **नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गंडमान ब्लॉक** मसरख जिला सारण में हुई थी। 79 बच्चों में से, 55 बच्चों ने मध्याह्न भोजन ग्रहण किया था; 46 बच्चे और एक रसोइया भोजन ग्रहण करने के पश्चात् बीमार हो गए। इस घटना में 23 बच्चों की मृत्यु हो गई।

सरकार ने मौके पर जांच करने के लिए 17 जुलाई, 2013 को इस विभाग के अपर सचिव को नियुक्ति किया। वे सभी शोक संतप्त परिवारों से मिले और सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के आधार पर बिहार राज्य सरकार को एक पत्र जारी किया गया। राज्य सरकार ने मुख्य अध्यापिका और अन्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 328 और 120(ख) के तहत एक एफ.आई.आर. दर्ज की है। मुख्य अध्यापिका को गिरफ्तार कर लिया गया है और निलंबित कर दिया गया है। उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए ली जा रही ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने बच्चों को परोसे जाने से पहले भोजन चखा जाने के लिए अध्यापकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपूर्ण रसोई-सह-भंडारगृहों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम भी आरंभ किया है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए पहले ही समिति का गठन कर लिया है। मसौदा दिशानिर्देश तैयार हैं और उन्हें विभिन्न विषयों अर्थात खाद्य सुरक्षा, सामाजिक लेखा परीक्षा, ईंधन सक्षमता और क्षमता निर्माण के प्रबुद्ध विशेषज्ञों को उनके मूल्यवान विचारों हेतु परिचालित किया गया है। मसौदा दिशानिर्देश शिक्षा सचिवों की 25 जून, 2012 को आयोजित बैठक के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए थे और उनसे उनकी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था। बिहार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पश्चात् केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 22 जुलाई, 2013 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं:

(i) विभिन्न स्तरों पर मध्याह्न भोजन के लिए प्रभावी प्रबंध ढांचे की स्थापना।

(ii) भोजन को बच्चों को परोसे जाने से पहले कम से कम एक अध्यापक द्वारा चखा जाना अनिवार्य।

(iii) स्कूलों को सामग्रियों की आपूर्ति और सुरक्षित भंडारण।

(iv) भागीदारी का क्षमता निर्माण।

(v) ब्रांडेड तथा एगमार्क गुणवत्ता वाली दालों तथा सामग्री का प्रापण और महाराष्ट्र के अनुसार स्कूलों को इनकी आपूर्ति।

(vi) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत पात्रता के बारे में जागरुकता।

(vii) जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक का संचालन।

(viii) योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा। इस संबंध में बिहार में एक प्रयोग पहले ही किया गया था।

(ix) एफ.एस.एस.ए.आई./सी.एस.आई.आर./एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन के नमूनों का परीक्षण।

(x) निगरानी संस्थानों, संयुक्त समीक्षा मिशन इत्यादि की रिपोर्ट पर शीघ्र कार्रवाई।

(xi) आकस्मिक चिकित्सा योजना।

सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता ने सभी राज्य शिक्षा सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्थिति की समीक्षा की और उनसे मध्याह्न भोजन योजना को सुदृढ़ बनाने का तथा जिला स्तरीय सतर्कता तथा मॉनीटरिंग समिति की तत्काल बैठक बुलाने का अनुरोध किया।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने भागीदारों के विचार जानने के लिए 31 जुलाई, 2013 को पोषण तथा मध्याह्न भोजन में विशेषताओं के साथ राष्ट्र स्तरीय परामर्श किया। इसके पश्चात् योजना आयोग द्वारा 2 अगस्त, 2013 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक बैठक आयोजित की गई।

विवरण

पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य-वार हुई घटनाएं

क्र.सं.	राज्य	स्कूल के ब्यौरे	घटना का विवरण	मृतकों की संख्या	अस्पताल में भर्ती किए गए बच्चों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिम बंगाल 4 जुलाई, 2012 की न्यूज़ रिपोर्ट	हरोभंगा विद्यासागर, विद्यामंदिर, झाराखाली, दक्षिण 24 परगना	पश्चिम बंगाल में घटिया मध्याह्न भोजन का विरोध करने वाले कक्षा-VIII के छात्र की मृत्यु	1	शून्य	यह स्कूल छात्रावास में घटिया गुणवत्ता के भोजन की आपूर्ति का मामला है। जिला स्तर पर विस्तृत जांच की गई है। स्कूल के 8 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और मामला जांचाधीन है। जिला स्तरीय जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता का विरोध करना मृत्यु का कारण बना, यह आरोप गलत है।
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 7 सितंबर, 2012 की न्यूज़ रिपोर्ट	राजकीय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नेहरु नगर, दिल्ली	मध्याह्न भोजन खाने के बाद विद्यार्थी बीमार पड़ गए	शून्य	12	स्कूल के मुख्य अध्यापक द्वारा एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, लाजपतनगर, नई दिल्ली में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई। श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान केंद्र को भोजन की जांच करने के लिए खाने के नमूने भेजे गए।

1	2	3	4	5	6	7
						पुलिस द्वारा दिनांक 06.09.2012 को आगे जांच के लिए भोजन का नमूना ले लिया गया। डीडीई (दक्षिण पश्चिम बी) की अध्यक्षता में एक जांच समिति का भी गठन किया गया। डीडीई (दक्षिण) द्वारा दिनांक 06.09.2012 को मैसर्स एकता शक्ति फाउंडेशन (एमडीएम सप्लायर) को कारण बताओ नोटिस।
3.	उत्तर प्रदेश दिनांक 23.11.2012 की प्रेस रिपोर्ट	नगला बाड़ी, प्राथमिक स्कूल, जिला-फिरोजाबाद	"मिड-डे-मील खाने से पांच बच्चों की तबीयत खराब हुई"	शून्य	5	प्रभारी अध्यापक ने मध्याह्न भोजन को नहीं चखा। शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई है। 5 बच्चे बीमार पड़ गए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि कुछ शरारती तत्वों के कारण घटना घटी।
4.	बिहार दिनांक 15.12.2012 का हिन्दुस्तान टाइम्स	माध्यमिक विद्यालय, टिलकई, जहानाबाद	"खाना खाने के बाद 100 छात्र बीमार पड़ गए"	शून्य	52	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बिहार राज्य, एम.डी.-एम.एस. समिति ने मामले की जांच की और पाया कि दो रसोइयों और एम.डी.एम. प्रभारी ने बच्चों को खाना खाने के लिए विवश किया। समिति ने दो शिक्षकों के स्थानांतरण और दो रसोइयों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की सिफारिश की है।
5.	बिहार 16.07.2013	नव सृजित सरकारी प्राथमिक स्कूल, गंडामान, मसरख जिला-सारण	मध्याह्न भोजन खाने के बाद 23 विद्यार्थियों की मृत्यु हुई	23	46 बच्चे+एक रसोइया	विभागीय आयुक्त और जिला सारण के उप महानिरीक्षक के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने पाया कि मध्याह्न भोजन तैयार करने के बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन हुआ है और एगमार्क खाद्य तेल और अन्य मानक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था और बच्चों को पकाया हुआ भोजन परोसने से पहले मुख्य अध्यापिका द्वारा चखा नहीं गया था और अत: यह उसकी आपराधिक लापरवाही थी।

1	2	3	4	5	6	7
						स्कूल की मुख्य अध्यापिका और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 328 और 120(ख) के अंतर्गत मसरख पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उसे निलंबित भी किया गया और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई। जांच रिपोर्ट से मालूम हुआ कि खाना दूषित था इसमें ऑरगेनों फॉस्फेट मिला था। खाना इतना दूषित था कि वह बच्चों की मृत्यु कारण बना। दिनांक 25.07.2013 को मुख्य अध्यापिका को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में रखा गया। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, छपरा की अध्यक्षता में एक विस्तृत जांच के लिए आठ सदस्यीय विशेष जांच समिति का गठन किया गया।
6.	बिहार 17 जुलाई, 2013	उत्कर्मित मध्य विद्यालय, नरचक, नवटोली, प्रखंड-बिस्फी, मधुबनी	मध्याह्न भोजन में छिपकली की पूंछ पाई गई	शून्य	7	मध्याह्न भोजन में छिपकली की शिकायत के बाद 7 बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिस्फी में दाखिल किया गया। चिकित्सा अधिकारी के अनुसार सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए और जहर का कोई लक्षण नहीं था उनके अनुसार मध्याह्न भोजन में छिपकली की शिकायत झूठी है।
7.	तमिलनाडु 19 जुलाई,	एन.एल.सी. बालिका	मध्याह्न भोजन खाने के बाद	शून्य	12	158 विद्यार्थियों को सावधानी के तौर पर परीक्षण के लिए एन.-

1	2	3	4	5	6	7
	2013	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कड्डालोर, तमिलनाडु	विद्यार्थी बीमार पड़ गए			एल.सी. उपनगर हॉस्पिटल ले जाया गया; उसी शाम देखभाल के लिए रोके गए बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 12 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया और दवाइयां दी गई तथा उन्हें 20 और 21 जुलाई, 2013 को डिस्चार्ज कर दिया गया। केन्द्र के मध्याह्न भोजन प्रबंधक और रसोईये को निलंबित कर दिया गया।
8.	राजस्थान 04.07.2013	किशनगढ़, राजस्थान में नंदी प्रतिष्ठान की केन्द्रीकृत रसोई	नंदी प्रतिष्ठान की केन्द्रीकृत रसोई में सांप	शून्य	शून्य	दिनांक 04.07.2013 को जब मीडिया भी मौजूद थी रसोई के निरीक्षण के दौरान गोदाम में छोटा सांप पाया गया जिसे तुरंत बाहर फेंक दिया गया।
9.	बिहार 31.07.2013	उत्कृमित मध्य विद्यालय, झाझा, जमुई	मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चे बीमार पड़े	शून्य	68	जिला न्यायाधीश, जमुई ने शिकायत की जांच करने के लिए दिनांक 31.07.2013 को स्कूल का दौरा किया। स्कूल में नामांकित 191 विद्यार्थियों के निरीक्षण के दौरान 164 उपस्थित थे। 115 विद्यार्थियों ने मध्याह्न भोजन खाया था। खाना खाने के बाद 68 छात्रों को पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। डाक्टर ने दाखिल विद्यार्थियों में कोई विषैला तत्व नहीं पाया। सभी विद्यार्थी डाक्टर द्वारा ठीक और स्वस्थ पाए गए। तथापि, मध्याह्न भोजन का सैम्पल लिया गया और परीक्षण के लिए भेजा गया। एन.जी.ओ. दयावती शैक्षणिक चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति की गई थी। यह एन.जी.ओ. लगभग 50 स्कूलों को भोजन की आपूर्ति करता है

1	2	3	4	5	6	7
						लेकिन केवल संदर्भाधीन स्कूल से शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं और जांच चल रही है। वर्तमान में सभी विद्यार्थियों की हालत सामन्य है और उन्हें उनके माता-पिता की उपस्थिति में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
10.	बिहार 31.07.2013	प्राथमिक स्कूल, चमांडी, अरवल	फूड प्वाइजनिंग	शून्य	22	7-8 बच्चों को मध्याह्न भोजन खाने के बाद पेट दर्द और सिर चकराने की शिकायत प्राप्त होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुर्था लाया गया जांच के दौरान सभी बच्चे पूरी तरह चुस्त पाए गए; डाक्टर ने अपेक्षित दवाईयां दी। प्राथमिक स्कूल, चमांडी से जांच के लिए भोजन के सैम्पल लिए गए। प्रधानाचार्य ने सूचित किया कि उसने स्वयं और रसोइए ने बच्चों को खाना परोसने से पहले चखा था। मध्याह्न भोजन के लिए 195 बच्चे उपस्थित थे। कुछ बच्चों ने भोजन में कैरोसिन तेल की गंध के कारण मध्याह्न भोजन लेने से मना कर दिया। शिकायत के बाद, भोजन तुरंत बाहर फेंक दिया गया कार्यक्रम समन्वयक एम.डी.एम., कुर्था द्वारा दिनांक 31.07.2013 को फूड प्वाइजनिंग के लिए एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम स्थल पर भी गई और जांच के लिए सैम्पल लिए; उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं।

1	2	3	4	5	6	7
11.	ओडिशा 19.07.2013	तेलाशी, प्राथमिक स्कूल सदर ब्लॉक धेनकेनाल	मध्याह्न भोजन परोसने के समय एक विद्यार्थी द्वारा अपनी कढ़ी में एक बिच्छू पाया गया।	शून्य	3	सभी विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन खाने से तुरंत रोका गया था। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने भोजन खा लिया था और तीन विद्यार्थियों ने उल्टी करना शुरू कर दिया और मुख्य अध्यापिका को फूड प्वाइजनिंग की संभावना से अवगत कराया गया और एस.एम.सी. अध्यक्ष उपस्थित सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर द्वारा चैक किया गया और यह पाया गया कि 36 विद्यार्थी स्वस्थ थे। 3 बच्चों जिन्होंने उल्टी करना शुरू कर दिया था, का इलाज किया गया और डाक्टर द्वारा उन्हें पूरी तरह से ठीक पाए जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। स्कूल की मुख्य अध्यापिका को एस.एम.सी. की बैठक करने और दिशा-निर्देशों के अनुसार रसोइया-सह-सहायक के विरुद्ध कार्रवाई करने के अनुदेशों के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
12.	राजस्थान 31.07.2013	राजकीय उच्च विद्यालय, माली मोहल्ला, बनेड़ा, भीलवाड़ा	विद्यार्थियों ने अपने भोजन में छिपकली के कुछ अंगों को पाया और उन्होंने अपने अध्यापकों को इसकी सूचना दी लेकिन मध्याह्न भोजन प्रभारी ने उनकी शिकायत की अवहेलना की।	शून्य	78	कुछ बच्चों के अचानक बीमार पड़ जाने के बाद समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र बनेड़ा ले जाया गया। स्कूल में नामांकित 247 छात्रों में से 78 छात्रों को समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र बनेड़ा में दाखिल किया गया और मेडिकल इलाज किया गया। दाखिल सभी विद्यार्थी स्वस्थ थे। मध्य अध्यापक और मध्याह्न भोजन प्रभारी को निलंबित कर दिया गया।

1	2	3	4	5	6	7
						स्कूल में कार्यरत तीन रसोइयों को भी कार्य से हटा दिया गया। मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

गरीबी में कमी आना

*42. **श्रीमती पुतुल कुमारी:***

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में गरीबी 2004-05 के 37.2% से घटकर 2011-12 में 21.9% रह गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा देश में गरीबी का निर्धारण करने के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की रिपोर्ट, 2013 में भी देश में गरीबी में कमी आने के संबंध में आंकड़े जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल): (क) और (ख) एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखाओं के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किए गए परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग गरीबी की सीमा का अनुमान लगाता है। एन.एस.एस.ओ. के सर्वेक्षण सामान्यत: पांच वर्षों पर किए जाते हैं। किंतु, चूंकि पिछला पंचवर्षीय सर्वेक्षेण 2009-10 में सूखे के दौरान किया गया था, अत: परिवार उपभोग व्यय संबंधी एक वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण 2011-12 में कराने का निर्णय लिया गया। यद्यपि तेंदुलकर गरीबी रेखा फिलहाल डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति के समीक्षाधीन है, इसलिए यह महसूस किया गया कि चूंकि 12वीं योजना में 2009-10 का डेटा तेंदुलकर गरीबी रेखा के आधार पर उपलब्ध कराया गया है, इसलिए 2011-12 का डेटा भी इसी कार्यप्रणाली पर आधारित होना चाहिए ताकि 2011-12, जो 11वीं योजना का अंतिम वर्ष है, के लिए एक तुलनीय अनुमान उपलब्ध हो सके। 2011-12 के लिए गरीबी रेखाओं तथा गरीबी अनुपातों की परिगणना वर्तमान तेंदुलकर कार्यप्रणाली का अनुसरण कर ली गई हैं जो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय पर आधारित है और इन्हें 22 जुलाई, 2013 के प्रेस नोट द्वारा जारी किया गया है। इस प्रेस-नोट के मुताबिक, देश में गरीबी अनुपात 2004-05 के 37.2 प्रतिशत से गिरकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रह गया है। 2004-05 तथा 2011-12 में गरीबी अनुपात का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) के अनुसार, भारत में गरीबी दर 1994 में 49 प्रतिशत थी जो 2005 में गिरकर 42 प्रतिशत और 2010 में 33 प्रतिशत हो गई। साथ ही, रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि मौजूदा गति जारी रहती है तो भारत गरीबी न्यूनीकरण का लक्ष्य 2015 तक पूरा कर लेगा।

(ङ) सरकार ने लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने तथा देश में गरीबी में कमी लाने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें गरीबी न्यूनीकरण संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शामिल है, जैसे- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.-आर.वाई.), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.), सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न, भोजन स्कीम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि। सरकार की अन्य सभी नीतिगत पहलों, जिनसे देश में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, ने समय-समय पर वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने तथा पूर्ण गरीबी की स्थिति में कमी लाने में योगदान किया है। यह 2004-05 से 20211-12 के सात वर्षों के दौरान गरीबी अनुपात में प्रति वर्ष 2.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट से स्पष्ट है जबकि 1993-94 से 2004-05 के ग्यारह वर्षों के दौरान इसमें केवल 0.7 प्रतिशत अंकों की कमी आई थी।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रतिशत (तेन्दुलकर पद्धति)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2011-12
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	29.6	9.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.4	34.7
3.	असम	34.4	32.0
4.	बिहार	54.4	33.7
5.	छत्तीसगढ़	49.4	39.9
6.	दिल्ली	13.0	9.9
7.	गोवा	24.9	5.1
8.	गुजरात	31.6	16.6
9.	हरियाणा	24.1	11.2
10.	हिमाचल प्रदेश	22.9	8.1
11.	जम्मू और कश्मीर	13.1	10.3
12.	झारखंड	45.3	37.0
13.	कर्नाटक	33.3	20.9
14.	केरल	19.6	7.1
15.	मध्य प्रदेश	48.6	31.6
16.	महाराष्ट्र	38.2	17.4
17.	मणिपुर	37.9	36.9
18.	मेघालय	16.1	11.9
19.	मिजोरम	15.4	20.4
20.	नागालैंड	8.8	18.9
21.	ओडिशा	57.2	32.6
22.	पंजाब	20.9	8.3
23.	राजस्थान	34.4	14.7
24.	सिक्किम	30.9	8.2
25.	तमिलनाडु	29.4	11.3
26.	त्रिपुरा	40.0	14.0

1	2	3	4
27.	उत्तराखंड	32.7	11.3
28.	उत्तर प्रदेश	40.9	29.4
29.	पश्चिमी बंगाल	34.2	20.0
30.	पुदुचेरी	14.2	9.7
	अखिल भारत	37.2	21.9

हवाई अड्डों पर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार

*43. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**

श्रीमती भावना गवली पाटील:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका सहित अनेक देशों के हवाई अड्डों पर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन देशों के साथ इन मामलों को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों की इन मामलों पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए या किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) कुछ देशों जैसे संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, तुर्की, मलेशिया तथा मौजांबिक में भारतीय यात्रियों की परोक्ष रूप से तलाशी लिए जाने/अधिक सुरक्षा जांच किए जाने/परोक्ष रूप से निगरानी किए जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई गयी हैं। हाल ही में घटी ऐसी कुछ घटनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। परोक्ष रूप से तलाशी लिए जाने/अधिक सुरक्षा जांच किए जाने/परोक्ष रूप से निगरानी किए जाने से संबंधित मामलों के बारे में हमें सामान्यत: यह बताया जाता है कि सुरक्षा संबंधी कारणों से ऐसा किया जाता है। सरकार ने ऐसे प्रत्येक अवसर पर संबंधित सरकारों के समक्ष कड़ा विरोध जताया है। सरकार ने सूचित किया है कि यद्यपि वह प्रत्येक देश के अपने-अपने हवाई अड्डों पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाए जाने संबंधी अधिकारों का आदर करता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्य राजनयिक शिष्टाचारों एवं विशेषाधिकारों का, जिसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्मान-भाव भी शामिल हैं, भी अवश्य सम्मान किया जाना चाहिए। इनमें से कई मामलों में, संबंधित सरकारों ने इन अधिक की गई सुरक्षा जांचों के कारण भारतीय यात्रियों को हुई असुविधा के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

विवरण

हवाईअड्डों पर भारतीयों की तलाशी

प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम	घटना की तारीख तथा स्थान (हवाईअड्डा)	तथ्य	दूतावास/कांसुलेट द्वारा की गई कार्रवाई	संबंधित सरकार का उत्तर
1	2	3	4	5
संयुक्त राज्य अमरीका				
श्री जॉर्ज फर्नान्डीज, रक्षा मंत्री	डुल्लेस हवाईअड्डा, वाशिंगटन डी.सी., 16 जनवरी, 2002	हेण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से तलाशी	इस मामले को उपयुक्त तरीके से अमरीकी पक्ष के साथ उठाया गया	शून्य

1	2	3	4	5
श्री जॉर्ज फर्नान्डीज, रक्षा मंत्री	जे.एफ.के. हवाईअड्डा, न्यूयार्क, 4 जुलाई, 2003	हेण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से तलाशी	इस मामले को उपयुक्त तरीके से अमरीकी पक्ष के साथ उठाया गया	शून्य
श्री जसवंत सिंह, राज्य सभा में विपक्ष के नेता	शिकागो हवाईअड्डा, 23 मई, 2005	जूते उतरवाने सहित सुरक्षा तलाशी	इस मामले को उपयुक्त तरीके से अमरीकी पक्ष के साथ उठाया गया	शून्य
श्री आर.एल. लाहोटी, भारत के मुख्य न्यायाधीश	सीनसीन्नाती हवाईअड्डा, 23 मई, 2005	सुरक्षा तलाशी	इस मामले को उपयुक्त तरीके से अमरीकी पक्ष के साथ उठाया गया	शून्य
13 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल	वाशिंगटन हवाईअड्डा, 2 जून, 2005	सुरक्षा तलाशी	इस मामले को उपयुक्त तरीके से अमरीकी पक्ष के साथ उठाया गया	शून्य
डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति	न्यूयार्क हवाईअड्डा, 21 अप्रैल, 2009	सुरक्षा कार्मिकों द्वारा शारीरिक तलाशी तथा कोट, जूते उतरवाना	इस मामले को उपयुक्त तरीके से अमरीकी पक्ष के साथ उठाया गया	शून्य
श्री प्रफुल्ल पटेल, पूर्व राज्य मंत्री, नागर विमानन	जॉन एफ. केनेडी हवाईअड्डा, न्यूयार्क, 6 नवंबर, 2009	उतरने के बाद लगभग 10 मिनट तक प्रव्रजन काउन्टर पार करने की अनुमति नहीं दी गई थी और द्वितीयक निरीक्षण व टिकटों/पासपोर्ट की घुसपैठ (इन्ट्रूयूसीव) जांच की गई थी।	सी.जी.आई. ने न्यूयार्क में सीमाशुल्क तथा सीमा सुरक्षा (सी.बी.पी.) कार्यालय के साथ इस मामले को उठाया	शून्य
श्रीमती मीरा शंकर, पूर्व राजदूत	शिकागो ओहारे हवाईअड्डा, 20 सितंबर, 2010	यातायात सुरक्षा प्राधिकारी (टी.एस.ए.) एजेंट द्वारा हाथ से पूरे शरीर की जांच तथा हाथ से तलाशी इस आधार पर ली गई कि इन्होंने एक लंबा वस्त्र पहना था	इस मामले को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ उठाया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके	डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने यातायात सुरक्षा प्रशासन के साथ अनुवर्ती कार्रवाई का वायदा किया
श्री प्रफुल्ल पटेल, पूर्व राज्य मंत्री, नागर विमानन	शिकागो ओ'हारे हवाई अड्डा, 26 सितंबर, 2010	आगमन पर प्रव्रजन प्राधिकारियों द्वारा एक निजी कक्ष में	मिशन ने इस मामले को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट तथा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैण्ड	डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने रिकार्डों में संशोधन की पुष्टि की ओर

1	2	3	4	5
		संक्षिप्त पूछताछ की गई। मंत्री को पहले भी ऐसा अनुभव हो चुका था।	सिक्युरिटी (डी.एच.एस.) के साथ उठाया ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को रोकना सुनिश्चित किया जा सके।	आश्वासन दिया कि गणमान्य व्यक्तियों को ऐसी समस्याओं का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से क्षमापत्र भी प्राप्त हुआ।
श्री हरदीप सिंह पुरी, अमरीका में भारत के स्थायी प्रतिनिधि	ऑस्टीन हवाईअड्डा, टेक्सास-13 नवंबर, 2010	सुरक्षा परिचर द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा जांचों के लिए आधे घंटे तक रोका गया, जिनका इरादा इनकी पगड़ी की जांच इसे थपथपाकर करना था। श्री पुरी द्वारा विरोध करने पर इन्हें स्वयं पगड़ी थपथपाने के बाद आगे जाने की अनुमति दी गई	सी.जी. होस्टन ने होस्टन में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कार्यालय के साथ इस मामले को उठाया	शून्य
श्रीमती मीरा शंकर, पूर्व राजदूत	जेक्सन-एवर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा-मिसीसीपी 4 दिसंबर, 2010	उन्नत सुरक्षा जांच से गुजारा गया	इस मामले को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ उठाया गया।	डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से उत्तर प्राप्त हुआ
डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति	जॉन एफ. केनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, न्यूयार्क-29 सितंबर, 2011	अमरीकी टी.एस.ए. अधिकारियों ने डा. कलाम की जैकेट तथा जूतों के लिए अनुरोध किया, जब वे हवाईजहाज में बैठ चुके थे, और इन मदों का द्वितीय निरीक्षण किया गया।	इस मामले को मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास के साथ उठाया गया। वाशिंगटन में मिशन ने भी इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ उठाया।	अमरीकी टी.एस.ए. प्रशासक ने इस घटना के लिए डा. कलाम से क्षमा मांगने के लिए पत्र लिखा।
श्री शाहरूख खान, सिनेमा कलाकार	वाइट प्लेन्स हवाईअड्डा, न्यूयार्क के निकट-12 अप्रैल, 2012	अमरीकी सीमाशुल्क तथा सीमा सुरक्षा (सी.बी.पी.) द्वारा रोका गया तथा द्वितीयक निरीक्षण किया गया	इस मामले को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ उठाया गया।	उत्तर की प्रतीक्षा है

1	2	3	4	5
श्री मोहम्मद आजम खान, मंत्री, शहरी विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	24 अप्रैल, 2013 को लोगान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बोस्टन	अमरीकी सीमाशुल्क तथा सीमा सुरक्षा (सी.बी.पी.) द्वारा रोका गया तथा द्वितीयक निरीक्षण किया गया	इस मामले को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ उठाया गया।	उत्तर की प्रतीक्षा है
श्री प्रफुल्ल पटेल, भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्री	ओ'हारे हवाई अड्डा, शिकागो पर 20 जून, 2013	हवाई अड्डे पर 2 सी.बी.पी. पदधारियों द्वारा 3 सामानों की अलग से जांच	इस मामले को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ उठाया गया।	होमलैण्ड सिक्युरिटी से उत्तर प्राप्त हुआ
कनाडा				
सुश्री रितुपर्णा सेनगुप्ता	टोरंटो हवाईअड्डा	हवाई अड्डे पर कनाडा में प्रवेश करने से रोका गया	इस मामले को स्थानीय प्रव्रजन कार्यालयों, डी.एफ.ए.आई.टी. तथा सी.बी.एस.ए. के साथ इस मामले को उठाया गया।	कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी गई। इस मामले के ब्यौरे विदेश मामले, व्यापार तथा विकास विभाग से मांगे गए हैं और उनकी प्रतीक्षा है।
ब्रिटेन				
पगड़ी की तलाशी के कुछ मामले	ब्रिटिश हवाई अड्डा	सिख यात्रियों के पगड़ियों की तलाशी	हवाई अड्डों पर भारतीय नागरिकों की अनुपूरक सुरक्षा जांच के मामलों को सरकार समय समय पर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ देख रही है। हाल की ही ऐसी एक घटना में, लोक सभा के सांसद श्री कीर्ति आजाद को 6 जुलाई, 2013 को जब वे ब्रिटिश की अपनी निजी यात्रा से भारत वापस लौट रहे थे। लंदन के हीथ्रू हवाई अड्डे पर ऐसी ही अनुपूरक सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। श्री कीर्ति आजाद ने कहा कि, हवाई अड्डे के सुरक्षा कार्मिकों को उनके हैंड बैगेज में विस्फोटक होने का शक	

1	2	3	4	5
			था। राजनयिक पासपोर्ट धारक होने के बावजूद उन्हें एक अलग कमरे में ले जाया गया, जहां उनके अनुसार उन्हें अत्यधिक गहन सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। जब, श्री कीर्ति आजाद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई तब हवाई अड्डे उन्हें जाने की अनुमति दी। हमारा लंदन स्थित उच्चायोग, ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठा रहा है।	
जर्मनी				
एक भारतीय नागरिक	डसेलडोर्फ हवाई अड्डा	अंतर्बेधी जांच	विदेश कार्यालय के समक्ष इस मुद्दों को उठाया गया।	
फ्रांस				
पगड़ी की तलाशी के कुछ मामले	फ्रांसिसी हवाई अड्डा	सिख यात्रियों की पगड़ियों की तलाशी।	भारत सरकार ने इस मुद्दे पर जुलाई, 2009 में पगड़ी के मुद्दे पर फ्रांसिसी सरकार को 'स्मरण पत्र' दिया है। फ्रांसिसी विदेश मंत्री अलेन जुखी की अक्तूबर, 2011 में उनकी भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री द्वारा उनके समक्ष इस मामले को उठाया गया तथा 28 जून, 2012 को भारत-फ्रांस फॉक्स (एफ.ओ.सी.) के दौरान विदेश सचिव द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। फ्रांसिसी राष्ट्रपति की फरवरी, 2013 में भारत यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया गया।	

1	2	3	4	5
इटली				
पगड़ी की तलाशी के कुछ मामले	इटालिन हवाई अड्डे	सिख यात्रियों की पगड़ियों की तलाशी	इटालियन सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर इस मामले को उठाया गया।	सिख नागरिकों को निशाना बनाकर ली जाने वाली तलाशी से बचने के लिए इटालियन सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। उस समय के विदेश मंत्री ने भी अंतर्वेधी जांच प्रक्रिया के संबंध में इटली के विदेश मंत्री को लिखा है। इटली के विदेश मंत्री ने जवाब दिया है कि, वे यूरोपीय संघ के स्तर पर विस्तृत विश्लेषण को प्रोत्साहित करेंगे। जुलाई 2012 के आरंभ में एक घटना को मंत्रालयी हस्तक्षेप के लिए लाया गया। सरकारी स्तर पर इटली की ओर से हस्तक्षेप के कारण राज्य मंत्री (पी.के.) ने यूरोपियन मिशन के महानिदेशक गृह कार्य श्री मानसेरविशी के साथ 3 जुलाई, 2012 को बैठक में इस मुद्दे को उठाया, जब उन्होंने राज्य मंत्री को नई दिल्ली में आमंत्रित किया। उसके बाद ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।

1	2	3	4	5
पोलैंड				
श्री शमींदर पुरी, एक सिख	पोलिश हवाई अड्डा	सिख यात्रियों को पगड़ी उतारने के लिए कहा जाता है तथा उसके बाद एक्स-रे मशीन से गुजरना होता है।	इस मामले को पोलिश विदेश कार्यालय, के.पी.एम. के उच्चतम स्तर तक ले जाया गया है।	पोलिश मंत्रालय के विदेश कार्य ने यह आश्वासन दिया है कि, वे सिख यात्रियों की धार्मिक भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस मामले पर पैनी नजर बनाए रखेंगे।
टर्की				
कुछ शिकायतें	अतातुर्क हवाई अड्डा साथ तुर्की अधिकारियों	वे यात्री जो आगमन पर वीजा सुविधा पाना चाहते हैं, उनके इस मुद्दे को उठाया गया। द्वारा दुर्व्यवहार दिया जाता है।	अतातुर्क हवाई अड्डे पर पुलिस आयुक्त तथा आप्रवास विभाग के प्रधान के समक्ष	उसके बाद इसी आधार पर भारतीय नागरिकों की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है।
मलेशिया				
12 भारतीयों से संबंधित दो मामले	मलेशियन हवाई अड्डा	वैद्य वीजा तथा यात्रा दस्तावेजों के होने के बावजूद कारावास।	मलेशियन सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया गया।	जवाब के लिए प्रतीक्षारत
मोजाम्बिक				
कुछ मामले	मापुतो हवाई अड्डा	अतिरिक्त दस्तावेजों के माध्यम से विशेष छानबीन	मोजांबिकन अधिकारियों के समक्ष मामले को उठाया गया तथा 2009 में संयुक्त कमीशन बैठकों के दौरान इस पर विचार-विमर्श किया गया।	मोजाम्बिक विदेश कार्यालय ने लिखित में खेद व्यक्त किया है तथा आश्वासित भी किया है कि, भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। इसके पश्चात् मापुतो हवाई अड्डे पर स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

यूरेनियम संसाधन

***44. श्री निशिकांत दुबे:**

श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे तथा निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों हेतु कितनी मात्रा में परमाणु ईंधन/यूरेनियम की आवश्यकता है;

(ख) क्या भारत परमाणु ईंधन/यूरेनियम संसाधनों में आत्मनिर्भर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश में पाए गए यूरेनियम भंडारों का स्थान और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में राज्य-वार नई यूरेनियम खानों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) देश में परमाणु रिएक्टरों को यूरेनियम की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अन्य देशों में यूरेनियम खानों का अर्जन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) दाबित भारी पानी रिएक्टरों के लिए नाभिकीय ईंधन/यूरेनियम की उपयुक्त आवश्यकता निम्नानुसार है:

यूनिट क्षमता (मेगावाट)	85% क्षमता गुणक पर ईंधन की वार्षिक आवश्यकता (मीटरी टन में यूरेनियम ऑक्साइड)
220	45
540	100
700	125

साधारण जल रिएक्टरों के लिए निम्न समृद्ध यूरेनियम की उपयुक्त आवश्यकता निम्नानुसार है:

यूनिट क्षमता (मेगावाट)	85% क्षमता गुणक पर ईंधन की वार्षिक आवश्यकता (मीटरी टन में समृद्ध यूरेनियम)
160	6
1000	27

(ख) जी, नहीं। देश में परमाणु बिजलीघरों को प्रचालित करने के लिए ईंधन की आपूर्ति के संदर्भ में देश में स्वदेशी यूरेनियम के मौजूदा ज्ञात भंडार पर्याप्त नहीं हैं।

(ग) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (ए.एम.डी.), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक संघटक यूनिट है, द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त-वर्ष के दौरान पता लगाए गए U_3O_8 के *स्व:स्थाने* भंडारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (मई, 2013 तक की स्थिति के अनुसार)
राजस्थान	996	55	518	-
मेघालय	1336	1160	719	-
आन्ध्र प्रदेश	20306	6650	9479	4291
झारखण्ड	-	3169	4571	-

(घ) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय, देश में यूरेनियम के भंडारों का पता लगाने के कार्य में जुटा हुआ है। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में हेलीबोर्न भू-भौतिकी सर्वेक्षण शामिल हैं, और परमाणु

खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय ने देश में यूरेनियम के नए भंडारों का पता लगाने की दृष्टि से ऐसे सर्वेक्षणों को संचालित करके यूरेनियम के अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने के अपने प्रयासों को जारी रखा हुआ है।

वर्तमान में, भारत में यूरेनियम के भंडारों में वृद्धि करने की दृष्टि से सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी कार्य निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में किए जा रहे हैं:

(क) तुम्मलापल्ली-रचकुन्टापल्ली, कडप्पा जिला, आन्ध्र प्रदेश

(ख) कोप्पुनुरू और समीपवर्ती क्षेत्र, गुंटुर जिला, आन्ध्र प्रदेश

(ग) रोहिल और समीपवर्ती क्षेत्र, सीकर जिला, राजस्थान

(घ) पश्चिमी खासी हिल्स जिला, मेघालय के वाहकुट और उमथांगकुट क्षेत्र

(ङ) योगी, यादगिर जिला, कर्नाटक

(च) सिंगरिडुंगरी-बनाडुंगरी, पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखण्ड और

(छ) बंगुरडीह, सरायकेला-खरस्वान जिला, झारखंड

(ङ) विभाग में इस संबंध में किसी विशेष प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

मानव संसाधन का विकास

*45. **श्री प्रहलाद जोशी**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास व्यापक दक्षता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनसांख्यिकीय रूपरेखा का लाभ लेने हेतु कोई विशिष्ट योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रस्तावों विशेष रूप से गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में क्षमता निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 2009 में कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति बनाई है जिसमें देश में कौशल विकास के व्यापक स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस नीति के जरिए, सरकार ने कौशल विकास के लिए सांस्थानिक संरचना लागू की है। इस संरचना में, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (जिसमें तत्कालीन तीन संस्थाओं अर्थात् प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड और कौशल विकास पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय) और राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन (एन.एस.डी.सी.) शामिल हैं। एन.एस.डी.ए. को सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। एन.एस.डी.ए. और एन.एस.डी.सी. के कार्य क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की गई अनेक योजनाओं के जरिए कौशल विकास शुरू किया गया है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रमुख मंत्रालय है जो अपने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे के जरिए कौशल विकास को गुणतापरक शिक्षा से जोड़ता है। एन.वी.ई.क्यू.एफ. राष्ट्रीय समेकित शिक्षा और सक्षमता आधारित कौशल ढांचा है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा में और सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच दोनों को पढ़ाई के एक स्तर से दूसरे उच्चतर स्तर के साथ जोड़ने के कई तरीकों के बारे में सूचना प्रदान की गई है जो प्रशिक्षुओं को शिक्षा और/अथवा कौशल प्रणाली में किसी आरंभिक बिन्दु से उच्चतर स्तरों तक प्रगति करने में सक्षम बनाते हैं। इसमें छात्रों द्वारा नियमित समयावधि में अर्जित कतिपय कौशल अथवा उच्चतर शिक्षा में उनका एकीकरण छात्रों के परस्पर आदान-प्रदान और उद्योग जगत में उनके समावेशन की अनुमति देता है जिससे उन्हें औपचारिक डिग्री और उच्चतर कौशल प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके ताकि वे उद्योगों में उच्च स्तरीय नौकरियां कर सकें।

(ग) जी, हां।

(घ) बारहवीं योजना अवधि में भारत के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और वैयक्तिक रोजगार की सुलभता में सुधार करने के लिए कौशल विकास की गुणता और संगतता मुख्य अंग के रूप में परिकल्पित किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। इनमें से, श्रम मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कौशल विकास, नियोजनीयता और शिक्षा को समेकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा मोड्यूलर नियोजनीयता कौशल (एम.ई.एस.) कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसमें सरकार और निजी विसंरचना

का उपयोगा करते हुए भावी प्रशिक्षुओं को अल्प अवधि कोर्स मुहैया कराए जाते हैं। 60 से अधिक सैक्टरों को शामिल करते हुए 1402 मोड्यूल तैयार किए गए हैं, मूल्यांकन करने के लिए 36 मूल्यांकन निकायों का पैनल बनाया गया, 9951 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता पंजीकृत किए गए और 13.53 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया/परीक्षा ली गई है। बहु-उद्देशीय कोर्स आरंभ करके उत्कृष्टता केंद्रों के उन्नयन और निर्माण के जरिए आई.टी.आई. को बेहतर बनाया गया है। यह उन उद्योगों, सरकारी अकादमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से गठित संस्थान प्रबंध समितियों के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत किया जाता है, जो स्थानीय उद्योगों में प्रायोगिक प्रशिक्षण मुहैया कराने और उभरती कौशल मांग की पहचान करने के संबंध में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) विशेषत: देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ मुक्त शिक्षा कार्यक्रमों की सुलभता में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुक्त शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) और 16 राज्य मुक्त विद्यालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। इसमें यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई करने की परिकल्पना भी की गई है कि कौशल विकास के लिए पाठ्यचर्या सहित मांग आधारित तरीके से कौशल निर्माण होता है जिसका नियोक्ता/उद्योग जगत की मार्गों को पूरा करने और इसे उपलब्ध स्व-रोजगार के अवसरों के अनुरूप बनाने के लिए निरंतर आधार पर इसका पुन: अभिमुखीकरण किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) ने एन.वी.ई.क्यू.एफ. के लिए बाजार सामर्थ्य के घनिष्ठ संयोजन से 57 विशिष्ट दक्षताओं के साथ 13 सेक्टरों में विस्तृत सामान्य और व्यावसायिक सामग्री तैयार की है। 12वीं योजना के अनुसार, एक सक्षम ढांचा अपेक्षित है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए कौशल विकास में निजी निवेश को आकर्षित करेगा। तद्नुसार, सत्र 2013-14 के लिए ए.आई.सी.टी.ई. ने स्व:वित्तपोषण प्रक्रिया के अंतर्गत एन.वी.ई,क्यू.एफ. कार्यक्रम चलाने के लिए 79 कौशल जान प्रदाताओं और 376 संस्थाओं के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

(ङ) क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। एन.वी.ई.क्यू.एफ. के घटकों में से एक घटक शिक्षकों और प्रशिक्षुओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करना है। पॉलिटैक्निकों के माध्यम से समुदाय विकास की योजना (सी.डी.टी.पी.) का उद्देश्य है समुदाय के विभिन्न वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण, असंगठित तथा समाज के वंचित वर्गों को ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित पॉलिटैक्निकों के माध्यम से अनौपचारिक, अल्पकालिक, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना ताकि वे लाभकारी स्व/वैतनिक रोजगार प्राप्त कर सकें। 31.07.2013 तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 518 पॉलिटैक्निकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। भारत सरकार की शैक्षिक सत्र 2013 से मौजूदा कॉलेजों/पॉलिटैक्निकों में 200 समुदाय कॉलेजों की स्थापना करने की योजना है। ए.आई.सी.टी.ई. की एन.वी.ई.क्यू.एफ. योजना के अन्तर्गत छात्रों के प्रशिक्षण के लिए किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, प्रत्येक में 35 मॉडल कौशल केन्द्रों की स्थापना की योजना है और इसमें नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऑन द जॉब व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय नियोजनीयता वृद्धि मिशन (एम.ई.ई.एम.) की एक नई योजना भी आरंभ की है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक बनाने की योजना के अंतर्गत एन.वी.ई.क्यू.एफ. की एक प्रमुख योजना हरियाणा के 8 जिलों के 40 स्कूलों में सितंबर, 2012 में आरंभ की गई थी जिसमें 4908 विद्यार्थियों को शामिल किया गया था इन जिलों में गुडगांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल. झज्जर, रोहतक, अंबाला और यमुनानगर शामिल हैं। इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में एन.वी.ई.क्यू.एफ. स्तर 1 से 4 अर्थात् कक्षा 9 से कक्षा 12 चार उद्योग क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)/ सूचना प्रौद्योगिकी इनेबल्ड सेवाएं (आई.टी.ई.एस.) ऑटोमोटिव, सुरक्षा और रिटेल शामिल हैं। प्रमुख योजना के अंतर्गत सभी स्कूलों को प्रयोगशालाएं, उपकरण, औजार, कच्चे माल सहित समुचित अवसंरचना प्रदान की गई थी। सक्षमता आधारित पाठ्यचर्या तथा 4 औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम सामग्री पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.बी.ई.) और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई) द्वारा उद्योग जगत के परामर्श से तैयार की गयी थी। सभी व्यावसायिक समवन्यकों और शिक्षकों को व्यावसायिक शिक्षा में परिचय प्रशिक्षण तथा विशिष्ट कौशल प्रदान किए गए थे। छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थानीय उद्योगों के साथ आवश्यक संबंध स्थापित किए गए थे। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा को प्रमुख परियोजना के अंतर्गत प्रदत्त कौशल के लिए उद्योग जगत के परामर्श से मूल्यांकन और प्रमाणन का कार्य सौंपा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जिला एवं राज्य संस्थागत स्तर सहित स्कूल में स्थानीय प्रबंध समिति के भीतर क्षमता निर्माण का भी प्रावधान है। इस योजना में अध्यापकों के लिए 30 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण तथा 7 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान है। सी.बी.एस.ई. ने व्यवसायिक अध्यापकों के क्षमता निर्माण के लिए छह मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर 12वीं योजना में राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण संबंधी एक घटक रखा गया है।

कृषि मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों पर संलग्न विवरण-III के अनुसार ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एस.जी.एस.वाई. को 26 जून, 2010 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन **(एन.आर.एल.एम.)** के रूप में पुन: तैयार किया है जिसे **आजीविका** के नाम से भी जाना जाता है। तदनुसार सितंबर, 2012 में प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास की विशेष परियोजनाओं को आजीविका के अंतर्गत आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम **(ए.एस.डी.पी.)** के रूप में पुन: स्थापित किया है। मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना में ए.एस.डी.पी. के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के 50 लाख ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने की योजना है। ए.एस.डी.पी. में युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण निर्धनों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित उन समुदायों, जिनकी औपचारिक रोजगार अवसरों तक सीमित पहुंच है, की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान है। परिणाम, उपभोक्ता विकल्प तथा प्रतिस्पर्धा ज्ञान और कौशल का प्रसार तथा केन्द्र और राज्य में सरकार के बीच विदेशी भागीदारी के माध्यम तथा सहयोग द्वारा प्राप्त समाधान के माध्यम से कौशल विकास पर भरोसा और/अथवा रोजगार सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रामीण गरीबों को कार्यक्रम के आधार पर सभी संभावित भागीदारी स्वरूपों के साथ कुशल बनाना। एस.जी.एस.वाई. तथा तत्पश्चात ए.एस.डी.पी. के अंतर्गत प्लेसमेंट में संबंधित कौशल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 8,49,838 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 6,70,814 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण के कार्य

राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण एक स्वायत्तशासी निकाय है, जो 12वीं योजना और इसके बाद भी कुशलता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों में समन्वय करेगा और उन्हें संगत बनाएगा तथा सामाजिक, क्षेत्रीय लिंग संबंधी आर्थिक अंतर को पाटने का प्रयास, यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं और भिन्न रूप से निशक्त व्यक्तियों जैसे वंचितों और अपेक्षितों की कुशलता की जरूरतो की देखरेख कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए और (ii) राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण द्वारा समर्थन के एक भाग के रूप में सकारात्मक कार्रवाई करके की जा रही है। केन्द्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण अपने प्रतिप्रेषण में योजनाओं को क्रियान्वित करता रहेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे का संचालन करेगा और मौजूदा व्यावसायिक प्रमाणिक निकायों के अतिरिक्त ऐसे और निकायों की स्थापना को सुसाध्य बनाएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण निम्नलिखित कार्य पूरे करेगा:

- 12वीं पंच वर्षीय योजना में और उससे आगे यथा परिकल्पित कुशलता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी संभव कदम उठाना।
- विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण और निजी क्षेत्र में कौशल विकास के लिए दृष्टिकोण का समन्वय करना और उसे संगत बनाना।
- गुणवत्ता और मानक क्षेत्र विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरी करें, यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कुशलता अर्हता कार्य ढांचे का संचालन करना और उसे क्रियाशील बनाना।
- राज्य कौशल विकास मिशन के लिए नोडल अभिकरण का कार्य करना।
- बहु-पक्षीय अभिकरणों सहित अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों और निजी क्षेत्र जैसे विभिन्न स्रोतों से कौशल विकासार्थ अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाना।
- वर्तमान कौशल विकास योजनाओं का मूल्यांकन उनकी क्षमता निर्धारण करने की दृष्टि से करने और उनको अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना।
- एक गतिशील श्रमिक बाजार सूचना प्रणाली के विकास सहित कौशल विकास संबंधित राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना और उसका रख-रखाव करना।
- समर्थन के लिए सकारात्मक कार्रवाई करना।
- यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं जैसे वंचित और उपेक्षित समूलों और भिन्न रूप से योग्य व्यक्ति की कुशलता की जरूरतों की देखरेख की जाए है, और
- भारत सरकार की ओर से सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों को पूरा करना।

विवरण-II

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्य

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना सभी क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति के लिए भारत में बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए और कुशलता की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को कम करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के एक भाग के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का उद्देश्य मुख्य रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की पहल को प्रोत्साहित करके निधिकरण में व्यवहार्यता अंतराल प्रदान करके, 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों के कौशल/उन्नत कौशल के समग्र लक्ष्य में सार्थक (लगभग 30 प्रतिशत) योगदान देना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की प्रमुख विशेषताएं (मिशन) निम्नलिखित हैं:

I. उद्योग को पर्याप्त रूप से शामिल करने के माध्यम से कुशलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नत बनाना और मानकों, पाठ्यचर्या और गुणता आश्वासन के लिए आवश्यक कार्य ढांचा विकसित करना।

II. समुचित सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडलों के माध्यम से कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ाना, समर्थन देना और समन्वय करना, निजी क्षेत्र से वित्तीय संबंद्धता और सार्थक परिचालन के लिए प्रयास करना।

III. देश के पिछड़े क्षेत्रों और समाज के शोषित वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करना, जिससे गरीबी से बाहर निकल सकें, इसी प्रकार से, असंगठित अथवा औपचारिक क्षेत्र की कार्य शक्ति पर पर्याप्त रूप से ध्यान देना।

IV. विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जिनमें बाजार तंत्र निष्प्रभावी अथवा उपलब्ध नहीं है, वित्तपोषण शुरू करके "मार्केट मेकर" की भूमिका अदा करना।

V. उस पहल को प्राथमिकता देना जिसका बहु गणज अथवा उत्प्रेरक प्रभाव एक प्रथक संघात के विपरीत है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, 20 (बीस) उन्नत संगठित और असंगठित क्षेत्रों से कौशल को कवर करता है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और कौशल विकास की परियोजनाओं के लिए उसे प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह पाठ्यचर्या, संकाय और उनके प्रशिक्षण, मानक और गुणता आश्वासन, प्रौद्योगिकी मंच जैसी कुछ सहायता सेवाओं में एक सार्थक समर्थ भूमिका अदा करता है और क्षेत्र कौशल परिषदें स्थापित करके औद्योगिक सहयोजनों के साथ भागीदारी में मानक और प्रत्यायन प्रणाली स्थापित करता है।

पिछले वित्त वर्ष (31 मार्च, 2013) के अंत तक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 82 प्रशिक्षण प्रस्तावों और 18 क्षेत्र कौशल परिषदों का अनुमोदन किया था। इसके प्रारंभ से और पिछले वित्त वर्ष के अंत तक लगभग 6,00,000 लोग स्वास्थ्य की देखभाल, पर्यटन, आतिथेय और यात्रा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, खुदरा, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स वस्त्र, चमड़ा, हस्तशिल्प और ऑटोमोटिव से लेकर कृषि कोल्ड चेन और प्रशीतक इत्यादि क्षेत्रों में कार्य के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जो संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के माध्यम से फैला हुआ है।

विवरण-III

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची

1. बीज/बीजारोपण उत्पादन और विपणन
2. नर्सरी तैयोर करना
3. ऊत्तक संवर्धन यूनिट
4. संविदागत खेती
5. फूलों की खेती
6. बागबानी क्लीनिक
7. यथार्थ खेती और उच्च तकनीकी की कृषि/बागवानी
8. औषधीय पौधों की खेती और विपणन
9. भूदृश्य चित्रण और रखरखाव
10. भूमि विकास, परिरक्षण, सुधार और प्रयोग
11. कृषि में परिरक्षण सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
12. जैव उर्वरक उत्पादन और विपणन
13. जैव खाद्य का उत्पादन
14. मृदा परीक्षण

15. सिंचाई और जल प्रबंधन तकनीक और उपकरण
16. फार्म इम्पलीमेंट/मशीनरी उत्पादन, हैंडलिंग और अनुरक्षण
17. एकीकृत दृष्टिकोण के जरिए संयंत्र संरक्षण
18. खाद्य भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य परिवर्धन
19. मूल्य परिवर्धन (छांटना, क्रम स्थापन इत्यादि), पैकेज बनाना, भंडारण संसाधित करना इत्यादि
20. ग्रामीण गोदामों का प्रबंधन
21. प्रत्यक्ष विपणन और खुदरा विपणन
22. विपणन, बीमा, और ऋण प्रबंधन, नलकूप का रखरखाव, और स्थापना/पम्प सेटों और अतिरिक्त कलपुर्जों का रखरखाव
23. कृषि के लिए कंप्यूटर कौशल
24. मधुमक्खी पालन/रेशम कीट पालन/मशरूम
25. पशुओं के चारे का उत्पादन और विपणन
26. डेयरी/मुर्गीपालन/सुअर पालन/बकरी पालन
27. मछली उत्पादन
28. कृषि पत्रकारिता
29. कृषि-अनुकूल पर्यटन

आवश्यक योजनाओं की सूची

1. विस्तार सुधार योजना-फार्म स्कूल
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-कृषक क्षेत्र स्कूल
3. राष्ट्रीय बागबानी मिशन-कृषकों को प्रशिक्षण
4. उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में बागबानी मिशन-कृषकों को प्रशिक्षण
5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन के.वी.के. द्वारा ग्रामीण युवकों और कृषकों को कौशल आधारित प्रशिक्षण।

नए विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या

*46. **डॉ. रत्ना डे**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा कार्यकरण के विनियमित करने के संबंध में क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या विद्यमान विश्वविद्यालयों के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है जिनका कार्यनिष्पादन संतोषप्रद नहीं पाया गया है; और

(घ) देश में नए विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने तथा इन विश्वविद्यालयों में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) केन्द्र एवं राज्य सरकारें भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची की क्रमश: सूची-III की प्रविष्टि संख्या 25 (समवर्ती सूची) तथा सूची-II की प्रविष्टि संख्या 32 (राज्य सूची) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत किसी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती हैं। तथापि, ये शक्तियां संविधान की VIIवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि संख्या 66 (संघ सूची) के प्रावधानों के अध्यधीन हैं, जिनका संबंध उच्चतर शिक्षा या अनुसुधान संस्थाओं और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में मानकों के निर्धारण एवं समन्वय से है।

विश्वविद्यालय अनुदान, आयोग (यू.जी.सी.) अधिनियम, 1956 में विश्वविद्यालय को केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित एवं निगमित संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसमें ऐसी कोई भी संस्था शामिल होगी जिसे संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से आयोग द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार सम-विश्वविद्यालयों की घोषणा भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं मानकों का अनुरक्षण) विनियम, 2003 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 क्रमश: प्राइवेट विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को विनियमित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त दो विनियमों के अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 एवं 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने

विश्वविद्यालयों में मानकों के अनुरक्षण हेतु कई अन्य विनियम भी निर्धारित किए हैं। ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के उद्देश्यार्थ डिग्रियों की एक सूची भी विनिर्दिष्ट की है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इसके द्वारा देश में सम-विश्वविद्यालयों एवं प्राइवेट विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की आवधिक समीक्षा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2009 में विशेषज्ञ समितियों की सहायता से 124 सम-विश्वविद्यालयों की व्यापक समीक्षा की थी। विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/subpage/UGC/Expert-Committee-Reports-DU.aspx पर उपलब्ध हैं।

भारत सरकार ने मौजूदा सम-विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु वर्ष 2009 में एक समीक्षा समिति का गठन किया था। समीक्षा समिति ने 38 सम-विश्वविद्यालयों को श्रेणी-क (जारी रखने के लिए पात्र), 44 सम-विश्वविद्यालयों को श्रेणी-ख (कुछ पहलुओं में कमी पाई गई तथा तीन वर्ष की समय अवधि के भीतर इन कमियों को दूर किया जा सके) और 44 सम-विश्वविद्यालयों को श्रेणी-ग (जारी रखने के अयोग्य) के रूप में वर्गीकृत किया था। अयोग्य पाई गई 44 संस्थाओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय में केस दायर किए हैं तथा वर्तमान में यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राइवेट विश्वविद्यालयों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं मानकों का अनुरक्षण), विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों का निरीक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित सांविधिक परिषदों की सहायता से किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समितियां 138 राज्य प्राइवेट विश्वविद्यालयों में से 53 प्राइवेट विश्वविद्यालयों का दौरा पहले ही कर चुकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इन दौरा करने वाली समितियों की रिपोर्ट वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/privateuniversity.aspx पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त समीक्षाओं के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मंत्रालय भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा की गई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख एवं धारा 2(च) के अंतर्गत शामिल किए जाने से पूर्व इसकी समीक्षा करता है।

(घ) चूंकि विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद/राज्य विधान मंडल के अधिनियम के माध्यम से की जाती है इसलिए देश में स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक नए विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की संसद/राज्य विधान मंडल द्वारा संवीक्षा की जाती है।

नए विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा के मानकों में सुधार तथा गुणवत्ता संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख एवं धारा 2(च) के अंतर्गत शामिल किए जाने से पूर्व इसकी समीक्षा करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय, 2010" विनियम जारी किए हैं जिनमें भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण के मानकों का निर्धारण किया गया है। अध्यापकों एवं शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) एवं राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्लेट) को अनिवार्य अपेक्षाएं बनाया गया है, इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को छूट प्रदान की जाती है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रियाविधि), विनियम, 2009 के अनुसरण में पी.एच.डी. की डिग्री पूरी की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, गुणवत्ता के विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का प्रत्यायन करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाने संबंधी विनियम जारी किए हैं।

शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं

*47. **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:***

श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्र में जनता को पेयजल, जल-मल व्ययन, शौचालयों इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इन समस्याओं से समयबद्ध तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) इन मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई/की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत

तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परियोजना, शहर तथा राज्य-वार ऐसी प्रत्येक योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान स्वीकृति प्रस्तावों, स्वीकृत तथा जारी की गई निधियों और शुरू किए गए कार्यों का परियोजना, शहर तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने प्रस्ताव/परियोजनाएं, योजना, शहर तथा राज्य-वार अभी भी लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं तथा इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी हां। जनगणना, 2011 के अनुसार, वर्ष 2001-2011 के दौरान शहरी आबादी में 377 मिलियन तक की वृद्धि हुई जो प्रतिवर्ष 2.76% की औसत वृद्धि दर दर्शाती है। देश में शहरीकरण के स्तर में वर्ष 2001 में 27.7% से 2011 में 31.1% समग्र रूप से वृद्धि हुई है-वर्ष 1991-2001 के दौरान 2.1% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2001-2011 के दौरान 3.4% की वृद्धि हुई है। तीव्र शहरीकरण के कारण, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज एवं शौचालय सुविधाओं के संबंध में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान आबादी में वृद्धि के अनुसार नहीं रहा है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार (शहरी विकास मंत्रालय) शहरों/कस्बों में बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं बढ़ाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीम चलाई जा रही है:

(i) **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)**: जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) एक सुधार आधारित स्कीम है जिसे 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य मिशन अवधि 2005-12 के दौरान शहरों के सुस्थिर विकास के साथ शहरी अवस्थापना, सेवा सुपुर्दगी तंत्रों, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों और पैरास्टेटल एजेंसियां की जवाबदेही में कुशलता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए देश भर में शहरों का सुधार आधारित और तीव्र विकास करना है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यू.आई.जी.) घटक के अंतर्गत 65 शहर शामिल किए गए हैं। जे.एन.एन.यू.आर.एम. ने दिनांक 31 मार्च, 2012 को अपनी 7 वर्ष की सामान्य अवधि को पूरा कर लिया है। सरकार ने निर्माणाधीन परियोजनाओं/सुधारों को पूर्ण करने के लिए अवधि को और 2 वर्षों के लिए बढ़ाया है और दिनांक 31.03.2014 तक अस्थायी व्यवस्था के रूप में नई परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुमोदित किया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. उप-मिशन के तहत जलापूर्ति. सीवरेज ड्रेनेज इत्यादि परियोजनाओं के स्वीकार्य घटक हैं। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान यू.आई.जी. के तहत स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ii) **छोटे तथा मझौले कसबों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)**: यह जे.एन.एन.यू.आर.एम. का एक उप-घटक है जिसमें यू.आई.जी. के अंतर्गत शामिल शहरों/कस्बों के अलावा जनगणना, 2001 के अनुसार सभी शहर/कस्बे शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न-II में दिए गए हैं।

(iii) **सेटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास (यू.आई.डी.-एस.एस.टी.)**: यह पायलट स्कीम सात मेगा शहरों (अर्थात् मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर और अहमदाबाद) के आसपास कस्बों के लिए पेयजल, सीवरेज एवं ठोस कचरा प्रबंधन इत्यादि जैसी शहरी अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के लिए है। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(iv) **पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.पी.)**: इसे एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) की वित्तीय सहायता से प्राथमिक शहरी सेवाओं को शामिल करते हुए पांच पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों अर्थात अगरतला (त्रिपुरा), आइजोल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), कोहिमा (नागालैंड) एवं शिलांग (मेघालय) में कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(v) **सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान स्कीम**: यह स्कीम शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2001-2002 से चलाई जा रही है। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं।

विवरण-I

जे.एन.एन.यू.आर.एम. (यू.आई.जी.) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य नाम	शहर का सी.सी.आई. बैठक/ परियोजना अनुमोदन की तारीख	परियोजना का नाम सी.सी.ई.ए./ (केन्द्रीय अंश)	सी.एस.एम.सी./ ए.सी.ए. अनुसार-अब तक जारी ए.सी.ए.	वचनबद्ध वित्त मंत्रालय के रिलीज आदेश के	
1	2	3	4	5	6	7
			वित्त वर्ष 2010-11			
1.	दिल्ली	नई दिल्ली	यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए तीन मुख्य नालों नामत: नजफगढ़, सपलीमेंट्री एवं शहादरा के साथ इंटरसेक्टार सीवर बिछाना	19-मई-10	47,519.85	11,880.00
2.	गुजरात	पोरबन्दर	पोरबंदर में जलापूर्ति का संवर्धन	20-दिसं.-10	2,104.84	526.21
3.	झारखंड	जमशेदपुर	जमशेदपुर शहरी समूह के लिए एकीकृत ठोस कचरा, प्रबंधन प्रयोजना	17-फरवरी-11	1,668.12	417.03
4.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	इंदौर वी.आर.टी.एस. फेज-I में रीवर साईड कोरिडोर 14.30 कि.मी.	12-नवं.-10	9,000.00	2,250.00
5.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में कोयम्बडू फेज-2, में अतिरिक्त 120 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण और उसे चालू करना	25-फरवरी-11	4,063.50	1,625.41
6.	उत्तराखंड	हरिद्वार	जोन-डी (कंखल) और जोन-डी-I (आर्य नगर, न्यू हरिद्वार) में सीवरेज प्रणाली	25-मार्च-11	2,158.40	863.36
7.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार में जोन सी 2 में सीवरेज प्रणाली	25-मार्च-11	598.68	239.47
8.	उत्तराखंड	नैनीताल	नैनीताल में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	16-जून-10	744.80	186.20
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कमरहाटी नगरपालिका कोलकाता के लिए बरसाती पानी निकासी स्कीम	16-जून-10	2,356.85	942.74

1	2	3	4	5	6	7
10.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता मेट्रो पोलीटन क्षेत्र में उल्टादंगा से गौरिया तक बी.आर.-टी.एस.-15.50 कि.मी.	16-जून-10	8,851.85	2,212.96
11.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पनीहटी नगरपालिका कोलकाता के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	23 सितं.-10	8,610.81	3,444.32
12.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	एप्रोच रोड चंदाना घर के साथ-साथ ईस्टन रेलवे मुख्य लाइन पर फ्लाई ओवर का निर्माण	12-नवं.-10	1,139.95	284.99
13.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	के.एम.ए. में बराकपुर कत्यिाणी-दमदम एक्सप्रेसवे सड़क परियोजना	12-नवं.-10	11,009.95	2,752.49
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	काजी नरुल इस्लाम एवेन्यू पर कैस्ट्रोपूट से और मंदिर तक भूमोपरि कोरिडोर	12-नवं.-10	7,230.60	1,807.65
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता शहरी क्षेत्र में अपर बगजोता नहर का सुधार	17-फरवरी-11	1,795.89	718.35
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता शहरी क्षेत्र में बड़ा नगर नगरपालिका क्षेत्र के लिए बरसाती जल निकास	17-फरवरी-11	1,255.59	502.24
17.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	ग्रेटर विशाखापतनम नगर निगम (जी.वी.एम.सी.) के सेंट्रल क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी सेक्टरों के बचे हुए क्षेत्र में 24 घंटे जल आपूर्ति का कार्यान्वयन	23-मार्च-12	4,174.50	1,043.63
18.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति	तिरुपति नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन	12-मार्च-12	1,863.20	465.80
19.	गोवा	पणजी	पणजी शहर के लिए विरासत का संरक्षण	21 जून.-11	289.80	72.45
20.	गोवा	पणजी	गोवा में पणजी शहर के नगर निगम अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पणजी शहर और आस-पास के क्षेत्र हेतु जल आपूर्ति	3 जून.-11	5,697.48	1,424.37
21.	गुजरात	पोरबन्दर	पोरबन्दर मिशन शहर के लिए भूमिगत जल निकास (सीवरेज) परियोजना	23-मार्च-12	8,944.52	2,236.13

1	2	3	4	5	6	7
22.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	गांव भरियाल, तहसील जिला शिमला में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के लिए सेनिट्री ढलाव स्थल	12-मार्च-12	840.50	210.13
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	ग्रेटर जम्मू शहर के डिविजन क के बाकी बचे फेज-II के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	12-मार्च-12	1,828.83	457.20
24.	कर्नाटक	मैसूर	चामराजेन्द्र जियोलॉजिकल गार्डन में सतही और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल प्रबंधन	3-जनवरी-12	264.00	171.60
25.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	अंबरनाथ नगरपालिका परिषद के लिए सीवरेज प्रणाली	3-जनवरी-12	3,829.56	957.38
26.	मिजोरम	आईजोल	शहरी सड़क फेज-I में सुधार और चौड़ा करना	3-जनवरी-12	3,486.06	871.52
27.	मिजोरम	आईजोल	वैवाकौन से मिजोरम विश्वविद्यालय तक चौड़ा और सुधार करना	3-जनवरी-12	1,716.88	429.22
28.	मिजोरम	आईजोल	आइजोल सिटी रिंग रोड से निकले छोटे मार्ग रूप में सिहमुई से मिजोरम विश्वविद्यालय	3-जनवरी-12	4,778.39	1,194.60
29.	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा शहर फेज-I के लिए वर्षा जल निकास विकास स्कीम	27-सितं.-11	3,623.49	2,355.26
30.	उत्तराखंड	नैनीताल	राजभवन का पुनरुद्धार और संरक्षण	8-नवंबर-11	945.82	236.45
31.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	दुर्गापुर में गमन ब्रिज से गांधी मोड़ (एन.एच.-2) वाया माया बाजार के लिए सड़क का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	3-जनवरी-12	3,890.90	972.72
32.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल में जुबली ढाबा से एस.सी.-ओ.बी. गेट तक सड़क का सुधार और 4 लेन तक चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण।	12-मार्च-12	2,158.31	539.57
33.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में उलबेरिया नगर पालिका के लिए जल आपूर्ति परियोजना (फेज-II)	29-अगस्त-11	4,367.38	1,091.85
34.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता महानगर के भीतर भटपारा नगरपालिका के वार्ड सं. 5, 6, 7, 8 में घोष पारा रोड, कल्याणी राजमार्ग को जोड़ने वाली ए.पी. बैनर्जी रोड पर रेल ओवर ब्रिज-9 (आर.ओ.बी.)	27-सितम्बर-11	452.55	113.13

1	2	3	4	5	6	7
35.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कल्याणी रेलवे स्टेशन के पास बस टर्मिनल	3-जनवरी-12	227.74	56.93
36.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आदी गंगा कोलकाता के शुरू में ई.एम. बाईपास कनेक्टर पर कमलगाजी इंटरसैक्शन पर चार लेन का फ्लाई ओवर	3-जनवरी-12	3,505.82	876.45
37.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यम ग्राम, न्यू बैरकपुर और बरसात के नगर निगम कस्बों हेतु ट्रांस-म्युनिसिपल जल आपूर्ति परियोजना	10-फरवरी-12	15,591.72	3,897.93
38.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	टी.आई.टी. गढ़ और खरदन, के नगर निगम कस्बों हेतु ट्रांस-म्युनिसिपल जल आपूर्ति परियोजना	10-फरवरी-12	6,819.40	1,704.85
39.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बज ट्रंक रोड पर जिनजीरा बाजार और बाटानगर के बीच भूमोपरि रोड का निर्माण	12-मार्च-12	8,950.55	2,237.64
40.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नबादीगंटा औद्योगिक टाऊनशिप क्षेत्र (एन.डी.आई.टी.ए.) के बाहरी क्षेत्र में कार्यालय बिल्डिंग/कैफिटेरिया सहित बस टर्मिनस का निर्माण	12-मार्च-12	218.52	54.63
41.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सोदेपुर से एम.बी. रोड तक बैरकपुर कल्याणी दमदम एक्सप्रेस रोड परियोजना (फेज-II)	12-मार्च-12	1,551.72	387.93
42.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यम ग्राम नगर पालिका, कोलकाता के लिए वर्षा जल निकास प्रणाली	23-मार्च-12	2521.53	630.38
43.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरसात नगर पालिका, कोलकाता के लिए एकीकृत, वर्षा जल निकासी प्रणाली	23-मार्च-12	2,991.92	1,96.77
			2012-13			
44.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	उज्जैन नगरपालिका कॉरपोरेशन में ठोस कचरा प्रबंधन	26-मार्च-13	2,871.10	717.78
45.	महाराष्ट्र	नांदेड	सी.आई.डी.सी.ओ., हुडको क्षेत्र साऊथ नांदेड में सीवरेज एकत्रीकरण प्रणाली	26-मार्च-13	2,501.55	625.39
46.	महाराष्ट्र	नांदेड	जलापूर्ति वितरण प्रणाली, हुडको क्षेत्र साऊथ नांदेड	26-मार्च-13	1,758.70	439.68

1	2	3	4	5	6	7
			2013-14 (31 जुलाई, 2013 तक)			
47.	गुजरात	अहमदाबाद	जल आपूर्ति प्रणाली का ऑटोमेशन (एस.सी.ए.डी.ए. आधारित)	23-अप्रैल-13	1,167.76	291.94
48.	गुजरात	अहमदाबाद	जल आपूर्ति प्रणाली का ऑटोमेशन (एस.सी.ए.डी.ए. आधारित)	2-जुलाई-13	970.80	242.70
49.	गुजरात	राजकोट	राजकोट के लिए जलापूर्ति बढ़ाना	23-मार्च-13	3,648.33	912.08
50.	गुजरात	राजकोट	राजकोट के ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करना	23-अप्रैल-13	2,086.27	521.57
51.	गुजरात	सूरत	सूरत के पूर्वी जोन की जल आपूर्ति प्रणाली के लिए डब्ल्यू.टी.पी., ट्रांसमिशन लाइन और स्टोरेज रिझरवर	23-अप्रैल-13	2,456.87	614.22
52.	गुजरात	सूरत	सूरत के पूर्वी ड्रेनेज जोन के तहत करंज सीवरेज शोधन संयंत्र को बढ़ाना	23-अप्रैल-13	2,861.50	715.38
53.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड में अतिरिक्त नगरपालिका कॉरपोरेशन क्षेत्र में जल आपूर्ति स्कीम	23-अप्रैल-13	1,478.00	369.50
54.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड में अतिरिक्त नगरपालिका कॉरपोरेशन क्षेत्र में सीवरेज स्कीम	23-मार्च-13	6,114.37	1,528.59
55.	महाराष्ट्र	पुणे	पी.एम.सी. के तहत पुना नगर रोड के साथ के क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति प्रणाली बढ़ाना।	2-जुलाई-13	19,008.44	
56.	महाराष्ट्र	पुणे	पी.एम.सी. के तहत बडगांव (बुदरुक), पुना में जल शोधन संयंत्र और सामान्य जल पंपिंग स्टेशन	2-जुलाई-13	5,903.51	
57.	नागालैण्ड	कोहिमा	एन.एच.-61 से नार्थ फिल्ड स्कूल तक सड़क के साथ रिटेनिंग दीवार का निर्माण।	30-मई-13	137.11	34.28
58.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरुपुर नगरपालिका के लिए वर्षा जल ड्रेनेज परियोजना	23-अप्रैल-13	2,240.61	560.15
59.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	रिशरा नगरपालिका के लिए वर्षा जल ड्रेनेज परियोजना	23-अप्रैल-13	1,787.56	446.89
			कुल		262,633.20	64,560.09

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत जारी धनराशि-(जल आपूर्ति)

राज्य	कस्बा/शहर का नाम	स्कीम/घटक का नाम	एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	कुल पात्र केन्द्रीय अंश (80%)	पात्र केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त	पात्र केन्द्रीय अंश की द्वितीय किस्त	डी.पी.आर. तैयार करने हेतु 1.5% की दर से प्रोत्साहन	2010-11 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2011-12 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2012-13 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2013-14 के दौरान जारी ए.सी.ए.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद***	जलापूर्ति	800.00	640.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	अनंथपुर	जलापूर्ति	6500.00	5200.00	2600.00	2600.00	97.50	2600.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	भीमुनिपटनम	जलापूर्ति	1064.00	851.20	425.60	425.60	15.96	425.60	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	बोधन	जलापूर्ति	1807.00	1445.60	722.80	722.80	27.11	722.80	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	चिरला	जलापूर्ति	619.00	495.20	247.60	247.60	9.29		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	जम्मलमडुगु	जलापूर्ति	1169.00	935.20	467.60	467.60	17.54		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	जानगांव	जलापूर्ति	1570.00	1256.00	628.00	628.00	23.55		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	कादिरी	जलापूर्ति	4546.00	36.80	188.40	1818.19	68.19		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	कंडूकुर	जलापूर्ति	4560.00	3648.00	1824.00	1824.00	0.00		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल	जलापूर्ति	3309.00	2647.20	1323.60	1323.60	49.64		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	मचेर्ला	जलापूर्ति	91.00	72.80	36.00	36.00	1.37		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	महबूबनगर	जलापूर्ति	6838.00	5470.40	2735.20	2735.20	102.57	2735.20	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	मंचेरिअल	जलापूर्ति	2287.00	1829.60	914.80	914.80	34.31		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	मंगलागिरी	जलापूर्ति	130.00	104.00	52.00	52.00	1.95		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	मरकापुर	जलापूर्ति	3338.14	2670.51	1335.26	1344.00	0.00		0.00	0.00	0.00

आन्ध्र प्रदेश	मिर्यलगुड़ा	जलापूर्ति	236.86	189.49	94.74	101.81	0.00		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	नगारी	जलापूर्ति	3540.00	2832.00	1416.00	981.60	53.10		981.60	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	नलगोंडा	जलापूर्ति	444.00	355.20	178.00	177.20	4.11		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	नारायणपेट	जलापूर्ति	903.00	722.40	361:20	361.20	13.55		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	निर्मल	जलापूर्ति	2709.00	2167.20	1084.00	1084.00	0.00		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	ओंगोले	जलापूर्ति	1554.00	1243.20	621.60	621.60	23.31		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	पुलिवेंदुल	जलापूर्ति	3300.00	2640.00	1320.00	1320.00	0.00	1320.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	पोद्दुतुल	जलापूर्ति	1680.00	1344.00	672.00	672.00	25.20		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	रायदुर्ग	जलापूर्ति	4239.00	3391.20	1695.60	1695.60	63.59	1695.60	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	सर्तेपल्ल्य	जलापूर्ति	2040.00	1632.00	816.00	816.00	30.60		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	सिद्दिपेट	जलापूर्ति	4512.00	3609.60	1804.80	1804.80	67.68		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	जलापूर्ति	2092.00	1673.60	836.80	836.80	31.38		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	सूर्यपेट	जलापूर्ति	2348.00	1878.40	939.20	939.20	23.48		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	वनपर्थी	जलापूर्ति	2808.00	2246.40	1123.20	1123.20	42.12		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	वारंगल	जलापूर्ति	16446.00	13156.80	6578.40	6578.40	246.69		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	रजम्पेत	जलापूर्ति	3413.00	2730.40	1365.20	1365.20	0.00	1365.20	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	पिदुगुरल्ल	जलापूर्ति	3454.00	2763.20	1381.60	1381.60	27.98	1381.60	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	रमगुंदम	जलापूर्ति	404.00	323.20	161.60	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	अनकपल्लि	जलापूर्ति	366.00	292.80	146.40	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	सूर्यपेट	जलापूर्ति	960.00	768.00	384.00	0.00	9.60		0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	विनुकोंडा	जलापूर्ति	960.00	768.00	384.00	384.00	9.60	384.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	पोन्नुर	जलापूर्ति	1243.00	994.40	497.20	497.20	18.65	497.20	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	पुतुर	जलापूर्ति	3904.00	3123.20	1561.60	1562.20	0.00		1562.20	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	पुंगानुर	जलापूर्ति	3036.00	2428.80	1214.40	1214.40	41.59	1214.40	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	निज़ामाबाद	जलापूर्ति	3592.00	2873.60	1436.80	1436.60	42.39		1436.60	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	रामचंद्र पुराम	जलापूर्ति	1162.00	929.60	464.80	464.60	0.00		464.60	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	रयचोत्य	जलापूर्ति	3182.00	2545.60	1272.80	1272.80	47.73	1272.80	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	सांगारेड्डी	जलापूर्ति	1412.00	1129.60	564.80	564.80	6.00	564.80	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	तनुकु	जलापूर्ति	1457.00	1165.60	582.80	582.60	0.00		0.00	582.60	0.00
आन्ध्र प्रदेश	अदोनी	जलापूर्ति	573.00	458.40	229.20	187.86	0.00		187.86	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	बेल्लम्पल्ल्य	जलापूर्ति	1887.00	1509.60	754.80	754.80	0.00	754.80	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	भोंगीर	जलापूर्ति	2037.00	1629.60	814.80	814.80	20.37	814.80	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	धर्मंवराम	जलापूर्ति	5945.00	4756.00	2378.00	2378.00	0.00	2378.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	धोने	जलापूर्ति	4476.00	3580.80	1790.40	1790.40	0.00	1790.40	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	एलुरु	जलापूर्ति	5959.00	4767.20	2383.60	2383.20	56.61		2383.20	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	गुडुर	जलापूर्ति	6487.00	5189.60	2594.80	2537.20	0.00	2537.20	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	गुंतकल	जलापूर्ति	1685.00	1348.00	674.00	674.00	25.28		674.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	हिंदुपुर	जलापूर्ति	1630.00	1304.00	652.00	652.00	0.00	652.00		0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	कामारेड्डी	जलापूर्ति	2235.00	1788.00	894.00	894.00		894.00			
आन्ध्र प्रदेश	कवली	जलापूर्ति	1869.00	1495.20	747.60	747.60	0.00	747.60		0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	नुज्विद	जलापूर्ति	4119.00	3295.20	1647.60	1647.00	61.79		1647.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	पलमेनेरु	जलापूर्ति	4340.00	3472.00	1736.00	1736.00	0.00	1736.00		0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	पीठापुरम	जलापूर्ति	1966.00	1572.80	786.40	786.80	0.00		786.80	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	श्रीकलहस्थी	जलापूर्ति	1881.00	1504.80	752.40	752.40	28.22	752.40		0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	तेनलै	जलापूर्ति	8085.00	6468.00	3234.00	3234.00	65.49		3234.00	0.00	0.00

आन्ध्र प्रदेश	वेंकटगिरि	जलापूर्ति	6962.00	5569.60	2784.80	2784.60	0.00		2784.60	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	जेहीरबाद	जलापूर्ति	1409.00	1127.20	563.60	563.60	21.14	563.60		0.00	0.00
असम	होजाइ	जलापूर्ति	1055.54	949.99	474.99	475.00	15.83	0.00	475.00		
असम	लखिपुर (सी.ए.सी.एच.-ए.आर.)	जलापूर्ति	815.88	734.29	367.146	0.00	0.50	0.00	0.00		
बिहार	मुजफ्फरपुर	जलापूर्ति	9872.25	7897.80	3948.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
छत्तसगढ़	बिलासपुर	जलापूर्ति	4142.60	3314.08	1657.04	1657.04		1657.40			
छत्तीसगढ़	कोंडगांव	जलापूर्ति	451.55	361.24	180.62	180.62		180.62			
छत्तीसगढ़	रायगढ़	जलापूर्ति	1524.50	1219.60	609.80	609.80		609.80			
गुजरात	अमरेली	जलापूर्ति	1082.95	866.36	433.18	399.86	0.00				
गुजरात	भरुच	जलापूर्ति	1371.98	1097.58	548.79	548.79	0.00				
गुजरात	भावनगर	जलापूर्ति	2096.07	1676.85	838.43	838.43	0.00	838.43			
गुजरात	वीजापुर	जलापूर्ति	273.04	218.43	109.22	109.22	4.10	109.22			
गुजरात	रजुला	जलापूर्ति	366.89	293.51	146.76	146.76	5.50	146.76			
गुजरात	सवरकुंडला	जलापूर्ति	555.45	444.36	222.18	222.18	8.33		222.18		
गुजरात	धारागधरा	जलापूर्ति	1461.04	1168.88	584.42	0.00	21.92				
गुजरात	छोटा उदयपुर	जलापूर्ति	371.67	297.34	148.67	148.67	0.00	148.67			
गुजरात	बलसिनोर	जलापूर्ति	521.60	417.28	208.64	208.64	0.00	208.64			
गुजरात	वाधवान	जलापूर्ति	1539.28	1231.42	615.71	0.00	0.00				
गुजरात	सुतरपाडा	जलापूर्ति	657.74	526.19	263.10	263.09	0.00		263.09		
गुजरात	खेमभट	जलापूर्ति	881.93	705.54	352.77	352.77	0.00		352.77		
गुजरात	जासदन	जलापूर्ति	337.90	270.32	135.16	135.16	0.00	135.16			
गुजरात	महुधा	जलापूर्ति	528.52	422.82	211.41	211.41	0.00		211.41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
गुजरात	उमरेथ	जलापूर्ति	762.96	610.37	305.18	0.00	0.00				
गुजरात	कथलाल	जलापूर्ति	392.44	313.95	156.98	156.98	0.00		156.98		
गुजरात	उपलेता	जलापूर्ति	1450.48	1160.38	580.19	580.19	0.00	580.19			
गुजरात	केशोद	जलापूर्ति	1080.96	864.77	432.38	432.38	0.00	432.38			
गुजरात	गंदेवि	जलापूर्ति	362.94	290.35	145.18	145.17	0.00		145.17		
गुजरात	बरदौली	जलापूर्ति	512.64	410.11	205.06	205.06	0.00	205.06			
गुजरात	विरमगम	जलापूर्ति	770.22	616.18	308.09	308.09	0.00	308.09			
गुजरात	उझा	जलापूर्ति	1699.78	1359.82	679.91	679.91	0.00	679.91			
गुजरात	शेहेरा	जलापूर्ति	369.72	295.78	147.89	147.89	0.00		147.89		
गुजरात	पेटलद	जलापूर्ति	1063.28	850.62	425.31	0.00	0.00				
गुजरात	द्वारका	जलापूर्ति	1665.81	1332.65	666.32	666.33	0.00		666.33		
गुजरात	सोजीत्रा	जलापूर्ति	533.45	426.76	213.38	0.00	0.00				
गुजरात	मोदासा	जलापूर्ति	856.90	685.52	34476	342.76	0.00		342.76		
हिमाचल प्रदेश	सरकाघाट	जलापूर्ति	3964	3171.20	1585.74	0.00	0.00	0.00	1585.74		
गुजरात	बिलिमोरा	जलापूर्ति	806.25	645	322.51	322.5	12.09		322.50		
गुजरात	बोरियवि	जलापूर्ति	434.35	347.48	173.74	173.74	6.52	173.74			
गुजरात	चलाला	जलापूर्ति	503.64	402.91	201.46	201.45	7.55				
गुजरात	दकोर	जलापूर्ति	451.98	361.58	180.79	180.79	6.78				
गुजरात	धनेर	जलापूर्ति	416.35	333.08	166.54	166.54	6.25				
गुजरात	धोराजी	जलापूर्ति	841.61	673.29	336.65	310.74	0.00				
गुजरात	गोंदल	जलापूर्ति	1434.04	1147.23	573.62	529.49	0.00				
गुजरात	जामनगर	जलापूर्ति	2015.31	1612.25	806.13	744.11	0.00				

गुजरात	जूनागढ़	जलापूर्ति	1598.64	1278.91	639.46	639.45	0.00		639.45
गुजरात	कपड्वेज	जलापूर्ति	823.58	658.86	329.43	309.75	0.00	309.75	
गुजरात	लुनावडा	जलापूर्ति	477.04	381.63	190.82	190.81	7.16		190.81
गुजरात	पालीताना	जलापूर्ति	473.69	378.95	189.48	189.47	0.00		
गुजरात	सोनगढ़	जलापूर्ति	334.3	267.44	133.72	133.72	5.01		133.72
गुजरात	खेडा	जलापूर्ति	496.59	397.27	198.64	198.63	0.00		
गुजरात	मेहसाणा	जलापूर्ति	940.74	752.59	376.30	376.29	0.00		
गुजरात	कादिरी	जलापूर्ति	523.51	418.81	209.40	209.41	0.00		
गुजरात	गोधरा	जलापूर्ति	1446.52	1157.22	578.61	578.61	0.00		
गुजरात	राधनपुर	जलापूर्ति	224.52	179.62	89.81	89.81	0.00	89.81	
गुजरात	हिम्मतनगर	जलापूर्ति	814.94	651.95	325.98	325.98	0.00		
गुजरात	प्रांतिज	जलापूर्ति	279.92	223.94	111.97	111.97	0.00		
गुजरात	सुरेंद्रनगर	जलापूर्ति	765.1.2	612.10	306.05	306.05	0.00		
गुजरात	वलसाड	जलापूर्ति	618.59	494.87	247.44	247.44	0.00		
गुजरात	जेतपुर	जलापूर्ति	2384.09	1907.27	953.64	953.63	35.76		953.63
गुजरात	चक्लासी	जलापूर्ति	713.20	570.56	285.28	285.28	10.70	285.28	
गुजरात	पेथापुर	जलापूर्ति	428.20	342.56	171.28	171.28	6.42		171.28
कर्नाटक	चिक्कोड़ी	जलापूर्ति	2039.91	1631.93	815.96	815.96	0.00	815.96	
कर्नाटक	हुनागुड्डा-लल्कुस्तगि	जलापूर्ति	5821.20	4656.96	2328.48	2328.48	0.00	2328.48	
कर्नाटक	विजयपुरा	जलापूर्ति	1109.62	887.70	443.85	0.00	0.00		
कर्नाटक	गजेन्द्रगढ़-नरेगल	जलापूर्ति	3632.44	2905.95	1452.98	1452.98	0.00	1452.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कर्नाटक	शिराहट्टी-मुलगुंद	जलापूर्ति	2595.58	2076.46	1038.23	1038.23	0.00	1038.23			
कर्नाटक	शिग्गांव-सवानुर-बंकपुराम	जलापूर्ति	3975.70	3180.56	1590.28	1590.28	0.00			1590.28	
केरल	अलप्पुज्ह	जलापूर्ति	9194.00	7355.20	3677.60	3677.60	137.91			3677.6	
केरल	पय्यन्नुर	जलापूर्ति	4019.00	3215.20	1607.60	1607.60	60.285			1607.6	
केरल	गुरुवयर (संयुक्त परियोजना)	जलापूर्ति	3144.33	2515.46	1257.73	1257.73	0			1257.73	
केरल	चवक्कद (संयुक्त परियोजना)	जलापूर्ति	1900.67	1520.54	760.27	760.27	0			760.27	
केरल	थलस्सेर्य	जलापूर्ति	4120.00	3296.00	1648.00	1648.00	0			1648	
केरल	वदकर	जलापूर्ति	2291.75	1833.40	916.70	996.70	0			996.7	
केरल	कालपेट्टा	जलापूर्ति	3217.00	2573.60	1286.80	1151.66	0			1151.66	
केरल	पेरिंथलमन्ना	जलापूर्ति	811.00	648.80	324.40	324.40	0			324.4	
केरल	चित्तूर-थातगनागास्सेरी	जलापूर्ति	650.00	520.00	260.00	0.00	0				
केरल	चंगनस्सेर्य	जलापूर्ति	391.90	313.52	156.76	0.00	0				
केरल	थिरुवेल्ली	जलापूर्ति	627.90	502.32	251.16	251.16	0			251.16	
केरल	ओतपलम	जलापूर्ति	1800.00	1440.00	720.00	0.00	0				
केरल	मलप्पुराम	जलापूर्ति	1976.00	1580.80	790.40	603.12	0			603.12	
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	जलापूर्ति	5844.00	4675.20	2337.60	2337.60	87.66				
महाराष्ट्र	इस्लामपुर	जलापूर्ति	1454.00	1163.20	581.6	581.60	21.81				
महाराष्ट्र	पुसाद	जलापूर्ति	838.90	671.12	335.56	335.56	12.58				

हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	जलापूर्ति	6485.19	5188.15	2594.08					2594.08
झारखण्ड	चास	जलापूर्ति	3324.19	2659.35	1329.68	0.00	49.86	0.00	0.00	
झारखण्ड	देवधर	जलापूर्ति	4737.77	3790.22	1895.11	0.00	71.07	0.00	0.00	
झारखण्ड	चाईबासा	जलापूर्ति	3217.8	2574.24	1287.12	0.00		0.00	0.00	1287.12
जम्मू और कश्मीर	भद्रवाह	जलापूर्ति	1177.98	1060.18	530.09		17.67	0.00	0.00	530.09
जम्मू और कश्मीर	डोडा	जलापूर्ति	2633.60	2370.24	1185.12		39.5	0.00	0.00	1185.12
जम्मू और कश्मीर	कठुआ	जलापूर्ति	2136.60	1922.94	961.47	961.47	32.05	0.00	0.00	961.47
जम्मू और कश्मीर	सांबा	जलापूर्ति	1882.00	1693.8	846.9	846.90	28.23	0.00	0.00	846.90
जम्मू और कश्मीर	सुन्दरबनी	जलापूर्ति	930.71	837.64	418.82	418.82	13.96	0.00	0.00	418.82
जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	जलापूर्ति	2882.00	2593.8	1296.9	1296.90	43.23	0.00	0.00	1296.90
जम्मू और कश्मीर	सोपोरे	जलापूर्ति	3353.16	3017.84	1508.92		0.00	0.00	0.00	1508.92
जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग	जलापूर्ति	3689.23	3320.31	1660.15		0.00	1660.15	0.00	1660.15
कर्नाटक	बिरुर	जलापूर्ति	1339.00	1071.20	535.60	535.60	20.09	535.60	20.09	535.60
कर्नाटक	देवनगिरी	जलापूर्ति	355.80	284.64	142.32	142.32	5.34	142.32		
कर्नाटक	हिरकेरुर	जलापूर्ति	1617.00	1293.60	646.80	646.80	24.25			
कर्नाटक	होलेनरसिपुर	जलापूर्ति	89.79	71.83.	35.92	35.92	1.35	35.92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कर्नाटक	हुबली-धारवाड	जलापूर्ति	990.21	792.17	396.09	396.08	14.85	396.08			
कर्नाटक	सिद्दपुर	जलापूर्ति	524.90	419.92	209.96	209.96	7.87	209.96			
कर्नाटक	यगोल (कोलार-बांगरपेट-मल्लूर)	जलापूर्ति	7992.00	6393.60	3196.80	3196:80	119.88	3196.80			
कर्नाटक	मल्बगलु	जलापूर्ति	1894.76	1515.81	757.90	0.00	0.00				
कर्नाटक	केरुर	जलापूर्ति	1173.23	938.58	469.29	469.29	0.00	469.29			
कर्नाटक	मुंद्वोद	जलापूर्ति	376.58	301.26	150.63	150.63	0.00	150.63			
कर्नाटक	बुजपुर	जलापूर्ति	6277.57	5022.06	2511.03	2511.03	0.00	2511.03			
मध्य प्रदेश	शजलपुर	जलापूर्ति	1745.32	1396.26	698.13	698.13	13.96			712.09	
मध्य प्रदेश	सिरोंज	जलापूर्ति	622.95	498.36	249.18	249.18	7.79	249.18		7.79	
मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	जलापूर्ति	983.18	786.54	393.27	393.27	14.75			408.02	
मध्य प्रदेश	विदिशा	जलापूर्ति	1557.52	1246.02	623.01	623.01	0.00			623.01	
मध्य प्रदेश	डाबरा	जलापूर्ति	1112.1	889.68	444.84	444.84	16.68	444.84			
मध्य प्रदेश	डाबरा	जलापूर्ति	1441.84	1153.47	576.74	576.73	21.63			576.73	
मध्य प्रदेश	मेडोरे	जलापूर्ति	1454.52	1163.62	581.81	581.81	21.82			581.81	
मध्य प्रदेश	रतलाम	जलापूर्ति	3265.1	2612.08	1306.04	1306.04	48.98			1306.04	
मध्य प्रदेश	शिवपुरि	जलापूर्ति	5964.66	4771.73	2385.86	2385.86	89.47			2385.86	
मध्य प्रदेश	आस्था	जलापूर्ति	980.40	784.32	3~2.15	392.16	14.71			392.16	
मध्य प्रदेश	खांडवा	जलापूर्ति	10672.30	8537.84	4266.92	4268.92	0.00			4268.92	
मध्य प्रदेश	राहत	जलापूर्ति	276.48	221.18	110.59	110.59	0.00			110.59	
मध्य प्रदेश	नसरूल्लागंज	जलापूर्ति	488.96	391.17	195.58	195.58	0.00			195.58	
मध्य प्रदेश	पचास	जलापूर्ति	3031.00	4009.00	2334.80	2334.80	0.00	2334.80		0.00	

मध्य प्रदेश	हौशंगाबाद	जलापूर्ति	1615.26	1292.21	646.10	646.11	0.00			646.11
मध्य प्रदेश	अगार	जलापूर्ति	1005.80	804.64	402.32	402.32	15.09			417.41
मध्य प्रदेश	शाजापुर	जलापूर्ति	996.00	796.80	398.40	398.40	7.97			406.37
मध्य प्रदेश	हरदा	जलापूर्ति	1787.00	1429.60	714.80	673.20	26.81			700.01
मध्य प्रदेश	कटना	जलापूर्ति	4080.95	3264.76	1632.38	1632.38	30.60			1662.98
मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	जलापूर्ति	5732.87	4586.30	2293.15				2293.15	
मध्य प्रदेश	पिपारेय	जलापूर्ति	2408.11	1926.49	963.24				963.24	
मध्य प्रदेश	पधुरना	जलापूर्ति	4611.62	3689.30	2577.52				2577.52	
मध्य प्रदेश	बतुल	जलापूर्ति	3262.07	2609.66	1304.83				1304.83	
मध्य प्रदेश	सौसर	जलापूर्ति	1930.22	1544.18	772.09				772.09	
मध्य प्रदेश	चरि	जलापूर्ति	886.38	709.10	354.55				354.55	
मध्य प्रदेश	खुराड़	जलापूर्ति	3662.82	2930.26	1465.13				1465.13	
मध्य प्रदेश	पिप्ल नरयवर	जलापूर्ति	81.20	64.96	32.48				32.48	
मध्य प्रदेश	दॉगर परसुल	जलापूर्ति	3013.33	2410.66	1205.33				1205.33	
मध्य प्रदेश	पचारा	जलापूर्ति	5575.00	5100.00	1590.00				1590.00	
मध्य प्रदेश	मुलतै	जलापूर्ति	1929.60	1543.68	771.84				771.84	
मध्य प्रदेश	खिड़किया	जलापूर्ति	1225.70	980.56	490.28					490.28
मध्य प्रदेश	महिदपुर	जलापूर्ति	1683.75	1347.00	673.5					673.5
महाराष्ट्र	यवतमल	जलापूर्ति	1096.00	876.80	438.40	0.00	0.00			
महाराष्ट्र	बालापुर	जलापूर्ति	605.00	484.00	242.00	242.00	0.00		242.00	
महाराष्ट्र	कतोल	जलापूर्ति	1918.00	1534.40	767.20	767.20	0.00	767.20		
महाराष्ट्र	जयसिंगपुर	जलापूर्ति	691.20	552.96	276.48	276.48	0.00	276.48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
महाराष्ट्र	हदगांव	जलापूर्ति	214.62	171.70	85.85	0.00	0.00				
महाराष्ट्र	फलटन	जलापूर्ति	3284.87	2627.90	1313.95	1313.95	0.00	1313.95			
महाराष्ट्र	गाधिंगलाज	जलापूर्ति	898.05	718.44	359.22	359.22	0.00		359.22		
महाराष्ट्र	वदगांव	जलापूर्ति	664.00	531.20	265.60	265.60	0.00			265.60	
महाराष्ट्र	जुन्नेर	जलापूर्ति	660.66	528.53	264.26	264.27	0.00		264.27		
महाराष्ट्र	रहीमतपुर	जलापूर्ति	403.60	322.88	161.44	161.44	0.00		161.44		
महाराष्ट्र	पेन	जलापूर्ति	1297.00	1037.60	518.80	518.80	0.00			518.80	
महाराष्ट्र	खोपोली	जलापूर्ति	1483.00	1186.40	593.20	593.20	0.00		593.20		
महाराष्ट्र	पचोरा	जलापूर्ति	1818.00	1454.40	727.20	727.20	0.00		727.20		
महाराष्ट्र	सांगानेर	जलापूर्ति	878.00	702.40	351.20	351.20	0.00	351.20			
महाराष्ट्र	येवला	जलापूर्ति	1012.65	810.12	405.06	405.06	0.00		405.06		
महाराष्ट्र	अहमदनगर	जलापूर्ति (फेज-II)	7305.00	5844.00	2922.00	2922.00	56.98		56.98	2922.00	
मध्य प्रदेश	बियोरा	जलापूर्ति	709.47	567.58	283.79	283.79	10.64			294.43	
मध्य प्रदेश	बुधनी	जलापूर्ति	194.60	155.68	77.84	77.84	1.17			79.01	
मध्य प्रदेश	छतरपुर	जलापूर्ति	1593.80	1275.04	637.52	637.52	0.00			637.52	
मध्य प्रदेश	दमोह	जलापूर्ति	874.20	699.36	349.68	349.68	0.00				
मध्य प्रदेश	गहेकोत	जलापूर्ति	596.36	477.09	187.40	289.69	8.95			8.95	
मध्य प्रदेश	इटारसी	जलापूर्ति	1467.83	1174.26	587.13	587.13	22.02			609.15	
मध्य प्रदेश	जओरा	जलापूर्ति	663.00	530.40	265.20	265.20	6.63			271.83	
मध्य प्रदेश	मलज्खंद	जलापूर्ति	525.42	420.34	110.60	309.74	0.00	309.74			
मध्य प्रदेश	मंदसौर	स्रोत	1552.45	1241.96	620.98	620.98	0.00			620.98	

मध्य प्रदेश	पन्ना	जलापूर्ति	1808.37	1446.70	723.35	723.35	0.00			723.35
मध्य प्रदेश	रेहली	जलापूर्ति	602.75	482.20	241.10	241.10	0,00	241.10		
मध्य प्रदेश	रेवा	जलापूर्ति	1427.87	1142.30	571.15	571.15	3.57			574.72
मध्य प्रदेश	सनवद	जलापूर्ति	729.68	583.74	291.87	291.87	7.15	291.87		7.15
महाराष्ट्र	हिंगोली	जलापूर्ति	4576.92	3661.54	1830.77	1830.77	0.00		1830.77	
महाराष्ट्र	शहादा	जलापूर्ति	1724.00	1379.20	689.60	689.60	0.00	689.60		
महाराष्ट्र	जामनेर	जलापूर्ति	768.60	614.88	307.44	307.44	0.00	307.44		
महाराष्ट्र	इचलकरंजी	जलापूर्ति	3694.82	2955.86	1477.93	1477.93	0.00	1477.93		
महाराष्ट्र	तासगांव	जलापूर्ति	1456.00	1164.80	582.40	582.40	0.00		582.40	
महाराष्ट्र	परभणी	जलापूर्ति	10448.00	8358.40	4179.20	4179.20	0.00	4179.20		
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	जलापूर्ति	35967.00	28773.60	14386.80	0.00	0.00			
महाराष्ट्र	गोंडीया	जलापूर्ति	6138.26	4910.61	2455.30	2455.30	0.00		2455.30	
महाराष्ट्र	अकोट	जलापूर्ति	1957.00	1565.60	782.80	782.80	0.00			782.80
महाराष्ट्र	अमलनेर	जलापूर्ति	2487.00	1989.60	994.80	994.80	0.00		994.80	
महाराष्ट्र	चालिसगांव	जलापूर्ति	407.00	325.60	162.80	162.80	0.00	162.80		
महाराष्ट्र	दपोली	जलापूर्ति	142.00	113.60	56.80	56.80	0.00		56.80	
महाराष्ट्र	जीतुर	जलापूर्ति	909.00	727.20	363.60	363.60	0.00	363.60		
महाराष्ट्र	कराद	जलापूर्ति	2910.00	2328.00	1164.00	1164.00	0.00		1164.00	
महाराष्ट्र	करमाला	जलापूर्ति	939.86	751.89	375.94	.375.95	0.00		375.95	
महाराष्ट्र	कुर्दुवाडी	जलापूर्ति	766.84	613.47	306.74	306.74	0.00		306.74	
महाराष्ट्र	मुर्तिजापुर	जलापूर्ति	1767.00	1413.60	706.80	706.80	0.00		706.80	
महाराष्ट्र	परोला	जलापूर्ति	403.00	322.40	161.20	161.20	0.00		161.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
महाराष्ट्र	पथरी	जलापूर्ति	1043.00	834.40	417.20	417.20	0.00		417.20		
महाराष्ट्र	सैलु	जलापूर्ति	1189.00	951.20	475.60	475.60	0.00		475.60		
महाराष्ट्र	संगोला	जलापूर्ति	2145.00	1716.00	858.00	858.00	0.00		858.00		
महाराष्ट्र	सिल्लोद	जलापूर्ति	1236.88	989.50	494.75	494.75	0.00	494.75			
महाराष्ट्र	सोनेपेथ	जलापूर्ति	298.00	238.40	119.20	119.20	0.00	119.20			
महाराष्ट्र	तेल्हारा	जलापूर्ति	614.00	491.20	245.60	245.60	0.00		245.60		
महाराष्ट्र	वाशिम	जलापूर्ति	2997.00	2397.60	1198.80	1196.80	0.00		1198.80		
महाराष्ट्र	आश्ता	जलापूर्ति	673.50	538.80	269.4	269.40	10.1				
महाराष्ट्र	चोपड़ा	जलापूर्ति	486.00	388.80	194.4	194.40	7.29				
महाराष्ट्र	मंगल्वेध	जलापूर्ति	796.50	637.20	318.6	318.60	11.94				
महाराष्ट्र	भोर	जलापूर्ति	319.20	255.36	127.68	127.68	4.788				
महाराष्ट्र	भद्रावती	जलापूर्ति	1725.20	1380.16	690.08	690.08	25.878		690.08		
महाराष्ट्र	मालेगांव	जलापूर्ति	4611.00	3688.80	1844.40	1844.40	69.17				
महाराष्ट्र	चिपलुन	जलापूर्ति	956.00	764.80	382.40	382.40	14.34				
महाराष्ट्र	अचलपुर	जलापूर्ति	3759.00	3007.20	1503.60	1503.60	56.39		1503.60		
महाराष्ट्र	बारामती	जलापूर्ति	1368.00	1094.40	547.20	547.20	20.52				
महाराष्ट्र	सांगली, मिराज, कुप्वद	जलापूर्ति	7902.00	6321.60	3160.80	3160.80	118.53			3160.80	
महाराष्ट्र	बीड	जलापूर्ति	2076.00	1660.80	830.40	830.40	31.14				
महाराष्ट्र	अहमदनगर	जलापूर्ति (फेज-I)	2539.00	2031.20	1016.00	1015.20					
महाराष्ट्र	नंदुरबार	जलापूर्ति	2405.18	1924.14	962.07	962.07	0.00	962.07			

महाराष्ट्र	श्रीरामपुर	जलापूर्ति	4357.00	3485.60	1742.80	1742.80	0.00		1742.80	
महाराष्ट्र	उमरेद	जलापूर्ति	1516:00	1212.80	606.40	606.40	0.00	66.40		
महाराष्ट्र	विटा	जलापूर्ति	747.80	598.24	299.12	299.12	0.00			
महाराष्ट्र	अर्वी	जलापूर्ति	729.30	583.44	291.72	291.72	0.00		291.72	
महाराष्ट्र	सतारा	जलापूर्ति	4715.90	3772.72	1886.36	1886.36	0.00		1886.36	
महाराष्ट्र	जालना	जलापूर्ति	12399.00	9919.20	4959.60	4959.60	0.00	4959.60		
महाराष्ट्र	सोलापुर	जलापूर्ति	7198.95	5759.16	2879.58	2879.58	0.00			2879.58
महाराष्ट्र	वैजापुर	जलापूर्ति	3490.60	2792.48	1396.24	1396.24	0.00	1396.24		
महाराष्ट्र	शेगांव	जलापूर्ति	3880.64	3104.51	1552.26	1552.26	43.08	43.08		
महाराष्ट्र	खेमगांव	जलापूर्ति	4328.18	3462.54	1731.27	1731.27	0.00	1731.27		
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	जलापूर्ति	10349.42	8279.54	4139.77	4139.77	155.24		4295.01	
महाराष्ट्र	बास्मत	जलापूर्ति	3213.00	2570.40	1285.20	1285.20	0.00	1285.20		
तमिलनाडु	पल्लदम	जलापूर्ति	891.23	712.98	356.49	356.49			356.49	
तमिलनाडु	पनैपुराम	जलापूर्ति	155.37	124.30	62.15	62.15	43.08			
तमिलनाडु	परमकुडी	जलापूर्ति	5824.30	4659.44	2329.72	2329.72				
तमिलनाडु	पोन्नमरवथ्य	जलापूर्ति	721.00	576.80	268.40	288.40				
तमिलनाडु	रमनथपुराम	जलापूर्ति	4770.00	3816.00	1908.00	1908.00				
तमिलनाडु	सेवुगपति	जलापूर्ति	141.84	113.47	56.74	56.74				
तमिलनाडु	शेंबक्कम	जलापूर्ति	78.65	62.92	31.46	31.46				
तमिलनाडु	श्रीविल्लीपुथुर	जलापूर्ति	2949.19	2359.35	1179.68	1179.68		1179.68		
तमिलनाडु	थंजावुर	जलापूर्ति	904.00	723.20	361.60	361.60		361.60		
तमिलनाडु	थेवराम	जलापूर्ति	252.25	201.80	100.90	100.90				
तमिलनाडु	थिमिरि	जलापूर्ति	101.00	80.80	40.40	40.40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
तमिलनाडु	थिरुकज्हुकुंदराम	जलापूर्ति	105.00	84.00	42.00	42.00					
तमिलनाडु	थिरुपथुर	जलापूर्ति	648.00	518.40	259.20	259.20					
तमिलनाडु	थिरुथनि	जलापूर्ति	512.30	409.84	204.92	204.92					
तमिलनाडु	वल्परै	जलापूर्ति	221.40	177.12	88.56	88.56					
तमिलनाडु	विक्रम्सिंगपुराम	जलापूर्ति	246.00	196.80	98.40	98.40					
तमिलनाडु	विल्लुपुरम	जलापूर्ति	955.00	764.00	382.00	382.00			382.00		
तमिलनाडु	गांधी नगर	जलापूर्ति	29.15	23.32	11.66	11.66					
तमिलनाडु	सिवगंगै	जलापूर्ति	3279.90	2623.92	1311.96	1311.96					
तमिलनाडु	रामेश्वरम्	जलापूर्ति	3376.50	2701.20	1350.60	1350.60					
तमिलनाडु	मृदुकुलथुर	जलापूर्ति	1127.00	901.60	450.80	450.80					
तमिलनाडु	मंदपम	जलापूर्ति	893.00	714.40	357.20	357.20					
तमिलनाडु	सयल्कुदि	जलापूर्ति	853.60	682.88	341.44	341.44					
तमिलनाडु	थोदिन	जलापूर्ति	930.00	744.00	372.00	372.00					
तमिलनाडु	आर.एस. मंगलम	जलापूर्ति	567.00	453.60	226.80	226.80					
पंजाब	कपुरथला	जलापूर्ति	92.00	73.60	36.80	0.00	0.00				
पंजाब	सुनाम	जलापूर्ति	207.00	165.60	82.80	0.00	0.00				
पंजाब	मुक्तसर	जलापूर्ति	1541.08	1232.86	616.43	592.05	0.00			592.05	
तमिलनाडु	उदयपुर	जलापूर्ति	5395	4316	2158	2158.00	80.39				
तमिलनाडु	ब्यावर	जलापूर्ति	4979.31	3983.45	1991.72		0.00				
तमिलनाडु	मकराना	जलापूर्ति	4870.41	3896.33	1948.16		29.22			29.22	
तमिलनाडु	मंगन	जलापूर्ति	1580.82	1422.74	711.37	711.37	23.71		711.37		

तमिलनाडु	अमूर	जलापूर्ति	110.00	88.00	44.00	44.00		
तमिलनाडु	अरक्कोनम	जलापूर्ति	844.70	675.76	337.88	337.88		
तमिलनाडु	अरंथंगि	जलापूर्ति	340.00	272.00	136.00	136.00		
तमिलनाडु	बूथिपुराम	जलापूर्ति	61.18	48.94	24.47	24.47		
तमिलनाडु	देवकोट्टी	जलापूर्ति	30.00	24.00	12.00	12.00		
तमिलनाडु	इरोड	जलापूर्ति	588.16	470.53	235.26	235.26		
तमिलनाडु	गुडलुर	जलापूर्ति	525.00	420.00	210.00	210.00		
तमिलनाडु	कल्लिजुर	जलापूर्ति	105.27	84.22	42.11	42.11		
तमिलनाडु	करुर	जलापूर्ति	110.38	88.30	44.15	44.15		
तमिलनाडु	कीलकरै	जलापूर्ति	2015.50	1612.40	806:20	806.20		
तमिलनाडु	कोम्बै	जलापूर्ति	223.00	178.40	89.20	89.20		
तमिलनाडु	मनिमुथरु	जलापूर्ति	130.84	104.67	52.34	52.34		
तमिलनाडु	मरैमलैनगर	जलापूर्ति	254.00	203.20	101.60	101.60		
तमिलनाडु	मरुंगूर	जलापूर्ति	31.26	25.01	12.50	12.50		
तमिलनाडु	मूलकरैपति	जलापूर्ति	226.00	180.80	90.40	90.40		
तमिलनाडु	म्यलद्य	जलापूर्ति	25.91	20.73	10.36	10.36		
तमिलनाडु	नल्लूर	जलापूर्ति	62.69	50.15	25.08	25.08		
तमिलनाडु	नमक्काल	जलापूर्ति	990.50	792.40	396.20	396.20		
मध्य प्रदेश	सीधी	जलापूर्ति	2118.55	1694.84	847.42			847.42
मध्य प्रदेश	बीना	जलापूर्ति	3875.50	3100.40	1550.20			1550.2
मणिपुर	थोबल	जलापूर्ति	1386.00	1247.40	623.70	623.70	20.79	623.7
ओडिशा	कक्विंचग	जलापूर्ति	1327.00	1194.30	597.15	597.15	0.00	597.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ओडिशा	जिरिबम	जलापूर्ति	576.00	518.40	259.20	259.20	0.00			259.2	
ओडिशा	मैरंग	जलापूर्ति	1779.00	1601.10	800.55	800.55	0.00			800.55	
ओडिशा	बिश्नुपुर	जलापूर्ति	1209.00	1088.10	544.05	544.05	0.00			544.05	
ओडिशा	सम्बलपुर	जलापूर्ति	976.00	780.8	390.40		14.64				
ओडिशा	बरहामपुर	जलापूर्ति	520.15	416.12	208.06		7.80				
ओडिशा	कोरापुट	जलापूर्ति	87.50	70.00	35.00		1.31				
ओडिशा	परलखेमुंदि	जलापूर्ति	527.74	422.19	211.10		7.92				
ओडिशा	अंगुल	जलापूर्ति	1273.32	1018.66	509.33		19.10				
ओडिशा	व्यसनगर	जलापूर्ति	1429.87	1143.90	571.95		0.00				
ओडिशा	फूलबनी	जलापूर्ति	748.45	598.76	2.99.38		0.00				
ओडिशा	नयागढ़	जलापूर्ति	2048.66	1638.93	819.46		0.00				
ओडिशा	बारगढ़	जलापूर्ति	3033.00	2426.40	1213.20		0.00				
ओडिशा	तल्चर	जलापूर्ति	1069.00	855.20	427.60		0.00				
ओडिशा	भवनिपतन	जलापूर्ति	972.00	777.60	388.80		0.00				
ओडिशा	झारसूगुडा	जलापूर्ति	3196.11	2556.89	1278.44					1278.44	
पंजाब	जालंधर	जलापूर्ति	336.46	269.17	134.58	129.54	0.00			129.54	
पंजाब	भटिंडा	जलापूर्ति	2642.00	2113.60	1056.80	1056.80	0.00			1056.8	
पंजाब	मजिठा	जलापूर्ति	121.00	96.80	48.40	0.00	0.00				
पंजाब	आदमपुर	जलापूर्ति	51.00	40.80	20.40	6.42	0.00			6.42	
पंजाब	फतेहगढ़चुरैन	जलापूर्ति	106.00	84.80	42.40	0.00	0.00				
पंजाब	फिरोजपुर	जलापूर्ति	834.00	667.20	333.60	0.00	0.00				

पश्चिम बंगाल	तामलुक	जलापूर्ति	1135.6	908.48	454.24	454.24	17.03	0.00	0.00	
पश्चिम बंगाल	ओल्ड मालदा	जलापूर्ति	1819.86	1455.89	727.94	727.84	0.00	727.94	0.00	
पश्चिम बंगाल	तरकेश्वर	जलापूर्ति	927.58	742.06	371.03	371.03	13.91	371.03	0.00	
पश्चिम बंगाल	कलियागंज	जलापूर्ति	1167.84	934.27	467.14	467.13	17.52	0.00	0.00	467.13
पश्चिम बंगाल	कोंटाइ	जलापूर्ति	2317.88	1854.30	927.15	927.15	34.77	0.00	0.00	927.15
पश्चिम बंगाल	धुलिअन	जलापूर्ति	2062.64	1650.11	825.06	825.05	0.00	0.00	0.00	825.05
पश्चिम बंगाल	डायमंड हार्बर	जलापूर्ति	3479.9	2783.92	1391.96	1391.96	0.00	0.00	0.00	1391.96
पश्चिम बंगाल	कंडी	जलापूर्ति	3740.29	2992.23	1496.12	1496.11	0.00	0.00	0.00	1496.11
पश्चिम बंगाल	तहेरपुर	जलापूर्ति	867.75	694.20	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	347.10
पश्चिम बंगाल	खरर	जलापूर्ति	679.17	543.34	271.67	271.67	0.00	0.00	0.00	271.67
पश्चिम बंगाल	नलहाटी	जलापूर्ति	567.62	454.10	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	227.05
पश्चिम बंगाल	खिरपई	जलापूर्ति	946.34	757.07	3.78.54	378.54	0.00	0.00	0.00	378.54
पश्चिम बंगाल	एग्रा	जलापूर्ति	1496.78	1197.42	598.71	0.00	0.00	0.00	598.71	
पश्चिम बंगाल	रामजीवबनपुर	जलापूर्ति	1101.03	880.82	440.41	0.00	0.00	0.00	440.41	
पश्चिम बंगाल	बिरनगर	जलापूर्ति	977.25	781.80	390.90	0.00	0.00	0.00	390.90	
पश्चिम बंगाल	सौंथिया	जलापूर्ति	1299.62	1039.70	519.85	0.00	0.00	0.00	519.85	
पश्चिम बंगाल	चंद्रकोन	जलापूर्ति	1557.29	1245.83	622.92	0.00	0.00	0.00	622.92	
पश्चिम बंगाल	बालुघाट	जलापूर्ति	4160.24	3328.19	1664.10	0.00	0.00	0.00	1664.10	
पश्चिम बंगाल	इंगलिश बाजार	जलापूर्ति	4140.00	3312.00	1656.00	0.00	0.00	0.00	1656.00	
पश्चिम बंगाल	कूचबिहार	जलापूर्ति	3634.84	2907.87	1453.94	0.00	0.00	0.00	1453.94	
पश्चिम बंगाल	रायगंज	जलापूर्ति	4401.23	3520.984	1760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.00
मिजोरम	लुंगलेइ	जलापूर्ति	867.44	780.70	390.35	390.35	0.00	0.00	0.00	390.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मिजोरम	सेरछिप	जलापूर्ति	687.60	618.84	309.42	309.42	0.00	0.00	0.00	309.42	
दादरा और नगर हवेली	सिल्यासा/ अम्ली	जलापूर्ति	1864.73	1491.78	745.89	0.00	0.00				
पुदुचेरी	यनम	जलापूर्ति	3918.00	3134.40	1567.20	1567.20	0.00		1567.20		
उत्तर प्रदेश	लहरपुर (सितापुर)	जलापूर्ति	178.25	142.60	71.30	71.30	0.00	71.30			
उत्तर प्रदेश	खुर्जा	जलापूर्ति	1243.81	995.05	497.52	497.41	0.00				
उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	जलापूर्ति	616.29	493.03	246.52	246.52	0.00		246.52		
उत्तर प्रदेश	बिजनौर	जलापूर्ति	1036.94	829.55	414.78	414.78	0.00	414.78			
उत्तर प्रदेश	बदायुं	जलापूर्ति	1118.74	894.99	447.50	446.52	0.00		446.52		
उत्तर प्रदेश	मऊ	जलापूर्ति	555.93	444.74	222.37	222.37	0.00		222.37		
उत्तर प्रदेश	देवरिया	जलापूर्ति	1104.06	883.25	441.62	441.62	0.00		441.62		
उत्तर प्रदेश	लखीमपुर	जलापूर्ति	1190.31	952.25	476.12.	475.64	0.00	475.64			
उत्तर प्रदेश	रामनगर	जलापूर्ति	591.93	473.54	236.77	234.61	0.00	234.61			
उत्तर प्रदेश	पडरौना	जलापूर्ति	615.25	492.20	246.10	246.10	0.00		246.10		
उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	जलापूर्ति	458.34	366.67	183.34	183.15	0.00		183.15		
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	जलापूर्ति	3108.12	2486.50	1243.25	1243.25	0.00		1243.25		
उत्तर प्रदेश	संदिल	जलापूर्ति	693.58	554.86	277.43	277.43	0.00		277.43		
उत्तर प्रदेश	कन्नौज	जलापूर्ति	885.26	708.21	354.10	354.10	0.00		354.10		
उत्तर प्रदेश	शाहजापुर	जलापूर्ति	999.77	799.82	399.91	398.60	0.00	398.60			
ओडिशा	आरमबाग	जलापूर्ति	1122.21	897.77	448.88	448.88	16.83	0.00	0.00		

ओडिशा	बेहरामपुर	जलापूर्ति	1270	1016.00	508.00	508.00	19.05	0.00	0.00	508.00	
ओडिशा	गुश्कारा	जलापूर्ति	780.27	624.22	312.11	ध्312.11	11.70	0.00	0.00		
ओडिशा	हल्दिया	जलापूर्ति	558.57	446.86	223.43	223.43	8.38	0.00	0.00		
ओडिशा	कातवा	जलापूर्ति	1298.14	1038.51	519.26	519.26	19.47	0.00	0.00		
ओडिशा	कृष्णनगर	जलापूर्ति	1243.00	994.40	497.2.0	497.20	18.65	0.00	0.00		
ओडिशा	रामपुरहाट	जलापूर्ति	715.67	572.54	286.27	286.27	10.74	0.00	0.00		
ओडिशा	शांतीपुर	जलापूर्ति	1724	1379.20	t89.6O	689.60	25.86	0.00	0.00	689.60	
ओडिशा	सिलिगुडी	जलापूर्ति	2271.00	1816.80	908.40	908.40	34.07	0.00	0.00		
ओडिशा	सुरी	जलापूर्ति	965.73	772.58	386.29	386.29	14.49	0.00	0.00	386.29	
तमिलनाडु	अट्टूर	जलापूर्ति	458.97	367.18	183.59						
तमिलनाडु	थिरुचेंगोदे	जलापूर्ति	603.55	482.84	241.42						
तमिलनाडु	कुमबुम	जलापूर्ति	1852.65	1482.12	741.06						
उत्तर प्रदेश	बलिया	जलापूर्ति	804.23	643.38	321.69	321.69	12.06				
उत्तर प्रदेश	बस्ती	जलापूर्ति	973.26	778.61	389.31	389.30	14.59				
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	जलापूर्ति	1937.86	1550.29	775.14	775.15	29.07				
उत्तर प्रदेश	एटा	जलापूर्ति	962.48	769.98	384.99	384.99	14.44	384.99			
उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	जलापूर्ति	1570.04	1256.03	628.02	628.01	23.55				
उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	जलापूर्ति	2638.88	2111.10	1055.55	1049.63	39.58				
उत्तर प्रदेश	गोंडा	जलापूर्ति	985.71	788.57	394.28	394.28	14.79				
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	जलापूर्ति	1598.85	1279.08	639.54	615.02	0.00				
उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	जलापूर्ति	3719.24	2975.39	1487.70	1487.70	0.00	1487.70			
उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	जलापूर्ति	3214.33	2571.46	1285.73	1285.73	0.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तर प्रदेश	बरेली*	जलापूर्ति	7800.04	6240.03	3120.02		134.37				
उत्तर प्रदेश	सम्भल	जलापूर्ति	1201.29	961.03	480.52	480.52	0.00		480.52		
उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	जलापूर्ति	203.36	162.69	81.34	81.34	3.05				
उत्तर प्रदेश	उन्नाव	जलापूर्ति	385.09	308.07	154.04	154.03	5.77				
उत्तर प्रदेश	लोनी	जलापूर्ति	4983.63	3986.90	1993.45	1985.45	0.00				
उत्तर प्रदेश	बरुआसागर	जलापूर्ति	718.62	574.90	287.45	286.96	0.00				
उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	जलापूर्ति	1880.82	1504.66	752.33	752.33	0.00	752.33			
उत्तर प्रदेश	गझीपुर	जलापूर्ति	681.50	545.20	272.60	272,60	0.00		272.60		
उत्तर प्रदेश	बागपत	जलापूर्ति	318.15	254.52	127.26	127.26	.0,.00	127.26			
उत्तर प्रदेश	हापुड	जलापूर्ति	2848.96	2279.17	1139.58	1139.58	0.00	1139.58			
उत्तर प्रदेश	मोदीनगर	जलापूर्ति	2339.171	1871.34	935.67	935.60	0.00				
उत्तर प्रदेश	नानपारा	जलापूर्ति	237.78	190.22	95.11	95.10	0.00		95.10		
तमिलनाडु	कमुथि	जलापूर्ति	801.00	640~0	320.40	320.40					
तमिलनाडु	अबिरमम	जलापूर्ति	339.00	271.20	135.60	135.60					
तमिलनाडु	थिरुपथुर	जलापूर्ति	1447.00	1157.60	578.80	578.80					
तमिलनाडु	हयंकुदि	जलापूर्ति	1121.00	896.80	448.40	448.40					
तमिलनाडु	नेर्कूप्पै	जलापूर्ति	314.00	251.20	125.60	125.60					
तमिलनाडु	रशिपुराम	जलापूर्ति	669.20	535.36	267.68	267.68			267.68		
तमिलनाडु	वेल्लकोइल	जलापूर्ति	947.06	757.65	378.82	0.00					
तमिलनाडु	पलयम	जलापूर्ति	159.18	127.34	63.67	63.67		63.67			

तमिलनाडु	वेदसंदुर	जलापूर्ति	236.68	189.34	94.67	94.67			
तमिलनाडु	गुदलोरे	जलापूर्ति	165.10	132.08	66.04	66.04		66.04	
तमिलनाडु	सर्लर्समकुलम	जलापूर्ति	78.27	62.62	31.31	31.31		31.31	
तमिलनाडु	चेतिपलयम	जलापूर्ति	71.07	56.86	28.43	28.43		28.43	
तमिलनाडु	ओद्दंचतराम	जलापूर्ति	581.17	464.94	232.47	232.47	232.47		
तमिलनाडु	ओथकल्मंदपम	जलापूर्ति	51.52	41.22	20.61	20.61		20.61	
तमिलनाडु	थिरुमलयम्मलयम	जलापूर्ति	57.62	46.10	23.05	23.05		23.05	
तमिलनाडु	समलपुराम	जलापूर्ति	337.87	270.30	135.15	135.15		135.15	
तमिलनाडु	करुमथ्यति	जलापूर्ति	561.41	449.13	224.56	224.56		224.56	
तमिलनाडु	मेत्तुर	जलापूर्ति	1247.19	997.75	498.88	498.87		498.87	
तमिलनाडु	चिदम्बरम	जलापूर्ति	615.60	492.48	246.24	0.00			
तमिलनाडु	अवेललपत्य	जलापूर्ति	347.30	277.84	138.92	138.92		138.92	
तमिलनाडु	कोविलपट्टी	जलापूर्ति	7060.14	5648.11	2824.05				
तमिलनाडु	कयल्पतिनम	जलापूर्ति	2967.00	2373.60	1186.80				
तमिलनाडु	वंदवासि	जलापूर्ति	930.62	744.50	372.25				
तमिलनाडु	करइकुडी	जलापूर्ति	1391.83	1113.46	556.73				
तमिलनाडु	धरपुराम	जलापूर्ति	918.29	734.63	367.31				

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के जारी धनराशि की राज्य-वार परियोजना

क्र.सं.	कस्बा	स्वीकृत परियोजनाएं	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	अनुमोदित लागत का वचनबद्ध अंश (लाख रु. में)			कुल जारी (लाख रु. में)	पूर्ण होने की संभावित तारीख	स्थिति
				केन्द्रीय (80%)	राज्य (10%)	स्थानीय निकाय अंश (10%)			
2		6	7	8			18		
उत्तर प्रदेश									
1.	पिखुवा	जल आपूर्ति का पुनर्गठन	2167.55	1734.04	216.76	216.76	1322.70	30.09.2013	हाल ही में राज्य में अंतिम किस्त के लिए अनुरोध किया। राज्य से निर्धारित प्रारूप में संशोधित यू.सी. भेजने का अनुरोध किया गया था।
2.	पिखुवा	भूमिगत सीवरेज	3687.51	2950.01	368.75	368.75	2212.50	30.09.2013	05.03.2013 को तीसरी किस्त जारी की गई।
3.	पिखुवा	ठोस कचरा प्रबंधन	897.70	718.16	89.77	89.77	179.54	31.01.2014	29.08.2011 को पहली किस्त जारी की गई। यू.सी. लम्बित है।
4.	पिखुवा	जीआईएस आधारित मानचित्र और एचएच सर्वेक्षण	29.30	29.30			7.32	31.03.2014	30.03.2012 को पहली किस्त जारी की गई। यू.सी. लम्बित है।
	उप-योग		**6782.06**	**5431.51**	**675.28**	**675.28**	**3722.06**		
आन्ध्र प्रदेश									
1.	विकाराबाद	भूमिगत ड्रेनेज मुहैया कराया जा रहा है।	6474.00	5179.00	647.40	647.40	2590.00	04.01.2014	22.05.2013 को द्वितीय किस्त जारी की गई।
2.	विकाराबाद	जल आपूर्ति	7009.00	5607.00	701.00	2123.10	4206.00	04.01.2014	11.07.2013 को तृतीय किस्त जारी की गई।

3.	विकाराबाद	ठोस कचरा प्रबंधन	0.00	0.00		0.00	0.00	-	-
	उप योग		13483.00	10786.40	1348.40	2770.50	6796.00		
हरियाणा									
1.	सोनीपत	जल आपूर्ति	6958.00	5566.40	695.80	695.80	2783.20	31.03.2014	14.06.2013 को द्वितीय किस्त जारी की गई।
2.	सोनीपत	भूमिगत सीवरेज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.	सोनीपत	ठोस कचरा प्रबंधन	2496.00	1996.80	249.60	249.60	499.20	31.03.2014	29.03.2011 को पहली किस्त जारी की गई। यू.सी. लम्बित है।
	उप योग		**9454.00**	**7563.20**	**945.40**	**945.40**	**3282.40**		
महाराष्ट्र									
1.	वसई-विरार	जल आपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.	वसई-विरार	भूमिगत सीवरेज	6622.63	5298.10	662.26	662.26	1324.52	14.02.2015	14.02.2012 को पहली किस्त जारी की गई। यू.सी. लम्बित है।
3.	वसई-विरार	एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	3172.64	2538.12	317.26	317.26	1269.06	14.07.2013	21.02.2013 को द्वितीय किस्त जारी की गई। यू.सी. लम्बित है।
	उप योग		**9795.27**	**7836.22**	**979.53**	**979.53**	**2593.58**		
तमिलनाडु									
1.	श्रीपेरुम्बुदुर	जल आपूर्ति	4071.00	3256.80	407.10	407.10	814.20	30.07.2013	30.01.2012 को पहली किस्त जारी की गई। यू.सी. लम्बित है।
2.	श्रीपेरुम्बुदुर	भूमिगत सीवरेज	5622.00	4497.60	562.20	562.20	1124.40	24.07.2013	30.01.2012 को पहली किस्त जारी की गई। यू.सी. लम्बित है।
3.	श्रीपेरुम्बुदुर	ठोस कचरा प्रबंधन	443.77	355.02	44.38	44.38	88.75	30.04.2014	30.01.2012 को पहली किस्त जारी की गई। यू.सी. लम्बित है।
	उप योग		**10136.77**	**8109.42**	**1013.68**	**1013.68**	**2027.35**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात									
1.	साणंद	जल आपूर्ति	3320.86	2656.69	332.09	332.09	664.17	29.09.2013	29.03.2011 को पहली किस्त जारी की गई। यू.सी. प्राप्त की गई। फाइल टिप्पणी हेतु टी.सी.पी.ओ. के पास भेजी गई है।
2.	साणंद	भूमिगत सीवरेज	5848.68	4678.94	584.87	584.87	1169.73	29.09.2013	29.03.2011 को जारी प्रथम किस्त
3.	साणंद	ठोस कचरा प्रबंधन	213.62	170.90	21.36	21.36	41.72	29.09.2013	29.03.2011 को पहली किस्त जारी की गई। यू.सी. दिनांक 2 जुलाई को प्राप्त की गई। फाइल टिप्पणी हेतु टी.सी.पी.ओ. के पास भेजी गई है।
	उप योग		**9383.16**	**7506.53**	**938.32**	**938.32**	**1875.62**		
कर्नाटक									
1.	होसकोटे	जल आपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		भूमिगत सीवरेज	4072.84	2767.12	652.86	652.86	649.10	30.09.2013	30.03.2012 को पहली किस्त जारी की गई। यू.सी. लम्बित है।
		ठोस कचरा प्रबंधन	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	उप योग		**4072.84**	**2767.12**	**652.86**	**652.86**	**649.10**		
	सकल योग		63107.10	50000.00	6553.46	7975.56	20946.11		

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.सी. के अंतर्गत जारी धनराशि - (ड्रेनेज)

शहर/कस्बा का नाम	स्कीम/ घटक का नाम	एस.एल.एस.सी.	कुल पात्र केन्द्रीय अंश (80%)	पात्र केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त (80%)	केन्द्रीय अंश की द्वितीय किस्त	डी.पी.आर. तैयार करने हेतु 1.5% की दर से प्रोत्साहन	2005-06 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2006-07 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2007-08 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2008-09 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2009-10 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2010-11 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2011-12 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2012-13 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2013-14 के दौरान जारी ए.सी.ए.	कुल जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
अनकपल्लि	एस.डब्ल्यू.डी.	2222.00	1777.60	888.80	888.80	33.33	0.00	387.12	535.01	0.00		888.80	0.00	0.00	0.00	1810.93
बपतल	एस.डब्ल्यू.डी.	4896.00	3916.80	1958.40	1958.40	73.44	0.00	852.98	1178.86	1958.40			0.00	0.00	0.00	3990.24
चिरत	एस.डब्ल्यू.डी.	968.00	774.40	387.20	387.20	14.52	0.00	168.65	233.07	387.20			0.00	0.00	0.00	788.92
मेडक	एस.डब्ल्यू.डी.	262.00	209.60	104.80	104.80	3.93	0.00	45.65	63.08	104.80			0.00	0.00	0.00	213.53
नांदयाल	एस.डब्ल्यू.डी.	216.00	172.80	86.40	86.40	3.24	0.00	37.63	52.01	86.40			0.00	0.00	0.00	176.04
सूर्यपेट	एस.डब्ल्यू.डी.	2464.00	1971.20	965.60	796.54	24.64	0.00	0.00	0.00	1010.64			0.00	796.54		1807.18
सिद्दिपेट	एस.डब्ल्यू.डी.	984.00	787.20	393.60	393.00	9.84	0.00	0.00	0.00	403.84		393.60	0.00	0.00	0.00	797.44
मिर्यत्गुद	एस.डब्ल्यू.डी.	3435.00	2748.00	1374.00	1374.00	34.35	0.00	0.00	0.00	1408.35			0.00	1374.00		2782.35
नलगोंडा	एस.डब्ल्यू.डी.	3586.00	2868.80	1434.40	1435.00	33.17	0.00	0.00	0.00	1467.17			1435.00	0.00	0.00	2902.17
तितबर	एस.डब्ल्यू.डी.	828.85	745.97	372.96	372.99	12.43	0.00	385.41	0.00	0.00	0.00	0.00	372.99			758.40
पथ्सल	एस.डब्ल्यू.डी.	503.06	452.75	226.37	226.37	7.55	0.00	233.93	0.00	226.37	0.00	0.00	0.00			460.30
बोकखाट	एस.डब्ल्यू.डी.	545.74	491.17	245.58	245.59	8.19	0.00	253.77	0.00	245.59	0.00	0.00	0.00			499.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
लखिपुर	एस.डब्ल्यू.डी.	632.1	568.89	284.45	253.75	9.48	0.00	0.00	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	253.75		547.68
हैलकंडी	एस.डब्ल्यू.डी.	783.64	705.28	352.64	0:00	11.75	0.00	0.00	364.39	0.00	0.00	0.00	0.00			364.39
होजाइ	एस.डब्ल्यू.डी.	992.98	893.68	446.84	446.84	14.9	0.00	0.00	461.74	0.00	0.00	0.00	446.84			906.58
सर्थेबरि	एस.डब्ल्यू.डी.	274.14	246.73	123.36	0.00	4.11	0.00	0.00	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00			127.47
थेकिअजुलि	एस.डब्ल्यू.डी.	722.88	650.59	325.30	325.29	0.00	0.00	0.00	30.04	295.26	0.00	0.00	325.29			650.59
मरिगांव	एस.डब्ल्यू.डी.	423.77	381.39	169.51	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	169.51	0.00	0.00	0.00	211.88		381.39
हम्रेन	एस.डब्ल्यू.डी.	226.47	203.82	90.59	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	90.59	0.00	0.00	113.23			203.82
चबुअ	एस.डब्ल्यू.डी.	226.91	204.22	90.76	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	90.76	0.00	0.00	113.46			204.22
गोसौगोअन	एस.डब्ल्यू.डी.	201.98	181.78	80.79	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00	100.99		181.78
बरपेटा	एस.डब्ल्यू.डी.	328.57	295.71	131.43	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	131.43	0.00	0.00	0.00		164.28	295.71
लक	एस.डब्ल्यू.डी.	399.11	359.20	159.64	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	159.64	0.00	0.00	0.00	199.56		359.20
लखिपुर	एस.डब्ल्यू.डी.	264.18	237.76	105.67	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	105.67	0.00	0.00	0.00	132.09	137.76
हावड़ाघाट	एस.डब्ल्यू.डी.	262.75	236.48	105.10	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00	131.29		236.39
डिगबोइ	एस.डब्ल्यू.डी.	1074.97	967.47	483.74	438.40	16.12	0.00	0.00	0.00	499.86	0.00	0.00	0.00	438.40		938.26
बसुगांव	एस.डब्ल्यू.डी.	756.09	680.48	340.24	340.24	11.34	0.00	0.00	0.00	351.58	0.00	0.00	340.24			691.82
माइबोंग	एस.डब्ल्यू.डी.	492.61	443.35	221.67	221..68	7.39	0.00	0.00	0.00	229.06	0.00	0.00	221.68			450.74
लाला	एस.डब्ल्यू.डी.	612.21	550.99	275.49	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	283.45	0.00	0.00	0.00			283.45
बरपेटा	एस.डब्ल्यू.डी.	1871.96	1684.76	842.38	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	870.46	0.00	0.00	0.00			870.46
अदत्गुरि	एस.डब्ल्यू.डी.	743.50	669.15	334.58	334.58	11.15	0.00	0.00	0.00	345.73	0.00	000	0.00	334.58		680.31
सिमतुकुर	एस.डब्ल्यू.डी.	667.74	600.97	300.48	300.48	10.02	0.00	0.00	0.00	310.50	0.00	0.00	0.00		300.48	610.98

गौरिपुर	एस.डब्ल्यू.डी.	547.64	492.88	348.64	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	254.65	0.00	0.00	0.00			254.65
जोरहाट	एस.डब्ल्यू.डी.	1592.42	1433.18	716.59	716.59	23.89	0.00	0.00	0.00	740.48	0.00	0.00	0.00		716.59	1457.07
सपन्नाराम	एस.डब्ल्यू.डी.	565.06	508.55	254.28	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	262.76	0.00	0.00	0.00			262..16
धुब्री	एस.डब्ल्यू.डी.	710.17	639.15	319.58	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00	328.81	0.00	0.00	0.00			328..11
देरगांव	एस.डब्ल्यू.डी.	1660.36	1494.32	747.16	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00	768.74	0.00	0.00	0.00			768.74
अनिनी	एस.डब्ल्यू.डी.	159.24	143.32	71.658	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	71.66	0.00	0.00	71.66			143.32
सेप्पा	एस.डब्ल्यू.डी.	1380.00	1242.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00	621			1242.00
धरप्शल	नाला को शुरू करना	190.18	152.14	76.07	76.07	2.85	0.00	37.63	41.29	0.00		76.07				154.99
हमीरपुर	वर्षा जल	334.12	267.30	133.65	133.65	5.01	0.00	66.11	72.55	0.00		133.65				272..31
अखनूर	ड्रेनेज	651.39	586.25	293.13	293.12	9.77	0.00	238.55	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	293.12		596.02
भद्रवह	ड्रेनेज	822.55	740.3	370.15	370.15	12.34	0.00	301.24	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	370.15		752.64
डोडा	ड्रेनेज	557.15	501.44	250.72	250.72	8.36	0.00	204.04	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	250.72		509.79
कठुआ	ड्रेनेज	4089.00	3680.1	1840.05		61.34	0.00	1497.48	403.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1840.06		3741.45
पूंच	ड्रेनेज	1271.35	1144.22	572.11		19.07	0.00	465.60	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	572.11		1163.29
सांबा	ड्रेनेज	1013.66	912.29	456.15		15.2	0.00	371.22	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	456.15		927.50
सुंदर्बनि	ड्रेनेज	1004.60	904.14	452.07		15.07	0.00	367.91	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	452.07		91921
कुपवाड़ा	ड्रेनेज	746.79	672.11	336.06										336.06		336.06
गंदेब्रल	ड्रेनेज	1827.24	1644.52	822.26										822.26		822.16
देवनगिरी	एस.डब्ल्यू.डी.	5060.30	4048.24	2024.12	2024.12	75.90		2100.02	0.00	0.00		2024.12				4124.14
होतेनरसिंपुर	एस.डब्ल्यू.डी.	800.00	640.00	320.00	320.00	12.00		0.00	332.00	0.00		320.00				652.00
रमनगर	एस.डब्ल्यू.डी.	1460.00	1168.00	584.00	0.00	21.90		0.00	605.90	0.00						605.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
हरिहर	एस.डब्ल्यू.डी.	2422.00	1937.60	968.80	968.80	0.00		0.00	0.00	968.80				968.80		1937.60
लाटूर	नाली का निर्माण	5531.00	4424.80	2212.40	2212.40	0.00		2212.40	0.00	0.00	2212.40					4424.80
पंढरपुर	ड्रेनेज	3175.00	2540.00	1270.00	1270.00	0.00		0.00	0.00	1270.00	0.00		1270.00			2540.00
मलज्खंद	नाली	27.60	22.08	11.04	11.04	0.00		11.04	0.00	11.04						22.08
बूंदी	एस.डब्ल्यू.डी.	624.22	499.38	249.69	249.69	9.36	0.00	238.41	20.64	249.69						508.74
मंग्रोले	एस.डब्ल्यू.डी.	292.3	233.84	116.92		4.39	0.00	111.65	9.66	0.00						121.31
परतणर्ह	ड्रेनेज	148.03	116.43	59.21	59.21	2.22	0.00	61.43	0.00	59.21						120.64
रणज्मदि	एस.डब्ल्यू.डी.	148.97	119.18	59.59		2.24	0.00	56.90	4.93	0.00						61.83
मोउंत आबू	एस.डब्ल्यू.डी.	422.00	337.60	168.80		6.33	0.00	0.00	175.13	0.00						175.13
सांगारिया	एस.डब्ल्यू.डी.	366.00	292.80	146.40	146.40	5.49	0.00	0.00	151.89	146.40						298.29
डिडिगुल	नाली	343.00	274.40	137.20	137.20			137.20	0.00	137.20	0.00					274.40
रनिबअर	नाली	1217.00	1095.30	547.65	547.65	0.00			0.00	547.65			547.65			1095.30
वृंदावन	ड्रेनेज	2195.16	1756.13	878.06	870.30	0.00		0.00	0.00	878.06		870.30				1748.36
बतुरघाट	ड्रेनेज	1535.90	1228.72	614.36	614.36	23.04	0.00	0.00	637.40	0.00	0.00	614.36	0.00			1251.76
सिलिगुड़ी	ड्रेनेज	3386.39	2709.11	1354.56	1354.55	50.80	0.00	0.00	1405.36	1354.55	0.00	0.00	0.00			2759.91
	69															

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.सी. के अंतर्गत जारी धनराशि - (सीवरेज)

राज्य	कस्बा/शहर का नाम	स्कीम/घटक का नाम	एस.एल.-एस.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	कुल पात्र केन्द्रीय अंश (80%)	पात्र केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त	पात्र केन्द्रीय अंश की द्वितीय किस्त	डी.पी.आर. तैयार करने हेतु 1.5% की दर से प्रोत्साहन	2005-06 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2006-07 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2007-08 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2008-09 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2009-10 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2010-11 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2011-12 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2012-13 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2013-14 के दौरान जारी ए.सी.ए.	कुल जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आन्ध्र प्रदेश	कडप्पा	सीवरेज	4915.00	3932.00	1966.00	1966.00	34.41	0.00	1966.00	0.00	34.41		1966.00	0.00	0.00	0.00	3966.41
आन्ध्र प्रदेश	करीमनगर	सीवरेज	6237.00	4989.60	2494.80	2494.80	93.56	0.00	1086.62	1501.74	0.00		2494.80	0.00	0.00	0.00	5083.16
आन्ध्र प्रदेश	मिर्यलगुद	सीवरेज	3493.00	2794.40	1397.20	1397.20	34.93	0.00	1397.00	0.00	34.93		1397.20	0.00	0.00	0.00	2829.13
आन्ध्र प्रदेश	नलगोंडा	सीवरेज	4687.50	3750.00	1875.00	1875.00	43.36	0.00	1875.00	0.00	43.36		1875.00	0.00	0.00	0.00	3793.36
आन्ध्र प्रदेश	नर्सरोपेत	सीवरेज	2641.00	2112.80	1056.00	1056.00	8.19	0.00	1056.00	0.00	1056.00	8.19		0.00	0.00	0.00	2120.19
आन्ध्र प्रदेश	निजामाबाद	सीवरेज	8106.00	6484.80	3242.40	3242.40	121.59	0.00	1412.23	1951.76	0.00		3242.40	0.00	0.00	0.00	6606.39
आन्ध्र प्रदेश	नगरी	सीवरेज	983.00	786.40	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00		393.20	0.00	0.00	0.00	786.20
आन्ध्र प्रदेश	योमेनगनूर	यू.जी.डी.	3983.00	3186.40	1593.20	1593.40	58.01	0.00	0.00	0.00	1593.00	58.01		1593.00	0.00	0.00	3244.41
छत्तीसगढ़	विलासपुर	स्वच्छता सीवरेज प्रणाली	19025.00	8578.00	4289.00	4289.00			0.00	4289.00				4289.00			8578.00
हरियाणा	बहादुरगढ़	सीवरेज	4576.04	3660.83	1830.42	1830.41	68.64	0.00	0.00	1899.06	0.00	0.00	0.00	1830.41			3729.47
हरियाणा	बहादुरगढ़	एस.टी.पी.	2707.01	2165.61	1082.80	1082.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1082.80	0.00	0.00	1082.81			2165.61
हरियाणा	अम्बाला	एस.टी.पी.	2082.19	1665.75	832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.88	0.00	0.00	0.00			832.88
हरियाणा	नारनौल	एस.टी.पी.	812.99	650.39	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00			325.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
हरियाणा	चरकी	एस.टी.पी.	709.25	567.40	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.70	0.00	0.00	0.00			283.70
हरियाणा	अम्बाला	सीवरेज	3728.00	2982.40	1491.20										1491.20		1491.20
कर्नाटक	बवानाबाग	सीवरेज	844.00	675.20	337.60	337.60	12.66		167.00	183.26	0.00			337.60			687.86
कर्नाटक	चन्नपटना	यू.जी.डी.	1311.00	1048.80	524.40	524.40	19.66		544.06	0.00	0.00			524.40			1068.46
कर्नाटक	देवनगिरी	यू.जी.डी.	336.00	268.80	134.40	0.00	5.04		139.44	0.00	0.00						139.44
कर्नाटक	होलेनरसिंपुर	सीवरेज	303.00	242.40	121.20	121.20	4.55		0.00	125.75	0.00			121.20			246.95
कर्नाटक	मलवल्ली	यू.जी.डी.	730.41	584.33	292.17	292.16	10.96		303.12	0.00	0.00		292.16				595.28
कर्नाटक	नजगुद	यू.जी.डी.	974.58	779.66	389.83	389.83	14.62		404.45	0.00	0.00			389.83			794.28
कर्नाटक	पांडवपुर	यू.जी.डी.	602.09	418.67	240.84	240.84	9.03		249.87	0.00	0.00		240.84				490.71
कर्नाटक	शिकारीपुरा	सीवरेज	1317.00	1053.60	526.80	526.80	19.76		260.60	285.96	526.80						1073.36
कर्नाटक	श्रीरगपट्टन	यू.जी.डी.	522.18	417.74	208.87	208.87	7.83		216.70	0.00	208.87						425.57
कर्नाटक	सोउंदीत	सीवरेज	867.84	694.27	347.14	0.00	0.00		0.00	0.00	347.14						347.14
केरल	चलकुड्डी	सीवरेज	4978.00	3982.40	1991.20	0.00	74.67		0.00	2065.87	0.00						2065.87
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	सीवरेज	3198.00	2558.40	1279.20	1279.20	47.97		1327.17	0.00	0.00	0.00	1279.20				2606.37
महाराष्ट्र	सिरडी	सीवरेज	2426.00	1940.80	970.4	970.40	36.39		1006.79	0.00	0.00	970.40					1977.19
महाराष्ट्र	अम्बद	सीवरेज	811.00	648.80	324.4	324.40	12.165		336.57	0.00	0.00	324.40					660.97
महाराष्ट्र	सावनेर	सीवरेज	631.50	505.20	252.6	0.00	9.47		262.07	0.00	0.00	0.00					262.07
महाराष्ट्र	शिरूर	यू.जी.डी.	889.80	711.84	355.92	355.36	0.00		0.00	0.00	355.92	0.00		355.36			711.28
महाराष्ट्र	अमरावती	यू.जी.डी. (फेज-I)	8612.28	6889.82	3444.91	3444.91	0.00		0.00	0.00	3444.91	0.00		3444.91			6889.82
महाराष्ट्र	अकोला	सीवरेज	13275.00	10620.00	5310.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4998.48	0.00					4998.48
महाराष्ट्र	पंचगनी	सीवरेज	320.00	256.00	128.00	128.00	0.00		0.00	0.00	128.00	0.00		128.00			256.00

महाराष्ट्र	चंद्रपुर	सीवरेज	7201.30	5761.04	2880.52	2880.52	0.00	0.00	0.00	2880.52	0.00	2880.52			5761.04
महाराष्ट्र	दाउद	सीवरेज	1915.80	1532.64	766.32	766.32	0.00	0.00	0.00	76.32	0.00	766.32			1532.64
महाराष्ट्र	पनवेल	सीवरेज	3107.15	2485.72	1242.86	1242.86	0.00	0.00	0.00	1242.86	0.00	1242.86			2485.72
महाराष्ट्र	मलवान	सीवरेज	1884.40	1507.52	753.76	0.00	0.00	0.00	0.00	753.76	0.00				753.76
महाराष्ट्र	बेंगूरला	सीवरेज	795.35	636.28	318.14	318.14	0.00	0.00	0.00	318.14	0.00	318.14			636.28
महाराष्ट्र	आलीबाग	सीवरेज	1240.00	992.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00				496.00
महाराष्ट्र	कामपटी	सीवरेज	2221.21	1776.97	888.48	888.48	0.00	0.00	0.00	888.48	0.00			888.48	1776.96
महाराष्ट्र	गोंडिया	सीवरेज	8233.70	6586.96	3293.48								3293.48		3293.48
मध्य प्रदेश	बुधनी	सीवरेज	195.05	156.04	78.02	0.00	1.95	78.02	0.00	0.00			1.95		79.97
मध्य प्रदेश	इटारसी	सीवरेज	708.43	566.74	283.37	0.00	10.63	283.37	0.00	0.00			10.63		294.00
मध्य प्रदेश	अओरा	सीवरेज	294.25	235.40	117.70	0.00	2.94	117.70	0.00	0.00			2.94		120.64
मध्य प्रदेश	रेहोते	सीवरेज	143.48	114.78	57.39	0.00	1.43	57.39	0.00	0.00			1.43		58.82
मध्य प्रदेश	विदिशा	सीवरेज	218.00	174.40	87.20	0.00	0.00	87.20	0.00	0.00					87.20
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	सीवरेज	6650.00	5320.00	2660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2660.00					2660.00
मध्य प्रदेश	सागर	सीवरेज	7661.55	6129.24	3064.62	0.00	114.92	0.00	0.00	3064.62			114.92		3179.54
ओडिशा	सम्बलपुर	स्वच्छता	593.23	474.58	237.29		8.90	127.55	118.65	0.00					246.20
पंजाब	जालंधर	सीवरेज	4955.00	3964.00	1982.00	1982.00	0.00		1982.00	0.00		1982.00			3964.00
पंजाब	जालंधर	सीवरेज फेज-II	4696.85	3757.48	1878.74	1797.22	0.00		0.00	1878.74			1797.22		3675.96
पंजाब	मलोउत	सीवरेज	2286.00	1828.80	914.40	0.00	0.00		914.40	0.00					914.40
पंजाब	पठानकोट	सीवरेज	4766.00	3812.80	1906.40	0.00	45.04		1906.40	45.04					1951.44
पंजाब	जिरकपुर	सीवरेज	4197.61	3358.09	1679.04	1679.04	0.00		1679.04				1679.04		3358.08
पंजाब	पटियाला	सीवरेज	8970	7152.00	3576.00	3463.79	78.23		0.00	3654.23			3463.79		7118.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पंजाब	मुक्तसर	सीवरेज	2789.45	2231.56	1115.78	1112.12	0.00			0.00	1115.78				1112.12		2227.90
राजस्थान	बीकानेर	सीवरेज	3876.10	3100.88	1550.44		0.00	0.00	0.00	1550.44							1550.44
राजस्थान	चित्तौड़गढ़	सीवरेज और ड्रेनेज	328.18	262.54	131.27	129.38	3.18	133.16	0.00	129.38	0.00				3.18		265.72
राजस्थान	अलोरे	सीवरेज	1066.31	853.05	426.52	15.99	0.00	442.51	0.00	0.00							442.51
राजस्थान	झालावर और झारपट्टन	सीवरेज	1904.02	1523.22	761.61	28.56	0.00	790.17	0.00	0.00							790.17
राजस्थान	सुमेरपुर	सीवरेज	927.74	742.19	371.10		13.92	0.00	385.02	0.00	0.00						385.02
राजस्थान	माउंट आबू	सीवरेज	2715.00	2172.00	1086.00		27.15	0.00	0.00	0.00	1086.00				27.15		1113.45
राजस्थान	जोधपुर	सीवरेज	6167.00	4933.60	2466.80		92.51	0.00	0.00	2559.31	0.00						2559.31
राजस्थान	किशनगढ़	सीवरेज	2601.00	2080.80	1040.40		26.01	0.00	0.00	0.00	1040.40				26.01		1066.41
राजस्थान	हनुमानगढ़	सीवरेज	4279.00	3423.20	1711.60		24.39	0.00	0.00	0.00	1711.60				24.39		1735.99
राजस्थान	पाली	सीवरेज	3329.53	2663.62	1331.81		32.48	0.00	0.00	0.00	1331.81				32.48		1364.29
राजस्थान	कोटा	सीवरेज	5122.42	4097.94	2048.97		0.00	0.00	0.00	0.00	2048.97						2048.97
राजस्थान	झुंझुनु	सीवरेज	3781.00	3024.80	1512.40		26.09	0.00	0.00	0.00	1512.40				26.09		1538.49
राजस्थान	सरदारशहर	सीवरेज	3692.00	2953.60	1476.80		23.63	0.00	0.00	0.00	1476.80				23.63		1500.43
सिक्किम	नामची	सीवरेज शोधन संयंत्र	1097.00	987.30	493.65	493.65	0.00			0.00	493.65			493.65			987.30
सिक्किम	ओरेधंग	सीवरेज	480.00	432.00	216.00	216.00	0.00			0.00	216.00			216.00			432.00
सिक्किम	मेल्लि	सीवरेज शोधन संयंत्र	341.00	306.90	153.45	153.45	0.00			0.00	153.45			153.45			306.90

सिक्किम	रंग्पो	सीवरेज शोधन संयंत्र	494.00	444.60	222.30	222.30	0.00			0.00	222.30			222.30		444.60
तमिलनाडु	ममल्लपुराम	सीवरेज	608.00	486.40	243.20	243.20			243.20	0.00	0.00	243.20				486.40
तमिलनाडु	मरैमतैनगर	सीवरेज	375.00	300.00	150.00	150.00			150.00	0.00	0.00	150.00				300.00
तमिलनाडु	थिरुचेदुर	यू.जी. सीवरेज	1122.00	897.60	4448.80	448.80			0.00	448.80	0.00	0.00			448.8	897.60
तमिलनाडु	उदुमल्पेत	सीवरेज	3034.23	2427.38	1213.69	0.00			0.00	0.00	1213.69	0.00				1213.69
तमिलनाडु	अरियातुर	सीवरेज	2555.20	2044.16	1022.08	1022.08			0.00	0.00	1022.08	0.00			1022.08	2044.16
उत्तर प्रदेश	नगेचॉइल	यू.जी. सीवरेज	6556.47	5245.18	2622.59						2622.59					2622.59
उत्तर प्रदेश	बलिया	सीवरेज	4472.31	3577.85	1788.92	1786.28	67.08		1708.16	147.85	0.00		1786.28			3642.29
उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	सीवरेज	8691.66	6953.33	3476.66	3424.08	130.37		3319.70	287.34	0.00		3424.08			7031.12
उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	सीवरेज	4874.18	3899.34	1949.67	1949.67	73.11	2022.78	0.00	0.00		1949.67				3972.45
उत्तर प्रदेश	लोनी	सीवरेज	7341.24	5872.99	2936.50	2882.64	0.00		0.00	2936.50	0.00	2882.64				5819.14
उत्तर प्रदेश	वृंदावन	सीवरेज	3463.00	2770.40	1385.20	1384.87	0.00		0.00	0.00	1385.20		1384.87			2770.07
उत्तराखण्ड	मसूरी	सीवरेज	6173.25	4938.60	2469.3	2469.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2469.30	0.00	0.00	0.00	2469.30	4938.60
पश्चिम बंगाल	कुर्सेओंग	सीवरेज	1251.59	1001.27	500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	500.64	0.00	0.00	0.00	0.00		500.64
दमन और दीव	मोती एवं नदी दमन	यू.जी. सीवरेज	972.37	753.90	376.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00		31.00

वर्तमान वर्ष में यू.आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत जारी धनराशि-जल आपूर्ति (टी.पी.)

क्र.सं.	राज्य	कस्बा/शहर का नाम	स्कीम/घटक का नाम	एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	कुल पात्र केन्द्रीय अंश (80%)	प्रथम	द्वितीय	2012-13 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2013-14 के दौरान जारी ए.सी.ए.	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मध्य प्रदेश	अमरवारा	जल आपूर्ति	1609.30	1287.44	643.72		643.72		643.72
2.	मध्य प्रदेश	वाराशिओनी	जल आपूर्ति	2232.00	1785.60	892.80		892.80		892.80
3.	मध्य प्रदेश	चित्रकूट	जल आपूर्ति	1319.68	1055.74	527.87		527.87		527.87
4.	मध्य प्रदेश	बरकुही	जल आपूर्ति	1211.82	969.46	484.73		484.73		484.73
5.	मध्य प्रदेश	शमशाबाद	जल आपूर्ति	882.47	705.98	352.99		352.99		352.99
6.	मध्य प्रदेश	मनावर	जल आपूर्ति	1125.60	900.48	450.24		450.24		450.24
7.	मध्य प्रदेश	बैकुंठपुर	जल आपूर्ति	732.75	586.20	293.10		293.10		293.10
8.	मध्य प्रदेश	तेदुखेड़ा	जल आपूर्ति	1028.64	822.91	411.46		411.46		411.46
9.	मध्य प्रदेश	शाहगंज	जल आपूर्ति	436.45	349.16	174.58		174.58		174.58
10.	मध्य प्रदेश	अनूपपुर	जल आपूर्ति	1521.22	1216.98	608.49		608.49		608.49
11.	मध्य प्रदेश	शामगढ़	जल आपूर्ति	2374.00	1899.20	949.60		949.60		949.60
12.	मध्य प्रदेश	हिन्डोरिया	जल आपूर्ति	1138.34	910.67	455.34		455.34		455.34
13.	मध्य प्रदेश	सतना	जल आपूर्ति	8087.57	6470.06	3235.03		3235.03		3235.03
14.	मध्य प्रदेश	बेगमगंज	जल आपूर्ति	1392.22	1113.78	556.89		556.89		556.89
15.	मध्य प्रदेश	गुना	जल आपूर्ति	7140.42	5712.34	2856.17			2856.17	2856.17
16.	मध्य प्रदेश	रायगढ़	जल आपूर्ति	1907.76	1526.21	763.11			763.11	763.11
17.	मध्य प्रदेश	करेली	जल आपूर्ति	3550.77	2840.62	1420.31			1420.31	

18.	मध्य प्रदेश	मंडलेश्वर	जल आपूर्ति	799.29	639.43	319.72	319.72		
19.	मध्य प्रदेश	सेवनी	जल आपूर्ति	4735.80	3788.64	1894.32	1894.32		
20.	मध्य प्रदेश	जिरान	जल आपूर्ति	549.92	439.94	219.97	219.97		
21.	मध्य प्रदेश	मल्हारगढ़	जल आपूर्ति	548.92	439.14	219.57	219.57		
22.	मध्य प्रदेश	पिप्लियामंडी	जल आपूर्ति	968.72	774.98	387.49	387.49		
23.	मध्य प्रदेश	जुन्नारदेव/जमाई	जल आपूर्ति	2432.07	1945,66	972.83	972.83		
24.	मध्य प्रदेश	रामपुरा	जल आपूर्ति	1956.3"7	1565.10	782.55	782.55		
25.	मध्य प्रदेश	सुवासारा	जल आपूर्ति	1764.30	1411.44	705.72	705.72		
26.	जम्मू और कश्मीर	लेह	जल आपूर्ति	7048.83	6343.95	3171.98	3171.98	3171.98	
27.	महाराष्ट्र	शिरपुर वारवाडे	जल आपूर्ति	3077.77	2462.22	1231.11	1231.11	1231.11	
28.	तमिलनाडु	कंगेयाम	जल आपूर्ति	1423.71	1138.97	569.49	569.49	569.49	
29.	तमिलनाडु	अरनी	जल आपूर्ति	3228.05	2582.44	1291.22	1291.22	1251.22	
30.	तमिलनाडु	परियाकुलम	जल आपूर्ति	1349.68	1079.74	539.87	539.87	539.87	
31.	तमिलनाडु	तियवथीपुरम	जल आपूर्ति	1121.41	897.13	448.57	448.57	448.57	
32.	तमिलनाडु	टिंडीवानम	जल आपूर्ति	4506.91	6055.33	1802.77	1802.77	1802.77	
33.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	जल आपूर्ति	10618.46	8494.77	4247.39	4247.39	4247.39	
34.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	जल आपूर्ति	3369.29	2695.43	1347.721	1347.72	1347.72	
35.	उत्तर प्रदेश	औरय्या	जल आपूर्ति	4120.87	3296.70	1648.35	1648.35	1648.35	
36.	उत्तर प्रदेश	अमेठी	जल आपूर्ति	999.68	799.74	399.87	399.87	99.87	
37.	उत्तर प्रदेश	कासिया	जल आपूर्ति	1045.23	836.18	418.09	418.09	418.09	
38.	पश्चिम बंगाल	जयनगर-माजिलपुर	जल आपूर्ति	1866.28	1493.02	746.51	746.51	746.51	
39.	ओडिशा बंगाल	दुबराजपुर	जल आपूर्ति	2316.75	1853.40	926.70	926.70	926.70	
40.	ओडिशा बंगाल	पसंकुरा	जल आपूर्ति	3525.10	2820.08	1410.04	1410.04	1410.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	ओडिशा बंगाल	कालना	जल आपूर्ति	2793.66	2234.93	1117.47			1117.47	1117.47
42.	ओडिशा बंगाल	रानाघाट	जल आपूर्ति	6402.91	5122.33	2561.17			2561.17	2561.17
43.	ओडिशा बंगाल	नबादवीप	जल आपूर्ति	7851.68	6281.34	3140.67			3140.67	3140.67
			43							

वर्तमान वर्ष में यू.आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत जारी धनराशि-सीवरेज (टी.पी.)

क्र.सं.	राज्य	कस्बा/शहर का नाम	स्कीम/घटक का नाम	एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	कुल पात्र केन्द्रीय अंश (80%)	प्रथम	द्वितीय	2012-13 के दौरान जारी ए.सी.ए.	2013-14 के दौरान जारी ए.सी.ए.	कुल जारी
1.	जम्मू और कश्मीर	लेह	सीवरेज	5939.00	5345.1	2672.55			2672.55	2672.55
2.	महाराष्ट्र	श्रीरामपुर	यू.जी.डी. (सीवरेज)	4936.29	3949.03	1974.52			1974.52	1974.52
3.	तमिलनाडु	मेत्तूर	सीवरेज	5651.66	4521.33	2260.67			2260.67	2260.67
4.	तमिलनाडु	तिरुपथुर	सीवरेज	7682.91	6146.33	3073.17			3073.17	3073.17
5.	तमिलनाडु	अराक्कलोन्नम	सीवरेज	7745.16	6196.13	3098.07			3098.07	3098.07
6.	तमिलनाडु	जोलारपेट	सीवरेज	3399.48	2719.58	1359.79			1359.79	1359.79
7.	तमिलनाडु	चिडमबरम	सीवरेज	5738.37	4590.70	2295.35			2295.35	2295.35
8.	तमिलनाडु	सत्तूर	सीवरेज	2957.53	2366.02	1183.01			1183.01	1183.01
9.	तमिलनाडु	पेरियाकूलम	सीवरेज	1712.92	1370.34	685.17			685.17	685.17
			9							

दिनांक 31.03.2013 तक स्वीकृत परियोजना

- विगत 12 वर्षों में 235011.05 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 260 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसमें से 151 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष प्रगति के विभिन्न चरण पर है।
- अरुणाचल प्रदेश में 63 परियोजनाएं, नागालैण्ड में 52 परियोजनाएं, असम में 39 परियोजनाएं, सिक्किम 27 परियोजनाएं, मणिपुर में 20 परियोजनाएं, मिजोरम में 20 परियोजनाएं, त्रिपुरा में 19 परियोजनाएं और मेघालय में 20 परियोजनाएं।

परियोजना की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजना	पूर्ण परियोजना	अनुमानित कुल लागत (लाख रु. में)	स्वीकृत धनराशि (लाख रु. में)	31.3.2013 तक जारी (लाख रु. में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	63	46	37487.98	.34515.18	26857.69
2.	असम	39	6	34893.29	32135.10	21200.24
3.	मणिपुर	20	13	16001.83	14928.43	12544.78
4.	मेघालय	20	11	15683.83	15193.12	8897.55
5.	मिजोरम	20	13	38651.90	32067.72	24215.77
6.	नागालैण्ड	52	33	36534.71	33098.38	21691.26
7.	सिक्किम	27	19	31854.35	30914.71	23261.32
8.	त्रिपुरा	19	10	29903.16	29903.16	24949.19
	कुल	260	151	235011.05	222755.80	163617.80

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि :

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	जलापूर्ति पर व्यय	सीवरेज पर व्यय
2010-11	80.00	92.00	92.00	5.46	3.55
2011-12	164.00	164.00	164.00	7.56	9.73
2012-13	160.00	145.55	145.55	15.00	4.79
2013-14	150.00		21.64*	14.78*	4.48*

*2 अगस्त, 2013 तक

जलापूर्ति एवं वर्षा जल निकास परियोजना का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

	(लाख रु. में)
1. इटानगर जल आपूर्ति	358.37
2. जयरामपुर में जलापूर्ति उन्नयन	627.19
3. तवांग कस्बे में जलापूर्ति	854.53
4. नमसाई कस्बे के लिए जलापूर्ति में बढ़ोत्तरी	606.91
5. सेप्पा कस्बा, अरुणाचल प्रदेश के लिए जलापूर्ति में बढ़ोत्तरी	826.20

6.	लौंगडिंग कस्बा, अरुणाचल प्रदेश में जलापूर्ति योजना	2016.4
7.	मणिपुर में थाऊबल जलापूर्ति स्कीम का उन्नयन	90.98
8.	काकचिंग जलापूर्ति स्कीम, मणिपुर	108.62
9.	इम्फाल शहर, मणिपुर के चयनित क्षेत्रों में विद्यमान वितरण प्रणाली का उन्नयन	64.00
10.	निघथेम पुखरी जलापूर्ति स्कीम मणिपुर के उन्नयन का प्रस्ताव	83.95
11.	मयांग जलापूर्ति स्कीम	2087.29
12.	शिलांग, मेघालय में जलापूर्ति के लिए नगर निगम के स्रोतों को एकीकृत करने के लिए कार्य योजना	341.42
13.	शिलांग, मेघालय में जलापूर्ति के लिए नगर निगम के स्रोतों को एकीकृत करने के लिए कार्य योजना	38.49
14.	ग्रेटर साईहा जलापूर्ति स्कीम का नवीकरण और संवर्द्धन	1863.18
15.	थाईबंग जलापूर्ति स्कीम का नवीकरण और संवर्द्धन	396.90
16.	कोहिमा कस्बा, नागालैण्ड में जलापूर्ति संवर्द्धन	2911.56
17.	त्वेंगसांग कस्बा, नागालैण्ड को ग्रेविटी जलापूर्ति उपलब्ध कराना	1511.80
18.	चिम्ची उत्तरी सिक्किम में पर्यटन केन्द्र के लिए जलापूर्ति स्कीम	385.74
19.	गंगटोक जलापूर्ति प्रणाली फेज-I सिक्किम का संवर्द्धन	759.57
20.	सोरेंग कस्बा सिक्किम में जलापूर्ति संवर्द्धन	733.76
21.	चाकुंग कस्बा सिक्किम में जलापूर्ति संवर्द्धन	916.67
22.	राबंगला बाजार उत्तरी सिक्किम में जलापूर्ति संवर्द्धन	404.57
23.	चिंगा मणिपुर में पुराने शोधन संयंत्र का उन्नयन	77.90
24.	खाजवाल जलापूर्ति स्कीम	2447.30
	कुल	20513.30

12 कार्यान्वयनाधीन, शेष पूर्ण हो चुकी हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% एकमुश्त स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं

(लाख रु. में)

क्र.सं.	वर्षा जल निकास	अनुमानित राशि
1	2	3
1.	नमसाई वर्षा निकास स्कीम, अरुणाचल प्रदेश	237.05
2.	नाहरलगून, अरुणाचल प्रदेश में वर्षा जल निकास स्कीम	656.13
3.	सिलापत्थर कस्बा असम में वर्षा जल निकास प्रणाली का निर्माण	1703.54
4.	जोरहट मास्टर प्लान क्षेत्र वर्षा जल निकास प्रणाली का निर्माण	1367.42
5.	गोलाघाट मास्टर प्लान क्षेत्र वर्षा जल निकास स्कीम चरण-I, असम	646.70
6.	धेमाजी कस्बा असम के लिए वर्षा जल निकास	1095.30
7.	सिलचर वर्षा जल निकास परियोजना (फेज-I) असम	1342.66
8.	तिनसुकिया मास्टर प्लान क्षेत्र वर्षा जल निकास स्कीम चरण-I, असम	1252.00
9.	वर्षा जल निकास करीमगंज (फेज-I)	1065.21
10.	इम्फाल नगर निगम क्षेत्र में जिरिबाम, कैचिंग, थाउबल, नामबोल, नोईरंग, बिष्णुपुर, निगथोंगकोंग नगर निगम क्षेत्र, मणिपुर में वर्षा जल निकास का निर्माण	543.87
11.	वाणिज्यि क्षेत्र तूरा मेघालय में वर्षा जल निकास प्रणाली	40.00
12.	कृत्रिम नहर प्रणाली का (निकास प्रणाली का पुनर्वासन) विकास और निर्माण, आइजवाल	540.00
13.	दिमापुर, नागालैण्ड के लिए वर्षा जल निकास स्कीम	2094.25
14.	गंगटोक, सिक्किम में एन.एच.-31ए के साथ-साथ वर्षा जल निकास प्रणाली का अभिकल्प	564.50

1	2	3
15.	अगरतला जल निकास प्रणाली त्रिपुरा का सुधार	1311.37
16.	सामान्य स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का सुधार सेंट्रल जोन, अगरतला, त्रिपुरा (एन.बी.सी.सी.) (अखुरा ड्रेन)	509.85
17.	अगरतला जल निकास प्रणाली चरण-II का सुधार, त्रिपुरा (एन.बी.सी.सी.) कालापनई खाल (शेष भाग का निर्माण)	1094.77
18.	अल्लो वर्षा जल निकास स्कीम (चरण-II)	929.05
19.	खोन्सा, अरुणाचल प्रदेश में वर्षा जल निकास का विकास	422.29
20.	अलोंग कस्बा मास्टर प्लान क्षेत्र के लिए वर्षा जल निकास स्कीम चरण (चरण-I)	671.09
	कुल	20554.64

9 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं, शेष पूरी हो गई है।

मंत्रालय के पास लंबित 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम प्रस्ताव (ठोस कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति इत्यादि)

अरुणाचल प्रदेश

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1.	डपोरिजो टाऊनशिप में ठोस कचरा प्रबंधन
2.	अनिनी टाऊनशिप अरुणाचल में जलापूर्ति का संवर्धन
3.	डपोरिजो टाऊनशिप अरुणाचल प्रदेश वर्षा जल निकास स्कीम

असम

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1.	गोलापारा कस्बे में वर्षा जल निकास का निर्माण

नागालैण्ड

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1.	दीमापुर, नागालैण्ड में निकासी प्रणाली का निर्माण
2.	तुली कस्बा नागालैण्ड में वर्षा निकास विकास

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्वायत्तता

*48. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:**

श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एक स्वतंत्र संगठन बनाए तथा इसकी प्रचालनात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करे जैसा कि मीडिया में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, नहीं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 की रिट याचिका (आपराधिक) सं. 120 एवं वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 463 में दिनांक 08.05.2013 को यह जानने के लिए एक आदेश पारित किया कि क्या केंद्र सरकार सी.बी.आई. की स्वतंत्रता एवं इसकी कार्यात्मक स्वायत्तता के लिए किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव (प्रभावों) से इसे मुक्त करने के लिए उपयुक्त कानून लागू करने की इच्छुक है ताकि सी.बी.आई. को एक निष्पक्ष जांच एजेंसी माना जा सके। न्यायालय ने 3 जुलाई, 2013 तक शपथ-पत्र दायर करने का निर्देश दिया था।

(ग) सरकार ने मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जिसने मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधनों की संस्तुति की। तदनुसार, उच्चतम न्यायालय में दिनांक 03.07.2013 को एक शपथ-पत्र दायर कर दिया गया है।

[अनुवाद]

एयरपोर्ट मेट्रो का प्रचालन

*49. **श्री संजय धोत्रे:**

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस का प्रचालन वापिस ले लिया है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ख) क्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने समाप्ति खंड का सहारा लिया है तथा रियायत समझौते के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा डिजाइन तथा निर्मित किए गए सिविल ढांचे में महत्वपूर्ण त्रुटियों को दूर करने में विफल रहने के कारण समाप्ति संबंधी भुगतान का दावा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हो?

शहरी विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) जी हां। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. (डी.एम.आर.सी.) ने 30 जून, 2013 को व्यावसायिक प्रचालन समय के समाप्त होने से एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के प्रचालन को अपने हाथों में ले लिया है। रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड एवं सी.ए.एफ. जे.वी. द्वारा सृजित मैसर्स दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. (डी.ए.एम.ई.पी.एल.), विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) ने डी.एम.आर.सी. को दिनांक 27 जून, 2013 को सूचित किया कि दिनांक 30 जून, 2013 को व्यावसायिक प्रचालन समय की समाप्ति के बाद वे परियोजना के लिए जिम्मेदार नहीं होगें और डी.एम.आर.सी. को परियोजना एवं परिसंपत्तियों का अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है। इसलिए, व्यापक जनहित मे डी.एम.आर.सी. ने दिनांक 30 जून, 2013 के व्यावसायिक प्रचालन समय की समाप्ति से एअरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रचालन को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) जी हां। रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड ने टर्मिनेशन क्लॉज का प्रयोग किया है और डी.एम.आर.सी. से टर्मिनेशन भुगतान का दावा किया है। डी.एम.आर.सी. द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 2012 को जारी नोटिस के उत्तर में डी.एम.आर.सी. ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 डी.ए.एम.ई.पी.एल. को सूचित किया कि डी.ए.एम.ई.पी.एल. द्वारा बताई गई कमियों को दूर कर दिया है और यह कदम सही नहीं है कि डी.एम.आर.सी. रियायत करार के तहत निर्धारित अवधि में सिविल अवस्थापना में वास्तविक कमियों को दूर करने में असफल रहा। डी.एम.आर.सी. ने डी.ए.एम.ई.पी.एल. को यह भी सूचित किया कि रियायत करार के प्रावधानों के खिलाफ कमियों को नोटिस दिया गया था। तथापि, डी.ए.एम.ई.पी.एल. ने दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 को रियायत करार को समाप्त करने का निर्णय लिया। डी.एम.आर.सी. ने पक्षकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए रियायत करार में उपलब्ध मध्यस्थ तंत्र का उपयोग भी किया और इसके लिए दोनों पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की गई है। तथापि, इसी बीच डी.ए.एम.ई.पी.एल. ने दिनांक 30.06.2013 तक लाइन का प्रचालन जारी रखा।

(घ) जी हां।

(ङ) अपर सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.सी.), शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) और तत्कालीन अतिरिक्त सदस्य (निर्माण), रेलवे बोर्ड वाली जांच समिति ने निर्माण सामग्री में कमियों के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए घटना की जांच की। जांच समिति ने विभिन्न एजेंसियों नामत: रियायतग्राही (मैसर्स डी.ए.एम.ई.पी.एल.), निर्माण ठेकेदार (मैसर्स आई.जे.एम.-आई.जे.एम.आई. जे.वी.), एअरपोर्ट लाइन कंसलटैंट्स (पी.सी.आई-पी.बी.आई.-जे.ए.आर.-टी.एस.-टी.ओ.एन.आई.सी.एच.आई.-राइटस), विस्तृत डिजाइन परामर्शदाता (मैसर्स सिस्त्रा) एवं डी.एम.आर.सी. की ओर से कमियां/असफलता पायी।

जांच समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को भेजी गई और सी.वी.सी. की सलाह के अनुसार रिपोर्ट डी.एम.आर.सी. के बोर्ड द्वारा जांच करने और रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार डी.एम.आर.सी. के विभिन्न कर्मचारियों, परामर्शदाताओं एवं ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भेजी गई है। डी.एम.आर.सी. को भविष्य में ऐसी चूक से बचने के लिए प्रणाली सुधारों की जांच का भी निर्देश दिया गया है।

परमाणु ऊर्जा समझौते

*50. **श्री पोन्नम प्रभाकर**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने किन-किन देशों के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता किया है तथा किन-किन देशों के साथ इस संबंध में चर्चा चल रही है;

(ख) भारत-जापान ऊर्जा सहयोग वार्ता के पुन: शुरू होने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) जापान के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता कब तक हो जाएगा; और

(घ) देश को इस संबंध में कितना लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) भारत ने फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका, रूसी संघ, कनाड़ा, अर्जेन्टीना, नामीबिया, मंगोलिया,

कजाकिस्तान और कोरिया गणराज्य के साथ असैनिक परमाणु सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। जापान, आस्ट्रेलिया तथा श्रीलंका के साथ विचार-विमर्श हुआ है।

(ख) और (ग) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग के लिए भारत तथा जापान के बीच एक करार हेतु औपचारिक वार्ताओं के तीन दौर हो चुके हैं।

(घ) जापान के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग का उद्देश्य भारत-जापान रणनीतिक तथा वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना, भारत के असैनिक परमाणु कार्यक्रम में भागीदारी के लिए जापानी कंपनियों को सक्षम बनाना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तथा परमाणु सुरक्षा के संबंध में आधारभूत तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान में सहयोग को बढावा देना है।

अनचाही कॉलें/एस.एम.एस.

*51. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:***

श्री रघुवीर सिंह मीणा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा 2011 में जारी किए गए विनियम अनचाही कॉलें/एस.एम.एस. की समस्या को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनचाहे टेक्स्ट संदेश तथा परेशान करने वाली कॉलों की समस्या को रोकने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं अथवा जारी करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों की इस संबध में कया प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा टेलीमार्केटियर्स के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) ट्राई द्वारा दिनांक 27.09.2011 से दूरसंचार वाणिज्यिक संदेश ग्राहक प्राथमिकता विनियम (टी.सी.सी.सी.-पी.आर.) के क्रियान्वयन से अवांछित वाणिज्यिक संदेश (यू.सी.सी.) से संबंधित शिकायतों की संख्या बहुत कम हो गई है। दिनांक 27.09.2011 को इस विनियम को लागू करने से पहले प्रतिमाह औसतन 47454 शिकायतें (मार्च, 2010 से मार्च, 2011 की अवधि का औसत) प्राप्त की गई। तथापि, दिनांक 27.09.2011 को इस विनियम के प्रचलन को लागू करने के बाद से दूरसंचार उपभोक्ताओं द्वारा अपने सेवा प्रदाताओं के पास दर्ज कराई गई शिकायतों की कुल संख्या कम होकर लगभग 27000 शिकायतें प्रतिमाह रह गई हैं।

ट्राई ने अवांछित वाणिज्यिक संदशों (यू.सी.सी.) को कम करने के लिए टी.सी.सी.सी.पी.आर. की मार्फत फ्रेमवर्क निर्धारित किया है। ये विनियम दिनांक 27.09.2011 को लागू किए गए। इस विनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(i) अभिगम सेवा प्रदाता और टेलीमार्केटर्स दोनों के द्वारा कॉलों और एस.एम.एस. की छानबीन करना।

(ii) प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए टेलीमार्केटर्स द्वारा अपने अभिगम सेवा प्रदाताओं को प्रतिभूति जमा कराए जाने और उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 25000 रुपये से लेक 2.5 लाख रुपये तक की कटौती किए जाने का प्रावधान किया जाता है।

(iii) यदि टेलीमार्केटर्स प्रतिभूति जमा में से कटौती के बाद भी विनियम का अनुपालन नहीं करते हैं तो उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।

(iv) अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के दूरसंचार संसाधन (संसाधनों) को काट देना।

(v) यदि अभिगम सेवा प्रदाता इस विनियम का अनुपालन नहीं करता तो एक लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक वित्तीय दंड लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।

(vi) इस विनियम में वॉयस कालों और एस.एम.एस. के लिए टेलीमार्केटर्स हेतु अलग से क्रमश: एक नम्बर श्रृंखला और विशेषीकृत एस.एम.एस. हैडर निर्धारित किया गया है।

(vii) उपभोक्ता सभी वाणिज्यिक संदेशों पर रोक या आंशिक रूप से रोक के विकल्प को चुन सकता है।

(viii) 9.00 बजे रात्रि से लेकर प्रात: 9.00 बजे तक कोई भी वाणिज्यिक संदेश नहीं भेजा जाएगा।

(ix) टेलीमार्केटर्स संदेशों के लिए पांच पैसे प्रति एस.एम.एस. समाप्ति प्रभार निर्धारित किया गया है।

(x) उन उपभोक्ताओं जो टेलीमार्केटर्स के रूप में पंजीकृत नहीं है, द्वारा सस्ते एस.एम.एस. पैकों के विरुद्ध निवारक व्यवस्था सृजित करने के लिए ट्राई ने निर्धारित किया है कि एक दिन में 100 एस.एम.एस. के बाद भेजे जाने वाले प्रत्येक एस.एम.एस. के लिए 50 पैसे प्रति एस.एम.एस. प्रभार वसूल किया जाएगा।

(ग) और (घ) ट्राई ने हाल ही में दिनांक 23.05.2013 को दूरसंचार वाणिज्यिक संदेश ग्राहक प्राथमिकता (बारहवां संशोधन) विनियम जारी किया है। इस विनियम में अवांछित कॉल/एस.एम.एस. भेजने वाले उपभोक्ताओं के सभी दूरसंचार कनेक्शनों को काटे जाने, ऐसे उपभोक्ताओं के नाम और पते को अगले दो वर्ष तक काली सूची में डालने, ऐसे उपभोक्ताओं को काली सूची में डाले जाने के 24 घंटे के अंदर अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के दूरसंचार संसाधनों को काटे जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, काली सूची में डाले गए ऐसे उपभोक्ताओं को अगले दो वर्षों तक किसी अन्य अभिगम प्रदाता द्वारा कोई टेलीफोन संसाधन नहीं दिया जाएगा। ट्राई द्वारा किए गए इन उपायों के अनुसरण में अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा अपंजीकृत टेलीमार्किटर्स के लगभग कुल तीन लाख टेलीफोन कनेक्शनों को काटा जा चुका है और ऐसे लगभग 20000 उपभोक्ताओं के नाम और पतों को काली सूची में डाला गया है। ट्राई के अनुसार स्टेकधारकों ने सामान्यत: इन उपायों का स्वागत किया है।

(ङ) ट्राई द्वारा टेलीमार्केटर्स और सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1.	अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स को भेजे गए नोटिस की संख्या (दिनांक 27.9.2011 से 31.7.2013 तक)	2,85,813
2.	अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के काटे गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या (दिनांक 27.9.2011 से 31.7.2013 तक)	2,99,575
3.	टेलीमार्केटर्स को भेजे गए नोटिसों की संख्या	246
4.	उल्लंघनों हेतु टेलीमार्केटर्स के प्रतिभूति जमा में से काटी कई कुल राशि (दिनांक 27.9.2011 से 30.7.2013 तक)	1.36 करोड़ रुपए
5.	काली सूची में डाले गए टेलीमार्केटर्स की संख्या (दिनांक 27.9.2011 से 25.6.2013 तक)	15
6.	उन सेवा प्रदाताओं की संख्या जिन पर वित्तीय दंड लगाया गया (दिनांक 27.9.2011 से 30.7.2013 तक)	1

न्यायिक उत्तरदायित्व

*52. **श्री कीर्ति आजाद**:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए तथा न्यायिक प्रणाली में ढांचागत सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार की योजना उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के चयन में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने तथा न्याय प्रणाली में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का अभिकथन करने वाले अभ्यावेदन समय-समय पर सरकार को प्राप्त हुए हैं। उच्चतर न्यायपालिका के लिए स्थापित 'आंतरिक तंत्र' के

अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, अपने न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम है। राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण, संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है। इस को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार, ऐसी शिकायतों के अभिलेख नहीं रखती है और उस पर की गई कार्रवाई को मानीटर करने के लिए कोई तंत्र नहीं रखती है।

उच्चतर न्यायपालिका के कार्यकरण में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को लागू करने की दृष्टि से सरकार ने "न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक" विधेयक प्रस्तावित किया है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के विरुद्ध अभिकथित कदाचार और अक्षमता के आधारों पर नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के निपटारे के लिए और अन्वेषण के पश्चात उनके दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए व्यापक तंत्र का उपबंध करता है। विधेयक, न्यायिक मानकों को भी अभिकथित करता है और न्यायाधीशों के लिए आवश्यक बनाता है कि वे अपनी आस्तियों/दायित्वों की घोषणा करें।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए.आई.जे.एस.) का उपबंध करने के लिए संविधान में 1997 में संशोधन किया गया था। ग्यारहवें विधि आयोग द्वारा उसकी 116वीं रिपोर्ट में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, केन्द्र राज्य संबंध समिति और विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में समर्थन किया गया है, तथापि, अखिल भारतीय न्यायिक अपनाने पर सहमति राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ हुए परामर्शों में संभव नहीं हो पायी है। हाल ही में, प्रस्ताव राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में विचारार्थ रखा गया था। यह विनिश्चय किया गया कि विषय पर अगला परामर्श राज्यों और न्यायालयों के साथ किया जाना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति तारीख 28 अक्टूबर, 1998 की उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय के साथ पठित तारीख 6 अक्टूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन पर आधारित है। न्यायधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया के पुनर्विलोकन/परिवर्तन के लिए विभिन्न अभिकरणों और विशेषज्ञ निकायों द्वारा अभ्यावेदन किए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर, न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नक्सल क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

*53. **श्री पी.सी. मोहन:***

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के नक्सल तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में इन क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई;

(ग) इस पर अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है तथा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या मोबाइल टावर लगाने वाली एजेंसियों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे सभी स्थानों पर मोबाइल टावर कब तक लगाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) के अंतर्गत जिन इलाकों में स्थिर बेतार अथवा मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है वहां विशिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों मे मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ नक्सल प्रभावित जिलों के 673 टावरों सहित 27 राज्यों के 500 जिलों में अवस्थित 7353 अवसंरचनागत स्थलों/टावरों को स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए राजसहायता देने की स्कीम शुरू की गई है। दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी करारों पर मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए जो नवंबर 2013 तक वैध हैं।

30.06.2013 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के तहत 7317 टावर अर्थात लगभग 99.51 प्रतिशत टावर लगाए गए हैं। इस स्कीम के तहत नक्सल प्रभावित जिलों में सभी लक्षित टावरों को संस्थापित कर दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संस्थापित टावरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ड) गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्य.ई.) से प्रभावित और वर्तमान में किसी सेवा प्रदाता द्वारा कोई भी कवरेज न दिए जाने वाले 9 राज्यों के 2199 स्थानों की शिनाख्त करने के बाद उनकी सूचना दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) को दी है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने 363 स्थानों में पहले से ही मोबाइल टावर संस्थापित कर दिए हैं। इन स्थानों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	गृह मंत्रालय द्वारा शिनाख्त किए गए स्थानों की संख्या	बी.एस.एन.एल. द्वारा पहले से ही लगाए गए टावर
1.	आन्ध्र प्रदेश	227	3
2.	बिहार	184	0
3.	छत्तीसगढ़	497	351
4.	झारखंड	782	0
5.	मध्य प्रदेश	22	6
6.	महाराष्ट्र	60	3
7.	ओडिशा	253	0
8.	उत्तर प्रदेश	78	0
9.	पश्चिम बंगाल	96	0
	कुल	2199	363

सरकार ने नामांकन आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए दिनांक 04.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में 346.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यू.एस.ओ.एफ. पांच वर्षों तक राजस्व की पूंजीगत और प्रचालनगत खर्च को वित्त पोषित करेगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में संयोजकता से संबंधित सभी यू.एस.ओ.एफ. परियोजनाओं के लिए 3000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

यू.एस.ओ.एफ. और बी.एस.एन.एल. के बीच करार पर हस्ताक्षर होने के बाद इन क्षेत्रों मे मोबाइल टावरों का संस्थापन और मोबाइल सेवाओं का रोल आउट 12 महीनों की अवधि में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। परियोजना कार्यान्वित होने के बाद मोबाइल सेवाएं इन स्थानों पर आम लोगों और सुरक्षा कार्मिकों के लिए उपलब्ध होंगी।

विवरण

साझाकृत मोबाइल अवसंरचना की यू.एस.ओ.एफ. स्कीम के तहत वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित किए गए मोबाइल टॉवर स्थलों की राज्य-वार स्थिति

राज्य	वामपंथी प्रभावित जिला	टावर जिन्हें संचालित किया गया है (लक्ष्य)	संचालित किए गए टावर (उपलब्धि)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	खम्मम	27	27
बिहार	जमुई	29	29

1	2	3	4
बिहार	गया	31	31
बिहार	औरंगाबाद	19	19
बिहार	जहानाबाद	6	6
बिहार	रोहतास	17	17
छत्तीसगढ़	बस्तर	69	69
छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा	12	12
छत्तीसगढ़	कानकेर	25	25
छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	16	16
छत्तीसगढ़	सुरगुजा	118	118
झारखंड	बोकारो	5	5
झारखंड	छत्रा	14	14
झारखंड	हजारीबाग	8	8
झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	36	36
झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	4	4
झारखंड	गढ़वा	17	17
झारखंड	गुमला	41	41
झारखंड	लोहारदागा	3	3
झारखंड	प्लामू	34	34
मध्य प्रदेश	बालाघाट	12	12
महाराष्ट्र	गोंडिया	20	20
महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	14	14
ओडिशा	देवगढ़	2	2
ओडिशा	संभलपुर	10	10
ओडिशा	गजपति	9	9
ओडिशा	मलकानगिरी	5	5
ओडिशा	रायगढ़	10	10
उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	25	25
पश्चिम बंगाल	मेदीनीपुर	35	35
कुल		673	673

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक्स में अनुसंधान और विकास

***54. श्रीमती अन्नू टंडन:**

डा. भोला सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घरेलू रूप से निर्मित ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन के विकास हेतु स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के संवर्धन हेतु एक कायिक निधि बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.ई.आई.टी.वाई.) द्वारा ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादन संबंधी कोई औपचारिक डेटा संकलित नहीं किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर उत्पादन वर्ष 2006-07 में 66,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 143,300 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 16.5% की सी.ए.जी.आर. का द्योतक है। अनुमान है कि भारत इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) की मांग वर्ष 2020 तक बढ़कर 400 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगी। ई.एस.डी.एम. का घरेलू उत्पादन वर्ष 2020 तक लगभग 100 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:-

(i) अनुसंधान एवं विकास के लिए विभाग की 5 संस्थाएं हैं जो अनुसंधान एवं विकास कार्य करती है:

(क) समीर-मुख्य रूप से सूक्ष्म तरंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास कार्य।

(ख) सी-मेट-मुख्य रूप से सामग्री प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करना, जो इलेक्ट्रॉनिकी अनुप्रयोग और सामरिक क्षेत्र से संबंधित है।

(ग) सी-डैक-उच्च कार्य निष्पादन कंप्यूटिंग, बहुभाषी कंप्यूटिंग, व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिकी और साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य करना।

(घ) मीडिया लैब एशिया-जीवनयापन को बेहतर करने, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और अन्यथा समर्थ लोगों को सशक्त बनाने के लिए आई.सी.टी. के क्षेत्र में अनुसंधान करना।

(ङ) आई.टी.आर.ए.-इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अनुसंधान एवं विकास के लिए सक्षमता और क्षमता निर्माण हेतु एक कार्यक्रम।

(ii) डी.ई.आई.टी.वाई. अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराता है जिनमें इलेक्ट्रॉनिकी और आई.टी. (एस.आई.पी.-ई.आई.टी.) में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए सहायता, बहुगुणक अनुदान योजना और इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उद्भवन और उद्यमियों के विकास (टी.आई.डी.ई.) के लिए योजना शामिल हैं।

(iii) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर एवं दूरसंचार उपकरण के व्यवसाय में शामिल कंपनी के मामले में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास पर हुए व्यय पर 200% की भारित कटौती का प्रावधान उपलब्ध है।

(iv) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति (एन.पी.ई.) में अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ाना देने के लिए निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(क) उद्योग जगत, शैक्षिक जगत और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को निधि उपलब्ध करा कर नवोद्भव

और आई.पी. तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए ई.एस.डी.एम., नैनोइलेक्ट्रॉनिकी और आई.टी. क्षेत्रों के लिए एक इलेक्ट्रानिकी विकास निधि (ई.डी.एफ.) का सृजन करना।

(ख) वहनीय कीमतों पर घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रानिक उत्पाद विकसित करना।

भारतीय मछुआरों की रिहाई

*55. **श्री हरिन पाठक**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गुजरात सहित राज्य-वार कुल कितने भारतीय मछुआरे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की हिरासत में है तथा उनकी कितनी नावें इन देशों के कब्जे में हैं;

(ख) इन मछुआरों की सुरक्षित रिहाई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन मछुआरों और उनके परिवारों को, जिनकी नावें पड़ोसी देशों द्वारा जब्त कर ली गई हैं, के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) सरकार को समय-समय पर पड़ोसी देशों द्वारा अपने सीमांतर्गत जल क्षेत्रों के तथाकथित उल्लंघन के लिए भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिए जाने की रिपोर्टें प्राप्त होती रहती है।

आज की तारीख तक, 437 मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत में हैं और इन्हें भारतीय समझा जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश (2 व्यक्ति), बिहार (2 व्यक्ति), दादर एवं नागर हवेली (3 व्यक्ति), दमन एवं द्वीव (17 व्यक्ति) गुजरात (391 व्यक्ति), महाराष्ट्र (17 व्यक्ति), उत्तर प्रदेश (4 व्यक्ति) और पश्चिम बंगाल (1 व्यक्ति) के मछुआरे शामिल हैं। पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने सभी 437 मछुआरों को कांसुली सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, 378 मछुआरों की राष्ट्रीयता की स्थिति की पुष्टि की गई है, और उनकी शीघ्र रिहाई तथा स्वदेश वापसी के लिए आधिकारिक अनुरोध किए गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे में मछली पकड़ने वाली 740 से अधिक भारतीय नावें भी हैं, लेकिन पिछले पांच वर्षों में कोई भी नाव वापस नहीं की गई हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में श्रीलंका के कब्जे में 21 नावों सहित 114 भारतीय मछुआरे हैं। बांग्लादेश की हिरासत में कोई भी भारतीय मछुआरा नहीं हैं।

सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा तथा कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार सभी उपयुक्त स्तरों पर पाकिस्तान की सरकार के साथ पाकिस्तानी कब्जे में पड़े सभी भारतीय मछुआरों तथा उनकी नावों की रिहाई से संबंधित मुद्दे को लगातार उठाती रही है। इस्लामाबाद स्थित हमारे उच्चायोग को जब किसी भारतीय मछुआरे की गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है तो वे तत्काल कांसुली सहायता (सी.ए.) सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हैं। संबंधित पाकिस्तानी प्राधिकारियों को उन मछुआरो की रिहाई के लिए नियमित रूप से स्मरण भी कराया जाता है, जिन्होने कारावास की अपनी अवधि पूरी कर ली है। जब कभी और जैसे ही मछुआरों को पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा रिहा किया जाता है तो उनकी स्वदेश वापसी के कार्य का आसान बनाने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज उच्चायोग द्वारा तुरंत उपलब्ध कराए जाते हैं।

जैसे ही भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट प्राप्त होती है, सरकार राजनयिक सूत्रों के माध्यम से गिरफ्तार हुए भारतीय मछुआरों की तुरंत रिहाई सुनिश्चित करने तथा देश-प्रत्यावर्तन के लिए श्रीलंका सरकार के साथ मामला उठाती है।

कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग) पाकिस्तानी जेलों में पड़े मछुआरों को मुआवजे के भुगतान के लिए नोडल एजेंसी है और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) द्वारा "पाकिस्तान में मछली पकड़ने की जब्त नावों के प्रतिस्थापन के लिए आसान ऋण पैकेज" योजना कार्यान्वित की जा रही है।

लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम

*56. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय**:

श्री नरहरि महतो:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने लघु उद्योग हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी ऋण राशि प्रदान की गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय पश्चिम बंगाल सहित अखिल भारतीय स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। मुख्य योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.एस.), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, विपणन विकास सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, आदि शामिल हैं। अप्रैल 2011 में प्रकाशित एम.एस.एम.ई. की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006-07 के अनुसार देश में चालू एम.एस.एम.ई. की कुल संख्या से संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) निधियां राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती हैं क्योंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनागत स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम हैं। 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के संवर्धन के लिए एम.एस.एम.ई. मंत्रालय को आबंटित कुल परिव्यय क्रमश: 2,400 करोड़ रुपये, 2,700 करोड़ रुपये, 2835 करोड़ रुपये और 2977 करोड़ रुपये है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश में सूक्ष्म व लघु उद्यम (एम.एस.ई.) क्षेत्र को बकाया ऋण मार्च 2010, मार्च 2011 और मार्च 2012 के अंत में क्रमश: 3,62,290.75 करोड़ रुपये, 4,78,527.20 करोड़ रुपये और 5,27,684.58 करोड़ रुपये था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एम.एस.ई. को बकाया ऋण का राज्य संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

चालू एम.एस.एम.ई. का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उद्यमों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.14
2.	आन्ध्र प्रदेश	25.96
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.41
4.	असम	6.62
5.	बिहार	14.70
6.	चंडीगढ़	0.49
7.	छत्तीसगढ़	5.20
8.	दादरा और नगर हवेली	0.09
9.	दमन और दीव	0.06
10.	दिल्ली	5.52
11.	गोवा	0.86
12.	गुजरात	21.78
13.	हरियाणा	8.66
14.	हिमाचल प्रदेश	2.87
15.	जम्मू और कश्मीर	3.01
16.	झारखंड	6.75
17.	कर्नाटक	20.19
18.	केरल	22.I3
19.	लक्षद्वीप	0.02
20.	मध्य प्रदेश	19.33
21.	महाराष्ट्र	30.63
22.	मणिपुर	0.91
23.	मेघालय	0.88
24.	मिजोरम	0.29
25.	नागालैंड	0.39
26.	ओडिशा	15.73
27.	पुदुचेरी	0.35
28.	पंजाब	14.46
29.	राजस्थान	16.64

1	2	3
30.	सिक्किम	0.17
31.	तमिलनाडु	33.13
32.	त्रिपुरा	0.98
33.	उत्तर प्रदेश	44.03
34.	उत्तराखंड	3.74
35.	पश्चिम बंगाल	34.64
	अखिल भारतीय योग	361.76

स्रोत: 2009 तक संकलित और अप्रैल, 2011 में प्रकाशित चौथी गणना 2006-07 के आंकड़ों के अनुसार

विवरण-II

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एम.एस.ई. क्षेत्र को बकाया ऋण

अखिरी शुक्रवार की स्थिति के अनुसार

राज्य/संघ शासित प्रदेश	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2012
	शेष बकाया (करोड़ रु. में)	शेष बकाया (करोड़ रु. में)	शेष बकाया (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
असम	2757.44	3753.84	5291.32
मेघालय	304.21	419.78	366.30
मिजोरम	112.41	133.91	150.78
अरुणाचल प्रदेश	166.82	179.76	259.21
नागालैंड	290.32	171.45	308.41
मणिपुर	110.81	117.66	205.61
त्रिपुरा	319.01	357.59	648.88
बिहार	4687.88	4384.89	7273.22
झारखंड	5596.12	7208.72	7629.45
पश्चिमी बंगाल	27865.88	31525.74	32487.99
ओडिशा	7161.36	9698.29	11280.27
सिक्किम	172.04	227.79	422.19
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	145.59	212.65	264.61
उत्तर प्रदेश	24109.98	27418.12	33323.45
उत्तराखंड	2947.89	3990.41	5054.37

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	12144.93	10809.36	13703.68
छत्तीसगढ़	3711.94	5641.69	6969.83
दिल्ली	27926.11	36877.34	42159.27
पंजाब	16715.44	21464.86	25145.34
हरियाणा	10936.67	14288.36	16853.34
चंडीगढ़	2874.58	4342.87	4531.06
जम्मू और कश्मीर	3909.67	4457.06	5725.81
हिमाचल प्रदेश	2987.31	4084.44	4321.98
राजस्थान	12566.93	15578.18	19128.45
गुजरात	20596.09	32263.64	34733.00
महाराष्ट्र	71556.10	108387.60	100619.25
दमण और दीव	99.56	175.99	163.61
गोवा	2024.73	2222.64	2178.19
दादरा और नगर हवेली	74.29	114.93	156.44
आन्ध्र प्रदेश	22515.63	29057.05	38128.63
कर्नाटक	19903.27	26431.87	27562.88
लक्षद्वीप	6.39	452.11	7.51
तमिलनाडु	41787.62	57089.96	60577.75
केरल	12779.16	14454.36	19298.07
पुदुचेरी	426.56	532.28	754.46
अखिल भारतीय योग	362290.75	478527.20	527684.58

[हिन्दी]

ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध

*57. **श्री राम सिंह कस्वां:***

श्रीमती अश्वमेध देवी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर पहले से बने एक बांध के अतिरिक्त उस पर तीन नये बांधों का निर्माण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को यह आश्वासन प्राप्त हुआ है कि इसके नदी प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चीन भारत की इस मांग से सहमत है या तो एक जल आयोग बनाया जाए अथवा जल संबंधी मुद्दों के निपटान हेतु अंतर-सरकारी वार्ता की जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) "चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा" के संबंध में हाल ही में जारी दस्तावेज में उल्लेख है कि चीनी प्राधिकारियों द्वारा तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा पर तीन और जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। जांगमू में एक जलविद्युत निर्माणाधीन है। सरकार ब्रहमपुत्र नदी पर हो रहे सभी घटनाक्रमों पर सावधानीपूर्वक नजर रखती है। एक निम्न तटवर्ती राष्ट्र के नाते भारत को नदी जल का उपयोग करने के सुस्पष्ट अधिकार हैं और भारत ने चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के सर्वोच्च स्तरों सहित चीनी प्राधिकारियों को अपने विचारों एवं सरोकारों से अवगत करा दिया है। भारत ने चीन से आग्रह किया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रतिप्रवाही क्षेत्रों में किए जाने वाले किसी कार्यकलाप से अनुप्रवाही राष्ट्रों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका आप्रवास सुधार विधेयक

***58. श्री एल. राजगोपाल:**

श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट द्वारा पारित अप्रवास सुधार विधेयक के कानून बन जाने पर इससे भारतीयों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा हमारे सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों और छात्रों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान निकाय के समक्ष उठाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) संयुक्त राज्य सीनेट ने 27 जून, 2013 को "सीमा सुरक्षा, आर्थिक अवसर और आप्रवास आधुनिकीकरण अधिनियम 2013" नामक विधेयक सं. एस. 744 पारित किया। यद्यपि, उम्मीद है कि मौजूदा विधेयक से विदेशी विद्यार्थियों पर, जिनमें भारतीय विद्यार्थी भी शामिल हैं, कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा तथापि भारतीय आई.टी. उद्योग ने इस विधेयक में किए गए प्रावधानों पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जो कुशल गैर-आप्रवासी वीजा से संबंधित हे, जिसे यदि अमरीकी संसद के दोनों सदनों में संसदीय प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद लागू किया गया तो संभव है कि एच 1-बी/एल-1 वीजा आश्रित फर्मों की जिम्मेवारियां और बढ़ जाएंगी, जिनमें अधिक वेतन, अमरीकी एजेंसियों द्वारा आधिकारिक लेखा परीक्षा, अविस्थापन गारंटी/अतिरिक्त भर्ती संबंधी नोटिस की अपेक्षाएं, और बढ़ा हुआ वीजा शुल्क शामिल है।

(ग) मई, 2013 में होमलैंड सिक्युरिटी वार्ता, जून 2013 में रणनीतिक वार्ता ओर जुलाई 2013 में सी.ई.ओ. मंच की हाल ही में आयोजित बैठकों के दौरान गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा विदेश मंत्री द्वारा मंत्रालय स्तर पर अमरीकी पक्ष को आई.टी. कंपनियों की चिंताओं से अवगत करा दिया गया है। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास आई.टी. उद्योग के साथ मिलकर इस सीनेट विधेयक के संबंध में भारतीय आई.टी. कंपनियो की चिंताओं के बारे में अमरीकी कांग्रेस मे और अधिक जागरूकता पैदा करने की बाबत कार्य कर रहा है।

(घ) और (ङ) सरकार इस सीनेट विधेयक की विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) अनुकूलता की दृष्टि से जांच कर रही है। हालांकि इस मामले को समुचित समय पर डब्ल्यू.टी.ओ. विवाद निपटान निकाय के समक्ष तभी लाया जा सकता हे जब यह सीनेट विधेयक कानून बन जाए।

भारतीय क्षेत्रीय मार्गनिर्देशन उपग्रह प्रणाली

***59. प्रो. सौगत राय**: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय क्षेत्रीय मार्गनिर्देशन उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत योजनागत सात उपग्रहों में से पहला उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रणाली के उद्देश्य और संभावित सामरिक प्रयोग क्या है;

(घ) इस प्रणाली के अंतर्गत अन्य उपग्रहों को कब प्रक्षेपित किया जाएगा; और

(ङ) परियोजना का कुल कितना वित्तीय परिव्यय है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) आई.आर.एन.एस.एस. समूह के सात उपग्रहों में से प्रथम उपग्रह, अर्थात आई.आर.एन.एस.एस.-1ए को पी.एस.एल.वी.-सी. 22 में रख कर 1 जुलाई, 2013 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। कक्षीय युक्तिचालनों की एक शृंखला के पश्चात् उपग्रह 14 जुलाई 2013 को निर्धारित नत भूतुल्यकाली कक्षा में पहुंचा। नीतभार की कक्षीय जांच और विविध भू-प्रणालियों का परीक्षण प्रगति में है।

(ग) आई.आर.एन.एस.एस. का उद्देश्य 20 मीटर से बेहतर पूर्ण स्थिति की परिशुद्धता सहित भारतीय क्षेत्र के ऊपर स्थिति निर्धारण सेवाएं प्रदान करना है। आई.आर.एन.एस.एस. दो प्रकार के उपयोग प्रदान करेगी जिसमें सभी प्रयोक्ताओं के लिए मुक्त मानक स्थिति सेवा (एस.पी.एस.) और सामरिक प्रयोक्ताओं के लिए गुप्तलेखित स्थिति सेवा जैसी प्रतिबंधित सेवाएं (आर.एस.) शामिल होगी।

(घ) प्रथम उपग्रह, आई.आर.एन.एस.एस.-1ए के कक्षीय निष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद अगले उपग्रह आई.आर.एन.एस.एस.-1बी का प्रक्षेपण 2014 के पूर्वार्ध के लिए निर्धारित है। इस समूह के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण 2015 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

(ङ) आई.आर.एन.एस.एस.के 7 उपग्रहों के समूह तथा संबंधित भू-खंड के लिए कुल वित्तीय परिव्यय रु. 1420 करोड़ है।

[हिन्दी]

गरीबों को रोजगार

*60. **श्रीमती सुमित्रा महाजन**:

श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबो को रोजगार प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) शहरी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा इसके लिए स्वीकृत की गई धनराशि, जारी की गई धनराशि तथा किए गए वास्तविक व्यय और प्राप्त लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त योजनाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डा. गिरिजा व्यास): (क) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सहित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी बेरोजगार गरीबों और कम रोजगार प्राप्त गरीबो को कौशल प्रशिक्षण दे कर तथा साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण करने के लिए उनके श्रम का उपयोग करके स्वयं रोजगार उद्यम स्थापित करने में प्रोत्साहन दे कर उनको लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई निधियों और हुए वास्तविक व्यय को दर्शाने वाली राज्यवार निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के घटक शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.), शहरी गरीबों में रोजगार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण (एस.टी.ई.पी.-यू.पी.) और शहरी महिला स्वयंसेवी कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.एस.पी.) कौशल के लिए पृथक माईक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभभोगियों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में "राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.)" शुरू करने का प्रस्ताव किया है जो कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) को प्रतिस्थापित करेगा। एन.यू.एल.एम. शहरी गरीबी को स्वयं-सेवी समूहों में संगठित करने, उनके कौशल का विकास करने के लिए अवसर पैदा करने पर बल देगा जिसके फलस्वरूप बाजार-आधारित रोजगार सृजित होगा और सुलभता से ऋण सुनिश्चित करके उन्हें स्व-रोजगार की स्थापना करने में उनको सहायता देगा। मिशन का उद्देश्य चरण बद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सुविधाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त मिशन शहरी पथ विक्रेताओं की जीविका के मुद्दों का निवारण करेगा।

विवरण-I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई केन्द्रीय निधियां और निधियों के उपयोग का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3790.43	3790.43	6910.24	6910.24	8457.92	5638.61	3243.50	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	201.79	201.79	129.99	129.99	129.99	126.30	0.00	0.00
3.	असम	2869.96	2869.96	3274.80	3274.80	3413.28	3413.28	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	1579.36	1579.36	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1201.95	1201.95	1921.96	1921.96	2024.30	2024.30	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00
7.	गुजरात	839.27	839.27	3843.37	3843.37	4855.11	3017.25	797.14	0.00
8.	हरियाणा	654.37	654.37	1597.70	1597.70	1866.07	414.87	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	25.00	25.00	109.54	109.54	335.61	77.65	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	67.61	67.61	293.30	293.30	296.27	296.27	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	814.00	814.00	1782.29	229.99	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	3940.45	3940.45	4874.28	4874.28	5058.16	3476.95	1024.79	0.00
13.	केरल	474.03	474.03	1970.37	1970.37	2634.58	1452.65	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	4570.13	4570.13	5719.08	5719.08	4743.32	4743.32	2351.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	9028.52	9028.52	10304.04	10304.04	10271.98	10271.98	0.00	0.00
16.	मणिपुर	448.43	448.43	399.65	0.00	399.65	80.28	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	234.74	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	179.37	179.37	514.74	514.74	653.12	591.41	0.00	0.00
19.	नागालैंड	134.53	134.53	269.06	269.06	443.18	443.18	0.00	0.00
20.	ओडिशा	1650.75	1650.75	2083.28	2083.28	1669.30	1669.30	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	2275.11	0.00	1344.04	323.30	0.00	0.00
22.	राजस्थान	2932.96	2932.96	4187.60	2275.70	1976.70	725.81	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	45.00	45.00	174.95	84.33	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	4267.63	4267.63	6346.09	6346.09	11221.33	8632.54	2434.66	0.00
25.	त्रिपुरा	224.25	224.25	523.81	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	546.34	546.34	583.96	583.96	625.97	134.50	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	7224.67	7224.67	11119.01	10027.27	4668.63	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	2169.31	2169.31	5764.81	5764.81	7500.54	3463.32	848.28	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.75	18.75	23.34	9.81	9.27	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	39.26	39.26	147.13	147.13	68.21	68.21	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	8.79	8.79	8.65	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	175.00	0.00	250.01	112.65	0.00	0.00
34.	पुदुचेरी	25.00	25.00	75.00	75.00	37.58	0.00	0.00	0.00
	कुल	47533.55	47533.55	77883.27	71830.07	77146.10	51512.25	10781.187	0.00

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी गरीबों को रोजगार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण और शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14*		
		व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यू.एस.ई.पी.)	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी (स्टेप-अप)	समूह. सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यू.डब्ल्यू.-एस.पी.)	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यू.एस.ई.पी.)	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी (स्टेप-अप)	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यू.डब्ल्यू.-एस.पी.)	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यू.एस.ई.पी.)	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी (स्टेप-अप)	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यू.डब्ल्यू.-एस.पी.)	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यू.एस.ई.पी.)	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी (स्टेप-अप)	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यू.डब्ल्यू.-एस.पी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	9005	26753	13500	12259	67664	687	9387	50567	2350	94	2268	40
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	28	22	89	213	54	86	252	70	97	125	70
3.	असम	90	470	36	126	1006	80	150	10243	40	0	0	0
4.	बिहार	0	17134	0	1396	5170	53	380	58663	31	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1862	3701	911	2687	10505	1895	3068	16908	1339	321	0	25
6.	गोवा	0	0	0	14	59	0	36	40	5	0	0	0
7.	गुजरात	8015	31517	3287	8914	43179	934	2845	40778	240	171	7688	1
8.	हरियाणा	1606	4724	818	1511	2440	758	925	4696	367	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	24	112	2	68	262	1	2	148	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	200	2356	0	85	1380	3	25	1904	0	0	0	0
11.	झारखंड	402	2874	382	81	438	35	1541	8733	1149	65	975	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	3527	13397	4030	5080	26644	7263	6369	45562	3994	127	0	249
13.	केरल	1065	3190	1830	1668	5040	2252	1914	20011	1353	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	16743	31439	1079	11724	27586	1856	15981	51269	1622	638	16111	0
15.	महाराष्ट्र	7449	38669	34699	6708	56168	6764	13043	28507	19994	0	0	0
16.	मणिपुर	8	131	0	0	1283	0	0	1025	0	0	177	0
17.	मेघालय	52	154	0	0	0	0	34	150	0	0	0	0
18.	मिजोरम	216	3145	330	359	2755	400	372	4913	182	0	0	0
19.	नागालैंड	130	154	196	296	864	609	120	3652	201	0	0	0
20.	ओडिशा	5168	3356	4338	2851	7364	3088	3933	35993	4434	40	6397	126
21.	पंजाब	66	0	0	59	995	0	13	2225	0	17	422	0
22.	राजस्थान	7305	3355	48	5727	9131	220	5607	25716	22	0	0	0
23.	सिक्किम	80	320	70	106	908	0	73	907	0	1	627	0
24.	तमिलनाडु	3925	7198	4660	5755	29656	5386	5748	27570	5534	7767	9086	6499
25.	त्रिपुरा	362	1586	20	253	1688	180	194	1659	264	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	904	2168	10	725	1890	0	694	4563	0	3	220	0
27.	उत्तराखंड	7402	52419	2541	4605	31846	904	9503	11393	1221	1167	0	329
28.	पश्चिम बंगाल	4412	5878	607	6346	24870	7065	3895	58116	6855	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43	0	0	65	0	0	39	0	6	0	0	0
30.	चंडीगढ़	112	124	2	429	616	15	209	639	115	73	447	5
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	5	60	0	12	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	2298	548	213	306	1230	10	410	7934	5	3	0	0
34.	पुदुचेरी	497	276	926	478	760	56	178	215	24	0	0	0
	कुल	82980	257176	74557	80775	363670	40568	86786	524951	51417	10584	44543	7394

*राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से जून, 2013 के अंत तक प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार

[अनुवाद]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाएं

461. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में देखी गई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं को सुदृढ करने तथा उक्त प्रयोजन के लिए आवंटित धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रो सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार बहुत सी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें/फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.आई.एम.), सर्व शिक्षा अभियान (एम.एस.ए.) का क्रियान्वयन कर रही है। ये कार्यक्रम विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा चलाए जाते हैं और इन स्कीमों के उद्देश्यों के संदर्भ में इन स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमित रूप से की जाती है और जब कभी आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिए नौ राज्यों के 82 चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों में समेमित कार्य योजना (आई.ए.पी.) के रूप में एक अंतर्वर्ति उपाय किया गया है। इस कार्यक्रम को इसके वर्तमान स्वरूप में 31.03.2013 तक अनुमोदित किया गया है। पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा और मानीटरण की एक बहु-स्तरीय पद्धति अपनाई गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जिले भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित आंकड़े एम.आई.एस. पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हैं जिनको कि http:pcserver.nic.in/iapmis. पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य में विकास आयुक्त/राज्य में विकास प्रभारी समकक्ष अधिकारी राज्य में आई.ए.पी. के मॉनीटरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके आगे, योजना आयोग राज्य सरकारों के साथ विडियो-कान्फ्रेन्सिग/बैठकों के माध्यम से कार्यक्रमों की निरंतर समीक्षा कर रहा है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके और कार्यक्रमों की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके।

आई.ए.पी. की कुछ कमियां जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को शामिल न करना और कार्यक्रम का सीमित विस्तार आदि का निराकरण एक परामर्शी के तहत किया गया जिसके अंतर्गत जिला स्तरीय समिति को स्थानीय संसद सदस्यों सहित चुने हुए जनप्रतिनिधियों से परामर्श करते हुए एक उचित व्यवस्था का विकास करना था। आगे, इस पर बल दिया गया कि आवंटन का 65% अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जाए। इन क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओ से निपटने हेतु इन कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों में कुछ विशेष छूट/राहत भी प्रदान की गई है।

किदवई नगर में आवासीय परियोजना

462. **श्री पी.आर. नटराजन**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन.बी.सी.सी.) ने किदवई नगर, नई दिल्ली में एक आवासीय परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना में निर्मित किए जा रहे फ्लैट आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को रियायती दरों पर कुछ फ्लैट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां। यह वास्तविकता है कि एन.बी.सी.सी. एक पुनर्विकास परियोजना के रूप में शहरी विकास मंत्रालय के लिए किदवई नगर (पूर्व) में लगभग 86 एकड़ क्षेत्र में रिहायशी और कार्यालय स्थल विकसित कर रहा है। सरकार का इरादा सरकारी कर्मचारियों के लिए 4747 रिहायशी आवासों का निर्माण करने का है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) परियोजना का उद्देश्य सामान्य पूल रिहायशी वास के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त वास का सृजन करना है न कि उसका सरकारी कर्मचारियों को निपटान करना है।

अनधिकृत निर्माण

463. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) का ब्लॉक 'ए' कालकाजी, नई दिल्ली में खुलेआम अनधिकृत निर्माण होने देने के संबंध में दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायते प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनधिकृत निर्माण होने देने के लिए कर्त्तव्यों को पूरा करने हेतु अब तक एम.सी.डी. के चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) नई दिल्ली को दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) के कर्मचारियों के विरुद्ध कालकाजी के फ्लैट संख्या ए-442 एवं ए-444 में अनधिकृत निर्माण के संबंध में दिनांक 15.04.2013 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आयोग ने निदेशक, सतर्कता, दक्षिण दिल्ली नगर निगम से मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

[हिन्दी]

जाली प्रमाणपत्र पर आई.ए.एस. अधिकारियों की नियुक्ति

464. **श्री के.डी. देशमुख**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर नकली जाति/जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर अपनी नौकरी प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है जैसा कि मीडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) तथा भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) शामिल हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.), गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय क्रमशः आई.ए.एस., आई.पी.एस. तथा आई.एफ.एस. के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण हैं। जहां तक डी.ओ.पी.टी. का संबंध है किसी आई.ए.एस. अधिकारी को जाली जाति/जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर अपनी नौकरी पाने के लिए आरोप पत्र नहीं दिया गया है। तथापि, इस विभाग में प्राप्त शिकायतों के आधार पर 5 मामले इस विषय पर कानून के अनुसार जाति प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजे गए हैं।

[अनुवाद]

पूर्ण महिला डाकघर

465. **श्री ई.जी. सुगावनम**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पूर्ण महिला डाकघर स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण महिला डाकघर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए राज्य-वार किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. क्रुपारानी किल्ली): (क) और (ख) जी, हां देश में स्थापित पूर्ण महिला डाकघरों की सर्किल-वार संख्या संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में पूर्ण महिला डाकघरों के लिए पहचान किए गए डाकघरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

देश में स्थापित पूर्ण महिला डाकघरों की सर्किल-वार संख्या (01-08-2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4
2.	असम	1

1	2	3
3.	बिहार	2
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	दिल्ली	2
7.	हरियाणा	9
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	झारखण्ड	0
11.	कर्नाटक	1
12.	केरल	1
13.	मध्य प्रदेश	1
14.	महाराष्ट्र	1
15.	पूर्वोत्तर	0
16.	ओडिशा	1
17.	पंजाब	1
18.	राजस्थान	1
19.	तमिलनाडु	1
20.	उत्तराखण्ड	1
21.	उत्तर प्रदेश	1
22.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	34

विवरण-II

पूर्ण महिला डाकघरों के लिए पहचान किए गए डाकघर (01-08-2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	डाकघर का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	विद्यानगर गैर वितरण उप डाकघर, हैदराबाद
	-वही-	अलवल गैर वितरण उप डाकघर, सिकन्दराबाद
2.	झारखंड	सकेही कोर्ट गैर वितरण उप डाकघर, जमशेदपुर
	-वही-	ए.जी. बिहार उप डाकघर, रांची
3.	पूर्वोत्तर	ऑकलैण्ड उप डाकघर, शिलांग
4.	राजस्थान	गिरड़ीकोट गैर वितरण उप डाकघर, जोधपुर

वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश

466. **श्री असादूद्दीन ओवेसी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (जी.आई.जी.-डब्ल्यू.) के अंतर्गत सभी सरकारी वेबसाइटों हेतु अंतर्राष्ट्रीय एक्सेसेबिलिटी मानक तथा दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने विभागों को उक्त दिशनिर्देशों का पालन करने तथा उन्हें निशक्त: अनुकूल बनाने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या 200 सरकारी वेबसाइटों में से केवल 2 ही वेबसाइट निशक्त: अनुकूल हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सभी वेबसाइटों को निशक्त: अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) ने भारतीय सरकारी वेबसाइट संबंधी दिशा निर्देश (जी.आई.जी.डब्ल्यू.) जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निशक्त: व्यक्तियों सहित विशेष प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ इन दिशा-निर्देशों को मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी.ए.आर.-पी.जी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय

सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) से प्राप्त विभिन्न पत्रों के जरिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को संप्रेषित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) अनेक वेबसाइटें भारतीय सरकारी वेबसाईट संबंधी दिशा-निर्देश के अनुरूप है और इन अनुरूप वेबसाइटों में से दो वेबसाइटों ने मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्रमाणपत्र (एस.टी.क्यू.सी. प्राप्त किए हैं। सभी वेबसाइटों को निशक्त: अनुकूल बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय उपाय किए गए हैं जिनमें सरकारी मंत्रालयों/विभागों से वेब सूचना प्रबंधकों को नामित करने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मंत्रालयों/ विभागों को तकनीकी सहायता देने तथा मंत्रालयों/विभागो के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करने क लिए अनुरोध करना शामिल है।

[हिन्दी]

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में शामिल किया जाना

467. **श्रीमती कमला देवी पटले**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चम्पा जिले का शामिल करने का कोई प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ के नौ नवगठित जिलों में तथा दो शेष जिलों को उनके पिछडेपन के बावजूद इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 12वीं योजना के दौरान उक्त पिछडे जिलों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) माननीय सांसद से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जांजगीर चम्पा जिले को शामिल किए जाने हेतु दिसंबर, 2012 में एक पत्र प्राप्त हुआ था। जैसा कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि बी.आर.जी.एफ. की पुनर्संरचना करना योजना आयोग के विचाराधीन है। अत: वर्ष 2012-13 के लिए बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत नए जिले को शामिल किए जाने के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

(ग) से (घ) वर्तमान में, छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अगर किसी नए जिले को शामिल किया जाना है तो यह बी.आर.जी.एफ. पुनर्संरचना प्रयोग के परिणाम पर निर्भर होगा।

[अनुवाद]

स्कूल की इमारतों का निर्माण

468. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ परामर्श में हाल की बाढ़ में बह गई स्कूल की ईमारतों के अभाव में छात्रों के अध्ययन को जारी रखने में मदद करने के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में विद्यार्थियो की शिक्षा की व्यवस्था करने में उत्तराखंड राज्य सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 42 नए प्राइमरी स्कूलों, 15 नए अपर प्राइमरी स्कलों, स्कूल भवनों की भारी मरम्मत और संदर्भ के बाद की अव्यवस्था के दबाव से पीड़ित बच्चों को परामर्श सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त 12.63 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत 26 नए रसोई घरो के निर्माण के लिए 36.39 लाख रुपए और 1.55 लाख रुपये नए रसोई-उपकरणों के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

न्यूक्लियर स्पेंट फ्यूल

469. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परमाणु विद्युत उत्पादन से देश में उत्पादित स्पेंट फ्यूल की मात्री कितनी है;

(ख) इस स्पेंट फ्यूल का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है तथा कितनी मात्रा को पुन: प्रसंस्कृत किया जा रहा है तथा कितनी मात्रा में इसका निपटान किया जा रहा है;

(ग) देश में स्पेंट फ्यूल के निपटान की प्रक्रिया क्या है;

(घ) स्पेंट फ्यूल निपटान के वर्तमान तरीके के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है तथा स्पेंट फ्यूल के निपटान के लिए पर्यावरणीय नियम क्या है;

(ङ) क्या स्पेंट फ्यूल निपटान से लेवल-7 दुर्घटना हेतु कोई आकस्मिक योजनाएं विद्यमान है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) वर्ष 2012-13 में नाभिकीय विद्युत का उत्पादन करने से लगभग 640 टन भुक्तशेष ईंधन उत्पादित हुआ था।

(ख) भारत ने एक बद्ध ईंधन चक्र के विकल्प को अपनाया है, जिसमें भुक्तशेष ईंधन का पुनर्संसाधन और पुन:चक्रण शामिल है। पुनर्संसाधन के दौरान, दो से तीन प्रतिशत भुक्तशेष ईंधन अपशिष्ट बन जाता है और शेष ईंधन को पुन:चक्रित किया जाता है।

(ग) भारत के भुक्तशेष ईंधन एक बहुमूल्य सामग्री है और हमने बद्ध ईंधन चक्र को अपनाया हे, जिसमें पुनर्संसाधन तथा पुन:चक्रण शामिल है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, पुनर्संसाधन के दौरान, दो से तीन प्रतिशत विकिरणसक्रियता युक्त भुक्तशेष ईंधन, उच्च स्तरीय द्रव अपशिष्ट के रूप में उत्पादित होता है।

भारत में उच्च स्तरीय द्रव अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक त्रि-स्तरीय नीति को अपनाया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) उच्च स्तर की विकिरणसक्रियता वाले द्रव अपशिष्ट को अक्रिय ठोस काचाभ (कांच) आव्यूहों में अचलीकृत करना। उच्च स्तर की विकिरणसक्रियता वाले द्रव अपशिष्टों को ठोसीकृत कांच के आव्यूहों में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को "काचीकरण" कहा जाता है।

(ii) विशेष रूप से डिजाइन किए गए भंडार कक्षों में इन काचित अपशिष्ट उत्पादों को 40 से 50 वर्षों की अवधि के लिए अंतरिम रूप से भंडारित तथा शीतित करना। यह कार्य इन अपशिष्ट उत्पादो से संबद्ध विखंडन उत्पादों के क्षय के कारण उत्पादित ऊष्मा को खत्म करने के लिए किया जाता है, और

(iii) भंडारण के 40 से 50 वर्षों के बाद, इन शीतित काचित अपशिष्टों का निपटान भूगर्भीय निपटान सुविधा (जी.डी.एफ.) में किया जाता है।

(घ) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, भारत में किसी भुक्तशेष ईंधन का निपटान नहीं किया जाता है। भुक्तशेष ईंधन के पुनर्संसाधन के दौरान उत्पादित केवल तीन प्रतिशत अपशिष्टों को काचित, शीतित किया जाता है और बाद में उनका निपटान भूगर्भीय निपटान सुविधा में किया जाएगा। किसी भी नाभिकीय अपशिष्ट का निपटान करने के लिए, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा सुपरिभाषित नियम और विनियम बनाए गए हैं। किसी भी स्थिति में, इन अपशिष्टों का निपटान करने से पर्यावरण पर पड़ने वाला इनका प्रभाव, अन्य गैर-नाभिकीय विद्युत केन्द्रों से उत्पन्न अपशिष्टों का निपटान किए जाने से पड़ने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत नगण्य है।

(ङ) तथा (च) रिएक्टरों से विसर्जित होने वाले भुक्तशेष ईंधन को या तो रिएक्टर स्थल पर अथवा पुनर्संसाधन सुविधाओं में भुक्तशेष ईंधन भंडारण खंड में भंडारित किया जाता है। सभी भुक्तशेष ईंधन भंडारण खंडों का डिजाइन उपयुक्त रूप से तैयार किया जाता है और उनकी वजह से किसी स्तर-7 की दुर्घटना होने की संभावना नहीं होगी।

ए.आई.एस.आर.एफ. से वित्तपोषण

470. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री मधु गौड सारूखी:

श्री गजानन ध. बाबर:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान निधि (ए.आई.एस.आर.एफ.) से वित्तपोषण में 10 मिलियन डालर अनुदान की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने उच्च शैक्षिक संस्थानों को लाभ मिलेगा;

(घ) क्या आस्ट्रेलिया नए एशिया बाउंड कार्यक्रम के अंतर्गत एक अध्ययन अनुभव के लिए भारत में छात्रों को भेजने पर सहमत हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या दोनों देश परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ए.आई.ई.सी. के अंतर्गत एक नया आस्ट्रेलिया-भारत ज्ञान सहभागिता अनुदान स्थापित करने पर सहमत हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) जी हां। आस्ट्रेलिया सरकार ने आस्ट्रेलिया और भारत के शोधकर्ताओं द्वारा सहयोगी शोध परियोजनाओं के लिए आस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक शोध निधि (ए.आई.एस.आर.एफ.) के तहत 10 मिलियन डालर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। यह घोषणा दिनांक 12 जुलाई 2013 को सिडनी में मानव संसाधन विकास मंत्री

और आस्ट्रेलिया के नवाचार, उद्योग, विज्ञान, शोध तथा उच्चतर शिक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान की गई।

(ख) ए.आई.एस.आर.एफ. आस्ट्रेलियन शोधकर्ताओ को भारतीय वैज्ञानिकों के साथ अग्रिम स्तर की वैज्ञानिक परियोजनाओं और कार्यशालाओं में भाग लेने में मदद करता है। यह आस्ट्रेलियाई और भारतीय शोधकर्ताओं के बीच रणनीतिक गठजोडों के विकास में सहयोग करता है। यह आस्ट्रेलिया की किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय शोध के लिए समर्पित सबसे बड़ी निधि है। निधि के चार संघटक अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी निधि, जैव-प्रौद्योगिकी निधि, विराट चुनौती निधि और अध्येतावृत्ति निधि हैं। ए.आई.एस.आर.एफ. की घोषणा 2006 में आस्ट्रेलिया सरकार की ओर से 20 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ भारत सरकार की ओर से ए.आई.एस.आर.एफ. के माध्यम से प्रोत्साहित भारतीय शोधकर्ताओं की भागीदारी की लागत पूरी करने की प्रतिबद्धता के साथ की गई। 2009 में, इस योजना को आस्ट्रेलिया सरकार से 50 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त निधियन के साथ भारत सरकार के 2016 को समाप्त हो रही अवधि तक ए.आई.एस.आर.एफ. के माध्यम से प्रोत्साहित भारतीय शोधकर्ताओं की भागीदारी की लागत पूरी करने की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। ए.आई.एस.आर.एफ. ने 100 से अधिक संयुक्त परियोजनाओं और कार्यशालाओं, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा में विराट चुनौती परियोजनाओं और आस्ट्रेलियाई तथा भारतीय शोधकर्ताओं के बीच 80 से अधिक अध्येतावृत्तियों का सहयोग दिया है।

(ग) निधि वैयक्तिक स्तर के सहयोगी शोध हेतु है जिसमें भारत की अकादमिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं भाग ले रही हैं और संस्थानों की संख्या की कोई अधिकतम सीमा नही है।

(घ) नए एशिया बाउंड कार्यक्रम के तहत आस्ट्रेलिया ने 29 उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के 300 छात्रों को 2013-14 के दौरान अध्ययन-अनुभव के लिए भारत भेजने की घोषणा की है।

(ङ) 12 जुलाई, 2013 को सिडनी में हुई आस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद (ए.आई.ई.सी.) की बैठक के दौरान दोनों देशों ने उच्चतर शिक्षा में कथ्यपरक प्राथमिक क्षेत्रों में परियोजनाओं के निधियन के लिए 'आस्ट्रेलिया भारत ज्ञान सहभागिता अनुदान' की नई पहल की भी घोषणा की है।

आई.एस.एच.यू.पी. के लिए ब्याज राजसहायता योजना

471. **श्रीमती प्रिया दत्त**: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी निर्धन आवास हेतु ब्याज राजसहायता योजना (आई.एस.एच.यू.पी.) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा विकास निर्माण के लिए अन्य शहरी गरीबों को ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई तथा लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऋण की राशि बढ़ाकर तथा योग्यता मानदण्ड को उदार बनाकर इस योजना के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इस वर्ष योजना के लिए आवंटित धनराशि की कायिक निधि बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डा. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जी हां, आवास और शहरी निर्धनों के लिए ब्याज आर्थिक सहायता योजना (आई.एस.एच.यू.पी.) शहरी निर्धनों के (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) और निम्न आय वर्गों (एल.आई.जी.) को आवास निर्माण के लिए रु. 1,00,000/- की राशि तक के ऋण में 5 प्रतिशत तक की ब्याज आर्थिक सहायता निहित है। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए और चालू वर्ष के दौरान, राज्यवार योजना के अधीन जारी की गई राशि और लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।)

(ग) और (घ) सरकार का अर्हकता मानदण्डों को निम्नानुसार शिथिल करते हुए शहरी निर्धनों के ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. दोनों वर्गों को आर्थिक सहायता की अर्हकता के लिए ऋण की राशि को रु. 5,00,000/- तक बढ़ाकर योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है-

वर्ग	13 नवम्बर, 2012 तक विद्यमान आय मानदण्ड	संशोधित आय मानदण्ड
ई.डब्ल्यू.एस.	रु. 60000/- तक प्रति वर्ष प्रति परिवार	रु. 1,00,000/- तक प्रति वर्ष प्रति परिवार
एल.आई.जी.	रु. 60001 से रु. 1,20,000/- तक प्रति वर्ष प्रति परिवार	रु. 1,00,001 से रु. 2,00,000/- तक प्रति वर्ष पति परिवार

(ङ) आई.एस.एच.यू.पी. को राजीव ऋण योजना के रूप में पुन: आरम्भ किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए लगभग रु. 103 करोड़ का पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया गया है।

विवरण

शहरी निर्धनों के आवास हेतु ब्याज आर्थिक सहायता (आई.एस.एच.यू.पी.)

आई.एस.एच.यू.पी. के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान वर्षवार प्रगति

30 जून, 2013 की स्थिति

(रु. लाख में)

वर्ष	अंतर्गत लाये गए राज्य	लाभार्थियों की संख्या	ब्याज आर्थिक सहायता के एन.पी.बी. की राशि	लाभार्थियों की कुल संख्या	जारी की गई ब्याज आर्थिक सहायता की कुल एन.पी.बी.
1	2	3	4	5	6
2010-11	आन्ध्र प्रदेश	5233	378.01		
	कर्नाटक	53	14.50		
	राजस्थान	27	7.84	5859	476.64
	छत्तीसगढ़	542	75.12		
	तमिलनाडु	4	1.17		
2011-12	आन्ध्र प्रदेश	2875	220.52		
	कर्नाटक	546	96.32		
	महाराष्ट्र	241	17.75		
	तमिलनाडु	220	56.5		
	असम	1	0.30		
	मध्य प्रदेश	9	1.55	4308	473.86
	राजस्थान	18	4.10		
	केरल	227	59.70		
	छत्तीसगढ़	170	16.83		
	उत्तर प्रदेश	1	0.29		
2012-13	आन्ध्र प्रदेश	270	24.34		
	कर्नाटक	623	77.21		
	महाराष्ट्र	157	12.77	3267	735.49
	तमिलनाडु	228	65.23		

1	2	3	4	5	6
	राजस्थान	685	234.28		
	केरल	1072	305.66		
	छत्तीसगढ़	232	16.00		
2013-14	आन्ध्र प्रदेश	50	4.45		
	कर्नाटक	130	9.67		
	केरल	41	8.80		
	तमिलनाडु	03	0.72	339	64.00
	राजस्थान	99	35.01		
	मध्य प्रदेश	16	5.35		

[हिन्दी]

विद्यालय विकास निधि

472. **श्री अशोक कुमार रावत**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में आरक्षित श्रेणी के छात्रों को ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विद्यालय विकास निधि देने से भी छूट दी जाती है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के सभी छात्रों को शिक्षण शुल्क के भुगतान की छूट दी जाती है। परन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी जाती है क्योंकि वे सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, विद्यालय विकास निधि के अंतर्गत विद्यालयों के विकास के लिए छात्रों से प्रतिमाह 500 रु. की राशि लेते हैं। यह राशि अन्य स्कूलों की तुलना में बहुत नगण्य है। इसके अलावा यह राशि पूर्ण रूप से स्कूल के विकास और छात्र समुदाय के कल्याण के लिए खर्च की जाती है।

[अनुवाद]

योग्यता परीक्षा

473. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सी.बी.एस.ई. एक योग्यता परीक्षा लेता है जिसका लक्ष्य छात्रों की रुचि के अनुसार उनके विषय चुनने में उनकी मदद करना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) छात्र वैश्विक अभिरुचि सूचकांक (स्टूडेंट्स ग्लोबल एप्टीट्यूड इंडेक्स) के रूप में ज्ञात अभिरुचि परीक्षा का 2011 से आयोजन करता रहा है। सी.बी.एस.ई. द्वारा अब तक तीन अभिरुचि परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इन परीक्षाओं में कुल 3,70,000 छात्र सम्मिलित हुए। यह परीक्षा दसवीं परीक्षा के बाद विषयों का चयन करने के लिए छात्रों की मदद करने क लिए बनाई गई है।

उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना

474. **श्री शिवाराम गौडा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी.आई.आई.एल.), मैसूर में सेंट्रल ऑफ एक्सिलेंस फॉर इन क्लासिकल कन्नड़ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सी.आई.आई.एल., मैसूर को बेंगलुरु में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी.आई.आई.एल.), मैसूर शास्त्रीय कन्नड़ भाषा में उत्कृष्टता अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिए 29.09.2011 को आदेश जारी किया था।

(ख) सी.आई.आई.एल., मैसूर को बैंगलुरू स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, कर्नाटक सरकार ने नवंबर 2012 में इस मंत्रालय से शास्त्रीय कन्नड़ भाषा के उत्कृष्टता अध्ययन केन्द्र को सी.आई.आई.एल., मैसूर से बैंगलुरू स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था।

(ग) ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव मिलने पर इस मंत्रालय ने दिसंबर, 2012 में राज्य सरकार से केन्द्र की स्थापना के लिए नि:शुल्क भूमि जो अन्य बाधाओं से भी मुक्त हो, उपलब्ध करवाने के लिए अपनी इच्छा के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया था। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने जून, 2013 में मंत्रालय को सूचित किया कि उन्होंने इस प्रयोजनार्थ बैंगलुरू विश्वविद्यालय परिसर में 3.00 एकड़ भूमि की शिनाख्त कर ली है। मंत्रालय ने सी.आई.आई.एल. से उक्त प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी देने का अनुरोध किया है। सी.आई.आई.एल. की टिप्पणी प्राप्त न होने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में भ्रष्टाचार

475. **श्री यशवंत लागुरी:**

राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के क्षेत्रीय केन्द्रों में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के मामले सरकार के सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चूककर्ता व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय केन्द्रों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली शिकायते समय-समय पर मंत्रालय को मिलती रही हैं।

(ग) और (घ) स्थापित क्रियाविधि के अनुसार दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच प्रारंभ की गई है। सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के निदेशक डॉ. मोहम्मद अजीज अहमद को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.बी.ओ.) नियुक्त किया है। देश के श्रेष्ठ शिक्षक-शिक्षा विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में नियुक्त करके राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को नया स्वरूप प्रदान किया गया है।

गैर सरकारी संगठनों को धनराशि

476. **श्री लक्ष्मण टुडु:**

श्री संजय सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश सहित देश में सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का एन.जी.ओ.-वार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत सहायता दी गई है;

(ग) विभिन्न अनियमितताओं में संलिप्त एन.जी.ओ. का ब्यौरा क्या है तथा की गई अनियमितताओं की राज्यवार प्रकृति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए ऐसे एन.जी.ओ. के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा

477. **श्री पन्ना लाल पुनिया:**

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में मॉडल डिग्री कॉलेज, नया पोलीटेक्निक तथा महिला हॉस्टलों को मंजूरी दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में महिला इंटर कॉलेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए विशुद्ध रूप से अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम.) और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास योजना (आई.डी.एम.आई.) का कार्यान्वयन कर रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, जन शिक्षण संस्थान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, महिला छात्रावास योजना, ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान योजना, मॉडल डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स इत्यादि जैसी अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन करते समय देशभर के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वीकृत डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स एवं महिला छात्रावास

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मॉडल डिग्री कॉलेज		पॉलिटेक्निक्स		महिला छात्रावास	
	संख्या	संस्वीकृत निधियां (करोड़ रुपये में)	संख्या	संस्वीकृत निधियां (करोड़ रुपये में)	संख्या	संस्वीकृत निधियां (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	2	1.00	5	22.74	7	0.78
असम	9	4.50	9	18.00	47	34.09
बिहार			6	35.35	65	25.44
हरियाणा						
जम्मू और कश्मीर	1	2.00			1	00.02
झारखंड			3	21.35	15	9.69
कर्नाटक					10	9.47
केरल						

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश					2	-
महाराष्ट्र	2	2.67	1	11.00	8	3.90
मणिपुर			6	12.12		
मेघालय					6	1.63
मिजोरम			2	16.00		
ओडिशा			1	10.12		
सिक्किम			1	09.12		
उत्तर प्रदेश			13	135.35	58	25.12
उत्तराखंड					7	5.20
पश्चिम बंगाल			7	28.62		

[अनुवाद]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बद्धता संबंधी उपनियमों में संशोधन

478. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सम्बद्धता के नियमों तथा परीक्षा संबंधी उपनियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या औचित्य हैं;

(ग) क्या उपनियमों में संशोधन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) शिक्षा की जरूरतों और भारत सरकार की नीतियों की पूर्ति के लिए 2012-13 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के संबंधन और परीक्षा उप-नियमों में संशोधन किए गए थे। संशोधनो के पश्चात् संशोधित उप-नियम सी.बी.एस.ई. की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।

संबंधन उप-नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे-

- अनंतिम प्रत्यायन मांगते समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है। आवेदक स्कूल को इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उसने सी.बी.एस.ई. से उसका प्रत्यायन मांगने के आवेदन के विषय में राज्य के संबंधित शिक्षा विभाग को सूचित किया है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, चार महानगरों अर्थात चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा अरुणाचल प्रदेश में बोर्ड से प्रत्यायन चाहने वाले स्कूलो की न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता में परिवर्तन।
- परामर्शदाता का नाम 'हेल्थ वेलनेस टीचर' में बदलना।
- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी कार्य के समन्वय के लिए अलग से टी.जी.टी. शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान।
- माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक दोनों स्तरों पर क्रमश: टी.जी.टी. (शारीरिक शिक्षा) और पी.जी.टी. (शारीरिक शिक्षा) के पदनाम से शारीरिक शिक्षा अध्यापक का प्रावधान।
- स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले स्कूलों और विदेश स्थित स्कूलों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए क्रमश: 25000/- और 50,000/- रुपये शुल्क का प्रावधान।

- पुन: स्थापन/पुन: संबंधन शुल्क।

  स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले स्कूल रु. 3,00,000/-

  विदेश में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले स्कूल रु. 5,00,000/-

- पुस्तक निर्धारण के प्रावधान।

परीक्षा उन नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे-

- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना की प्रयोज्यता
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अंगीकरण/अनुकूलन
- निष्पादन सुधार के अवसरों की संख्या में कमी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधन उप-नियमों और परीक्षा उप नियमों में प्रावधान किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है-

संबंधन उप-नियम

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का प्रावधान
- प्रवेश हेतु छानबीन न करने और नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु स्कूल के उत्तरदायित्व का प्रावधान/
- शिक्षकों के निजी ट्यूशन पर रोक।
- शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक।
- सूचना देने का स्कूल का उत्तरदायित्व।
- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू करना।
- कैपिटेशन शुल्क लेने पर रोक।

परीक्षा उप-नियम

- प्रवेश की आयु का प्रावधान
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाणपत्र प्रदान करना।
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू करना।
- कैपिटेशन शुल्क लेने पर रोक।

खाली घरों को हाउसिंग मार्किट में लाना

479. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी**: क्या **आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में खाली पड़े घरों को कराधान तथा प्रोत्साहन नीतियों के माध्यम से हाउसिंग मार्किट में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डा. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जनगण्ना 2001 और 2011 के अनुसार कुल जनगणना आवास, रिक्त आवास और काबिज आवास निम्नानुसार है:

क्र.सं.	आवास सूची मद	संख्या (मिलियन में) और प्रतिशत	
		2001	2011
1.	कुल जनगणना आवासों की संख्या	71.56	110.14
2.	कुल जनगणना रिक्त आवासों की संख्या	6.45	11.09
		(9%)	(10.10%)
3.	कुल जनगणना काबिज आवासों की संख्या	65.11	99.05
		(91%)	(89.90%)

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने एक अध्ययन दल का गठन रिक्त आवासों के कारणों का विश्लेषण करने के लिए किया है और आगे की कार्रवाई यदि आवश्यक हुई तो उसके निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

विदेशों में राजदूत

480. **श्री एस. पक्कीरप्पा**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के विभिन्न देशों में स्थित उच्चायोगों में तैनात राजदूतों की संख्या कितनी है तथा इसमें से कितने लोग अनुसूचित जाति के हैं; और

(ख) वे किन देशों में तैनात हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) आज तक विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों में 116 राजदूत तथा उच्चायुक्त तैनात हैं। मिशन प्रमुख के रूप में इन अधिकारियों में से 90 अधिकारी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं।

(ख) ये अधिकारी जिन देशों में तैनात हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं:

संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, घाना, अजरबेजान, स्विटजरलैंड, रोमानिया, तनजानिया, फिनलैंड, यूक्रेन, जाम्बिया, मोजाम्बिक, मंगोलिया, बेलारूस, कांगों, लोकतांत्रिक गणराज्य, पपुआ न्यू गिनी, जमैका, मोरक्को, फिजी, मालदीव, नामीबिया।

लघु उद्योगों का बंद होना

481. **श्री बदरूद्दीन अजमल**: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, असम सहित देश के विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों के बंद होने से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबधी राज्य-वार और उद्योग-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) असम सहित इन राज्यों में बंद पड़ी इकाइयों को पुनर्जीवित करने और नई लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में बंद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की संख्या संबंधी सूचना समय-समय पर पंजीकृत क्षेत्र की अखिल भारतीय गणना आयोजित कर एकत्रित की जाती है। संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ आयोजित नवीनतम गणना (चौथी गणना) जिसमें 2009 तक आंकड़े एकत्र किए गए और 2011-12 में परिणाम प्रकाशित किए गए थे तथा पिछली गणना (लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना परिणाम प्रकाशित किए गए थे तथा पिछली गणना) (लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना, 2001-02) के अनुसार, असम सहित विभिन्न राज्यों में बंद एम.एस.एम.ई. की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एम.एस.एम.ई. के बंद होने के विविध कारण हैं और पूंजी, प्रौद्योगिकी तथा बाजार तक अपर्याप्त पहुंच, प्रतिस्पर्धा झेलने की असमर्थता तथा बदलते व्यावसायिक माहौल के कारण वित्तीय अव्यवहार्यता उसमें शामिल हैं।

(ग) वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों, जो एम.एस.ई. को ऋण देते हैं, द्वारा व्यवहार्य रुग्ण सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाता है। समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्वास पैकेज निर्धारित किया जाता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा रुग्णता की परिभाषा और रुग्ण एम.एस.ई. की व्यवहार्यता के आकलन की प्रक्रिया की जांच के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर नवंबर, 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवीनतम दिशानिर्देश जारी किए गए। दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:

i. रुग्णता की आरंभ में पहचान।

ii. संभावित व्यवहार्य रुग्ण एम.एस.ई. के लिए पुनर्वास पैकेज का आधार तैयार करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन।

iii. एम.एस.ई. क्षेत्र के लिए पक्षपात रहित एकमुश्त निपटान योजना।

विवरण

पंजीकृत क्षेत्र के बंद लघु उद्योगों/एम.एस.एम.ई. की राज्य-संघ शासित प्रदेश-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	तीसरी गणना (2001-02)	चतुर्थ गणना (2006-07)
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	22709	1831

1	2	3	4
2.	हिमाचल प्रदेश	6509	4034
3.	पंजाब-	82731	24553
4.	चंडीगढ़	1405	559
5.	उत्तराखंड	12100	8219
6.	हरियाणा	27546	10973
7.	दिल्ली	8357	0
8.	राजस्थान	36847	17342
9.	उत्तर प्रदेश	122282	80616
10.	बिहार	20525	16344
11.	सिक्किम	155	86
12.	अरुणाचल प्रदेश	248	167
13.	नागालैंड	129	2395
14.	मणिपुर	1226	929
15.	मिजोरम	1313	669
16.	त्रिपुरा	1077	424
17.	मेघालय	1908	665
18.	असम	10338	6266
19.	पश्चिम बंगाल	26080	10708
20.	झारखंड	13822	3712
21.	ओडिशा	9708	5744
22.	छत्तीसगढ़	27830	15485
23.	मध्य प्रदेश	65649	36502
24.	गुजरात	39159	34945
25.	दमन और दीव	454	24
26.	दादरा और नगर हवेली	423	0
27.	महाराष्ट्र	54243	41856
28.	आन्ध्र प्रदेश	38582	2250
29.	कर्नाटक	46611	47581

1	2	3	4
30.	गोवा	2327	2754
31.	लक्षद्वीप	16	0
32.	केरल	74832	34903
33.	तमिलनाडु	127185	82966
34.	पुदुचेरी	2586	711
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	515	142
	अखिल भारतीय योग	887427	496355

[हिन्दी]

स्वचलित डाक छंटाई केन्द्र

482. **श्री अंजनकुमार एम. यादव**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हैदराबाद और बंगलौर में अधिक स्वचलित डाक-छंटाई केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त केन्द्रों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. क्रुपारानी किल्ली): (क) वर्तमान में हैदराबाद तथा बैंगलुरु में कोई स्वचालित डाक छंटाई केन्द्र नहीं है। तथापि, सरकार का XIIवीं योजना के दौरान हैदराबाद एवं बेंगलूरु में एक-एक स्वचालित डाक छंटाई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) हैदराबाद राज्य सरकार ने विभाग को रैकुन्टा एच./ओ. पेड्डा गोलकुंडा ग्राम शमशाबाद मंडल में सर्वे नं. 23 में 3 एकड का भूखंड के आबंटन के लिए राज्य सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है।

(घ) इन केन्द्रों का प्रचालन XIIवीं योजना में शुरू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के तहत आई.आई.टी.

483. **श्री सुरेश कुमार शेटकर**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी और निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति से 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) की स्थापना का अनुमोदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में प्रत्येक राज्य से प्राप्त मांगों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एन.सी.आर. का विस्तार

484. **श्री हमदुल्लाह सईद**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) की सीमाओं को हाल ही में विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) के पास इस क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निधि और अधिकार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस क्षेत्र में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में एकसमानता लाने के लिए एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) ने दिनांक 01.07.2013 को आयोजित अपनी 33वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में राजस्थान के भरतपुर जिले और हरियाणा राज्य के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 की धारा 7(ङ) के अनुसार, बोर्ड का कार्य केन्द्र और राज्य आयोजना निधियों और अन्य राजस्व स्रोतों से चयनित विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करना और देखरेख करना है।

एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 की धारा 22 के अनुसार एक एन.सी.आर.पी.बी. कोष बनाया गया है जो चयनित अवस्थापना विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है।

(ङ) एन.सी.आर.पी.बी. ने सितंबर, 2005 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय आयोजना-2021 अधिसूचित किया है, जो इस क्षेत्र में संतुलित विकास हेतु भौतिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास की व्यवस्था करता है तथा इसे एन.सी.आर. के भागीदार राज्यों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में मलिन बस्तियां

485. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अधिसूचित और अनधिसूचित मलिन बस्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (घ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डी.यू.एस.आई.बी.) तथा दिल्ली छावनी बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत वर्षों में स्लमों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किसी भी क्षेत्र को स्लम के रूप में अधिसूचित अथवा गैर-अधिसूचित नहीं किया गया है। डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय 685 झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में लगभग 20-22 लाख आबादी है।

सामाजिक और आर्थिक बदलाव

486. **श्री सज्जन वर्मा**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन छात्रों को प्रोत्साहित करती रही है जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ आबंटित और खर्च की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पाठ्यक्रम में शामिल किए गए प्रासंगिक अध्यायों का राज्य-वार और कक्षा-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सभी राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य के साथ परामर्श करके ऐसे प्रस्ताव पर कब तक विचार कर लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा परिकल्पित, विकसित और प्रकाशित सामाजिक विज्ञान पाठ्य-विवरण और पाठ्य-पुस्तकों का उद्देश्य छात्रों को सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण को बढ़ावा देने के प्रति सुग्राही बनाना है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) कक्षा I-VIII के लिए एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य-पुस्तकों की सिफारिश करता है और कक्षा IX-XII के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करता है। एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकों में सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण को बढ़ावा देने के प्रति छात्रों को सुग्राही बनाने के लिए शामिल किए संबंधित अध्यायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। यह

राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों पर निर्भर है कि वे अपनी पाठ्यचर्या और पाठ्य-विवरण को अपने स्तर पर अंतिम रूप दें।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करता है जो स्कूल के बाहर पददलित लोगों के साथ जुड़ने और उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए समाज सेवा करते हुए सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण कर रहे हैं। बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर वर्ष 2012 से ऐसे छात्रों के कार्यों को मान्यता देना और उन्हें सम्मानित करना शुरू कर दिया। बोर्ड ने स्कूलों के लिए विषय-वस्तु भी प्रस्तावित की है; वर्ष 2012 का विषय "जॉय ऑफ गिविंग" था और पिछले वर्ष इस समारोह में 150 स्कूलों ने सहभागिता की थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के कार्यान्वयन में भारत सरकार ने श्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू विद्यालय (जे.एन.वी.) स्थापित किए हैं। ये आवासीय स्कूल विशेष प्रतिभावान और अभिरुचि वाले ग्रामीण बच्चों को तेजी से उन्नति करने के लिए उनकी भुगतान करने की क्षमता पर ध्यान दिए बिना उन्हें अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें अपने शहरी समकक्षों के साथ समानता के आधार पर मुकाबला करने में समर्थ बनाते हैं। जवाहर लाल नेहरू विद्यालयों में प्रवेश मुख्यता ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए होता है जिसमें ग्रामीण बच्चों के लिए कम-से-कम 75 प्रतिशत सीटों का प्रावधान होता है। सरकार ने अब तक देशभर में 586 जे.एन.वी. विद्यालय स्थापित किए हैं जिनमें से 50 मध्य प्रदेश में हैं।

विवरण

एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए शामिल किए गये अध्याय

कक्षा	पाठ्य-पुस्तक का नाम	अध्याय	पृ.सं.
1	2	3	4
कक्षा VI	सामाजिक और राजनीतिक जीवन-I	विविधता एवं भेदभाव	14
		लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व	38
		पंचायती राज	43-48
		गांव का प्रशासन	53-54
		ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका	68-75
कक्षा VII	सामाजिक और राजनीतिक जीवन-I	समानता	4-15
		औरतों ने बदली दुनिया	54-67
		समानता के लिए संघर्ष	114-121
कक्षा VIII	सामाजिक और राजनीतिक जीवन-3	हाशियाकरण की समझ	80-91
		हाशियाकरण से निपटना	90-102
		जनसुविधाएं	106-119
कक्षा IX	लोकतांत्रिक राजनीति-I	लोकतांत्रिक अधिकार	101-110
कक्षा X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	जाति, धर्म और लैंगिक मसले	39-56
		जन संघर्ष और आंदोलन	57-70
		लोकतंत्र के परिणाम	89-98

1	2	3	4
कक्षा IX	अर्थशास्त्र	पालमपुर गांव की कहानी	1-15
		संसाधन के रूप में लोग	16-28
		निर्धनता : एक चुनौती	29-41
		भारत में खाद्य सुरक्षा	42-53
कक्षा X	आर्थिक विकास की समझ	विकास	2-17
		भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	18-37
		मुद्रा और साख	38-53
		वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था	54-73
		उपभोक्ता अधिकार	74-89
कक्षा X	समकालीन भारत-II	संसाधन एवं विकास	1-13

[अनुवाद]

पाठ्य-पुस्तकों में त्रुटि

487. **डॉ. पी. वेणुगोपाल**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य बोर्ड से सम्बद्ध 15 लाख से अधिक छात्रों द्वारा पढ़ी जा रही पाठ्य-पुस्तकों में भारत का मानचित्र अरुणाचल प्रदेश राज्य के बिना प्रदर्शित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि इस त्रुटिपूर्ण मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को देश के राज्यक्षेत्र से न केवल लापता दिखाया गया है बल्कि इसे चीनी क्षेत्र का हिस्सा दिखाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) शिक्षा, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। अपनी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने का कार्य राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों का है।

वर्ष 2013-14 के लिए महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार पाठ्य-पुस्तक में अरुणाचल प्रदेश को लोप करते हुए भारत का नक्शा मुद्रित किया गया है। सचिव, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड, पुणे ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए तैयार की गई कक्षा X की भूगोल की पाठ्य-पुस्तक में भारत के कुल नौ नक्शे दिए गए हैं। जबकि, आठ नक्शे सही मुद्रित किए गए हैं, एक नक्शा जिसमें भारत और उसके पड़ोती देशों का ब्यौरा दिया गया था, में अरुणाचल प्रदेश गलती से लोप हो गया।

जैसे ही इस गलती की सूचना मिली, बोर्ड ने ब्यौरे की तत्काल पुष्टि की और सुधारात्मक कार्रवाई की। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उस गलती पर गहरा खेद जताया था जो कक्षा X की भूगोल की पाठ्यपुस्तक में हुई थी और उसके लिए वह देश के लोगों के समक्ष गहरा खेद व्यक्त कर चुका है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार

488. **श्री जगदीश ठाकोर**: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत जिन युवाओं को स्वरोजगार दिया गया, उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस संबंध में वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत निर्धारित नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार की सिफारिश अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा स्वरोजगार के लिए जिन युवाओं की सिफारिश की गई है, की राज्य-वार संख्या कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) को वर्ष 2008-09 से बंद कर दिया गया है और गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना कर स्व-रोजगार और वेतन रोजगार के सृजन के लिए वर्ष 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक नई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विगत तीन वर्षों के दौरान पी.एम.ई.जी.पी. के तहत राज्य-वार अनुमानित सृजित रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

पी.एम.ई.जी.पी. के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर प्रदेश, पर्वतीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रु. ओर सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. है। 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति आय को ध्यान में रखें बिना सहायता पाने का पात्र है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रु. से अधिक और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रु. से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लाभार्थियों के लिए कम से कम आठवीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ऐसी इकाइयों जो पहले से भारत सरकार अथवा राज्य राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं, पात्र नहीं हैं। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश वेबसाइट www.kvic.org.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) पी.एम.ई.जी.पी. का कार्यान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.), राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) और जिला उद्योग केन्द्र (डी.आई.सी.) के माध्यम से किया जाता है। के.वी.आई.सी. राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष एजेंसी है। सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के लिए वैयक्तिक परियोजना प्रस्तावों की जांच जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय कार्य बल समिति (डी.टी.एफ.सी.) द्वारा की जाती है और संस्वीकृति के लिए उनकी सिफारिश बैंकों को की जाती है। राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई विशिष्ट सिफारिश आवश्यक नहीं है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान पी.एम.ई.जी.पी. के तहत सृजित राज्य-वार रोजगार

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	15360	15360	17452
2.	हिमाचल प्रदेश	4781	4248	4508
3.	पंजाब-	8234	4622	5109
4.	चंडीगढ़	302	144	239
5.	उत्तराखंड	8769	6942	8367
6.	हरियाणा	10508	7418	7416
7.	दिल्ली	1490	906	1288
8.	राजस्थान	24085	14955	19127
9.	उत्तर प्रदेश	45019	59901	45678

1	2	3	4	5
10.	बिहार	8316	35193	19106
11.	सिक्किम	321	253	256
12.	अरुणाचल प्रदेश	2320	1516	2660
13.	नागालैंड	1396	6545	5601
14.	मणिपुर	1691	3142	3541
15.	मिजोरम	3658	3404	4128
16.	त्रिपुरा	2583	16079	12172
17.	मेघालय	1609	3273	1936
18.	असम	38473	44205	26161
19.	पश्चिम बंगाल	56790	61092	52624
20.	झारखंड	15363	7116	11485
21.	ओडिशा	25842	20905	37390
22.	छत्तीसगढ़	18213	10345	13734
23.	मध्य प्रदेश	17467	16256	26605
24.	गुजरात**	16483	18662	11095
25.	महाराष्ट्र**	36592	24661	18112
26.	आन्ध्र प्रदेश	53808	37336	17982
27.	कर्नाटक	14000	14971	7797
28.	गोवा	2456	2467	300
29.	लक्षद्वीप	84	25	0
30.	केरल	11375	9195	12396
31.	तमिलनाडु	31895	43473	32723
32.	पुदुचेरी	757	361	294
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	573	552	939
	कुल	480613	495523	428221

*दमन और दीव सहित

**दादर और नगर हवेली सहित

छात्रों से शिक्षण-शुल्क और अन्य शुल्क लिया जाना

489. **श्री नवीन जिन्दल**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों से वसूला जा रहा शिक्षा-शुल्क और अन्य शुल्क पर अत्यधिक सब्सिडी दी जा रही है और वस्तुत: यह देश में चल रहे अधिकांश विद्यालयों की शुल्क की अपेक्षा काफी कम है तथा यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सब्सिडी का बड़ा भाग उन छात्रों को प्रदान किया जा रहा है जो वास्तविक शुल्क देने में समर्थ हो सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे छात्रों से वसूले जाने वाले शुल्क को युक्तियुक्त बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और इस शुल्क को कब तक युक्तियुक्त बनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचित किया है कि इस विषय पर गठित विभिन्न समितियों ने शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए सिफारिश की है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित 12वीं योजना में भी शुल्क को औचित्यपूर्ण एवं संधारणीय स्तर पर बढ़ाए जाने की परिकल्पना की गई है। व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) ने भी अन्य बातें के साथ सिफारिश की है कि उच्चतर संस्थाओं में अर्थपूर्ण स्तरों तक शुल्क में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि इन संस्थाओं में शिक्षा की लागत के साथ सह-संबंध हो सके। इसने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के अलावा, गरीब छात्रों को फ्रीशिप प्रदान करने हेतु शुल्कों में वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि के एक भाग का उपयोग करने की सिफारिश भी की है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सी.यू.) को सलाह दी गई है कि वे शुल्क एवं दूसरे प्रयोक्ता प्रभारों मे संशोधन करें ताकि इन्हें बिजली तथा जल प्रभारों, उपभोक्ता वस्तुओं की लागत, वेतन, छात्रवृत्तियों आदि में वृद्धि को देखते हुए उन्हें औचित्यपूर्ण बनाया जा सके। विश्वविद्यालयों को भी सलाह दी गई है कि वे यह ध्यान रखें कि जो छात्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उन्हें पर्याप्त छात्रवृत्ति दी जाए जिससे वे संशोधित शुल्क/प्रभारों का प्रभाव सह लें और इसकी वजह से किसी कठिनाई का सामना न करें। इस पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में भी पुन: बल दिया गया था। केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के उनके अधिनियमों की मार्फत स्थापित स्वायत्तशासी निकाय हैं और उनके संबंधित अधिनियमों, संविधियों एवं अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। छात्रों से लिए जाने वाले शिक्षण और अन्य शुल्कों सहित सभी शैक्षिक मामलों पर निर्णय प्रश्नाधीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

स्वरोजगार के लिए के.वी.आई.सी. की स्कीमें

490. **श्री शिवकुमार उदासी**: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने देश में विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े लोगों और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्कीमें शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्कीमों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन स्कीमों के तहत लाभान्वित हुए परिवारों की कर्नाटक सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या के.वी.आई.सी. का देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए कोई नई व्यापक स्कीम बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने देश में शारीरिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े लोगों और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को विशिष्ट रूप से स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना आरंभ नहीं की है। हालांकि के.वी.आई.सी. गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार सृजित करने के लिए वर्ष 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। पी.एम.ई.जी.पी. के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व

सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर प्रदेश, पर्वतीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रु. ओर सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. है। पी.एम.ई.जी.पी. के तहत सहायता हेतु आय की कोई उच्चतम सीमा नहीं हैं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को भी योजना में शामिल किया गया है बशर्ते वे पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रु. तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. है। विगत तीन वर्षों के दौरान पी.एम.ई.जी.पी. के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान पी.एम.ई.जी.पी. के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	1920	1920	2036
2.	हिमाचल प्रदेश	961	809	916
3.	पंजाब-	823	899	770
4.	चंडीगढ़	30	38	55
5.	उत्तराखंड	974	894	1426
6.	हरियाणा	915	786	927
7.	दिल्ली	149	195	161
8.	राजस्थान	2481	2075	2572
9.	उत्तर प्रदेश	4462	5569	4533
10.	बिहार	1428	4887	3150
11.	सिक्किम	78	64	49
12.	अरुणाचल प्रदेश	232	375	266
13.	नागालैंड	242	556	436
14.	मणिपुर	204	564	660
15.	मिजोरम	380	418	516
16.	त्रिपुरा	733	1812	1571
17.	मेघालय	305	712	484
18.	असम	4756	5280	7337
19.	पश्चिम बंगाल	5679	5806	6578

1	2	3	4	5
20.	झारखंड	1707	2372	2297
21.	ओडिशा	2581	2259	3739
22.	छत्तीसगढ़	1576	1510	1783
23.	मध्य प्रदेश	1180	1943	3201
24.	गुजरात**	1354	1863	1066
25.	महाराष्ट्र**	4848	2705	2948
26.	आन्ध्र प्रदेश	2743	1672	1968
27.	कर्नाटक	1871	1852	1201
28.	गोवा	133	155	46
29.	लक्षद्वीप	32	12	0
30.	केरल	1641	1629	1872
31.	तमिलनाडु	2247	3228	2244
32.	पुदुचेरी	216	72	54
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	183	204	216
	कुल	49064	55135	57078

*दमन और दीव सहित

**दादर और नगर हवेली सहित

[हिन्दी]

भारतीय स्नातकों से संबंधित ए.एम.सी.ए.टी. रिपोर्ट

491. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस्पायरिंग माइन्ड्स कम्प्यूटर एडॉप्टिव टेस्ट (ए.एम.सी.-ए.टी.) की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 47 प्रतिशत भारतीय स्नातक, जिन्होंने तीन वर्षों की पढ़ाई के पश्चात डिग्री ली है, रोजगार योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) एस्पायरिंग माइन्ड्स एक निजी संगठन द्वारा चलाई जाने वाली वेबसाइट है। कथित रूप से, इसने अपनी वेबसाइट में कुछ परीक्षाएं और कुछ परिणाम प्रकाशित किए हैं। ये परिणाम न तो सरकार द्वारा मान्य हैं और न ही अनुमोदित। सरकार ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था से संबंधित विस्तृत सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) की स्थापना की है।

(ग) विश्वविद्यालय और नियामक निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में स्नातकों की नियोजनीयता को निरंतर बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा-जगत उद्योग अंतर्किया पर विशेष बल दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि नियोक्ताओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति शैक्षिक संस्थाएं संवेदनशील हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एन.वी.ई.क्यू.एफ. विनियम, 2012 के तहत व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक

कॉलेज पाठ्यक्रमों और कौशल ज्ञान प्रदाता को संचालित करने के लिए अपने अनुदान अनुमोदन को भी अधिसूचित किया है। उपर्युक्त कौशल कार्यढांचा कुशल जनशक्ति और युवा बेरोजगारी की समस्याओं का भी समस्याओं का भी समाधान करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक डिग्री को भी अधिसूचित किया है। कार्यढांचा प्रत्येक स्तर के बाद बहुमखी मार्गों और उनको बीच में ही छोड़ने के विकल्प प्रदान करता है जिसमें विद्यार्थी किसी भी प्रमाणपत्र स्तर पर उसे ले सकता है और छोड़ सकता है और सेक्टर के तहत कतिपय रोजगार अपना सकता है और अपनी इच्छानुसार पुन: शिक्षा ग्रहण कर सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत यह प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा स्तरों पर रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो कला/विज्ञान/कॉमर्स आदि में स्नातक जैसे परंपरागत डिग्री पाठ्यक्रमों के साथ सहवर्ती पाठ्यक्रम चलाते हैं।

[अनुवाद]

लोकायुक्त की नियुक्ति

492. **श्री अशोक तंवर**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उच्च शिक्षा-संस्थानों में लोकायुक्त (ओम्बडसमैन) की नियुक्ति अनिवार्य करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे लोकायुक्त निजी संस्थानों और मानद विश्वविद्यालयों द्वारा भी नियुक्त किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसे संस्थानों में लोकायुक्त के कार्यकरण में हितों का कोई टकराव न हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायतों के निवारण) विनियम, 2012 जारी किए हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय और प्रत्येक समविश्वविद्यालय, विद्यार्थियों की समस्याओं के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) इन विनियमों में यह निर्धारण किया गया है कि लोकायुक्त, उसकी नियुक्ति के समय, ऐसी नियुक्ति से पूर्व एक वर्ष के दौरान या लोकायुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य नहीं करेगा, जहां उसके व्यक्तिगत संबंध, व्यावसायिक संबद्धता या वित्तीय हित, विश्वविद्यालय के प्रति न्याय निर्णय की स्वतंत्रता में समझौता करते हुए अथवा युक्तिसंगत ढंग से समझौता करते हुए प्रतीत हो।

इसके अतिरिक्त, इन विनियमों में यह भी निर्धारण किया गया है कि लोकायुक्त, अथवा उसके निकट परिवार के किसी सदस्य ने विश्वविद्यालय में किसी लाभ के पद पर भूतकाल मे कार्य न किया हो अथवा कार्य न कर रहा हो अथवा उसमें नियुक्ति प्राप्त न की हो, विश्वविद्यालय के साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक या वित्तीय सहित कोई महत्वपूर्ण संबंध न रहे हों तथा विश्वविद्यालय की प्रशासनिक या अभिशासन संरचना में विश्वविद्यालय में कोई पद, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता है, धारण नही करेगा।

[हिन्दी]

नेपाल में हिन्दुओं के साथ दुर्व्यवहार

493. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान नेपाल और अन्य देशों में भारतीय मूल के लोगों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई पहल की है और संबंधित देशों की सरकारों के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) नेपाल में भारतीय मूल के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार की घटनाओं का कोई रिकार्ड नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

द्विपक्षीय सहायता

494. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों को भारत द्वारा वायदाशुदा और दी गई सहायता का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान अन्य देशों से भी भारत को कोई सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) इस प्रश्न के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान

495. **श्री कुलदीप बिश्नाई:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) विकास संस्थान की देश भर में विभिन्न कारोबारों के लिए साझा-सुविधा केन्द्रों की स्थापना की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चिन्हित स्थानों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार/संघ राज्यवार, विशेषकर, हरियाणा में ऐसे केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुणवत्ता-परीक्षण और मानव संसाधन-प्रशिक्षण की समस्या के समाधान के लिए उक्त केन्द्रों को कब तक कार्यरत किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई-सी.डी.पी.) कार्यान्वित किया जाता है जिसके तहत सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) यह मांग आधारित योजना है और राज्य सरकार के माध्यम से स्थानीय कलस्टर के द्वारा मांग किए जाने पर इसके लिए स्थानों की पहचान की जाती है। अनुमोदित किए गए स्थानों (प्रस्तावित स्थान सहित) का ब्यौरा और उनकी कार्यात्मकता की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पूर्ण हो चुके सामान्य सुविधा केंद्रों (सी.एफ.सी.) का ब्यौरा और अवस्थिति

क्र.सं.	राज्य	कलस्टर का नाम	अनुमोदन का वर्ष	अंतिम अनुमोदन का तारीख	पूरा होने की तारीख/वर्ष	कार्यान्वयन एजेंसी	सृजित सुविधाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	इमिटेशन ज्वैलरी इंडस्ट्री कलस्टर, मछलीपटनम, कृष्णा	2006-07	11.06.07	नवम्बर-11	आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम (ए.पी.-एस.एफ.सी.), हैदराबाद	(i) सामान्य उत्प्रवाही शोधन संयंत्र (ii) डि-मिनरलाइज्ड वाटर प्लांट (iii) कॉमन लैक्यूअर प्लांट
2.	बिहार	ब्रास एंड ब्रोन्ज मेटल यूटेन्सिल्स कलस्टर, परेब	2003-04	-	18.7.08	बिहार सरकार	(i) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं (ii) परीक्षण केंद्र
3.	गुजरात	फाउन्ड्री इंडस्ट्री कलस्टर, अहमदाबाद	2005-06	30.03.07	7.6.07	उद्यमिता विकास केंद्र अहमदाबाद, गुजरात सरकार	(i) सामान्य डिजाइन सुविधा (ii) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं (iii) सामान्य प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण केंद्र (iv) सामान्य परीक्षण प्रयोगशाला
4.	जम्मू और कश्मीर	क्रिकेट बैट विनिर्माण उद्योग कलस्टर, अनंतनाग	2004-05	31.03.05	1.11.12	जम्मू और कश्मीर सरकार/पी.पी.डी.सी. मेरठ	(i) सिजनिंग चैम्बरों की संस्थापना (ii) लघु उद्योग बॉयलरों की संस्थापना

1	2	3	4	5	6	7	8
							(iii) डी.जी. सेट्स (iv) परीक्षण एवं प्रयोगशाला उपकरण (v) प्रशिक्षण सह-क्लास रूम उपकरण (vi) भवन का निर्माण
5.	कर्नाटक	रेडिमेड गारमेंट्स कलस्टर, हुबली	2009-10	17.02.10	सितम्बर, 2011	कर्नाटक प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद (के.सी.टी.यू.), बंगलौर	(i) अच्छी विनिर्माण और पैकेजिंग तकनीकों को अपनाने के लिए बेहतर संसाधनों के उपयोग हेतु उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकीयों वाले सामान्य सुविधा केंद्र (ii) फैबरिक, डाई और अंतिम रूप से निर्मित उत्पादों के परीक्षण और गुणवत्ता मानकों के विश्लेषण के लिए सामान्य परीक्षण केंद्र
6.	कर्नाटक	फूड प्रोसेसिंग कलस्टर, गुलबर्गा	2007-08	05.03.08	मई-2011	कर्नाटक प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद (के.सी.टी.यू.), बंगलौर	(i) फल प्रसंस्करण खंड (ii) इंस्टेंट मिक्स/रेडिमिक्स (iii) स्नैक फूड खंड (iv) बेकरी उत्पाद खंड (v) सामान्य सुविधाएं (vi) प्रयोगशाला उपकरण, ग्लास वेयर और रसायन
7.	केरल	रबर कलस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोट्टायम	2002-03	23.03.04	2008	केरल औद्योगिक संवर्द्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरुवनंतपुरम	रबर मिक्सिंग प्लांट
8.	केरल	टाइल्स इंडस्ट्री कलस्टर, तृश्शूर	2006-07	02.01.07	11.1.10	केरल औद्योगिक संवर्द्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरुवनंतपुरम	क्ले प्रसंस्करण एवं परीक्षण सुविधा
9.	केरल	वुड फर्नीचर कलस्टर, एर्नाकुलम	2007-08	02.01.08	सितम्बर, 2011	केरल औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरुवनंतपुरम	लकड़ी की सीजनिंग, डिजाइनिंग, मानकीकरण, परीक्षण और पर्यावरण अनुकूल फिनिशिंग। सी.एफ.सी. का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार तथा विनिर्माण में

1	2	3	4	5	6	7	8
							कुशलता लाना, अधिक मूल्य संवर्द्धन उत्पादों का सृजन करना दुर्लभ कच्ची सामग्री का अधिकतम उपयोग करना तथा आयात के विकल्प के रूप में इसका उपयोग करना तथा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के विनिर्माण का संवर्द्धन करना।
10.	केरल	प्लास्टिक उद्योग कलस्टर, पेरम्बवूर, एर्नाकुलम	2005-06	22.12.06	27.2.09	केरल औद्योगिक संवर्द्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरुवनंतपुरम	मोल्ड/डाई विनिर्माण, मशीनरी की मरम्मत आदि सुविधाओं के लिए टूल रूम।
11.	केरल	प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर, पेरम्बवूर	2005-06	07.12.06	11.1.10	केरल औद्योगिक संवर्द्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरुवनंतपुरम	यूरिया की फॉर्मलडिहाइड्र रेसिन और उच्च घनत्व वाले दबावयुक्त प्लाईवुड का विनिर्माण।
12.	केरल	वुड वर्किंग कलस्टर, मालापुरम	2007-08	04.01.08	फरवरी, 2012	केरल औद्योगिक संवर्द्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरुवनंतपुरम	लकड़ी का कुशल और मूल्य संवर्द्धन प्रसंस्करण, कलस्टर के सदस्यों के लिए कुशल यांत्रिक लकड़ी के प्रसंस्करण की सुविधा की उपलब्धता सी.एफ.सी. के स्व-अस्तित्व के लिए कार्यकलाप।
13.	केरल	राईस मिल कलस्टर, कलस्टर, कलाडी, एर्नाकुलम	2005-06	07.02.07 और 11.08.10	दिसम्बर, 2011	केरल औद्योगिक संवर्द्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरुवनंतपुरम	राइस ब्रान ऑयल निकालने के लिए अनुकूलन हेतु राइस ब्रान ऑयल का शोधन
14.	महाराष्ट्र	टेक्सटाइल्स कलस्टर, विटा, जिला सांगली	2010-11	03.08.10	पूरे होने की रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई	(i) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं (ii) परीक्षण प्रयोगशाला
15.	महाराष्ट्र	रेसिन मेकिंग कलस्टर, सांगली	2010-11	16.08.10	सितम्बर, 2012	महाराष्ट्र उद्यमिता विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई	(i) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं (ii) सामान्य परीक्षण प्रयोगशाला (iii) सामान्य पैकेजिंग केंद्र

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	ओडिशा	राईस मिल कलस्टर, बारागढ़, संबलपुर	2006-07	29.03.07	पूरे होने की रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।	ओ.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड, ओडिशा सरकार	(i) घुलनशील पदार्थ निष्कासन संयंत्र (ii) परीक्षण प्रयोगशाला
17.	तमिलनाडु	स्टार्च एंड सागो कलस्टर, सेलम और नमक्काल	2006-07	04.10.07	मई-2011	सागो एवं सर्व, सेलम	परीक्षण प्रयोगशाला
18.	तमिलनाडु	माचिस उद्योग कलस्टर, श्रीविल्लीपुथुर	2007-08	12.08.08	2010-11	टी.ए.एन.एस.आई.-डी.सी.ओ., चेन्नई	सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं
19.	तमिलनाडु	माचिस उद्योग कलस्टर, गुडियाथम	2007-08	12.08.08	27.11.09	टी.ए.एन.एस.आई.-डी.सी.ओ., चेन्नई	सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं
20.	तमिलनाडु	माचिस उद्योग कलस्टर, कलुगुमलाई	2007-08	12.08.08	2010-11	टी.ए.एन.एस.आई.-डी.सी.ओ., चेन्नई	सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं
21.	तमिलनाडु	माचिस उद्योग कलस्टर, कोविलपट्टी	2007-08	12.08.08	2010-11	टी.ए.एन.एस.आई.-डी.सी.ओ., चेन्नई	सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं
22.	तमिलनाडु	माचिस उद्योग कलस्टर, सत्तुर	2007-08	12.08.08	2010-11	टी.ए.एन.एस.आई.-डी.सी.ओ., चेन्नई	सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं
23.	तमिलनाडु	माचिस उद्योग कलस्टर, विरधुनगर	2007-08	12.08.08	10.1.10	टी.ए.एन.एस.आई.-डी.सी.ओ., चेन्नई	सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं
24.	उत्तर प्रदेश	पॉटरी कलस्टर, खुर्जा	2009-10	17.02.10	पूरे होने की रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।	एस.पी.वी. (कुटीर एवं हस्तशिल्प पॉट्री विनिर्माण, खुर्जा)	क्ले प्रसंस्करण सुविधा टनल के.आई.एल.एन. सुविधा, प्रशिक्षण सुविधा एवं जांच सुविधा
25.	पश्चिम बंगाल	सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री कलस्टर, बरुईपुर, 24-परगना	2003-04	23.03.06	जुलाई-2011	एम.एस.एम.ई.-परीक्षण केंद्र कोलकाता	ढलाई, पॉलिसिंग, लेजर मार्किंग, परीक्षण सुविधाएं और प्रशिक्षण सुविधाएं

प्रस्तावित सामान्य सुविधा केंद्र (सी.एफ.सी.) का ब्यौरा और अवस्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्रस्ताव का नाम	अनुमोदन का वर्ष	अंतिम अनुमोदन की तारीख/ संचालन समिति में अनुमोदन की तारीख	पूरा होने की नियत अवधि	कार्यान्वयन एजेंसी	सृजित सुविधाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	ब्रास एंड बैल मैटल इंडस्ट्री कलस्टर, हाजो, कामरूप	2007-08	24.03.8	अंतिम तारीख 16.9.10 थी। राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर अवधि को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।	उद्योग निदेशक, असम सरकार	मेल्टिंग, मोल्डिंग, कास्टिंग, स्क्रेपिंग, थ्रेडिंग एंड शोल्डरिंग, हॉट रोलिंग मिल, सर्कल कटिंग एंड शीयरिंग मशीन, मैकेनिकल पॉवर प्रेस, पॉलिशिंग, लेक्यूरिंग, कैमिकल एंड मेटाल्लरजिकल लेबोरेटरी आदि की सुविधाएं
2.	गोवा	काजू कलस्टर, गोवा	2009-10	16.08.11	पूरा किया। राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	गोवा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, गोवा	सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं प्रशिक्षण केंद्र सामान्य पैकेजिंग सुविधाएं
3.	गुजरात	जैम एंड ज्वैलरी कलस्टर, अहमदाबाद	2010-11	12.08.10	कार्यान्वयनधीन अवधि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा	उद्यमिता विकास केंद्र, अहमदाबाद, गुजरात	डिजाइन केंद्र, अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण केंद्र
4.	हरियाणा	होम फर्निशिंग, पानीपत करनाल	2013-14	14.6.2013 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	अंतिम अनुमोदन के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष	निवेश संवर्धन केंद्र, चंडीगढ़	(i) हाईटेक कैड डिजाइन केंद्र (ii) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	हरियाणा	फार्मास्युटिकल कलस्टर, करनाल	2013-14	14.6.2013 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	अंतिम अनुमोदन के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष	निवेश संवर्धन केंद्र, चंडीगढ़	परीक्षण प्रयोगशालाएं सुविधाएं
6.	हरियाणा	स्टेनलस स्टील कलस्टर, कुडली, सोनीपत	2013-14	14.6.2013 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	अंतिम अनुमोदन के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष	निवेश संवर्धन केंद्र, चंडीगढ़	(i) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं (ii) टूल रूम (iii) सामग्री भंडारण
7.	हरियाणा	फुटवियर कलस्टर, बहादुरगढ़	2011-12	03.12.12	02.12.14	निवेश संवर्धन केंद्र, चंडीगढ़	(i) डिजाइन केंद्र (ii) परीक्षण प्रयोगशाला (iii) मूल्य संवर्धित सुविधाएं (iv) कौशल विकास केंद्र
8.	हरियाणा	प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग कलस्टर, करनाल	2012-13	09.01.13	08.01.15	निवेश संवर्धन केंद्र, चंडीगढ़	(i) डिजाइन स्टूडियो (ii) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं
9.	कर्नाटक	आटो (सर्विसिंग) कलस्टर, बीदर	2012-13	28.12.12	27.12.14	प्रौद्योगिकी उन्नयन, परिषद कर्नाटक (के.सी.टी.यू.) बंगलौर	(i) डिसमेंटलिंग टेस्टिंग एंड कैलिबरेशन सेक्शन (ii) फिटिंग सेंटर (iii) गियर बाक्स सेक्शन (iv) मेजर रिपेयर एंड इंजन सेक्शन (v) वर्कशाप सेक्शन (vi) फाइनल फिटिंग एंड टेस्टिंग सेक्शन (vii) इमरजेंसी सेक्शन (viii) ट्रेनिंग डिजाइन एंड रिसर्च सेक्शन
10.	कर्नाटक	आटोमोबाइल कम्पोनेंटस, गोकुल इंडस्ट्रीयल एस्टेट, हुबली	2007-08	05.03.08	06.03.09	प्रौद्योगिकी उन्नयन, परिषद कर्नाटक (के.सी.टी.यू.) बंगलौर	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सामान्य सुविधा केंद्र नामक केंद्र जिनमें दो मुख्य गतिविधियां सामान्य सेवा सुविधा उपलब्ध कराना तथा दूसरा आर. एंड डी. और प्रोटोटाइप विकास की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त इन सुविधाओं का उपयोग आपरेटर स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए भी

							किया जाएगा तथा स्नातक और डिप्लोमास्तर के छात्रों के लिए कैड/कैम कोसों के लिए भी किया जाएगा। इस केंद्र में सी.एन.सी. मशीनरी और प्रिशियन मशीनरी के लिए उपयुक्त उपकरणों, जिग्स और फिक्चर्स के विनिर्माण, मोल्डस और डाई के डिजाइन और विनिर्माण के लिए आधुनिकतम सुविधाएं होंगी। इसका अलग से एक आर. एंड डी. केंद्र भी होगा।
11.	केरल	फर्नीचर कलस्टर, कोझीकोड	2013-14	14.06.2013 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	अंतिम अनुमोदन के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष	केरल औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरूअनंतपुरम	प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधा, मूल्य संवर्धित घटकों के विकास की सुविधा, फिंगर ज्वाइंट बोर्ड फैसिलिटी, टूल रूम फैसिलिटी, टेस्ट एंड ट्रनिंग फैसिलिटी।
12.	केरल	एग्रीकल्चर कलस्टर, शोरनूर	2013-14	14.06.2013 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	अंतिम अनुमोदन के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष	केरल औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरूअनंतपुरम	हीट ट्रीटमेंट प्लांट, शियरिंग मशीन, डाई फोरजिंग हैमर, न्यूमैटिक पॉवर हैमर, ट्रीमिंग प्रेस, साइज रोलिंग मशीन, आइल फरनेस, प्लाजमा कटिंग मशीन, रबड़ मोल्डिंग मशीन, प्लास्टिक इंजेक्शन मशीन और पॉवर कोटिंग मशीन।
13.	केरल	वुड कलस्टर, तालीपारम्बा, कन्नूर	2011-12	28.08.12	28.08.14	केरल औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरूअनंतपुरम	आधुनिक विनिर्माण सुविधाएं संवेदनशील प्रोद्योगिकी द्वारा लकड़ी का संरक्षण और सिजनिंग, कच्चे सामान के अधिकतम उपयोग के लिए लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़ने वाली फिंगर ज्वाइनिंग सुविधा, प्रशिक्षण, कच्चे सामान की उपलब्धता, अन्य सहायक सुविधाएं उपलब्ध कराना।
14.	केरल	वुड प्रोसेसिंग कलस्टर, कोल्लम	2010-11	20.1.12	20.01.14	केरल औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरूअनंतपुरम	विनिर्माण सुविधाएं: सी.एफ.सी. वुड प्लानिंग, मोल्डिंग पैनल श, प्रिजरविं, कीन सिजनिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग आदि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
							प्रशिक्षण: यह सी.एफ.सी. कलस्टर इकाइयों और अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। डिजाइनिंग केंद्र: सी.एफ.सी. में डिजाइनिंग केंद्र कच्चे सामग्री की न्यूनतम बरबादी से लकड़ी के आधुनिक उत्पादों के विनिर्माण में सहायता होगी।
15.	केरल	आफसेट प्रिंटर्स कलस्टर, कन्नूर	2012-13	31.05.2013	30.05.2015	केरल औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरूअनंतपुरम	प्रस्तावित सी.एफ.सी. में डिजाइनिंग उपकरण कम्प्यूटर से लेकर प्लेट उपकरण, प्लेट एक्सपोजिंग उपकरण, मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंटिंग, वेब आफसेट मशीन आदि होगी।
16.	केरल	एथनीक फूड प्रोसेसिंग वुमन कलस्टर, पाला, कोट्टायम	2009-10	02.07.10	31.10.13	केरल औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरूअनंतपुरम	कच्चे सामान के भंडाकरण सुविधा, शीत भंडार गृह सुविधा और पैकेजिंग सुविधा।
17.	केरल	जनरल इंजीनियरिंग कलस्टर, मालापुरम, मंजेरी	2010-11	29.10.10	31.12.13	केरल औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (के.बी.आई.पी.), तिरूअनंतपुरम	कच्चे सामान और अंतिम उत्पादों के लिए परीक्षण सुविधाएं, उन्नत मशीनरी, बेहतर रोजगार के लिए कौशल के विकास और उन्नयन के लिए प्रशिक्षण, निर्माण और भवन उद्योग के लिए उत्पादों पर अनुसंधान और उनका विकास।
18.	महाराष्ट्र	आटो एंड इंजीनियरिंग कलस्टर, अहमदनगर	2013-14	14.6.2013 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	अंतिम अनुमोदन के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष	एम.आई.डी.सी., मुम्बई	(i) सामान्य परीक्षण (ii) प्रशिक्षण सुविधाएं (iii) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं
19.	महाराष्ट्र	मैंगो प्रोसेसिंग कलस्टर, रत्नागिरी	2013-14	14.6.2013 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	अंतिम अनुमोदन के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष	एम.आई.डी.सी., मुम्बई	(i) परीक्षण प्रयोगशाला (ii) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं

20.	महाराष्ट्र	पॉवरलूम कलस्टर, शिरपुर, धुले	2011-12	07.03.12	पहली किस्त जारी होने से 1 वर्ष के लिए	एम.आई.डी.सी., महाराष्ट्र सरकार	(i) सामान्य प्रसंस्करण (प्रसंस्करण पूर्व और पश्चात) (ii) मशीन शॉप सेवाएं;
21.	महाराष्ट्र	फलाई ऐश कलस्टर, चंद्रपुर	2010-11	25.02.11	24.02.13	एम.आई.डी.सी., महाराष्ट्र सरकार	(i) सामान्य प्रसंस्करण गृह (ii) परीक्षण प्रयोगशाला (iii) प्रशिक्षण केंद्र (iv) सामान्य विपणन केंद्र
22.	महाराष्ट्र	जनरल, इंजीनियरिंग कलस्टर, भोसरी, पूना	2012-13	22.04.13	21.04.15	एम.आई.डी.सी., महाराष्ट्र सरकार	(i) सामान्य प्रसंस्करण गृह (ii) औद्योगिक अवशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र (iii) मैट्रोलरजी, मैटालरजी, परीक्षण और विश्लेषण प्रयोगशाला (iv) प्रशिक्षण (एच.आर.) केंद्र
23.	महाराष्ट्र	दाल मिल कलस्टर, नागपुर	2011-12	12.11.12	11.11.14	एम.आई.डी.सी., महाराष्ट्र सरकार	(i) कच्चे सामग्री का भंडारण (ii) परीक्षण प्रयोगशाला (iii) सामान्य प्रसंस्करण केंद्र
24.	महाराष्ट्र	टेक्सटाइल कलस्टर, मालेगांव, नासिक	2011-12	28.08.12	27.08.14	एम.आई.डी.सी., महाराष्ट्र सरकार	(i) सामान्य प्रसंस्करण हाउस (ii) परीक्षण प्रयोगशाला
25.	महाराष्ट्र	गारमेंट कलस्टर, नागपुर	2011-12	14.03.12	13.03.14	एम.आई.डी.सी., महाराष्ट्र सरकार	(i) कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं (ii) कम्प्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड एम्ब्राइडरी सुविधा (iii) सामान्य प्रसंस्करण केंद्र
26.	महाराष्ट्र	गारमेंट कलस्टर, इचालकरंजी, कोल्हापुर	2011-12	24.09.12	23.09.14	एम.आई.डी.सी., महाराष्ट्र सरकार	(i) प्रयोगशाला परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं (ii) डिजाइन केंद्र (iii) मूल्य संवर्धन सुविधा (iv) सामान्य प्रसंस्करण (v) विपणन, प्रदर्शन, प्रदर्शनी और विक्रय (vi) सामान्य कच्चा माल तैयार करना

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	ओडिशा	काजू कलस्टर, गंजम, ओडिशा	2012-13	03.05.13	03.05.15	ओडिशा लघु उद्योग निगम लिमिटेड (ओ.एस.आई.सी.), कटक	(i) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं (ii) भंडार/वेयरहाउस यूनिट (iii) सामान्य मूल्यवर्धन उत्पाद विकास केंद्र (iv) सामान्य काजू के छिलके से तेल निकालने का केंद्र (v) सामान्य काजू पैकेजिंग केंद्र
28.	पंजाब	मोहाली, हाइटेक मैटल कलस्टर, मोहाली, पंजाब	2011-12	03.07.13	03.07.15	मुख्य समन्वयक, उद्योग सहायक, चंडीगढ़	(i) आर. एंड डी. सुविधा (ii) प्रशिक्षण (iii) लघु टूल रूम
29.	तमिलनाडु	राइस मिल कलस्टर, तंजावुर	2013-14	14.6.2013 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	अंतिम अनुमोदन के जारी होने की	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) सामान्य प्रसंस्करण केंद्र (ii) परीक्षण सुविधा (iii) प्रशिक्षण सुविधा
30.	तमिलनाडु	प्लास्टिक कलस्टर, चेन्नई, कांचीपुरम	2013-14	14.6.2013 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	अंतिम अनुमोदन के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) सामान्य प्रसंस्करण केंद्र (ii) परीक्षण सुविधाएं (iii) प्रशिक्षण केंद्र
31.	तमिलनाडु	स्टील प्रोडक्ट फैबरीकेशन कलस्टर, सेलम	2012-13	03.05.13	03.05.15	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) सामान्य प्रसंस्करण केंद्र (ii) टूल रूम (iii) परीक्षण प्रयोगशाला
32.	तमिलनाडु	स्टार्च एंड एग्रो कलस्टर (फेज-II), सेलम और नमक्कल	2012-13	15.05.13	15.05.15	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) प्रयोगशाला उपकरण (ii) सामान्य पैकेजिंग सुविधाएं (iii) बैंगों को चढ़ाने/उतारने के लिए कन्वेयर
33.	तमिलनाडु	सेरामिक कलस्टर, वृद्धाचलम	2008-09	09.06.10	पहली किस्त जारी होने से 1 वर्ष के लिए	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) टनल कीन (ii) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं

34.	तमिलनाडु	ब्रिक्स कलस्टर, तिरुनवेली	2009-10	19.04.10	पहली किस्त जारी होने से 1 वर्ष के लिए	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) सामान्य प्रसंस्करण केंद्र (ii) वर्टिकल शाफ्ट ब्रीक कीन (iii) प्रशिक्षण केंद्र
35.	तमिलनाडु	इंजीनियरिंग कलस्टर, होसुर	2010-11	13.04.11	पहली किस्त जारी होने से 1 वर्ष के लिए	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) सामान्य धातु प्रसंस्करण सुविधाएं (ii) परीक्षण सह कैलीबरेशन केंद्र (iii) कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण केंद्र
36.	तमिलनाडु	इंजीनियरिंग कलस्टर, रानीपेट, वैल्लूर	2010-11	04.03.11	पहली किस्त जारी होने से 1 वर्ष के लिए	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) प्रशिक्षण सुविधा (ii) परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सुविधा (iii) अनुसंधान और विकास सुविधा (iv) उच्च स्तर के कार्यों के लिए फर्म स्तर पर प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा
37.	तमिलनाडु	प्रिंटिंग कलस्टर, शिवाकासी, विरुद्धनगर	2010-11	03.02.11	पहली किस्त जारी होने से 1 वर्ष के लिए	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं
38.	तमिलनाडु	राइस मिल कलस्टर, किलापवूर	2010-11	04.04.11	पहली किस्त जारी होने से 1 वर्ष के लिए	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) सामान्य प्रसंस्करण (घुलनशील पदार्थ निष्कासन संयंत्र) केंद्र (ii) परीक्षण केंद्र
39.	तमिलनाडु	सिंगाई कॅयर कलस्टर, सिंगामपुनारी	2008-09	13.09.10	पहली किस्त जारी होने से 1 वर्ष के लिए	कॅयर बोर्ड, कोचीन	(i) पी.वी.सी. टफ्ड मैट यूनिट (ii) परीक्षण डिजाइनिंग और विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र
40.	तमिलनाडु	वेट ग्राइंडर इंडस्ट्री कलस्टर, कोयम्बटूर	2004-05	28.02.05 को आयोजित संचालन समिति की 9वीं बैठक में अनुमोदित		टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं (ii) डिजाइन और विकास सुविधा (iii) प्लास्टिक परीक्षण उपकरण
41.	तमिलनाडु	प्रिंटिंग कलस्टर, कृष्णगिरी	2011-12	28.08.12	28.08.14	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) प्री-प्रेस गतिविधियां जैसे डिजाइन और कम्प्यूटर से प्लेट बनाने की सुविधा। (ii) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं
42.	तमिलनाडु	राइस मिल कलस्टर, अलनगुलम, तिरुनवेली	2012-13	21.01.13	21.01.15	टी.ए.एन.एस.आई.डी.-सी.ओ., चेन्नई	(i) सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं (ii) एस.आई.एल.ओ. भंडार (iii) प्रशिक्षण केंद्र

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	उत्तर प्रदेश	मॉडर्न कॉरपेट बेकिंग प्लांट फोर टफड कॉरपेट, भदोई	2007-08	14.6.2013 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	31.12.13	यू.पी.टी.पी.ए., कानपुर/ बी.आई.डी.ए., भदोई	6 लाख स्कवायर मीटर कॉरपेट बेकिंग के लिए बेकिंग प्लांटस (5) 9'x12', 6'x9', 8'x5', 6'x3', 2'x3' और अन्य मानक एक्सेसरीज/ परिसंपत्तियां, प्रशिक्षण सुविधाएं और परीक्षण सुविधाएं
44.	उत्तर प्रदेश	सिजर्स कलस्टर, मेरठ	2009-10	14.06.13 को आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक में अनुमोदित	30.06.14	राष्ट्रीय संस्थान उद्यमिता एवं लघु व्यापार विकास (निस्बड), नोएडा	अर्द्ध-पूर्ण (आयामी पूर्णत: के नजदीक) यंत्रों के उत्पादन के लिए आधुनिक फोजिंग प्रक्रिया एवं डाईज। फोर्जिंग प्रौद्योगिकी में कैड/कैम में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रभाग, कच्चा माल बैंक, या तो संघों अथवा कंसोटियम/ एस.पी.वी. द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विपणन सहायता प्रभाग।
45.	उत्तर प्रदेश	स्टेनलेस स्टील, ब्राश एंड जर्मन सिल्वर, यूटेंसिल्स कलस्टर, मिर्जापुर	2012-13	14.01.13	14.01.15	यू.पी.टी.पी.ए., कानपुर, उत्तर प्रदेश सरकार	सामान्य कास्टिंग इकाई, सामान्य रोलिंग इकाई, सामान्य फिनिशिंग एवं पॉलिशिंग इकाई, सामान्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला
46.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल के खागरा एवं अन्य क्षेत्रों में तथा पड़ोसी राज्यों के ब्राश एवं बेल मेटल उद्योग/कारीगर उद्यमियों के लिए उद्यमिता उन्नयन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	2007-08	31.08.08	08.09.11	यूनिडो	विपणन सहायता प्रक्रिया प्रदर्शन, कच्चे माल की आपूर्ति, परामर्श, प्रशिक्षण, परीक्षण, उत्पाद डिजाइन एवं विकास, गुणवत्ता प्रबंधन
47.	पश्चिम बंगाल	फैन मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर, कोलकाता	2010-11	07.06.11	7.06.13	पश्चिम बंगाल सरकार निर्यात संवर्द्धन समिति, पश्चिम बंगाल सरकार	(i) एअर डिलीवरी रूम (हवा सुपुर्दगी कक्ष), एनेमोमीटर एनालोग, स्टॉप वाच, एंगल प्रोटेक्टर, मल्टीमीटर एवं ओम्स मीटर डिजीटल, हाई वोल्टेज टेस्टर, मेगर, टेकोमीटर, डिजीटल एवं एनालोग वाट मीटर, ए.सी. अर्थिंग टेस्टर, टेंसिल टेस्टर,

							टोर्शन टेस्टर, मेक्निकल इंडूरेंस टेस्टर, हाई वोल्टेज टेस्टर आदि (ii) इसके अलावा पैरिफैरिअल सुदा हाई एंड कम्प्यूटर के समय प्रोटो टाईप के विकास के लिए सी.एन.सी. टर्निंग मशीन लगाई जाएगी, विभिन्न प्रकार के पंखों के कम्प्यूटर एडिड डिजाइन (कैड) के लिए यू.पी.एस. एवं जरूरी सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा, रोटर एवं उच्च शुद्धता के तांबे की वाइंडिंग के लिए आर्मेचर वाइंडिंग मशीन लगाई जाएगी।
48.	पश्चिम बंगाल	रि-रोलिंग मिल्स कलस्टर, हावड़ा	2010-11	29.07.11	31.03.14	पश्चिम बंगाल सरकार निर्यात संवर्द्धन समिति, पश्चिम बंगाल सरकार	(i) रसायन प्रयोगशाला, यांत्रिकी एवं एन.डी.टी. प्रयोगशाला तथा प्रदूषण प्रयोगशाला संबंधी परीक्षण सुविधाएं (ii) प्लानिंग मशीन, शार्पस, रेडिअल ड्रीलिंग मशीन, स्लोटिंग मशीन, प्रिसीजन सेंट्रल लेथ मशीन, होरिजेंटल, बोरिंग मशीन आदि के संबंध में मशीन शॉप सुविधा, (iii) कोरलेस फ्रनांस के लिए कच्चे माल का प्रसंस्करण
49.	पश्चिम बंगाल	सिल्वर फिलीगरी कलस्टर, मगराहट	2011-12	29.07.11	29.07.13	पश्चिम बंगाल सरकार निर्यात संवर्द्धन समिति, पश्चिम बंगाल सरकार	डिजाइनों के अनुसार सही टूलिंग, सर्टिफाइड कम्पोजिशन के साथ मिश्र धातु की मेल्टिंग/ कास्टिंग, फाइन वायर ड्राइंग, अल्ट्रासोनिक क्लिनिंग, आधुनिक प्रदूषण मुक्त पॉलीशर, आधुनिक परीक्षण सुविधा, कारीगरों की क्रियाशीलता के अनुसार फलिगरी वस्तुओं का डिजाइन।
50.	पश्चिम बंगाल	जरी इम्ब्रोइडरी कलस्टर, दक्षिण 24 परगना	2011-12	28.08.12	28.08.14	पश्चिम बंगाल सरकार निर्यात संवर्द्धन समिति, पश्चिम बंगाल सरकार	कच्चे माल बैंक, केंद्रीयकृत सुविधा के रूप में मैशीनेशन सुविधाएं जैसी बृहत सुविधाएं मुहैया कराने में सी.एफ.सी. की अहम भूमिका होगी। इनमें परीक्षण सह-गुणवत्ता नियंत्रण, कच्चे माल के नाजुक प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत सुविधा, सामान्य पैकेजिंग एवं ब्राडिंग सुविधा आदि शामिल हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	पश्चिम बंगाल	हनी प्रोसेसिंग कलस्टर, मालदा	2011-12	27.06.12	27.06.14	पश्चिम बंगाल सरकार निर्यात संवर्द्धन समिति, पश्चिम बंगाल सरकार	(i) आधुनिक एवं दक्ष मशीनरी द्वारा नमी की मात्रा को हटाने से मूल्य संवर्द्धन बजाय कि पुराने प्रसंस्करण से, अब हानि एवं विशिष्टताओं को कम करते हुए लिया जाता है। (ii) यांत्रिकी प्रसंस्करण के लिए परीक्षण प्रयोगशाला त्वरित (प्रत्यक्षत:) (iii) नए उत्पादों की पहचान जैसे पोलेन ब्रेड, रॉयल जेली, प्री-पोलिश एवं यहां तक कि बी-वेनोम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग है: (iv) उत्पादन पैकेज में एकरूपता एक आकर्षण बनाए रखने के लिए कम समय में अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाएगा (v) सर्विस आधार पर कॉम फाउंडेशन शीट का उत्पादन, (vi) कलस्टर की बिक्री मात्रा को बढ़ाने के लिए सी.एफ.सी. स्थान पर बिक्री पटल (स्थापित करना)
52.	पश्चिम बंगाल	रुफिंग टाईल्स कलस्टर, बांकुरा	2012-13	03.10.12	03.10.14	पश्चिम बंगाल सरकार निर्यात संवर्द्धन समिति, पश्चिम बंगाल सरकार	नए उत्पादों के लिए आधुनिक क्लिन, अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण तथा परीक्षण सुविधाएं
53.	पश्चिम बंगाल	लीड एसिड बैट्री, सिलीगुडी	2012-13	01.02.13	1.02.15	पश्चिम बंगाल सरकार निर्यात संवर्द्धन समिति, पश्चिम बंगाल सरकार	(i) गुणवत्तायुक्त ऑक्साइड, लीड मिश्रण एवं रिफाइंड लीड के लिए वेस्ट बैट्री रिसाइक्लिंग प्लांट (ii) घटक फलक विकास सुविधा, (iii) बैट्री फिनिशिंग के साथ-साथ कच्चे माल के लिए परीक्षण प्रयोगशाला
54.	पश्चिम बंगाल	प्लास्टिक प्रोसेसिंग कलस्टर, दबग्राम, राजगंज जलपाईगुडी	2012-13	16.05.13	16.05.15	पश्चिम बंगाल सरकार निर्यात संवर्द्धन समिति, पश्चिम बंगाल सरकार	पी.एल.सी. नियंत्रित स्क्रू मिलिंग लेथ, प्रिसीजन लेथ, होनिंग, मिलिंग, रेडिअल ड्रिल, हार्ड क्रोमिंग, गैस नाइट्रेटिंग, रबराइजिंग, कटिंग, वेल्डिंग, उत्पाद परीक्षण आदि।

'मनरेगा' के अंतर्गत मजदूरी

496. **श्री पी. विश्वनाथन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग द्वारा 'मनरेगा' कामगारों को मजदूरी न दिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी पाए गए लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं कि 'मनरेगा' लाभार्थियों को समय पर मजदूरी प्राप्त हो?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2010-2013 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामगारों को मजदूरी न दिए जाने के लिए चार डाक सर्किलों (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा) में शिकायत संबंधी दस (10) मामले प्राप्त हुए हैं। इन शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मजदूरी न दिए जाने के लिए उत्तरदायी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मनरेगा लाभार्थियों को डाकघरों के माध्यम से समय पर मजदूरी प्राप्त हो, इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ई.एफ.एम.एस.) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में मजदूरी को इलैक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना, डाक के फील्ड अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों से सम्पर्क करना, उनके खातों में रकम जमा होते ही ग्राम सेवकों के माध्यम से मनरेगा मजदूरी के भुगतान को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को सूचित करना, कार्यस्थल पर डाक कर्मियों के हेल्पलाइन नम्बर का प्रदर्शन तथा डिवीजनल, क्षेत्रीय, सर्किल और डाक निदेशालय स्तरों पर कारगर मानीटरिंग जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कामगारों को मजदूरी न दिए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे

क्र.सं.	सर्किल का नाम		शिकायत संबंधी ब्यौरा
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.	विजयवाड़ा के अंतर्गत कोटालापल्ली शाखा डाकघर में 5125/- के लिए मनरेगा भुगतान का दुर्विनियोजन
2.	कर्नाटक	2.	गुलबर्गा डिवीजन के होन्नेगरा शाखा डाकघर में मजदूरी का भुगतान न किए जाने के संबंध में चौदह कामगारों ने शिकायत की।
		3.	मांड्या डिवीजन से कोडले शाखा डाकघर में 49021 रु. की मजदूरी का भुगतान न किए जाने की शिकायत
3.	महाराष्ट्र	4.	मुम्बई क्षेत्र के अंतर्गत मोखड़ा उप डाकघर में मजदूरी के भुगतान में विलम्ब
		5.	मुम्बई के अंतर्गत सोनाले शाखा डाकघर में मजदूरी का कम भुगतान
		6.	मुम्बई के अंतर्गत कारेगांव शाखा डाकघर में मजदूरी का भुगतान करने में विलम्ब
4.	ओडिशा	7.	थुआमल रामपुर में अंतर्गत बिरीकोट शाखा डाकघर में मजदूरी का भुगतान न करना।
		8.	नारला उप डाकघर के अंतर्गत शाखा पोस्टमास्टर भर्टीगढ़ के विरुद्ध शिकायत
		9.	फारंग शाखा डाकघर में मजदूरी का धोखा देकर आहरण
		10.	थुआमल रायपुर के अंतर्गत सिंघी पाडर शाखा डाकघर में मजदूरी का भुगतान न किए जाने के संबंध में खंड विकास अधिकारी की शिकायत।

'इसरो' की अध्येतावृत्ति

497. **श्री नलिन कुमार कटील**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अमरीकी विश्वविद्यालय में अध्येतावृत्ति का स्थापन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) ने डा. सतीश धवन, संस्थान के एक विशिष्ट पूर्व छात्र और भूतपूर्व अध्यक्ष, इसरो एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग की याद में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान (कैलटेक), पसाडेना, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमरीका में एक अध्येतावृत्ति का स्थापन किया है। डा. सतीश धवन अध्येतावृत्ति वांतरिक्ष इंजीनियरी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम का अध्ययन करने वाले भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं औद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.) के एक मेधावी छात्र को अध्ययन का अवसर प्रदान करेगी।

(ग) यह अध्येतावृत्ति कार्यक्रम सितंबर 2013 से शीतकालीन सत्र से शुरू होगा।

आम माफी चाहने वालों को वित्तीय सहायता

498. **श्रीमती श्रुति चौधरी**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में आम माफी चाहने वाले भारतीयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एम.ओ.आई.ए.) ने आउटसोर्सड लागत के रूप में क्षमा प्राप्त करने वाले वैसे प्रत्येक आवेदक, जिसने आपात प्रमाणपत्र हेतु, आवेदन किया है के लिए 40 ए.ई.डी. (यू.ए.ई. दिरहम) की वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी थी। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आई.सी.डब्ल्यू.एफ.) के लिए अंशदान स्वरूप लगाया गया प्रति आवेदक 10 ए.ई.डी. के शुल्क की छूट को भी मंजूरी दे दी थी। आई.सी.डब्ल्यू.एफ. की ओर से मामला दर मामला आधार पर हवाई यात्रा की लागत का भुगतान किया गया।

सर्व-शिक्षा अभियान

499. **श्री निलेश नारायण राणे**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिए सर्व-शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु विशेषकर महाराष्ट्र सहित राज्यों से अब तक प्राप्त आवेदनों की राज्य-वार एवं स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान की राष्ट्र स्तरीय अनुदान सहायता समिति द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता की संस्वीकृति प्रदान की जाती है। इस घटक के अंतर्गत प्रस्ताव वार्षिक आधार पर आमंत्रित नहीं किए जाते हैं। तथापि, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, पंजीकृत सोसाइटियों, सार्वजनिक न्यासों और गैर-सरकारी संगठनों से समय-समय पर प्राप्त आवेदन-पत्रों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) 2012-13 में महाराष्ट्र सहित राज्य-वार और स्थिति-वार प्राप्त आवेदन-पत्र और उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) राज्य स्तरीय अनुदान सहायता समिति के अंतर्गत, संबंधित राज्य के राज्य परियोजना निदेशक, एस.एस.ए. को भेजे गए प्रस्ताव।

क्र.सं.	राज्य	स्वयं सहायता एजेंसी का नाम	स्थिति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	(i) हैदराबाद जिला महिला मंडालूला समाख्या, हैदराबाद	जिला मियापुर, आर.आर.

1	2	3	4
		(ii) चैतन्य कला भारतीय, आन्ध्र प्रदेश	जिला करनूल
2.	कर्नाटक	(i) दीपांकर बहु-उद्देश्यी शिक्षा ग्रामीण और शहरी विकास सोसाइटी	जिला बदर
3.	ओडिशा	(i) सर्वधर्म समन्वय श्री श्रीमहासिद्ध नीलपदम आश्रम, कटक	रामदासपुर
4.	राजस्थान	(i) धर्सा रामपुरम मेमोरियल ट्रस्ट, जयपुर	जयपुर
		(ii) उपकार सेवा समिति, राजस्थान	दौसा
		(iii) नेहरू युवा ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान	दौसा
		(iv) शिवाजी शिक्षा समिति, राजस्थान	धौलपुर
5.	तमिलनाडु	(i) तमिलनाडु सामाजिक कृषि बाल शिक्षा और महिला विकास न्यास, तमिलनाडु	पुद्दुकोट्टया
6.	गुजरात	(i) राजयोग शिक्षा और अनुसंधान प्रतिष्ठान, अहमदाबाद	अहमदाबाद
7.	उत्तर प्रदेश	(i) नवनीत प्रतिष्ठान, उत्तर प्रदेश	रायबरेली
		(ii) ग्रामीण विकास एवम् सामाजिक सेवा संस्थान, अलीगढ़	अलीगढ़
(ख) आवेदक को प्रस्ताव वापस किए गए क्योंकि ये दिशा-निर्देशों के अनुरूप थे।			
1.	उत्तर प्रदेश	(i) मानव कल्याण महिला शिक्षण एवम् समाजसेवी संस्थान, उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद
		(ii) ग्यासीबेन शिक्षा और कल्याण सोसाइटी, लखनऊ	
2.	महाराष्ट्र	(i) स्वराज शिक्षा शोध प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र	नागपुर
3.	तमिलनाडु	(i) इनिया महालिर मंत्रम, मदुरै, तमिलनाडु	मदुरई
4.	पंजाब	(i) गुरु अर्जुन देव विकास अध्ययन संस्थान, अमृतसर	अमृतसर

सहायता में वृद्धि संबंधी योजनाएं

500. **श्री पी. करुणाकरन**: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विपणन सहायता योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की विपणनगत प्रतिस्पर्धा-क्षमता में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के तहत आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के तहत एम.एस.एम.ई. को सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें अब तक व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है और लक्ष्यों की कहां तक उपलब्धि की गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विपणन प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने के लिए विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एन.एम.सी.पी.) के तहत निम्नोक्त योजनाएं आरंभ की गई:

(क) लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना

(ख) डिजाइन क्लिनिक योजना

(ग) विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

(घ) विपणन सहयोग/एस.एम.ई. को सहायता (बार कोड)

(ङ) बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी जागरूकता सृजित करने के लिए राष्ट्रीय अभियान (आई.पी.आर.)

(च) एम.एस.एम.ई. को प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन सहयोग

(छ) गुणवत्ता प्रबंधन मानकों/गुणवत्ता प्रौद्योगिकी साधनों (क्यू.एम.एस./क्यू.टी.टी.) के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनने में समर्थ बनाना।

(ii) एम.एस.एम.ई. की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) कार्यालय द्वारा एन.एम.-सी.पी. योजनाओं के अलावा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.एस.) का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

(iii) एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विपणन सहायता योजनाओं के विवरण निम्नोक्त हैं:

क्र.सं.	योजना का नाम	द्वारा कार्यान्वयन
1.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	एम.एस.एम.ई. मंत्रालय
2.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला/ प्रदर्शनी योजना	विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) कार्यालय
3.	विपणन सहायता योजना	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.)
4.	विपणन विकास सहायता योजना	कॅयर बोर्ड
5.	विपणन विकास सहायता योजना	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निधि आबंटन, व्यय, लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण निम्नोक्त है:

तालिका क. : राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एन.एम.सी.पी.)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटित निधि	व्यय	लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
2010-11	52.05	16.65	योजनाएं मांग आधारित है	लाभान्वित इकाइयां = 1248 परियोजनाओं की सं. = 21 जागरुकता अभियान/कार्यशालाओं की संख्या = 179
2011-12	69.06	18.84		लाभान्वित इकाइयां = 2324 परियोजनाओं की सं. = 44 जागरुकता अभियान/कार्यशालाओं की संख्या = 227
2012-13	78.00	26.10		लाभान्वित इकाइयां = 2412 परियोजनाओं की सं. = 98 जागरुकता अभियान/कार्यशालाओं की संख्या = 161
2013-14	67.50	0.84		लाभान्वित इकाइयां = 489 परियोजनाओं की सं. = 14 जागरुकता अभियान/कार्यशालाओं की संख्या = 2

तालिका ख. : क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.एस.)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटित निधि	व्यय	लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
2010-11	249.81	249.81	योजनाएं मांग	लाभान्वित इकाइयां = 3984
2011-12	241.31	241.31	आधारित है	लाभान्वित इकाइयां = 3248
2012-13	311.30	311.30		लाभान्वित इकाइयां = 5714
2013-14	268.03	168.09		लाभान्वित इकाइयां = 2446

तालिका ग. : विपणन सहायता योजना

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटित निधि	व्यय	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्त
2010-11	133.30	122.39	इकाइयों की संख्या = 341 प्रदर्शनियों की संख्या = 98 जागरुकता अभियान की संख्या = 450	लाभान्वित इकाइयां = 892 संख्या प्रदर्शनियों की संख्या = 141 जागरुकता अभियान की संख्या = 721
2011-12	167.50	122.00	इकाइयों की संख्या = 764 प्रदर्शनियों की संख्या = 101 जागरुकता अभियान की संख्या = 704	लाभान्वित इकाइयां = 762 संख्या प्रदर्शनियों की संख्या = 159 जागरुकता अभियान की संख्या = 729
2012-13	187.80	117.97	लाभग्राहियों की संख्या = 576 प्रदर्शनियों की संख्या = 131 जागरुकता अभियान की संख्या = 700	लाभान्वित इकाइयां = 816 प्रदर्शनियों की संख्या = 169 प्रदर्शनियों की संख्या = 159 जागरुकता अभियान की संख्या = 607
2013-14	141.36	8.57	लाभग्राहियों की संख्या = 475 प्रदर्शनियों की संख्या = 131 जागरुकता अभियान की संख्या = 700	लाभान्वित इकाइयां = 210 संख्या प्रदर्शनियों की संख्या = 25 जागरुकता अभियान की संख्या = 84

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

501. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**

डॉ. रत्ना डे:

श्री जगदीश सिंह राणा:

श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

श्री के. जयप्रकाश हेगड़े:

कुमारी सरोज पाण्डेय:

श्री हेमानंद बिसवाल:

श्रीमती श्रुति चौधरी:

श्रीमती पुतुल कुमारी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या कितनी है और राज्य-वार लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु महाराष्ट्र सहित किसी राज्य सरकार से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इन सिफारिशों पर निर्णय लेने में कोई विलंब हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्तियों की संख्या तथा न्यायालयवार लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

अधीनस्थ न्यायाधीशों ने न्यायाधीशों की रिक्तियों और उनमें लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) से (च) बंबई उच्च न्यायालय से दो प्रस्तावों सहित 12 उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 82 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की अपनी सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में बनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ किया जाना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ किया जाना उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है। उच्च न्यायालयों में रिक्तियां भरा जाना, विभिन्न सांविधानिक प्राधिकरणों से अपेक्षित परामर्श और अनुमोदन से इस रूप में सतत् परामर्शी प्रक्रिया है। जबकि, न्यायाधीशों की विद्यमान रिक्तियों, सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण उद्भूत रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है।

विवरण-I

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या तथा न्यायालयवार लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	तारीख 1.8.2013 को न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या	तारीख 28.02.2013 को लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4
अ.	**उच्चतम न्यायालय**	**3**	**66809**
	उच्च न्यायालय		**तारीख 31.03.2012 को**
1.	इलाहाबाद	68	10,08,533

1	2	3	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	22	1,99,229
3.	बम्बई	16	3,62,948
4.	कलकत्ता	21	3,50,260
5.	छत्तीसगढ़	08	52,264
6.	दिल्ली	07	63,012
7.	गुवाहाटी	07	51,899
8.	गुजरात	11	79,529
9.	हिमाचल प्रदेश	03	48,743
10.	जम्मू और कश्मीर	03	85,298
11.	झारखंड	09	58,511
12.	कर्नाटक	14	1,71,463
13.	केरल	08	1.23,437
14.	मध्य प्रदेश	10	2,35,150
15.	मद्रास	17	4,83,848
16.	मणिपुर	02	*
17.	मेघालय	0	*
18.	ओडिशा	07	3,07,528
19.	पटना	10	1,15,329
20.	पंजाब और हरियाणा	21	2,43,733
21.	राजस्थान	09	2,79,577
22.	सिक्किम	01	69
23.	त्रिपुरा	0	*
24.	उत्तराखंड	01	20,507
	कुल योग	275	43,40,867

*नए सृजित उच्च न्यायालय

विवरण-II

अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या तथा लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	संबद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	तारीख 31.03.2012 को अधीनस्थ न्यायालयों की रिक्तियां	तारीख 31.03.2012 को लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	268	57,98,272
2.	आन्ध्र प्रदेश	117	9,17,620
3.क	महाराष्ट्र	185	31,44,426
3.ख	गोवा	7	30,052
3.ग	दमन दीव और सिलवासा	0	4,997
4.	पश्चिमी बंगाल	156	26,38,937
5.	छत्तीसगढ़	38	2,66,220
6.	दिल्ली	158	6,89,766
7.	गुजरात	852	21,97,565
8.क	असम	108	2,64,204
8.ख	मेघालय	22	3,357
8.ग	त्रिपुरा	27	43,954
8.घ	मणिपुर	5	14,238
8.ङ	नागालैंड	6	4,130
8.च	मिजोरम	32	4,426
8.छ	अरुणाचल प्रदेश	0	6,148
9.	हिमाचल प्रदेश	17	1,95,018
10.	जम्मू और कश्मीर	17	2,07,588
11.	झारखंड	89	2,98,240
12.	कर्नाटक	174	11,15,280
13.क	केरल	36	10,71,305
13.ख	लक्षद्वीप	1	240

1	2	3	4
14.ग	तमिलनाडु	123	11,93,541
14.घ	पुदुचेरी	7	27,141
15.	मध्य प्रदेश	151	11,29,432
16.	ओडिशा	79	11,59,482
17.	बिहार	507	16,28,291
18.क	पंजाब	116	5,44,972
18.ख	हरियाणा	124	5,94,733
18.ग	चंडीगढ़	0	57,890
19.	राजस्थान	180	14,32,967
20.	सिक्किम	4	1,310
21.	उत्तराखंड	126	1,52,640
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	13,384
	कुल योग	3732	2,68,51,766

[हिन्दी]

'एंट्रिक्स' सौदा

502. **श्री राजू शेट्टी**: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एंट्रिक्स-देवास सौदे के कारण राजस्व को हुई हानि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) एंट्रिक्स-देवास सौहे को फरवरी 2011 में रद्द कर दिया गया है और करार के अंतर्गत कोई ट्रांसपोंडर देवास को लीज पर नहीं दिया गया है। इसलिए राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तथापि, एक उच्च स्तरीय दल ने एंट्रिक्स-देवास सौदे पर निर्णय लेने में हुई चूक और गलती के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान की है। उच्च स्तरतीय दल के निष्कर्षों के आधार पर इसरो के चार पूर्व वैज्ञानिकों (पूर्व इसरो अध्यक्ष सहित) को पुनर्नियोजन, समिति की भूमिकाओं अथवा सरकार के अंतर्गत किसी अन्य महत्वपूर्ण भूमिका से वर्जित किया गया है और उन्हें किसी वर्तमान सरकारी नियुक्ति/परामर्श कार्य से भी वंचित किया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय लड़कियों हेतु विशेष पुरस्कार

503. **श्री मानिक टैगोर**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार को इस बात की जानकारी है कि दो भारतीय लड़कियों को हाल ही में मलाला दिवस आयोजनों के भाग के रूप में शिक्षा हेतु ग्लोबल एजूकेशन यूथ करेज एवार्ड हेतु यू.ए.एन. स्पेशल एनवोय से सम्मानित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार का विचार देश में लड़कियों के मध्य शिक्षा के प्रसार हेतु इन दो लड़कियों को कोई विशेष पुरस्कार और प्रोत्साहन तथा सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) जीं, हां। विश्वभर की 7 युवा लड़कियों में से दो भारतीय लड़कियां जिन्हें युनाइटेड नेशन्ज स्पेशल एन्वाय फार ग्लोबल एजुकेशन्ज यूथ, करेज अवार्ड फार एजुकेशन से 12 जुलाई 2013 को मलाला दिवस समारोह के भाग के रूप में सम्मानित किया गया। इनमें से 15 वर्ष की रजिया सुल्तान है जो नांगला कुम्भ गांव, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश की है जिसेन बाल श्रम में लगे अनेक बच्चों की सहायता की और उन्हें औपचारिक शिक्षा का ओर प्रवर्तित किया। दूसरी लड़की अश्विनी अंगाड़ी, आयु 24 वर्ष, बैंगलुरु कर्नाटक की है जो दृष्टिहीन है और लिओनर्ड चेशायर डिसेबिल्टी यंग वोयसेस प्रोग्राम नामक संगठन में कार्य करती है जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की सहायता करता है। उसे विषमताओं के विरुद्ध लड़ते हुए अध्ययन करने और उसके उपरांत नि:शक्त अन्य बच्चों के लिए, अभियान चलाने तथा उन्हें शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए सम्मानित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वालों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव अथवा प्रथा नहीं है और विशिष्ट गैर-सरकारी संगठनों को सहायता मंत्रालय में मौजूदा सरकारी योजनाओं के अनुसार दी जाती है।

केरल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केन्द्र

504. **श्री के.पी. धनपालन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल सहित देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केन्द्र को प्रारंभ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार केरल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.) की कार्यकारी परिषद द्वारा पारित संकल्प के आधार पर, विजिटर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तीन केन्द्रों, मल्लापुरम (केरल), मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) एवं किशनगंज (बिहार) को स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। मल्लापुरम एवं मुर्शिदाबाद केन्द्रों ने अकादमिक सत्र 2011-12 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

(ग) व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) द्वारा 104.93 करोड़ रु. तथा 107.80 करोड़ रु. के एक योजनागत परिव्यय की अनुशंसा की तुलना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने मल्लापुरम एवं मुर्शिदाबाद केन्द्रो के लिए क्रमश: 45 करोड़ रु. तथा 40 करोड़ रु. पहले ही जारी कर दिए हैं।

(घ) और (ङ) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय का पूर्णरूप से वित्तपोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि XIIवी योजना के लिए कुल 357.25 करोड़ रु. के आबंटन में से केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए 48.75 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय को 5 करोड़ रु. शिक्षा स्कूल की स्थापना के लिए जारी किए गए हैं।

डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय का कार्यकरण

505. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** कुलपति के विरुद्ध शिकायतों के बारे दिनांक 7.9.2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5579 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डा. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकरण/इसके कुलपति के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय के कार्यान्वयन के बारे में उनके वर्गों से शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्यों के अलावा शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टॉफ की भर्ती/पदोन्नति में कथित अनियमितताएं, दाखिले से संबंधित मामलों, कर्मचारियों को सेवांत देयों/पेंशन लाभों का भुगतान न होने, संविदागत शिक्षकों के नियमितीकरण, दैनिक

मजदूरी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, महत्वपूर्ण कागजातों के गुम होने, और विश्वविद्यालय में प्रशासन/शिक्षा के गिरते हुए मानदंडों के आरोप शामिल हैं। चूंकि अधिकांश शिकायतों की विश्वविद्यालय स्तपर पर समाधान की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें विश्वविद्यालयों को उनकी तरफ से समुचित कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित किया गया था। रसायन विभाग में एक सहायक प्रोफेसर के पद की चयन प्रक्रिया में अनियमितता से संबंधित साक्ष्यों से पुष्ट एक शिकायत मिलने पर विजिटर ने चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इसके अलावा, सी.वी.सी. से प्राप्त, विश्वविद्यालय द्वारा सी.सी.टी.वी कैमरा और फर्नीचर की खरीद में अनियमितताओं से संबंधित शिकायत पर, विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है और इस मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ में हज समिति

506. **श्री पवन कुमार बंसल**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न स्तरों पर हज समिति के गठन हेतु क्या मापदंड हैं;

(ख) संघ राज्य/क्षेत्र चंडीगढ़ में मुस्लिम जनसंख्या संबंधी आंकड़े क्या हैं?

(ग) उक्त संघ राज्य क्षेत्र में पृथक हज समिति गठित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) हज समितियां, हज समिति अधिनियम-2002 की धारा 17 (1) के अनुसार गठित की गई हैं जो कहता है "केन्द्र सरकार द्वारा अपने सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके एतद विषयक निर्धारित तारीख से राज्य सरकार अपने नाम (राज्य के) से हज समिति का गठन करेगी।"

प्रावधान के अनुसार यदि केन्द्र सरकार को किसी कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में हज समिति का गठन करना आवश्यक नहीं है तो वह किसी निकटस्थ राज्य की इस समिति का हज यात्रियों से संबंधित कार्य देखने तथा उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने के बारे में सुझाव देने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

(ख) 2001 की जनगणना के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की मुस्लिम जनसंख्या 35,548 है।

(ग) और (घ) चंडीगढ़ प्रशासन से इस संघराज्य क्षेत्र के लिए अलग से हज समिति बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बाल शोषण

507. **श्री एम. कृष्णास्वामी**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य सही है कि स्कूलों में 33 प्रतिशत बालिकाओं और 48 प्रतिशत बालिकाओं के साथ स्कूल के रास्ते पर दुर्व्यवहार किया जाता है, जैसा कि प्रिंट मीडिया मे सूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्कूलों में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य सरकारों के साथ संयोजन में कोई कार्य योजना तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) 480 घरों में किए गए एक अध्ययन के बारे में इक्का-दुक्का मीडिया रिपोर्ट ध्यान में आई हैं जो यह दर्शाती हैं कि उन 33 प्रतिशत उत्तर देने वालों ने कहा कि बालिकाओं से स्कूल में दुर्व्यवहार किया गया था, 48 प्रतिशत ने कहा कि बालिकाओं के साथ स्कूल में जाते हुए दुर्व्यवहार किया गया था और 43 प्रतिशन ने कहा कि बालिकाओं ने स्कूल जाते हुए समस्याओं का सामना किया। यह अध्ययन मंत्रालय को नहीं भेजा गया है। तथापि सरकार इस मसले के महत्व के बारे में जागरूक हैं, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अवसंरचना (एन.सी.एफ.) 2005 बालक-बालिका को सभी पाठ्यचर्या क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण निर्देशी सिद्धांत के रूप में वरीयता प्रदान करता है और यह प्रावधान करता है कि जेंडर स्कूल स्तर पर बच्चों को पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का एक समेकित भाग होना चाहिए। बालक-बालिका संबंधी चिंताओं को पाठ्यचर्या में तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों में समेकित किया गया है तथा इसका केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से संबद्ध स्कूलों और विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूलों द्वारा वृहत उपयोग किया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदें (एस.सी.ई.आर.टी.) जो राज्य सरकार के स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करती हैं, ने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों को बालक-बालिका संवेदी बनाने के लिए पुन: तैयार किया है। सी.बी.एस.ई. ने 2013-14 के सत्र से कक्षा XI और XII के लिए 'मानवाधिकार तथा बालक-बालिका अध्ययन' संबंधित एक इलैक्टिव

पाठ्यक्रम प्रदान करने का निर्णय लिया है। बालक-बालिका संबंधी चिंताओं को नियमित स्कूल अध्यापकों के सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी उठाया गया है।

[हिन्दी]

आपसी समझौते के माध्यम से मामलों का निपटान

508. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यायालयों में मामलों की संख्या कम करने के लिए लोक अदालतों में आपसी समझौते के माध्यम से निपटाए गए मामलों के अंतर्गत धाराओं की सूची क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में लोक अदालतों में आपसी समझौते के माध्यम से निपटाए गए मामलों की धारा-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या लोक अदालतों द्वारा बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान से संबंधित अधिकतर मामले बैंकों के पक्ष में निपटाए गए हैं; और

(घ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पारदर्शी न्याय प्रदान करने संबंधी प्रणाली को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) मामले, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 से 22-ङ में अंतर्विष्ट उपबंधों के निबंधनानुसार लोक अदालतों द्वारा निपटाए जाते हैं।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) मामले, जिनके अंतर्गत बैंक ऋण मामले भी हैं, पारदर्शी रीति में पक्षकारों के बीच समझौता होने पर लोक अदालतों द्वारा निपटाए जाते हैं। अत: दूसरे पक्षकार के विरुद्ध एक पक्षकार का पक्ष लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई-गवर्नेंस

509. **श्री आर. ध्रुवनारायण**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट गवर्नेंस पर अपनी स्थिति को पुन: तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

भर्ती प्रक्रिया को सुचारूबद्ध करना

510. **श्री ब्रदीराम जाखड़**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने सभी गैर-राजपत्रित पदों हेतु एकल भर्ती परीक्षा आयोजित कर सरकारी नौकरियों की भर्ती को सुचारूबद्ध करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नई प्रणाली सभी आवेदकों और सरकारी भर्ती एजेंसी के लिए किस स्तर तक लाभदायक होंगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी नहीं, सभी गैर-राजपत्रित पदों के लिए एकल भर्ती परीक्षा आयोजित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला उद्योग केन्द्रों का पुनरुद्धार

511. **श्री जगदीश सिंह राणा**: क्या **सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जिला उद्योग केन्द्रों का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आने वाले वर्ष के लिए इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरी रोजगार गारंटी योजना

512. **डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी**:

श्री निखिल कुमार चौधरी:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

श्री अरविन्द कुमार चौधरी:

श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नरेगा की तरह शहरी रोजगार गारंटी प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा शहरी गरीब युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या शहरी युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय की कुल राशि कितनी है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी बेरोजगार गरीबो और कम रोजगार प्राप्त गरीबों को कौशल प्रशिक्षण दे कर तथा साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक सम्पत्तियो का निर्माण करने के लिए उनके श्रम का उपयोग करके स्वयं रोजगार उद्यम स्थापित करने मे प्रोत्साहन दे कर उनको लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है।

शहरी गरीबों में रोगजार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण (एस.टी.ई.यू.पी.), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.-आर.वाई.) के पांच घटकों में से एक घटक है जो कि शहरी गरीबों के कौशल प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल देता है ताकि स्वरोजगार शुरू करने के साथ-साथ बेहतर वेतन युक्त रोजगार प्राप्त करने में उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके।

(ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में 950 करोड़ रुपये का कुल बजट आबंटित किया गया है।

[हिन्दी]

आई.टी. निर्यात में गिरावट

513. **श्री हंसराज गं. अहीर**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैस्कॉम के अनुसार यू.एस. और यूरोप द्वारा आई.टी. व्यय में कटौती किए जाने के कारण भारत का आई.टी. निर्यात प्रभावित हुआ है और इसमें निरंतर कमी आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान आई.टी. क्षेत्र में निर्यात का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इसका अनुमानित निर्यात कितना है; और

(ग) आई.टी. क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए और सहायता प्रदान की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) नैसकॉम के अनुसार वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद देश के सूचना प्रौद्योगिकी-सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा (आई.टी.-आई.टी.ई.एस.) उद्योग के निर्यात निष्पादन में वृद्धि होती रही है। अमेरिका और यूरोपीय संघ (ई.यू.) में धीमे आर्थिक सुधार जो कि देश के कुल आई.टी.-आई.टी.ई.एस. निर्यात का 90 प्रतिशत है, के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान डॉलर के वृद्धि दर में मामूली गिरावट हुई। गत तीन वर्ष अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान आई.टी.-आई.टी.ई.एस. का निर्यात और वर्ष 2012-13 के लिए निर्यात अनुमान निम्नलिखित है:-

वर्ष	करोड़ रुपए	बिलियन अमरीकी डॉलर	वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर (%)	
			रुपए में	डॉलर में
2009-10	235033	49.7	8.72	5.5
2010-11	268609	59.0	14.29	18.8
2011-12	332769	68.8	23.89	16.5
2012-13	410836	75.8	23.46	10.2

(ग) सरकार देश में आई.टी. और आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ. निर्यात राजस्व बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन देती है। साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.) योजना जिसे इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.आई.) द्वारा शासित किया जाता है, के अंतर्गत आई.टी. और आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ. इकाइयां विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं जैसे आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट, घरेलू विनिर्मित वस्तुओं की खरीद पर केन्द्रीय बिक्री पर (सी.एस.टी.) और उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति इसके अतिरिक्त वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) और बाजार अभिगम प्रयास (एम.ए.आई.) योजना के जरिए विदेश में निर्यात संवर्धन के कार्यकलापों के लिए निर्यातकों विशेषकर लघु और मझौले उद्यमों की सहायता करता है। वाणिज्य विभाग ने 235 आई.टी.-आई.टी.ई.एस. विशिष्टी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) अधिसूचित किए गए हैं। इस समय आयकर अधिनियम की धारा 10कक में एस.ई.जेड. में स्थित इकाइयां चरणबद्ध तरीके से 15 वर्ष की अवधि के लिए कर लाभ के पात्र है।

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थानों में अ.पि.व. के लिए आरक्षण

514. **श्री समीर भुजबल**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) को आरक्षण प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अ.पि.व. को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ और शैक्षिक संस्थानों को खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां। 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुरूप, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (सी.ई.आई.) (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में किसी केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में अध्ययन की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत्य संख्या में 27 प्रतिशत तक की सीटें अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालयों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करते समय सुलभता एवं समानता की समस्या का समाधान करती है। 11वीं योजना के दौरान, 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिनमें तीन राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में परिवर्तित किया जाना भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 7 नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई.आई.एम.), 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी), 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टी.), 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (आई.आई.एस.ई.आर) तथा 2 योजना एवं वास्तुकला विद्यालयों (एस.पी.ए.) की भी स्थापना की गई है। केन्द्र सरकार, अपनी मॉडल डिग्री कॉलेज स्कीम के माध्यम से, देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल कालेजों की स्थापना कर रही है। ये कालेज भी अन्य पिछड़ा वर्ग जनसंख्या के एक भाग की आवश्यकताओ को पूरा करते हैं। ये सभी संस्थाएं भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को अधिक सुलभता प्रदान करेगी। तथापि, केन्द्र सरकार अनन्य रूप से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना नहीं करती है।

[हिन्दी]

आरक्षण नीति का अनुपालन

515. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे**:

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय और उपक्रम नियुक्ति में आरक्षण नीति का सही ढंग से अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आरक्षित रिक्तियों को भरने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों के आलोक में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विधेयक लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आज की तिथि तक इस संबंध में विभिन्न सामाजिक संगठनों/लोक प्रतिनिधियों से प्राप्त निवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) भारत सरकार के तहत नियुक्तियों में आरक्षण नीति का केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुपालन किया जाता है। केन्द्र सरकार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर "विशेष भर्ती अभियान" भी प्रारंभ करती है। केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी आवश्यक परिवर्तनों सहित इन अनुदेशों का अनुपालन करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 338 एवं 338क के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ आवश्यक परामर्श किया जाता है।

(ग) सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को ध्यान रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एवं (च) एसोसिएशनों, सांसदों, इत्यादि से समय-समय पर विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं तथा आरक्षण नीति के मामले में कोई निर्णय लेते समय सरकार द्वारा उनके सुझावों/संस्तुतियों को ध्यान में रखा जाता है।

सरबजीत सिंह की मृत्यु

516. **श्री अनंत कुमार हेगड़े**:

डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

श्री भूदेव चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में ही भारतीय नागरिक सरबजीत की पाकिस्तान जेल में मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में सुरक्षा चूक की जांच करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से अनुरोध करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) एक भारतीय नागरिक श्री सरबजीत सिंह की पाकिस्तानी जेल प्राधिकारियों की हिरासत में रहने के दौरान बर्बरतापूर्वक आक्रमण झेलने के बाद 2 मई, 2013 को लाहौर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। सरकार ने मांग की है कि पाकिस्तान की सरकार उन लोगों की पहचान कर उन्हें दंडित करने के लिए पूरी जांच करें जो इस आक्रमण के लए जिम्मेदार हैं।

भारत तथा पाकिस्तान शिमला समझौते के तहत, सभी मुद्दो को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों की उच्चतम न्यायपालिका के सेवानिवृत न्यायाधीशों से बनी भारत पाकिस्तान संयुक्त न्यायिक समिति ने 26 अप्रैल, 1 मई 2013 के दौरान करांची, रावलपिंडी तथा लाहौर में जेलों का दौरा किया है, वे स्वर्गीय श्री सरबजीत सिंह को भी देखने गए थे, जब लाहौर अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा था। इस समिति ने कैदियों की सुरक्षा तथा संरक्षा बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने कि उनसे मानवीय व्यवहार किया जाए से संबंधित अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की हैं।

[अनुवाद]

निर्वाचन सुधार

517. **श्री प्रदीप माझी**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में निर्वाचनों से संबंधित कानूनों मे कोई परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्वाचन सुधारों के मुद्दे को भारतीय विधि आयोग को संदर्भित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विधि आयोग ने इस संबंध में विभिन्न अंशधारकों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सरकार निर्वाचन विधियों में परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) जी हां।

(ग) और सुधार करने की दृष्टि से, निर्वाचन संबंधी सुधारों का मुद्दा समग्र रूप से भारत के विधि आयोग को इस अनुरोध के साथ निर्दिष्ट किया गया है कि यह गत समय में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग और अन्य पणधारियों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात मुद्दे पर विचार करे और विधि में परिवर्तनों के लिए व्यापक उपायों का सुझाव दें।

(घ) और (ङ) विधि आयोग ने अपना विचार-विमर्श आरंभ कर दिया है और इस संबंध में एक व्यापक परामर्श पत्र 31 जुलाई, 2013 तक परामर्श पत्र के संबंध में राजनैतिक दलों, सिविल सोसाइटी, विशेषज्ञों और सभी अन्य पणधारियों के सुझाव/अभिमत आमंत्रित करने के लिए परिचालित किया गया है। इसे भारत के विधि आयोग अर्थात् www.lawcommissionofindia.nic.in पर डाल दिया गया है।

फ्रांस के साथ नाभिकीय समझौता

518. **डॉ. अनूप कुमार साहा:**

श्री बंस गोपाल चौधरी:

शेख सैदुल हक:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैतापुर में दो नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण हेतु फ्रेंच कंपनी 'अरेवा' के साथ वाणिज्यिक समझौता हस्ताक्षरित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बिना पूर्ण सुरक्षा समीक्षा या विस्तृत तकनीकी आर्थिक विश्लेषण के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत कथित रूप से महंगे आयातित रिएक्टरों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) विदेशी सहकार पर आधारित नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के सभी पहलुओं के मामले में सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है, और उन्हें उनकी सुरक्षा की पुनरीक्षा करने और विक्रेता देश के विनियामक प्राधिकारी और भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए.ई.आर.बी.) द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही स्थापित किया जाता है। ऐसे रिएक्टरों को, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा विस्तृत पुनरीक्षा किए जाने के बाद स्थलवार अनुमति प्रदान किए जाने के अनुसार ही स्थापित किया जाता है। तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं पर किए जाने वाले विचार-विमर्श का उद्देश्य इन रिएक्टरों द्वारा उत्पादित की जाने वाली बिजली की व्यवहार्य शुल्क-दर सुनिश्चित करने के मूलभूत उद्देश्य को हासिल करना है।

आई.आई.टी. और एन.आई.टी. में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात

519. **श्री राम सुन्दर दास:**

श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्यमान विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आई.आई.टी.), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) और अभियांत्रिकी कॉलेजों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इन संस्थानों में विद्यमान अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात क्या है; और

(ग यदि नहीं तो, तो सरकार द्वारा उक्त अनुपात में सुधार के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) देश में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आई.आई.टी.), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) और अन्य इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अनुपातिक अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात निम्नवत हैं:

क्र.सं.	संस्था का नाम	अनुमोदित अध्यापक विद्यार्थी अनुपात	वास्तविक अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)	1:10	1:16.5
2.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.)	1:12	1:17.6
3.	एन.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित इंजीनियरिंग महाविद्यालय	यू.जी.-1:20, पी.जी.-1:12	1:18

(ग) विभिन्न कारणों से रिक्तियों का सृजन और उनका भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है तथा संस्थान संकाय की रिक्तियों के लिए उत्कृष्ट विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। इन उपायों में वर्ष-भर खुले विज्ञापन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चयन समिति की बैठकों का आयोजन करना, सक्षम अभ्यर्थियों तक पहुंचने के लिए पूर्व छात्रों, वैज्ञानिकों और संकाय को आमंत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन, उत्कृष्ट युवा संकाय पुरस्कार आदि शामिल हैं। संकाय पदों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए आई.आई.टी. संकाय को परामर्श देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और व्यावसायिक विकास भत्ते के अलावा शोध करने के लिए आरंभ में 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल ही में सरकार ने केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के अधीन कार्यरत संकाय को 10 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घ अवधि की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नई केन्द्रीय शैक्षिणिक संस्थाओं में कार्य ग्रहण करने के लिए अनुमति दी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने विद्यार्थियों के लाभ और संकाय के अभाव के कारण किसी प्रतिकूल प्रभाव से उन्हें बचाने के लिए भी अनुकूल कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं

520. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**

श्री अरविन्द कुमार चौधरी:

श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

श्री नीरज शेखर:

श्री यशवीर सिंह:

श्री कामेश्वर बैठा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाइल्ड राइट्स एण्ड यू. (क्राई) के हाल के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश के अधिकांश विद्यालयों में अभी भी शौचालय, सुरक्षित पेयजल एवं पुस्तकालय नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां अवसंरचना सुविधाओं की कमी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) विद्यालयों में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आवंटित और जारी निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा समस्या के समाधान के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) चाइल्ड राइट्स एंड यू (सी.आर.वाई.) की कथित सर्वेक्षण रिपोर्ट मंत्रालय को नहीं दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्कूल के बुनियादी ढांचे के प्रावधानों में विशेष रूप से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद सुधार किए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है, जिसमें जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) 2011-12 के अनुसार देश के 10,78,407 सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में से शौचालयों और पेय जल की सुविधाओं के अभाव वाले स्कूलों की संख्या बताई गई है।

स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों के सभी नए भवनों की संस्वीकृति संयुक्त भवनों के रूप में दी गई है, जिसमें लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय, पेय जल की सुविधाएं और बिजली की व्यवस्था शामिल है। मौजूदा ग्रामीण स्कूलों के लिए, पेय-जल और

शौचालयों की सुविधाओं का निर्माण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की योजनाओं के अनुरूप किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के प्रारंभ से 3,06,667 स्कूल भवन, 8,81,437 शौचालय, 2,31,197 पेय जल सुविधाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई हैं। ऐसे लगभग 54% स्कूलों में जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) 2011-12 के अनुसार पुस्तकालय हैं।

विवरण-I

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) 2011-12 के अनुसार शौचालयों एवं पेयजल की सुविधा के अभाव वाले सरकारी प्रारंभिक स्कूलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव वाले स्कूलों की संख्या	
		शौचालय	पेयजल
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	18092	11461
2.	अरुणाचल प्रदेश	1933	976
3.	असम	6226	4918
4.	बिहार	18169	4592
5.	छत्तीसगढ़	14697	3068
6.	गोवा	82	6
7.	गुजरात	50	5
8.	हरियाणा	398	89
9.	हिमाचल प्रदेश	403	207
10.	जम्मू और कश्मीर	12341	4622
11.	झारखण्ड	8404	4030
12.	कर्नाटक	241	278
13.	केरल	247	93
14.	मध्य प्रदेश	3643	2392
15.	महाराष्ट्र	3326	5426
16.	मणिपुर	0	136
17.	मेघालय	2974	3184
18.	मिजोरम	308	240
19.	नागालैंड	201	569

1	2	3	4
20.	ओडिशा	10579	3094
21.	पंजाब	58	2
22.	राजस्थान	2675	4861
23.	सिक्किम	12	37
24.	तमिलनाडु	2604	0
25.	त्रिपुरा	775	1073
26.	उत्तर प्रदेश	12104	3169
27.	उत्तराखण्ड	557	803
28.	पश्चिम बंगाल	7561	1977
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45	13
30.	चण्डीगढ़	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	69	4
32.	दमन और दीव	1	0
33.	दिल्ली	0	0
34.	लक्षद्वीप	5	0
35.	पुदुचेरी	1	0
	कुल योग	128781	61325

विवरण-II

स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.6.2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	47945.71	133574.83	147680.49	22288.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	7407.76	8094.35	10333.61	2237.12

1	2	3	4	5	6
3.	असम	37368.83	74180.94	92857.58	8526.09
4.	बिहार	193924.32	395686.42	5305.68	75183.25
5.	छत्तीसगढ़	68035.64	63971.55	63271.62	12384.76
6.	गोवा	286.39	307.00	59.07	37.51
7.	गुजरात	43674.74	82112.91	139290.52	38758.88
8.	हरियाणा	24081.29	33006.02	18653.28	2480.22
9.	हिमाचल प्रदेश	7384.83	8916.23	6181.82	1194.65
10.	जम्मू और कश्मीर	25038.04	14830.73	59950.78	21186.39
11.	झारखंड	84097.78	59467.86	103848.36	11760.68
12.	कर्नाटक	48646.63	31272.60	52112.69	2523.42
13.	केरल	10974.33	1791.09	13161.74	541.26
14.	मध्य प्रदेश	129649.59	48638.39	50691.31	18560.71
15.	महाराष्ट्र	54984.05	74988.67	59541.47	16261.58
16.	मणिपुर	6816.45	11748.24	15871.45	0.00
17.	मेघालय	6718.66	19284.68	620.64	4064.43
18.	मिजोरम	4089.34	4128.75	6049.87	3274.95
19.	नागालैंड	10235.69	4385.05	6880.64	2981.83
20.	ओडिशा	61129.48	64134.41	116829.18	11901.56
21.	पंजाब	21671.65	33613.81	24754.13	3076.43
22.	राजस्थान	54803.70	44060.02	36805.47	3383.78
23.	सिक्किम	1563.36	950.30	100.33	564.56
24.	तमिलनाडु	44612.45	32034.25	39882.36	2500.00
25.	त्रिपुरा	6321.30	6845.46	6035.76	1287.32
26.	उत्तर प्रदेश	132948.48	163679.57	52013.95	13539.62
27.	उत्तराखंड	3586.51	10118.51	14099.41	670.77
28.	पश्चिम बंगाल	129977.22	109565.18	328833.01	48504.03

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1258.70	1064.60	1212.68	396.35
30.	चंडीगढ़	1318.84	1259.25	332.60	1.50
31.	दादरा और नगर हवेली	334.40	305.00	951.32	347.32
32.	दमन और दीव	133.00	56.30	306.28	28.52
33.	दिल्ली	3009.05	3823.81	3924.94	1433.83
34.	लक्षद्वीप	149.32	45.00	33.75	0.00
35.	पुडुचेरी	441.70	596.21	671.32	23.40
	कुल	1274619.23	1542537.99	1479149.11	331905.09

नए प्रचालकों का दूरसंचार लाइसेंस

521. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश स्थापित करने के लिए निजी दूरसंचार प्रचालकों को लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) ऐसी कंपनियों के नाम क्या है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(घ) इन आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकार किए गए और कितने अस्वीकार किए गए तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नई कंपनियों को कब तक लाइसेंस दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय छात्रों के लिए वीजा मानक

522. **श्री बलीराम जाधव:**

डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस ने भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वीजा मानकों को सुगम बनाने के संबंध में भारतोन्मुखी बहुत से उपायों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा भारत सरकार द्वारा इसके प्रत्युत्तर में क्या कदम/उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या अपने-अपने देशों में भारतीय और फ्रांसीसी छात्रों की संख्या वीजा मानकों के आसान बनाने के कारण बढ़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) फ्रांस सरकार ने भारतीय छात्रों को फ्रांस में उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान बनाने के लिए वीजा मानकों के संबंध में निम्नलिखित भारतोन्मुखी उपायों की घोषणा करने की सूचना दी है:

(i) सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने फ्रांसीसी उच्च शैक्षिक संस्थाओं से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और तत्पश्चात

यदि वे फ्रांस में व्यवसाय/पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें दीर्घकालीन वीजा दिया जाएगा जिसकी वैधता 5 वर्ष तक होगी, बशर्ते, उन्होंने फ्रांस में स्नातकोत्तर या पी.एचडी. स्तर पर अध्ययन किया हो।

(ii) फ्रांसीसी दूतावास उप भारतीय छात्रों, जिन्होंने फ्रांस में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस-भारत रोजगार अवसर का नेटवर्क स्थापित करेगा।

(iii) फ्रांसीसी दूतावास अपने कॉरपोरेट भागीदारों के साथ इस वर्ष फ्रांस में उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले 235 प्रतिभाशाली भारतीय छात्रों को कुल 7.1 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा।

(iv) कैम्पस फ्रांस, फ्रांसीसी संस्थाओं और उनके पूर्व छात्रों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया तेज करने के लिए विभिन्न उच्च शैक्षिक संस्थाओं के साथ भागीदारियां करेगा।

भारत सरकार ने भी भारत में अध्ययन के लिए फ्रांसीसी छात्रों का स्वागत किया है और फ्रांस स्थित भारतीय मिशन द्वारा उनके अध्ययन की संपूर्ण अवधि के लिए वैध छात्र वीजा जारी किए जा रहे हैं। वर्ष 2012 में भारतीय मिशन द्वारा फ्रांसीसी छात्रों को 1825 छात्र वीजा जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) यह संभावना व्यक्त की जाती है कि उपर्युक्त उपायों से भारत और फ्रांस के बीच छात्रों की आवाजाही में वृद्धि होगी।

अवैध पार्किंग स्लाट

523. **श्री चंद्रकांत खैरे**:

श्री रतन सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के अधिकारियों की मिलीभगत से दिल्ली में कई अवैध पार्किंग स्लाट चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा डी.डी.ए. पदाधिकारियों के साथ ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या है जो इस संबंध में दोषी पाए गए; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में रह रहे भारतीय

524. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे** : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में रहने वाले भारतीयों का देश-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें आज की तारीख तक विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है;

(ख) आज की तारीख तक कितनी संख्या में ओ.सी.आई. आवेदन लंबित हैं तथा किस समय-सीमा तक सभी अनिवासी भारतीयों को ओ.सी.आई. कार्ड जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) दिनांक 31.07.2013 तक पंजीकृत ओ.सी.आई. की संख्या दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जैसा कि विदेश स्थित 107 भारतीय मिशनों और पोस्टों ने रिपोर्ट किया है ओ.सी.आई. पंजीकरण के लिए 11,672 आवेदन, प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में हैं।

(ग) प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं निम्नलिखित हैं:-

(i) भारत भ्रमण के लिए बहु-प्रवेश, बहु-प्रयोजन, आजीवन वीजा।

(ii) भारत में कितने भी लम्बे समय तक रुकने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरणों के पास पंजीकरण करवाने से छूट।

(iii) कृषि या बागान सम्पत्ति के अधिग्रहण को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के बराबर समानता।

(iv) पेनकार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना (यदि वे भारत में निवासी हैं तो)।

(v) जब भारत में हों, तो भारत में एक नियमित बैंक खाता खोलना।

(vi) भारत में राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थानों और संग्रहालयों के भ्रमण के लिए, दिए जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में अनिवासी भारतीयों के बराबर समानता।

(vii) भारतीय बच्चों को अन्तर्देशीय दत्तक बनाने के मामलों में, भारत में घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराए में टैरिफ के मामलों में अनिवासी भारतीयों के बराबर समानता और भारत में राष्ट्रीय उद्योगों और वन्य जीव उद्यानों में भ्रमण के लिए प्रवेश शुल्क के संबंध में स्वदेशी भारतीय पर्यटकों के बराबर समानता।

(viii) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना कि प्रवासी भारतीय नागरिकों की ओ.सी.आई. पंजीकरण पुस्तिकाओं को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए उनकी पहचान के रूप में माना जाएगा। यदि निवास के प्रमाण की आवश्यकता हो तो, प्रवासी भारतीय नागरिक एक नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित एक हलफनामा दे सकते हैं जिसमें यह वर्णित हो कि एक विशिष्ट विशेष पते को भारत में उनके निवास स्थान के रूप में माना जाए और उनके हलफनामे में विदेश में उनके निवास स्थान के रूप में माना जाए और उनके हलफनामे में विदेश में उनके निवास स्थान के पते के साथ-साथ ई-मेल पता, यदि कोई हो तो, भी दे सकते हैं।

विवरण

31.07.2013 तक प्रिंट हुए ओ.सी.आई पंजीकरण प्रमाण-पत्र/वीजा की संख्या

क्र.सं.	देश	मिशन	आबंटित किए गए वीजा/ओ.सी.आई. कार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंगोला	लुआंडा	4
2.	अर्जेंटीना	ब्यूनस आयर्स	19
3.	ऑस्ट्रेलिया	कैनबरा	27178
4.	ऑस्ट्रेलिया	मेलबर्न	39074
5.	ऑस्ट्रेलिया	पर्थ	4109
6.	ऑस्ट्रेलिया	सिडनी	63393
7.	ऑस्ट्रेलिया	वियना	5191
8.	अजरबैजान	बाकू	44
9.	बेल्जियम	ब्रूसेल्स	5823
10.	बांग्लादेश	ढाका	24
11.	बुल्गारिया	सोफिया	4
12.	बहरीन	बहरीन	1660
13.	बेलारूस	मिन्स्क	6

1	2	3	4
14.	ब्राजील	ब्रासीलिया	73
15.	ब्राजील	साओ पाउलो	141
16.	बोत्सवाना	गाबोरोने	529
17.	कनाडा	ओटावा	7523
18.	कनाडा	टोरंटो	79022
19.	कनाडा	वैंकूवर	28203
20.	चिली	सैंटियागो	163
21.	चीन	बीजिंग	4
22.	चीन	गुआंगजौ	26
23.	चीन	शंघाई	187
24.	कोलम्बिया	बोगोटा	42
25.	साइप्रस	निकोसिया	47
26.	चेक	प्राग	18
27.	जर्मनी	बर्लिन	1634
28.	जर्मनी	फ्रैंकफर्ट	8315
29.	जर्मनी	हैम्बर्ग	2678
30.	जर्मनी	मुनिच	3798
31.	डेनमार्क	कोपेनहेगन	603
32.	मिस्र	काहिरा	67
33.	स्पेन	मैड्रिड	3961
34.	इथियोपिया	अदीस अबाबा	17
35.	फिनलैंड	हेलसिंकी	798
36.	फ्रांस	पेरिस	32625
37.	ब्रिटेन	बर्मिंघम	82924
38.	ब्रिटेन	एडिनबर्ग	5807
39.	ब्रिटेन	लंदन	219091
40.	घाना	अकरा	140

1	2	3	4
41.	ग्रीस	एथेंस	102
42.	ग्वाटेमाला	ग्वाटेमालासिटी	9
43.	हांगकांग एस.पी.एल. ए.डी.एम.एन. रीजन	हांगकांग	3735
44.	हंगरी	बुडापेस्ट	22
45.	क्रोएटिया	जाग्रेब	8
46.	इन्डोनेशिया	बाली	30
47.	इन्डोनेशिया	जकार्ता	423
48.	इन्डोनेशिया	मेडान	80
49.	भारत	एफ.आर.आर.ओ. अमृतसर	2816
50.	भारत	एफ.आर.आर.ओ. बैंगलोर	2125
51.	भारत	एफ.आर.आर.ओ. चैन्नई	11359
52.	भारत	एफ.आर.आर.ओ. कोचीन	88
53.	भारत	एफ.आर.आर.ओ. दिल्ली	7829
54.	भारत	एम.एच.ए. दिल्ली	27889
55.	भारत	एफ.आर.आर.ओ. कोलकाता	1066
56.	भारत	एफ.आर.आर.ओ. लखनऊ	18
57.	भारत	एफ.आर.आर.ओ. मुम्बई	14288
58.	भारत	एफ.आर.आर.ओ. त्रिवेन्द्रम	13
59.	भारत	एफ.आर.आर.ओ. हैदराबाद	1934
60.	ईरान	तेहरान	23
61.	आयरलैंड	डबलिन	6850
62.	आइसलैंड	रिक्जेविक	51
63.	इजराइल	तेल अवीव	1074
64.	इटली	मिलान	5683
65.	इटली	रोम	1146
66.	जमाईका	किंगस्टन	604
67.	जापान	कोबे	65

1	2	3	4
68.	जापान	टोक्यो	153
69.	काजिकस्तान	आलमेती	11
70.	केन्या	मोम्बासा	4261
71.	केन्या	नैरोबी	18063
72.	कंबोडिया	नोम पेन्ह	19
73.	कुवैत	कुवैत	509
74.	लाओस	वैनटाईनी	34
75.	लीबिया	त्रिपोली	4
76.	श्रीलंका	कोलंबो	15484
77.	श्रीलंका	कैंडी	3348
78.	मेडागास्कर	अंटानानारिवो	735
79.	मालदीव	माले	14
80.	मेक्सिको	मेक्सिको सिटी	533
81.	माली	बामाको	1
82.	मंगोलिया	उलान बातार	1
83.	मोरक्को	राबत	14
84.	मॉरीशस	पोर्ट लुईस	616
85.	मलेशिया	कुआलालंपुर	92
86.	नामीबिया	विंडहोक	28
87.	नाइजीरिया	अबुजा	2
88.	नाइजीरिया	लागोस	59
89.	आईवरी कोस्ट	एबिजान	7
90.	दार-ए-सलेम	ब्रुनेई	49
91.	नीदरलैंड	दी हॉग	4336
92.	नॉर्वे	आस्लो	1799
93.	नेपाल	काठमांडू	6
94.	न्यूजीलैंड	विलिंगटन	24403

1	2	3	4
95.	ओमान	मस्कत	239
96.	पाकिस्तान	इस्लामाबाद	2
97.	पनामा	पनामा सिटी	525
98.	पेरू	लीमा	25
99.	फिलिपीन्स	मनीला	537
100.	पापुआ न्यू गुनिया	पोर्ट मोरेस्बी	5
101.	पोलैंड	वार्सा	222
102.	कोरिया (दक्षिण)	सीओल	86
103.	पुर्तगाल	लिस्बन	4063
104.	कतर	दोहा	624
105.	रियूनियन आईलैंड	सेंट-डेनिस	1264
106.	रोमानिया	बुचारेस्ट	32
107.	रूस	मोस्को	155
108.	रूस	व्लादिवोस्तोक	4
109.	सऊदी अरब	जेद्दाह	341
110.	सऊदी अरब	रियाद	627
111.	सूडान	खार्तूम	100
112.	सिंगापुर	सिंगापुर	20662
113.	सेनेगल	डकार	33
114.	सर्बिया	ई.ओ.आई. सर्बिया	5
115.	सूरीनाम	पेरामरिबो	577
116.	स्लोवाकिया	ब्रातिस्लावा	7
117.	स्वीडन	स्टॉक होम	2709
118.	स्विट्जरलैंड	बर्नी	4546
119.	स्विट्जरलैंड	जिनेवा	1309
120.	सेशल्स	माहे	895

1	2	3	4
121.	थाईलैंड	बैंकॉक	6130
122.	तजिकिस्तान	दुशानबे	3
123.	ट्रिनिडाड एंड टोबैगो	पोर्ट ऑफ स्पेन	275
124.	तुर्की	अंकारा	10
125.	तुर्की	इस्तांबुल	7
126.	ताइवान	ताइपे	67
127.	तंजानिया	दार-ए-सलेम	2194
128.	यू.ए.ई.	आबूधाबी	696
129.	यू.ए.ई.	दुबई	3303
130.	युगांडा	कंपाला	268
131.	यू.एस.ए.	अटलांटा	17
132.	यू.एस.ए.	शिकागो	79855
133.	यू.एस.ए.	हॉस्टन	91660
134.	यू.एस.ए.	न्यूयॉर्क सी.जी.आई.	174790
135.	यू.एस.ए.	सेन फ्रांसिस्को	119235
136.	यू.एस.ए.	वॉशिंगटन	54498
137.	वेनेजुएला	काराकस	1300
138.	वियतनाम	हनोई	5
139.	यमन	साना ए	93
140.	दक्षिण अफ्रीका	केपटाउन	1
141.	दक्षिण अफ्रीका	डर्बन	4977
142.	दक्षिण अफ्रीका	जोहान्सबर्ग	3575
143.	दक्षिण अफ्रीका	प्रीटोरिया	293
144.	लांबिया	लुसाका	624
145.	जिम्बाब्वे	हरारे	278
		योग	1372624

[अनुवाद]

औपचारिक शिक्षा

525. **श्रीमती मेनका गांधी**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि कैदियों के बच्चों को पांच वर्ष की उम्र के बाद जेल से बाहर आने पर औपचारिक शिक्षा मिले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 6-14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों, जिनमें कैदियों के बच्चे भी शामिल हैं, के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चों को स्कूल जाने का अवसर प्राप्त हो, सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), जो आर.टी.ई. अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रमुख साधन हैं, पास-पड़ोस में नए स्कूल खोलने, पर्वतीय, सघन वन क्षेत्रों और वंचित शहरी बच्चों के लिए भी, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल सुविधाओं, स्कूल न जा रहे बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने और आपवादिक मामलों में परिवहन/मार्गरक्षी सुविधाओं के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है।

जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं

526. **श्री रामसिंह राठवा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों को देश के जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है/किए जाने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) 08 राज्यों के 34 जिलों जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं और जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं, में सड़क अपेक्षा योजना (आर.आर.पी.) के अंतर्गत 5469 कि.मी. सड़कों के सुधार हेतु 7300 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आर.आर.पी. अंतर्गत आने वाली कुल 5469 कि.मी. लंबी सड़क का सुधार भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा वर्ष 2005 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क सुधार हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें जनजातीय जनसंख्या पर काफी ध्यान दिया गया था। विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम-पूर्वोत्तर (एस.ए.आर.डी.पी.-एन.ई.) नाम से जाना जाने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत चरण-क और अरुणाचल पैकेज हेतु लगभग 33,688 करोड़ रु. का अनुमानित निवेश प्रस्तावित है। इसमें 6418 कि.मी. सड़कों (अरुणाचल पैकेज के अंतर्गत 2319 कि.मी. सड़कों सहित) को सुधारना शामिल हैं। जिसमें से 1152 कि.मी. लंबी सड़कें पहले ही सुधारी जा चुकी है और 3465 कि.मी. लंबी सड़कों को बेहतर बनाने का कार्य सौंपा जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सउदी अरब की नई श्रम नीति

527. **श्री एस. सेम्मलई**:

श्री एंटो एंटोनी:

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

श्री मानिक टैगोर:

श्री पी.टी. थॉमस:

श्री ए. साई प्रताप:

श्री पी. करुणाकरन:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निताकत नीति लागू होने से खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे भारतीयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रम कानूनों में परिवर्तन के कारण कितनी संख्या में भारतीय खाड़ी के देशों से वापस आ गए हैं;

(घ) कितने भारतीयों को भारत लौटने के लिए आपात प्रमाण-पत्र दिए गए हैं तथा कितने लोग अभी भी उक्त प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विदेश से वापस आने वाले लोगों के लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम बनाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जैसा कि निताकत नीति के कार्यान्वयन के लिए रियायती अवधि को दो बार बढ़ाया गया है (पहली बार 3 जुलाई 2013 और दूसरी बार 3 नवंबर, 2013), इस नीति से वैध कागजात के बिना सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय कामगारों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। रियायती अवधि वैध कागजात के बिना भी कामगारों को कार्य करने की अनुमति देती है ताकि वे अपनी स्थिति को नियमित कर सकें।

(ग) और (घ) संयुक्त अरब अमीरात में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा 3428 व्यक्तियों को आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, जबकि दिसंबर 2012 से फरवरी 2013 के दौरान राजक्षमा (एमनेस्टी) की घोषणा की गई थी। राजक्षमा (एमनेस्टी) अवधि के दौरान 7923 भारतीयों ने संयुक्त अरब अमीरात को छोड़ दिया था। सऊदी अरब में इस नीति के सख्त कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भारतीय दूतावास और उसके वाणिज्य दूतावास (काउंसुलेट) ने अब तक 68,500 से अधिक आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी किए हैं ताकि प्रभावित भारतीय कामगार भारत वापस आने में सक्षम हो पाएं। इनमें से कितने कामगारों ने वास्तव में सऊदी सरकार से देश छोड़ने हेतु परमिट प्राप्त किए, इस संबंध में सूचना सऊदी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाती है। आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि राजक्षमा अवधि को 3 नवंबर, 2013 तक बढ़ा दिया गया है। राजक्षमा की प्रथम अवधि की समाप्ति के दौरान भारतीय दूतावास और इसके काउंसुलेट द्वारा आगे 1500 से अधिक आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

(ङ) और (च) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने श्रम भेजने वाले प्रमुख राज्यों के मंत्रियों/प्रतिनिधियों के साथ दो बार बैठकों का आयोजन किया था, प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 09.04.2013 का तथा दूसरी बैठक का आयोजन 25.06.2013 को किया गया था। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे खाड़ी देशों से भारत वापस आ रहे कामगारों के लिए राज्य तथा केन्द्र सरकार के वर्तमान कार्यक्रमों के अनुप्रयोग द्वारा, जहां संभव हो, पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करें। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने अलग से प्रायोगिक आधार पर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीय कामगारों को जो 'ई.सी.आर.' देशों को जा रहे हों, उन्हें उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ई.सी.आर.) पासपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाना और प्रोत्साहित करना है तथा (क) अपनी वापसी तथा पुनर्वास हेतु बचत करने, (ख) अपनी वृद्धावस्था के लिए बचत करने, (ग) कवरेज अवधि के दौरान प्राकृतिक मौत हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्राप्त करने संबंधी उन्हें सक्षम बनाना और प्रोत्साहित करना भी है।

[हिन्दी]

नए विश्वविद्यालयों द्वारा नए तकनीकी पाठ्यक्रम

528. **श्री निखिल कुमार चौधरी:**

डॉ. पी. वेणुगोपाल:

श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री आर. थामराईसेलवन:

श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा उच्च शिक्षा में अपेक्षित मानक सुनिश्चित करने के लिए अनुकरण हेतु पात्रता मानक निर्धारित किए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने निजी विश्वविद्यालयों और मानद विश्वविद्यालयों को अनुदेश दिया है कि वे कालेजों और संस्थानो को पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु संबद्ध नहीं कर सकते यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में कुछ विश्वविद्यालय अनुमेय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यू.जी.सी. द्वारा देश में उन निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई जो अपने प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में प्रचालन करते पाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा हरियाणा सहित देश के ऐसे निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते वाले वास्तविक छात्रों के हितों की रक्षा के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने यू.जी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम 2003 तैयार किए हैं और देश के सभी निजी विश्वविद्यालय इन विनियम से विनियमित होते हैं। निजी विश्वविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा में अपेक्षित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए यू.जी.सी./ सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मानदंडों जैसे कि कार्यक्रमों, संकाय, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता आदि को पूरा किया जा सके।

(ख) जी, हां। यू.जी.सी. ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है कि कोई निजी विश्वविद्यालय और समविश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले किसी कॉलेज अथवा संस्था का संबद्धन नहीं कर सकता जिससे डिप्लोमा, डिग्री या अन्य अर्हताएं प्रदान की जाती हों। यू.जी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार, निजी विश्वविद्यालय एक एकात्मक विश्वविद्यालय होगा। यू.जी.सी. (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम 2010 की धारा 16.0 के अनुसार, एक बार जब किसी संस्था को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाता है तो ये किसी अन्य संस्था को अपने साथ संबद्ध नहीं कर सकता है।

(ग) और (घ) कुछ निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से बाहर पाठ्यक्रम चलाने के लिए कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यू.जी.सी., समाचार पत्रों में सूचना जारी करने और अपनी वेबसाइट पर पोस्टिंग करने के अतिरिक्त जब कभी ऐसे उल्लंघन, नोटिस में आते हैं, तो कार्रवाई करता है। सी.एम.जे. विश्वविद्यालय, शिलांग के मामले में अभी हाल में एक ऐसा नोटिस जारी किया गया है जिसे www.ugc.ac.in पर देखा जा सकता है।

(ङ) सरकार ने लोक सभा में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुचित प्रथाओं की रोकथाम विधेयक, 2010 प्रस्तुत किया है जिसमें शैक्षिक संस्थाओं में अनुचित प्रथाओं की रोकथाम का प्रावधान है ताकि इन संस्थाओं में दाखिल हुए छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके। इसमें केपिटेशन फीस या चंदा लेने के लिए अपराधिक देयता और सिविल दंडों का भी प्रावधान है। विवरणिका (प्रोसपेक्टस) में घोषित की गई फीस से अधिक वसूलने को भी इस विधेयक में दंडनीय बनाया गया है।

एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

529. **डॉ. बलीराम**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों से सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन महानगर टेलीफोन निगम लि. में कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और शर्तों तथा निबंधन क्या है और उन बीमा कंपनियों के नाम क्या है जो वे ये सुविधाएं प्रदान कर रही हैं;

(ग) सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना पर विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक एम.टी.एन.एल. द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या उपर्युक्त स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत परिवार के केवल दो सदस्यों को ही शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वास्थ्य बीमा योजना की जांच करने और इसकी समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): (क) और (ख) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की मुख्य विशेषताएं तथा निबंधन एवं शर्तें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एम.टी.एन.एल. द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम पर खर्च की गई धन राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि	टिप्पणी
2010-11 (9 मार्च, 2011 तक)	45 करोड़ रु. (लगभग)	अपनी स्वयं की व्यवस्था से
10 मार्च, 2011 से 9 मार्च, 2012	39.76 करोड़ रु. + सेवा कर	बीमे के माध्यम से
10 मार्च, 2012 से 9 मार्च, 2012	38.86 करोड़ रु. + सेवा कर	बीमे के माध्यम से
10 मार्च, 2013 से 9 मार्च, 2014 (वर्तमान नीति)	42.24 करोड़ रु. + सेवा कर	बीमे के माध्यम से

(घ) जी, नहीं। परिवार के निम्नलिखित सदस्य, नामत: स्वयं कर्मचारी, आश्रित पति/पत्नी, आश्रित माता-पिता और दो आश्रित बच्चे इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं तथा निबंधन एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. स्कीम के चालू होने के पहले दिन से ही यह स्कीम प्रभावी हो जाती है।
2. पहले से चल रही सभी बीमारियां इस स्कीम में कवर होती हैं।
3. बीमा नीति के अनुसार दिवस देखभाल प्रक्रियाएं।
4. अंतरंग उपचार के लिए कवरेज:
   क. फैमिली फ्लोटर आधार पर कर्मचारी और उनके आश्रितों के लिए 2 लाख रु. तक।
   ख. उपरोक्त निजी कवर समाप्त हो जाने पर, कर्मचारी/आश्रितों द्वारा निम्नलिखित सीमा की शर्त के अधीन कारपोरेट फ्लोटर का अतिरिक्त उपयोग किया जा सकता है-
   - संबंधित कार्यपालक निदेशक (ई.डी.) के अनुमोदन से कर्मचारी और इसके आश्रितों के लिए 2 लाख रु. तक की धनराशि।
   - एम.टी.एन.एल. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) के अनुमोदन से कर्मचारी और उसके आश्रितों के लिए 4 लाख रुपये के बाद 2 लाख रु. तक की धनराशि।
   - किसी भी मामले में, प्रति परिवार प्रति वर्ष कुल व्यय 6 लाख रु. से अधिक नहीं होगा।
5. अंतरंग उपचार की सुविधा प्राप्त करने के लिए, कर्मचारी अथवा उनके आश्रित थर्ड पार्टी एडमिनस्ट्रेटर (टी.पी.ए.) के पैनलबद्ध अस्पतालों में जाएंगे।
6. यह स्कीम अंशदायी प्रकृति की है, क्योंकि कर्मचारी/आश्रितों को अंतरंग उपचार के लिए अपनी पात्रता के अनुसार प्रति दिन कमरे के किराए/बिस्तर प्रभार का 10% भुगतान करना होता है।
7. दावा प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया:
   क. टी.पी.ए. के पैनल वाले अस्पतालों में बिना धनराशि जमा किए उपचार करवाया जा सकता है।
   ख. जहां बिना धनराशि जमा किए उपचार संभव न हो, प्रतिभूति बीमा राशि की सीमा तक टी.पी.ए. द्वारा की जाएगी, बशर्ते टी.पी.ए./एम.टी.एन.एल. कार्यालय को पूर्व सूचना दी गई हो।
   ग. प्रतिपूर्ति की राशि चेक द्वारा अथवा ई.सी.एस. के माध्यम से जमा कराई जाएगी।
   घ. प्रतिपूर्ति राशि कर्मचारी की ओर से विकल्प दिए जाने पर उसके बैंक के उस खाते में सीधे भी जमा कराई जा सकती है, जिसमें उसका वेतन जमा होता हो।

पी.पी.पी. परियोजनाओं को शासित करने वाले कानून

530. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) कार्यक्रमों/परियोजनाओं को शासित करने के लिए कोई कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जीवन स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों/परियोजनाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) भागीदारी शर्तों और कानूनों के अंतर्गत पी.पी.पी. कार्यक्रमों/परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए कौन सा तंत्र स्थापित किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने अपनी पी.पी.पी. नीति की घोषणा दिशानिर्देशों के रूप में की है। वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशानिर्देशों को जारी किया है:-

1. अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता।

2. सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं का निर्धारण, मूल्यांकन एवं अनुमोदन।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने समग्र कार्यक्रमों एवं नीतियों के कारण लोगों का जीवन स्तर प्रभावित होता है। लोगों के जीवन स्तर पर केवल पी.पी.पी. कार्यक्रम के असर का पता लगाना संभव नहीं हो सकता।

(ङ) सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के मॉनीटरिंग के लिए संस्थागत व्यवस्था संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनका पालन सभी मंत्रालयों, विभागों, सांविधिक प्राधिकरणों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों में पी.पी.पी. परियोजनाएं जो मुख्यत: सार्वजनिक राजकोषीय एवं उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं के हितों की रक्षा की दृष्टि से है, के लिए रियायत करारों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत ढांचे का सृजन किया गया है। इन दिशानिर्देशों में परियोजना प्राधिकरणों में पी.पी.पी. परियोजनाओं के कार्य निष्पादन के मॉनीटरिंग हेतु दो-स्तरीय व्यवस्था स्थापित करने की अपेक्षा की गई है। इसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:-

(i) परियोजना प्राधिकारी के स्तर पर पी.पी.पी. परियोजनाओं की मॉनीटरिंग यूनिट (पी.पी.पी.-पी.एम.यू.)

(ii) मंत्रालय अथवा राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, के स्तर पर पी.पी.पी. कार्य निष्पादन समीक्षा यूनिट (पी.पी.पी.-पी.आर.यू.)

पी.एम.यू. द्वारा पी.आर.यू. को मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा पी.आर.यू. द्वारा प्रत्येक तिमाही में समीक्षा के लिए इन्हें संकलित करना चाहिए। संबंधित मंत्रालयों को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट योजना आयोग को तथा इसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई है। वित्त मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग इन रिपोर्टों के सारांश के साथ-साथ अग्रेतर कार्रवाई/सुधारों के संबंध में सिफारिशें तैयार करेगा जिन्हें प्रत्येक तिमाही में एक बार सी.सी.ई.ए. के समक्ष रखा जाएगा।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास में रुचि की कमी

531. **डॉ. एम. तम्बिदुरई:**

डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि देश में अनुसंधान और विकास करने के लिए छात्रों में रुचि की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास स्नातक/परास्नातक करने के बाद विदेशों/विदेशी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अनुसंधान और विकास को कैरियर के रूप में लेने संबंधी कोई आंकड़ा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बड़े पैमाने पर अनुसंधान और विकास करने के लिए छात्रों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रदान की गई अनुसंधान डिग्रियों (पीएच.डी.) की संख्या वर्ष 2008-09 में 10,781 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 16,093 हो गई है तथा इस प्रकार कई वर्षों से इनकी संख्या 49.27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार विश्व के अनुसंधान प्रकाशनों में भारत का योगदान वर्ष 2002 में 26,000 से बढ़कर वर्ष 2007 में 44,000 तक पहुंच गया है।

(ग) येल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) एवं चीन की पीएच.डी. डिग्रियों की संख्या क्रमश: वर्ष 2002 में 40,024 एंव 14,706 से बढ़कर वर्ष 2007 में 41,464 एवं 48,112 हो गई है। वर्ष 2002 एवं 2007 के बीच यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसर, विश्व प्रकाशनों में निम्नलिखित देशों का योगदान इस प्रकार था, ब्राजील-16,000 से 29,000, रूस-31,000 से 32,00, चीन-62,000 से 1,94.000, यूनाइटेड किंगडम- 93,000 से 1,25,000, संयुक्त राज्य अमेरिका- 3,15,000 से 3,58,000 एवं जापान-92000 से 98,000।

(घ) सरकार ने देश में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा उसका विकास करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। वैज्ञानिक क्षेत्रों में, इनमें शामिल है:- वैज्ञानक विभागों के लिए योजनागत आबंटन में लगातार बढ़ोतरी करना, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए नई संस्थाओं की स्थापना करना, अकादमिक एवं राष्ट्रीय संस्थाओं में उभरते हुए एवं अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों एवं सुविधाओ का सृजन करना, नई एवं आकर्षक अध्येतावृत्तियां स्थापित करना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास (आर.एंड डी.) की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना, सार्वजनिक निजी अनुसंधान एवं विकास भागीदारियों का प्रोत्साहन करना, अनुसंधान एवं विकास इकाईयों को मान्यता प्रदान करना तथा उद्योगों इत्यादि के लिए असाधारण अनुधान एवं विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) ने प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के कायाकल्पन हेतु एक कार्यबल का गठन किया था, जिसे अब कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति में परिवर्तित कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय, विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्र, उत्कृष्टता की संभावना वाले कालेज, प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं/ गौण अनुसंधान परियोजनाएं, विशेष सहायता कार्यक्रम, मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हमें सूचित किया है कि इसके द्वारा तकनीकी विषयों जैसे कैरियर अवार्ड, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं अनुसंधान कार्य, अनुसंधान संवर्धन कार्य, राष्ट्रीय डाक्टरल अध्येतावृत्ति, संकाय विकास कार्यक्रम, अनुसंधान पार्कों की स्थापना, नवाचार संवर्धन स्कीम, पोस्ट डाक्टरल अध्येतावृत्ति, अध्यापक अनुसंधान अध्येतावृत्ति इत्यादि में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी विभिन्न अनुसंधान परिषदों अर्थात भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आई.आई.ए.एस.), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.), भारतीय दर्शन-शास्त्र अनुसंधान परिषद (आई.सी.पी.आर.), भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एन.सी.आर.आई.) के माध्यम से सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी में अनुसंधान हेतु निधियां भी प्रदान कर रहा है।

[हिन्दी]

देश में डाकघर

532. **श्री विश्व मोहन कुमार:**

श्री नामा नागेश्वर राव:

श्री बदरूद्दीन अजमल:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी गांवों में डाकघर की सुविधा प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2012-13 के दौरान खोले गए नए डाकघरों का ब्यौरा क्या है एवं चालू वर्ष के दौरान असम और बिहार सहित स्थान और राज्य-वार कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) देश में डाकघरों के आधुनिकीकरण और उन्नयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों में आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. किल्ली कृपारानी): (क) और (ख) जी, हां। विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,39,086 डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्र विशेष का ध्यान न रखते हुए सभी गांवों में डाक पेटिकाओं को खाली करने, प्रत्येक ग्राहक के लिए उसके घर पर ही डाक का नियमित वितरण करने और टिकटों एवं लेखन सामग्री की बिक्री जैसी सेवाएं प्रदान कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की सर्किलवार संख्या (दिनांक 31.03.2012 को) संलग्न विवरण-I में दी गई है। डाक केन्द्रों के माध्यम से बिक्री के अतिरिक्त, संबंधित बीट में नियमित दौरों के दौरान डाकियों/ वितरक एजेंटों द्वारा डाक टिकटों एवं स्टेशनरी की बिक्री की सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

(ग) वर्ष 2012-13 के दौरान खोले गए नए डाकघरों और चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान असम और बिहार सहित अन्य स्थानों पर खोले जाने वाले डाकघरों की सर्किलवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) प्रोजेक्ट ऐरो के 'लुक फील' घटक के तहत 2515 डाकघरों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन किया गया है। सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) और (च) विगत 3 वर्षों में डाकघरों के आधुनिकीकरण का 98.24% वास्तविक लक्ष्य पूरा कर लिया गया था। लक्ष्यों, उपलब्धियों और वित्तीय परिव्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (डाकघरों की संख्या)	उपलब्धियां (डाकघरों की संख्या)	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)
2010-11	530	525	83.86
2011-12	229	207	26.09
2012-13	780	780	74.00
2013-14 (लक्ष्य)	110	-	7.49

विवरण-I

देश के ग्रामीण डाकघरों की सर्किलवार संख्या (दिनांक 31.03.2012 को)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	14806
2.	असम	3634
3.	बिहार	8583
4.	छत्तीसगढ़	2893
5.	दिल्ली	83
6.	गुजरात	8215
7.	हरियाणा	2323
8.	हिमाचल प्रदेश	2659
9.	जम्मू और कश्मीर	1495
10.	झारखण्ड	2827
11.	कर्नाटक	8598
12.	केरल	4216
13.	मध्य प्रदेश	7466
14.	महाराष्ट्र	11543
15.	पूर्वोत्तर	2640
16.	ओडिशा	7582
17.	पंजाब	3403
18.	राजस्थान	9658
19.	तमिलनाडु	10270
20.	उत्तराखण्ड	2513
21.	उत्तर प्रदेश	15727
22.	पश्चिम बंगाल	7952
	कुल	139086

विवरण-II

वर्ष 2012-13 के दौरान खोले गए नए डाकघरों तथा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की सर्किलवार संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 2012-13 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	13

1	2	3	4
2.	असम	5	7
3.	बिहार	4	6
4.	छत्तीसगढ़	17	7
5.	दिल्ली	4	7
6.	गुजरात	7	8
7.	हरियाणा	8	8
8.	हिमाचल प्रदेश	4	6
9.	जम्मू और कश्मीर	2	8
10.	झारखण्ड	6	8
11.	कर्नाटक	11	8
12.	केरल	6	2
13.	मध्य प्रदेश	9	8
14.	महाराष्ट्र	7	10
15.	पूर्वोत्तर	9	9
16.	ओडिशा	6	8
17.	पंजाब	5	7
18.	राजस्थान	6	9
19.	तमिलनाडु	7	10
20.	उत्तराखण्ड	8	13
21.	उत्तर प्रदेश	5	4
22.	पश्चिम बंगाल	4	5
	कुल	148	171

विवरण-III

प्रोजेक्ट ऐरो के घटक 'लुक एवं फील' के तहत शामिल डाकघरों की सर्किलवार संख्या (31.03.20123 तक)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	197
2.	असम	54
3.	बिहार	118
4.	छत्तीसगढ़	37
5.	दिल्ली	85
6.	गुजरात	121
7.	हरियाणा	58
8.	हिमाचल प्रदेश	43
9.	जम्मू और कश्मीर	38
10.	झारखण्ड	55
11.	कर्नाटक	135
12.	केरल	106
13.	मध्य प्रदेश	174
14.	महाराष्ट्र	190
15.	पूर्वोत्तर	95
16.	ओडिशा	107
17.	पंजाब	78
18.	राजस्थान	206
19.	तमिलनाडु	251
20.	उत्तराखण्ड	189
21.	उत्तर प्रदेश	53
22.	पश्चिम बंगाल	125
	कुल	2515

हॉकिंग और गैर-हॉकिंग जोन

533. श्री रतन सिंह:

राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिल्ली में हॉकिंग और गैर-हॉकिंग क्षेत्र निर्धारित किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उक्त जोनों हेतु निर्धारित मानक क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली में गैर-हॉकिंग क्षेत्रों में हॉकरों की स्थानीय पुलिस, स्थानीय एजेंसियों और बिचोलिए की मिलीभगत से उपस्थिति की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं; और

(घ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) किसी विशेष शहर में माल बेचने और माल नहीं बेचने वाले क्षेत्रों का निर्धारित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिल्ली नगर निगमों मे भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में उनके सभी क्षेत्रों में न्यूनतम 10 माल बेचने/खोमचा लगाने/विक्रय करने के स्थलों का चयन/अभिज्ञात करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एन.डी.एम.सी. के क्षेत्र में एन.डी.एम.सी. द्वारा शहरी पथ विक्रेता योजना बनाई गई है और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और एन.डी.एम.सी. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नही आया है।

विवरण

(1) गैर-विक्रय क्षेत्र:-

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) संवेदनशील सुरक्षा का क्षेत्र है, इसलिए रास्तों में खोमचे लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र हैं:-

(1) लिटन्स बंगला जोन (एल.बी.जेड.) जैसा कि क्षेत्रीय विकास योजना (क्षेत्र-घ) में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) राजीव चौक और इन्दिरा चौक के क्षेत्र।

(3) उच्चतम न्यायालय, चाणक्यपुरी के विदेशी दूतावासों के आस-पास के क्षेत्र।

(4) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्र।

(5) तथापि, इन क्षेत्रों में जहां कहीं भी एन.डी.एम.सी. द्वारा किऑस्क, स्टाल आदि जैसे निर्मित किए गए यूनिट हैं, उन्हें अपने कार्य निरंतर करने की अनुमति दी गई है। यदि विक्रय समिति ऐसा महसूस करती है कि इस क्षेत्र को बढाया जाए तो ऐसा सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद किया जा सकता है।

(2) विक्रय क्षेत्र:-

(1) गैर-विक्रय क्षेत्रों से अन्यत्र निजी और आवासीय कालोनियां।

(2) बस स्टाप के आस-पास के क्षेत्र।

(3) राजीव चौक और इन्दिरा चौक के क्षेत्र को छोड़कर अन्य बाजार।

(4) विद्यालयों, अस्पतालों, इंडिया गेट, सी-एक्सागन और अन्य सार्वजनिक स्थानों, पार्कों के बाहर नियमित खोमचा लगाने वाले क्षेत्र जिनमें वे भी शामिल हैं जो कि गैर-विक्रय क्षेत्रों में स्थित हैं। तथापि, पार्कों में कोई खोमचा लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शिक्षक पात्रता परीक्षा

534. **श्री अर्जुन राम मेघवाल**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) आयोजित करने की प्रक्रिया राज्यों में अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो सभी राज्यों में टी.ई.टी. किस प्रकार आयोजित की जाती है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में शिक्षक गुणवत्ता में सुधार के नाम पर शिक्षकों को चार या पाचं परीक्षाएं देनी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त जटिल एवं कठिन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए मानक टी.ई.टी. फार्मूला अपनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में निदेश कब तक राज्य सरकारों को अग्रेषित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अकादमिक प्राधिकरण के

रूप में अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) आयोजित करने के दिशा-निर्देश जारी किए है। प्रत्येक राज्य के लिए कोई अलग प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई हैं।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) केन्द्रीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कर रहा है और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अपने संबंधित राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। इस परीक्षा में दो भाग, कक्षा I से V तक शिक्षण की पात्रता हेतु पेपर-I और कक्षा VI से VIII तक शिक्षण की पात्रता हेतु पेपर-II शामिल हैं।

(घ) और (ङ) एन.सी.टी.ई. द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों के दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) की अवधारणा

535. **श्री नामा नागेश्वर राव**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) की अवधारणा की शुरुआत क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने एवं विभिन्न परीक्षा बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा पात्रता स्तर के पाठ्यक्रम में एकरूपता की कमी को दूर करने के संबंध में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंटरमीडिएट/बारहवीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों का वेटेज एवं उच्च परीक्षा के लिए प्रतिशत प्रणाली को सामान्य करने से प्रतिभाशाली छात्रों के अवसर प्रभावित हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जे.ई.ई. (मुख्य) और जे.ई.ई. (उच्च) दोनों में प्रतिशत को सामान्य करने की अवधारणा ने राज्य के भीतर और राज्यों के बीच उम्मीदवारों के भेदभाव को इतना बढ़ाया है कि त्रिपुरा और महाराष्ट्र के छात्रों को आंध्र प्रदेश की तुलना में काफी कम अंक मिले; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के छात्रों को हुए अन्याय के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) आई.आई.टी. और आई.एस.एम., धनबाद में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) आरंभ की गई थी। तत्पश्चात शैक्षिक वर्ष 2013 से इसमें राज्यों में राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों जिन्होंने जे.ई.ई. प्रणाली स्वीकार की है के अतिरिक्त एन.आई.टी. और सी.एफ.टी.आई. (केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थाएं) को शामिल करते हुए इसका विस्तार किया गया था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा एक समान मंच प्रदान करती है जो भिन्न-भिन्न परीक्षा बोर्डों द्वारा अपनाए गए मानकों में एकरूपता की कमी को पूरा करता है।

(ख) जे.ई.ई. में अब दो परीक्षाएं हैं, अर्थात् जे.ई.ई. (मेन) तथा जे.ई.ई. (एडवांस्ड)। एन.आई.टी. तथा अन्य सी.एफ.टी.आई. और उन राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों, जहां राज्यों ने जे.ई.ई. प्रणाली को स्वीकार किया है, में प्रवेश सामान्यीकृत पर्सेनटाइल अंकों पर आधारित कक्षा-XII के बोर्ड अंकों को 40 प्रतिशत अधिमानता तथा बाकी 60 प्रतिशत अधिमानता जे.ई.ई. (मेन) में प्रदर्शन को देते हुए तैयार की गई समेकित वरीयता सूची पर आधारित होता है। केवल जे.ई.ई. (मेन) में उनके प्रदर्शन के आधार पर सर्वोच्च 1.5 लाख अभ्यर्थी (सभी श्रेणियों को शामिल करते हुए) जे.ई.ई. (एडवांस्ड) परीक्षा में भाग लेने के पात्र होते हैं। आई.टी.टी. में प्रवेश जे.ई.ई. (एडवांस्ड) में श्रेणी-वार अखिल भारतीय रैंक के आधार पर इस शर्त के अध्यधीन दिया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी लागू श्रेणियों में उनके सबके बोर्डों द्वारा संचालित कक्षा-XII की परीक्षाओ में सफल अभ्यर्थियों के सर्वोच्च 20 पर्सेन्टाईल में हो।

(ग) पर्सेन्टाईल का मापदंड सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान रूप से लागू किया गया है और इसलिए प्रतिभाशाली छात्रों के प्रभावित होने के अवसर पैदा नहीं होते।

(घ) पर्सेन्टाईल विभिन्न बोर्डों की तुलना का अच्छा अवसर है और वे भेदभाव रहित हैं। वे विभिन्न बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाओं के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हैं। इस वर्ष की परीक्षा के आंकड़ों के आधार पर सर्वोच्च 20 पर्सेन्टाईल के लिए कटऑफ पर्सेन्टाईल स्कोर एक बोर्ड से दूसरे में भिन्न है। चूंकि भिन्न बोर्ड भिन्न प्रकार से मूल्यांकन करते हैं इसलिए विभिन्न बोर्डों से संबद्ध छात्रों से उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए पर्सेन्टाईल का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जे.ई.ई. (मेन) में सामान्यीकृत पर्सेन्टाईल राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के बीच अभ्यर्थियों के लिए भी भेदभाव रहित है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निवेश की आवश्यकता

536. **श्री सी. शिवासामी:**

श्री अनंत कुमार हेगड़े:

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 8 प्रतिशत वृद्धिदर हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र में बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार की ओर निवेश की आवश्यकता को छोड़कर यह अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) देश में उक्त मांग को पूरा करने के संबंध में सरकार के क्या अनुमान हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2012-17) के दौरान प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी.डी.पी. की 34.2 प्रतिशत औसत निर्धारित निवेश दर का अनुमान लगाया गया है। इस निवेश का 8.4 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रक में है और 25.8 प्रतिशत निजी क्षेत्रक में है। जिसमें से 12.3 प्रतिशत घरेलू क्षेत्रक और 13.5 प्रतिशत निजी कारपोरेट क्षेत्रक में है।

हाउसिंग रेंटल स्कीम की आवश्यकता

537. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**

श्री के. सुगुमार:

श्री एस. अलागिरी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से शहरी गरीबों हेतु हाउसिंग रेंटल स्कीम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता के संबंध में स्थानीय निकायों से संपर्क करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया मिली है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास बड़े शहरों में किराए पर रहने वाले लोगों के संबंध में कोई आंकड़ा है तथा विभिन्न श्रेणियों के घरों के लिए उनके द्वारा भुगतान किया गया औसत किराया कितना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा बड़े शहरों में घरों की आवश्यकताओं का किस प्रकार मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है एवं शहरों में आवास की समस्या से किस प्रकार निपटने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जी नहीं। आवास और शहरी गरीबी उमशमन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किया है।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ङ) आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय बड़े शहरों में किराए पर रहने वाले लोगों की संख्या और उनके द्वारा दिये जा रहे औसत किराये की राशि के कोई आंकड़े नहीं रखता। फिर भी, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में किराए पर रहने वाले परिवारों की संख्या लगभग 2.73 मिलियन है। किरायदारों द्वारा भुगतान किया जा रहा किराया बाजार के अनुसार मांग व आपूर्ति के आधार पर निर्भर होता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के आरंभ में, तकनीकी ग्रुप ने 18.78 मिलियन निवास इकाइयों की कमी का अनुमान लगाया गया था, इनमें से 96 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. श्रेणियों के थे।

"भूमि" और "कालोनी" राज्य के विषय हैं, इसलिए सभी नागरिकों को आवास मुहैया कराना राज्य सरकारों का बुनियादी उत्तरदायित्व है। फिर भी, आवासीय कमी के मुद्दे को हल करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

- शहरी निर्धनों को मूल सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) और एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.-डी.पी.) जैसे दो संघटकों के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन।
- राजीव आवास योजना।
- भागीदारी में किफायती आवास योजना।
- शहरी निर्धन आवास के लिए ब्याज आर्थिक सहायता योजना (आई.एस.एच.यू.पी.)।

रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम

538. **श्रीमती सुस्मिता बाउरी:**

श्री निखिल कुमार चौधरी:

श्रीमती पुतुल कुमारी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न कस्बों/क्षेत्रों को जोड़ने के लिए चिन्हित रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन कोरिडोरों पर कोरिडोर-वार कितनी निधि व्यय की गई/व्यय किए जाने की संभावना है तथा इसमे केन्द्र और राज्य सरकारों का कितना हिस्सा है; और

(ग) इन कोरिडोरों को कब तक कोरिडोर-वार पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) निम्नलिखित तीन प्राथमिकीकृत क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आर.आर.टी.एस.) की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं:-

(i) दिल्ली-गुडगांव-रेवाडी-अलवर : 180 कि.मी.

(ii) दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ : 90 कि.मी.

(iii) दिल्ली-सोनीपत-पानीपत : 111 कि.मी.

(ख) व्यवहार्यता रिपोर्टों के अनुसार, लागत वृद्धि और आई.डी.सी. (केन्द्रीय और राज्य करों के साथ) सहित तीन प्राथमिकीकृत आर.आर.टी.एस. कोरिडोरों की अनुमानित परियोजना लागत इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	आर.आर.टी.एस कॉरिडोर	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (सितम्बर, 2011)
1.	दिल्ली-पानीपत	111.2	18755
2.	दिल्ली-अलवर	180.0	32141
3.	दिल्ली-मेरठ	90.2	21274
	कुल	381.4	72170

आर.आर.टी.एस. परियोजना एक विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एन.सी.आर.टी.सी.) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। संबंधित आर.आर.टी.एस. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त व्यवस्था पर निर्णय नहीं लिया है क्योंकि कारिडोर स्वीकृत नहीं हुए हैं।

(ग) चूंकि संबंधित कोरिडोर अभी स्वीकृत नहीं किए गए हैं इसलिए पूर्ण होने की संभावित समय-अवधि का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पी.पी.पी. परियोजनाएं

539. **श्री रुद्रमाधव राय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन ने भारत को अपने अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निवेश से बचने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं के गुणवत्ता निर्माण एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) परियोजनाएं सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी संस्था के मध्य दीर्घकालिक आदर्श रियायत समझौता (एम.सी.ए.) द्वारा शासित होती हैं। रियायत समझौता, परियोजनाओं के निर्माण और अनुरक्षण संबंधी मानकों और विनिर्देशनों को विनिर्दिष्ट करता है। इन्हें मानकों और विनिर्देशनों के मैनुअल, जिन्हें एम.सी.ए. के साथ संलग्न किया जाता है, में विस्तारपूर्वक निर्धारित किया जाता है।

उदाहरण के लिए राजमार्ग क्षेत्रक के लिए सरकार ने पी.पी.पी. के माध्यम से दो लेन/चार/छह-लेन वाले राजमार्गों के लिए विनिर्देशनों और मानको के मैनुअल प्रकाशित किए हैं जो ज्यामितीय डिजाइन और सामान्य विशेषताओं, चौराहों और ग्रेड सेपरेटरों, तटबंध और कट सेक्सन, राजमार्ग जल-निकास, संरचनाओं के डिजाइन, निर्माण सामग्री, यातायात नियंत्रण उपकरणों/सड़क सुरक्षा उपकरणों/सड़क

किनारे वाले फर्नीचर, परियोजना सुविधाओं, पहाड़ी सड़कों के लिए विशेष अपेक्षाओं आदि को विनिर्दिष्ट करते हैं।

एम.सी.ए. में सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के लिए भी प्रावधान होता है और यह परियोजनाओं की सुरक्षा संबंधी लेखापरीक्षा करने के लिए सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति का शासनादेश देता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

540. **श्री प्रबोध पांडा:**

श्री सोमेन मित्रा:

श्री बिभू प्रसाद तराई:

श्री ताराचन्द भगोरा:

श्री उदय सिंह:

श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, जो दोषसिद्ध सांसदों और विधायकों द्वारा अपील लंबित रहने के आधार पर तीन माह के अंदर अपील किए जाने पर अयोग्य ठहराए जाने से बचाता है, की धारा-8 (4) का निरस्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विश्व के अन्य प्रजातांत्रिक देशों में इस संबंध में मौजूदा विधायी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश की राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) देश में राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएं फाइल की गई थीं। ये रिट याचिकाएं लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2005 की रिट याचिका (सिविल) 490, लोक प्रहरी बनाम भारत संघ, 2005 की रिट याचिका (सिविल) 231 और बसंत कुमार चौधरी बनाम भारत संघ, 2004 की रिट याचिका (सिविल) 694 के रूप में संख्यांकित की गई हैं। इन मामलों में न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (4) के अधीन विधिमान्य था। माननीय न्यायालय द्वारा अपने तारीख 10.07.2013 के निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि संसद को उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) को अधिनियमित करने की कोई विधायी शक्ति नहीं है और तदनुसार अधिनियम, 1951 की उपधारा (4) संविधान के अधिकारातीत है। सरकार के उक्त निर्णय के पुनर्विलोकन याचिका फाइल करने का विनिश्चय किया है। सरकार आवश्यक विधायी परिवर्तन लाने के प्रस्ताव की भी समीक्षा कर रही है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (च) ऐसी अनुभूति होती है कि देश में राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है। सरकार निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिए सोद्देश्य कार्यसूची लाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजनीति का निरापराधिकरण भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन संबंधी सुधारों का मुद्दा समग्र रूप से गत समय में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग और अन्य पणधारियों के अभिमतो पर विचार करने के पश्चात् मुद्दे पर विचार करने और विधि में परिवर्तनों के लिए व्यापक उपायों का सुझाव देने के अनुरोध के साथ भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट किया गया है। विधि आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह शीघ्र ठोस सुझाव दे। विधि आयोग की सिफारिशो के प्राप्त हो जाने पर, मामले की पणधारियों के साथ परामर्श करके और समीक्षा की जाएगी।

बी.एस.एन.एल. में मोबाइल संचार उपकरण

541. **श्रीमती रमा देवी:**

श्री एस. अलागिरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली उपकरणों की क्षमता वृद्धि में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विलंब, जो इसके विपणन शेयर का एक कारण है, की जिम्मेदारी सुनिश्चित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कुपारानी किल्ली): (क) से (ङ) भारत सरकार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने सूचित किया है कि निम्नलिखित कारणों से बी.एस.एन.एल. में जी.एस.एम. (ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस) उपकरण की क्षमता में बढ़ोत्तरी करने में कुछ विलंब हुआ है:-

- प्रक्रियागत अपेक्षाओं के कारण उपकरण की अधिप्राप्ति में विलंब।
- राज्य बिजली कंपनियों से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में विलंब।
- ओ.एफ.सी. (ऑप्टिकल फाइबर केबल) मीडिया बिछाने हेतु अनुमति मिलने में विलंब।
- कुछ सर्किलों में बढ़ी हुई उग्रवादी गतिविधियों के कारण विलंब।
- कुछ राज्यों में छतों पर टावर संस्थागित करने हेतु स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त करने एवं विभिन्न नगर निगमों द्वारा लगाए जा रहे विभिन्न प्रभारों तथा एक समान नीतियों के अभाव में शहरी क्षेत्रों में टावर संस्थापित करने में विलंब।
- अंतर प्रचालनीयता संबंधी मुद्दों का निदान एवं एस.ए.सी.एफ.ए. ([रेडियो] आवृर्ति आवंटन संबंध स्थायी सलाहकार समिति) की मंजूरी प्राप्त करना।
- भूस्वामियों द्वारा विकिरण संबंधी खतरों का उल्लेख करते हुए नये जी.एस.एम. स्थलों हेतु स्थान किराए पर देने में उदासीनता दिखाना।
- उपकरण विक्रेताओं द्वारा अवसंरचनापरक मदों की आपूर्ति में विलंब।

बी.एस.एन.एल. में मोबाइल संचार उपकरण हेतु ग्लोबल प्रणाली की क्षमता के रोल आउट को त्वरित करने के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा संबंधित प्राधिकरणों एवं विक्रेताओं के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। क्षमता बढ़ोत्तरी में आ रही बाधाओ के लिए कोई विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता।

हवाई अड्डा मेट्रो

542. **श्री भूदेव चौधरी**:

श्रीमती अश्वमेध देवी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रुटिपूर्ण हवाई अड्डा मेट्रो लाइन और मेट्रों डिब्बों के विषय में जांच हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही/की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) त्रुटिपूर्ण हवाई अड्डा मेट्रो के कारण दिल्ली मेट्रो रेल निगम को हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) जांच समिति द्वारा विभिन्न एजेंसियों अर्थात ग्राही (मैसर्स डी.ए.एम.ई.पी.एल.), निर्माण ठेकेदार (मैसर्स आई.जे.एम.-आई.जे.एम.-आई.जे.वी.) एअरपोर्ट लाइन परामर्शदाता (पी.सी.आई.-पी.बी.आई.-जे.ए.आर.टी.एस.-टी.ओ.एन.आई.सी.एच.आई.-आर.आई.टी.ई.एस.) विस्तृत डिजायन परामर्शदाता (मैसर्स सिस्ट्रा) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. (डी.एम.आर.सी.) की ओर से कमियां/असफलताएं पाई गई।

(ग) जांच समिति ने प्रणाली के असफल होने के लिए तत्कालीन निदेशक (परियोजना), डी.एम.आर.सी. श्री कुमार केशव की पहचान की है और मैसर्स आई.जे.एम.-आई.जे.एम.आई.जे.वी. को दिए गए ठेके सी 2 में डी.एम.आर.सी. के निम्नलिखित अधिकारियों को शामिल पाया है तथा उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई उचित समझी जाए, करने की अनुशंसा की गई है:

(i) श्री ओ.पी. सिंह, मुख्य परियोजना प्रबंधक

(ii) श्री रवि कपूर, उप मुख्य इंजीनियर

(iii) श्री जे.पी. वशिष्ट, उप मुख्य इंजीनियर

(iv) श्री संजीव मेहता, उप महाप्रबंधक, वित्त

(v) श्री दीपक पटियार, सहायक प्रबंधक

रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, समिति के एक सदस्य ने श्री मंगू सिंह तत्कालीन निदेशक (कार्य) और श्री आर.एन. जोशी, तत्कालीन निदेशक (वित्त) पर भी दायित्व निर्धारित करने के लिए

एक अनुपूरक नोट प्रस्तुत किया था। तथापि, अन्य सदस्य का विचार था कि दैनिक कार्यकरण में उच्च प्रबंधक द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है और इसलिए इस संबंध में डी.एम.आर.सी. के उच्च प्रबंधन पर इसका दायित्व आरोपित करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

जांच समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को भेजी गई थी और सी.वी.सी. की सलाह पर रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार रिपोर्ट को डी.एम.आर.सी. के विभिनन आधिकारियों तथा विभिनन परामर्शदाताओं और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु डी.एम.आर.सी. के बोर्ड द्वारा जांच के लिए डी.एम.आर.सी. को अग्रेषित किया गया है। डी.एम.आर.सी. को भविष्य में ऐसी खराबी न होने देने के लिए विभिन्न प्रणाली सुधारों की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

(घ) डी.एम.आर.सी. ने सूचित किया है कि उसने इस लाइन की बियरिंग की मरम्मत पर 14,03,45,541,58 रुपये का व्यय किया तथा उनका इरादा इस लागत को मुख्य रूप से ठेकेदार तथा आंशिक रूप से ग्राही से वसूल करने का है।

[अनुवाद]

आई.एल.सी.एस. के अंतर्गत निधियां

543. **श्री सोमेन मित्रा**: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित देश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के मौजूदा शुष्क शौचालयों के 'टिवनपिटपोर फ्लश शौचालयों में परिवर्तन हेतु एकीकृत निम्न मूल्य स्वच्छता (आई.एल.सी.एस.) के अंतर्गत निधि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक पिछड़ा, जनजातीय और अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले शामिल किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) शहरी क्षेत्रों में पहचान किये गए सभी शुष्क शौचालयों को "सैनिटरी टिवन-पिट पोर फ्लश शौचालयों" में बदलने के लिए यह मंत्रालय 2008 से संशोधित एकीकृत कम लागत सैनिटरी (आई.एल.सी.एस.) योजना कार्यान्वित कर रहा है। शुष्क शौचालयों के परिवर्तन के लिए आई.एल.सी.एस. के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। आई.एल.सी.एस. योजना के अंतर्गत नए प्रसाधनों के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले राज्य मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, ओडिशा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ हैं।

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनके यहां शहरी क्षेत्रों में कोई शुष्क शौचालय नहीं है। इसलिए, जिन आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के परिवारों के पास शौचालय नहीं है उनके लिए 14,549 नए प्रावधानों के निर्माण के लिए रु. 11.09 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के साथ पश्चिम बंगाल को मंजूरी दी गई थी।

(ख) आई.एल.सी.एस. के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आबंटित निधियों का ब्यौरा, राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आई.एल.सी.एस. के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आबंटित निधियों का ब्यौरा, राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र नहीं आते और योजना केवल शहरी क्षेत्रों में शुष्क शौचालय के परिवर्तन के लिए है।

विवरण

एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य वार और वर्षवार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय सहायता दी गई (रु. करोड़ में)		
		2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	बिहार	-	-	-

1	2	3	4	5
2.	उत्तर प्रदेश	79.97	-	-
3.	जम्मू और कश्मीर	-	3.36*	-
4.	नागालैंड	-	1.463	-
5.	उत्तराखण्ड	-	-	-
6.	महाराष्ट्र	8.79	-	19.21
7.	मध्य प्रदेश	5.60	4.75	-
8.	त्रिपुरा	-	22.783	-
9.	केरल	0.96	-	-
10.	राजस्थान	0.198	0.594	-
11.	पश्चिम बंगाल	3.893	5.913	-
12.	ओडिशा	-	3.574	-
13.	झारखण्ड	-	0.74	-
14.	छत्तीसगढ़	-	4.96	-
15.	मणिपुर	-	5.09	-
	कुल	99.411	53.227 (3.36*)	19.21

*पुरानी योजना की शेष बची राशि।

चालू वर्ष में आई.एल.सी.एस. योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी गई निधियां 1.8.2013 तक शून्य है।

आण्विक विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा और संरक्षा

544. **श्री धनंजन सिंह:**

श्री ई.जी. सुगावनम:

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:

श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मौजूदा और निर्माणाधीन आण्विक संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और भारत की आण्विक सुरक्षा पद्धति की विकसित देशों की पद्धति से तुलना का ब्यौरा क्या है;

(ग) आण्विक संयंत्रों से रेडियोधर्मी विकिरण से निपटने के लिए वर्तमान तैयारी क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास आण्विक सुरक्षा के समाधान के लिए एक नियमावली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों को उल्लंघन पर 500 रुपये के अत्यल्प दंड की अपेक्षा कठोर दंड की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) देश में एक स्वतंत्र आण्विक सुरक्षा नियामक प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) देश में मौजूदा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा और संरक्षा को निरंतर आधार पर मानीटर किया जाता है, और निर्धारित अनुसार उनकी आवधिक रूप से सुरक्षा और संरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षा की जाती है।

(ख) भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्पन, निर्माण और प्रचालन, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए.ई.आर.बी.) की सुरक्षा संबंधी संहिताओं, सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों, सुरक्षा संबंधी मैनुअलों और तकनीकी दस्तावेजों के रूप में निर्धारित सुरक्षा और संरक्षा संबंधी अपेक्षाओं तथा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। ये अपेक्षाएं/दिशानिर्देश, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर तैयार किए गए सुरक्षा और संरक्षा संबंधी मानदंडों के अनुरूप है।

(ग) भारत के नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में, विकिरण सक्रियता के बड़ी मात्रा में उन्मुक्त होने की किसी बड़ी घटना का सामना करने के लिए डिजायन संबंधी विशिष्टताओं, प्रचालन प्रक्रियाओं और विनियामक नियंत्रण के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षोपायों का प्रावधान किया गया है। संयंत्रों से और संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्र में पर्यावरणीय आव्यूहों से उन्मुक्त होने वाली विकिरण सक्रियता की मात्रा का नियमित रूप से मानीटरन, एक सुदृढ़ मानीटरन प्रणाली के माध्यम से विकिरण सक्रियता के स्तर की जांच करने के लिए किया जाता है। किसी विकिरण सक्रिय पदार्थ के उन्मुक्त होने से सम्बद्ध किसी असंभाव्य घटना का सामना करने के लिए सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एन.ए.पी.पी.) में आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी और अनुक्रिया संबंधी योजनाएं उपलब्ध हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्र इन योजनाओं को उपयोग में लाकर आवधिक रूप से अभ्यास करते हैं।

(घ) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के उच्च स्तरीय दस्तावेज नामत: विकिरण संरक्षण नियम, 2004, मिशन विवरण और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की संहिताओं में, नाभिकीय सुरक्षा से संबंधित सभी चिंताओं का समाधान किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद ने स्वयं द्वारा विनियमित सुविधाओं के विनियमन और सुरक्षा संबंधी पहलुओं से संबंधित 141 विनियामक दस्तावेज प्रकाशित किए हैं।

(ङ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30 (3) के अंतर्गत किया गया 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान छुटपुट प्रशासनिक चूक होने के संबंध में है। सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत किए गए हैं। धारा 17 (सुरक्षा के संबंध में विशेष उपबंध) के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने पर कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडणीय होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद को प्रवर्तन संबंधी अन्य किसी कार्रवाई, जिसमें लिखित चेतावनी से लेकर सहमति को वापिस लेना/निलंबित करना शामिल हैं, को करने का भी अधिकार दिया गया है। लाइसेंस को वापिस लेना अपने आप में ही एक बहुत कठोर आर्थिक दंड है और इससे पणधारक की वित्तीय स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है।

(च) परमाणुवीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011 को वर्ष 2011 में संसद में पुर:स्थापित किया गया था। सरकार उक्त विधेयक उक्त विधेयक में सरकारी संशोधनों को पुर:स्थापित करने का विचार रखती है।

परीक्षा के माध्यम से राज्यों के सिविल अधिकारियों की भर्ती

545. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य के सिविल सेवा/पुलिस सेवा के अधिकारियों को आई.ए.एस., आई.पी.एस. और भारतीय वन सेवा में शामिल करने के लिए पदोन्नति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पदोन्नति के लिए प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.) पर विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसका कारण क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) अखिल भारतीय सेवाओं के सभी संवर्गों के पदोन्नति कोटे में भर्ती की चयन प्रक्रिया की स्कीम में कुछ परिवर्तन करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। मौजूदा विनियमों के अनुसार किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्धारण उसके सेवा रिकार्डों के आधार पर किया जाता है। संशोधित स्कीम के तहत किसी उम्मीदवार का निर्धारण चार घटकों अर्थात 'लिखित परीक्षा', 'सेवा की अवधि', 'कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का निर्धारण' और 'साक्षात्कार' के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित नियमों/विनियमों में आवश्यक संशोधन करने होगें। राज्य सरकारों से परामर्श किया

गया है। विनियमों को निर्धारित करते समय राज्य सरकारों और अन्य स्तरों से प्राप्त निविष्टियों को ध्यान मे रखा जाएगा।

गरीब बस्तियों का विकास

546. **श्री के. सुगुगार:**

डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

श्री सी.आर. पाटिल:

श्री महाबली सिंह:

श्री पी.के. बिजू:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

श्री गणेश सिंह:

श्री एस. पक्कीरप्पा:

श्री हरीश चौधरी:

श्री ए. सम्पत:

श्रीमती रमा देवी:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

श्री प्रेमचन्द गुड्डू:

श्री निलेश नारायण राणे:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव आवास योजना सहित देश में गरीब बस्तियों के विकास हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और योजना के प्राथमिकता क्षेत्र क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित की गई निधियों, खर्च की गई निधियों, निर्मित आवासों, गरीब बस्तियों के निवासियों को प्रदान किए गए आवासों, निर्धारित लक्ष्यों/प्राप्त किए गए लक्ष्यों/पूरा होने की प्रत्याशित तिथि का योजना और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ योजनाएं लंबित पड़ी हैं/निर्धारित समय से पीछे चल रही हो। उनके लिए आवंटित निधियां खर्च नहीं हुई हैं;

(घ) यदि हां तो, योजना-वार तत्संबंधी कारण क्या हैं और गरीब बस्ती विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए स्थापित किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गरीब बस्ती विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय देश में स्लमों का विकास करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:-

(1) **जे.एन.एन.यू.आर.एम.**: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) को उसके दो संघटकों नामत: शहरी गरीबों की बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) कार्यक्रम और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के साथ 3 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था। बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत देश के 65 चुनिन्दा शहरों को शामिल किया गया है और बाकी शहरों को आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत शामिल किया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. की कार्य अवधि वर्ष 2005-06 से शुरू हो कर 7 वर्षों के लिए अर्थात 31.03.2012 तक थी। जे.एन.एन.यू.आर.एम. की अवधि को 31.03.2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने तथा सुधारों के क्रियान्वयन के लिए जिसे दो वर्ष के लिए अर्थात् 31.03.2014 तक बढ़ा दिया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. का मुख्य थ्रस्ट स्लमों का विकास करने और शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने पर हैं।

(2) **राजीव आवास योजना**: राजीव आवास योजना का प्रायोगिक और प्रारंभिक चरण 02.06.2011 को शुरू किया गया था जिसकी अवधि 02.06.2013 तक है। चरण-2 जो कि राजीव आवास योजना का क्रियान्वयन का चरण है, 12वीं योजना के विचाराधीन है।

राजीव आवास योजना के अंतर्गत राज्यों को एस.एफ.सी.पी.ओ.ए. तैयार करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह सहायता उन राज्यों को दी जाती है जो आवास सहित स्लम इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के लिए स्लम का पुनर्विकास करने के लिए स्लम निवासियों को बेहतर आश्रय और बुनियादी नागरिक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें संपत्ति अधिकार देने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए भूमि का आरक्षण करने/तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) निर्धारित करने, शहरी गरीबों/स्लम निवासियों को बुनियादी सेवाओं के लिए म्यूनिस्पिल बजट में 25 प्रतिशत उद्दिष्ट करने तथा शहरी गरीबों के लिए भूमि की समस्या का निवारण करने और किफायती आवास की कमियों को पूरा करने के लिए वैधानिक संशोधन करने और नीति में परिवर्तन करने के इच्छुक हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत प्राप्त हुई उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है। राजीव आवास योजना के शुरू होने से लेकर अब तक की राज्य-वार प्रगति संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) और (घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत कुल 15.70 लाख रिहायशी एककों की स्वीकृति दी है। इनमें से 10.98 लाख रिहायशी एककों को निर्माण कार्य पूरा हो गया है अथवा निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है।

रिहायशी एककों का निर्माण कार्य पूरा होने में होने वाले विलंब के मुख्य कारण निम्न अनुसार है:-

- अन्य कारकों के साथ स्टील और सीमेंट की बढ़ती कीमतों के कारण लागत में वृद्धि तथा इस वृद्धि को पूरा करने में राज्यों, शहरी स्थनीय निकायों और लाभभोगियों की अनिच्छा-म्युनिस्पिल की अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण विशेषकर शहरी स्थानीय निकायों की अनिच्छा। मूल अनुमान के प्रति भारत सरकर के अंशदान का स्थिर बने रहना तथा लागत वृद्धि का वहन राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों/लाभभोगियों द्वारा किया जाना।
- आई.एच.एस.डी.पी. के संघटक में जो कि छोटे और मझौले कस्बों के निमित्त हैं, लागत की उच्चतम सीमा, कृत्रिम रूप से 80,000 रुपय प्रति रिहायशी एकक लगाई गई थी जिसे वर्ष 2009 में संशोधित करके 1.4.2008 से एक लाख रुपए प्रति रिहायशी एकक लागू की गई है जिसमें भारत सरकार का अंशदान 80% था। इस उच्चतम सीमा के फलस्वरूप राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों पर अत्यधिक भार पड़ गया जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं में विलंब हुआ।
- राज्य/क्रियान्वयन एजेंसी/शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) स्तर पर परियोजना प्रबंधन क्षमता की कमी।
- स्व-स्थाने परियोजनाओं के मामले में स्लम निवासियों का अस्थाई रूप से पुनर्बसाव करने में कठिनाईयां।
- मुकदमेबाजी से मुक्त भूमि की कम उपलब्धता।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत सतत् परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने मिशन की अवधि को मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे :-

(1) लागत में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को अतिरिक्त राज्य अंशदान की व्यवस्था करें।

(2) लागत के बढ़ने और विलंब होने से बचने के लिए परियोजनाओं का निष्पादन लाभार्थी के नेतृत्व में करें।

(3) राज्य अपने निजी संसाधनों में से अथवा हडको जैसे वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करके परियोजनाओं की लागत में होने वाली वृद्धि को पूरा कर सकते हैं ताकि इन्हें निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके।

(4) कार्य-योजना बनाना और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना।

(ङ) इस मंत्रालय द्वारा स्लम विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के तंत्र और उसके लिए किए गए/किए जा रहे उपायों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(1) परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मानीटरी का 3-स्तरीय तंत्र स्थापित है: (1) परियोजना क्रियान्वयन यूनिट (पी.आई.यू.) द्वारा शहरी स्थानीय निकाय स्तर, (2) कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पी.एम.यू.), तृतीय पक्षकार निरीक्षण और मानीटरिंग एजेंसी (टी.पी.आई.एम.ए.), राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) का राज्य स्तर और (3) केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सी.एस.एम.सी.) और केन्द्रीय स्वीकृति समिति (सी.एस.सी.), एकीकृत गरीबी निगरानी प्रणाली (आई.पी.ओ.एम.एस.), केन्द्रीय टी.पी.आई.एम. एजेंसियां और निगरानी एजेंसियां।

(2) समय-समय पर सचिव सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य/शहरी स्तर पर पुनरीक्षा बैठकें की जाती हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजनावार और राज्यवार उपलब्धि

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	बी.एस.यू.पी.									
		समग्र मिशन अवधि के लिए आबंटन	जारी ए.सी.ए.				पूर्ण रिहायशी ईकाई				मलिन बस्तियों में रहने वालों को दिया गया
			2010-11	2011-12	2012-13	वर्तमान वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	वर्तमान वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह										
2.	आन्ध्र प्रदेश	1547.4	325.1	197.3	95.0		21094	20087	562		108752
3.	अरुणाचल प्रदेश	44.0	0.8		16.2			92	8		
4.	असम	121.9	12.3				352		64		416
5.	बिहार	531.5						352	32		352
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	446.1	38.3	144.9			1600	10624			2720
7.	छत्तीसगढ़	385.2	7.4		48.7				6624	304	2940
8.	दिल्ली (एन.सी.टी.)	1481.3	183.7	116.0	145.0	152.9	5628	1316			585
9.	दादर और नगर हवेली										
10.	दमन और द्वीप										
11.	गोवा	11.4									
12.	गुजरात	1015.6	158.4	23.4	65.9	7.3	16670	14812	8794	300	68303
13.	हरियाणा	57.3	7.8				174	842	40		202

14.	हिमाचल प्रदेश	31.3		2.8					40		
15.	जम्मू और कश्मीर	140.2	3.2	10.3	5.2			356	69	147	300
16.	झारखण्ड	351.1	37.5								
17.	कर्नाटक	408.0	50.0	102.3	16.3	20.1	3588	10896	1804	251	27184
18.	केरल	250.0	50.7	7.5	33.0		3560	3348	1612	323	13028
19.	मध्य प्रदेश	351.1	56.6	32.7	19.1	12.3	1679	4161	3462	99	3847
20.	महाराष्ट्र	3372.6	293.9	296.4	166.2	3.9	7592	21910	3149	756	20222
21.	मणिपुर	43.9		22.0					70	130	1250
22.	मेघालय	40.4		10.1	10.1		16	48	112		96
23.	मिजोरम	80.1	7.2	12.8	12.8	6.9	65	70			
24.	नागालैण्ड	105.6	26.4		26.4		750	520		930	
25.	ओडिशा	78.7	9.9	7.7	8.5		627	254	123	68	1059
26.	पुदुचेरी	83.2	1.1	7.0	8.1		207	151	72		168
27.	पंजाब	444.5	9.0		21.1		140	860	544	56	
28.	राजस्थान	383.5	43.2				160	114			274
29.	सिक्किम	29.1	8.0	6.6	0.7	6.6		52			
30.	तमिलनाडु	1107.8	162.4	87.3	163.3		8770	16672	6812	3482	43815
31.	त्रिपुरा	23.7									256
32.	उत्तर प्रदेश	1165.2	284.5	184.0	27.0		6582	13786	3445		30071
33.	उत्तराखंड	97.8	8.9	1.3	2.4	2.9	45	9	97		43
34.	पश्चिम बंगाल	2127.0	150.3	289.0	295.0	51.8	18181	19669	10306	1549	75499
	कुल	16356.4	1936.5	1561.5	1186.0	264.6	97480	141001	47841	8395	401382

क्र.सं.	राज्य	आई.एच.एस.डी.पी.									
		समग्र मिशन अवधि के लिए आबंटन	जारी ए.सी.ए.				पूर्ण रिहायशी ईकाई				मलिन बस्तियों में रहने वालों को दिया गया
			2010-11	2011-12	2012-13	वर्तमान वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	वर्तमान वर्ष	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27.3									
2.	आन्ध्र प्रदेश	764.6	95.3	1.8	102.8		2366	3476	803	432	27661
3.	अरुणाचल प्रदेश	24.5	4.5								
4.	असम	67.3			3.7		376	435	251	33	287
5.	बिहार	168.1	19.3	24.1	128.2		1454	589	526		9761
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)										
7.	छत्तीसगढ़	158.8	13.7				1076	1825	2811	559	3268
8.	दिल्ली (एन.सी.टी.)		1.4								
9.	दादर और नगर हवेली	20.6									
10.	दमन और द्वीप	22.0					2				
11.	गोवा	35.8			0.7						
12.	गुजरात	256.3	6.5	14.5	54.3		2385	593	2189	104	1210
13.	हरियाणा	209.7	19.8	29.2	12.4	6.4	1456	1819	1277	79	7647
14.	हिमाचल प्रदेश	37.1	5.9		7.7				32		
15.	जम्मू और कश्मीर	117.3	5.4	26.8	13.6			942	1679	239	2672
16.	झारखण्ड	136.0	13.9	10.6					1285		1230

17.	कर्नाटक	222.7	60.4	69.4			2639	7882			11699
18.	केरल	198.8	30.7	13.1	7.6	9.8	3806	3175	2042	252	6020
19.	मध्य प्रदेश	276.6	6.8	18.2	16.4	4.8	122	448	2660		250
20.	महाराष्ट्र	1130.6	75.5	51.0	360.9	39.2	2278	7618	6429	770	7901
21.	मणिपुर	32.4	5.7	16.0				832	1637	29	2829
22.	मेघालय	29.0						48			48
23.	मिजोरम	29.8		14.9			347	473	384	190	1394
24.	नागालैण्ड	44.1					480				
25.	ओडिशा	176.3	4.7	22.8	33.5	4.5	1352	1211	1165	779	5008
26.	पुदुचेरी	27.0									
27.	पंजाब	172.6	50.5		10.2				702	160	32
28.	राजस्थान	424.6	122.0	5.0	99.9	73.4	1527	1658	2822	1069	5811
29.	सिक्किम	20.9			9.0						
30.	तमिलनाडु	349.4	70.9	11.6	34.5		11878	6033	3916	938	29945
31.	त्रिपुरा	28.4	12.4		2.8		9.3	663	919		2061
32.	उत्तर प्रदेश	854.4	198.2	199.0	4.7	0.4	3214	6777	4360		23539
33.	उत्तराखंड	63.6	16.8	17.5	7.5		336	666	264		763
34.	पश्चिम बंगाल	681.0	34.2	147.6	33.1	17.2	11647	7988	4127	587	46891
	कुल	6807.3	874.3	693.1	943.5	155.8	49644	55151	42280	6220	197927

विवरण-II

राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रगति

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	जारी करने का वर्ष	कुल परियोजना लागत	ए.सी.ए. की प्रथम किस्त केन्द्रीय अंश (1/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	केशव नगर स्लम की डी.पी.आर.; स्व-स्थाने पुन: विकास आर.ए.वाई. प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत जी.एच.एम.सी.	2011-12	5874.59	741.59
2.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	विजयवाडा, नगर निगम में रे के अंतर्गत (रे पायलट परियोजना-I) धाल मिल स्लम क्षेत्र की डी.पी.आर.	2012-13	2013-42	301.11
3.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा नगर निगम में रे के अंतर्गत एन.एस.सी. बोस का डी.पी.आर. (रे पायलट परियोजना-2)	2012-13	7617.57	1209.45
4.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	सूर्या तेजा नगर में यथा स्थाने पुनर्विकास के लिए पायलट परियोजना	2012-13	1131.08	188.51
5.	मध्य प्रदेश	इंदौर	राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) के अंतर्गत इंदौर मेट्रोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (1463 रिहायशी इकाईयां) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (महादेव नगर, इंद्रजीत नगर, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगर-2, निपनिया ग्राम काकड, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगर-I, और राहुल गांधी नगर (बजरंग नगर की प्रायोगिक डी.पी.आर.)	2011-12	8433.55	1242.85
6.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की स्लम मुक्त शहर आयोजना के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (1) एम.एल.बी. स्कूल के पीछे (2) सारा पीपर (3) चौधीर मोहल्ला (4) (रविदास नगर) की प्रायागिक डी.पी.आर.	2011-12	3694.58	557.65
7.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत ग्वालियर नगर निगम की स्लम मुक्त शहरी आयोजना के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (शर्मा फार्म-2,	2011-12	5715.52	842.03

1	2	3	4	5	6	7
			शर्मा फार्म सं.-1, शांति नगर वार्ड सं. 21, कैंसर पहाड़ी, महलगांव के पहाड़ी) की डी.पी.आर.			
8.	मध्य प्रदेश	सागर	राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) के अंतर्गत सागर मैट्रोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना के अनुसार चिन्हांकित तीन स्लमों (किशोर न्यायालय के पास वाली स्लम, खटुई बस स्टैंड के पीछे वाली स्लम और कसाई बस्ती) की प्रयोगिक डी.पी.आर.	2011-12	3511.32	500.89
9.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल में निर्माण के लिए ज्ञात स्लमों (अर्जुन नगर, झील नगर, शांति नगर और अम्बेडकर नगर) का पायलट डी.पी.आर.	2012-13	7399.77	1121.18
10.	केरल	तिरुवंतपुरम	पायलट परियोजना के लिए माथीपुरम कालोनी, विजहित गम, तिरुवंतपुरम, केरल रे के अंतर्गत	2011-12	7186.94	1157.39
11.	ओडिशा	भुवनेश्वर	पाथरभंडा आर.ए.वाई. (प्रायोगिक परियोजना) रंगा माटिया स्लम सुधार परियोजना भुवनेश्वर, उड़िसा के लिए डी.पी.आर.	2011-12	4476.61	606.86
12.	ओडिशा	भुवनेश्वर	रे के अंतर्गत पत्थरबंध स्लम कलस्टर, भुवनेश्वर (यथास्थाने पुनर्विकास) के लिए पायलट परियोजना	2012-13	8539.99	1223.97
13.	ओडिशा	कटक	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (कटक में यथा स्लम के विकास) कटम में 10 संख्या सल्म कलस्टरों के लिए पायलट परियोजना	2012-13	2583.32	359.26
14.	ओडिशा	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पायलट परियोजना महिषकला स्लम कलस्टर, भुवनेश्वर (स्वस्थाने के लिए पुनर्विकास)	2012-13	3532.33	505.17
15.	मिजोरम	आईजोल	जुआंगतुई, आईजोल में राजीव आवास योजना पायलट परियोजना	2012-13	1120.01	316.34
16.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर शहर में लालगंगा स्लम में यथा स्थाने पुनर्विकास और पुन: आबंटन के लिए राजीव आवास योजना पायलट परियोजना.	2012-13	1359.95	202.93
17.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रायबरेली शहर के स्लम मुक्त शहर के अनुसार ज्ञात स्लम के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	6460.76	989.02
18.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर में मैगजीन मोहल्ला सुधार परियोजना के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	1367.18	173.21

1	2	3	4	5	6	7
19.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर शहर में लालगंगा स्लम में यथा स्थाने पुनर्विकास और पुनः आबंटन के लिए राजीव आवास योजना पायलट परियोजना	2013-14	3769.59	479.79
20.	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रायबरेली शहर चरण-II की स्लम मुक्त शहर के अनुसार ज्ञात स्लमों के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	5291.01	779.12
21.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	राजीव आवास योजना के अंतर्गत फैजुल्लाहगंज वार्ड, लखनऊ गौड भीत, भारत नगर, चमराही, शिवलोकपुर, दाउद नगर और नया दाउद नगर नामक 5 स्लमों के यथा स्थाने विकास के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	2475.35	358.40
22.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत हरवंस मोहल स्लम सुधार परियोजना के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	518.31	69.02
23.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	राजीव आवास योजना पोखर पूर्वा स्लम सुधार परियोजना के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	824.76	100.45
24.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कन्नौज में यथा स्थाने शेखाना और बजरिया शेखाना स्लमों के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	1752.57	219.16
25.	तमिलनाडु	त्रिची	राजीव आवास योजना के अंतर्गत त्रिची में करीकलान स्ट्रीट (नाडुकोडाडूयम पेटाई) के यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	1721.15	233.36
26.	तमिलनाडु	चैन्नई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अथीपट्ट अम्बातुर में काक्कनजी नगर स्लम के पुनर्वास के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	8491.80	1157.46
27.	राजस्थान	भरतपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नमक कटरा स्लम, भरतपुर, राजस्थान के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	908.01	144.26
28.	राजस्थान	बीकानेर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत भाटों और ओडडो का वॉस, बीकानेर के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	1728.04	253.50
29.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत संजयनगर बाटा बस्ती-चरण-I, जयपुर के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	9660.97	1489.87

1	2	3	4	5	6	7
30.	राजस्थान	अलवर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बुध विहार, प्रताप स्कूल के पीछे, और धोबीगट्टा अलवर के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	8345.56	1325.93
31.	राजस्थान	अजमेर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बस्ती स्थल पसंद नगर कोटरा और ईदगाह (चौरसिया वास) अजमेर के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	8511.26	1352.26
32.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत किरण की धानी स्लम, जयपुर राजस्थान की पायलट डी.पी.आर.	2011-12	5729.2	919.9
33.	राजस्थान	कोटा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोटा में स्वामित्व आवासीय योजना के लिए किराए के लिए पायलट डी.पी.आर. (मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय स्कीम विस्तार)	2013-14	7166.58	1138.62
34.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत शिमला में कृष्ण नगर स्लम के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	3399.65	920.74
35.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	ईटानगर शहर के चिपूंगांव में अवसंरचना सहित 576 (जी+3) किराया आवासों का निर्माण	2013-14	4431.20	1290.97
36.	पंजाब	बटाला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बटाला, पंजाब में तीन स्लमों के यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट डी.पी.आर.	21.12.2012 को स्वीकृत	683.25	110.05
37.	जम्मू और कश्मीर	लेह	राजीव आवास योजना के अंतर्गत लेह ओल्ड टाउन के उन्नयन के लिए पायलट डी.पी.आर.	(अभी जारी किया जा रहा है)	2221.88	593.73
38.	तमिलनाडु	चैन्नई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अथीपट्टू अम्बातुर, चैन्नई में काककबजी नगर स्लम के पुनर्वास (अन्यत्र बसाने के लिए पायलट डी.पी.आर. चरण-II)	30.0.13 को जारी (अभी तक जारी किया जा रहा है)	3222.81	441.64
39.	पंजाब	जालंधर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत जालंधर में 9 स्लमों के यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट डी.पी.आर.		1259.65	205.34

1	2	3	4	5	6	7
40.	कर्नाटक	बंगलौर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बजाने वर्धुर हुबली, बंगलौर) में सुलीकुटे ग्राम, सि.नगर 22 में अवसंरचना सहित 900 घरों के निर्माण की पायलट डी.पी.आर.		57096.62	871.67
41.	कर्नाटक	तुमकर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बजाने) तुमकुर में डिब्बूर में अवसंरचना सहित 1200 आवासीय एककों के निर्माण की पायलट डी.पी.आर.		6996.48	1081.27
42.	कर्नाटक	हुबली-धरवाड़	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बजाने) टुमकुर में हुबली-धरवाड़ में अवसंरचना सहित 1072 आवासीय एककों के निर्माण की पायलट डी.पी.आर.।		6766.52	1021.93
43.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अभिज्ञात स्लमों (हरीफाटक राजीव नगर, लोहार पट्टी, मोती नगर, एकता नगर) उज्जैन की पायलट डी.पी.आर.	08.03.2013 को जारी	7201.74	1091.17
44.	ओडिशा	जजपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत ओडिसा जजपुर में (स्वस्थाने विकास) 15 अदद स्लम क्लस्टरों के लिए पायलट डी.पी.आर.	(अभी तक किया जा जा रहा है)	4778.70	692.98
45.	छत्तीसगढ	बिलासपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अशोक नगर स्लम, वार्ड सं. 42 बिलासपुर छत्तीसगढ पायलट डी.पी.आर.	12.04.2013 को जारी	3567.23	544.69
46.	हरियाणा	यमुनानगर-जगदिरी	राजीव आवास योजना के अंतर्गत यमुना नगर जगादरी, हरियाणा के 9 स्लमों में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए पायलट डी.पी.आर.	(अभी तक किया जा जा रहा है)	6036.76	957.52
47.	गुजरात	राजकोट	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नटराजनगर स्लम वार्ड नं. 12, राजकोट में अवसंरचना सहित 252 (जी+4) किराया आवासों का निर्माण	31.05.13 को जारी	1581.25	247.20
48.	गुजरात	अहमदाबाद	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अहमदाबाद में रमेश दत्त कालोनी का यथास्थाने पुनर्विकास (924 आवासों का निर्माण) और जदीबा नगर-इंदिरानगर (163 आवासों का निर्माण) के लिए प्रायोगिक परियोजना।	(अभी तक जारी किया जा रहा है)	4111.06	624.00
49.	छत्तीसगढ़	कोबरा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कुआं महा स्लम, कोरबा प्रायोगिक परियोजना		1280.53	195.37

1	2	3	4	5	6	7
50.	छत्तीसगढ़	भिलाई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत धासीदास नगर, स्लम भिलाई में		6718.55	1025.70
51.	राजस्थान	जोधपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नाटीया बस्ती, जोधपुर की प्रायोगिक परियोजना		1083.66	178.82
52.	केरल	कोलमा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत एस.एम.पी. प्लेस कालोनी, कोल्लम की प्रायोगिक परियोजना		1785.18	249.06
53.	हरियाणा	सिरसा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत सिरसा (कंगनपुर और पार्क आटो मार्किट के पास) 3008 डी.यू. के निर्माण के लिए प्रायोगिक परियोजना		9499.90	1493.69
54.	हरियाणा	रोहतक	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रोहतक में 8 स्लमों का यथा स्थाने आवास और अवसंरचना विकास की प्रायोगिक परियोजना		9589.18	1598.20
55.	हरियाणा	अम्बाला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अम्बाला में 48 स्लमों के विकास की पायलट परियोजना		5983.26	997.21

*55 प्रायोगिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की कुल अनुमोदित लागत: 2468.21 करोड़ रु.

*अब तक प्रथम किस्त के रूप में 244.73 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं

547. **श्री एस.आर. जेयदुरई:**

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों की सूचना और संचार तकनीकी को उन्नयन करने के मद्देनजर देश में ई-न्यायालय परियोजना को लागू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी न्यायालयों के वीडियो कॉनफ्रेंसिंग से कब तक जुड़ने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोगिक स्कीम (सी.एस.एस.) पर वर्ष 1993-1994 से कार्यान्वयन चल रहा है। स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार, न्यायालयों की भौतिक अवसंरचना में सुधार के साथ न्यायिक अधिकारियों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों की वृद्धि करती है। स्कीम के अधीन केंद्रीय सहायता के अनुपात को 50:50 से 75:25 तक परिवर्तित किया है और स्कीम को, वर्ष 2011-12 के आगे से केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सम्मिलित करने के लिए उपांतरित किया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह 90:10 है और 2010-11 से प्रभावी है। स्कीम

के लिए किया गया बजट आबंटन केंद्रीय सहायता को निर्बंधित करता है। तथापि, राज्य अतिरिक्त रकम को व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एस. के अधीन निर्मुक्त की गई निधियों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने, देश में ई-न्यायालयों एकीकृत मिशन पद्धति परियोजना को कार्यान्वित करने के अधीन 935 करोड़ रुपए के बजट से मार्च, 2014 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और 14,249 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आई.टी.सी. अवसंरचना योग्य बनने (कंप्यूटरीकरण) के लिए अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र परियोजना के लिए कार्यान्वयन अभिकरण है। ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र को अब तक 597.35 करोड़ रुपए के कुल रकम को निर्मुक्त की जा चुकी है।

2010 में, सरकार ने मार्च, 2014 तक कामगारों और तत्समान न्यायालय को आच्छादित करते हुए लगभग 500 अवस्थानों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग का अनुमोदन किया है। अब तक पर्याप्त संख्या में कामगारों ने पहले ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा प्राप्त कर ली है, यह विनिश्चय किया गया है कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कामगारों और न्यायालय के बीच संयोजकता के लिए उपयुक्त अनुकूल उपस्कर और साफ्टवेयर का अवधारण करने के लिए प्रायोजित अध्ययन संचालित करने के लिए 10 कारागारों और तत्समान न्यायालय को छांटा गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष तारीख 31.07.2013 तक के दौरान न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का राज्यवार जारी निधियों के ब्यौरों का विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11 में निर्मुक्त	2011-12 में निर्मुक्त	2012-13 में निर्मुक्त	2013-14 में निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	1888.00	6393.00	0.00
2.	बिहार	0.00	0.00	1524.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	400.00	2097.00	0.00	0.00
4.	गोवा	0.00	172.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	0.00	0.00	9893.00	10000.00
6.	हरियाणा	1320.00	2138.00	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	547.00	0.00	0.00	806.00
8.	जम्मू और कश्मीर	140.00	1035.00	2572.00	0.00
9.	झारखंड	0.00	0.00	1500.00	1693.00
10.	कर्नाटक	500.00	2961.00	7610.00	5100.00
11.	केरल	606.00	1169.00	1499.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	1738.20	4403.00	2046.00	6141.00
13.	महाराष्ट्र	1458.52	12915.00	5920.24	10000.00

1	2	3	4	5	6
14.	ओडिशा	723.00	2416.00	1534.00	0.00
15.	पंजाब	0.00	0.00	7902.00	5000.00
16.	राजस्थान	70.00	1172.00	1042.00	0.00
17.	तमिलनाडु	0.00	0.00	1953.00	0.00
18.	उत्तराखंड	688.20	0.00	829.76	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	2858.00	15659.00	9398.00	12530.00
20.	पश्चिमी बंगाल	425.35	2518.00	0.00	0.00
	योग (क)	**11474.27**	**50543.00**	**61616.00**	**51270.00**
	पूर्वोत्तर राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	972.00	750.00	0.00
2.	असम	500.00	2890.00	2954.90	0.00
3.	मणिपुर	209.71	0.00	0.00	0.00
4.	मेघालय	200.00	0.00	0.00	0.00
5.	मिजोरम	155.00	0.00	704.78	0.00
6.	नागालैंड	415.29	169.00	750~0	0.00
7.	सिक्किम	220.00	0.00	549.50	0.00
8.	त्रिपुरा	100.00	0.00	1495.60	2910.60
	योग (ख)	1800.00	4031.00	7204.78	2910.60
	संघ राज्यक्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	500.00	0.00	0.00
2.	चंडीगढ़	400.00	500.00	0.00	0.00
3.	दादरा और नगर हवेली	0.00	500.00	0.00	0.00
4.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	0.00	2250.00	2000.00	0.00
6.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	पुदुचेरी	600.00	1250.00	0.00	0.00
	योग (ग)	1000.00	5000.00	2000.00	0.00
	कुल योग (क+ख+ग)	14274.27	59574.00	70820.78	54180.60

उपभोक्ताओं की बायोमैट्रिक जांच

548. **श्री संजय भोई:**

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) को सभी उपभोक्ताओं की बायोमैट्रिक विशेषताओं से युक्त केन्द्रीय डाटाबेस तैयार करने एवं इसे राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड से जोड़ने के लिए मोबाइल नंबर चालू करने से पहले उपभोक्ताओं का फिंगर प्रिंट या अन्य कोई बायोमैट्रिक चिन्ह लेना सेलफोन सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य बनाए जाने के विकल्प का पता लगाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दूरसंचार विभाग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी.एस.पी.) और अन्य हितधारकों से परामर्श किया गया है या परामर्श करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया मिली है; और

(ङ) इसके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) से (ङ) दूरसंचार विभाग को हाल ही में गृह मंत्रालय से एक सुझाव प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा सभी उपभोक्ताओं का एक केन्द्रीय डाटा बेस, जिससे 'आधार' प्रणाली के सदृश बायोमैट्रिक पैरामीटर का रखरखाव किया जाता है, तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के अनुसार, इसके लिए मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय उपभोक्ता का फिंगर प्रिंट/अंगूठा निशान या कोई अन्य बायोमैट्रिक विशिष्टता निशान लेना आवश्यक होगा। इस समय दूरसंचार विभाग में इस सुझाव की जांच की जा रही है और इस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

उप नगरों का विकास

549. **डॉ. संजीव गणेश नाइक**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के बड़े शहरो के आसा पास उप-नगरों का विकास करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन उप-नगरों के लिए आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन उप-नगरों में विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) सैटेलाइट कस्बों का विकास संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, तथापि, सात मेगा शहरों के आसपास के सैटेलाइट कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (यू.आई.डी.एस.-एस.एम.टी.) संबंधी केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत 8 कस्बे नामत: सोनीपत (हरियाणा), पिलखुवा (उत्तर प्रदेश), साणंद (गुजरात), जे.बी. नगर (प. बंगाल), बसई-विरार (महाराष्ट्र), विकाराबाद (आन्ध्र प्रदेश), श्रीपेरूम्बदूर (तमिलनाडु) और होस्कोटे (कर्नाटक) शामिल किए गए हैं।

(ग) आज की तिथि के अनुसार कुल 631.07 करोड़ रु. धनराशि की 17 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें से केन्द्र का अंश 500 करोड़ रु. है। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत इन परियोजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आवंटित और जारी निधियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	बजट नियतन (करोड़ रु. में)	जारी/वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)
2009-10	5	5.00
2010-11	70	69.99
2011-12	70	69.57
2012-13	30	30.00
2013-14	78	34.89

(घ) और (ङ) स्कीम 11वीं योजना के मध्य से अनुमोदित हुई थी जिसके पश्चात् राज्यों के कस्बों का चयन पूरा किया गया। इसलिए परियोजनाएं अधिकतर वर्ष 2010-11 और 2011-12 में स्वीकृत हुई थी। इनको 11वीं योजना अवधि में समय की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका। विलंब के मुख्य कारण हैं: (i) भूमि

अधिग्रहण में विलंब (ii) शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में विलंब (iii) क्षमता की कमी।

ई-गवर्नेंस एप्पस्टोर

550. **श्री एंटो एंटोनी**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ई-गवर्नेंस-एप्पस्टोर नामक ई-शासन अनुप्रयोग स्टोर खोला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और अनुप्रयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) देश भर में यह अनुप्रयोग कब तक चालू हो जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) जी, हां। सरकार ने अभी हाल में ई-गवर्नेंस-एप्पस्टोर नामक एक ई-शासन अनुप्रयोग स्टोर लांच किया है।

(ख) ई-शासन एप्पस्टोर को 20 अनुप्रयोगों के साथ 31 मई, 2013 को लांच किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पाद आधारित अनुप्रयोगों, संघटकों और वेब सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के भंडार के रूप में स्थापित होना है जिनका पुन: प्रयोग केन्द्र और राज्यों के स्तर पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों द्वारा एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत यथापरिकल्पित ई-सेवाओं की प्रदायगी में तेजी लाना तथा सरकार द्वारा आई.सी.टी. के विस्तार को इष्टतम बनाना है।

(ग) ई-शासन एप्पस्टोर वेब आधारित है और इसका www.apps.gov.in से किसी भी व्यक्ति द्वारा कही से भी अभिगम किया जा सकता है।

[हिन्दी]

दुर्घटनाओं के लंबित मामले

551. **श्री गोरखनाथ पाण्डेय**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय सहित विभिनन उच्च न्यायालयों में दुर्घटनाओं से संबंधित लंबित मामलों की लंबित होने की तिथि सहित आज की तिथि तक राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों के निपटान अथवा इन पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा

552. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पटना विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पटाना विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करता है; और

(ङ) यदि हां, तो पटना विश्वविद्यालय को कब तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने का संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक अधिनियम नामत: 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005' संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित, द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सी.यू.) का दर्जा प्रदान किया गया है। सागर विश्वविद्यालय जिसका 1983 में 'डाक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय' के रूप में पुन: नामकरण हुआ है और इसे संसद द्वारा वर्ष 2009 में पारित एक अधिनियम नामत: 'केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009' द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में प्रत्येक उस राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की अभिकल्पना की गई है जहां तब तक कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारों से इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु स्थलों

की पहचान करने का अनुरोध किया गया था। इसी दौरान तीन राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरागढ़ ने अपने राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का अनुरोध किया था, बिहार सरकार ने नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मोतिहारी में भूमि की पहचान की थी। राज्य सरकार ने पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को अधिनियमित किए जाने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं हुआ था। इसके पश्चात् विरासती मुद्दों, मौजूदा स्टाफ के समायोजन में होने वाली कठिनाईयों तथा संबद्ध कालेजों की गैर-संबद्धता जैसे मुद्दों के कारण यह निर्णय किया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों को भी, उनके द्वारा जुलाई, 2012 में किए गए अनुरोध के संदर्भ में, यह यूचित किया गया है कि उपर्युक्त कारणों की वजह से परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

553. **श्री एस. अलागिरी:**

श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संयुक्त सचिव एवं इससे ऊपर स्तर के अधिकारियों के कार्यकरण के विरुद्ध मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त शिकायतों में जांच के दौरान दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्रवाई के बाद तत्संबंधी परिणाम क्या रहे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारत सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों द्वारा प्राप्त की जाती हैं तथा इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त करने के लिए कोई एक केन्द्रीकृत एजेंसी नहीं है। जहां तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अफसरों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है, का संबंध है, संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतो की संख्या निम्नानुसार है:-

2010 : 71

2011 : 120

2012 : 114

चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के अधिकारियों के विरुद्ध 74 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतो को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/संगठनों को सत्यापित/उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। सत्यापन तथा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करता है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में, जहां तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का संबंध है, केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के नौ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त पांच अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित की गई तथा उन्नीस अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग चलाने को मंजूरी दी।

चाबहार पत्तन

554. **श्री विलास मुत्तेमवार:**

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री मधु गौड यास्खी:

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन तेहरान को ऋण सुविधा की पेशकश कर ईरान में भारतीय भू-राजनीतिक पालिटीकल क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या चीन भारत को चाबहार से बाहर रखने के लिए और पाकिस्तान के ग्वादर पत्तन में अपने निवेश के संरक्षण हेतु परियोजना को वित्त प्रदान कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी असफलता से बचने के लिए ईरान के साथ समझौते की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अंतर-मंत्रालयीय कृतिक बल गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) सरकार ने चाबहार पत्तन के लिए ईरान द्वारा उपकरण की खरीद के लिए ऋण सुविधा का प्रस्ताव संबंधी चीन की समाचार रिपोर्ट देखी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता

[हिन्दी]

विदेशी जेलों में कैद भारतीय

555. **श्री गोपीनाथ मुंडे**:

श्री पी. करुणाकरन:

श्री निलेश नारायण राणे:

श्री बद्रीराम जाखड़:

डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान सहित भारतीय मूल के कितने व्यक्ति विश्व भर की विभिन्न जेलों में बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी जेलों में कितने भारतीयों की मौत हुई है और सजा पूरी करने के पश्चात भी जेलों में बंद व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित देशों के साथ मामला उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार करीब 6004 भारतीय (यह आंकडा बदलता रहता है) आप्रवासन/वीजा नियमों के उल्लंघन, अधिप्रवास, अवैध प्रवेश, लूट, विधिमान्य यात्रा दस्तावेज, वीजा/परमिट आदि नहीं रखने जैसे अपराधों के आरोप में विदेशी जेलों में बंद हैं।

बहरहाल, कुछेक भारतीयों को नशीली औषधियों की तस्करी, हत्या, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों में भी जेल की सजा दी गई है। विदेशी जेलों में कैद भारतीय का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विदेश स्थित जेलों में 22 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है और 117 भारतीय नागरिक अपनी सजा पूरी करने के बाद विदेशी जेलों में दुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय मिशनों/केन्द्रों का सर्वदा यह प्रयास रहा कि वे विपत्तिग्रस्त भारतीय नागरिकों के अनुरोध/अपील पर त्वरित कार्रवाई करें। भारतीय मिशनों/केन्दों को जैसे ही किसी भारतीय नागरिक को हिरासत में लेने/गिरफ्तार करने की सूचना मिलती है वैसे ही वे तुरंत स्थानीय विदेश कार्यालय तथा अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करते हैं ताकि कैद/गिरफ्तार भारतीय नागरिकों की नागरिकता और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हे कोंसली सहायता दी जा सके। कुछेक देशों में जहां जनहितकारी अधिवक्ता उपलब्ध हैं, मिशन भारतीय कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है।

हमारे मिशनों द्वारा किए जाने वाले उपायों में मामले की द्रुत गति से सुनवाई हेतु स्थानीय प्राधिकारियों से अनुरोध करना, सजा माफ करने की मांग करना, कानूनी एवं अन्य मामलों में सलाह तथा मार्गदर्शन देना, विदेश स्थित जेलों में उचित एवं मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना, आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करना तथा रिहा कर दिए जाने वाले भारतीय नागरिकों को वापस देश भेजना शामिल हैं। कुछेक देशों में हमारे मिशन सरकार से अनुरोध करते हैं और यदि भारतीय कैदियों के परिवार के सदस्यों से सजा माफी हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होता है तो मिशन उन आवेदन पत्रों को स्थानीय प्राधिकारियों के विचारार्थ भेज देता है। भारत ने सजायाप्ता कैदियों के स्थानांतरण हेतु 15 देशों से संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय कैदियों को भारत वापस लाया गया है। (उदाहरणार्थ मॉरीशस, श्रीलंका तथा ब्रिटेन)

पाकिस्तान के संदर्भ में भारत पाकिस्तान न्यायिक समिति का गठन किया गया है, जिसमें दोनों देशों की उच्चतम न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं। समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि सजा पूरी कर लेने वाले कैदियों की शीघ्र रिहाई तथा उनके साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। सरकार के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2012 के बाद से पाकिस्तान के जेलों से 37 सिविल कैदियों को रिहा किया जा चुका है।

विवरण

सं. टी. 125/5/2013

विदेश मंत्रालय

(कौंसली अनुभाग)

क्र.सं.	देश का नाम	विदेशी जेलों में दयनीय जीवन जी रहे भारतीयों की संख्या	विदेशी जेलों में मारे गए भारतीयों की संख्या	
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अलजीरिया	शून्य	शून्य	शून्य
3.	अंगोला	3	शून्य	शून्य
4.	अर्जेंटीना परांग्वे, उरुग्वे प्राच्य गणतन्त्र	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अर्मेनिया जार्जिया	4	शून्य	शून्य
6.	आस्ट्रिया	1	शून्य	शून्य
7.	आस्ट्रेलिया	54	शून्य	शून्य
8.	अजरबैजान	1	शून्य	
9.	बहरीन	82	1	6
10.	बेलारुस	शून्य	शून्य	शून्य
11.	बांग्लादेश	146	4	57
12.	बेल्जियम लग्जंबर्ग	23	शून्य	शून्य
13.	भूटान	68	शून्य	शून्य
14.	बोत्स्वाना	शून्य	शून्य	शून्य
15.	ब्राजील	शून्य	शून्य	शून्य
16.	ब्रुनेई	1	शून्य	शून्य
17.	बुलगारिया, मेसिडोनिया	शून्य	शून्य	शून्य
18.	कम्बोडिया	2	शून्य	शून्य
19.	कनाडा	29	शून्य	शून्य
20.	चिली	4	शून्य	शून्य
21.	चीन	166	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
22.	कोलंबिया, कोस्टारिका, इक्वाडोर	शून्य	शून्य	शून्य
23.	कांगो (जनतांत्रिक गणराज्य), कांगो, गैबोन एवं मध्य अफ्रीका गणराज्य सहित	शून्य	शून्य	शून्य
24.	कोट डी आइवोरी, लीबिया, गुयाना व सियरा लियोन	1	शून्य	शून्य
25.	क्रोएशिया	शून्य	शून्य	शून्य
26.	क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, हैती	1	शून्य	शून्य
27.	साइप्रस	95	शून्य	शून्य
28.	चेक गणराज्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	डेनमार्क	10	शून्य	शून्य
30.	मिस्र	2	शून्य	शून्य
31.	इथोपिया, जिबुती	1	शून्य	शून्य
32.	फिजी, तोंगा, तुवालू व कूक आइलैन्ड	2	शून्य	शून्य
33.	फिनलैंड, इस्टोनिया	शून्य	शून्य	शून्य
34.	फ्रांस, मोनाको	40	शून्य	शून्य
35.	जर्मनी	1	शून्य	शून्य
36.	घाना, बुरकिना फासो तोगो, नाइजेर	शून्य	शून्य	शून्य
37.	यूनान	20	शून्य	शून्य
38.	ग्वाटेमाला	शून्य	शून्य	शून्य
39.	गुयाना, अंग्विला, एंटिगुवा व बारबुडा, सेंट किट्स व नेविस	शून्य	शून्य	शून्य
40.	हंगरी, बोस्निया और हर्जेगोविना	शून्य	शून्य	शून्य
41.	आइसलैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
42.	इंडोनेशिया, तिमोर लेस्त, पूर्वी तिमोर	4	शून्य	शून्य
43.	ईरान	6	1	शून्य
44.	इराक	5	शून्य	शून्य
45.	आयरलैण्ड	1	शून्य	शून्य
46.	इजराइल	5	शून्य	शून्य
47.	इटली, सैन मैरिनी	190	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
48.	जमैका, बहामास, कैमन, आइसलैण्ड, तुर्क व काइको आइलैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
49.	जापान	6	शून्य	शून्य
50.	जार्डन	4	शून्य	शून्य
51.	कजाकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
52.	कीनिया, इरीट्रिया, सोमालिया	शून्य	शून्य	शून्य
53.	कारिया (डी.पी.आर.)	शून्य	शून्य	शून्य
54.	कोरिया (गणराज्य)	1	शून्य	शून्य
55.	कुवैत	222	शून्य	शून्य
56.	किर्गीस्तान	2	शून्य	शून्य
57.	लावो पी.डी.आर.	शून्य	शून्य	शून्य
58.	लेबनान	25	शून्य	शून्य
59.	लीबिया, माल्टा	शून्य	शून्य	शून्य
60.	मेडागास्कर, कोमोरोस	शून्य	शून्य	शून्य
61.	मलावी	शून्य	शून्य	शून्य
62.	मलेशिया	244	1	शून्य
63.	मालदीव	24	1	शून्य
64.	माली	शून्य	शून्य	शून्य
65.	मारीशस	9	1	शून्य
66.	मैक्सिको	शून्य	शून्य	शून्य
67.	मोरक्को	शून्य	शून्य	शून्य
68.	मंगोलिया	शून्य	शून्य	शून्य
69.	मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड	शून्य	शून्य	शून्य
70.	म्यांमार	24	शून्य	शून्य
71.	नामीबिया	शून्य	शून्य	शून्य
72.	नेपाल	377	शून्य	शून्य
73.	नीदरलैंड	1	शून्य	शून्य
74.	न्यूजीलैंड, समोआ, नाउरु, किरीबाती	शून्य	1	शून्य

1	2	3	4	5
75.	नाइजेर	शून्य	शून्य	शून्य
76.	नाइजीरिया, बेनीन, चाड, कैमरुन	10	1	शून्य
77.	नार्वे	2	शून्य	शून्य
78.	ओमान	शून्य	शून्य	शून्य
79.	पाकिस्तान	213	2	1
80.	फिलिस्तीन	शून्य	शून्य	शून्य
81.	पनामा, अल सलवाडोर, होन्डूरस, निकारागुआ	शून्य	शून्य	शून्य
82.	पापुआ, न्यूगिनी वनुआतु व सोलोमन आइलैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
83.	पेरु, वोलविया	शून्य	शून्य	शून्य
84.	फिलीपींस, पलाऊ, मार्शल द्वीप और माईक्रोनेशिया	20	शून्य	शून्य
85.	पोलैण्ड, लिथुआनिया	1	शून्य	शून्य
86.	पुर्तगाल	5	शून्य	शून्य
87.	कतर	48	शून्य	शून्य
88.	रोमानिया, अल्बानिया, मोल्डोवा	4	शून्य	शून्य
89.	रुसी परिसंघ	3	शून्य	शून्य
90.	सऊदी अरब	1400	1	53
91.	सर्बिया, मोण्टेनेग्रो	शून्य	शून्य	शून्य
92.	सेनेगल मारीटेनिया, बिसाऊ, केपवर्ड आइसलैंड, गांबिया	1	शून्य	शून्य
93.	सेशेल्स	1	शून्य	शून्य
94.	सिंगापुर	152	शून्य	शून्य
95.	स्लोवाक गणराज्य	शून्य	शून्य	शून्य
96.	स्लोवानिया गणराज्य	शून्य	शून्य	शून्य
97.	दक्षिण अफ्रीका, लिसोथो	12	शून्य	शून्य
98.	स्पेन अंडोरा	42	शून्य	शून्य
99.	श्रीलंका	65	6	शून्य
100.	सुडान	शून्य	शून्य	शून्य
101.	सूरीनाम, बरबादोस, सैंट लुसिया सैंट विनसेंट एवं ग्रेनिडिनेस	1	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
102.	स्वीडेन, लात्विया	1	शून्य	शून्य
103.	स्विटजरलैण्ड, होलीसी व लिशटेनस्टेन	5	शून्य	शून्य
104.	सीरिया	शून्य	शून्य	शून्य
105.	तजिकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
106.	तंजानिया	1	शून्य	शून्य
107.	थाईलैण्ड	60	शून्य	शून्य
108.	त्रिनिदाद व टोबैगो, ग्रेनाडा, डोमनिका, मोनेसेर्रात	शून्य	शून्य	शून्य
109.	ट्यूनिशिया	शून्य	शून्य	शून्य
110.	तुर्की	शून्य	शून्य	शून्य
111.	तुर्कमेनिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
112.	उगाण्डा, बुरुण्डी, रवाण्डा	शून्य	शून्य	शून्य
113.	संयुक्त अरब अमीरात	1032	शून्य	शून्य
114.	ब्रिटेन	465	1	शून्य
115.	उक्रेन	4	शून्य	शून्य
116.	अमेरिका	514	1	शून्य
117.	उजबेकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
118.	वेनेजुएला, अरुबा, काराकावो, सेंट मार्टिन	शून्य	शून्य	शून्य
119.	वियतनाम	1	शून्य	शून्य
120.	यमन	2	शून्य	शून्य
121.	जांबिया	शून्य	शून्य	शून्य
122.	जिम्बाब्वे	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	6004	22	117

जांच एजेंसियों को उच्चतम न्यायालय के निदेश

556. **श्री अर्जुन राय:**

श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को जांच से संबंधित सूचना सरकार को नहीं बताने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं तथा उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त निदेश सरकार को बताई जाने वाली सभी प्रकार की सूचना के लिए हैं या कतिपय मामलों तक सीमित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) याचिका (सी.आर.एल.) सं. 2012 की 120, शीर्षक, मनोहर लाल शर्मा, दिनांक 08.05.2013 में उच्चतम न्यायालय ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन से संबंधित पूछताछ में जांच अथवा अन्वेषण के मामले में यह निदेश दिया है कि निदेशक, सी.बी.आई. यह सुनिश्चित करेगा कि कोल ब्लॉक्स के आवंटन में जांच तथा अन्वेषण की गोपनीयता रखी जाए तथा इस संबंध में किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जाए।

सरकार ने विदेशों को नोट कर लिया है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में पहले से ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन आने वाले अपराधों से संबंधित अन्वेषण के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधीक्षण की व्यवस्था इस संशोधन के साथ की गई है कि आयोग शक्तियों का प्रयोग इस तरह से नही करेगा जिससे कि दिल्ली पुलिस स्थापना के तहत किसी विशेष तरीके से किसी मामले का अन्वेषण अथवा निपटान करना पड़े।

[अनुवाद]

मेट्रो और मोनोरेल संबंधी प्रस्ताव

557. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना**:

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

श्रीमती प्रिया दत्त:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

श्री के. सुगुमार:

श्री नवीन जिन्दल:

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान:

श्री के.पी. धनपालन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मेट्रो और मोनोरेल के लिए सरकार को अभी तक प्राप्त प्रस्ताव और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत का परियोजना और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए प्रस्तावों और संस्वीकृत और जारी की गई निधियों का परियोजना और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और वित्तपोषण का मानदंड क्या है;

(ग) कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं और इस प्रकार के लंबन के क्या कारण हैं और इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(घ) वर्तमान मेट्रो परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओ को राज्य-वार कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का मेट्रो परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय विनियामक निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) केन्द्र सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजनाओं पर विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और अनुमानित लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। केन्द्र सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान चेन्नई शहर के लिए तमिलनाडु सरकार से तथा तिरुअनंतपुरम और कोजिकोडे के लिए केरल सरकार ने मोनोरेल के प्रस्ताप प्राप्त किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने 7687.03 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत (वृद्धि, करों और भूमि लागत को छोड़कर) पर अधिकल्प, निर्माण, वित्त, परिचालन और अंतरण (डी.बी.एफ.ओ.टी.) मॉडल के तहत तीन कारीडोरों नामत: बनदलूर-वेलाचेरी, पूनमोऐली-काठीपारा और पुनमऐली बदपलानी शामिल हैं। कुल 57.09 किमी. लंबाई की चेन्नई मोनोरेल परियोजना का चरण-I कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है तथा केन्द्र सरकार से किसी वित्त पोषण की मांग नहीं की है। केरल सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के मॉडल पर निम्नलिखित मोनोरेल परियोजनाएं कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है:

मोनोरेल परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
तिरुअनंतपुरम (टैक्नोसिटी से करनामा तक)	22,537	3590
कोझीकोड (एम.सी. हास्टल से मीनचंदा तक)	14.2	1991

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी धनराशि तथा बजट आकलन में स्वीकृत निधियों सहित स्वीकृत मेट्रो रेल प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए

हैं। राष्ट्रीय शहर परिवहन नीति (एन.यू.टी.पी.) 2006 के अनुसार, केन्द्र सरकार परियोजना की कुल पूंजीगत लागत के 20 प्रतिशत तक की सीमा के अध्यधीन इक्विटी भागीदारी/अनुदान/अनुषंगी ऋण के माध्यम से मेट्रो रेल परियोजना सहित द्रुत जन परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) परियोजनाओ को सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर इक्विटी वित्त पोषण या व्यवहार्यता अंतराल पर परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है।

(ग) लंबित मेट्रो रेल प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III पर दिए गए हैं। मेट्रो/मोनोरेल परियोजनाओ पर राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है। तथापि, प्रस्तावों पर विचार और उनकी स्वीकृति परियोजना औचित्य, संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित प्राथमिकता आदि जैसे मानदंडों पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार संसाधनों के अध्यधीन राष्ट्रीयशहरी परिवहन नीति (एन.यू.टी.पी.) 2006 की तर्ज पर सार्वजनिक परिवहन के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है। इसलिए किसी विशेष द्रुत जन परिवहन परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है। शहर के विकास के लिए सार्वजनिक परिवहन शुरू करना एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजनाओं और परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा का परियोजना तथा राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV पर दिए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को प्राप्त मेट्रो रेल प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	लंबाई (कि.मी. में)	कुल लागत (करोड़ में)
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली एवं	दिल्ली एम.आर.टी.एस. फेज-I	65.10	10,571.00
	राष्ट्रीय राजधानी	दिल्ली एम.आर.टी.एस. फेज-II	54.68	11,691.36
	क्षेत्र (एन.सी.आर.)	केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर	20.16	4012.00
		दिल्ली मेट्रो का गुड़गांव (हरियाणा) तक विस्तार	14.47	1589.44
		दिल्ली मेट्रो का नोएडा (उत्तर प्रदेश) तक विस्तार	7.00	827.00
		द्वारका सेक्टर-9 से सेक्टर-21	2.76	356.11
		नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई.जी.आई. एयरपोर्ट से द्वारका सेक्टर-21	22.7	4369.39
		दिल्ली मेट्रो का आनन्द विहार आई.एस.बी.टी. से बैशाली (उत्तर प्रदेश) तक विस्तार	2.574	320.00
		दिल्ली एम.आर.टी.एस. फेज-III	103.05	35,242.00
		दिल्ली मेट्रो का बदरपुर से वाई.एम.सी.ए. चौक फरीदाबाद तक विस्तार	13.875	2494.00
		द्वारका से नजफगढ़ तक विस्तार	5.50	1070.00

1	2	3	4	5
		यमुना विहार से शिव विहार तक विस्तार	2.717	281.78
		दिल्ली मेट्रो का मुंडका से बहादुरगढ़, हरियाणा तक विस्तार	11.5	1991.00
		रिठाला से बवाना तक विस्तार	11.9	2,175.00
		द्वारका सेक्टर-21 से इफको चौक गुडगांव हरियाणा तक विस्तार	11.9	2,175.00
		रिठाला से बवाना तक विस्तार	12.558	3559.00
		द्वारका सेक्टर-21 से इफको चौक गुड़गांव हरियाणा तक विस्तार	6.675	1807.00
		दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना फेज-IV : मौजपुर-मुकुंदपुर मेट्रो कनेक्शन	3.962	845.00
		दिल्ली मेट्रो का नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर-62 नोएडा तक विस्तार	9.71	1770.00
2.	कर्नाटक	बंगलौर मेट्रो-I	42.3	11609.00
		बंगलौर मेट्रो-II	72.095	26,405.14
3.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो	14.67	4874.58
4.	तमिलनाडु	चेन्नई मेट्रो	45.046	14600.00
5.	महाराष्ट्र	मुम्बई मेट्रो लाइन-I (पी.पी.पी.)	11.07	2356.00
		वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर	31.871	7660.00
		मुम्बई मेट्रो लाइन-3 (पी.पी.पी.)	33.5	23,136.00
		चारकोप-बांद्रा-मानकुर्द	31.5	7984.00
		मुम्बई मेट्रो लाइन-3 (भारत सरकार और राज्य का संयुक्त उद्यम)	71.16	12132.00
		कोलावा-बांद्रा-एस.ई.ई.पी.जेड.	12.067	3149.00
		पुणे मेट्रो परियोजना	31.5	7984.00
6.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मेट्रो	71.16	12132.00
7.	राजस्थान	जयपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण-I मानसरोवर से चांदपोल (फेज 1ए-9.718 कि.मी.) मानसरोवर से बड़ी चौपार (फेज 1बी-2.349 कि.मी.)	12.067	3149.00

1	2	3	4	5
		जयपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण-II कोरिडोर-I नार्थ साऊथ कोरिडोर	23.099	6583.00
8.	केरल	कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना	25.612	5181.79
9.	गुजरात	अहमदाबाद-गांधी नगर (राज्य सरकार)	84.00	14323.00
10.	पंजाब	लुधियाना मेट्रो	28.8	8706.00
11.	चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	चंडीगढ़ मेट्रो	37.5	7229.00

विवरण-II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान मैट्रो रेल परियोजनाओं के लिए किए गए बजट अनुमान (बी.ई.) और संशोधित अनुमान (आर.ई.) का ब्यौरा इस प्रकार है:

संस्था का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14
	बी.ई.	आर.ई.	बी.ई.	आर.ई.	बी.ई.	आर.ई.	बी.ई.
दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन	2780.00	3388.61	1203.48	1496.98	2216.69	1649.00	3120.00
बंगलौर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन	576.21	576.21	1500.00	1500.00	1670.88	1284.80	830.00
कोलकाता मैट्रो रेल कॉरपोरेशन	407.00	407.00	3.00	304.00	265.00	265.00	10.01
चेन्नई मैट्रो रेल कॉरपोरेशन	652.00	652.00	2160.00	1859.00	1648.00	1825.83	2122.70
मुम्बई मैट्रो	-	-	-	-	30.00	3.00	161.00
जयपुर मैट्रो	-	-	-	-	25.00	3.00	56.00
कोच्ची मैट्रो	-	-	-	-	30.00	21.00	130.00
अहमदाबाद मैट्रो	-	-	-	-	-	-	10.01
पुणे मैट्रो	-	-	-	-	-	-	10.01
अन्य मैट्रो रेल परियोजना	3.00	3.00	6.01	6.01	12.00	3.00	1.02

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों और जारी धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदन की तिथि	केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)			
				2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (जुलाई, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.-सी.आर.)	दिल्ली एम.आर.टी.एस. चरण-I	17.09.1996	-	-	-	-
		दिल्ली एम.आर.टी.एस. चरण-II	30.03.2006	33389.89	1612.95	1649.00	-
		केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर	17.05.2007				
		द्वारका सेक्टर-9 से सेक्टर-21	26.04.2008				
		नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई.जी.आई. एयरपोर्ट से द्वारका सेक्टर-21	17.05.2007-29.01.2009				
		दिल्ली मेट्रो का गुड़गांव (हरियाणा) तक विस्तार	4.12.2006				
		दिल्ली मेट्रो का नोएडा (उत्तर प्रदेश) तक विस्तार	19.03.2008				
		दिल्ली मेट्रो का आनन्द विहार आई.एस.बी.टी. से बैशाली (उत्तर प्रदेश) तक विस्तार *	5.09.2011				
		दिल्ली एम.आर.टी.एस. फेज-III	26.09.2011				

1	2	3	4	5	6	7	8
		दिल्ली मेट्रो का बदरपुर से वाई.एम.सी.ए. चौक फरीदाबाद तक विस्तार	13.09.2011				
		द्वारका से नजफगढ़ तक विस्तार	11.09.2012				
		यमुना विहार से शिव विहार तक विस्तार	11.09.2012				
		दिल्ली मेट्रो का मुंडका से बहादुरगढ़, हरियाणा तक विस्तार	11.09.2012				
*जी.डी..ए. द्वारा 260 करोड़ रु. वहन किया जाएगा; डी.एम.आर.सी. द्वारा 60 करोड़ रु. वहन किया जाएगा।							
2.	तमिलनाडु	चेन्नई मेट्रो	18.2.2009 को अनुमोदित	652.00	1913.00	1825.83	783.00
3.	कर्नाटक	बंगलौर-चरण-1	2011 को अनुमोदित	578.22	1480.00	1287.00	292.26
4.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो *	30.07.2008	407.00	250.00	269.02	
5.	राजस्थान	जयपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण-I	21.01.2011	राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित			
6.	महाराष्ट्र	मुम्बई मेट्रो लाइन-I	मार्च 2007 में अनुमोदित	भारत सरकार से 471.00 करोड़ रु. का व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण # इसमें से 310.50 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।			
		मुम्बई मेट्रो लाइन-II	जनवरी 2010 में अनुमोदित	भारत सरकार से 1532.00 करोड़ रु. का व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण #			
		मुम्बई मेट्रो लाइन-III	जुलाई, 2013 में अनुमोदित	हाल ही में अनुमोदित			
	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मैट्रो परियोजना	2010 में अनुमोदित	भारत सरकार से 1458.00 करोड़ रु. का व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण			
	केरल	कोच्ची मैट्रो परियोजना	जुलाई, 2012 में अनुमोदित	-	-	22.8	88.7

#परियोजना को रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। रेल मंत्रालय को अभी परियोजना का कार्य शुरू करना है।

#वित्त मंत्रालय द्वारा व्यवहार्यता अंतराल निधियां जारी की जाती हैं।

जी.डी.ए.-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण; डी.एम.आर.सी.-दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	लंबाई (कि.मी. में)	कुल लागत (करोड़ में)
1.	दिल्ली और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.)	रिठाला से बवाना	119.9	2,175.00
		द्वारका सैक्टर-21 से इफ्फको चौक, गुड़गांव (हरियाणा)	11.9	2,175.00
		दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना फेज-IV: मौजपुर-मुकुन्दपुर मेट्रो कनेक्शन	12.558	3559.00
		दिल्ली मेट्रो का नोएडा सिटी सेन्टर से सैक्टर 62 नोएडा तक विस्तार	6.675	1807.00
		दिल्ली मेट्रो का कालिंदी कुंज से बोटेनिकल गार्डन, नोएडा तक विस्तार	3.962	845.00
		दिल्ली मेट्रो का दिलशाद गार्डन से न्यू बस अड्डा, गाजियाबाद तक विस्तार	9.71	1770.00
2.	कर्नाटक	बंगलौर मेट्रो फेज-II	72.095	26,405.14
3.	महाराष्ट्र	पूर्ण मेट्रो परियोजना	31.5	7984.00
4.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मेट्रो	71.16	12132.00
5.	राजस्थान	जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज-I	12.067	3149.00
		जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज-II	23.009	6583.00
6.	गुजरात	अहमदाबाद-गांधी नगर	84.00	14323.00
7.	पंजाब	लुधियाना मेट्रो	28.8	8706.00
8.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	चंडीगढ़ मेट्रो	37.5	7229.00

विवरण-IV

चालू परियोजनाओं की प्रगति का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	प्रस्ताव प्राप्त	लम्बाई (कि.मी. में)	कुल लागत (रु. करोड़ों में)	प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.)	दिल्ली एम.आर.टी.एस. फेज-III	103.05	35,242	11.08%	मार्च, 2016
		द्वारका से नजफगढ़	5.50	1070		2015

1	2	3	4	5	6	7
		यमुना विहार से शिव विहार	2.717	282		मार्च, 2016
		मुंडका से बहादुरगढ़ (हरियाणा)	11.5	1990		मार्च, 2016
		बदरपुर-वाई.एम.सी.ए. चौक, फरीदाबाद (हरियाणा)	13.875	2494		सितम्बर, 2014
2.	कर्नाटक	बंगलौर मेट्रो-I (भारत सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम)	42.3	11609	73%	मार्च, 2015
3.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो *	14.67	4874.58	28.7%	सितम्बर, 2016#
4.	राजस्थान	जयपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण-I	9.25	1250	75%	2013
5.	तमिलनाडु	चैन्नई मेट्रो	45.046	14600	31.52%	2014-15
6.	महाराष्ट्र	मुम्बई मेट्रो लाइन-I (पी.पी.पी.) वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर	11.07	2356	95%	2013
		मुम्बई मेट्रो लाइन-II (पी.पी.पी.) चारकोप-बान्द्रा मनखर्द	31.87	7660	-	2015@
7.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मेट्रो	71.16	12132	10%	2016
8.	केरल	कोच्ची मेट्रो	25.612	5181.79	2%	2016

#परियोजना को रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। रेल मंत्रालय को अभी परियोजना का कार्य शुरू करना है।

#विषय धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन

@डिपो की भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिए कार्य शुरू नहीं किया गया।

सी.सी.ए. के निर्णय का क्रियान्वयन

558. **श्री सुशील कुमार सिंह**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी को किए गए आवंटन को निरस्त कर दिया है और इसके लिए बेदखल करने संबंधी कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इस संबंध में क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकारी सम्पत्ति से बेदखल करने से संबंधित आवास संबंधी कैबिनेट समिति (सी.सी.ए.) के निर्णय के लागू न होने की शिकायतें हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही/की जा रही कार्यवाही और सी.सी.ए. के निर्णय के लागू होने का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी):

(क) से (ङ) जी हां। आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 26.10.2006 के निर्णय के अनुसरण में शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी (केन्द्रीय भण्डार) के अधिभोगाधीन सामान्य पूल रिहायशी आवास को रद्द करने और बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के लिए दिनांक 10.11.2005 को कार्यालय ज्ञा. सं. 12035/2/94 नीति-II जारी किया था। बाद में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 26.10.2005 के निर्णय की समीक्षा के लिए वर्ष 2007, 2008 और 2012 में आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के लिए प्रारूप नोट परिचालित किए थे। चूंकि आज की तारीख तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कोई भी नोट आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष नहीं रखा गया है, अत: शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) ने सामान्य पूल रिहायशी आवासों को रद्द करने और बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के लिए पुन: दिनांक 27.05.2013 को कार्यालय ज्ञा. सं. 12035/2/94-नीति-II (भाग) जारी किया।

2. माननीय संसद सदस्य श्री राजेन्द्र अग्रवाल, माननीय संसद सदस्य श्री पूर्णमासी राम और माननीय संसद सदस्य श्री अनिल कुमार साहनी से आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 26.10.2005 के निर्णय को कार्यान्वित कराने के अनुरोध वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी (केन्द्रीय भण्डार) के अधिभोगाधीन सामान्य पूल रिहायशी आवास का आवंटन अब रद्द कर दिया गया है।

यू.आई.डी. के स्थाई नामांकन केन्द्र

559. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**

श्री प्रदीप माझी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.आई.डी.ए.आई. ने देश के विभिन्न भागों में स्थाई केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबधी ब्यौरा क्या है और ऐसे केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थानों के चयनार्थ अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे और अधिक केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 05.08.2013 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में 1027 स्थायी नामांकन केन्द्रों (पी.ई.सीज) की स्थापना की गई है। जहां यू.आई.डी.ए.आई. आधार संख्यांक के लिए निवासियों का नामांकन कर रहा है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सभी स्थायी नामांकन केन्द्रों के पतों सहित सूची यू.आई.डी.ए.आई. की शासकीय वेबसाइट (url:http://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx) पर उपलब्ध है। इन स्थायी नामांकन केन्द्रों में नए नामांकन, बायोमीट्रिक अद्यतनीकरण, जनांकिकी अद्यतनीकरण, ई-आधार पर मुद्रण, स्थिति जांच, गुमशुदा ई.आई.डी./यू.आई.डी. नामांकनों और पुन: नामांकन करवाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) राज्य सरकार/पंजीयक द्वारा स्थापित किए गए स्थायी नामांकन केन्द्र या तो ब्लॉक/मंडल/तहसील/नगर वार्ड कार्यालय में सरकारी भवनों में या पंजीयकों के शासकीय भवन परिसरों में, जहां से उनका नियमित कार्य निष्पादन किया जाता है, अथवा पंजीयकों/राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित भवन परिसरों में अवस्थित है। ये स्थल पूर्व-परिभाषित और स्थायी होते हैं।

(घ) और (ङ) यू.आई.डी.ए.आई. की योजना है कि मार्च, 2014 तक राज्य सरकारों/पंजीयकों के माध्यम से 18 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में स्थायी नामांकन केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर लगभग दो हजार कर दिया जाए। शेष राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एन.पी.आर.) की प्रक्रिया के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा नामांकन किए जा रहे हैं।

विवरण

05.08.2013 की स्थिति के अनुसार स्थायी नामांकन केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	स्थायी नामांकन केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	149
2.	चण्डीगढ़	14
3.	दमन और दीव	2
4.	हरियाणा	17

1	2	3
5.	हिमाचल प्रदेश	33
6.	झारखण्ड	119
7.	कर्नाटक	21
8.	केरल	8
9.	मध्य प्रदेश	295
10.	महाराष्ट्र	110
11.	दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	42
12.	पुदुचेरी	6
13.	पंजाब	69
14.	राजस्थान	123
15.	सिक्किम	4
16.	त्रिपुरा	15
17.	गोवा	0
18.	गुजरात	0
	कुल	1027

मतदाता सूची

560. **श्री अब्दुल रहमान**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में 14 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या पूर्ण सावधानी बरती गई है कि वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएं; और

(घ) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने मतदाता सूची से नाम निकाले जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अमरीका में शिक्षा की लागत में वृद्धि

561. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रुपये के गिरते मूल्य के कारण क्या भारतीय विद्यार्थियों को अमरीका में अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त राशि व्यय करनी होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विद्यार्थियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका की संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों की खर्च की गई धनराशि उनके द्वारा चयनित पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय/संस्था पर निर्भर करती है और सरकार के पास मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव के कारण छात्रों द्वारा खर्च की जाने वाली अतिरिक्त राशियों संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विदेश में उच्च अध्ययन व्यक्ति की इच्छा और पसंद का मामला होने के नाते सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय छात्रों की सहायता हेतु कोई विशिष्ट उपाय करने पर विचार नहीं किया है।

शिक्षा के लिए गुणवत्तापरक संस्थानों की स्थापना करना

562. **श्री के. जयप्रकाश हेगड़े**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालयों से स्नातक डिग्री धारकों के पास कौशल की अभाव है और प्रतिभा विकास पर कोई ध्यान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परिस्थितियों से निपटने और शिक्षा के गुणवत्तापरक संस्थान स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। विश्वविद्यालय एवं विनियामक निकाय जैसे

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.), उच्चतर शिक्षा प्रणाली में स्नातकों के कौशल और प्रतिभा को निरंतर बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। विशिष्ट उद्योग कौशलों को या तो विशिष्ट कौशल पाठ्यक्रमों के जरिए अथवा नौकरी पर रहते हुए प्राप्त किया जाता है। सरकार, शैक्षिक संस्थाओं में व्यवसायिक एवं कौशल अभिमुख पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रही है।

(ग) सरकार ने दिनांक 03.09.2012 को राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचा (एन.वी.ई.क्यू.एफ.) के कार्यान्वयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस कार्यढांचा के मुख्य घटक हैं- अंतर्राष्ट्रीय समकक्षता बढ़ाने वाली व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच बहु-प्रविष्टि एवं निकास, सामान्य शिक्षा और रोजगार बाजारों के साथ सम्पर्क, व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति, व्यावसायिक शिखा एवं सामान्य शिक्षा के बीच अंतरण और उद्योग/नियोक्ताओं के साथ भागीदारी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए 16 केन्द्र भी स्थापित किए हैं, जो संस्थान में उच्च गुणवत्ता वाले शोधकर्ताओं की एक टीम और अनेक कंपनियों अथवा संगठनों में शोधकर्ताओं या शोध प्रयोक्ताओं के बीच एक सहयोगी कार्यकलाप पर आधारित है।

एन.आई.सी.टी.ई. ने एन. व्यावसायिक शिक्षा क्यू.एफ. विनियम, 2012 के अंतर्गत व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक कॉलेज पाठ्यक्रमों तथा कौशल ज्ञान प्रदायक को आयोजित करने के लिए अपने अनुमोदन को भी अधिसूचित कर दिया है। उक्त कौशल फ्रेमवर्क, कौशल प्राप्त जनशक्ति और युवा बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करता है। इसके अतिरिक्त, ए.आई.सी.टी.ई. ने कक्षा I से कक्षा VII तक कौशल एवं शिक्षा दोनों के लिए पाठ्यचर्चा विषयवस्तु भी अधिसूचित कर दी है जिससे व्यावसायिक शिक्षा में 12 क्षेत्रों में स्नातक डिग्री हो सकती है। ए.आई.सी.टी.ई. ने पालीटेक्निकों और अन्य संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा के संचालन के लिए 29 कौशल ज्ञान प्रदायकों तथा 349 संस्थानों को मंजूरी भी प्रदान की है। इसने इंजीनियरी स्नातकों की नियोजनीयता को बढ़ाने तथा बढ़े साफ्ट कौशलों के साथ अधिक जनशक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नियोजनीयता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किया है। ए.आई.सी.टी.ई. ने इंजीनियरी विषयों, औषधियों, प्रबंधन, वास्तुकला एवं नगर आयोजना, होटल प्रबंधन तथा कैटरिंग प्रौद्योगिकी और इन विषयों से संबंधित उभरते हुए अन्य क्षेत्रों को विभिन्न वर्गों में तकनीकी जनशक्ति के दीर्घावधि एवं लघु अवधि अपेक्षाओं के आकलन तथा भविष्यवाणियों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक डिग्री को भी अधिसूचित किया है। कार्यढांचा प्रत्येक प्रमाणपत्र स्तर के बाद बहुमुखी मार्गों और उनको बीच में ही छोड़ने के विकल्प प्रदान करता है जिसमें विद्यार्थी किसी भी प्रमाणपत्र स्तर पर उसे ले सकता है और छोड़ सकता है और सेक्टर के तहत कतिपय रोजगार अपना सकता है और अपनी इच्छानुसार पुन: शिक्षा ग्रहण कर सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और कालेजों में रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत यह प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/ उच्च डिप्लोमा स्तरों पर रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए उन विश्वविद्यालय/ कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कला/विज्ञान/कामर्स आदि में स्नातक जैसे परंपरागत डिग्री पाठ्यक्रमों के साथ सहवर्ती पाठ्यक्रम चलाते हैं।

[हिन्दी]

लोगों में असमानता

563. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकास योजनाओं का लाभ अधिकांश लोगों तक नहीं पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के करोड़ों लोग महज कुछ रुपयों पर जीवनयापन करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के लोगों में प्रति व्यक्ति उपभोग में भारी अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उपर्युक्त अंतर को पाटने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2004-05 में 37.2% था, जो 2011-12 में कम होकर 21.9%

रह गया। गरीबों की संख्या 2004-05 में 407 मिलियन से कम होकर 2011-12 में 270 मिलियन रह गई। इसलिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रतिशत में 2004-05 से 2011-12 तक सात वर्षों की अवधि के दौरान प्रति वर्ष 2.2 प्रतिशत अंक की कमी आई और इसका परिणाम इस अवधि के दौरान 137 मिलियन गरीबों की संख्या में कमी के रूप में हुआ। यह दर्शाता है कि विकास स्कीमों का लाभ अधिकांश नागरिकों तक पहुंच रहा है क्योंकि विगत वर्षों में गरीब लोगों की संख्या में कमी आई है।

(ग) वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.-एसओ.) द्वारा अपने 68वें दौर में किए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी नवीनतम वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में औसत मासिक प्रति व्यय (एम.पी.सी.ई.) नीचे सारणी में दिया गया है। यह संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (एम.एम.आर.पी.) उपभोग व्यय पर आधारित है।

(जनसंख्या समूहों द्वारा औसत मासिक प्रति-व्यक्ति व्यय) (रु.)

समूह	ग्रामीण	शहरी
0-5%	521.44	700.5
5-10%	665.84	908.92
10-20%	783.24	1118.09
20-30%	904.57	1362.69
30-40%	1017.8	1624.86
40-50%	1135.97	1887.65
50-60%	1266.08	2180.52
60-70%	1426.76	2547.94
70-80%	1645.36	3062.85
80-90%	2007.46	3892.06
90-95%	2556.33	5350.06
95-100%	4481.18	10281.84
सभी वर्ग	1429.96	2629.65

स्रोत: भारत में परिवार उपभोक्ता व्यय के मुख्य संकेतन, 2011-12, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, जून, 2013, सारणी टी 3, पी-11

(घ) से (च) 68वें दौर (जुलाई 2011 से जून 2012) के उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण डेटा से लारेंज अनुपात द्वारा मापे गए उपभोक्ता व्यय के वर्ग वितरण में असमानताएं यह दर्शाती हैं कि 2011-12 में विषमता (लारेंज अनुपात) ग्रामीण क्षेत्रों में 0.28 और शहरी क्षेत्रों में 0.37 थी। चूंकि शून्य और इकाई के बीच लारेंज अनुपात रेंज का मान और लारेंज अनुपात का उच्चतर मान भी अधिक विषमता का संकेतक है, विषमता का उपरोक्त मान यह प्रदर्शित करता हे कि देश में लोगों के बीच प्रति व्यक्ति उपभोग में असमानता बहुत अधिक नहीं है।

आय वितरण में निचले स्तर पर लोगों की आय/उपभोग में यथानुपात उच्चतर वृद्धि प्रति व्यक्ति उपभोग में असमानता को कम करने में सक्षम है। इसे हासिल करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के आर्थिक विकास की लक्ष्य दर तय की गई है। आय वितरण के निचले स्तर के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बारहवीं योजना में अने कार्यक्रमों की शुरुआत भी की गई है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.-ई.जी.एस.), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.), सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), मध्यान्ह भोजन स्कीम (एम.डी.एम.एस.), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.), राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आर.जी.एन.-डी.डब्ल्यू.एम.), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

वयस्क शिक्षा

564. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में वयस्क शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन/सुधार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वयस्क साक्षरता का प्रतिशत प्राप्त करने योग्य लक्ष्य तक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में शत प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) 12वीं योजना के दस्तावेज में इस बात को माना गया है कि 'साक्षरता' को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता है और प्रतिमान को मूलभूत साक्षरता से आजीवन शिक्षा में परिवर्तित करने की आवश्यकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आजीवन शिक्षा की सभी गतिविधियां शामिल हैं-चाहे वह व्यक्तिगत, नागरिक, सामाजिक और रोजगार संबंधी दृष्टिकोण से ज्ञान, कौशल और क्षमता के संवर्धन के उद्देश्य से औपचारिक अथवा अनौपचारिक तरीके से ग्रहण की जाए।

(ग) और (घ) योजना आयोग के 12वीं योजना के दस्तावेज के अनुसार 12वीं योजना के दौरान साक्षरता दर को 80% तक बढ़ाने और लैंगिक अंतराल को घटाकर 10% से कम करने का लक्ष्य है।

(ङ) सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया है और देश में 100% साक्षरता लाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 2009 में साक्षर भारत मिशन के रूप में संशोधित किया है।

पदोन्नति हेतु प्रतिभा और वरिष्ठता

565. **श्री ताराचन्द भगोरा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पदोन्नति में वरिष्ठता-सह-योग्यता और योग्यता-सह-वरिष्ठता लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव से कुशलता में वृद्धि होगी और सरकारी कार्यालय में व्याप्त पक्षपात और अन्य प्रकार की दबाव की रणनीति खत्म हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए भाषायी परीक्षा

566. **श्री एम.बी. राजेश:**

श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के उपबंधों के अनुसार बधिर व्यक्ति को केवल एक भाषा सीखने की आवश्यकता होती है और उन्हे दूसरी भाषा सीखने से छूट है;

(ख) यदि हां, तो यू.पी.एस.सी. की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को दो भाषाओं-एक अंग्रेजी और दूसरी अन्य भाषा के प्रश्नपत्र हल करने होते हैं;

(ग) यदि नहीं तो बधिर उम्मीदवारों को यू.पी.एस.सी. द्वारा रियायत देने के लिए कोई प्रावधान किया गया है जिससे कि उन्हे एक भाषा परीक्षा देनी पड़े;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई रियायत देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में यह प्रावधान किया गया है कि उचित सरकारें अधिसूचना के द्वारा ऐसी संपूर्ण शिक्षण स्कीम तैयार करेंगी जिसमें श्रवण संबंधी विकलांगता वाले छात्रों के लाभार्थ पाठ्यक्रम को इस प्रकार पुनर्गठित करने हेतु प्रावधान किए जाएंगे जिससे उन्हें अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में केवल एक भाषा को चुनने की सुविधा प्राप्त हो।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए सिफारिश करने हेतु अनेक परीक्षाओं का आयोजन करता है। जहां तक सिविल सेवा परीक्षा, जिसके माध्यम से विभिन्न केन्द्र सरकार की सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती की जाती है, का संबंध है, परीक्षा की स्कीम का विनियमन वार्षिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले सिविल सेवा परीक्षा द्वारा किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा की स्कीम के अनुसार उम्मीदवार को पहले सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा देनी होती है, जो अर्हक प्रकृति की है। इस परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं, पहला सामयिक विषयों और सामान्य अध्ययन पर आधारित होता है और दूसरा बोधगम्यता, अंतवैयक्तिक कौशल, तार्किकता आदि पर आधारित होता है। दोनों प्रश्नपत्र में अंग्रेजी भाषा समझ कौशल का घटक है। यह कक्षा X के स्तर का होता है और इसका परीक्षण अंग्रेजी के ऐसे उद्धरणों के माध्यम से किया जाता है जिसका हिंदी अनुवाद प्रश्नपत्र में उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जल आपूर्ति हेतु जापानी सहायता

567. **श्री एम.के. राघवन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने जल आपूर्ति संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सुधार हेतु जापान से सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निधियों के शीघ्र आवंटन हेतु इस अनुरोध पर आगे की कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (घ) केरल सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय को अप्रैल 2013 में 675.57 करोड़ रु. के लिए कोच्ची शहरी समूह क्षेत्र हेतु जलापूर्ति संवृद्धि स्कीम पर जापानी सहायता के लिए प्रस्ताव/संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत किया है। डी.पी.आर. के तकनीकी मूल्यांकन पर केरल सरकार से शहरी विकास मंत्रालय की टिप्पणियों के आलोक में शहर में समय सेवा स्तर के सुधार के लिए कोच्ची शहरी समूह हेतु विद्यमान जलापूर्ति प्रणाली को मजबूत करने/नवीकरण के लिए एक नई डी.पी.आर. तैयार करने का अनुरोध किया गया है। तकनीकी मूल्यांकन/टिप्पणियों के आधार पर केरल सरकार से संधोशित डी.पी.आर. प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

आई.आई.टी. में रिक्त सीटें

568. **श्री सी. राजेन्द्रन:**

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

श्री मानिक टैगौर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सैंकड़ों विद्यार्थियों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) में प्रवेश पाने के पश्चात् प्रवेश लेने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी संस्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रत्येक आई.आई.टी. में पाठ्यक्रम-वार कितनी सीटें रिक्त पड़ी हैं; और

(घ) उन आई.आई.टी. में उपर्युक्त रिक्त सीटों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) जी, नहीं। 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) और भारतीय खनन विद्यालय (आई.एस.एम.), धनबाद में अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम आवंटन के तीन दौर थे। प्रथम दौर में कुल 9716 सीटें आवंटित की गई थी जिनमें से 760 आवंटियों ने दाखिला लेना पसंद नहीं किया था। तब ये सीटें पश्चात्वर्ती द्वितीय एवं तृतीय दौर में निचली श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों को आवंटित की गई थीं। जो सीटें आवंटित नहीं की गई थीं अर्थात तृतीय दौर के बाद सीटों की संख्या निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का विवरण	सीटों की संख्या
(क)	आई.आई.टी. रुड़की	वास्तुशिल्प	5
(ख)	आई.आई.टी. खड़गपुर	वास्तुशिल्प	3
(ग)	आई.आई.टी. (बी.एच.यू.)	औषधी निर्माण विभाग	
		(4 वर्ष)	4
		(5 वर्ष)	2
(घ)	आई.एस.एम. धनबाद	अप्लाइड जियो फिजिक्स	1
	योग		15

24.07.2013 को प्रारंभिक पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए कुल 48 सीटें आवंटित की गई थीं। यह सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों के द्वारा इन सीटों को स्वीकार नहीं करने का कारण यह है कि यह सीटें उन पाठ्यक्रमों में हैं, जो विद्यार्थियों में इतने लोकप्रिय नहीं है।

[हिन्दी]

बलात्कार के लंबित मामले

569. **श्री जगदानंद सिंह**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में बलात्कार के मामले निस्तारण हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार, संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने मामले निपटाए गए और उनमें कितने लोगों को दोष सिद्ध पाया गया; और

(घ) बलात्कार संबंधी मामलों के शीघ्र निपटाए हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालयों में पिछले तीन वर्ष के दौरान लंबित बलात्संग संबंधी मामले और निपटाए गए मामले संलग्न विवरण-I पर है। पिछले तीन वर्ष (2010-12) के दौरान राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो पर उपलब्ध ब्यौरे के आधार पर न्यायालयों में विचारण के लि कुल बलात्संग मामले, दोषसिद्ध मामले और वर्ष की समाप्ति पर लंबित विचारण मामले, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) बलात्संग मामलों सहित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309 साधारणत: दांडिक मामलों के और विशेषतया महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कुछ गंभीर अपराधों के शीघ्र विचारण करने के क्रम में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि प्रत्येक जांच या विचारण में प्रक्रिया, यथासंभव शीघ्र जितना संभव हो, उतनी शीघ्रता से की जाएगी और विशेषतया जब एक बार साक्षियों का परीक्षण आरंभ हो चुका हो, तो वह जब तक सभी उपस्थित साक्षियों का परीक्षण नहीं हो जाता है और जब तक न्यायालय उसको अभिलखित कारणों के लिए आवश्यक आने वाले दिन स्थगित नहीं करता है, दिन-प्रतिदिन जारी रहेगी। यह धारा यह भी उपबंध करती है कि जब जांच या विचारण, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से धारा 376घ के अधीन किसी अपराध से संबंधित है तब साक्षियों की परीक्षा के आरंभ की तारीख से दो (2) मास की अवधि के भीतर पूरा होना चाहिए। न केवल यह कि महिलाओ और बच्चों की हिंसा और लैंगिक अपराधों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए, अनेक विधान अधिनियमित किए गए, जिनमें अन्य बातो के साथ, मामलों के शीघ्र विचारण के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं।

दिल्ली सामूहिक बलात्संग मामले के परिणामस्वरूप, सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऐसे जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में, जहां अधिक मामले लंबित हैं, लंबित बलात्संग मामलों के शीघ्रता से निवारण के लिए और मामलों के समय से निपटान को सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रगति को मानीटर करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन का अनुरोध किया है। राज्यों ने ऐसे मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायधीशों की विद्यमान पद संख्या से विशेष न्यायालयों को अभिहित करते हुए प्रतिउत्तर दिया है।

केन्द्रीय सरकार ने, ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेश का अनुसरण करते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए जाने वाले न्यायधीशों के 10% अतिरिक्त पदों के वेतनों के लिए तेरहवें वित्त आयोग अधिनिर्णय में से अनुरूप आधार पर निधियों प्रदान करने का भी विनिश्चय किया है। राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए भी इन स्थितियों का उपयोग कर सकेंगे।

महिला पीड़ितों को विधिक और अन्य सहायता, दंड प्रक्रिया संहित की धारा 357 के अधीन विचारण न्यायालयों द्वारा प्रदान की जाती है। यदि अपेक्षित हो तो, राज्य विधिक प्राधिकरणों की सहायता भी ली जाती है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामले और उच्च न्यायालयों में बलात्संग के लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	तारीख 30 सितंबर, 2012 को लंबित बलात्संग मामलों की संख्या	तारीख 01 अक्तूबर, 2009 से 30 सितंबर, 2012 (तीन वर्ष) तक निपटाए गए बलात्संग मामलों की संख्या
1.	इलाहाबाद	8215	39
2.	मध्य प्रदेश	3758	628
3.	पंजाब और हरियाणा	2717	536
4.	छत्तीसगढ़	1533	246
5.	ओडिशा	1080	159
6.	राजस्थान	1164	83
7.	बम्बई	1009	239
8.	दिल्ली*	924	1135
9.	झारखंड	822	39
10.	पटना	797	106
11.	केरल	420	295
12.	आन्ध्र प्रदेश	269	57
13.	कर्नाटक**	243	4522
14.	गुजरात***	230	147
15.	मद्रास	179	35
16.	हिमाचल प्रदेश	177	418
17.	गुवाहाटी	174	55
18.	जम्मू और कश्मीर	28	12
19.	कलकत्ता	27	14
20.	उत्तराखंड	26	5
21.	सिक्किम	0	2

*दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित बलात्संग के अपराधों से संबंधित सभी प्रवर्गों के मामले अर्थात् जिसके अंतर्गत जमानतीय आवेदन, दांडिक अपील, दांडिक इजाजत याचिका, दांडिक पुनरीक्षण, दांडिक रिट याचिका, मृत्युदंड निर्देश तथा प्रकीर्ण मामले हैं।

**इसके अंतर्गत दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण याचिका तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438, धारा 439 और धारा 482 के अधीन दांडित याचिका है।

***व्यपहरण, अपहरण तथा लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों की अनंतिम समय (भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, धारा 363 से धारा 374, धारा 376 और धारा 377)।

विवरण-II

वर्ष 2010 के दौरान बलात्संग (धारा 376 भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत रिपोर्टित मामले और उनका पुलिस और न्यायालय द्वारा निपटान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष के दौरान विचारण के लिए कुल मामले	ऐसे मामले जिनमें शासन किया गया अथवा वापस लिया गया	ऐसे मामले जिनमें विचारण पूरा कर लिया गया है	दोषसिद्ध मामले	ऐसे मामले जिनमें दोषमुक्त किया गया या उन्मोचित किया गया	वर्ष की समाप्ति पर लंबित विचारण मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3616	6	1031	141	890	2579
2.	अरुणाचल प्रदेश	517	2	6	4	2	509
3.	असम	5335	44	526	95	431	4765
4.	बिहार	4154	0	873	227	646	3281
5.	छत्तीसगढ़	4487	2	825	204	621	3660
6.	गोवा	105	0	27	5	22	78
7.	गुजरात	2931	2	187	33	154	2742
8.	हरियाणा	1479	0	456	113	343	1023
9.	हिमाचल प्रदेश	585	1	110	21	89	474
10.	जम्मू और कश्मीर	1138	1	143	3	140	994
11.	झारखण्ड	2300	17	596	171	425	1687
12.	कर्नाटक	1682	1	350	54	296	1331
13.	केरल	4071	0	256	45	211	3815
14.	मध्य प्रदेश	10886	27	2751	777	1974	8108
15.	महाराष्ट्र	13313	11	1048	146	902	12254
16.	मणिपुर	66	0	3	1	2	63
17.	मेघालय	494	2	9	4	5	483
18.	मिजोरम	184	0	87	84	3	97
19.	नागालैंड	49	0	19	14	5	30
20.	ओडिशा	4805	0	666	132	534	4139

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	947	0	490	166	324	457
22.	राजस्थान	3502	16	656	202	454	2830
23.	सिक्किम	89	0	3	2	1	86
24.	तमिलनाडु	1930	1	432	105	327	1497
25.	त्रिपुरा	764	1	112	28	84	651
26.	उत्तर प्रदेश	5537	0	1392	705	687	4145
27.	उत्तराखण्ड	343	0	111	58	53	232
28.	पश्चिम बंगाल	12384	15	655	90	565	11714
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	65	0	0	0	0	65
30.	चंडीगढ़	77	0	31	14	17	46
31.	दादरा और नागर हवेली	17	0	4	2	2	13
32.	दमन और दीव	2	0	0	0	0	2
33.	दिल्ली	1817	0	407	141	266	1410
34.	लक्षद्वीप	2	0	0	0	0	2
35.	पुडुचेरी	34	0	1	1	0	33
	कुल	89707	149	14263	3788	10475	75295

वर्ष 2011 के दौरान बलात्संग (धारा 376 भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत रिपोर्टित मामले और उनका पुलिस और न्यायालय द्वारा निपटान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष के दौरान विचारण के लिए कुल मामले	ऐसे मामले जिनमें शासन किया गया अथवा वापस लिया गया	ऐसे मामले जिनमें विचारण पूरा कर लिया गया है	दोषसिद्ध मामले	ऐसे मामले जिनमें दोषमुक्त किया गया या उन्मोचित किया गया	वर्ष की समाप्ति पर लंबित विचारण मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3794	5	1007	111	896	2782
2.	अरुणाचल प्रदेश	547	0	23	4	19	524

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	5777	15	769	179	590	4993
4.	बिहार	4101	1	847	210	637	3253
5.	छत्तीसगढ़	4687	37	886	217	669	3764
6.	गोवा	111	0	14	4	10	97
7.	गुजरात	3151	5	211	31	180	2935
8.	हरियाणा	1555	0	578	135	443	977
9.	हिमाचल प्रदेश	617	1	130	29	101	486
10.	जम्मू और कश्मीर	1225	4	169	14	155	1052
11.	झारखण्ड	2279	10	474	185	289	1795
12.	कर्नाटक	1864	1	374	74	300	1489
13.	केरल	4521	0	201	31	170	4320
14.	मध्य प्रदेश	11331	34	3507	826	2681	7790
15.	महाराष्ट्र	13819	9	1012	205	807	12798
16.	मणिपुर	68	0	1	1	0	67
17.	मेघालय	564	0	20	0	20	544
18.	मिजोरम	165	0	57	46	11	108
19.	नागालैंड	50	1	19	16	3	30
20.	ओडिशा	5176	0	639	148	491	4537
21.	पंजाब	883	3	427	155	272	453
22.	राजस्थान	3949	37	785	205	580	3127
23.	सिक्किम	98	0	20	11	9	78
24.	तमिलनाडु	1973	3	353	72	281	1617
25.	त्रिपुरा	889	0	202	24	178	687
26.	उत्तर प्रदेश	5725	0	1447	816	631	4278
27.	उत्तराखण्ड	330	0	88	48	40	242
28.	पश्चिम बंगाल	13718	0	686	79	607	13032
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	87	0	0	0	0	87

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	67	0	21	9	12	46
31.	दादरा और नागर हवेली	16	0	4	0	4	12
32.	दमन और दीव	2	0	0	0	0	2
33.	दिल्ली	1887	0	448	186	262	1439
34.	लक्षद्वीप	2	0	2	1	1	0
35.	पुडुचेरी	37	0	2	0	2	35
	कुल	95065	166	15423	4072	11351	79476

वर्ष 2012 के दौरान बलात्संग (धारा 376 भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत रिपोर्टित मामले और उनका पुलिस और न्यायालय द्वारा निपटान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष के दौरान विचारण के लिए कुल मामले	ऐसे मामले जिनमें शमन किया गया अथवा वापस लिया गया	ऐसे मामले जिनमें विचारण पूरा कर लिया गया है	दोषसिद्ध मामले	ऐसे मामले जिनमें दोषमुक्त किया गया या उन्मोचित किया गया	वर्ष की समाप्ति पर लंबित विचारण मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4058	13	961	108	853	3084
2.	अरुणाचल प्रदेश	548	1	30	3	27	517
3.	असम	6103	0	506	97	409	5597
4.	बिहार	4155	0	609	119	490	3546
5.	छत्तीसगढ़	4752	128	977	223	754	3647
6.	गोवा	123	1	12	1	11	110
7.	गुजरात	3373	2	202	31	171	3169
8.	हरियाणा	1612	0	526	133	393	1086
9.	हिमाचल प्रदेश	635	1	107	29	78	527
10.	जम्मू और कश्मीर	1309	4	253	19	234	1052
11.	झारखण्ड	2397	18	562	161	401	1817

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	कर्नाटक	2076	0	428	65	363	1648
13.	केरल	5281	0	249	57	192	5032
14.	मध्य प्रदेश	11273	47	2801	547	2254	8425
15.	महाराष्ट्र	14414	8	1018	164	854	13388
16.	मणिपुर	76	1	1	0	1	74
17.	मेघालय	637	1	15	7	8	621
18.	मिजोरम	203	0	74	61	13	129
19.	नागालैंड	45	0	11	8	3	34
20.	ओडिशा	5873	0	724	154	570	5149
21.	पंजाब	965	2	456	151	305	507
22.	राजस्थान	4352	28	766	230	536	3558
23.	सिक्किम	102	0	2	1	1	100
24.	तमिलनाडु	2175	0	299	60	239	1876
25.	त्रिपुरा	893	0	109	16	93	784
26.	उत्तर प्रदेश	5791	36	1230	619	611	4525
27.	उत्तराखण्ड	370	0	119	75	44	251
28.	पश्चिम बंगाल	15197	0	1023	112	911	14174
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	94	0	8	3	5	86
30.	चंडीगढ़	80	0	27	9	18	53
31.	दादरा और नागर हवेली	18	0	5	1	4	13
32.	दमन और दीव	6	1	2	1	1	3
33.	दिल्ली	2007	0	603	297	306	1404
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	48	0	2	1	1	46
	कुल	101041	292	14717	3563	11154	86032

[अनुवाद]

जाति आधारित रैलियां

570. **श्री उदय सिंह:**

श्री अर्जुन राम मेधवाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाया है और राज्य सरकार/केन्द्र सरकार, निर्वाचन आयोग और कुछ राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार/निर्वाचन आयोग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर संज्ञान लिया है;

(ग) यदि हां, तो निर्वाचन आयोग देश-भर में जाति-आधारित रैलियों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि हाल ही में, इस विषय में फाइल की गई याचिका की प्रति लखनऊ स्थित न्यायपीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उसके कांउसेल से प्राप्त हो गई हैं। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मामले में पारित आदेश तारीख 11.07.2013 उच्च न्यायालय की वेबसाइट से निर्वाचन आयोग द्वारा डाउन लोड कर लिया गया है। उक्त आदेश में, माननीय उच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि "इस प्रकार भले ही, अंतिम साधारण प्रार्थना के निबंधनानुसार संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तब तक ऐसी कोई प्रत्यक्ष और विनिर्दिष्ट प्रार्थना नहीं की जाती है, जब तक निर्वाचन आयोग वर्तमान न्यायालय कार्यवाहियों में भाग लेने के पश्चात् उपयुक्त उपाय नहीं लेता है, हम इस निदेश के साथ प्रत्याशियों को नोटिस जारी करते हैं कि सुनवाई की अगली तारीख तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में राजनैतिक उद्देश्य वाली जाति आधारित रैलियां नहीं होंगी।" निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की समीक्षा कर रहा है। उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में आयोग की ओर से आवश्यक कार्रवाई सम्यक् अनुक्रम में की जाएगी। सुनवाई की अगली तारीख 13.08.2013 है। इसलिए, मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार

571. **श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान कैलेंडर वर्ष के दौरान देश में सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के विस्तार हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य-वार कितनी निधियां स्वीकृत की गई हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) राज्यवार क्षेत्र नेटवर्क (स्थान) परियोजना के अन्तर्गत पूरे देश में 31 स्थान प्रचालनरत हैं जो 2 एम.बी.पी.एस. की कनेक्टिविटी के साथ राज्य मुख्यालय (एच.एच.क्यू.) को जिला मुख्यालयों (डी.एच.क्यू.) और ब्लॉक मुख्यालय (बी.एच.क्यू.) से जोड़ते हैं तथा इसमें गुजरात राज्य भी शामिल है।

31 राज्यों/संघ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा*, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षदीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में स्वान परियोजना प्रचालनरत है। तथापि वर्तमान कैलेण्डर वर्ष में आईटी नेटवर्क के विस्तार की कोई कार्ययोजना नहीं है।

4 राज्यों/संघ राज्यों अर्थात अण्डमान और निकोबार, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा जम्मू और कश्मीर में स्वान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है।

(ग) उन राज्यों/संघ राज्यों जहां स्थान परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है, को स्वीकृत की गई निधियां निम्नानुसार है:

(i) अंडमान और निकोबार: 5.25 करोड़ रूपए

(ii) दमन और दीव: 2.50 करोड़ रुपए

(iii) दादरा और नगर हवेली: 2.78 करोड़ रुपए

(iv) जम्मू और कश्मीर: 37.54 करोड़ रुपए

*राज्य योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित

त्वरित न्यायालय

572. **श्री पूर्णमासी राम:**

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत त्वरित न्यायालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इन न्यायालयों में कितने मामने निपटाए गए और कितने मामले लंबित है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन न्यायालयों की स्थापना हेतु कुल कितनी निधियों का आवंटन/व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) त्वरित निपटान न्यायालय (एफ.टी.सी.) लंबित सेशन मामलों की संख्या को कम करने के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में ग्यारहवें वित्त आयोग की सहायता से वर्ष 2000 में स्थापित किए गए थे। केन्द्रीय वित्त पोषण 31 मार्च, 2011 तक जारी रहा था। इस तारीख तक 1192 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत होने की रिपोर्ट की गई थी। 31 मार्च, 2011 तक क्रियाशील त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। 2008-2011 की अवधि के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए जारी किए गए राज्यवार केन्द्रीय अनुदान संलग्न विवरण-II दिया गया है। जबकि त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए केन्द्रीय सहायता बंद कर दी गई है, विभिन्न राज्य सरकारें अपने संसाधनों से ही त्वरित निपटान न्यायालयों को बनाए रखने के लिए सहायता उपलब्ध कर रही है।

(घ) और (ङ) दिसम्बर 2012 में दिल्ली में सामूहिक बलात्संग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पश्चात् राज्यों से, 19 अप्रैल, 2012 को बृज मोहन लाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए जा रहे न्यायाधीशों के दस प्रतिशत अतिरिक्त पदों का उपयोग करके बलात्संग मामलों के विचारण के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना का अनुरोध किया गया है। 7 अप्रैल, 2013 को आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में भी यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकारें, स्त्रियों, बालकों, विकलांगों, ज्येष्ठ नागरिकों, समाज के गरीब वर्गों के विरूद्ध अपराधों के लिए उपयुक्त संख्या में त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराएंगी।

विवरण-I

कार्यरत त्वरित न्यायालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.03.2011 को कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	31.03.2011 को निपटाए गए कुल मामलों की संख्या	31.03.2011 को लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	108	199953	36975
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1660	2502
3.	असम	20	55811	16380
4.	बिहार	179	159105	80173
5.	छत्तीसगढ़	25	76575	18095

1	2	3	4	5
6.	गोवा	5	434296	103340
7.	गुजरात *	61	4017	1079
8.	हरियाणा **	6	33590	4769
9.	हिमाचल प्रदेश	9	33427	6699
10.	झारखंड	39	87789	22238
11.	कर्नाटक #	87	184067	34335
12.	केरल	38	95367	13793
13.	मध्य प्रदेश **	84	317363	43239
14.	महाराष्ट्र *	51	381619	41899
15.	मणिपुर	2	2861	198
16.	मेघालय	3	843	188
17.	मिजोरम	3	1635	233
18.	नागालैंड	2	716	129
19.	ओडिशा	35	60441	5758
20.	पंजाब**	15	46347	12223
21.	राजस्थान	83	123024	26423
22.	तमिलनाडु $	49	371336	40621
23.	त्रिपुरा	3	5591	221
24.	उत्तर प्रदेश	153	411658	53117
25.	उत्तराखंड	20	98797	
26.	पश्चिम बंगाल	109	113903	32180
	कुल	1192	3292785	605813

*फरवरी, 2011 को यथाविद्यमान

**दिसंबर, 2010 को यथाविद्यमान

#अगस्त, 2010 को यथाविद्यमान

$दिसंबर, 2008 को यथाविद्यमान

विवरण-II

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
1.	आन्ध्र प्रदेश	142.40	0	1096.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.40	14.40	14.40
3.	असम	91.20	96.00	96.00
4.	बिहार	720.00	720.00	720.00
5.	छत्तीसगढ़	148.80	148.80	129.60
6.	गोवा	19.20	14.40	24.00
7.	गुजरात *	580.80	0	777.60
8.	हरियाणा **	38.40	76.80	67.20
9.	हिमाचल प्रदेश	38.40	43.20	43.20
10.	झारखंड	249.60	196.80	192.00
11.	कर्नाटक #	182.40	446.40	441.60
12.	केरल	148.80	148.80	148.80
13.	मध्य प्रदेश **	312.00	316.80	316.80
14.	महाराष्ट्र *	417.60	412.80	537.60
15.	मणिपुर	9.60	9.60	9.60
16.	मेघालय	28.80	-	28.80
17.	मिजोरम	14.40	14.40	14.40
18.	नागालैंड	9.60	9.60	9.60
19.	ओडिशा	158.40	168.00	168.00
20.	पंजाब**	0	163.20	81.60
21.	राजस्थान	398.40	398.40	398.40
22.	तमिलनाडु $	0	470.40	235.20
23.	त्रिपुरा	0	11.56	0
24.	उत्तर प्रदेश	1161.60	1161.60	1094.40
25.	उत्तराखंड	0	0	99.62
26.	पश्चिम बंगाल	571.20	571.20	571.20
	कुल	5456.00	5613.16	7315.62

[अनुवाद]

बी.एस.यू.पी. हेतु प्रस्ताव

573. श्री अनंत कुमार: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाओं के लिए (बी.एस.यू.पी.) प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन सभी प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की प्रस्ताव-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इनके प्रस्ताव-वार क्या कारण है; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं को शीघ्र अनुमोदित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) से (ङ) वर्ष 2011 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) कार्यक्रम के अंतर्गत 170 रिहायशी यूनिटों का निर्माण करने के लिए 4.66 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंशदान के साथ 10.96 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत का कर्नाटक सरकार से केवल बंगलूरू सिटी का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसका अनुमोदन कर दिया गया था। तथापि, सरकार ने इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक में दो मिशन शहरों नामत: बंगलूरू और मैसूर के लिए 28,288 रिहायशी यूनिटों के निर्माण/उन्नयन के लिए 412.64 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंशदान से 854.43 करोड़ रुपए मूल्य की प्रस्तुत की गई कुल 19 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। कर्नाटक राज्य में बी.एस.यू.पी. योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं, अनुमोदित कुल परियोजना लागत, कटिबद्ध केन्द्रीय अंशदान, जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत रिहायशी यूनिटों की संख्या, पूरा होने के विभिन्न चरणों में रिहायशी यूनिटों के ब्यौरे संलग्न किए गए हैं। जे.एन.एन.यू.आर.एम. की कार्य अवधि वर्ष 2005-06 से शुरू हो कर 7 वर्षों के लिए अर्थात् 31.03.2012 तक थी। इस मिशन की अवधि मार्च, 2012 तक थी जिसे मार्च, 2012 तक स्वीकृत सतत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्यों को स्लम के पुनर्विकास के लिए बेहतर आश्रय और बुनियादी और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने तथा किफायती आवास स्टॉक का निर्माण करने में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 02.06.2011 को राजीव आवास योजना का प्रारंभिक चरण शुरू किया था और उसने राजीव आवास योजना के अंतर्गत कर्नाटक में बंगलूरू सिटी, टुमकर और हुबली-धारवाड के लिए 89.25 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंशदान के साथ 194.73 करोड़ रुपये की कुल लागत से कुल 3 प्रायोगिक परियोजनाओं को स्वीकृत किया है।

कर्नाटक राज्य के लिए बी.एस.यू.पी., जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के शहर-वार ब्यौरे

शहर	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत	केन्द्रीय अंशदान		रिहायशी यूनिटों की वास्तविक प्रगति		
			वचनबद्ध ए.सी.ए.	जारी की गई ए.सी.ए.	स्वीकृत कुल रिहायशी यूनिट	प्रगति रत रिहायशी यूनिट	पूरे हो गए रिहायशी यूनिट
बंगलौर	15	595.80	241.27	194.83	20154	4145	13832
मैसूर	4	258.85	171.36	158.37	8134	772	6872
कुल	19	854.65	412.63	353.20	28288	4917	20704

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि

574. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में सी.बी.आई. द्वारा पंजीकृत किए गए भ्रष्टाचार के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल पंजीकृत मामलों में से कितने मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और कितने मामलों में जांच के पश्चात कार्रवाई की गई है और कितने मामलों की जांच जारी है; और

(घ) देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): (क) से (ग) भ्रष्टाचार के मामले केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न एजेन्सियों द्वारा निपटाए जाते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में केन्द्रीकृत आंकड़े कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में नहीं रखे जाते हैं। जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सी.बी.आई. द्वारा कार्रवाई किए गए भ्रष्टाचार के मामलों का संबंध है, सी.बी.आई. ने पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2010, 2011, 2012 एवं वर्ष 2013 (30.06.2013 तक) के दौरान भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के तहत 2283 मामले दर्ज किए हैं। वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित राज्य-वार आंकड़े केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं।

(घ) भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने तथा सरकार के कार्य में सुधार लाने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष	सी.बी.आई. द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र दायर किए गए	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन मामलों की संख्या जिनमें समापन संबंधी रिपोर्ट दायर की गई	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन मामलों की संख्या जिनमें जांच लंबित है।
		कॉलम 2 में से	कॉलम 2 में से	कॉलम 2 में से
2010	650	531	85	34
2011	600	430	82	88
2012	703	315	40	348
2013 (30.6.2013 तक)	330	41	1	288
कुल	2283	1317	208	758

विवरण-II

सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने तथा सरकार के कार्य में सुधार लाने के लिए हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है:-

i. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन:

ii. निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा व्यापक अनुदेश जारी करना:

iii. संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के निदेश देते हुए केन्द्रीय सतर्कता

आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है;

iv. ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

v. नागरिक चार्टर जारी करना;

vi. वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन (यू.एन.सी.ए.सी.) का अनुसमर्थन करना;

vii. केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरणों को जनव्यापी बनाना;

viii. विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के मामलों की सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन करना। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देशभर में विभिन्न राज्यों में 22 और विशेष न्यायालयों के सृजन का हाल ही में अनुमोदन किया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हाल ही में संसद में अनेक विधायनों का पुर:स्थापन भी किया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

i. लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011;

ii. सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011;

iii. विदेशी लोक पदधारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोक पदधारियों की रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011;

iv. सामान एवं सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी तथा शिकायतों के निपटान हेतु नागरिक अधिकार विधेयक, 2011; तथा

v. लोक प्रापण विधेयक, 2012

आकाश टैबलेट

575. **श्री महाबली सिंह:**

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ने और देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए बने 'आकाश टैबलेट' तीन वर्षों के पश्चात् भी अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या आपूर्तिकर्ता कंपनी डाटा विंड को अनुबंध के अनुसार पहले चरण में एक लाख टैबलेटों की आपूर्ति करनी थी परन्तु आज की तिथि के अनुसार वह केवल 17000 टैबलेटों की आपूर्ति ही कर पायी है;

(घ) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करने के लिए आपूर्तिकर्ता कंपनी के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने योजना को व्यवहारिक बनाने और टैबलेट की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई योजना तैयार की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशि थरूर): (क) से (ङ) जी, नहीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान को सितंबर, 2010 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एन.एम.ई.आई.सी.टी.) स्कीम के अंतर्गत शिक्षक-सशक्तिकरण के लिए लो कॉस्ट एक्सेस-कम-कम्प्यूटिंग डिवाइसेस (एल.सी.ए.डी.) अर्जित करने के बाद निम्नलिखित सामान की प्राप्ति की परियोजना सस्वीकृत की गई थी।

(i) लो कॉस्ट एक्सेस-कम-कम्प्यूटिंग डिवाइसेस का अर्जन और परीक्षण, तथा

(ii) लो कॉस्ट एक्सेस-कम-कम्प्यूटिंग डिवाइसेस की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप्टीमाइजेशन।

यह परियोजना बाद में अप्रैल, 2012 में आई.आई.टी. बंबई को अंतरित कर दी गई थी। आई.आई.टी. बंबई ने सभी 1,00,000 आकाश टैबलेट्स की डिलीवरी प्राप्त कर ली है जिसका उनके द्वारा डाटा विंड को आदेश दिया गया था।

इसके अलावा आकाश टैबलेट्स पर निरंतर अनुसंधान और विकास (आर. एंड डी.) तथा समय पर उसकी डिलीवरी के लिए गठित अंतर-मंत्रालयीय समिति ने आकाश के उन्नत रूपांतर के विस्तृत विनिर्देशनों को पहले ही तैयार कर लिया है।

[अनुवाद]

कुडनकुलम से बिजली उत्पादन

576. **श्री पी.के. बिजू:**

श्री ए.सम्पत

श्री सी. राजेन्द्रन

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुडनकुलम विद्युत संयंत्र को चालू किए जाने के लिए अनुमति देने से पूर्व सभी सुरक्षा मानक अपनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस विद्युत संयंत्र ने काम करना आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और यह संयंत्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): (क) जी, हां। नाभिकीय विद्युत संयंत्र (एन.पी.पी.) को कमीशन करने के कार्य में, प्रणाली-वार अलग-अलग तथा एकीकृत रूप में भी कई बार जांच और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि क्या सभी प्रणालियां डिजायन के अनुसार कार्य कर रही हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी प्राचल स्वीकार्य मानदंडों के अनुरूप है। इन कमीशन संबंधी परीक्षणों को विभिन्न चरणों में किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए.ई.आर.बी.) की सुरक्षा संबंधी समितियां अगले चरण के लिए अनुमति देने से पूर्व, प्रत्येक चरण के परीक्षण संबंधी परिणामों की पुनरीक्षा करती है।

(ख) से (घ) कुडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (के.के.एन.पी.पी.) के यूनिट-1 ने, (पहली बार नियंत्रित स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए) 13 जुलाई, 2013 को पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है। क्रांतिकता प्राप्त करने के बाद, निम्न विद्युत भौतिकी परीक्षण करने का कार्य, निर्धारित प्रक्रियाओं और विनियामक संबंधी अनुमति के अनुसार पूरा किया गया है। कमीशन का अगला चरण, जिसमें विद्युत के स्तर में क्रमिक रूप से की जाने वाली वृद्धि और भिन्न-भिन्न विद्युत स्तरों पर किए जाने वाले विभिन्न परीक्षण शामिल है, परपाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा निम्न विद्युत भौतिकी संबंधी परीक्षणों के चरण पर प्राप्त किए गए परीक्षण संबंधी परिणामों की पुनरीक्षा की प्रक्रिया पूरी किए जाना, और न्युक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया जाने वाला अपेक्षित अनुमोदन शामिल है, के बाद ही शुरू किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा यह अनुमति प्रदान किए जाने के बाद, इस यूनिट को दक्षिणी ग्रिड के साथ जोड़ने और उसमें विद्युत का उत्पादन करने के कार्य में लगभग 45 दिन का समय लगने की आशा है।

मानदंडों में छूट

577. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**

श्री अब्दुल रहमान:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के दायरे में छोटे शहरों को लाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत बस खरीदने हेतु दी जाने वाली/धनराशि संबंधी मानदंडों में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जुलाई, 2013 तक विभिन्न राज्यों के लिए जे.एन.एन.यू.-आर.एम. के अंतर्गत राज्य-वार तथा जिले-वार कितनी बसें प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार को छोटे शहरों के लिए बस खरीदने हेतु धनराशि प्रदान करने के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ख) जी हां। माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री की बजट उद्घोषणा के अनुपालन में मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सभी शहरों/कस्बों/शहरी समूहों (यू.ए.) के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत शहरी परिवहन के लिए 10000 तक बसों की स्वीकृति के लिए पहल प्रयास शुरू किया है।

(ग) चूंकि सभी शहरों/कस्बों/शहरी समूहों को शामिल करने के लिए औपचारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है इसलिए अब तक किसी राज्य को कोई बस प्रदान नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) छोटे शहरों सहित शहरों के लिए बसों की खरीद हेतु धनराशि की अनुमति के लिए निम्नलिखित राज्यों से अग्रिम प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

क्रम सं.	राज्य	शहर	प्रस्तावित बसों की संख्या
1.	तमिलनाडु	चेन्नई	1064
		बेल्लोर	28
		कांचीपुरम	14
		चिदंबरम	32
		कुंबकोणम	20
		तिरूचिरापल्ली	69
		तंजावूर	33
		मदुरै	213
		सलेम	66
		होसर	30
		कोयंबटूर	192
		ईरोड	70
		तिरूपुर	56
		उँटी	20
		गुदालुर	10
		तिरूनेलवेली	46
		थुटुकुटी	16
		नगरकोइल	21
2.	पंजाब	भटिंडा	20
3.	कर्नाटक	बंगलौर	2000
4.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	918
		विशाखापट्नम	202
		विजयवाडा	151

चूंकि अब तक औपचारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अग्रिम प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता

578. **श्री नारनभाई काछड़िया**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीब तथा दहेज, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, आदि की पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान करने की कोई सुविधा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विधिक सहायता प्रदान करने वाली एजेन्सियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सहायता प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन सभी स्त्रियां अपनी सामाजिक और वित्तीय प्रास्थिति को ध्यान में न रखते हुए नि:शुल्क विधिक सेवाएं जिनके अंतर्गत विधिक कार्यवाहियों में अधिवक्ता भी है, प्राप्त करने के लिए हकदार हैं।

(ख) नि:शुल्क विधिक सेवाओं का लाभ ताल्लुक विधिक सेवा समितियों से ताल्लुक स्तरीय मामलों के लिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से जिला न्यायालय मामलों के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों से उच्च न्यायालय मामलों के लिए और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से उच्चतम न्यायालय मामलों के लिए उठाए जा सकते हैं।

(ग) ऐसी विधिक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के नियम 3 में दी गई है।

[अनुवाद]

योजनाओं का कार्यान्वयन

579. **श्री ए.के.एस. विजयन**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) जैसी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशियों का प्रभावी और पूरा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशि थरूर): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) योजनाओं का कार्यान्वयन करने में केन्द्रीय स्तर पर कोई बाधा नहीं है। तथापि, राज्य/जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन करने में मुख्य अवरोधों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विभिन्न स्तरों पर निधियों के जारी करने में विलंब, कई अवसरों पर गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की कमी, नामांकन की तुलना में कम लाभार्थियों का शामिल होना, रसोइए-सह-सहायकों को मानदेय के भुगतान में विलंब, संबंधित राज्य सरकार, द्वारा सही मॉनीटरिंग न किया जाना शामिल है।

इन योजनाओं के लिए आबंटित निधियों का उपयोग प्रभावी रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय बजटीय परिव्यय की तुलना में एस.एस.ए. में उपयोग 99.93%, आर.एम.एस.ए. में 99.99% और मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों में 94.50% था। निधियों का कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जारी राशियों और योजना के कार्यान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन

580. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय**: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के मूल्यांकन के आधार क्या है;

(ख) जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों का प्रतिशत-वार अंश कितना है; और

(ग) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जी.डी.पी. में सरकारी क्षेत्र एवं औद्योगिक घरानों का अंश कितना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) सकल घरेलू उत्पाद की गणना विभिन्न स्रोत अभिकरणों द्वारा विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.) द्वारा की जाती है। जी.डी.पी. का अनुमान

लगाने की पद्धति सी.एस.ओ. के प्रकाशन 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी स्रोत और पद्धतियां, 2012' और 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नयी सिरीज, बेस ईयर 2004-05' संबंधी ब्रोशर में निहित है, जो कि सार्वजनिक रूप से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट www.mospi.nic.in पर भी उपलब्ध है। जी.डी.पी. के आकलन हेतु पद्धति का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(ख) कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और अन्य क्षेत्रकों का प्रतिशत अंश निम्न तालिका में प्रस्तुत है:

क्र.सं.	क्षेत्रक	कुल जी.डी.पी. में अंश (%)		
		2010-11 (दूसरा आर.ई.)	2011-12 (पहला आर.ई.)	2012-13 (पी.ई.)
1	2	3	4	5
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यिकी	18.0	17.5	17.4
2.	खनन एवं उत्खनन	2.7	2.4	2.3
3.	विनिर्माण	14.9	14.4	13.5
4.	बिजली, गैस एवं जल वितरण	1.8	1.7	1.8
5.	निर्माण कार्य	8.2	8.2	8.1
	उद्योग	**27.6**	**26.7**	**25.7**
6.	व्यापार, होटल, यातायात एवं संचार	24.4	25.2	25.5
7.	वित्त, बीमा, भौतिक, संपदा एवं व्यापारिक सेवाएं	16.0	16.6	17.1
8.	सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	14.0	14.0	14.3
	सेवाएं	54.4	55.8	56.9
9.	सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	100.0	100.0	100.0

स्रोत: अनन्तिम वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2012-13, 31 मई, 2013 पर सी.एस.ओ. को प्रैस नोट।

दूसरा आर.ई.: द्वितीय संशोधित आकलन; प्रथम आर.ई.: प्रथम संशोधित आकलन, पी.ई.: अनन्तिम आकलन

(ग) बड़े औद्योगिक घरानों पर जी.डी.पी. आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है। फिर भी चालू कीमतों पर कुल जी.डी.पी. में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक का अंश निम्न तालिका में प्रस्तुत है।

क्षेत्रक/वर्ष	2009-10 (तीसरा आर.ई.)	2010-11 (दूसरा आर.ई.)	2011-12 (पहला आर.ई.)
सार्वजनिक क्षेत्रक	21.4	20.8	20.5
निजी क्षेत्रक	78.6	79.2	79.5

स्रोत: राष्ट्रीय आय के प्रथम संशोधित आकलन, 2011-12, 31 जनवरी, 2013 पर सी.एस.ओ. को प्रैस नोट।

तीसरा आर.ई.: तीसरा संशोधित आकलन, दूसरा आर.ई.: दूसरा संशोधित अनुमान: प्रथम आर.ई.: प्रथम संशोधित अनुमान।

[अनुवाद]

अवसंरचना एवं शिक्षण संकाय की कमी

581. **डॉ. थोकचोम मैन्या:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के मणिपुर कैंपस में प्रवेश लेने में विद्यार्थी इच्छुक नहीं है क्योंकि यहां पर्याप्त अवसंरचना नहीं है एवं शिक्षण संकाय की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए/किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशि थरूर): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आई.जी.-एन.टी.यू.) ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि वर्तमान में 96 विद्यार्थियों का स्नातकोत्तर एवं एम.फिल कार्यक्रमों में नामांकन किया गया है और इसके मणिपुर कैंपस में वर्ष 2013-14 प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 218 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यहां तक शिक्षण संकाय का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने क्षेत्रीय परिसर मणिपुर के लिए 2 प्रोफेसर, 4 एसोसिएट प्रोफेसर तथा 6 सहायक प्रोफेसर के पदों का अनुमोदन किया है जिनमें से सहायक प्रोफेसर के सभी 6 पदों को भर दिया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों हेतु पहली बार वर्ष 2010 में विज्ञापन जारी किया गया था तथा दिनांक 8.12.2011 को इस संबंध में पुन: विज्ञापन जारी किया गया परंतु इन पदों को नहीं भरा जा सका क्योंकि नियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं पाए गए। यह एक तथ्य है कि विश्वविद्यालय ने उस स्थल पर भौतिम अवसंरचना के विकास के संबंध में संतोषजनक प्रगति नहीं की है जहां स्थायी क्षेत्रीय परिसर की स्थापना की जानी है।

(ग) आई.जी.एन.टी.यू. अपने अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाई गई संविधियों एवं अध्यादेशों द्वारा अभिशासित एक स्वायत्त निकाय है और विश्वविद्यालय के सांविधिक निकाय सभी प्रशासनिक एवं अकादमिक निर्णय लेने में सक्षम हैं। विश्वविद्यालय ने हमें सूचित किया है कि इसने निर्माण कार्य राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.सी.एल.), भारत सरकार का एक उपक्रम, को एक कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर सितंबर, 2011 में सौंपा था। स्थानीय समस्याओं के कारण, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इस कार्य के लिए अनुबंधकर्ता को अंतिम रूप देने में समय लगा। अब, एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा यह कार्य चयनित अनुबंधकर्ता को सौंप दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण कार्य की गहन मानीटरिंग की जा रही है ताकि इसे समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। रिक्त पदों के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

582. **श्री हेमानंद बिसवाल:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है ?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जी हां। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) शुरू करने का प्रस्ताव किया है जो कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एम.जे.एस.आर.वाई) को प्रतिस्थापित करेगा। एन.यू.एल.एम. शहरी गरीबी से संबंधित मुख्य मुद्दों पर ध्यान संकेन्द्रित करेगा जैसे कि शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्यमिता विकसित करने में सक्षम बनाना, मजदूरी रोजगार प्रदान करना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

(ग) एन.यू.एल.एम. का प्रस्ताव अनुमोदन के चरण पर है।

दूरसंचार कंपनियों द्वारा गुटबंदी

583. **श्री जोस के. मणि:**

श्री ए. साई प्रताप:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2जी स्पेक्ट्रम की पिछली दो नीलामी विफल रही थी क्योंकि दूरसंचार विभाग ने देश में दूरसंचार फर्मों द्वारा गुटबाजी करने में अनजाने में मदद की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मोबाइल ऑपरेटर संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें जारी स्पेक्ट्रम को आपस में साझा करने की अनुमति दी जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) दूरसंचार ऑपरेटरों के अनुरोध पर सरकार का रूख क्या है तथा इन पर ट्राई की सिफारिशें क्या है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) कुछेक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने स्पैक्ट्रम शेयरिंग मुद्दे पर लिखा था। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों में, अन्य मुद्दों के साथ-साथ सभी प्रचालकों, स्पैक्ट्रम धारिता और प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुमति प्रदान किए जाने, स्पैक्ट्रम शेयरिंग के लिए एक कालिक शुल्क नहीं लिए जाने, शेयरिंग की अधिकतम अवधि की समीक्षा किए जाने इत्यादि मुद्दे शामिल हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने स्पैक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेसिंग संरचना के संबंध में दिनांक 11.05.2010 की अपनी सिफारिश में अन्य बातों के साथ-साथ, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्पैक्ट्रम शेयरिंग के मुद्दे के संबंध में सिफारिश की थी। सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की इन सिफारिशों और दिनांक 08 फरवरी, 2011 की सिफारिशों, दिनांक 03 मई, 2011 के स्पष्टीकरण और दिनांक 03 नवंबर, 2011 के प्रत्युत्तर आदि पर विचार किया तथा दिनांक 15.02.2012 (प्रति विषय के रूप में संलग्न) को जारी किए गए प्रेस विवरण के तहत 2जी स्पैक्ट्रम की शेयरिंग हेतु व्यापक दिशा-निर्देशों की घोषणा की।

इसके अलावा, सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्पैक्ट्रम की शेयरिंग के मामले में स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार की दरों के संबंध में भी निर्णय लिया है।

विवरण

प्रेस आसूचना ब्यूरो

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

15 फरवरी, 2012 17:22 आई.एस.टी.

श्री कपिल सिब्बल का आज जारी किया गया प्रेस विवरण

श्री कपिल सिब्बल, केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आज यहां एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए विवरण का पाठ निम्नलिखित है:

पाठ

"स्पैक्ट्रम प्रबंधन तथा लाइसेसिंग ढांचा" विषय पर ट्राई की दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिशों तथा बाद में इसके द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2011 को दी गई सिफारिशों, 03 मई, 2011 के स्पष्टीकरण और 03 नवम्बर 2011 के प्रत्युत्तर पर दूरसंचार आयोग द्वारा विचार किया गया। दूरसंचार आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:-

1. स्पैक्ट्रम से संबद्ध कोई और यू.ए.एस. लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।

2. सभी भावी लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस होंगे और स्पैक्ट्रम के आवंटन को लाइसेंस से अलग कर दिया जाएगा। स्पैक्ट्रम, यदि अपेक्षित हो, पृथक रूप से प्राप्त करना होगा। एकीकृत लाइसेंस में सभी मौजूदा लाइसेंसों हेतु अंतरण व्यवस्था सहित एकीकृत लाइसेंस के संदर्भ में ट्राई से विस्तृत दिशा-निर्देशों तथा निबंधन और शर्तों के प्राप्त होने के बाद ही एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था के क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

3. एकीकृत लाइसेसिंग व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने तक स्पैक्ट्रम की किसी प्रकार की नीलामी होने की स्थिति में, बिना स्पैक्ट्रम के यू.ए.एस. लाइसेंस जारी किया जाएगा, जो इस व्यवस्था के लागू होने की स्थिति में एकीकृत लाइसेंस में अंतरण संबंधी अपेक्षा के अध्यधीन होगा। बिना स्पैक्ट्रम के ऐसे यू.ए.एस. लाइसेंस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों को इस संबंध में ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

4. सभी दूरसंचार लाइसेंसों और सेवा क्षेत्रों के लिए एक समान लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा, जिसे उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाली दो वर्षीय समयावधि में समायोजित सकल राजस्व के 8% के बराबर किया जाएगा।

5. ऐसे प्रत्येक लाइसेंसधारक द्वारा देय लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार वास्तविक समायोजित सकल राजस्व के आधार पर होंगे, जो संभावित न्यूनतम समायोजित सकल राजस्व के अध्यधीन होगा। ट्राई इस न्यूनतम राशि की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करेगा।

6. आई.पी.-I सेवा प्रदाता, जो वर्तमान में बिना लाइसेंस के निष्क्रिय अवसंरचना प्रदाता है, को लाइसेसिंग व्यवस्था के अंतर्गत लाने की सिफारिश पर निर्णय को भावी जांच हेतु आस्थगित कर दिया गया है।

7. दूरसंचार विभाग द्वूत व्यापक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज एवं टेलीघनत्व में वृद्धि करने संबंधी मुद्दों की जांच की जा सके तथा इसके साथ ही सेवा की सतत गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सिर्फ यू.एस.ओ.एफ. प्रक्रियातंत्र की पर्याप्तता तथा ग्रामीण रॉल-आउट हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपयुक्त प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने संबंधी यू.एस.ओ.एफ. की स्कीमों में वृद्धि करने की आवश्यकता की जांच की जा सके।

8. विद्यमान यू.ए.एस (और सी.एम.टी.एस. एवं बुनियादी सेवाएं) लाइसेंसों की वैद्यता को उपयुक्त निबंधन एवं शर्तों के साथ वर्तमान लाइसेंसिंग प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार एक बार अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है ताकि किसी आवंटित स्पेक्ट्रम की मात्रा एवं मूल्य सहित विद्यमान लाइसेंस और उससे संबंधित शर्तों को स्वत: जारी रखना न समझा जाए।

9. विस्तार किए जाने पर, यू.ए.एस. लाइसेंसधारकों को फीस का भुगतान करना होगा जो महानगरों एवं "क" क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रू., "ख" क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ रू. तथा "ग" क्षेत्रों के लिए 0.5 करोड़ रू. होगी। इस फीस में स्पेक्ट्रम का मूल्य शामिल नहीं है, जिसका भुगतान अलग से करना होगा। लाइसेंस का विस्तार करते समय, लाइसेंसधारक को स्पेक्ट्रम का आवंटन केवल निर्धारित सीमा तक अथवा विस्तार करने से पहले उसे आवंटित स्पेक्ट्रम की मात्रा इनमें से जो भी कम हो, तक किया जाएगा। लाइसेंसधारक को निर्धारित सीमा से अधिक आवंटित किए गए स्पेक्ट्रम को सरकार द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

10. स्पेक्ट्रम को पुन: निर्धारित करने की आवश्यकता को सिद्धान्तत: स्वीकार किया गया है। इस संबंध में ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

11. सेवा प्रदाताओं को आवंटित स्पेक्ट्रम के संबंध में निर्धारित सीमा, दिल्ली और मुंबई को छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों के लिए जी.एस.एम./सी.डी.एम.ए. प्रौद्योगिकी के लिए क्रमश: 2x8 मेगाहर्ट्ज/2x5 मेगाहर्ट्ज होगी जबकि दिल्ली और मुंबई के लिए यह 2x10 मेगाहर्ट्ज/2x6.25 मेगाहर्ट्ज होगी। तथापि, लाइसेंसधारक लाइसेंसों के विलयन के लिए निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन स्पेक्ट्रम की नीलामी के माध्यम से निर्धारित सीमा के बाद खुले बाजार में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकता है।

12. एम. एंड ए. और स्पेक्ट्रम साझेदारी के मामलों में स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण सहित एक बारगी स्पेक्ट्रम शुल्क से संबंधित सभी मामलों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।

13. सरकार द्वारा वर्ष 2010 में स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार में संशोधन किया गया था और यह मामला न्यायाधीन है। न्यायालय द्वारा मामले पर निर्णय लिए जाने के बाद दूरसंचार विभाग आगे कार्रवाई करेगा।

14. सी.एम.टी.एस./यू.ए.एस. लाइसेंसों के अंतरा-सेवा क्षेत्र विलयन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

i. बाजार शक्ति के निर्धारण के लिए संगत बाजार में लाइसेंसधारकों के उपभोक्ता आधार और समायोजित सकल राजस्व दोनों के बाजार हिस्से पर विचार किया जाएगा। बाजार हिस्सा निर्धारित करने के लिए संपूर्ण अभिगम बाजार संगत बाजार और अब इसे अलग से "वायर लाइन" एवं "बेतार" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

ii. नई बनी कंपनी के 35% बाजार हिस्से का विलयन सामान्य त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से अनुमत्य होगा। तथापि, किसी सेवा क्षेत्र में धारित जी.एस.एम. स्पेक्ट्रम/सी.डी.एम.ए. स्पेक्ट्रम के लिए 10 मेगाहर्ट्ज पर 25% की सीमा का उल्लंघन किए बिना कुछ परिस्थितियों में 35% से अधिक बाजार हिस्से के विलयन के मामलों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। ट्राई की सिफारिश की ऐसे मामलों पर 60% बाजार हिस्से तक विचार किया जाएगा, को ध्यान में रखा गया है। परिस्थितियों एवं उस विस्तार जहां तक 35% सीमा से अधिक विलयन अनुमान्य होगा, पर स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने पर तथा उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ यथोचित परामर्श करने के बाद विस्तृत पारदर्शी मानदंड निर्धारित किया जाएगा/अपनाया जाएगा।

iii. किसी सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों के विलयन के परिणामस्वरूप, नई बनी कंपनी द्वारा धारित कुल स्पेक्ट्रम 900 एवं 1800 मेगाहर्ट्ज बैंडों के मामले में संबंधित सेवा क्षेत्र में नीलामी द्वारा अथवा अन्य तरीकों से आवंटित स्पेक्ट्रम के 25% से अधिक नहीं होगा। 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के संबंध में, यह सीमा 10 मेगाहर्ट्ज होगी। दूसरे बैंडों में स्पेक्ट्रम के संबंध में, उस स्पेक्ट्रम की नीलामी से संबंधित संगत शर्तें लागू होंगी।

iv. विलयन के परिणामस्वरूप, यदि नई बनी कंपनी द्वारा धारित कुल स्पेक्ट्रम निर्धारित सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को अनुमति प्रदान किए जाने के एक वर्ष के भीतर अवश्य वापस करना होगा। सरकार उस बैंड का निर्धारण कर सकती है जिसे स्पेक्ट्रम पुन: निर्धारण नीति, जिसकी घोषणा अलग से की जाएगी, के अनुसार वापस करना आवश्यक होगा।

v. नई बनी कंपनी की पर्याप्त इक्विटी एवं प्रतिधारिता, यू.ए.एस. लाइसेंस के प्रावधानों के अनुरूप होगी।

vi. संबंधित सेवा क्षेत्र में नई बनी कंपनी के लाइसेंस की अवधि, विलयन की तिथि पर दोनों में से अधिक अवधि के बराबर होगी। तथापि, इससे नई बनी कंपनी को लाइसेंस अवधि की समाप्ति तक पूर्ण स्पेक्ट्रम को रखने की हकदारी प्राप्त नहीं होगी।

vii. किसी विलयित कंपनी की प्रारंभिक वैधता के बाद वैधता के नवीकरण के मामले में 800/900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की धारणीयता, भविष में घोषित किए जाने वाले लागू स्पेक्ट्रम पुन:निर्धारण दिशा-निर्देशों के अध्यधीन होगी, जो विलयन के समय लाइसेंस की कम वैधता रखने वाली विलयित कंपनी के विस्तार की मान्य तिथि अथवा स्पेक्ट्रम पुन: निर्धारण दिशा-निर्देशों की तिथि, जो भी बाद में हो, से होगी।

viii. नई बनी कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले स्पेक्ट्रम मूल्य से संबंधित मुद्दों का निर्णय अलग से किया जाएगा। विलयन के बाद बेतार प्रचालन लाइसेंस के नवीकरण के मामले में भी यह लागू होगा।

ix. दो लाइसेंसों के विलयन पर, दो कंपनियों के ए.जी.आर. भी विलयित होंगे और परिणामी कुल ए.जी.आर. के आधार पर इस सेवा क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट दर पर लाइसेंस फीस वसूल की जाएगी। इसी तरह, स्पेक्ट्रम प्रभार के भुगतान के उद्देश्य के लिए दो लाइसेंसधारकों द्वारा धारित स्पेक्ट्रम को जोड़ा जाएगा/विलयित कर दिया जाएगा और वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार, इस कुल स्पेक्ट्रम पर लागू निर्धारित दर पर होगा। तथापि, वियलन के बाद किसी कंपनी द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए स्पेक्ट्रम धारण करने के मामले में, स्पेक्ट्रम प्रभार एवं लाइसेंस फीस इत्यादि अथवा लाइसेंसदाता द्वारा अपनाए जाने वाला कोई अन्य मानदंड, किसी अन्य यू.ए.एस./सी.एम.टी.एस. लाइसेंसधारक के मामले में लागू जैसा होगा।

x. इक्विटी के विक्रय/विलियन के लिए लॉक-इन अवधि से संबंधित यू.ए.एस. लाइसेंस के मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।

15. अन्य बातों के साथ-साथ 2जी स्पेक्ट्रम (800/900/1800 मेगा हर्ट्ज बैंड) की साझेदारी के लिए व्यापक दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. स्पेक्ट्रम की साझेदारी करने की अनुमति होगी, परन्तु प्रत्येक मामले में यह उसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में होगी तथा लाइसेंसदाता की पूर्व-अनुमति से होगी। इस उद्देश्यार्थ साधारण स्वचालित अनुमोदन प्रक्रिया की व्यवस्था की जाएगी।

ii. प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति प्रदान की जाएगी। सरकार निर्धारित की जाने वाली शर्तों पर, आगे पांच वर्ष के लिए एक बार और अनुमति प्रदान कर सकती है।

iii. स्पेक्ट्रम की साझेदारी केवल ऐसे दो स्पेक्ट्रम धारकों, जिनके पास या तो 900/1800 मेगा हर्ट्ज बैंड अथवा 800 मेगा हर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम है, के बीच ही की जा सकती है।

iv. स्पेक्ट्रम साझेदारी के परिणामस्वरूप, स्पेक्ट्रम की कुल मात्रा लाइसेंसों के विलयन के मामले में यथा-निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

v. नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम के संबंध में, स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति केवल तब ही होगी जब इसके लिए नीलामी संबंधी शर्तों में व्यवस्था की गई हो।

vi. स्पेक्ट्रम को साझा करने वाले पक्षकार इससे संबंधित

प्रभार के उद्देश्य से अपने पूर्ण स्पेक्ट्रम को साझा करने वाले पक्षकार माने जाएंगे।

vii. दोनों पक्षकार लाइसेंस के तहत यथा-निर्धारित रॉल आउट दायित्वों के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता संबंधी दायित्वों को अपने-अपने स्तर पर पूरा करेंगे।

viii. स्पेक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभार दोनों प्रचालकों से अलग-अलग परन्तु दोनों प्रचालकों द्वारा धारित कुल स्पेक्ट्रम पर एक साथ वसूला जाएगा। अन्य शब्दों में, यदि 4.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखने वाला "x" और "y" दोनों प्रचालक 8.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए लागू स्पेक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ix. स्पेक्ट्रम साझेदारी में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले दोनों सेवा प्रदाता शामिल होंगे। स्पेक्ट्रम की पट्टेदारी की अनुमति नहीं दी गई है।

x. स्पेक्ट्रम साझा करने के बाद स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारित करने वाले मामलों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।

xi. 3जी स्पेक्ट्रम रखने वाले लाइसेंसधारकों के बीच स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति नहीं होगी।

16. इस स्तर पर भारत में स्पेक्ट्रम के व्यापार की अनुमति नहीं होगी। इसकी बाद में पुन: जांच की जाएगी।

17. उपलब्ध स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन के लिए ट्राई नियमित स्पेक्ट्रम जांच कर सकता है। ट्राई उपलब्ध स्पेक्ट्रम के वर्तमान उपयोग की समीक्षा कर सकता है। दोनों मामलों में, ट्राई सरकार को सिफारिशें दे सकता है।

18. दूरसंचार आयोग की कुछ सिफारिशों के संबंध में 122 लाइसेंसों को रद्द करने संबंधी 2 फरवरी, 2012 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ है। कानूनी और अन्य पहलुओं के संदर्भ में आगे ऐसी सिफारिशों की जांच की जा रही है तथा इस संबंध में निर्णयों की घोषणा बाद में की जाएगी।

[हिन्दी]

तुच्छ आधारों पर जेलों में बंद कैदी

584. **कुमारी सरोज पाण्डेय** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ऐसे कैदियों को रिहा करने के लिए कोई स्कीम तैयार की गयी है जो तुच्छ आधारों पर जेलों में बंद है तथा वे जमानत राशि का प्रबंध करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त स्कीम के अंतर्गत रिहा कैदियों की संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार कोई ऐसी स्कीम तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी स्कीम कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे विचारणाधीन कैदियों, जो जमानत की रकम का प्रबंध करने में असमर्थ होते हैं, को छोड़े जाने के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई गई है। तथापि, इस संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.सं.) में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं:-

(i) धारा 436 व्यक्तिगत बंधपत्र पर निर्धन व्यक्ति को छोड़े जाने के लिए उपबंध करता है।

(ii) धारा 436(क) विचारणाधीन कैदी को जमानत प्राप्त करने के अधिकार के लिए उपबंध करता है यदि उसने अधिकतम दंडादेश की आधी अवधि भोग ली है।

(iii) धारा 167 मामले में, नियत समय के भीतर अन्वेषण पूरा न किए जाने पर जमानत पर विचाराणाधीन कैदी को छोड़े जाने के लिए उपबंध करता है।

सरकार ने विचारणाधीन कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में विद्यमान उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों और साथ ही राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी अनुरोध किया है कि वे रणनीतियां निरुपित करें और उन विचारणीय कैदियों को जमानत पर छोड़े जाने के संबंध में, जो इस प्रकार छोड़े जाने के लिए हकदार हैं, मिशन मोड में कार्यक्रम आरंभ करें और जेलों में भीड़भाड़ को कम करें।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए अनुसार वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान छोड़े गए/स्थानांतरित विचारणाधीन कैदियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार वितरण को उपदर्शित करने वाले विवरण I, II और III संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 2009 के दौरान निर्मुक्त/स्थानांतरित विचाराधीन कैदियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दोषमुक्त किए गए	अपील पर निर्मुक्त किए गए	जमानत पर निर्मुक्त किए गए	अन्य राज्यों को स्थानांतरित किए गए	प्रत्यर्पित किए गए	अन्य निर्मुक्तियां	कुल योग (स्तंभ 3 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	3994	27	149764	0	8	508	154301
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	26	0	0	0	26
3.	असम	861	258	24682	112	0	30	25943
4.	बिहार	4858	4754	71103	32	0	0	80742
5.	छत्तीसगढ़	3470	34	34638	32	0	513	38087
6.	गोवा	141	0	151	0	0	0	292
7.	गुजरात	5127	0	36989	658	0	3	42777
8.	हरियाणा	8263	6074	38699	48	19	197	53320
9.	हिमाचल प्रदेश	135	0	1987	10	6	0	2136
10.	जम्मू और कश्मीर	48	0	1918	0	0	0	1966
11.	झारखंड	2742	1375	36940	285	1	4125	45468
12.	कर्नाटक	2207	6	32612	3	0	2	34830
13.	केरल	2954	1547	33010	0	0	1643	39154
14.	मध्य प्रदेश	4133	1036	110133	419	40	774	116535
15.	महाराष्ट्र	4696	0	82353	0	0	22694	109745
16.	मणिपुर	0	0	1207	18	0	6	1231
17.	मेघालय	72	18	669	10	0	0	769
18.	मिजोरम	69	134	2820	2	6	0	3024
19.	नागालैंड	0	242	50	0	0	0	292
20.	ओडिशा	2988	0	42534	15	229	71	45837
21.	पंजाब	1067	1109	1120	0	0	227	3528
22.	राजस्थान	4767	3631	70085	646	1	285	79415
23.	सिक्किम	38	0	282	0	0	0	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	तमिलनाडु	2052	120	53934	3	0	71	56180
25.	त्रिपुरा	190	2	750	2	0	76	1020
26.	उत्तर प्रदेश	10090	23207	263961	470	0	0	297728
27.	उत्तराखंड	1825	24	10772	504	0	33	13158
28.	पश्चिमी बंगाल	1506	36	71100	70	0	0	72712
	योग (राज्य)	**68299**	**43634**	**1174289**	**3339**	**312**	**31258**	**1321131**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	1	570	0	0	0	576
30.	चंडीगढ़	38	64	3688	22	0	0	3812
31.	दादरा और नागर हवेली	15	0	134	0	0	0	149
32.	दमन और दीव	7	3	5	0	0	0	15
33.	दिल्ली	1676	1	29571	339	0	6241	37828
34.	लक्षद्वीप	0	0	43	0	0	0	43
35.	पुदुचेरी	32	0	2153	0	0	0	2185
	योग (संघ राज्यक्षेत्र)	**1775**	**69**	**36164**	**361**	**0**	**6241**	**44610**
	योग (संपूर्ण भारत)	79074	43703	1210453	3700	312	37499	1365741

विवरण-II

वर्ष 2010 के दौरान निर्मुक्त/स्थानांतरित विचाराधीन कैदियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दोषमुक्त किए गए	अपील पर निर्मुक्त किए गए	जमानत पर निर्मुक्त किए गए	अन्य राज्यों को स्थानांतरित किए गए	प्रत्यर्पित किए गए	अन्य निर्मुक्तियां	कुल योग (स्तंभ 3 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	3997	438	159342	227	0	359	164928
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	139	0	0	0	180
3.	असम	995	163	25806	62	0	15	27002
4.	बिहार	4963	4359	70486	34	0	0	79844
5.	छत्तीसगढ़	3316	211	32480	150	0	397	36565

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	62	0	457	4	0	2	526
7.	गुजरात	5491	0	34102	36	0	7	39636
8.	हरियाणा	3985	794	42943	314	0	156	48162
9.	हिमाचल प्रदेश	210	5	2271	6	0	0	2482
10.	जम्मू और कश्मीर	118	66	6361	25	0	0	6590
11.	झारखंड	3008	884	34784	190	0	250	39111
12.	कर्नाटक	2275	7	34590	3	0	3	36868
13.	केरल	8605	5404	12236	0	0	0	24245
14.	मध्य प्रदेश	5134	1516	106164	550	0	995	114361
15.	महाराष्ट्र	5319	0	73956	4	0	22176	101455
16.	मणिपुर	1	0	1241	1	0	10	1253
17.	मेघालय	69	36	1118	0	5	0	1228
18.	मिजोरम	79	180	3242	0	0	0	3501
19.	नागालैंड	0	62	45	0	0	2	108
20.	ओडिशा	2988	0	42534	10	0	305	45637
21.	पंजाब	1094	1541	1739	0	0	230	4604
22.	राजस्थान	6036	1041	76646	109	1	973	85010
23.	सिक्किम	33	0	265	0	0	0	318
24.	तमिलनाडु	1247	88	64180	0	1	110	65626
25.	त्रिपुरा	188	54	864	3	0	11	1120
26.	उत्तर प्रदेश	10437	23929	275640	491	0	0	310497
27.	उत्तराखंड	755	941	5695	81	0	36	7508
28.	पश्चिमी बंगाल	1522	32	72450	64	0	0	74068
	योग (राज्य)	**69925**	**41753**	**1182010**	**2378**	**7**	**26037**	**1322105**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0	636	0	0	0	639
30.	चंडीगढ़	45	39	3346	34	0	0	3464
31.	दादरा और नागर हवेली	13	0	190	6	0	0	209
32.	दमन और दीव	6	0	13	0	0	0	19
33.	दिल्ली	1526	0	28341	631	0	6787	37287

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	लक्षद्वीप	0	0	8	0	0	0	8
35.	पुदुचेरी	40	0	1736	15	0	0	1791
	योग (संघ राज्यक्षेत्र)	1635	39	34270	686	0	6787	43417
	योग (संपूर्ण भारत)	71560	41792	1216280	3059	7	32824	1365522

विवरण-III

वर्ष 2011 के दौरान निर्मुक्त/स्थानांतरित विचाराधीन कैदियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दोषमुक्त किए गए	अपील पर निर्मुक्त किए गए	जमानत पर निर्मुक्त किए गए	अन्य राज्यों को स्थानांतरित किए गए	प्रत्यर्पित किए गए	अन्य निर्मुक्तियां	कुल योग (स्तंभ 3 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	4979	130	138916	13	0	85	144129
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	227	0	0	0	227
3.	असम	899	139	25696	21	0	16	26771
4.	बिहार	4995	11450	80154	0	0	316	96917
5.	छत्तीसगढ़	2799	329	36447	0	0	0	39575
6.	गोवा	35	0	635	0	0	0	968
7.	गुजरात	3431	0	37801	53	0	962	42247
8.	हरियाणा	4212	5604	38540	349	0	166	48871
9.	हिमाचल प्रदेश	295	1	2272	6	0	11	2585
10.	जम्मू और कश्मीर	159	18	3747	23	0	61	4096
11.	झारखंड	2606	852	35773	146	0	187	39564
12.	कर्नाटक	3741	6	36705	7	0	3	40462
13.	केरल	6327	7384	8714	0	0	12	22437
14.	मध्य प्रदेश	4948	673	97082	195	0	1352	104245
15.	महाराष्ट्र	4509	0	75548	0	0	17925	97962
16.	मणिपुर	30	0	1683	0	0	0	1722
17.	मेघालय	9	80	1111	7	0	40	1247

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	मिजोरम	216	121	2904	0	0	0	3241
19.	नागालैंड	292	21	757	6	0	98	1174
20.	ओडिशा	2681	0	45835	15	0	53	48564
21.	पंजाब	1102	1556	1759	0	0	233	4650
22.	राजस्थान	5578	1852	78792	0	0	1466	87688
23.	सिक्किम	25	0	236	0	0	0	261
24.	तमिलनाडु	1370	46	58782	0	0	79	60277
25.	त्रिपुरा	332	16	939	0	0	0	1267
26.	उत्तर प्रदेश	10345	24024	271009	423	0	0	305801
27.	उत्तराखंड	660	760	7524	70	0	0	9014
28.	पश्चिमी बंगाल	1179	767	84035	139	0	221	86361
	योग (राज्य)	**67749**	**65849**	**1173621**	**1473**	**0**	**23297**	**1321989**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	601	0	0	0	602
30.	चंडीगढ़	41	24	3479	27	0	0	3571
31.	दादरा और नागर हवेली	6	0	265	16	0	0	287
32.	दमन और दीव	0	0	6	2	0	0	6
33.	दिल्ली	2107	13	36680	448	1	6220	45469
34.	लक्षद्वीप	0	0	8	3	0	0	11
35.	पुदुचेरी	35	0	1821	30	0	0	1866
	योग (संघ राज्यक्षेत्र)	2190	37	42860	526	1	6220	51634
	योग (संपूर्ण भारत)	69939	55886	1216481	1999	1	29517	1373823

[अनुवाद]

सीधा लाभ अन्तरण योजना

585. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला:**

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीधा लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति सीधे अंतरित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां। इस मंत्रालय ने छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों के बैंक के खाते में जमा की हैं।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

सीधा लाभ अन्तरण योजना के अंतर्गत सीधे छात्रों के बैंक खाते में अंतरित छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति का ब्यौरा

राज्य	विश्वविद्यालय/ कॉलेज छात्रों को छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या	दी गई राशि रुपयों में	ए.आई.सी.टी.ई. की अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	दी गई राशि रुपयों में	यू.जी.सी. अध्येतावृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या	दी गई राशि रुपयों में	राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या	दी गई राशि रुपयों में	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या	दी गई राशि रुपयों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कर्नाटक	986	9860000	4	32000	189	11572285	1170	5289000	2145	7882875
केरल	1931	19310000	25	2048000	535	11190617	3438	20652000	0	0
पुदुचेरी	0	0	3	24000	111	5118582	207	310500	222	819624
चंडीगढ़	117	1170000	13	104000	30	2274768	77	115500	0	0
हरियाणा	62	620000	0	0	22	1385795	175	553500	0	0
पंजाब	148	1480000	1	8000	67	5569628	1027	2133000	0	0
दिल्ली	1066	10660000	0	0	742	64612867	1053	5430000	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	100	9598911	19	114000	151	481294
राजस्थान	753	7530000	2	16000	98	8332432	288	1728000	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	17	1440067	114	427500	0	0
त्रिपुरा	186	1860000	0	0	19	865580	24	144000	33	114576
आन्ध्र प्रदेश	2919	29190000	638	5104000	675	41538279	5912	25630500	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	26	106500	0	0
गोवा	0	0	36	288000	18	759291	337	2080500	44	153957
महाराष्ट्र	951	9510000	146	1168000	311	22165144	8817	54553500	0	0
झारखण्ड	5	50000	0	0	123	5168318	1	1500	0	0
हिमाचल प्रदेश	204	2040000	0	0	37	1569753	627	1750500	0	0
गुजरात	352	3520000	1	8000	30	2267515	1	12000	0	0
तमिलनाडु	0	0	0	0	116	5340514	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	155	1550000	0	0	44	2092622	390	1732500	0	0
ओडिशा	224	2240000	0	0	36	1602358	594	5619000	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	4	249150	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	9	874068	536.	3021000	0	0
उत्तराखण्ड	0	0	0	0	1	389200	281	1686000	0	0
छत्तीसगढ़	11	110000	0	0	1	0	138	810000	0	0
बिहार	0	0	0	0	0	0	32	192000	0	0
कुल	10070	100700000	869	8800000	3335	205977744	25284	134092500	2595	9452326

[हिन्दी]

बी.पी.एल. कार्डधारक परिवार

586. **डॉ. संजय सिंह:**

श्रीमती पुतुल कुमारी:

श्री लक्ष्मण टुडु:

श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्षों के दौरान देश में शहरी बी.पी.एल. परिवारों की संख्या कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आकलन की राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा पुष्टि की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने शहरी गरीब की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु भी सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया गरीबी का अनुमान, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी बड़े प्रतिदर्श सर्वेक्षणों पर आधारित है। ऐसे सर्वेक्षण सामान्यतया पंचवर्षीय आधार पर किए जाते हैं। वर्ष 2004-2006 के बाद यह सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 (एन.एस.एस. का 66वां दौर) में किया गया था। तथापि, चूंकि विकट सूखा पड़ने के कारण वर्ष 2009-10 सामान्य वर्ष नहीं था, इसलिए एन.एस.एस.ओ. ने वर्ष 2011-12 (एन.एस.एस. का 68वां दौर) में व्यापक सर्वेक्षण की दोहरी प्रक्रिया पूरी की। योजना आयोग ने 22 जुलाई, 2013 को एक प्रेस नोट जारी करके वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी के अनुमान जारी किए हैं। वर्ष 2004-05 और 2011-12 के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी हां। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की "स्थानीय अधिशासन, भविष्य में प्रेरणाप्रद यात्रा" नामक 6ठी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ शहरी गरीबों की पहचान करने के बारे में सिफारिशें निहित हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की अधिप्रमाणित पहचान करने के प्रयोजन से भारत सरकार ने जून, 2011 में देश भर में संयुक्त ग्रामीण-शहरी सामाजिक-आर्थिक और जाति की गणना (एस.ई.सी.सी.) करने का कार्य शुरू किया है। राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं।

विवरण

शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	(लाख में)	
		2004-05	2011-12
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	55.00	17.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.60	0.70
3.	असम	8.30	9.20
4.	बिहार	42.80	37.80
5.	छत्तीसगढ़	13.70	15.20

1	2	3	4
6.	दिल्ली	18.30	16.50
7.	गोवा	1.70	0.40
8.	गुजरात	42.90	26.90
9.	हरियाणा	15.90	9.40
10.	हिमाचल प्रदेश	0.30	0.30
11.	जम्मू और कश्मीर	2.90	2.50
12.	झारखंड	16.00	20.20
13.	कर्नाटक	51.80	37.00
14.	केरल	19.80	8.50
15.	मध्य प्रदेश	61.30	43.10
16.	महाराष्ट्र	114.60	47.40
17.	मणिपुर	2.30	2.80
18.	मेघालय	1.20	0.60
19.	मिजोरम	0.40	0.40
20.	नागालैंड	0.20	1.00
21.	ओडिशा	22.80	12.40
22.	पंजाब	16.90	9.80
23.	राजस्थान	43.50	18.70
24.	सिक्किम	0.20	0.10
25.	तमिलनाडु	59.70	23.40
26.	त्रिपुरा	1.50	0.80
27.	उत्तर प्रदेश	130.10	118.80
28.	उत्तराखंड	6.60	3.40
29.	पश्चिमी बंगाल	60.80	43.80
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.00
31.	चंडीगढ़	0.90	2.30

1	2	3	4
32.	दादरा और नगर हवेली	0.10	0.30
33.	दमन और दीव	0.10	0.30
34.	लक्षद्वीप	0.04	0.02
35.	पुदुचेरी	0.70	0.60
	अखिल भारत	814.10	531.20

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन

587. **श्री पी. लिंगम:**

श्रीमती पुतुल कुमारी:

श्री एल. राजगोपाल:

श्री प्रबोध पांडा:

श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

श्री मानिक टैगोर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रीसमूह ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के लिए योजना आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा असतत/पुनर्गठित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में लचीलापन लाने के लिए कुछेक मानदंड/दिशानिर्देश निर्धारित करने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पुनर्गठित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) मंत्रिसमूह ने 23 मई, 2013 की अपनी बैठक में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) की पुर्नसंरचना के प्रस्ताव पर विचार किया तथा सिफारिश की कि इसे कुछ संशोधनों के साथ मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें 20.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नानुसार अनुमोदन किया (क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मौजूदा सी.एस.एस./अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वाली स्कीमों की पुर्नसंरचना कर उन्हें 66 स्कीमों में तब्दील किया जाएगा जिनमें फ्लैनशिप कार्यक्रम भी शामिल है। 66 सी.एस.एस. का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (ख) स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, शहरी विकास, अवसंरचना (ग्रामीण अवसंरचना सहित) कौशल विकास आदि के लिए अपेक्षित प्रमुख अंतक्षेपों हेतु पर्याप्त परिव्ययों के साथ 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों का अनुमोदन, (ग) प्रत्येक सी.एस.एस./ए.सी.ए./फ्लैगशिप स्कीम के परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत फ्लेक्सी निधि के रूप में रखना, (घ) 2014-15 (बजट अनुमान) से ऐसी सभी योजना स्कीमों का वर्गीकरण तथा उनके लिए बजट निर्धारित करना जिनके अंतर्गत राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को केंद्रीय सहायता दी जाती है, (ङ) प्रत्येक सी.एस.एस./ए.सी.ए./फ्लैगशिप स्कीम के लिए राज्य विशेष संबंधी दिशानिर्देश तैयार करें तथा इस प्रयोजनार्थ एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन, (च) प्रत्येक नई सी.एस.एस./ए.सी.ए./फ्लैगशिप स्कीम के लिए, कम से कम 25 प्रतिशत निधि का अंशदान सामान्य श्रेणी के राज्यों द्वारा तथा 10 प्रतिशत निधि का अंशदान विशेष श्रेणी के राज्यों द्वारा किया जाएगा जिनमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य शामिल हैं, (छ) सभी सी.एस.एस./ए.सी.ए. स्कीमों के लिए निधियां प्रशासनिक मंत्रालयों के पास रहेंगी तथा राज्यों को सी.एस.एस./ए.सी.ए. निधियां संबंधित राज्यों की संचित निधि के माध्यम से अंतरिम की जाएगी। यह अंतरण व्यवस्था बजट अनुमान 2014-15 में चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित की जानी है। (ज) ये व्यवस्थाएं बारहवीं योजनावधि के शेष वर्षों के लिए प्रभावी होंगी।

(ग) से (ङ) मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, स्कीम के कार्यान्वयन में लचीलापन निम्नांकित कारणों से बढ़ता है: (क) सी.एस.एस. के परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत फ्लेक्सी निधि के रूप में रखा जाएगा जिसका उपयोग नवप्रवर्तनों के वितपोषण

अथवा ऐसे क्रियाकलाप/परियोजनाएं शुरू करने के लिए किया जाएगा जो स्कीम के व्यापक लक्ष्य के मुताबिक हो चाहे वे स्कीम के दिशा-निर्देशों के एकदम अनुरूप हो या न हों, (ख) सी.एस.एस. में राज्य विशिष्ट के लिए दिशानिर्देश शुरू करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए योजना आयोग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव की सह-अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया गया है जिसमें संबंधित राज्य सरकार तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। यह स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य विशिष्ट के दिशानिर्देशों को लागू करने के संबंध में राज्य सरकारों के सुझावों पर विचार करेगी।

विवरण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए
केन्द्र प्रायोजित/ए.सी.ए. स्कीमें

क्र.सं.	विभाग/स्कीमें/कार्यक्रम
1	2
कृषि एवं सहकारिता विभाग	
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
2.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
3.	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन
4.	राष्ट्रीय तिलहन तथा खजूर तेल मिशन
5.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)
पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग	
7.	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम
8.	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
9.	राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना
वाणिज्य विभाग	
10.	निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)
पेयजल आपूर्ति मंत्रालय	
11.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
12.	निर्मल भारत अभियान
पर्यावरण और वन मंत्रालय	
13.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)
14.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)
15.	प्राकृतिक संसाधनों और परिस्थितिकियां का संरक्षण
16.	वन्य और पर्यावासी का एकीकृत विकास
17.	बाघ परियोजना
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	
18.	एन.आर.एच.एम. सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
19.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन
आयुष विभाग	
20.	औषधीय पादप मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन
एड्स नियंत्रण विभाग (नया विभाग)	
21.	राष्ट्रीय एड्स एवं यौन-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम
गृह मंत्रालय	
22.	पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय योजना
23.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) (ए.सी.ए.) (एम.एच.ए./वित्त मंत्रालय)
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	
24.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
25.	राजीव आवास योजना (आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के जे.एन.एन.यू.आर.एम. के भाग सहित)
स्कूल शिक्षा और सहायता विभाग	
26.	सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)
27.	प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (एम.डी.एम.)
28.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)
29.	शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास के लिए सहायता

1	2
30.	उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श स्कूलों की स्थापना के लिए योजना
31.	मदरसों, अल्पसंख्यकों और अशक्त को शिक्षा प्रदान करने की स्कीम
उच्च शिक्षा विभाग	
32.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/वित्त मंत्रालय	
33.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.) (ए.सी.ए.)
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
34.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
35.	कौशल विकास मिशन
विधि और न्याय मंत्रालय	
36.	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
37.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम
पंचायती राज मंत्रालय	
38.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (जिला घटक) (ए.सी.ए.) (पंचायती राज मंत्रालय/वित्त मंत्रालय)
39.	राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना
ग्रामीण विकास विभाग	
40.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.-ई.जी.ए.)
41.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)
42.	इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)
43.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
44.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) (ग्रामीण विकास मंत्रालय/वित्त मंत्रालय)
भूमि संसाधन विभाग	
45.	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)
46.	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा अशक्ता कार्य मंत्रालय	
47.	अनुसूचित जाति विकास स्कीम
48.	अन्य पिछड़ा वर्ग और अनधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम
49.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ई.बी.सी.) के विकास के लिए स्कीम
50.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.)
अशक्तता कार्य विभाग	
51.	अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
52.	सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता
वस्त्र मंत्रालय	
53.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
54.	रेशम उत्पादन के तहत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम
पर्यटन मंत्रालय	
55.	गंतव्यों और परिपथों के लिए अवसंरचना विकास
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
56.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अंब्रेला स्कीम
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	
57.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)
58.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन
59.	एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.)
60.	किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (सबला)
जल संसाधन मंत्रालय/वित्त मंत्रालय	
61.	त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी. औरसी.ए.डी., एफ.एम.पी. इत्यादि जैसे जल संसाधन के अन्य कार्यक्रमों का आमेलन) (ए.सी.ए.)

खेल विभाग

62. पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग

63. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

शहरी विकास मंत्रालय/वित्त मंत्रालय

64. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.-एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)

योजना आयोग/वित्त मंत्रालय

65. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (राज्य घटक) (ए.सी.ए.)

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

66. राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एन.एस.एस.)

जे.एन.एन.यू.आर.एम.

588. **श्री संजय दिना पाटील:**
श्री हरिन पाठक:
श्री सी. शिवासामी:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री समीर भुजबल:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री नरहरि महतो:
श्री मनोहर तिरकी:
श्री बदरूद्दीन अजमल:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इसके अंतर्गत राज्य-वार कौन से शहर शामिल किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए हैं तथा यदि हां, तो इस मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मिशन के अन्तर्गत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं एवं उक्त अवधि के दौरान मंजूर एवं जारी राशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, वर्ष/परियोजना-वार कितनी है;

(घ) उनमें से कितने सरकार द्वारा राज्य/परियोजना-वार मंजूरी हेतु अभी भी लंबित हैं तथा ऐसे लंबन के क्या कारण हैं तथा ये लंबित प्रस्ताव कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत सहायता सरकारी-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) कार्यों में भी दी जारी है तथा यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान पी.पी.पी. के अंतर्गत प्रदत्त सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.-आर.एम.) समग्र देश के शहरों के सुधार आधारित और नियोजित विकास के उद्देश्य से 3 दिसंबर, 2005 को शुरू किया गया था जिसमें शहरी अवस्थापना सेवा आपूर्ति तंत्रों, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों और पैरा स्टेटलों की जवाबदेही में कुशलता पाने में ध्यान केंद्रित किया गया है। मिशन का उद्देश्य संपत्ति सृजन और संपत्ति प्रबंधन के मध्य प्रभावी संपर्क बनाए रखते हुए सुस्थिर विकास को सुनिश्चित करना है ताकि शहरों में सृजित अवस्थापना सेवाएं न सिर्फ दक्षता पूर्वक अनुरक्षित रहें बल्कि आत्म निर्भर भी बनी रहें। इसके दो घटक हैं, नामत: शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) और छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) 1 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी के आधार पर 65 शहरों (विवरण-I संलग्न है) को यू.आई.जी. उपमिशन के अंतर्गत शामिल है और सभी अन्य अधिसूचित शहरों/कस्बों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख) जे.एन.एन.यू.आर.एम. एक सुधार आधारित अवस्थापना विकास कार्यक्रम है। इसमें 23 सुधार हैं अर्थात् राज्य, शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) और वैकल्पिक स्तर। जिसमें से 83 प्रतिशत राज्य स्तरीय सुधारों, 75 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय सुधारों तथा 79 प्रतिशत वैकल्पिक सुधारों को प्राप्त कर लिया गया है। समग्र रूप से 78 प्रतिशत सुधार प्राप्त किए गए हैं। दिनांक 31.03.2012 तक जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. उपमिशन के अंतर्गत स्वीकृत कुल 550 परियोजनाओं में से दिनांक 31.07.2013 तक 205 परियोजनाओं के वास्तविक रूप से पूर्ण होने की सूचना है और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हें। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार सभी स्वीकार्य क्षेत्रों के लिए और सभी मिशन शहरों के लिए यू.आई.जी. के अंतर्गत परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। दिनांक 31.03.2012 तक अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजनाओं को शहरी स्थानीय निकायों और पैरा स्टेटलों के माध्यम से राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उपयोगिता अंतरण, विभिन्न प्राधिकरणों (रेल, वन आदि) से अनुमति की प्राप्ति में विलंब, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में कमी, भू-अधिग्रहण, संविदात्मक मामले आदि और सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में उनकी जटिलता और कठिनाइयां और इनकी पूर्णता में स्थानीय निकायों की क्षमता के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाएं महसूस की जाती हैं।

मिशन निदेशालय द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटलों के अधिकारियों का त्वरित प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर.टी.पी.) संचालित करना, राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.आई.यू.) और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) की सहायता करना आदि जैसे क्षमता विकास उपाय किए गए हैं। इन परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन स्वतंत्र समीक्षा तथा निगरानी एजेंसी (आई.आर.एम.ए.), राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस.एल.एस.सी.) और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) द्वारा किया जाता है और राज्यों द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्टों और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से भारत सरकार भी इनकी समीक्षा करती है।

(ग) और (घ) इस मिशन ने दिनांक 31.03.2012 को अपना सामान्य सात वर्षीय कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। सरकार ने निर्माणाधीन परियोजनाओं और सुधारों को पूर्ण करने के लिए यह अवधि दो वर्ष अर्थात् दिनांक 31.03.2014 तक बढ़ा दी है। सरकार ने दिनांक 17.01.2013 को दिनांक 31.03.2014 तक एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में नई परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुमोदन किया है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. उपमिशन के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान परियोजनाओं और स्वीकृत/जारी की गई निधियों का शहर, राज्य और परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। यू.आई.जी. के दिशानिर्देशों के अनुरूप तकनीकी मूल्यांकन/अनुपालन और राज्य के लिए निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उपमिशन यू.आई.जी. के अंतर्गत परियोजनाओं के अनुमोदन पर विचार किया जाता है।

(ङ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. शहरी स्थानीय निकायों को सार्वजनिक निजी भागीदारी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो शहरों के विकास के सरकारी प्रयासों में सहायता करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी घटकयुक्त सूचित परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए जारी की गई अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-I

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. उपमिशन के अंतर्गत शामिल शहरों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिशन शहरों का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति
3.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा
4.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापटनम
5.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
6.	असम	गुवाहाटी
7.	बिहार	बोधगया
8.	बिहार	पटना
9.	छत्तीसगढ़	रायपुर
10.	दिल्ली	दिल्ली

1	2	3
11.	गुफा	पणजी
12.	गुजरात	अहमदाबाद
13.	गुजरात	पोरबंदर
14.	गुजरात	राजकोट
15.	गुजरात	पत्र
16.	गुजरात	वडोदरा
17.	हरियाणा	फरीदाबाद
18.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
19.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
20.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
21.	झारखंड	धनबाद
22.	झारखंड	जमशेदपुर
23.	झारखंड	रांची
24.	कर्नाटक	बैंगलोर
25.	कर्नाटक	मैसूर
26.	केरल	कोचीन
27.	केरल	तिरुवनंतपुरम
28.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई
29.	महाराष्ट्र	नागपुर
30.	महाराष्ट्र	नासिक
31.	महाराष्ट्र	नांदेड़
32.	महाराष्ट्र	पुना
33.	मध्य प्रदेश	भोपाल
34.	मध्य प्रदेश	इंदौर
35.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
36.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
37.	मणिपुर	इम्फाल
38.	मेघालय	शिलांग

1	2	3
39.	मिजोरम	एजवाल
40.	नागालैंड	कोहिमा
41.	ओडिशा	भुवनेश्वर
42.	ओडिशा	किला
43.	पुदुचेरी	पुदुचेरी
44.	पंजाब	अमृतसर
45.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़
46.	पंजाब	लुधियाना
47.	राजस्थान	अजमेर पुष्कर
48.	राजस्थान	जयपुर
49.	सिक्किम	गंगटोक
50.	तमिलनाडु	चेन्नई
51.	तमिलनाडु	कोयंबटूर
52.	तमिलनाडु	मदुरै
53.	त्रिपुरा	अगरतला
54.	उत्तर प्रदेश	आगरा
55.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
56.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
57.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
58.	उत्तर प्रदेश	मथुरा
59.	उत्तर प्रदेश	मेरठ
60.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
61.	उत्तरांचल	देहरादून
62.	उत्तरांचल	हरिद्वार
63.	उत्तरांचल	नैनीताल
64.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल
65.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

विवरण-II

यू.आई.जी. के अंतर्गत 31.03.2012 तक अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर का नाम	परियोजना का नाम	क्षेत्र	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध कुल ए.सी.ए. (केन्द्रीय अंश)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	बरसाती जल निकास का पुर्नरुपेण-मुरकीनाला सेकेंड्री ड्रेन	जल निकास/ बरसाती जल नाले	4,231.00	1,480.85
2.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	बरसाती जल निकास का पुर्नरुपेण-मुरकीनाला पी-11, पी-12	जल निकास/ बरसाती जल नाले	3,299.00	1.154.65
3.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	बरसाती जल निकास का पुर्नरुपेण-कुक्काटपल्ली (बेगम्पेट नल्ला पी-7)	जल निकास/ बरसाती जल नाले	3,136.00	1,097.60
4.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	वत्कापुर चैनल	जल निकास/ बरसाती जल नाले	3,579.00	1,252.65
5.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	राजीव गांधी सर्किल-खंड 2 पर फ्लाई ओवर	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	3,300.00	1,155.00
6.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	ग्रीनलैंड जंक्शन पर फ्लाईओवर	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,727.00	604.45
7.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	चंद्रयंगगुट्टा पर फ्लाईओवर फ्लाईओवर	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,101.00	385.35
8.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	साहिब नगर टी.वी.आर. से प्रशासन नगर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	जलापूर्ति	9,493.00	3,322.55
9.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	कृष्णा जल का सिकंदराबाद हाइवर्जन	जलापूर्ति	8,120.00	2,842.00
10.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	चारमीनार प्रेडिसटाइजेशन प्रोजेक्ट परियोजना के अंतर्गत बाहरी रिंग रोड और आंतरिक रिंग रोड की सड़क चौड़ी करना	शहरी नवीकरण	3,510.00	1,228.00

1	2	3	4	5	6	7
11.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	मूसी के साउथ में ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली को पुन:स्थापित करना और सुदृढ़ करना (जोन-2 में कैचमेंट एस.-7 से एस. 11, एस. 13, एस-15)	सीवरेज	25,125.00	87,793.75
12.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	मूसी के उत्तर में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार	जलापूर्ति	2,981.00	1,043.35
13.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	मूसी के दक्षिण में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार	जलापूर्ति	3,355.00	1,174.25
14.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	मूसी लैम्पेन मूसी रिवाटलाईजेसन प्रोजेक्ट	शहरी नवीकरण	4,426.51	1,549.28
15.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	एच.एम. डब्ल्यू.एस.एस.बी. के पूरे सिस्टम में सभी जलाशयों और काफी मात्रा में पाइपलाइन आपूर्ति हेतु बहाव का स्तर और क्लोरिन की मात्रा और डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एस.सी.ए.डी.ए.) मुहैया कराना	जलापूर्ति	990.00	346.50
16.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	मूसी के साउथ में ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली को पुन: स्थापित करना और सुदृढ़ करना (जोन-I में कैचमेंट एस 1 से एस 6, एस 12, एस-14)	सीवरेज	14,881.00	5,208.35
17.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	कृष्णा पेय जल आपूर्ति योजना (फेस-2)	जलापूर्ति	60,650.00	21,227.50
18.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	सिरीलिंगमपल्ली नगरपालिका में सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	सीवरेज	20,038.00	7,013.00
19.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	पुराने नगर निगम हैदराबाद में 10 जोनों के लिए नेटवर्क वितरण सहित मौजूदा फीडर सिस्टम को मरम्मत करके नया बनाना	जलापूर्ति	20,496.00	7,173.60
20.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	कम्प्यूटर अमेनिकी सेन्टर (सी.ए.सी.)	अन्य शहरी परिवहन	12,392.00	4,337.20

1	2	3	4	5	6	7
21.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	एम.सी.एच. क्षेत्र में जोन-I एवं II में बरसाती पानी निकास का सुधार	जल निकास/ बरसाती जल नाले	12,410.00	4,343.50
22.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जी.एच.एम.सी. का व्यापक जलापूर्ति वितरण नेटवर्क तथा राजेन्द्र नगर म्युनिसिपल सर्कल के प्राथमिकता जोन की पहचान करने के लिए सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	जलापूर्ति	31,426.00	9,000.00
22.		**हैदराबाद**			**2,50,666.51**	**85,734.18**
23.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	अनसंरक्षित क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराना	जलापूर्ति	3,548.00	1,774.00
24.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	अनसंरक्षित क्षेत्रों में भूमिगत जल निकास सुविधाएं मुहैया कराना	जल निकास/ बरसाती जल नाले	5,656.00	2,828.00
25.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	विजयवाड़ा के कृष्णलंका क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना	सीवरेज	743.00	371.50
26.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	सिंहनगर (यू.ए.एस.बी.आर.) (से. 8) में सीवरेज शोधन संयंत्र मुहैया करवाना	सीवरेज	949.00	474.50
27.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	सर्किल-I, II, III और वी.एम.सी. के एम.जी. रोड में अनकवर्ड क्षेत्रों में वर्षा जल निकासी प्रणाली	जल निकास/ बरसाती जल नाले	4,912.00	2,456.00
28.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	विजयवाड़ा नगर निगम में जलापूर्ति उपयोगिता का संवर्द्धन	जलापूर्ति	8,857.58	3,615.50
29.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	हाउसिंग बोर्ड कोलानी गुंडाला, देवीनगर केदार रेसवरपेट इत्यादि सहित वी.एम.सी. के अनसर्वड क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा मुहैया कराना	सीवरेज	1,985.00	992.50
30.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	विजयवाड़ा शहर में बस द्रुत परिवहन प्रणाली-(I) एम.जी. रोड (II) नूजीविडू रोड (III) एतूरु रोड (IV) रुट नं. 5 (V) एस.एन.पुरम रोड (VI) लूप रोड 15.18 कि.मी.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	15,100.00	7,550.00

1	2	3	4	5	6	7
31.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	विजयवाडा में सीवरेज के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	3,625.02	1,812.52
32.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	विजयवाड़ा सिटी में मिल्क, प्रोजेक्ट एवं रामावारापहू में एन.एच. 9 एवं एन.एच. 5 जोड़ने वाले आई.आर.आर. का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	7,424.00	3,712.00
33.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	ठोस कचरा प्रबंधन सुधार स्कीम	ठोस कचरा प्रबंधन	5,805.00	2,902.50
34.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	विजयवाड़ा में मंगलगीरी में बरसाती पानी नाली मुहैया कराना	जल निकास/ बरसाती जल नाले	3,016.00	1,508.00
35.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	विजयवाड़ा शहर के उत्तरी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना	सीवरेज	17,815.00	8,907.50
13.		**विजयवाडा**			**79,435.60**	**38,904.52**
36.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	घाटी संग्रहिरका से शहरी सेवा संग्रहिका और पंपिंग यूनिट में वर्तमान घाटीपुरी पाईपलाईन के परिवर्तन के लिए डी.पी.आर.	जलापूर्ति	6,228.00	3,114.00
37.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	एस.एल. से नाम का विनियमन	जल निकास/ बरसाती जल नाले	339.00	169.50
38.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	बेन्च नालियों सहित मेररी गेड्डा बरसाती जल निकायों का सुधार	जल निकास/ बरसाती जल नाले	921.00	460.50
39.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	विशाखापटनम के ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना	सीवरेज	3,708.00	1,854.00
40.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	विशाखापटनम शहर के सेंट्रल भाग में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना	सीवरेज	24,444.00	12,222.00
41.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	गजूवाका क्षेत्र को जलापूर्ति बढ़ाना	जलापूर्ति	3,976.00	1,988.00

1	2	3	4	5	6	7
42.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	जी.वी.एम.सी. फेज-II के नाजूवाका क्षेत्र को जल आपूर्ति वितरण मुहैया कराना	जलापूर्ति	4,600.00	2,300.00
43.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	बाहरी क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति बढ़ाना	जलापूर्ति	24,074.00	12,037.00
44.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु टी.एस.आर. से थेनडाडा और कोममाडी जंक्शन को जल आपूर्ति पाईपलाईन मुहैया कराना।	जलापूर्ति	2,340.00	1,170.00
45.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के केन्द्रीय क्षेत्र में पूर्वोत्तर जोन में व्यापक जलापूर्ति को बेहतर बनाना	जलापूर्ति	18,508.00	9,254.00
46.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	ग्रेटर विशाखापट्टनम के पुराने शहर में प्रस्तावित व्यापक जलापूर्ति	जलापूर्ति	4,793.48	2,396.76
47.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	विशाखापतनम (i) सुरंग सहित सिहवलम ट्रांजिट कोरिडोर हेतु बस द्रुत परिवहन प्रणाली	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	45,293.00	22,646.50
48.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	ग्रेटर विशाखापट्टन (गंगुलहेडा एवं थरिगाडा ढांच कैनाल) के जोन-8 हेतु बरसाती पानी नाली का सुधार	जल निकास/ बरसाती जल नाले	7,227.00	3,613.50
49.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपती	तिरुमाला बाईपास सड़क के पूर्वी और तिरुपति के लिए भूमिगत जल निकास स्कीम	जलापूर्ति	8,349.00	4,174.50
14.		**विशाखापट्नम**			**1,54,800.48**	**77,400.26**
49.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपती	तिरुमाला बाईपास सड़क के पूर्वी और तिरुपति के लिए भूमिगत जल निकास स्कीम	जल निकास/ बरसाती जल नाले	1,613.00	1,290.40
50.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपती	तिरुपति नगर निगम के लिए बरसाती जल निकास प्रणाली	जल निकास/ बरसाती जल नाले	4,556.00	3,644.80
51.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति	तिरुपति नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	2,329.00	1,863.20

1	2	3	4	5	6	7
3.		**तिरुपति**			**8,498.00**	**6,798.40**
52.	**आन्ध्र प्रदेश**				**4,93,400.59**	**2,08,837.36**
1.	आन्ध्र प्रदेश	ईटानगर	नगर निगम-पालनपुर क्षेत्र का गठन	ठोस कचरा प्रबंधन	1,194.38	1,074.94
2.	आन्ध्र प्रदेश	ईटानगर	सड़कें और पार्किंग सहित शहरी परिवहन के लिए अवस्थापना का सुधार और सृजन	अन्य शहरी परिवहन	9,128.50	8,215.65
3.	आन्ध्र प्रदेश	ईटानगर	इटानगर के लिए जलापूर्ति बढ़ाना	जलापूर्ति	7,725.32	6,952.79
3.		**ईटानगर**			**18,048.20**	**16,243.38**
3.	**अरुणाचल प्रदेश**				**18,048,20**	**16,243.38**
1.	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	3,516.71	3,165.04
2.	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी महानगर विकास क्षेत्र में साउथ गुवाहाटी वेस्ट जलापूर्ति स्कीम के लिए प्रस्ताव	जलापूर्ति	28,094.00	25,284.60
2.		**गुवाहाटी**			**31,610.71**	**28,449.64**
2.	**असम**				**31,610.71**	**28,449.64**
1.	बिहार	पटना	पटना शहर के लिए नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	3,695.00	1,847.70
2.	बिहार	पटना	पटना शहरी बस्तियों में ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	1,155.81	577.91
3.	बिहार	पटना	फुलवारी शरीफ जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	2,470.26	1,235.13
4.	बिहार	पटना	खामुल जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	1,315.43	657.72
5.	बिहार	पटना	दानापुर जलापूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	6,896.45	3,448.23
6.	बिहार	पटना	पटना शहर की जलापूर्ति प्रणाली का सुधार और बढ़ाना	जलापूर्ति	42,698.00	21,349.00
6.		**पटना**			**58,231.35**	**29,115.68**
1.	बिहार	बोधगया	बोधगया जलापूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	3,355.72	2,684.58
2.	बिहार	बोधगया	बोधगया नगर पंचायत के लिए सीवरेज स्कीम	सीवरेज	9,594.34	7,675.48

1	2	3	4	5	6	7
2.		**बोधगया**			**12,950.06**	**10,360.04**
8.	**बिहार**				**71,181.41**	**39,475.72**
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़ हरित स्थानों की सिंचाई के लिए तृतीयक शोधित सीवेज को बढ़ाकर पेयजल का संरक्षण	जलापूर्ति	3,672.60	1,469.04
3.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में 24 घंटे जलापूर्ति हेतु रिमोट कंप्यूटरीकृत निरीक्षण सिस्टम के साथ उपयुक्त मॉनीटरिंग और ऑटोमेशन के लिए उपयुक्त जलापूर्ति अवसंरचनाओं का अद्यतन	जलापूर्ति	2,026.00	1,215.60
2.	**चंडीगढ़**	**चंडीगढ़**			**5,698.60**	**2,684.64**
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आर.एम.सी. के बढ़ोत्तरी क्षेत्र सहित जल आपूर्ति स्कीम में वृद्धि	जलापूर्ति	30,364.00	24,291.20
1.		**रायपुर**			**30,364.00**	**24,291.20**
1.	**छत्तीसगढ़**				**30,364.00**	**24,291.20**
1.	दिल्ली	दिल्ली	कनाट प्लेस, नई दिल्ली का पुर्नविकास शहरी नवीकरण और हैरिटेज संरक्षण	शहरी नवीकरण	25,378.00	8,882.30
2.	दिल्ली	दिल्ली	निलोठी और पपनकला प्रत्येक में 20 एम.जी.डी. एच.टी.पी. स्थापित करना	सीवरेज	24,544.00	8,590.40
3.	दिल्ली	दिल्ली	सीविक सेन्टर, जे.एल.एन. मार्ग, मिन्टो, नई दिल्ली के पास के क्षेत्रों के लिए यातायात प्रबंधन परियोजना	अन्य शहरी परिवहन	9,716.00	3,400.60
4.	दिल्ली	दिल्ली	रोड नं. 50 आई.एस.बी.टी. आनन्द विहार, दिल्ली पर ग्रेड सेपरेटर पर निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	9,600.00	3,360.00
5.	दिल्ली	दिल्ली	नोएडा मोड फ्लाईओवर अर्थात् सिलिप रोड ब्रिज, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, और अंडरपास पर तीन अतिरिक्त क्लोवर लीवस का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	8,818.00	3,086.30

1	2	3	4	5	6	7
6.	दिल्ली	दिल्ली	नन्द नगरी के समीप सड़क सं. 68 पर रेलवे लेवल क्रासिंग पर आर.यू.बी. और आर.ओ.वी.	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	9,800.00	3,430.00
7.	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बहुस्तरीय अपरम्परागत पार्किंग का विकास (ए.एल. ब्लॉक, शालीमार बाग, शिव मार्किट पीतमपुरा, क्यू.यू., पीतमपुरा, सेन्ट्रल मार्किट अशोक विहार, मोहम्मदपुर गांव, मालवीय नगर मार्किट, पी.वी.आर. बसंत लोक, पी.वी.आर. साकेत, जी.-8) राजोरी गार्डन, ब्लॉक-10 सुभाष नगर, सी-4 जनकपुरी, अजमलखान पार्क, करोल बाग, कृष्णा मार्किट, कालकाजी, हौजरानी, न्यूफ्रैण्ड कालोनी, अंगपुरा (भोगल)	सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर पार्किंग लाट और स्थान	46,980.00	46,443.00
8.	दिल्ली	दिल्ली	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-I और-II सेन्ट्रल जोन की सड़कों का सुधार और सुदृढ़ीकरण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	14,861.00	5,201.35
9.	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्किंग/सड़क एवं पार्किंग मुहैया कराने के लिए अफ्रीका एवेन्यू से रिंग रोड तक नारोजी नगर में नल्ला को ढकना	सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर पार्किंग लाट और स्थान	5,120.00	1,792.00
10.	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्किंग/सड़क एवं पार्किंग मुहैया कराने के लिए पुलिस स्टेशन डिफैन्स कालोनी के पीछे एनड्रयूज गंज से रिंग रोड तक शेख सराय, चिराग दिल्ली पंचशील एनक्लेव, ग्रेटर कैलाश-I से होकर गुजरने वाली प्रैस इनक्लेव सड़क से नल्ला को ढकना	सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर पार्किंग लाट और स्थान	23,300.00	8,155.00

1	2	3	4	5	6	7
11.	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के विभिन्न जोनों में आर.एम.सी. पेवमेन्ट (फेज-I) मुहैया कराकर 60 फुट आर.ओ.डब्ल्यू. और इससे ऊपर की सड़क का सुधार	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	16,510.00	5,778.50
12.	दिल्ली	दिल्ली	शाहदरा (उत्तरी) जोन में एस.एस.वी.एल. (सहारनपुर-शामली ब्रांच लाइन) निकास का पुर्नरुपेण	जल निकास/ बरसाती जल नाले	15,226.00	5,329.10
13.	दिल्ली	दिल्ली	ट्रक सीवर का पुर्नस्थापन	सीवरेज	25,337.00	8,867.95
14.	दिल्ली	दिल्ली	अफ्रीका एवेन्यू और अरुणा आसफ अली मार्ग पर फ्लाईओवर	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	9,161.00	3,206.35
15.	दिल्ली	दिल्ली	विवेकानंद मार्ग, नेलसन मंडेला मार्ग, पूर्वी मार्ग पर फ्लाईओवर	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	9,161.00	3,206.35
16.	दिल्ली	दिल्ली	राजाराम कोली मार्ग पर ग्रेट सेपरेटर का निर्माण मार्जिनल बंद रोड गीता कालोनी दिल्ली पर इंटरसेक्सन	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	250.00	87.50
17.	दिल्ली	दिल्ली	मार्जिनल 1 रोड और पूर्वी दिल्ली में शास्त्री नगर के निकट दिसुद्र कैनाल के ऊपर मास्टर प्लान रोड के टी. जंक्शन पर यातायात के निर्बाध प्रवाह के लिए	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	250.00	87.50
18.	दिल्ली	दिल्ली	जी.टी. रोड जंक्शन और अप्सरा बार्डर के निकट रोड सं. 56 पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	14,147.00	4,951.45
19.	दिल्ली	दिल्ली	वजीराबाद दिल्ली में मौजूदा पुल के जमुना नदी के अनुप्रवाह पर ब्रिज और इसके संपर्क मार्गों का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	98,071.00	34,324.85
20.	दिल्ली	दिल्ली	बारापूला नाले के ऊपर एलाइनमेंट	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	97,000.00	33,950.00

1	2	3	4	5	6	7
21.	दिल्ली	दिल्ली	सलीमगढ़ से वेलोड्रम रोड तक रिंग रोड बाइपास पैकेज-I वेलोड्रम रोड से वापस राजगढ़ पावर स्टेशन से सलीमगढ़ किले तक वापस	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	40,944.00	14,330.40
22.	दिल्ली	दिल्ली	यू.पी. लिंग रोड से एन.एच.-24 कॉसिंग नोएडा मोड़ से चिल्ला रेगुलेटर तक कारीडोर उन्नयन।	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	25,010.00	8,753.50
23.	दिल्ली	दिल्ली	यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए तीन मुख्य नालों नामत: नजफगढ, सपलीमेट्ररी एवं शाहदरा के साथ इंटरसेक्टार सीवर बिछाना	सीवरेज	1,35,771.00	47,519.85
23.		**दिल्ली**			**6,64,955.00**	**2,32,734.25**
23.	**दिल्ली**				**6,64,955.00**	**2,32,734.25**
1.	गोवा	पणजी	पणजी शहर के लिए विरासत संरक्षण	हैरिटेज क्षेत्रों का विकास	362.25	289.80
2.	गोवा	पणजी	गोवा में पणजी नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पणजी शहर और समीपवर्ती क्षेत्रों में जलापूर्ति	जलापूर्ति	7,121.83	5,697.48
2.		पणजी			7,484.08	5,987.28
2.	**गोवा**				7,484.08	5,987.28
1.	गुजरात	अहमदाबाद	नर्मदा मेन नहर से कोटापुर डब्ल्यू.टी.पी. तक पाइप लाइन, कोटरपुर के पास साबरमती नदी में 330 एम.एल.डी. इनेटक वैल, रसाका में जल शोधन संयंत्र	जलापूर्ति	5,383.25	1,884.14
2.	गुजरात	अहमदाबाद	122 मीटर रिंग रोड पर श्रेयास क्रॉसिंग पर अहमदाबाद बटाउ एम.जी. रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,212.00	424.20
3.	गुजरात	अहमदाबाद	बसना और पिराना 122 रोड को जोड़ने के लिए साबरमती	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,955.00	1,034.25

1	2	3	4	5	6	7
			नदी के ऊपर चार लेन वाले पुल का निर्माण			
4.	गुजरात	अहमदाबाद	पिराना में मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	सीवरेज	6,922.00	2,422.70
5.	गुजरात	अहमदाबाद	बसना में सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	सीवरेज	1,135.00	397.25
6.	गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-12 कि.मी. लम्बे (प्रथम फेज का स्ट्रेच-I) बी.आर.टी. रोडवे का निर्माण तथा विस्तृत अध्ययन एवं इंजीनियरिंग	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	8,760.00	3,066.00
7.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र के पश्चिमी जोन के लिए बरसाती पानी के निकास की प्रणाली	जल निकास/ बरसाती जल नाले	5,914.00	2,069.90
8.	गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (48 कि.मी. लम्बा रास्ता)	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	40,572.00	14,200.20
9.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र, अहमदाबाद के दक्षिणी एवं केन्द्रीय जोन के लिए बरसाती पानी का निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	12,088.00	4,230.80
10.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र, अहमदाबाद के दक्षिणी एवं केन्द्रीय जोन के लिए बरसाती पानी का निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	12,283.00	4,299.05
11.	गुजरात	अहमदाबाद	कुलूपुर स्टेशन और नरोंदा के बीच अहमदाबाद हिम्मतनगर एम.जी. रेलवेलाइन पर ओंकार क्रॉसिंग के पास एल.सी. सं. 5क के बदले में 4 लेन के आर.ओ.बी. का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,851.00	647.85
12.	गुजरात	अहमदाबाद	मनीनगर और वत्वा रेलवे स्टेशन के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के ऊपर दक्षिणी सोसायटी के नजदीक 132 फीट रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,144.00	750.40

1	2	3	4	5	6	7
13.	गुजरात	अहमदाबाद	वत्वा और मनीनगर स्टेशन के बीच अंबिका ट्यूब क्रांसिंग पर अहमदाबाद-मुंबई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर सं. 306 के स्थान पर 4 लेन के आर.ओ.बी. का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,500.00	525.00
14.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद में सोला (ए.ई.सी.) जंक्शन पर 6 लेन के फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,857.00	649.95
15.	गुजरात	अहमदाबाद	साबरमती-विरामगम ब्रॉड गेज रेलवे लाइन अहमदाबाद पर 4 लेन के फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,011.00	703.85
16.	गुजरात	अहमदाबाद	शिवरंजनी जंक्शन अहमदाबाद में 4 लेन के फ्लाई ओवर का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,670.00	584.50
17.	गुजरात	अहमदाबाद	नेमनगर जंक्शन अहमदाबाद में 6 लेन के फ्लाई ओवर का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,513.00	529.55
18.	गुजरात	अहमदाबाद	ए.यू.डी.ए. क्षेत्र में मेजर और माइनर रेडियल रोड फेज-I का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	5,013.00	1,754.55
19.	गुजरात	अहमदाबाद	पूर्व ए.यू.डी.ए. क्षेत्र के लिए टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और बीनजोन के निकट सीवेज शोधन प्लांट	सीवरेज	3,681.26	1,288.44
20.	गुजरात	अहमदाबाद	वेस्ट ए.यू.डी.ए. क्षेत्र टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और वसाना के समीप सीवेज शोधन संयंत्र	सीवरेज	10,692.01	3,742.20
21.	गुजरात	अहमदाबाद	जलाशय विकास और बाढ़ राहत परियोजना के लिए जलग्रहण क्षेत्र का विकास और जल निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	10,471.84	3,665.14
22.	गुजरात	अहमदाबाद	बी.आर.टी.एस. फेज-II	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	48,813.00	17,084.55
23.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहरी बस्ती के पश्चमी ए.यू.डी.ए. क्षेत्र का सीवरेज नेटवर्क	सीवरेज	23,541.00	8,239.35

1	2	3	4	5	6	7
24.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहर क्षेत्र के पूर्वी औडा क्षेत्र में सीवर नेटवर्क	सीवरेज	7,730.81	2,705.78
25.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद में ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	11,885.84	4,160.04
26.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद में भद्रकिला का पुर्नद्धार	हैरिटेज क्षेत्रों का विकास	7,439.00	2,603.64
26.		**अहमदाबाद**			**2,39,038.04**	**83,663.29**
27.	गुजरात	राजकोट	राजकोट के लिए जल आपूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	8,562.00	4,281.00
28.	गुजरात	राजकोट	ठोस कचरा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण (फेज-I)	ठोस कचरा प्रबंधन	867.00	433.50
29.	गुजरात	राजकोट	भूमिगत जल निकास फेज-II एवं फेज-III (भाग-I) (सीवेज निपटान नेटवर्क एवं एस.टी.पी.)	जल निकास/ बरसाती जल नाले	7,542.00	3,771.00
30.	गुजरात	राजकोट	गोनाडल सड़क और मावडी सड़क के साथ-साथ ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,480.74	1,240.37
31.	गुजरात	राजकोट	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (क्यू कोरीडोर भाग-I का विकास) 29.00 Km.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	11,000.00	5,500.00
32.	गुजरात	राजकोट	राजकोट शहर के लिए सीवरेज प्रणाली फेज-2, भाग-2	सीवरेज	19,195.12	9,000.00
6.		**राजकोट**			**49,646.86**	**24,225.87**
33.	गुजरात	सूरत	अंजना सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	सीवरेज	1,098.00	549.00
34.	गुजरात	सूरत	अदाजान सीवरेज की क्षमता बढ़ाना	सीवरेज	1,193.00	596.50
35.	गुजरात	सूरत	भेसान सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाना	सीवरेज	1,509.00	754.50
36.	गुजरात	सूरत	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण की वेसू शहरी बस्ती के लिए जल आपूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	1,919.00	959.50

1	2	3	4	5	6	7
37.	गुजरात	सूरत	पलपलानपोर क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	995.00	497.50
38.	गुजरात	सूरत	डबोली को जहांगीरपुरा से जोड़ने के लिए तापी नदी के ऊपर पुल	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	6,500.00	3,250.00
39.	गुजरात	सूरत	बामरोली से सीकेंडरी सीवेज शोधन संयंत्र	सीवरेज	1,322.47	661.24
40.	गुजरात	सूरत	बरसाती पानी का निकास, वेसू क्षेत्र	जल निकास/ बरसाती जल नाले	4,995.00	2,497.50
41.	गुजरात	सूरत	पलपलानपोर क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एस.टी.पी.	सीवरेज	2,128.00	1,064.00
42.	गुजरात	सूरत	वेसू क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एस.टी.पी.	सीवरेज	3,437.00	1,718.50
43.	गुजरात	सूरत	कपोधरा फायर स्टेशन पर फ्लाई ओवर ब्रिज	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	932.00	466.00
44.	गुजरात	सूरत	नानावराचा के नजदीक फ्लाई ओवर ब्रिज	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	758.00	379.00
45.	गुजरात	सूरत	सूरत ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन	5,249.72	2,624.86
46.	गुजरात	सूरत	एस.एन.सी. के सारवाना और रेंडल जल कार्य को बढ़ाना	जलापूर्ति	14,068.65	7,034.33
47.	गुजरात	सूरत	एस.एम.सी. क्षेत्र के लिए सूरत शहर की बरसाती जल निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	11,662.87	5,831.44
48.	गुजरात	सूरत	उधाना भगदला तथा बामरोली के बीच ककरा खाड़ी पर पुल	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	841.39	420.70
49.	गुजरात	सूरत	नये ईस्ट जोन क्षेत्रों के लिए सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणाली	सीवरेज	11,065.73	5,532.87
50.	गुजरात	सूरत	नये जोन हेतु बरसाती पानी निपटान प्रणाली	जल निकास/ बरसाती जल नाले	3,426.82	1,713.41

1	2	3	4	5	6	7
51.	गुजरात	सूरत	सचिन में सूरत सिटी के प्रस्तावित बाहरी रिंग रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,077.12	1,038.56
52.	गुजरात	सूरत	सूरत नगर निगम के नए उत्तरी जोन क्षेत्र हेतु जलापूर्ति व्यवस्था	जलापूर्ति	16,743.43	8,371.72
53.	गुजरात	सूरत	सूरत नगर निगम के मौजूदा पंपिंग स्टेशन और एस.टी.पी. का ऑटोपेशन/एस.सी.डी.ए.	सीवरेज	3,063.43	1,531.72
54.	गुजरात	सूरत	सूरत हेतु बी.आर.टी.एस. का विकास 29.90 कि.मी.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	46,902.00	23,451.00
55.	गुजरात	सूरत	एस.एम.सी. के लिए न्यू नार्दन ड्रेनेज जोन हेतु सीवरेज प्रणाली	सीवरेज	18,404.35	9,202.18
56.	गुजरात	सूरत	दक्षिण पूर्व जोन क्षेत्र हेतु जलापूर्ति वितरण, सूरत नगर निगम	जलापूर्ति	20,109.67	10,054.84
24.		**सूरत**			1,80,401.65	90,200.83
57.	गुजरात	वडोदरा	कलाली में 40 मी. चौड़े रिंग रोड पर स्टेशन विश्वामित्री और जम्बूसर के बीच रेलवे क्रॉसिंग रु. 2 के बदले रेलवे कि.मी. 2/3-4 में वडोदर-जम्बूसर एन.जी. रेलवे लाईन पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	4,435.10	2,217.55
58.	गुजरात	वडोदरा	जलापूर्ति स्रोत को बढ़ाना	जलापूर्ति	4,105.00	2,052.50
59.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा शहर के लिए सीवरेज प्रणाली	सीवरेज	10,514.93	5,257.47
60.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा सिटी का बरसाती पानी निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	14,594.56	7,297.28
61.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा हेतु ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	3,098.54	1,549.27
62.	गुजरात	वडोदरा	सयाजी सरोवर परतापपुरा प्रणाली, वड़ोदरा की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण	जल निकायों का संरक्षण	2,869.72	1,434.88
63.	गुजरात	वडोदरा	रेलवे स्टेशन प्रतापनगर जम्बूसर (एन.जी.) सेक्शन के बीच मौजूदा	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	4,570.00	2,285.00

1	2	3	4	5	6	7
			लेवल क्रॉसिंग सं. 2 के बदले आर.ओ.बी. का निर्माण लालबाग वडोदरा के पास 1/15 से 2/1 कि.मी.			
64.	गुजरात	वडोदरा	वड़ोदरा शहर हेतु सीवरेज प्रणाली फेज-II	सीवरेज	6,05574	3,027.88
65.	गुजरात	वडोदरा	वड़ोदरा सिटी में 24.0 एम. रोड पर डी-केबिन नवायार्ड के नजदीक स्टेशन विश्वामित्री एवं मकरपुरा के बीच रेलवे कि.मी. 399/41 नी अहमदाबाद-मुंबई जी जी लाइन पर लेन का आर.ओ.बी. का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,396.00	698.00
66.	गुजरात	वडोदरा	वड़ोदरा शहर हेतु सीवरेज प्रणाली फेज-II	जलापूर्ति	3,688.00	1,844.00
67.	गुजरात	वडोदरा	वड़ोदरा में डिनेश मिल के नजदीक स्टेशन बड़ोदरा एवं मकरपुरा के बीच रेलवे कि.मी. 395/10 पर अहमदाबाद-मुंबई बीजी लाइन पर 2 लेन के आर.ओ.बी. का निर्माण।	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,968.00	984.00
68.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा शहर में कांस के विकासशील पुर्नस्थापन के लिए बुनियादी सेवाएं (क) वर्षा जल निकास सेक्टर (ख) जलापूर्ति क्षेत्र	जलापूर्ति	16,789.88	8,394.94
69.	गुजरात	वडोदरा	वड़ोदरा शहर के अजवा क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु अनुपूरक डी.पी.आर.	जलापूर्ति	2,059.26	605.50
13.		**वडोदरा**			**76,144.73**	**37,648.27**
70.	गुजरात	पोरबंदर	पोरबंदर में जलापूर्ति का संवर्धन	जलापूर्ति	2,631.04	2,104.84
71.	गुजरात	पोरबंदर	मिशन शहर पोरबंदर के लिए भूमिगत जल निकासी/सीवरेज परियोजना	सीवरेज	11,180.65	8,944.52
2.		पोरबंदर			13,811.69	11,049.36
71.	**गुजरात**				5,59,042.94	2,46,787.61

1	2	3	4	5	6	7
1.	हरियाणा	फरीदाबाद	फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली और सीवरेज शोधन कार्य की रिवैम्पिंग	सीवरेज	10,383.00	5,191.50
2.	हरियाणा	फरीदाबाद	पुराने फरीदाबाद जोन में अवस्थापना विकास निर्माण/ सीवरेज	जल निकास/ बरसाती जल नाले	2,825.12	1,412.56
3.	हरियाणा	फरीदाबाद	फरीदाबाद, कस्बा, हरियाणा के लिए जलापूर्ति बढ़ाना	जलापूर्ति	49,349.00	24,674.50
4.	हरियाणा	फरीदाबाद	फरीदाबाद के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	7,351.90	3,675.95
4.		फरीदाबाद			69,909.02	34,954.51
4.	**हरियाणा**				**69,909.02**	**34,954.51**
1.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमला हेतु ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	1,604..00	1,283.20
2.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	आकलैण्ड हाउस स्कूल के नजदीक मौजूद सुरभ वाइडेनिंग एवं लोवरिंग का निर्माण अप्रोच ब्रिज के निर्माण सहित	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,009.06	807.25
3.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमला शहर के जल आपूर्ति वितरण प्रणाली की पुर्नस्थापना	जलापूर्ति	7,236.00	5,788.80
4.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमला, फेज-I के विभिन्न जोनों में छूटी हुई/ध्वस्त सीवरेज तथा मिशिंग लाइन में सीवरेज नेटवर्क का पुनरुद्धार	सीवरेज	5,474.00	3,880.00
5.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	ग्राम भरयल तहसील जिला शिमला में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सेनिटरी लैंड	ठोस कचरा प्रबंधन	1,050.62	840.50
5.		शिमला			16,373.68	12,599.74
5.	**हिमाचल प्रदेश**				**16,373.68**	**12,599.74**
1.	जम्मू	जम्मू	ग्रेटर जम्मू के डिवीजन ए हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम	सीवरेज	12,923.00	11,630.70
2.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	फेज-II प्रभार गेटर जम्मू के छोड़ दिए गए क्षेत्र के लिए वृहद सीवरेज स्कीम	सीवरेज	2,032.03	1,828.83

1	2	3	4	5	6	7
2.		**जम्मू**			**14,955.03**	**13,459.53**
2.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	ग्रेटर श्रीनगर के जोन 3 (से. 1) हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम	सीवरेज	13,292.00	11,962.80
3.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	ग्रेटर श्रीनगर के जोन-4 के लिए जलआपूर्ति संवर्द्धन	जलापूर्ति	12,100.00	10,000.00
4.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	ग्रेटर श्रीनगर के तंगनार जोन-5 की जल आपूर्ति में वृद्धि करना	जलापूर्ति	14,837.00	13,353.30
3.		**श्रीनगर**			**40,229.00**	**35,316.10**
5.	**जम्मू और कश्मीर**				**55184.03**	**48,775.63**
1.	झारखंड	रांची	रांची के लिए जल आपूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	28,839.15	23,071.32
2.	झारखंड	रांची	ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	5,139.43	4,111.54
2.		**रांची**			**33,978.58**	**27,182.86**
3.	झारखंड	धनबाद	धनबाद के लिए जल आपूर्ति सुधार	जलापूर्ति	36,585.00	18,292.50
4.	झारखंड	धनबाद	ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	5,585.90	2,792.95
2.		**धनबाद**			**42,170.90**	**21,085.45**
5.	झारखंड	जमशेदपुर	जमशेदपुर शहरी समूह के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन प्रयोजना	ठोस कचरा प्रबंधन	3,336.24	1,668.12
1.		**जमशेदपुर**			3,336.24	1,668.12
5.	**झारखंड**				79,485.72	49,936.43
1.	कर्नाटक	बंगलौर	केगरी में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास केंगेरो बैंगलौर में प्रस्तावित	अन्य शहरी परिवहन	2,112.66	739.43
2.	कर्नाटक	बंगलौर	बैनर धट्टा में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास बैनर धट्टा में प्रस्तावित बस टर्मिनल अनुरक्षण डिपो एवं यात्री सुविधा केन्द्र	अन्य शहरी परिवहन	392.60	137.41

1	2	3	4	5	6	7
3.	कर्नाटक	बंगलौर	शांति नगर वाल्यूम-I वाल्यूम-II वाल्यूम-IIIए 1234 वोल्यूम-III वी 12 में टी.टी.एम.सी. के निर्माण हेतु प्रस्ताव	अन्य शहरी परिवहन	8,467.96	2,963.79
4.	कर्नाटक	बंगलौर	आई.टी.पी.एल. व्हाइटफील्ड वोल्यूम I, II में टी.टी.एम.सी. के निर्माण हेतु प्रस्ताव विस्तृत रूपरेखा	अन्य शहरी परिवहन	5,058.06	1,770.32
5.	कर्नाटक	बंगलौर	बानासंकरी वोल्यूम, I, II, III, 12 में टी.टी.एम.सी. के निर्माण का प्रस्ताव	अन्य शहरी परिवहन	2,223.51	778.23
6.	कर्नाटक	बंगलौर	आई.टी.पी.एल. व्हाइटफील्ड वोल्यूम I, II में टी.टी.एम.सी. के निर्माण हेतु प्रस्ताव विस्तृत रूपरेखा	अन्य शहरी परिवहन	2,655.63	929.47
7.	कर्नाटक	बंगलौर	विजयनगर वोल 1, वोल-II में टी.टी.एम.सी. का निर्माण	अन्य शहरी परिवहन	3,812.42	1,334.35
8.	कर्नाटक	बंगलौर	मलेश्वर सर्किल में अंडरपास का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,245.21	435.82
9.	कर्नाटक	बंगलौर	केथामरनहल्ली और अरकावती माइनभेली-I और कठरीगुप्पा माइनभेली-III (डी.पी.आर. सहित) ब्रसभावती घाटी में बंगलौर शहर में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	जल निकास/ बरसाती जल नाले	42,089.00	7,989.10
10.	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर सिटी वाला घट्टा वेलों में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	जल निकास/ बरसाती जल नाले	10,593.00	3,337.25
11.	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर सिटी कोरमंगलभेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	जल निकास/ बरसाती जल नाले	12,858.00	3,902.15
12.	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर सिटी हेब्बर भेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	जल निकास/ बरसाती जल नाले	26,998.00	6,465.90
13.	कर्नाटक	बंगलौर	टैगोर सर्किल में अंडरपास का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,755.90	614.57

1	2	3	4	5	6	7
14.	कर्नाटक	बंगलौर	जयनगर, बंगलौर में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास (जयनगर में प्रस्तावित यात्री सुविधा केन्द्र)	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	889.58	311.35
15.	कर्नाटक	बंगलौर	सी.डब्ल्यू.एस.एस. स्टेज-IV फेज-I से 100 एम.एल.डी. अतिरिक्त पानी का संवर्द्धन	जलापूर्ति	1,226.00	429.10
16.	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर जलापूर्ति नेटवर्क के लिए बल्क प्रवाह मीटर प्रणाली	जलापूर्ति	1,370.00	479.50
17.	कर्नाटक	बंगलौर	एम.जी. रोड क्षेत्र के चारों तरफ की सड़कों के साइज वाक का उच्चयन एवं अस्फालिंटन कार्य	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	4,361.16	1,526.41
18.	कर्नाटक	बंगलौर	कोरमंगला एरिया के आसपास साइड वाक का उन्नयन एवं सड़कों का असफाल्टिंग कार्य	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	5,044.90	1,765.72
19.	कर्नाटक	बंगलौर	मौजूदा सीवरेज प्रणाली का एनवायरमेंटल एक्शन प्लान रिपलेशमेंट रिहैबिलेशन	सीवरेज	17,675.00	6,186.25
20.	कर्नाटक	बंगलौर	गली अंजानेया जंक्शन पर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	3,008.00	1,052.80
21.	कर्नाटक	बंगलौर	यशवंतपुर जंक्शन पर ग्रेड अंडरपास का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,157.91	755.27
22.	कर्नाटक	बंगलौर	इब्लूर जंक्शन पर ओ.आर.आर. के साथ फ्लाईओवर का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,874.28	656.00
23.	कर्नाटक	बंगलौर	आगरा जंक्शन पर ओ.आर.आर. के साथ फ्लाईओवर का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	3,809.93	1,333.48
24.	कर्नाटक	बंगलौर	रिंग रोड हेन्नूर बंसवाडी रोड जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,543.79	890.33
25.	कर्नाटक	बंगलौर	मगाडी रोड एवं कोर्ड रोड जंक्शन में अंडरपास का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,782.49	973.87
26.	कर्नाटक	बंगलौर	येलहनका में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क	सीवरेज	1,500.63	525.22
27.	कर्नाटक	बंगलौर	केनगिरी में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क	सीवरेज	1,876.36	656.73

1	2	3	4	5	6	7
28.	कर्नाटक	बंगलौर	डोमलूर, बंगलौर में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास	अन्य शहरी परिवहन	1,555.00	544.25
29.	कर्नाटक	बंगलौर	विश्वानाथपुर, बंगलौर में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास	अन्य शहरी परिवहन	6,131.93	2,146.18
30.	कर्नाटक	बंगलौर	व्यातरायनपुरा के लिए भूमिगत निकास कार्य	जल निकास/ बरसाती जल नाले	12,517.00	4,380.95
31.	कर्नाटक	बंगलौर	आर.आर. नगर सी.एम.पी. हेतु भूमिगत निकासी प्रणाली तथा सड़क सुधार	जल निकास/ बरसाती जल नाले	4,153.80	1,453.83
32.	कर्नाटक	बंगलौर	रिंग रोड कवेरिनहल्ली जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,486.90	870.42
33.	कर्नाटक	बंगलौर	रिंग रोड-सी.एन.आर. राव जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,260.62	791.22
34.	कर्नाटक	बंगलौर	रिंग रोड पुन्तेनहल्ली जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,284.84	799.69
35.	कर्नाटक	बंगलौर	अर्स्टव्हाइल दर्शरहल्ली शहर नगरपालिका परिसर ड्रेनेज जोन 7-8 हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	सीवरेज	13,657.00	4,779.95
36.	कर्नाटक	बंगलौर	के.आर. पुरम सिटी नगरपरिषद ड्रेनेज जोन-III हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	सीवरेज	8,789.00	3,076.15
37.	कर्नाटक	बंगलौर	महादेव पुरा सिटी नगरपरिषद ड्रेनेज जोन-III हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	सीवरेज	11,018.00	3,856.30
38.	कर्नाटक	बंगलौर	बोमाना हर्ली सिटी नगर पालिका परिषद में भूमिगत निकास सुविधा मुहैया कराना तथा सड़क सुधार	जल निकास/ बरसाती जल नाले	23,175.00	8,111.24
38.		**बंगलौर**			**2,58,411.07**	**79,749.96**
39.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर शहर के लिए जलापूर्ति वितरण की रिमॉडलिंग	जलापूर्ति	19,454.0	15,563.20

1	2	3	4	5	6	7
40.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर में परिवहन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	अन्य शहरी परिवहन	8,525.74	6,820.59
41.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर में बाहरी रिंग रोड का उन्नयन	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	21,716.52	17,373.22
42.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर के लिए जलापूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	9,220.00	7,376.00
43.	कर्नाटक	मैसूर	एकीकृत नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	2,985.00	2,388.00
44.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर में बरसाती पानी निकास प्रणाली की रीमाडलिंग	जल निकास/ बरसाती जल नाले	38,460.00	10,000.00
45.	कर्नाटक	मैसूर	बोमाना हर्ली सिटी नगरपालिका परिषद में भूमिगत निकास सुविधा मुहैया कराना तथा सड़क सुधार	अन्य शहरी परिवहन	2,270.00	1,176.00
46.	कर्नाटक	मैसूर	विरासत कोर में विरासत और शहरी नवीकरण	हैरिटेज क्षेत्रों का विकास	3,897.00	3,117.60
47.	कर्नाटक	मैसूर	श्री चमा राजेंद्र जुलाजिकल गार्डन गार्डन सतह और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल प्रबंधन	जलापूर्ति	330.00	264.00
9.		**मैसूर**			**1,06,858.26**	**64,078.61**
47.	**कर्नाटक**				**3,65,269.33**	**1,43,828.57**
1.	केरल	कोच्चि	हेरीटेज कोर में हेरीटेज एवं शहरी नवीकरण	जलापूर्ति	20,117.00	10,058.50
2.	केरल	कोच्चि	कोची पार्ट-I को जलापूर्ति व्यवस्था	ठोस कचरा प्रबंधन	8,812.00	4,406.00
3.	केरल	कोच्चि	कोच्ची हेतु ठोस कचरा प्रबंधन	जल निकास/ बरसाती जल नाले	978.00	489.00
4.	केरल	कोच्चि	कोच्ची के सेन्ट्रल एरिया को सतह जल निकास प्रणाली का उन्नयन	सीवरेज	7,841.00	3,920.50
5.	केरल	कोच्चि	कोच्चि में सड़क सुधार और ब्रिज निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	10,964.00	5,482.00

1	2	3	4	5	6	7
6.	केरल	कोच्चि	ब्राडवे एवं इरनकुलम मार्किट हेरीटेज एवं शहरी नवीकरण परियोजना	शहरी नवीकरण	2,210.00	1,105.00
6.		**कोच्चि**			**50,922.00**	**25,461.00**
7.	केरल	तिरूवनंतपुरम	जलापूर्ति में सुधार करना	जलापूर्ति	8,716.00	6,972.80
8.	केरल	तिरूवनंतपुरम	तिरुवंनतपुरम के जोन-II में बरसाती पानी निकास का सुधार	जल निकास/ बरसाती जल नाले	4,039.00	3,231.20
9.	केरल	तिरूवनंतपुरम	तिरुवंतपुरम नगर निगम हेतु सीवरेज स्कीम का सुधार	सीवरेज	21,541.00	17,232.80
10.	केरल	तिरूवनंतपुरम	तिरुवंतपुरम के दक्षिणी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली एफ. एंड जी. ब्लॉक का विस्तार और सीवरेज प्रणाली का पुनर्स्थापन, सीवर सफाई मशीन खरीदना, अट्टूकल क्षेत्र हेतु सीवरेज प्रणाली, सरकारी मेडिकल कॉलेज तिरुवंतपुरम हेतु एस.टी.वी	सीवरेज	12,115.00	9,692.00
11.	केरल	तिरूवनंतपुरम	तिरुवंनपुरम हेतु ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	2,456.00	1,964.80
5.		**तिरूवनंतपुरम**			**48,867.00**	**39,093.60**
11.	**केरल**				**99,789.00**	**64,554.60**
1.	मध्य प्रदेश	भोपाल	गैस प्रभावी क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति	जलापूर्ति	1,418.31	709.16
2.	मध्य प्रदेश	भोपाल	नाले का चैनलाइजेशन (वर्षा जलनाला)	जल निकास/ बरसाती जल नाले	3,057.00	1,528.50
3.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल में श्रेणीबद्ध स्क्रेप मार्ट में बुनियादी अवस्थापना का नवीकरण	शहरी नवीकरण	811.00	405.50
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल	एम.पी. नगर भोपाल में बुनियादी अवस्थापना के उन्नयन का नवीकरण	शहरी नवीकरण	1,894.00	947.00
5.	मध्य प्रदेश	भोपाल	बस द्रुत परिवहन प्रणाली (21.715 कि.मी. लम्बी) हेतु पाईलट कोरिडोर नई बाजार से विश्वविद्यालय 42.19 कि.मी.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	24,712.00	11,888.00

1	2	3	4	5	6	7
6.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल के लिए नर्मदा जलापूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	30,604.16	15,302.08
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल के लिए जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क	जलापूर्ति	41,545.64	20,772.84
7.		**भोपाल**			**1,04,042.11**	**51,553.08**
8.	मध्य प्रदेश	इंदौर	यशवंत सागर जलापूर्ति प्रणाली संवर्धन स्कीम	जलापूर्ति	2,375.00	1,187.50
9.	मध्य प्रदेश	इंदौर	बस द्रुत परिवहन प्रणाली पाइलट परियोजना 11.65 कि.मी.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	9,845.00	4,922.50
10.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर सीवरेज प्रयोगशाला	सीवरेज	30,717.00	15,358.50
11.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर में 8 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	4,083.35	2,041.68
12.	मध्य प्रदेश	इंदौर	ह्वाइट चर्च से बाइपास रोड तक लिंक रोड का विकास	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,946.40	973.20
13.	मध्य प्रदेश	इंदौर	मास्टर प्लान लिंक रोड एम.आर. 9 इंदौर का विकास	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	3,741.60	1,870.80
14.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर हेतु कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	4,324.66	2,162.33
15.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर शहर में जुनी इंदौर रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी.	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	631.00	315.50
16.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर शहर 20 विभिन्न स्थानों पर बहुमंजिले पार्किंग का निर्माण	पार्किंग के लिए स्थान और पी.पी.पी. आधार पर स्थान	5,600.00	2,800.00
17.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर बी.आर.टी.एस. फेज-I का रीवर साईड कोरिडोर 14.30 कि.मी.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	18,000.00	9,000.00
10.		**इंदौर**			81,264.01	40,632.01
18.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज और सीवेज शोधन परियोजना फेज-I	सीवरेज	7,801.00	3,900.50
19.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज और सीवेज शोधन परियोजना फेज-II	सीवरेज	7,081.00	3,540.50
20.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	रांझी, फगुआ में मौजूदा पंपिंग स्टेशन का पुनर्वास और भागीदार	जलापूर्ति	1,406.00	703.00

1	2	3	4	5	6	7
			डब्ल्यूओ.पी. में नए पंपिंग स्टेशन का निर्माण			
21.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए बरसाती पानी निकास (ओमती नाला सहित) का डी.पी.आर.	जल निकास/ बरसाती जल नाले	32,649.00	16,324.50
4.		**जबलपुर**			**48,937.00**	**24,468.50**
22.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	जलापूर्ति स्कीम का पुनर्गठन	जलापूर्ति	6,686.44	5,349.15
23.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	महाकाल एवं भोपाल विरासत क्षेत्र का सुरक्षित संरक्षण एवं विकास	हैरिटेज क्षेत्रों का विकास	4,739.00	3,791.20
2.		**उज्जैन**			**11,425.44**	**9,140.35**
23.	**मध्य प्रदेश**				**2,45,668.56**	**1,25,793.93**
1.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थिरुमझाहिसाय टाउन समिति व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना (12 kms.)	जलापूर्ति	24,486.76	10,320.37
2.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	मुम्बई सीवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट स्टेज 2 प्रायोरिटी वर्क	सीवरेज	36,201.00	12,670.35
3.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	शहर रोड पर एलिवेटिड सड़क-एम.यू.आई.पी.	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	29,963.70	10,487.30
4.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	धाणे रेल प्रणाली क्षेत्र यातायात सुधार स्कीम (एस.ए.टी.आई.एस.)	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	15,513.34	5,429.67
5.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	तमबरम नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना 110 एम.एल.डी.	अन्य शहरी परिवहन	2,325.00	813.75
6.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाणे के लिए एकीकृत नाता विकास फेज-I	जलापूर्ति	7,118.00	2,491.30
7.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-II	जल निकास/ बरसाती जल नाले	9,239.00	3,233.65
8.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाणे हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम फेज-I	जल निकास/ बरसाती जल नाले	11,659.00	4,080.65

1	2	3	4	5	6	7
9.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना, ग्रेटर मुंबई (3.6 kms.)	सीवरेज	14,956.79	5,234.88
10.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना, ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	9,398.79	3,289.58
11.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	मुम्बई-IV के लिए मिडिल वातीरना जल आपूर्ति	ठोस कचरा प्रबंधन	17,879.00	6,257.65
12.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाणे हेतु सीवरेज प्रणाली परियोजना फेज-2	जलापूर्ति	1,32,950.00	46,532.50
13.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाणे हेतु सीवरेज प्रणाली परियोजना फेज-III	सीवरेज	14,009.00	4,903.15
14.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	शहर रोड पर एलिवेटिड सड़क-एम.यू.आई.पी.	सीवरेज	4,179.00	1,462.65
15.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाणे रेल प्रणाली क्षेत्र यातायात सुधार स्कीम (एस.ए.टी.आई.एस.)	सीवरेज	31,539.00	11,038.65
16.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	कल्याण डाम्बि वली नगर निगम हेतु 150 एम.एल.डी. जलापूर्ति	जल निकास/ बरसाती जल नाले	5,540.26	1,939.09
17.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	के.डी.एम.सी. के भाग के लिए भूमिगत सीवरेज	सीवरेज	16,778.86	5,872.60
18.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	कल्याण डाम्बि वली नगर निगम हेतु 150 एम.एल.डी. जलापूर्ति	जलापूर्ति	10,681.49	3,738.52
19.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	नवी मुंबई नगर निगम हेतु जलापूर्ति व्यवस्था को बढ़ाना	जलापूर्ति	23,052.03	8,068.21
20.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाणे नगर निगम के कल्सवा तवा मुम्बरा क्षेत्र हेतु एकीकृत नाला विकास फेज-III	जल निकास/ बरसाती जल नाले	5,789.27	2,026.24
21.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	उल्हासनगर-जलापूर्ति वितरण प्रणाली	जलापूर्ति	12,765.23	4,467.83
22.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	कुलगांव-बदलापुर-भूमिगत सीवरेज स्कीम	सीवरेज	15,146.18	5,301.16
23.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	कल्याण डांबवीली नगर निगम की मौजूदा जल आपूर्ति स्कीम का विस्तार	जलापूर्ति	24,708.22	8,647.88

1	2	3	4	5	6	7
24.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	नवी मुंबई-नवी मुंबई हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम	सीवरेज	35,366.52	12,378.28
25.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	नवी मुंबई के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	4,740.26	1,659.08
26.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	अंबेनाथ नगर निगम परिषद के लिए सीवरेज प्रणाली	सीवरेज	10,941.57	3,829.56
26.		**ग्रेटर मुम्बई**			**5,31,927.27**	**1,86,174.54**
27.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड ओवर ब्रिज	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	8,628.00	4,314.00
28.	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर शहर में जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन	जलापूर्ति	3,394.87	1,697.44
29.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा परियोजना	जलापूर्ति	2,503.62	1,251.81
30.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल क्षेत्र और रिसाव का पता लगाना	जलापूर्ति	278.73	139.37
31.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल लेखा परियोजना	जलापूर्ति	2,500.00	1,250.00
32.	महाराष्ट्र	नागपुर	पेंच जलाशय से केनाल के बदले ने मोर्टार के रास्ते की एम.एस. पाईपलाइन द्वारा पानी उठाकर महादुल्ला तक ले जाना	जलापूर्ति	14,463.70	7,231.85
33.	महाराष्ट्र	नागपुर	खराब जल का रिसाइकिल और पुर्नउपयोग	सीवरेज	13,011.00	6,505.50
34.	महाराष्ट्र	नागपुर	कान्हवृद्धि स्कीम	जलापूर्ति	8,217.00	4,108.50
35.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-II	जलापूर्ति	6,196.00	3,098.00
36.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-III	जलापूर्ति	8,057.27	4,029.64
37.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति पेंच-4 भाग-IV	जलापूर्ति	10,460.68	5,230.34
38.	महाराष्ट्र	नागपुर	आनंद टाकीज के निकट रोड अंडर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,828.65	914.33
39.	महाराष्ट्र	नागपुर	मसकासठ में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	253.00	126.50
40.	महाराष्ट्र	नागपुर	इटवारी में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	900.80	450.40

1	2	3	4	5	6	7
41.	महाराष्ट्र	नागपुर	अमला नागपुर सैशन में 1041/3-5 कि.मी. 0 के बीच लेवल-क्रासिंग के रिप्लेसमेंट में मंगलवाड़ी में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	849.14	424.57
42.	महाराष्ट्र	नागपुर	सार्वजनिक निजी भागीदारी के ढांचे के अंतर्गत हेतु नागपुर हेतु 24x7 जलापूर्ति परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए पुनर्वास योजना	जलापूर्ति	38,786.00	19,393.00
43.	महाराष्ट्र	नागपुर	46 कलस्टरों में एन.आई.टी. क्षेत्र (फेज-II) तृतीय स्तर वितरण नेटवर्क हेतु जलापूर्ति	जलापूर्ति	29,639.55	14,819.78
17.		**नागपुर**			1,49,970.01	74,985.01
44.	महाराष्ट्र	नांदेड़	नार्थ नांदेड़ में जल आपूर्ति का सुधार	जलापूर्ति	9,087.00	7,269.60
45.	महाराष्ट्र	नांदेड़	उत्तरी नांदेड जोन-I के लिए सीवरेज प्रणाली	सीवरेज	4,953.00	3,962.40
46.	महाराष्ट्र	नांदेड़	उत्तरी नांदेड जोन-II के लिए सीवरेज प्रणाली	सीवरेज	4,293.00	3,434.40
47.	महाराष्ट्र	नांदेड़	उत्तरी नांदेड जोन-I के लिए सीवरेज प्रणाली	सीवरेज	2,305.00	1,844.00
48.	महाराष्ट्र	नांदेड़	नांदेड़ दक्षिण के लिए जल आपूर्ति	जलापूर्ति	4,945.00	3,956.00
49.	महाराष्ट्र	नांदेड़	अंडरग्राउंड सीवरेज और सीवेज शोधन (नांदेड-साउथ)	सीवरेज	4,093.00	3,274.40
50.	महाराष्ट्र	नांदेड़	नांदेड पैकेज II, III और IIIबी सड़कों में मूवमेंट नेटवर्क का सुधार	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	21,497.33	17,197.86
51.	महाराष्ट्र	नांदेड़	नान्देड (पैकेज-I) में सिटी सड़कों का सुधार	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	6,108.55	4,886.64
52.	महाराष्ट्र	नांदेड़	नार्थ बैंक जोन-III नदी मुहाना	हैरिटेज क्षेत्रों का विकास	4,313.08	3,450.46
53.	महाराष्ट्र	नांदेड़	नांदेड पैकेज-III बी. सट्रक्चर में मूवमेंट का सुधार सड़कों में मूवमेंट नेटवर्क का सुधार	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	5,815.49	4,652.39

1	2	3	4	5	6	7
54.	महाराष्ट्र	नांदेड़	बरसाती पानी निपटान एवं प्रबंधन परियोजना (उत्तरी क्षेत्र नांदेड)	जल निकास/ बरसाती जल नाले	4,573.08	3,658.46
11.		**नांदेड़**			**71,983.53**	**57,586.82**
55.	महाराष्ट्र	नांदेड़	नार्थ बैंक जोन-III नदी मुहाना विकास	जलापूर्ति	5,052.00	2,526.00
56.	महाराष्ट्र	नांदेड़	नांदेड पैकेज-IIIबी. स्ट्रक्चर में मूवमेंट का सुधार सड़कों में मूवमेंट नेटवर्क का सुधार	सीवरेज	14,846.00	7,423.00
57.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	5,429.64	2,714.82
58.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक नगर निगम हेतु बरसाती पानी निकासी	जल निकास/ बरसाती जल नाले	31,031.00	15,515.50
59.	महाराष्ट्र	नासिक	गोदावरी नदी मुहाना विकास, धाटा सुधार एवं सौंदर्यीकरण	जल निकायों का संरक्षण	5,805.00	2,902.50
60.	महाराष्ट्र	नासिक	भूमिगत सीवरेज परियोजना पैकेज-II	सीवरेज	17,182.92	8,591.46
6.		**नासिक**			**79,346.56**	**39,673.28**
61.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक नगर निगम हेतु बरसाती पानी निकासी	जल निकास/ बरसाती जल नाले	8,613.00	4,306.50
62.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे सिटी हेतु बी.आर.टी. पायलट परियोजना (कटराज स्वरगेट हाडाप्सर रुट 17.00 Km)	द्रुत जन परिवहन	10,313.50	5,156.75
63.	महाराष्ट्र	पुणे	प्राकृतिक जलाशयों में प्रदूषण रोकने के लिए नालियों का निर्माण और सुधार तथा पुणे में हैरिटेज स्थलों का विकास (मुला मुधा नदी परिस्थितती का पर्यावरणीय पुर्नद्धार/संरक्षण)	जल निकास/ बरसाती जल नाले	9,996.00	4,998.00
64.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे में सीवरेज एवं जल निकास का नवीकरण एवं प्रबंधन (वेरीस को बढ़ाना, झीलों का पुनरुद्धार,	जल निकास/ बरसाती जल नाले	9,778.00	4,889.00

1	2	3	4	5	6	7
			बायो रीमेडिएसन तथा नाला एवं नदियों का भू-विन्यास)			
65.	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपरी चिंचवाड हेतु सीवरेज प्रस्ताव	सीवरेज	11,938.88	5,969.44
66.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे सिटी हेतु (फेज-I) बस द्रुत परिवहन-48.77 Km	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	47,662.20	23,831.10
67.	महाराष्ट्र	पुणे	ठोस कचरा प्रबंधन पिम्परी-चिंचवाड़	ठोस कचरा प्रबंधन	7,044.81	3,522.41
68.	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपली छिंदवाड़ के लिए जल आपूर्ति प्रस्ताव (4)	जलापूर्ति	35,862.00	17,931.00
69.	महाराष्ट्र	पुणे	बस द्रुत परिवहन प्रणाली (युवा राष्ट्रमंडल खेल 2008 हेतु अवस्थापना विकास) 36.00 Km	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	43,422.00	21,711.00
70.	महाराष्ट्र	पुणे	मुंबई-पुणे हाइवे (8.5 कि.मी.) औध रावेत रोड (14.5 कि.मी.) हेतु बी.आर.टी.एस. कोरिडोर	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	31,214.00	15,607.00
71.	महाराष्ट्र	पुणे	नगर रोड में पेडस्ट्रेन सबवे (सं. 3) और वाहन-अंडरपास (सं. 1) का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	661.00	330.50
72.	महाराष्ट्र	पुणे	बनेर जंक्शन पर वेस्टरली बाईपास पर सबवे	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	726.00	363.00
73.	महाराष्ट्र	पुणे	संगमवाड़ी ब्रिज तक अप्रोच रोड	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	782.00	391.00
74.	महाराष्ट्र	पुणे	पूना के लिए बी.आर.टी. कारीडोर के रूप में न्यू अलंदी मार्ग का उन्नयन एवं विकास विक्रांतवाडी से दिग्गीचुगीननागा तक कुल 13.9 कि.मी.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	3,649.09	1,824.55
75.	महाराष्ट्र	पुणे	पी.सी.एम.सी. हेतु सीवरेज प्रणाली (फेज-II)	सीवरेज	12,070.45	6,035.23
76.	महाराष्ट्र	पुणे	बी.आर.टी.एस. कोरिडोर-कालेवाड़ी-के.एस.बी. चौक से देहू-अलंदी रोड (ट्रक रुट 7) पी.सी.एम.सी. 11.20 कि.मी.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	21,920.00	8,768.00

1	2	3	4	5	6	7
77.	महाराष्ट्र	पुणे	जलापूर्ति फेज-II	जलापूर्ति	13,511.82	6,755.91
78.	महाराष्ट्र	पुणे	पी.सी.एम.सी.-बरसाती पानी निकास (फेज-II)	जल निकास/ बरसाती जल नाले	11,630.24	5,815.12
79.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर फेज-1 के लिए बरसाती जल विकास परियोजना	जल निकास/ बरसाती जल नाले	17,747.00	8,873.50
80.	महाराष्ट्र	पुणे	बी.आर.टी.एस. कोरिडोर-नासिक फाटा से वाकड (ट्रंक रुट सं. 9) पी.सी.एम.सी.-7.08 कि.मी.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	20,682.00	8,272.80
20.		**पुणे**			**3,19,223.99**	**1,55,351.80**
80.	**महाराष्ट्र**				**11,52,451,36**	**5,13,771.45**
1.	मेघालय	शिलांग	शिलांग के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान (फेज-I)	जल निकास/ बरसाती जल नाले	2,446.00	2,201.40
2.	मेघालय	शिलांग	शिलांग के लिए जल आपूर्ति बढ़ाने हेतु ग्रेटर शिलांग जल आपूर्ति परियोजना फेज-3	जलापूर्ति	19,349.72	17,414.75
2.		**शिलांग**			**21,795.72**	**19,616.15**
2.	**मेघालय**				**21,795.72**	**19,616.15**
1.	मणिपुर	इम्फाल	इंफाल हेतु ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	2,580.71	2,322.64
2.	मणिपुर	इम्फाल	नांबुल नदी मुहाना एवं नागानाला का सुधार	जल निकायों का संरक्षण	2,564.82	2,308.34
3.	मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल शहर के लिए वर्षा जल निकासी कार्यक्रम	जल निकास/ बरसाती जल नाले	10,250.13	9,225.12
3.		**इम्फाल**			**15,395.66**	**13,856.09**
3.	**मणिपुर**				**15,395.66**	**13,856.09**
1.	मिजोरम	आइजोल	ग्रेटर एजबाल जलापूर्ति स्कीम फेज-II का पंपिंग मशीनरी और उपस्कर और ट्रांसमिशन सिस्टम का नवीकरण	जलापूर्ति	1,681.80	1,513.62

1	2	3	4	5	6	7
2.	मिजोरम	आइजोल	शहरी सड़क फेज-I का उन्नयन और चौड़ीकरण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	3,873.40	3,486.046
3.	मिजोरम	आइजोल	वायवाकाल से मिजोरम विश्वविद्यालय तक उन्नयन और चौड़ीकरण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,907.64	1,716.88
4.	मिजोरम	आइजोल	आइजल सिटी रिंग रोड के मुहाने के रूप में सिमुअई से मिजोरम विश्वविद्यालय तक	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	5,309.32	4,778.39
4.		**आइजोल**			**12,772.16**	**11,494.94**
4.	**मिजोरम**				**12,772.16**	**11,494.94**
1.	नागालैण्ड	कोहिमा	सड़क और परिवहन	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,525.60	2,273.04
2.	नागालैण्ड	कोहिमा	कोहिमा में एकीकृत सड़क और बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना	पी.पी.पी. आधार पर पार्किंग लॉट और स्थान	5,042.43	4,538.19
3.	नागालैण्ड	कोहिमा	भुवनेश्वर शहर में बिन्दुसागर के हेरिटेज टैंक का संरक्षण	जल निकास/ बरसाती जल नाले	4,026.10	3,623.49
3.		**मिजोरम**			**11,594.13**	**10,434.72**
3.	**नागालैण्ड**				**11,594.13**	**10,434.72**
1.	ओडिशा	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर शहर में बिन्दुसागर के हेरिटेज टैंक का संरक्षण	शहरी नवीकरण	601.31	481.05
2.	ओडिशा	भुवनेश्वर	एकीकृत सीवरेज परियोजना	सीवरेज	49,891,35	39,913.08
3.	ओडिशा	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर हेतु बरसाती पानी निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	6,833.00	5,466.40
3.		**भुवनेश्वर**			**57,325.66**	**45,860.53**
4.	ओडिशा	पुरी	पुरी टाउन के लिए 24x7 जलापूर्ति	जलापूर्ति	16,690.00	13,352.00
5.	ओडिशा	पुरी	पुरी कस्बे के लिए ठोस बरसाती पानी व्यवस्था	जल निकास/ बरसाती जल नाले	7,182.00	4,500.00

1	2	3	4	5	6	7
2.		**पुरी**			**23,372.00**	**17,852.00**
5.	**ओडिशा**				**81,197.66**	**63,712.53**
1.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	पांडिचेरी के शहरी क्षेत्र के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	सीवरेज	20,340.00	16,272.00
2.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	एकीकृत कचरा प्रबंधन परियोजना	ठोस कचरा प्रबंधण्न	4,966.00	3,972.80
2.	**पुदुचेरी**	**पुदुचेरी**			**25,306.00**	**20,244.80**
1.	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर हेतु जलापूर्ति, सीवरेज एवं सीवेज शोधन	जलापूर्ति	17,934.00	8,967.00
2.	पंजाब	अमृतसर	जी.टी. रोड से गोल्डन टेम्पल तक दो लेन एलिवेटिड सड़क का निर्माण और मकबूलपुरा चौक से भंडारी पुल तक जी.टी. रोड पर 4 लेन एलिवेटिड सड़ का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	14,949.00	7,474.50
3.	पंजाब	अमृतसर	वाल्ड सिटी क्षेत्र फेज-II हेतु मौजूदा सीवरेज प्रणाली का पुनर्स्थापन	सीवरेज	3,690.00	1,845.00
4.	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना	ठोस कचरा प्रबंधन	7,249.00	3,624.50
5.	पंजाब	अमृतसर	वाल्ड सिटी क्षेत्र, अमृतसर के लिए मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली का पुनर्स्थापन	जलापूर्ति	4,578.00	2,289.00
5.		**अमृतसर**			**48,400.00**	**24,200.00**
6.	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर हेतु जलापूर्ति, सीवरेज एवं सीवेज शोधन	सीवरेज	24,139.00	12,069.50
1.		**लुधियाना**			**24,139.00**	**12,069.50**
6.	**पंजाब**				**72,539.00**	**36,269.50**
1.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर शहर के लिए जलापूर्ति	जलापूर्ति	18,873.00	15,098.40
2.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर शहर के लिए जलापूर्ति	जलापूर्ति	16,642.00	13,313.60
3.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	दरगाह क्षेत्र अजमेर का शहरी नवीकरण	शहरी नवीकरण	3,841.80	3,073.44
4.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	सीवरेज परियोजना	सीवरेज	11,208.00	8,966.40

1	2	3	4	5	6	7
4.		**अजमेर-पुष्कर**			**50,564.80**	**40,451.84**
5.	राजस्थान	जयपुर	चौकड़ी सरहद, वाला सिटी, जयपुर का शहरी नवीकरण	शहरी नवीकरण	1,159.66	579.83
6.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर हेतु कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधण्न	1,319.74	659.87
7.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर (फेज-I) के लिए सीवरेज प्रणाली	सीवरेज	7,495.97	3,747.99
8.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर सीवरेज परियोजना, फेज-II	सीवरेज	11,086.00	5,543.00
9.	राजस्थान	जयपुर	पानीपेच वाया सिकर रोड के.सी. जोन बाईपास क्रासिंग से बी.आर.टी.एस. परियोजना प्रस्ताव (पैकेज आई.बी.)	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	7,519.00	3,759.50
10.	राजस्थान	जयपुर	पैकेज टूर के तहत बस द्रुत परिवहन प्रणाली	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	14,400.00	7,200.00
11.	राजस्थान	जयपुर	पन्नामीना बोरी एवं इसके पास के अम्बेर, जयपुर का संरक्षण एवं प्रोत्साहन	जल निकायों का संरक्षण	431.00	215.50
12.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर हेतु बी.आर.टी.एस. पैकेज-IIIए एवं IIIबी. 394.45 कि.मी.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	26,035.94	13,017.96
13.	राजस्थान	जयपुर	गंगटोक में सीवर का पुर्नस्थापन	शहरी नवीकरण	2,761.00	1,380.50
9.		**जयपुर**			**72,208.31**	**36,104.15**
13.	**राजस्थान**				**1,22,773.11**	**76,555,99**
1.	सिक्किम	गंगटोक	कच्चे जल मुख्य नाले का उन्नयन /आधुनिकीकरण और ग्रेटर गंगटोक के लिए जल शोधन संयंत्र	सीवरेज	2,392.01	2,152.81
2.	सिक्किम	गंगटोक	चेन्नई में जलापूर्ति प्रणाली में सुधार	जलापूर्ति	7,261.66	6,535.49
2.		**गंगटोक**			**9,653.67**	**8,688.30**
2.	**सिक्किम**				**9,653.67**	**8,688.30**
1.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में आई.टी. कारीडोर के साथ जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रणाली अवस्थापना (7 पैकेज)	जलापूर्ति	32,200.00	11,270.00

1	2	3	4	5	6	7
2.	तमिलनाडु	चेन्नई	गंगटोक में सीवर का पुर्नस्थापन	जलापूर्ति	4,177.00	1,461.95
3.	तमिलनाडु	चेन्नई	तंबरम नगरपालिका में जल आपूर्ति का सुधार	जलापूर्ति	3,261.60	1,141.56
4.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	3,647.58	1,276.65
5.	तमिलनाडु	चेन्नई	अलंदूर रोड, चेन्नई में हाईलेबल ब्रिज, अदयार नदी पर निर्माण	सीवरेज	3,147.98	1,101.79
6.	तमिलनाडु	चेन्नई	मिंजूर में समुद्री पानी विलवणीकरण संयंत्र	जलापूर्ति	8,780.00	7,024.00
7.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. का निर्माण (6)	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	4,440.80	1,554.28
8.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में पेराम्बूर में फ्लाईओवर का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	3,287.50	1,150.63
9.	तमिलनाडु	चेन्नई	अलंदूर रोड, चेन्नई में हाईलेबल ब्रिज, अदयार नदी पर निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	548.30	191.91
10.	तमिलनाडु	चेन्नई	पोरुर कस्बा पंचायत के लिए जलापूर्ति सुधार करना	जलापूर्ति	1,235.79	432.53
11.	तमिलनाडु	चेन्नई	मदुरावैल की जलापूर्ति में सुधार करना	जलापूर्ति	2,330.00	815.50
12.	तमिलनाडु	चेन्नई	पूंडी जलाशय के निकट 90 क्यूसेक वाले केनाल के ऊपर गंदे पानी के शोधन संयंत्र हेतु संप-सह-पंप का निर्माण	जलापूर्ति	911.00	318.85
13.	तमिलनाडु	चेन्नई	आबादी नगरपालिका हेतु व्यापक जल आपूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	10,384.00	3,634.40
14.	तमिलनाडु	चेन्नई	पूभूथिक्काम (उत्लागरम) हेतु सीवरेज सुविधाएं	सीवरेज	2,808.05	982.82
15.	तमिलनाडु	चेन्नई	उलाग्राम पुजुथीपक्कम नगरपालिका को व्यापक जलापूर्ति मुहैया कराना	जलापूर्ति	2,424.00	848.40
16.	तमिलनाडु	चेन्नई	नेरकुंद्रम गांव पंचायत में जलापूर्ति में सुधार करना	जलापूर्ति	1,917.00	670.95
17.	तमिलनाडु	चेन्नई	अवेडी नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	सीवरेज	15,805.41	5,531.89

1	2	3	4	5	6	7
18.	तमिलनाडु	चेन्नई	अम्बट्टूर नगरपालिका हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया करवाना फेज-III	सीवरेज	13,091.00	4,581.85
19.	तमिलनाडु	चेन्नई	अलीदुर, पल्लावरम और तामबंरम नगर पालिका का ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	4,421.25	1,547.44
20.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई मदुरावोराल-नगरपालिका हेतु सीवेज सुविधा मुहैया कराना	सीवरेज	5,745.50	2,010.93
21.	तमिलनाडु	चेन्नई	शिरुथोट्टयूर-नगरपालिका हेतु व्यापक जलापूर्ति स्कीम मुहैया कराना	जलापूर्ति	8,511.70	2,979.10
22.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई के उत्तरी बेसिन में वर्षा जल निकास का उन्नयन	जल निकास/ बरसाती जल नाले	38,506.00	12,595.24
23.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई के उत्तरी बेसिन में सूक्ष्म एवं वृहद वर्षा जल निकास प्रणाली प्रणाली में उन्नयन	जल निकास/ बरसाती जल नाले	35,639.00	12,075.00
24.	तमिलनाडु	चेन्नई	पोंरुर टाऊन पंचायत हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया कराना	सीवरेज	3,829.00	1,340.15
25.	तमिलनाडु	चेन्नई	नेसापक्कम, चेन्नई में 54 एम.एम.डी. सीवरेज शोधन संयंत्र	सीवरेज	5,457.00	1,909.95
26.	तमिलनाडु	चेन्नई	अलंदूर नगरपालिका हेतु व्यापक जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	6,439.00	2,253.65
27.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई के ईस्टर्न बेसिन में वर्षा जल निकास का सुधार	जल निकास/ बरसाती जल नाले	44,581.00	15,542.45
28.	तमिलनाडु	चेन्नई	तम्बरम नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	सीवरेज	16,096.59	5,633.81
29.	तमिलनाडु	चेन्नई	अक्टूबर नगरपालिका के समग्र क्षेत्र में व्यापक जलापूर्ति मुहैया कराना	जलापूर्ति	26,708.00	9,347.80
30.	तमिलनाडु	चेन्नई	पेरुनगुडी टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	सीवरेज	2,019.24	706.73

1	2	3	4	5	6	7
31.	तमिलनाडु	चेन्नई	धिरामअहिसाय टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	सीवरेज	2,047.32	716.56
32.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई के दक्षिणी बेसिन में सूक्ष्म एवं वृहद वर्षा जल निकास प्रणाली में उन्नयन	जल निकास/ बरसाती जल नाले	33,734.00	10,464.15
33.	तमिलनाडु	चेन्नई	पेरानगलथूर टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज सकीम मुहैया कराना	सीवरेज	5,861.00	2,051.35
34.	तमिलनाडु	चेन्नई	ई.वी.आर. पेरीयार सलाई, चेन्नई के साथ-साथ हैरिटेज प्रिसिन्स्ट्स का निर्माण	हैरिटेज क्षेत्रों का विकास	610.00	213.50
35.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में कोयम्बडू फेज-2 में अतिरिक्त 120 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण और उसे चालू करना	सीवरेज	11,610.00	4,063.50
35.		**चेन्नई**			**3,66,212.61**	**1,29,441.25**
36.	तमिलनाडु	चेन्नई	पेरानगलथूर टाउन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	जलापूर्ति	11,374.30	5,687.15
37.	तमिलनाडु	चेन्नई	ई.वी.आर. पेरीयार सलाई, चेन्नई के साथ-साथ हैरिटेज प्रिसिन्स्ट्स का निर्माण	ठोस कचरा प्रबंधन	9,651.00	4,825.50
38.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में कोयम्बडु फेज-2 में अतिरिक्त 120 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण और उसे चालू करना	सीवरेज	37,712.88	18,856.44
39.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	जलापूर्ति स्कीम में सुधार	जलापूर्ति	5,882.36	2,941.18
40.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	कोयंबटूर नगर निगम में वर्षा जल निकास प्रणाली (फेज-1)	जल निकास/ बरसाती जल नाले	18,000.00	9,000.00
5.		**कोयम्बटूर**			**82,620.54**	**41,310.27**
41.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै निगम हेतु जलापूर्ति, सुधार कार्य और तंत्र सुधार (फेज-I और फेज-II)	जलापूर्ति	5,931.60	2,965.80

1	2	3	4	5	6	7
42.	तमिलनाडु	मदुरै	धिरपकु-दरम नगरपालिका और हरवेपट्टी टाऊन पंचायत हेतु संयुक्त जलापूर्ति स्कीम हेतु धिरुपकुन्दरम नगरपालिका डी.पी.आर.	जलापूर्ति	969.57	484.79
43.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै हेतु ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	7,429.00	3,714.50
44.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरैइ के लिए वैंगई नदी पर चैक बांध का निर्माण	जलापूर्ति	915.00	238.50
45.	तमिलनाडु	मदुरै	अनैयुर नगरपालिका हेतु जलापूर्ति स्कीम पर अनैयुर नगरपालिका डी.पी.आर.	जलापूर्ति	788.00	394.00
46.	तमिलनाडु	मदुरै	वर्षा जल निकास और प्रकृति निकास की सफाई (वर्षा जल निकास का सुधार और निर्माण)	जल निकास/ बरसाती जल नाले	25,181.00	12,590.50
47.	तमिलनाडु	मदुरै	फेज-III क्षेत्र हेतु भूमिगत सीवरेज स्कीम और मौजूदा सीवरेज तंत्र का नवीकरण	सीवरेज	22,934.00	11,467.00
48.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै शहरी समुद्र क्षेत्र के लिए संयुक्त जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	20,141.00	10,070.50
8.		**मदुरै**			**84,287.17**	**41,925.59**
48.	**तमिलनाडु**				**5,33,122.32**	**2,12,677.11**
1.	त्रिपुरा	अगरतला	अगरतला जलापूर्ति परियोजना (नार्थ जोन)	जलापूर्ति	7,826.00	7,043.40
2.	त्रिपुरा	अगरतला	सीवरेज और जोन (प्राथमिकता 1 क्षेत्र) के लिए सीवरेज और सीवेज शोधन स्कीम	सीवरेज	10,221.00	9,000.00
2.		**अगरतला**			**18,047.00**	**16,043.40**
2.	**त्रिपुरा**				**18,047.00**	**16,043.40**
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा में नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	3,083.99	1,542.00
2.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा में नार्दन जोन और वेस्टर्न जोन में ब्रांच और लेटरल सीवर लाईन्स हेतु यमुना एक्शन प्लान फेज-III	सीवरेज	2,162.00	1,081.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा जलापूर्ति	जलापूर्ति	8,270.50	4,135.25
4.	उत्तर प्रदेश	आगरा	इलाहाबाद शहर के जलापूर्ति घटक	सीवरेज	19,592.00	9,000.00
4.		**आगरा**			33,108.49	15,758.25
5.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद हेतु ठोस कचरा प्रबंधन	जलापूर्ति	8,969.00	4,484.50
6.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	अगरतला जलापूर्ति परियोजना (नार्थ जोन)	ठोस कचरा प्रबंधन	3,041.49	1,520.75
7.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद शहर भाग-2 का जल आपूर्ति घटक	जलापूर्ति	15,915.22	7,957.61
8.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद शहर जोन-डी, फेज-1 की सीवरेज प्रणाली	सीवरेज	33,826.00	16,913.00
4.		**इलाहाबाद**			**61,751.71**	**30,875.86**
9.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	5,623.79	2,811.90
10.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर के इन्दर ओल्ड एरिया हेतु जलापूर्ति कार्य	जलापूर्ति	27,094.89	13,547.45
11.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर हेतु सीवरेज कार्य आंतरिक कॉर क्षेत्र	सीवरेज	19,088.22	9,544.11
12.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर हेतु सीवेज शोधन	सीवरेज	10,100.45	5,050.23
13.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर के शेष क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति भाग-2	जलापूर्ति	37,778.92	18,889.48
14.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर में जिला-IV में सीवरेज कार्य	सीवरेज	20,736.00	10,000.00
6.		**कानपुर**			**1,20,422.27**	**59,843.16**
15.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट । (खंड । और III) हेतु सीवरेज कार्य	सीवरेज	23,623.00	11,811.50
16.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ में नगरीय ठोस कचरा	ठोस कचरा प्रबंधन	4,292.37	2,146.19
17.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ (फेज । भाग । खंड । से V) का जलापूर्ति कार्य	जलापूर्ति	38,861.00	19,430.50
18.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ सिटी सीवरेज डिस्ट्रिक्ट III (भाग I) हेतु सीवेज कार्य	सीवरेज	26,216.00	13,108.00

1	2	3	4	5	6	7
19.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ शहर हेतु वर्षा जल निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	32,521.00	16,260.50
20.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ सिटी सीवरेज डिस्ट्रिक्ट III (भाग III) हेतु सीवेज कार्य	सीवरेज	21,443.00	10,721.50
21.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ (फेज I भाग II) हेतु जलापूर्ति	जलापूर्ति	14,656.60	7,328.30
7.		**लखनऊ**			**1,61,612.97**	**80,806.49**
22.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	मथुरा में नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	991.60	793.28
23.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	मथुरा टाउन हेतु वर्षा जल निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	8,720.00	6,976.00
24.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	देहरादून में एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन	सीवरेज	6,035.77	4,500.00
3.		**मथुरा**			**15,747.37**	**12,269.28**
25.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	2,259.40	1,129.70
26.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ हेतु जलापूर्ति	जलापूर्ति	27,301.00	13,650.50
27.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ शहर के सीवरेज जोन-5 और 7 में सीवरेज कार्य	सीवरेज	18,589.00	9,000.00
3.		**मेरठ**			**48,149.40**	**23,780.20**
28.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी का जलापूर्ति प्राथमिक घटक	जलापूर्ति	11,102.00	5,551.00
29.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी का ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	4,867.73	2,433.87
30.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	शहर-वरुणा क्षेत्र का जलापूर्ति भाग-II	जलापूर्ति	8,610.00	4,305.00
31.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी के लिए बरसाती जल निकास कार्य	जल निकास/ बरसाती जल नाले	19,162.00	9,581.00
32.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी ट्रांस वरुणा क्षेत्र के लिए सीवरेज कार्य	सीवरेज	30,912.00	15,456.00
33.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी शहर के वरुणा क्षेत्र पार हेतु जलापूर्ति घटक (प्राथमिकता 2)	जलापूर्ति	20,916.00	9,000.00

1	2	3	4	5	6	7
6.		**वाराणसी**			**95,569.73**	**46,326.87**
33.	**उत्तर प्रदेश**				**5,36,361.94**	**2,69,660.09**
1.	उत्तराखंड	देहरादून	जलाआपूर्ति स्कीम (फेज-I)	जलापूर्ति	7,002.70	5,602.16
2.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	2,460.00	1,968.00
3.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून शहर के तीस इंटरसेक्शन का सुधार	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	2,757.91	2,206.32
4.	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून सीवरेज स्कीम	सीवरेज	5,465.00	4,372.00
5.	उत्तराखंड	देहरादून	एल. जोन के लिए देहरादून सीवरेज स्कीम (फेज-1)	सीवरेज	6,283.00	4,628.00
5.		**देहरादून**			**23,968.61**	**18,776.48**
6.	उत्तराखंड	हरिद्वार	जलापूर्ति पुन:नियोजन स्कीम	जलापूर्ति	4,784.43	3,827.54
7.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार शहर के लिए जंक्शन का सुधार	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,765.05	1,412.04
8.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	1,671.53	1,337.24
9.	उत्तराखंड	हरिद्वार	जोन डी (कनखल) और जोन डी 1 (आर्यानगर न्यू हरिद्वार में सीवरेज प्रणाली)	सीवरेज	2,698.00	2,158.40
10.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार में जोन सी 2 में सीवरेज प्रणाली	सीवरेज	748.33	598.68
5.		**हरिद्वार**			**11,667.34**	**9,333.90**
11.	उत्तराखंड	नैनीताल	जलापूर्ति भाग I की शुरुआत और नवीकरण	जलापूर्ति	547.00	437.60
12.	उत्तराखंड	नैनीताल	नैनीताल सीवरेज का पुन:निर्माण और विस्तार	सीवरेज	1,960.00	1,568.00
13.	उत्तराखंड	नैनीताल	नैनीताल में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	931.00	744.80
14.	उत्तराखंड	नैनीताल	राजभवन का पुर्नद्धार और संरक्षण	हैरिटेज क्षेत्रों का विकास	1,182.27	945.82
4.		**नैनीताल**			4,620.27	3,696.22

1	2	3	4	5	6	7
14.	**उत्तराखंड**				40,266,22	31,806.60
1.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	रिजर्वर के साथ 7 एम.ओ.डी.-टी.पी., वितरण प्रणाली और अन्य संबंधित कार्य	जलापूर्ति	2,878.00	1,439.00
2.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल शहरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रानीगंज में 42 एम.एल.डी. जलापूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	3,627.00	1,813.50
3.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल शहरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत अमूरिया में 22.7 एम.एल.डी. जलापूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	1,453.00	726.50
4.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल शहरी क्षेत्र में नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	4,357.27	2,178.64
5.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल नगर निगम हेतु जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	8,982.96	4,491.48
6.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	दुर्गापुर में रघुनाथपुर से धुपचुरिया और अकंदारा से फुली झोर तक सड़क का निर्माण, चौड़ा करना और सुधार।	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	9,492.26	4,746.13
7.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	रानीगंज नगरपालिका के लिए सीवरेज परियोजना	सीवरेज	4,008.82	2,004.41
8.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	दुर्गापुर के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम (फेज-3)	जलापूर्ति	12,681.40	6,340.70
9.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	कुल्टी नगर पालिका, आसनसोल यू.ए. के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	13,370.60	6,685.30
10.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	गमोन ब्रिज से गांधी मोड तक के मार्ग का सुधार उन्नयन एवं विकास	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	7,781.79	3,890.90
11.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जुबली ढाबा से आसनसोल के स्काब द्वार तक की सड़क का उन्नयन 4 लेन तक चौड़ीकरण एवं विकास।	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	4,316.61	2,158.31

1	2	3	4	5	6	7
11.		**आसनसोल**			**77,949.71**	**36,474.86**
12.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	डापा 30 एम.जी.डी. फेज-1 में जल शोधन संयंत्र	जलापूर्ति	9,693.45	3,392.71
13.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मौजूदा जल वितरण नेटवर्क सहित महेशतला भूमिगत रिजर्वर का एकीकरण	जलापूर्ति	1,717.00	600.95
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	गांधी मैदान, अकड़ा में भूमिगत वाटर रिजर्वर-सह-बूस्टर पंपिंग स्टेशन	जलापूर्ति	1,066.00	373.10
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बांसबेरिया में 15 एम.जी.डी. जल शोधन संयंत्र	जलापूर्ति	4,492.00	1,572.20
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	उलूबेरिया में 10 एम.जी.डी. जल शोधन संयंत्र	जलापूर्ति	4,558.00	1,595.30
17.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ई.एम.वाई.-पास और काजी नजरुल इसलाम सरानी के के बीच फ्लाईओवर का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	3,802.00	1,330.70
18.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता (फेज-I) में सीवर तंत्र का उन्नयन	सीवरेज	9,712.00	3,399.20
19.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	खरदाह, पनहटी, नार्थ डम डम, डम उम और साऊथ डम डम में ड्रेनेज कन्जैशन को हटाने के लिए ट्रांस म्यूनिसिपल स्कीम	जल निकास/ बरसाती जल नाले	4,530.14	1,585.55
20.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता हेतु मैन एंट्री ब्रिक सीवर सिस्टम (पार्ट) का उन्नयन	सीवरेज	40,291.00	14,101.85
21.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ई.एम.बाई.-पास और काजी नजरुल इस्लामी सरानी के बीच फ्लाईओवर का निर्माण	जल निकास/ बरसाती जल नाले	8,951.65	3,133.08
22.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता (फेज-II) में सीवर तंत्र का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन	5,658.53	1,980.49
23.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	खरदाह, पनहटी नार्थ डम डम, डम उम और साऊथ डम डम में ड्रेनेज कन्जैशन को हटाने के लिए ट्रांस म्यूनिसिपल स्कीम	जलापूर्ति	951.86	333.15

1	2	3	4	5	6	7
24.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता हेतु मैन एंट्री ब्रिक सीवर सिस्टम (पार्ट) का उन्नयन	जलापूर्ति	9,068.91	3,174.12
25.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हावड़ा में ड्रेनेज का सुधार	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	5,309.67	1,858.38
26.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	10 नगरपालिका कस्बों का नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	3,756.25	1,314.69
27.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरुईपुर नगरपालिका हेतु जलापूर्ति स्कीम	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,806.15	632.15
28.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हावड़ा नगर निगम में जुड़े क्षेत्रों हेतु जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	2,606.62	912.32
29.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पदमापुकुर से कमलगाजी तक ई.एम.बाई.-पास कनैक्टर का निर्माण	जलापूर्ति	12,950.88	4,532.81
30.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	डनलप जंक्शन में इंटरनचेंज का निर्माण	जलापूर्ति	2,521.87	882.65
31.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	एजेंसी बोस रोड फ्लाईओवर से जुड़े बैंकवगन में लेफ्रंट टर्निंग नार्थ बाउण्ड ऑफ-रैम्प का निर्माण	जलापूर्ति	14,194.25	4,967.99
32.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ताला पांल्टा समप्रित ट्रांसमिशन मेन	जलापूर्ति	28,032.93	9,811.53
33.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नाबा डिजिआंटा इंडस्ट्रियल टाऊनशिप अथॉरिटी, साल्ट लेक के अंतर्गत सेक्टर-V (भाग-II सीवरेज प्रणाली) में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	सीवरेज	3,407.15	1,192.50
34.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हावड़ा से सी.आर. एवेन्यू क्रासिंग तक विवेकानंद रोड फ्लाईओवर	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	15,360.00	5,376.00
35.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जैसोर रोड पर नागेर बाजार तक फ्लाईओवर का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	4,809.00	1,683.15
36.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	डम डम, नार्थ डम डम और साऊथ डम डम नगरपालिकाओं	जलापूर्ति	31,272.08	10,945.24

1	2	3	4	5	6	7
			हेतु ट्रांसम्यूनिसिपल सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम			
37.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पार्क सर्कस से परामा आइलैण्ड तक फ्लाईओवर का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	29,166.14	10,208.16
38.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	गरुलिया नगरपालिका हेतु 24x7 जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	4,719.26	1,651.74
39.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बसंबेरिया नगर निगम के लिए वर्षा जल निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	2,783.07	974.08
40.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हुगली तिनसुरा नगर पालिका क्षेत्र में वर्षा जल निकास स्कीम	जल निकास/ बरसाती जल नाले	3,881.96	1,358.68
41.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हुगली चिनसुराह नगरपालिका क्षेत्र में वर्षा जल निकास स्कीम	जल निकास/ बरसाती जल नाले	6,189.45	2,166.32
42.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	चन्दननगर नगर निगम क्षेत्र, कोलकाता पू.ए. में वर्षा जल निकास स्कीम	जलापूर्ति	8,164.12	2,857.44
43.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	30 एम.जी.डी. धापा जल शोधन संयंत्र के कमांड जोन में व्यापक वितरण नेटवर्क	जलापूर्ति	21,555.27	7,544.36
44.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	भटपाडा नगरपालिका क्षेत्र के लिए जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	24,970.42	8,739.64
45.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	डलहौजी स्फेयर का नवीकरण	शहरी नवीकरण	2,062.00	721.72
46.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बीधन नगर कोलकाता में निकास और सीवरेज परियोजना	सीवरेज	2,358.45	825.46
47.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में बज बज नगर पालिका क्षेत्र में वर्षा जल निकास स्कीम	जल निकास/ बरसाती जल नाले	3,480.16	1,218.06
48.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	चंदानाघर नगर निगम के लिए जलापूर्ति प्रणाली की मिटरिंग	जलापूर्ति	1,369.41	479.29
49.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बेती नगर पालिका कोलकाता के लिए सतही जल आपूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	13,849.36	4,847.28

1	2	3	4	5	6	7
50.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	विधाना नगर पालिका क्षेत्र के लिए बरसाती जल नालियां	जल निकास/ बरसाती जल नाले	1,915.53	670.44
51.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कमरहटी नगर पालिका कोलकाता के लिए बरसाती जल निकास स्कीम	जल निकास/ बरसाती जल नाले	6,733.87	2,356.85
52.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता मेट्रो पोलीटन क्षेत्र में उल्टादंगा से गौरिया तक बी.आर.टी.एस.-15.50 कि.मी.	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	25,291.00	8,851.85
53.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पनीहटी नगरपालिका कोलकाता के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	24,602.30	8,610.81
54.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	एप्रोच रोड चंदाना घर के साथ-साथ ईस्टन रेलवे मुख्य लाइन पर फ्लाई ओवर का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	3,257.00	1,139.95
55.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	के.एम.ए. में बराकपुर कल्याणी-दमदम एक्सप्रेसवे सड़क परियोजना	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	31,457.00	11,009.95
56.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	काजी नरुल इस्लाम एवेन्यू पर कैस्ट्रोपूट से ओर मंदिर तक भूमोपरि कोरिडोर	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	20,658.85	7,230.60
57.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता शहरी क्षेत्र में अपर बगजोला नहर का सुधार	जल निकास/	5,131.12	1,795.89
58.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता शहरी क्षेत्र में बड़ा नगर नगरपालिका क्षेत्र के लिए बरसाती जल निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	3,587.39	1,255.59
59.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में उलू बेरिया के लिए जलापूर्ति परियोजना फेज-II	जलापूर्ति	12,478.23	4,367.38
60.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	भट्टपारा नगरपालिका के वार्ड संख्या 5-8 में घोस पारा रोड, कल्याणी राजमार्ग को जोड़ने वाली ए. पी. बनर्जी रोड पर रोड ओवर ब्रिज	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	1,293.00	452.55
61.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कल्याणी रेलवे स्टेशन के निकट बस टर्मिनल	अन्य शहरी परिवहन	650.69	227.74

1	2	3	4	5	6	7
62.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में आदि बंगाल के उदगम स्थल पर इएम बाइपास कनेक्टर पर कमाल गाजी चोराहे पर 4 लेन युक्त फ्लाईओवर	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	10,016.62	3,505.82
63.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यम ग्राम नया बैरकपुर और बरासार नगर अलिकाशहरों के लिए अंतर नगरपालिका जलापूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	44,547.77	15,591.72
64.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	टीटागढ़ और हल्दहा कस्बों के लिए अंतर नगरपालिका जलापूर्ति परियोजना	जलापूर्ति	19,484.00	6,819.40
65.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बजबज ट्रंक रोड पर जिंजिरा बाजार और बाटा नगर के मध्य भूमोपरिसड़क का निर्माण	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	25,573.00	8,950.55
66.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नवाडीघंटा औद्योगिक क्षेत्र के पास कार्यालय भवन और कैफे युक्त बस अड्डे का निर्माण	अन्य शहरी परिवहन	624.34	218.52
67.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सोदेपुर से एम.बी. रोड चरण II तक के लिए बैरकपुर-कल्याणी दमदम एक्सप्रेस वे रोड परियोजना	सड़कें/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	4,433.49	1,551.72
68.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यम ग्राम नगर पालिका कोलकाता के लिए वर्षाजल निकास	जल निकास/ बरसाती जल नाले	7,204.37	2,521.53
69.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरसात नगर पालिका कोलकाता के लिए एकीकृत वर्षाजल निकास प्रणाली	जल निकास/ बरसाती जल नाले	8,548.33	2,991.92
58.		**कोलकाता**			6,12,556.36	2,14,394.79
69.	**पश्चिम बंगाल**				6,85,506.07	2,50,869.64
550.		**सकल योग**			61,52,236,89	28,41,635.79

विवरण-III

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	सी.एस.एम.सी./ सी.सी.ई.ए./ सी.सी.आई. बैठक/ परियोजना अनुमोदन की तारीख	वचनबद्ध ए.सी.ए. (केन्द्रीय अंश)	वित्त मंत्रालय के रिलीज आदेश के अनुसार-अब तक जारी ए.सी.ए.
1	2	3	4	5	6	7
			वित्त वर्ष 2010-11			
1.	दिल्ली	नई दिल्ली	यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए तीन मुख्य नालों नामत: नजफगढ़, सपलीमेंट्ररी एवं शहादरा के साथ इंटरसेक्टार सीवर बिछाना	19-मई-10	47,519.85	11,880.00
2.	गुजरात	पोरबन्दर	पोरबंदर में जलापूर्ति का संवर्धन	20-दिसं.-10	2,104.84	526.21
3.	झारखंड	जमशेदपुर	जमशेदपुर शहरी समूह के लिए एकीकृत ठोस कचरा, प्रबंधन प्रयोजना	17-फरवरी-11	1,668.12	417.03
4.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	इंदौर वी.आर.टी.एस. फेज-I में रीवर साईड कोरिडोर 14.30 कि.मी.	12-नवं.-10	9,000.00	2,250.00
5.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में कोयम्बडू फेज-2, में अतिरिक्त 120 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण और उसे चालू करना	25-फरवरी-11	4,063.50	1,625.41
6.	उत्तराखंड	हरिद्वार	जोन-डी (कंखल) और जोन-डी-I (आर्य नगर, न्यू हरिद्वार) में सीवरेज प्रणाली	25-मार्च-11	2,158.40	863.36
7.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार में जोन सी 2 में सीवरेज प्रणाली	25-मार्च-11	598.68	239.47
8.	उत्तराखंड	नैनीताल	नैनीताल में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	16-जून-10	744.80	186.20
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कमरहाटी नगरपालिका कोलकाता के लिए बरसाती पानी निकासी स्कीम	16-जून-10	2,356.85	942.74

1	2	3	4	5	6	7
10.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता मेट्रो पोलीटन क्षेत्र में उल्टादंगा से गौरिया तक बी.आर.-टी.एस.-15.50 कि.मी.	16-जून-10	8,851.85	2,212.96
11.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पनीहटी नगरपालिका कोलकाता के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	23 सितं.-10	8,610.81	3,444.32
12.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	एप्रोच रोड चंदाना घर के साथ-साथ ईस्टन रेलवे मुख्य लाइन पर फ्लाई ओवर का निर्माण	12-नवं.-10	1,139.95	284.99
13.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	के.एम.ए. में बराकपुर कत्यिाणी-दमदम एक्सप्रेसवे सड़क परियोजना	12-नवं.-10	11,009.95	2,752.49
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	काजी जरुल इस्लाम एवेन्यू पर कैस्ट्रोपूट से और मंदिर तक भूमोपरि कोरिडोर	12-नवं.-10	7,230.60	1,807.65
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता शहरी क्षेत्र में अपर बगजोता नहर का सुधार	17-फरवरी-11	1,795.89	718.35
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता शहरी क्षेत्र में बड़ा नगर नगरपालिका क्षेत्र के लिए बरसाती जल निकास	17-फरवरी-11	1,255.59	502.24
17.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	ग्रेटर विशाखापतनम नगर निगम (जी.वी.एम.सी.) के सेंट्रल क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी सेक्टरों के बचे हुए क्षेत्र में 24 घंटे जल आपूर्ति का कार्यान्वयन	23-मार्च-12	4,174.50	1,043.63
18.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति	तिरुपति नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन	12-मार्च-12	1,863.20	465.80
19.	गोवा	पणजी	पणजी शहर के लिए विरासत का संरक्षण	21 जून-11	289.80	72.45
20.	गोवा	पणजी	गोवा में पणजी शहर के नगर निगम अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पणजी शहर और आस-पास के क्षेत्र हेतु जल आपूर्ति	3 जनवरी-11	5,697.48	1,424.37
21.	गुजरात	पोरबन्दर	पोरबन्दर मिशन शहर के लिए भूमिगत जल निकास (सीवरेज) परियोजना	23-मार्च-12	8,944.52	2,236.13

1	2	3	4	5	6	7
22.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	गांव भरियाल, तहसील जिला शिमला में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के लिए सेनिट्री ढलाव स्थल	12-मार्च-12	840.50	210.13
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	ग्रेटर जम्मू शहर के डिविजन क के बाकी बचे फेज-II के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	12-मार्च-12	1,828.83	457.20
24.	कर्नाटक	मैसूर	चामराजेन्द्र जियोलॉजिकल गार्डन में सतही और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल प्रबंधन	3-जनवरी-12	264.00	171.60
25.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	अंबरनाथ नगरपालिका परिषद के लिए सीवरेज प्रणाली	3-जनवरी-12	3,829.56	957.38
26.	मिजोरम	आईजोल	शहरी सड़क फेज-I में सुधार और चौड़ा करना	3-जनवरी-12	3,486.06	871.52
27.	मिजोरम	आईजोल	वैवाकौन से मिजोरम विश्वविद्यालय तक चौड़ा और सुधार करना	3-जनवरी-12	1,716.88	429.22
28.	मिजोरम	आईजोल	आइजोल सिटी रिंग रोड से निकले छोटे मार्ग रूप में सिहमुई से मिजोरम विश्वविद्यालय	3-जनवरी-12	4,778.39	1,194.60
29.	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा शहर फेज-I के लिए वर्षा जल निकास विकास स्कीम	27-सितं.-11	3,623.49	2,355.26
30.	उत्तराखंड	नैनीताल	राजभवन का पुनरुद्धार और संरक्षण	8-नवंबर-11	945.82	236.45
31.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	दुर्गापुर में गमन ब्रिज से गांधी मोड़ (एन.एच.-2) वाया माया बाजार के लिए सड़क का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	3-जनवरी-12	3,890.90	972.72
32.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल में जुबली ढाबा से एस.सी.-ओ.बी. गेट तक सड़क का सुधार और 4 लेन तक चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण।	12-मार्च-12	2,158.31	539.57
33.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में उलबेरिया नगर पालिका के लिए जल आपूर्ति परियोजना (फेज-II)	29-अगस्त-11	4,367.38	1,091.85
34.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता महानगर के भीतर भटपारा नगरपालिका के वार्ड सं. 5, 6, 7, 8 में घोष पारा रोड, कल्याणी राजमार्ग को जोड़ने वाली ए.पी. बैनर्जी रोड पर रेल ओवर ब्रिज-9 (आर.ओ.बी.)	27-सितम्बर-11	452.55	113.13

1	2	3	4	5	6	7
35.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कल्याणी रेलवे स्टेशन के पास बस टर्मिनल	3-जनवरी-12	227.74	56.93
36.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आदी गंगा कोलकाता के शुरू में ई.एम. बाईपास कनेक्टर पर कमलगाजी इंटरसैक्शन पर चार लेन का फ्लाई ओवर	3-जनवरी-12	3,505.82	876.45
37.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यम ग्राम, न्यू बैरकपुर और बरसात के नगर निगम कस्बों हेतु ट्रांस-म्युनिसिपल जल आपूर्ति परियोजना	10-फरवरी-12	15,591.72	3,897.93
38.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	टी.आई.टी. गढ़ और खरदन, के नगर निगम कस्बों हेतु ट्रांस-म्युनिसिपल जल आपूर्ति परियोजना	10-फरवरी-12	6,819.40	1,704.85
39.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बज ट्रंक रोड पर जिनजीरा बाजार और बाटानगर के बीच भूमोपरि रोड का निर्माण	12-मार्च-12	8,950.55	2,237.64
40.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नबादीगंटा औद्योगिक टाऊनशिप क्षेत्र (एन.डी.आई.टी.ए.) के बाहरी क्षेत्र में कार्यालय बिल्डिंग/कैफिटेरिया सहित बस टर्मिनस का निर्माण	12-मार्च-12	218.52	54.63
41.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सोदेपुर से एम.बी. रोड तक बैरकपुर कल्याणी दमदम एक्सप्रेस रोड परियोजना (फेज-II)	12-मार्च-12	1,551.72	387.93
42.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यम ग्राम नगर पालिका, कोलकाता के लिए वर्षा जल निकास प्रणाली	23-मार्च-12	2521.53	630.38
43.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरसात नगर पालिका, कोलकाता के लिए एकीकृत, वर्षा जल निकासी प्रणाली	23-मार्च-12	2,991.92	11,96.77
			2012-13			
44.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	उज्जैन नगरपालिका कॉरपोरेशन में ठोस कचरा प्रबंधन	26-मार्च-13	2,871.10	717.78
45.	महाराष्ट्र	नांदेड	सी.आई.डी.सी.ओ., हुडको क्षेत्र साऊथ नांदेड में सीवरेज एकत्रीकरण प्रणाली	26-मार्च-13	2,501.55	625.39
46.	महाराष्ट्र	नांदेड	जलापूर्ति वितरण प्रणाली, हुडको क्षेत्र साऊथ नांदेड	26-मार्च-13	1,758.70	439.68

1	2	3	4	5	6	7
			2013-14 (31 जुलाई, 2013 तक)			
47.	गुजरात	अहमदाबाद	जल आपूर्ति प्रणाली का ऑटोमेशन (एस.सी.ए.डी.ए. आधारित)	23-अप्रैल-13	1,167.76	291.94
48.	गुजरात	अहमदाबाद	जल आपूर्ति प्रणाली का ऑटोमेशन (एस.सी.ए.डी.ए. आधारित)	2-जुलाई-13	970.80	242.70
49.	गुजरात	राजकोट	राजकोट के लिए जलापूर्ति बढ़ाना	23-अप्रैल-13	3,648.33	912.08
50.	गुजरात	राजकोट	राजकोट के ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करना	23-अप्रैल-13	2,086.27	521.57
51.	गुजरात	सूरत	सूरत के पूर्वी जोन की जल आपूर्ति प्रणाली के लिए डब्ल्यू.टी.पी., ट्रांसमिशन लाइन और स्टोरेज रिझरवर	23-अप्रैल-13	2,456.87	614.22
52.	गुजरात	सूरत	सूरत के पूर्वी ड्रेनेज जोन के तहत करंज सीवरेज शोधन संयंत्र को बढ़ाना	23-अप्रैल-13	2,861.50	715.38
53.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड में अतिरिक्त नगरपालिका कॉरपोरेशन क्षेत्र में जल आपूर्ति स्कीम	23-अप्रैल-13	1,478.00	369.50
54.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड में अतिरिक्त नगरपालिका कॉरपोरेशन क्षेत्र में सीवरेज स्कीम	23-मार्च-13	6,114.37	1,528.59
55.	महाराष्ट्र	पुणे	पी.एम.सी. के तहत पुना नगर रोड के साथ के क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति प्रणाली बढ़ाना।	2-जुलाई-13	19,008.44	
56.	महाराष्ट्र	पुणे	पी.एम.सी. के तहत बडगांव (बुदरुक), पुना में जल शोधन संयंत्र और सामान्य जल पंपिंग स्टेशन	2-जुलाई-13	5,903.51	
57.	नागालैण्ड	कोहिमा	एन.एच.-61 से नार्थ फिल्ड स्कूल तक सड़क के साथ रिटेनिंग दीवार का निर्माण।	30-मई-13	137.11	34.28
58.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरुपुर नगरपालिका के लिए वर्षा जल ड्रेनेज परियोजना	23-अप्रैल-13	2,240.61	560.15
59.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	रिशरा नगरपालिका के लिए वर्षा जल ड्रेनेज परियोजना	23-अप्रैल-13	1,787.56	446.89
			कुल		262,633.20	64,560.09

विवरण-IV

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के निधियन की राज्य-वार स्थिति

(करोड़ रु. में)

विगत तीन वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी ए.सी.ए.

	सभी पी.पी.पी. परियोजनाएं	पूर्ण परियोजनाएं	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
महाराष्ट्र	7	3	21.49	31.83	49.12	0.00
गुजरात	20	12	30.64	184.69	65.26	6.74
पश्चिम बंगाल	3	2	5.26	5.45	0.00	0.00
पुदुचेरी	1	-	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	7	2	0.00	46.69	3.80	0.00
उत्तराखंड	1	-	0.00	2.95	0.00	0.00
असम	1	-	0.00	4.75	0.00	0.00
तमिलनाडु	4	3	0.00	15.13	0.00	0.00
राजस्थान	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	1	-	0.00	90.59	0.00	0.00
कर्नाटक	2	-	0.00	26.90	0.00	5.97
हरियाणा	1	1	5.74	7.20	10.58	0.00
कुल	49	24	63.13	416.16	128.76	12.71

एडवर्ड स्नोडन को शरण

589. **श्री गुरूदास दासगुप्ता:**

प्रो. सौगत राय:

श्री प्रबोध पांडा

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एडवर्ड स्नोडन को शरण देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) श्री एडवर्ड स्नोडेन ने मानवाधिकार आधार पर राजनीतिक शरण के लिए 30 जून 2013 को रूसी परिसंघ स्थित भारतीय दूतावास को पत्र लिखा।

(ग) सरकार द्वारा राजनीतिक शरण के अनुरोध को ठुकरा दिया गया।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

590. **श्री रमाशंकर राजभर:**

श्रीमती सुमित्रा महाजन:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

श्री बाल कुमार पटेल:

श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:

श्री जोस के.मणि:

श्री पी.टी. थॉमस:

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में केन्द्रीय विद्यालय (के.वी.) के कार्यकाल की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कुछ नए के.वी. खोलने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थान क्या है एवं इन्हें कब तक खोले/चालू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में गरीब विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए के.वी. खोलने का भी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के पिछड़े एवं जरूरतमंद, क्षेत्रों में के.वी. खोलने के संबंध में सरकार की कार्य-योजना क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय के कार्यों की समीक्षा पहली बार वर्ष 2002 में जे.सी. पंत समिति द्वारा की गई थी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने समिति की कई सिफारिशों को विभिन्न रूपों में पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। वर्ष 2009 में केन्द्रीय विद्यालय के कार्यों की समीक्षा का कार्य भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर को सौंपा गया था, जिसकी रिपोर्ट वर्ष 2010 में प्रस्तुत की गई थी जिस पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड की 93वीं बैठक में विचार किया गया था। भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर की शैक्षिक सुधारों, प्रवेश नीति, वास्तविक संरचना, व्यावसायिक शिक्षा, आई.सी.टी. का कार्यान्वयन, स्कूल प्रबंधन, सुरक्षा एवं कल्याण उपायों संबंधी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालयों को मुख्यत: सरकार की आवश्यक संस्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ नए केन्द्रीय विद्यालयों को स्थापित करने के लिए उनकी तरफ से अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव की प्राप्ति पर रक्षा कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की (विज्ञान, कला और कॉमर्स विषयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक) शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला जाता है। केन्द्रीय विद्यालयों को राज्य-वार/जिला-वार या पिछड़े और जरूरतमंद क्षेत्र-वार आदि के मापदण्ड पर नहीं खोला जाता है। अभी तक नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई वित्तीय संस्वीकृति नहीं मिली है।

चार वर्षीय डिग्री/अवर स्नातक कार्यक्रम

591. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:**

श्री नलिन कुमार कटील:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

डॉ. संजीव गणेश नाईक:

डॉ. पी. वेणुगोपाल:

श्री गोपीनाथ मुंडे:

श्री पी.के. बिजू:

श्री ए.सम्पत:

श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/यू.जी.सी. ने देश में चालू अकादमिक वर्ष से चार वर्षीय डिग्री/अवर स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन विश्वविद्यालयों ने नयी प्रणाली प्रारंभ की है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि समाज के विभिन्न हलकों में इस कार्यक्रम के प्रति आशंकाएं हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार को उक्त कार्यक्रम के विरूद्ध विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि उसने वर्तमान अकादमिक सत्र अर्थात जुलाई, 2013 से चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफ.वाई.यू.पी.) शुरू किया है। एच.वाई.यू.पी. के तहत दो, तीन और चार वर्ष के समाप्त होने पर क्रमश: विभिन्न प्रकार की डिग्रियां नामत: डिप्लोमा, डिग्री और आनर्स डिग्री प्रदान करने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में दो या तीन वर्ष पूरे होने के बाद छात्रों के लिए कार्यक्रम छोड़ने में लचीलेपन का प्रावधान है तथा ऐसे छात्र, यदि अन्यथा पात्र हों, दस वर्ष की समय अवधि के भीतर डिग्री और/या ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम पूरी करने के लिए लौट सकते हैं। दो वर्ष के पश्चात कार्यक्रम छोड़ने वाले छात्र डिप्लोमा के पात्र होंगे तथा तीन वर्ष पश्चात कार्यक्रम छोड़ने वाले छात्र स्नातक डिग्री के पात्र होंगे। चार वर्ष की समाप्ति के बाद छात्र मुख्य विषय में आनर्स डिग्री के पात्र होंगे।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एफ.वाई.यू.पी. को शुरू करने से काफी वाद-विवाद हो गया है जिसमें कार्यक्रम के पक्ष में और विरोध में विचार शामिल है। तदानुसार, मंत्रालय के निर्देशों पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर एस.के.जोशी, पूर्व महानिदेशक, सी.एस.आई.आर. की अध्यक्षता में एक परामर्शी समिति गठित की है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एफ.वाई.यू.पी. के कार्यान्वयन की प्रगति की निकट से निगरानी करेगी, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि और मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में सुधारात्मक सलाह देगी तथा स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए एफ.वाई.यू.पी. के निहितार्थों का मूल्यांकन करेगी, एफ.वाई.यू.पी. से संबंधित अन्य मामलों पर विचार करेंगी और आयोग को उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

[अनुवाद]

बेरोजगारी में बढ़ोतरी

592. **श्री बंस गोपाल चौधरी:**
श्री पी.आर. नटराजन:
श्री महेन्द्र कुमार राय:
शेख सैदुल हक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "इंस्टीट्यूट ऑफ अपलाइड मैनपावर रिसर्च" (आई.ए.एम.आर.) की रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है कि हाल के वर्षों में देश में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है एवं नैमितीकरण तथा अनौपचारीकरण में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) जनसाधन अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.) ने दिसम्बर 2012 में 'बेरोजगारी और अनौपचारीकरण भारत में समावेशी विकास के लिए चुनौतियां' शीर्षक के तहत जारी किए गए अपने ओकेज्नल पेपर में तीन पंचवार्षिक दौर अर्थात 1999-2000, 2004-05 और 2009-10 में कार्यबल की रोजगार संबंधी रूपरेखा की जांच की थी। यह पेपर दर्शाता है कि सकल रूप से और गैर-कृषि क्षेत्रकों में रोजगार में, अर्थव्यवस्था में समग्र वृद्धि के अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तथा रोजगारों के नैमित्तीकरण और अनौपचारीकरण में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) रोजगार और बेरोजगारी पर एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षणों के अनुसार, 1999-2000 और 2009-10 के बीच देश में 61.1 मिलियन रोजगारों की वृद्धि हुई थी। एन.एस.एस.ओ. द्वारा जून, 2013 में प्रकाशित अद्यतन डेटा से यह पता चलता है कि 2009-10 और 2011-12 के बीच 13.9 मिलियन अतिरिक्त रोजगारों का सृजन हुआ है। यह इस बात को नहीं दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी में वृद्धि हुई थी। जहां तक कार्यबल के नैमित्तीकरण का संबंध है, इसी डेटा से यह पता चलता है कि कुल कार्यबल में अनियत कामगारों का हिस्सा, जो 1999-2000 में लगभग 33 प्रतिशत था, वह 2004-05 में घटकर लगभग 28 प्रतिशत हो गया था और 2009-10 में पुन: बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया था। वर्ष 2011-12 में यह हिस्सा घटकर 30 प्रतिशत हो गया था।

12वीं योजना में सरकार ने गैर-फार्म क्षेत्रक में 50 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को, अन्य बातों के साथ-साथ, श्रम गहन उद्योगों जैसे वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और जूता, रत्नों एवं आभूषणों, खाद्य प्रसंस्करण आदि को शामिल करते हुए विनिर्माण क्षेत्रक के विकास में बढ़ोतरी करके हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, औपचारिक क्षेत्रक में बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगारों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार श्रमिकबल के कौशल का लगातार क्रमोन्नयन करने के महत्व को स्वीकार करती है। इसके मद्देनजर इसने 2009 में

कौशल विकास संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार की थी और हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी की स्थापना करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल.
का पुनरूद्धार

593. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:**
श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री अंजनकुमार एम.यादव:
डॉ. संजय सिंह:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.) में मौजूदा कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उपर्युक्त अवधि के दौरान वेतनों/सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभों पर हुए खर्च सहित विगत तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारी अधिवार्षिता और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन दो सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धन के कार्यनिष्पादन की समीक्षा और इनमें हुई फिजूल खर्ची की जांच कार्रवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार ने बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. का पुनरूद्धार करने के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए किसी मंत्रीसमूह का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उनके पुनरूद्धार और राजस्व में वृद्धि करने और उनके वेतन बिलों और प्रशासनिक व्यय में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): (क) दिनांक 30.06.2013 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) में कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:-

बी.एस.एन.एल.	एम.टी.एन.एल.
2,47,879	38,503

विगत तीन वर्षों के दौरान अधिवर्षिता प्राप्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन/सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों पर होने वाले व्यय से संबंधित विवरण इस प्रकार है:-

बी.एस.एन.एल.

वर्ष	अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी	वेतन पर व्यय (करोड़ रुपये में)	विगत तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्ति पर किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
2010-11	10361	1085	12208.70	1582.26
2011-12	10945	983	11985.15	1420.89
2012-13	12333	1285	12715.66	1182.72

एम.टी.एन.एल.

वर्ष	अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी	सेवानिवृत्ति लाभों के अतिरिक्त व्यय (करोड़ रुपए में)	विगत तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्ति पर किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
2010-11	1152	13	1699.06	347.78
2011-12	1335	21	1770.03	481.44
2012-13	1712	67	1828.92	573.25

(ख), (ग) और (च) जबकि दूरसंचार विभाग के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा हस्ताक्षर किए गए वार्षिक समझौता ज्ञापन में की गई प्रतिबद्धता के संबंध में दूरसंचार विभाग और बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. का वरिष्ठ प्रबंधन इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है तथापि, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. ने अपना पुनरूद्धार करने एवं राजस्व में वृद्धि करने तथा अपने वेतन बिलों एवं प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

बी.एस.एन.एल. द्वारा किए गए उपाय

- सरकारी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर और ब्रॉडबैंड नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क (एन.जी.एन.) वॉयस तथा उद्यम कारोबार के संबंध में गहन प्रयास करके स्थायी राजस्व स्त्रोतों को सुदृढ़ किया गया है।
- अनुश्रवण प्रयोजन के लिए ऊपर के 100 शहरों के राजस्व पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- विकेन्द्रीकरण आधार पर ग्राहक सेवा, सेवा प्रदान करने तथा सेवा आश्वासन, राजस्व प्रबंधन और परिसंपत्तियों के अनुरक्षण पर अधिक ध्यान दिया गया है।
- सभी निवेश कार्यकलापों के लिए मूल्य आधारित प्रबंधन जिससे केवल उन्हीं परियोजनाओं पर कार्य किया जाए जो संगठन के लिए लाभकारी हो।
- बी.एस.एन.एल. के वर्तमान नेटवर्क का नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क पर उत्तरोत्तर अंतरण करना जिसके द्वारा ग्राहकों तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अभिसरण, सुदृढ़ीकरण और सेवाओं को निर्बाध रूप से प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।

एम.टी.एन.एल. द्वारा किए गए उपाय

- सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सभी एक्सचेंजों को डिजीटल बनाया गया है।
- दोष दर और मरम्मत के औसत समय (एम.टी.टी.आर.) को कम करने के लिए आउटडोर नेटवर्क को सतत् आधार पर बेहतर किया जा रहा है।
- एम.टी.एन.एल. विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के लिए अपने प्रशुल्कों की समीक्षा करता है ताकि उन्हें ग्राहकों और समाज के विभिन्न वर्गों के अनुकूल बनाया जा सके।
- एम.टी.एन.एल. ने टेलीफोन बिलों के सरल भुगतान हेतु उपाय किए है।
- एम.टी.एन.एल. ने एक लायल्टी स्कीम प्रारंभ की है और वह अपने कॉरपोरेट ग्राहकों का विशेष ध्यान रखता है।
- लैंडलाइन, मोबाइल एवं ब्रॉडबैंड हेतु शिकायतों और विभिन्न सेवाओं हेतु ऑनलाइन बुकिंग अब उपलब्ध है।
- एम.टी.एन.एल. की दिल्ली में संचार हाट और मुम्बई में ग्राहकसेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) हैं जिनमें ग्राहक नवीन सेवा हेतु पंजीकरण, सेलुलर कनेक्शन हेतु डुप्लीकेट बिल, बिल भुगतान, वी.सी.सी. (वर्चुअल कालिंग कार्ड) आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और (एम.टी.एन.एल.) के पुनरूद्धार एवं वित्तपोषण के मामलों को देखने के लिए दिनांक 28.05.2013 को एक मंत्रिसमूह (जी.ओ.एम.)का गठन किया है। मंत्रिसमूह प्रचालनगत अपेक्षाओं और

कारोबारी माहौल के अनुकूल एक मानव संसाधन कार्यनीति तैयार करने सहित बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के पुनरूद्धार और वित्तपोषण के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठकें आयोजित कर रहा है।

महिला न्यायालय

594. **श्री कपिल मुनि करवारिया:**

श्री जगदीश सिंह राणा:

श्री राम सुन्दर दास:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक अनन्य रूप से महिलाओं पर अत्याचार संबंधी मामलों से निपटने के लिए अब तक गठित महिला न्यायालयों की राज्य-वार एवं स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में और महिला न्यायालयों के गठन का कोई विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न न्यायालयों में महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(घ) कितने मामलों में न्यायालयों द्वारा फैसले दिए गए हैं तथा कितने मामले अभी भी लंबित है; और

(ङ) महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किसी विधिक सुधार पर विचार किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) अत्याचारों, जिनके अंतर्गत स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार भी हैं, से संबंधित मामलों पर अधीनस्थ न्यायापालिका के अधीन सत्र न्यायालयों में विचारण किया जाता है। अधीनस्थ स्तर पर न्यायालयों की स्थापना और उनकी संख्या तथा अवस्थिति संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है; यह जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 2009,वर्ष 2010 और वर्ष 2011 के संबंध में बलात्संग मामलों और लैंगिक उत्पीड़न के मामलों से संबंधित जानकारी क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ङ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ बलात्संग मामलों में शीघ्र विचारण के संबंध में भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया है जिसमें ऐसे मामलों में दंड को अधिक कठोर बनाया है और विधि के अधीन निदेशों की अवज्ञा करने वाले लोक सेवकों को दंड दिया जाता है। सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे दिन प्रतिदिन आधार पर साक्षियों की परीक्षा, बिल्कुल न्यूनतम पर स्थगनों को रखने और बलात्संग जैसे घोर अपराधों से अंतवर्लित मामलों के शीघ्र विचारण करने, को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157, धारा 309 और धारा 327 के अधीन उपबंधों के उपयोग की ओर जिला न्यायधीशों का ध्यान आकर्षित करें। 7 अप्रैल, 2013 को आयोजित मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से परामर्श करके, स्त्रियों, बालकों, विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों समाज के गरीब वर्गों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित उपयुक्त संख्या में त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए तुरंत कदम उठाएं और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराएं।

विवरण-I

बलात्संग के अधीन वर्ष 2009-11 के दौरान रजिस्ट्रीकृत मामले (सी.आर.), आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले (सी.एस.), सिद्धदोष मामले (सी.वी.), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप पत्र दाखिल किए गए व्यक्ति (पी.सी.एस.) और सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2009					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.बी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1188	965	118	1487	1302	182
2.	अरुणाचल प्रदेश	59	46	3	60	51	3

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	1631	1004	128	1644	1040	235
4.	बिहार	929	763	178	1086	1043	237
5.	छत्तीसगढ़	976	982	219	1128	1117	243
6.	गोवा	47	24	7	56	41	7
7.	गुजरात	433	377	33	610	597	44
8.	हरियाणा	603	525	125	848	832	230
9.	हिमाचल प्रदेश	183	176	29	250	260	40
10.	जम्मू और कश्मीर	237	196	12	303	301	12
11.	झारखण्ड	719	687	294	765	764	341
12.	कर्नाटक	509	401	33	595	567	48
13.	केरल	568	615	53	694	751	57
14.	मध्य प्रदेश	2998	2951	562	4243	4221	854
15.	महाराष्ट्र	1483	1433	182	2075	2076	225
16.	मणिपुर	31	5	0	22	7	0
17.	मेघालय	112	67	7	110	96	7
18.	मिजोरम	83	86	58	81	117	53
19.	नागालैंड	22	25	10	27	29	16
20.	ओडिशा	1023	834	146	1119	1100	183
21.	पंजाब	511	440	158	681	631	234
22.	राजस्थान	1519	967	221	1388	1387	296
23.	सिक्किम	18	19	5	19	19	5
24.	तमिलनाडु	596	515	91	776	776	111
25.	त्रिपुरा	190	169	24	336	169	24
26.	उत्तर प्रदेश	1759	1312	623	2918	2168	1187
27.	उत्तराखण्ड	111	98	49	138	146	83
28.	पश्चिम बंगाल	2336	1572	130	1748	1707	132
	कुल राज्य	**20874**	**17254**	**3498**	**25207**	**23315**	**5089**

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18	14	1	36	27	1
30.	चण्डीगढ़	29	17	16	38	25	26
31.	दादरा और नगर हवेली	4	4	1	5	5	1
32.	दमन और दीव	1	1	0	1	1	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	469	440	178	557	615	195
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	8	4	1	8	4
	संघ राज्यक्षेत्र का योग	**523**	**484**	**200**	**638**	**681**	**227**
	संपूर्ण भारत का योग	21397	17738	3698	25845	23996	5316

क्र.सं.	राज्य	2010					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.बी.
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1362	1210	141	1761	1674	173
2.	अरुणाचल प्रदेश	47	34	4	49	40	4
3.	असम	1721	1110	95	1029	1153	117
4.	बिहार	795	533	227	892	816	280
5.	छत्तीसगढ़	1012	942	204	1198	1203	270
6.	गोवा	36	44	5	50	62	7
7.	गुजरात	408	391	33	617	620	40
8.	हरियाणा	720	590	113	866	853	161
9.	हिमाचल प्रदेश	160	139	21	197	204	38
10.	जम्मू और कश्मीर	245	177	3	266	259	5
11.	झारखण्ड	773	705	171	836	911	194
12.	कर्नाटक	586	512	54	771	703	82

1	2	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	634	644	45	659	779	52
14.	मध्य प्रदेश	3135	3089	777	4387	4407	1230
15.	महाराष्ट्र	1599	1458	146	2180	2145	202
16.	मणिपुर	34	4	1	22	5	1
17.	मेघालय	149	80	4	135	73	4
18.	मिजोरम	92	94	84	112	125	123
19.	नागालैंड	16	13	14	17	19	12
20.	ओडिशा	1025	1126	132	1363	1369	188
21.	पंजाब	546	438	166	766	654	244
22.	राजस्थान	1571	972	202	1343	1355	298
23.	सिक्किम	18	31	2	21	30	1
24.	तमिलनाडु	686	487	105	777	682	136
25.	त्रिपुरा	238	185	28	320	226	32
26.	उत्तर प्रदेश	1563	1171	705	2580	1842	1304
27.	उत्तराखण्ड	121	104	58	171	159	86
28.	पश्चिम बंगाल	2311	1866	90	2395	2242	128
	कुल राज्य	**21603**	**18149**	**3630**	**26380**	**24610**	**5412**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24	20	0	39	28	0
30.	चण्डीगढ़	31	29	14	44	38	16
31.	दादरा और नगर हवेली	3	4	2	3	4	2
32.	दमन और दीव	1	1	0	1	1	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	507	449	141	602	532	201
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	2	1	5	2	1
	संघ राज्यक्षेत्र का योग	**569**	**505**	**158**	**694**	**605**	**220**
	संपूर्ण भारत का योग	22172	18654	3788	27074	25215	5632

क्र.सं.	राज्य	2011					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.बी.
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	1442	1216	111	1758	1783	157
2.	अरुणाचल प्रदेश	42	38	4	47	41	4
3.	असम	1700	1012	179	1470	1080	165
4.	बिहार	934	820	210	1185	1036	246
5.	छत्तीसगढ़	1053	1027	217	1257	1253	240
6.	गोवा	29	33	4	34	46	4
7.	गुजरात	439	409	31	621	616	46
8.	हरियाणा	733	532	135	801	820	175
9.	हिमाचल प्रदेश	168	143	29	187	183	46
10.	जम्मू और कश्मीर	277	231	14	349	346	18
11.	झारखण्ड	784	604	185	758	731	220
12.	कर्नाटक	636	533	74	837	812	84
13.	केरल	1132	706	31	1226	798	390
14.	मध्य प्रदेश	3406	3223	826	4593	4603	898
15.	महाराष्ट्र	1701	1565	205	2533	2422	268
16.	मणिपुर	53	5	1	24	5	2
17.	मेघालय	130	81	0	128	83	0
18.	मिजोरम	77	68	46	74	70	40
19.	नागालैंड	23	20	16	27	19	29
20.	ओडिशा	1112	1037	148	1224	1219	204
21.	पंजाब	479	426	155	598	571	208
22.	राजस्थान	1800	1119	205	1642	1634	358
23.	सिक्किम	18	12	11	25	12	11
24.	तमिलनाडु	677	478	72	837	611	110
25.	त्रिपुरा	205	238	24	258	248	28

1	2	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	2042	1580	816	3571	2398	1325
27.	उत्तराखण्ड	129	98	48	149	143	73
28.	पश्चिम बंगाल	2363	2004	79	1870	2104	121
	कुल राज्य	**23582**	**19258**	**3876**	**28083**	**25687**	**5470**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13	22	0	28	48	0
30.	चण्डीगढ़	27	21	9	27	31	10
31.	दादरा और नगर हवेली	4	3	0	4	3	0
32.	दमन और दीव	1	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	572	477	186	707	647	243
34.	लक्षद्वीप	0	0	1	0	0	1
35.	पुदुचेरी	7	4	0	29	20	0
	संघ राज्यक्षेत्र का योग	**624**	**527**	**196**	**795**	**749**	**254**
	संपूर्ण भारत का योग	24206	19785	4072	28878	26436	5724

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पण: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान पर सूचना के अंतर्गत वर्षों से लंबित मामलों पर सूचना है।

विवरण-II

लैंगिक उत्पीड़न के अधीन वर्ष 2009-11 के दौरान रजिस्ट्रीकृत मामले (सी.आर.), आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले (सी.एस.), सिद्धदोष मामले (सी.वी.), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप पत्र दाखिल किए गए व्यक्ति (पी.सी.एस.) और सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2009					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.बी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3520	3103	613	4178	3848	681
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	2	0	2	2	0
3.	असम	10	5	3	15	7	3
4.	बिहार	12	14	0	16	20	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	152	140	26	235	233	56
6.	गोवा	10	7	0	10	7	0
7.	गुजरात	114	107	14	188	190	22
8.	हरियाणा	605	583	358	717	717	396
9.	हिमाचल प्रदेश	37	37	1	40	51	1
10.	जम्मू और कश्मीर	371	365	99	612	511	114
11.	झारखण्ड	83	38	11	38	35	14
12.	कर्नाटक	84	30	1	40	39	1
13.	केरल	395	361	58	456	445	68
14.	मध्य प्रदेश	728	848	221	1047	1042	285
15.	महाराष्ट्र	1099	1021	22	1337	1275	23
16.	मणिपुर	2	0	0	1	0	0
17.	मेघालय	1	2	1	1	1	1
18.	मिजोरम	1	1	0	1	1	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	210	199	15	297	290	19
21.	पंजाब	33	34	13	50	40	18
22.	राजस्थान	24	21	9	24	24	16
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	501	519	296	508	651	371
25.	त्रिपुरा	5	5	0	10	6	0
26.	उत्तर प्रदेश	2524	2475	1838	3878	3807	2734
27.	उत्तराखण्ड	249	259	98	419	431	254
28.	पश्चिम बंगाल	108	91	24	120	102	26
	कुल राज्य	**10864**	**10265**	**3721**	**14200**	**13775**	**5103**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	4	0	8	4	0
30.	चण्डीगढ़	2	1	4	6	1	6
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमन और दीव	1	2	0	1	1	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	118	92	53	132	151	68
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	16	13	6	21	21	9
	संघ राज्यक्षेत्र का योग	**145**	**112**	**63**	**168**	**176**	**83**
	संपूर्ण भारत का योग	11009	10377	3784	14368	13953	5186

क्र.सं.	राज्य	2010					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.बी.
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4562	3332	731	3820	3965	861
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1	0	0
3.	असम	20	9	3	35	13	6
4.	बिहार	16	9	0	22	20	0
5.	छत्तीसगढ़	182	172	31	161	258	65
6.	गोवा	16	13	2	22	21	2
7.	गुजरात	110	98	9	131	134	13
8.	हरियाणा	580	526	334	635	628	408
9.	हिमाचल प्रदेश	78	51	1	73	65	1
10.	जम्मू और कश्मीर	262	234	100	295	295	139
11.	झारखण्ड	16	11	3	20	37	3
12.	कर्नाटक	83	16	0	22	21	0
13.	केरल	537	515	70	604	617	78
14.	मध्य प्रदेश	918	899	309	1182	1183	340
15.	महाराष्ट्र	1180	1063	34	1515	1441	42
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0

1	2	9	10	11	12	13	14
18.	मिजोरम	0	0	1	0	0	2
19.	नागालैंड	3	2	0	3	3	0
20.	ओडिशा	232	231	11	354	346	16
21.	पंजाब	38	27	13	42	36	17
22.	राजस्थान	23	17	9	22	22	11
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	638	624	417	739	752	353
25.	त्रिपुरा	9	4	0	9	7	0
26.	उत्तर प्रदेश	11	21	1951	15	36	3157
27.	उत्तराखण्ड	165	169	244	282	291	228
28.	पश्चिम बंगाल	163	127	37	165	140	44
	कुल राज्य	**9843**	**8170**	**4310**	**10269**	**10331**	**5786**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	7	0	14	11	0
30.	चण्डीगढ़	4	0	8	2	0	12
31.	दादरा और नगर हवेली	2	1	0	2	2	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	80	100	47	89	100	74
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	22	20	2	28	26	6
	संघ राज्यक्षेत्र का योग	**118**	**128**	**57**	**135**	**139**	**92**
	संपूर्ण भारत का योग	9961	8298	4367	10404	10470	5878

क्र.सं.	राज्य	2011					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.बी.
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	3658	3291	639	4122	4223	852
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	1	0

1	2	15	16	17	18	19	20
3.	असम	8	6	0	26	9	0
4.	बिहार	11	14	0	9	16	0
5.	छत्तीसगढ़	174	165	23	250	254	37
6.	गोवा	12	7	2	16	9	2
7.	गुजरात	93	81	9	168	164	9
8.	हरियाणा	490	455	382	564	555	429
9.	हिमाचल प्रदेश	62	52	2	56	59	1
10.	जम्मू और कश्मीर	350	337	94	458	458	117
11.	झारखण्ड	7	13	7	16	14	4
12.	कर्नाटक	81	47	2	44	47	3
13.	केरल	573	516	108	598	580	133
14.	मध्य प्रदेश	762	748	340	850	851	412
15.	महाराष्ट्र	1071	1013	38	1300	1321	47
16.	मणिपुर	0	1	0	1	1	0
17.	मेघालय	1	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	1	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	1	1	0	1	2
20.	ओडिशा	235	233	12	313	302	15
21.	पंजाब	31	23	11	34	32	15
22.	राजस्थान	9	7	7	13	13	7
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	464	343	170	490	457	186
25.	त्रिपुरा	9	6	0	9	9	0
26.	उत्तर प्रदेश	3	1	1642	3	1	2158
27.	उत्तराखण्ड	72	70	109	111	110	149
28.	पश्चिम बंगाल	200	147	41	225	175	43
	कुल राज्य	**8377**	**7578**	**3639**	**9676**	**9662**	**4621**

1	2	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	6	0	7	11	0
30.	चण्डीगढ़	12	10	0	11	12	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	1	1	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	162	140	33	165	156	43
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	16	11	4	20	12	4
	संघ राज्यक्षेत्र का योग	**193**	**168**	**37**	**204**	**192**	**47**
	संपूर्ण भारत का योग	8570	7746	3676	9880	9854	4668

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पण: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान पर सूचना के अंतर्गत वर्षों से लंबित मामलों पर सूचना है।

[हिन्दी]

एस.एस.ए. के अंतर्गत एन.जी.ओ. को निधि

595. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न एन.जी.ओ. को आबंटित निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे एन.जी.ओ. की निगरानी के लिए कौन-सा तंत्र विद्यमान है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान एन.जी.ओ. द्वारा अनियमितताओं, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की घटनाओं के मामले प्रकाश में आए हैं और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा ऐसे चूककर्ता एन.जी.ओ. के विरुद्ध क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता सर्व शिक्षा अभियान की राष्ट्रीय स्तर की सहायता अनुदान समिति द्वारा मंजूर की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को मॉनीटर करने के लिए, एक वर्ष पूरा होने पर, एक संयुक्त मूल्यांकन दल, जिसमें सहायता अनुदान समिति का एक सदस्य, राज्य परियोजना कार्यालय का एक प्रतिनिधि और मंत्रालय का एक प्रतिनिधि शामिल होता है, परियोजना का दौरा करते हैं और मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ही आगे निधियां जारी की जाती हैं।

(घ) और (ङ) संलग्न विवरण में दर्शाए गए गैर-सरकारी संगठनों के लिए जारी निधियों के बारे में केवल एक शिकायत मिली थी, जो पूछताछ करने पर निराधार पाई गई थी।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के तहत गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियां

क्र.सं.	स्वैच्छिक अभिकरण और राज्य का नाम	जारी की गई राशि
	2010-11	
1.	भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, नई दिल्ली (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड में परियोजनाओं के लिए)	92,27,249/-
2.	प्रथम, मुम्बई (बिहार परियोजना)	1,06,20,392/-
3.	निरंतर, नई दिल्ली (दिल्ली)	20,31,425/-
4.	कथा, नई दिल्ली (दिल्ली)	62,37,164/-
5.	सबरंग न्यास, मुम्बई (महाराष्ट्र)	58,72,500/-
	योग	**3,39,88,730/-**
	2011-12	
6.	भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, नई दिल्ली (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड में परियोजनाओं के लिए)	76,40,705/- 76,40,705/-
7.	कथा, नई दिल्ली (दिल्ली)	1,45,50,200/-
8.	निरंतर, नई दिल्ली (दिल्ली)	15,00,000/-
9.	देशकाल सोसाइटी, दिल्ली (बिहार)	15,89,925/-
	योग	**2,52,80,830/-**
	2012-13	
10.	देशकाल सोसाइटी, नई दिल्ली (बिहार परियोजना)	12,62,898/-
11.	सबरंग न्यास, मुम्बई (महाराष्ट्र)	26,66,570/-
	योग	**39,29,468/-**
	2013-14	
	(02.08.2013 तक)	
12.	भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, नई दिल्ली (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड में परियोजनाओं के लिए)	22,92,891/-
13.	सबरंग न्यास, मुम्बई (महाराष्ट्र)	54,20,848/-
14.	कथा, नई दिल्ली (दिल्ली)	2,95,115/-
15.	निरंतर न्यास, नई दिल्ली (दिल्ली)	16,21,643/-
	योग	96,30,497/-

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा

596. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**

श्री गजानन ध. बाबर:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार कंपनियों को आसान बैंक वित्त पोषण एवं विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने में समस्याएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) दूरसंचार कंपनियों ने 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के दौरान विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ई.सी.बी.) संबंधी दिशा-निर्देशों में ढील देने के लिए अभ्यावेदन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2जी स्पेक्ट्रम की पुन: नीलामी के सफल बोलीदाताओं के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण संबंधी शर्तों में पहले ही छूट प्रदान कर दी है।

(ग) और (घ) सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2013 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची को अद्यतन किया है और अन्य बातों के साथ-साथ "दूरसंचार एवं दूरसंचार सेवाओं" को इस सूची में शामिल किया है। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों द्वारा अवसंरचना ऋण के लिए उप-क्षेत्रों की सूची को अद्यतन करते हुए तथा अखिल भारतीय आवधिक ऋण एवं पुन: वित्तपोषणकर्ता संस्थानों का चयन करते हुए दिनांक 28 जून, 2013 को अधिसूचना जारी की है।

एकल राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी

597. **श्री आनंदराव अडसुल:**

श्री एंटी एंटोनी:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) सहित अवर स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को मानकीकृत करने के लिए एकल राष्ट्रीय टेस्टिंग तंत्र गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में संकल्पना पत्र तैयार किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष उद्देश्य वाहन या राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए कृतक बल गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी गठित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। राष्ट्रीय टेस्टिंग योजना पर संकल्पना पत्र तैयार कर लिया गया है और इसे http://mhrd.gov.in/sites/uploadfiles/mhrd/files/ADDL61CABEAgenda 0.pdf पर देखा जा सकता है। संकल्पना पत्र में परीक्षा आयोजित करने के अधिदेश सहित राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी स्थापित करने पर विचार का उल्लेख किया गया है जिससे बहुविध संस्थाओं द्वारा बहुविध परीक्षाओं की वर्तमान प्रणाली को जारी रखा जा सके। राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य टेस्टिंग योजना के महत्वपूर्ण कारक होंगे-विद्यार्थियों को सुधार करने के अवसर प्रदान करना, इसकी प्रवेश प्रणाली की संरचना में संस्थाओं को लचीलापन प्रदान करना, इसे इस ढंग से संरचित करना जिससे यह पारदर्शी, न्यायोचित, तर्कसंगत और विश्वसनीय प्रतीत हो, योग्यता को दर्शाने के लिए इसके सामर्थ्य पर समझौता किए बिना माध्यमिक स्तर पर अध्ययन परिणामों में विविधता लाई जाए, इस रूप में सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों में अंतर कर इस प्रकार विवरण रखा जाए जिससे यह विभिन्न राज्यों के बीच वर्गीकरण में विविधता के लिए सकारात्मक और स्पष्टता के लिए उत्तरदायी हो।

(ग) से (ङ) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोफेसर संजय धाड़े, पूर्व निदेशक, आई.आई.टी.-कानपुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टेस्टिंग योजना पर एक कृतिक बल गठित किया है,

जिससे राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी बनाने के लिए खाका तैयार किया जा सके, संयुक्त प्रवेश परीक्षा सहित सभी मुख्य परीक्षाओं को मानकीकृत बनाने के लिए पैरामीटर सुझाएं जा सकें और अंतरराष्ट्रीय बैचमार्क टेस्टिंग और मूल्यांकन संगठन स्थापित करने के सभी माध्यम सुझाए जा सकें। कृतिक बल गठित करने के आदेश की प्रति http:/ /mhrd.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/TFNTS 2013 0.pdf पर देखी जा सकती है। कृतिका बल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रोमिंग प्रशुल्क

598. **श्री दत्ता मेघे:**

श्री नामा नागेश्वर राव:

श्री भूपेन्द्र सिंह:

श्री पी.के. बिजू:

श्री ए. सम्पत:

श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने हाल में राष्ट्रीय रोमिंग प्रशुल्क के लिए कालिंग लेवल कम किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रशुल्क में कितने प्रतिशत कमी हुई है;

(ग) देश में एस.टी.डी. एवं स्थानीय मोबाइल प्रशुल्क की वर्तमान दरें कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय रोमिंग को नि:शुल्क करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसे अब तक लागू नहीं करने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टी.टी.ओ.), 1999 दिनांक 17.06.2013 के 55 वें संशोधन की मार्फत राष्ट्रीय रोमिंग प्रशुल्क हेतु ऊपरी सीमा को कम किया है। यह आदेश दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी हुआ है। ऊपरी प्रशुल्क में की गई कमी को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

मद	हाल ही के संशोधन से पूर्व प्रशुल्कों की ऊपरी सीमा	दिनांक 01.07.2013 से लागू ऊपरी सीमा	प्रशुल्क की ऊपरी सीमा में कमी
बाह्य लोकल वॉयस कॉल हेतु प्रभार	1.40 रुपये प्रति मिनट	1.00 रुपये प्रति मिनट	29%
बाह्य लंबी दूरी (अंतर सर्किल) वॉयस कॉल हेतु प्रभार	2.40 रुपये प्रति मिनट	1.50 रुपये प्रति मिनट	38%
इनकमिंग वॉयस कॉल हेतु प्रभार	1.75 रुपये प्रति मिनट	0.75 रुपये प्रति मिनट	57%
बाह्य स्थानीय एस.एम.एस. हेतु प्रभार	इन्हें स्थगित रखा गया है	1.00 रुपये प्रति मिनट	-
बाह्य लंबी दूरी (अंतर सर्किल) एस.एम.एस. हेतु प्रभार		1.50 रुपये प्रति मिनट	-

(ग) प्रचलनरत मौजूदा प्रशुल्क पद्धति के अनुसार रोमिंग सेवाओं को छोड़कर मोबाइल सेवाओं हेतु प्रशुल्क को स्थगित रखा गया है। प्रचालकों के पास बाजार परिस्थितियों और अन्य वाणिज्यिक मुद्दों के आधार पर विभिन्न ग्राहक प्रयोक्ता समूहों के लिए निर्धारित विभिन्न प्रशुल्क पैकेज प्रस्तावित करने का विकल्प है बशर्ते वे प्रशुल्क भेदभाव रहित, नॉन-प्रीडेशन आदि के विनियामक सिद्धांतों के अनुरूप हो। मोबाइल सेवाओं हेतु प्रशुल्क को विभिन्न घटकों वाले समूह के रूप में प्रस्तावित किया जाता है और इसलिए देश में लागू एस.टी.डी. और स्थानीय मोबाइल दरों का विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) "एक राष्ट्र-फ्री रोमिंग" के लिए कार्य करना राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

599. **श्री अमरनाथ प्रधान:**

श्री रुद्रमाधव राय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा विद्यालय इस स्कीम के प्रारंभ से अब तक राज्य-वार खोले गए हैं;

(ख) क्या ऐसे स्कूलों को 5 कि.मी. की परिधि के भीतर खोलना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान राज्य-वार कितने अनुरोध मिले हैं एवं उक्त अवधि के दौरान भवनों और ऐसे संस्थानों को शुरू करने हेतु राज्य-वार कितनी राशि आवंटित/जारी की गयी; और

(घ) उक्त राशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) योजना के आरंभ से अब तक आर.एम.एस.ए. के तहत अनुमोदित कुल 9636 नए/क्रमोन्नत माध्यमिक स्कूलों में से आज की तारीख तक कुल 8409 स्कूलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। राज्य-वार अनुमोदित और कार्यरत स्कूलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। यह अनिवार्य नहीं है। आर.एम.एस.ए. का वर्तमान उद्देश्य किसी बस्ती से उचित दूरी आदर्शत: 05 कि.मी. से कम दूरी पर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना है।

(ग) और (घ) राज्य-वार प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है और राज्य-वार जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण-I

31 मार्च, 2013 के अनुसार आर.एम.एस.ए. के तहत कार्यरत स्कूल

अनुमोदित एवं कार्यरत स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12			
		वर्ष 2009-10 के दौरान अनुमोदित नए स्कूलों की संख्या	वर्ष 2009-10 में अनुमोदित स्कूलों में से कार्यरत हुए नए स्कूलों की संख्या	वर्ष 2010-11 के दौरान अनुमोदित नए स्कूलों की संख्या	वर्ष 2010-11 में अनुमोदित स्कूलों में से कार्यरत हुए नए स्कूलों की संख्या	वर्ष 2011-12 के दौरान अनुमोदित नए स्कूलों की संख्या	वर्ष 2011-12 में अनुमोदित स्कूलों में से कार्यरत हुए नए स्कूलों की संख्या	अनुमोदित स्कूलों की कुल संख्या	प्रगति (कार्यरत हुए स्कूलों की कुल संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	102	88	102	88
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	11	11	22	9	33	20
4.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	350	325	447	0	169	0	966	325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	चंडीगढ़	0	0	4	0	0	0	4	0
7.	छत्तीसगढ़	218	218	500	496	623	623	1341	1337
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	2	2	1	0	3	2
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	72	72	256	254	328	326
13.	हरियाणा	0	0	32	9	5	0	37	9
14.	हिमाचल प्रदेश	69	69	45	31	22	0	136	100
15.	जम्मू और कश्मीर	69	69	182	181	279	0	530	250
16.	झारखण्ड	300	245	297	222	297	190	894	657
17.	कर्नाटक	80	80	225	225	0	0	305	305
18.	केरल	60	58	36	1	16	1	112	60
19.	लक्षद्वीप	4	0	0	0	0	0	4	0
20.	मध्य प्रदेश	341	341	0	0	603	603	944	944
21.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	मणिपुर	44	44	23	23	49	0	116	67
23.	मेघालय	0	0	25	0	0	0	25	0
24.	मिजोरम	23	23	32	32	26	26	81	81
25.	नागालैंड	35	16	67	21	45	3	147	40
26.	ओडिशा	300	300	400	400	9	9	709	709
27.	पुदुचेरी	0	0	9	9	2	2	11	11
28.	पंजाब	70	70	79	79	73	73	222	222
29.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	200	200	344	344	710	710	1254	1254
32.	त्रिपुरा	0	0	42	42	41	41	83	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	उत्तराखंड	23	23	58	58	147	147	228	228
34.	उत्तर प्रदेश	254	254	318	318	449	449	1021	1021
35.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2440	2335	3250	2576	3946	3228	9636	8139

स्रोत: राज्य सरकार के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार

विवरण-II

01 अगस्त, 2013 के अनुसार प्रस्तावित राज्य-वार नए माध्यमिक विद्यालय

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए स्कूलों की संख्या	वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए स्कूलों की संख्या	वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए स्कूलों की संख्या	वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए स्कूलों की संख्या	वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	0	205	137	0	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	14	60	0	10
4.	असम	0	0	0	0	0
5.	बिहार	1898	657	210	0	ए.डब्ल्यू.पी. एंड बी. अभी प्राप्त नहीं हुई है
6.	चंडीगढ़	0	4	3	0	0
7.	छत्तीसगढ़	218	1175	1145	0	81
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	2
9.	दमन और दीव	0	5	2	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	205	131	507	0	295

1	2	3	4	5	6	7
13.	हरियाणा	131	168	5	0	21
14.	हिमाचल प्रदेश	104	45	26	0	25
15.	जम्मू और कश्मीर	69	259	371	4	412
16.	झारखण्ड	468	300	300	0	ए.डब्ल्यू.पी. एंड बी. अभी प्राप्त नहीं हुई है
17.	कर्नाटक	558	419	0	146	212
18.	केरल	60	211	21	0	30
19.	लक्षद्वीप	4	4	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1400	0	605	1000	1039
21.	महाराष्ट्र	0	0	1911	0	0
22.	मणिपुर	68	23	91	0	14
23.	मेघालय	0	190	25	0	9
24.	मिजोरम	23	32	36	0	23
25.	नागालैंड	70	102	67	26	22
26.	ओडिशा	1087	800	42	0	70
27.	पुदुचेरी	0	12	4	0	0
28.	पंजाब	131	79	162	0	118
29.	राजस्थान	0	0	0	0	226
30.	सिक्किम	17	0	9	0	22
31.	तमिलनाडु	1944	968	710	0	0
32.	त्रिपुरा	55	42	46	0	29
33.	उत्तराखंड	34	63	156	0	79
34.	उत्तर प्रदेश	825	1499	761	0	ए.डब्ल्यू.पी. एंड बी. अभी प्राप्त नहीं हुई है
35.	पश्चिम बंगाल	38	0	1006	0	ए.डब्ल्यू.पी. एंड बी. अभी प्राप्त नहीं हुई है
	कुल	9399	7407	8418	1176	2748

टिप्पणी: वर्ष 2013-14 का 4 राज्यों अर्थात् बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आर.एम.एस.ए. ए.डब्ल्यू.पी. एंड बी प्रतीक्षित है।

विवरण-III

वर्ष 2009-10 से 2013-14 (आज की तारीख तक) के दौरान आर.एम.एस.ए. के तहत जारी किया गया गैर-आवर्ती अनुदान

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.09	0	0	0.09
2.	आन्ध्र प्रदेश	0	257.00	185.5	302.24	0	744.74
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	25.95	17.31	22.46	0	65.72
4.	असम	1.64	0	54.41	109.47	70.62	236.14
5.	बिहार	13	64.42	0	124.72	60	262.14
6.	चंडीगढ़	0	0	1.54	0	0	1.54
7.	छत्तीसगढ़	48.23	0	282.83	293.72	142.47	767.25
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1.01	0	0	1.01
9.	दमन और दीव	0	0	I.I	0	0	1.1
10.	दिल्ली	0	0.38	0	0	0	0.38
11.	गोवा	0.21	0.21	2.31	0	0	2.73
12.	गुजरात	0	9.82	0	69.64	0	79.46
13.	हरियाणा	0	0	141.1	94.08	0	235.18
14.	हिमाचल प्रदेश	0	25.04	36.65	0	185.57	247.26
15.	जम्मू और कश्मीर	6.34	18.31	70.86	84.32	40	219.83
16.	झारखण्ड	6.28	63.45	0	0	0	69.73
17.	कर्नाटक	65.91	0	0	0	0	65.91
18.	केरल	6.63	9.29	0	0	0	15.92
19.	लक्षद्वीप	1.08	0	0	0	0	1.08
20.	मध्य प्रदेश	86.7	158.09	134.57	351	359.95	1090.31
21.	महाराष्ट्र	0	0.68	52.95	0	0	53.63
22.	मणिपुर	17.24	24.13	22.53	30.56	18.61	113.07

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	मेघालय	1.03	0	10.81	0	0	11.84
24.	मिजोरम	15.79	17.61	18.8	42.82	8.65	103.67
25.	नागालैंड	10.72	5.24	15	0	0	30.96
26.	ओडिशा	0	66.36	66.37	185.11	240.23	558.07
27.	पुदुचेरी	1.34	1.87	0	0	0	3.21
28.	पंजाब	15.48	178.26	50	198.75	0	442.49
29.	राजस्थान	0	0	94.51	0	267.14	361.65
30.	सिक्किम	2.06	3.23	6.13	0	0	11.42
31.	तमिलनाडु	44.24	44.24	23.91	95	0	207.39
32.	त्रिपुरा	8.56	22.85	0	56.65	0	88.06
33.	उत्तराखंड	0	67.75	0	46.33	0	114.08
34.	उत्तर प्रदेश	28.05	39.33	146.09	191.67	0	405.14
35.	पश्चिम बंगाल	9.42	0	0	0	0	9.42
	कुल	389.95	1103.51	1436.38	2298.54	1393.24	6621.62

मेट्रो-स्टेशनों पर आत्महत्या

600. **श्री ई.जी. सुगावनम**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) हाल में आत्महत्या की अनेक घटनाओं का गवाह रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.एम.आर.सी. ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डी.एम.-आर.सी.) ने सूचित किया है कि जुलाई 2012 से जून, 2013 की अवधि के बीच आत्महत्या के 14 मामले पाए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। डी.एम.आर.सी. ने आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- सुरक्षा नियंत्रक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.-एस.एफ.) और स्टेशन नियंत्रक को परेशान और उदास ऐसे व्यक्ति जो आत्महत्या कर सकते हैं, की पहचान करने के लिए सी.सी.टी.वी. पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है।
- यात्रियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रियों को घुसने से रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं।
- स्टॉफ द्वारा नियमित उदघोषणा एवं अनियमित जांच के माध्यम से यात्रियों को पीली रेखा से पीछे रहने का सुझाव दिया जाता है।
- ट्रेन चालकों को प्लेटफार्म पर पहुंचते समय अधिक सतर्क रहने और आत्महत्या का प्रयास करते हुए देखने पर आपात ब्रेक लगाने के लिए कहा गया है।
- किसी यात्री को नीचे सड़क पर कूदने से रोकने के लिए कई स्टेशनों पर प्लेटफार्म बाउंड्री पर हैंडरेलिंग को ऊंचा किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जन-शिक्षण संस्थान

601. **श्रीमती ऊषा वर्मा:**

श्रीमती सीमा उपाध्याय:

श्री हर्ष वर्धन:

श्री महेश्वर हजारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में कार्यरत जन-शिक्षण संस्थानों का वर्ष 2009 के बाद कोई पुनर्मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या जन-शिक्षण संस्थान की स्थापना संबंधी नीति में वर्ष 2009 के बाद परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 2009 में इसके लागू होने के समय से, प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता की योजना जिससे जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना अभिशासित होती है, में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डिग्री प्रदान करने में विलंब

602. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने में दिल्ली विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अभी भी पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को डिग्रियां समय पर जारी करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है तथा इसे दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 एवं उसके अंतर्गत बनाई गई संविधियों एवं अध्यादेशों द्वारा अभिशासित किया जाता है। विश्वविद्यालय के सांविधिक निकाय परीक्षाओं के आयोजन, परिणामों की घोषणा और डिग्रियां प्रदान करने सहित सभी अकादमिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। विश्वविद्यालय ने मंत्रालय को सूचित किया है कि अकादमिक वर्ष 2009-10 तक की डिग्रियों को उनके संबंधित कॉलेजों संस्थाओं में पहले ही प्रेषित कर दिया गया है। दिनांक 24.3.2011 एवं 19.3.2012 को आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह के बाद, विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2010-11 एवं 2011-12 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की डिग्रियों को तैयार करने तथा प्रेषित करने की प्रक्रिया जारी है। विलंब से बचने के लिए, विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को समय से डिग्रियां प्रदान करने के लिए इन्हें तैयार करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

कृषि-आधारित उद्योग

603. **श्रीमती कमला देवी पटले:**

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश में राज्य-वार कितने कृषि-आधारित उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ख) देश के आर्थिक विकास में लघु और कुटीर उद्योगों का क्या योगदान है;

(ग) क्या सरकार ने देश में आय और रोजगार सृजन के संबंध में कुटीर उद्योगों की क्षमता/योगदान से संबंधित कोई अध्ययन/आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिहार सहित विभिन्न राज्यों में अभी भी कृषि-आधारित उद्योंगों के विकास की असीम संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में स्थापित कृषि आधारित उद्योगों की राज्यवार संख्या केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद और कुल औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) का योगदान क्रमश: 8.72 प्रतिशत और 44.86 प्रतिशत था।

(ग) सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से देश में आय और रोजगार सृजन में कुटीर उद्योगों की क्षमता/योगदान के संबंध में कोई अध्ययन/आकलन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) मंत्रालय में वर्ष 2008-09 से देश भर में के.वी.आई.सी. के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है ताकि पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवकों को संगठित करके गैर कृषि क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। इस कार्यक्रम के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अनूसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि के लाभार्थियों जैसे विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। पी.एम.ई.जी.पी. के तहत इसके आरंभ से लेकर 2012-13 तक कृषि आधारित उद्योगों सहित कुल 2.21 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 4147.95 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी की सहायता दी गई है जिससे अनुमानत: 20.34 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। पी.एम.ई.जी.पी. के तहत इसके आरंभ से लेकर (2011-12 तक) सहायता दी गई कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पी.एम.ई.जी.पी. के आरंभ से लेकर 2011-12 तक इसके तहत सहायता प्रदान की गई कृषि आधारित और खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	820
2.	हिमाचल प्रदेश	245
3.	पंजाब	434
4.	चंडीगढ़	4
5.	उत्तराखंड	692
6.	हरियाणा	327
7.	दिल्ली	25
8.	राजस्थान	920
9.	उत्तर प्रदेश	6445
10.	बिहार	5402
11.	सिक्किम	43
12.	अरुणाचल प्रदेश	174
13.	नागालैंड	89
14.	मणिपुर	123
15.	मिजोरम	79
16.	त्रिपुरा	482
17.	मेघालय	257
18.	असम	2429
19.	पश्चिम बंगाल	4289
20.	झारखंड	964
21.	ओडिशा	1871
22.	छत्तीसगढ़	499

1	2	3
23.	मध्य प्रदेश	1246
24.	गुजरात*	535
25.	महाराष्ट्र**	2539
26.	आन्ध्र प्रदेश	1139
27.	कर्नाटक	1234
28.	गोवा	38
29.	लक्षद्वीप	9
30.	केरल	803
31.	तमिलनाडु	1945
32.	पुदुचेरी	21
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42
	कुल	36164

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

[अनुवाद]

मतदान-पूर्व और मतदान-पश्चात् सर्वेक्षण पर प्रतिबंध

604. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग का आगामी लोक सभा चुनावों के पूर्व मतदान-पूर्व और मतदान-पश्चात् चुनाव सर्वेक्षण पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों और इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों से परामर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 126क एक्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन और प्रसार पर निर्बधन के लिए उपबंध करती है। जहां तक मतदान पूर्व निर्वाचन सर्वेक्षण का संबंध है, निर्वाचनों के दौरान ओपीनियन पोल के प्रकाशन को निर्बधित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के लंबित विधेयक

605. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण**:

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा पारित अनेक विधेयक केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन लंबित विधेयकों को अंतिम रूप देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के साथ पठित अनुच्छेद 200 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचार और अनुमति के लिए प्राप्त विधेयकों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये विधेयक संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग को उनकी टीका-टिप्पणियों के लिए निर्दिष्ट कर दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके राज्य विधान की निम्नलिखित दृष्टिकोण से समीक्षा की जाती है, अर्थात्:

(i) केन्द्रीय विधियों के साथ प्रतिकूलता,

(ii) राष्ट्रीय या केन्द्रीय नीति से विचलन; और

(iii) विधिक और संवैधानिक विधिमान्यता।

जब कभी आवश्यक हो तो राज्य सरकारें उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधान/विधेयकों के उपबंधों को उपांतरित/संशोधित करने की सिफारिश करती हैं। शीघ्रातिशीघ्र किसी विनिश्चय पर पहुंचने की दृष्टि से कभी-कभी राज्य सरकारें और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ भी विचार-विमर्श किए जाते हैं। इसलिए उसे अंतिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	विषय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2010
2.	आंध्र प्रदेश	ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010
3.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश अपराधियों की सामुदायिक सेवा विधेयक, 2010
4.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश साहूकार विधेयक, 2010
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश महिला स्वयंसहायता समूह (कृषि भूमि का पट्टा) विधेयक, 2010
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश किराया नियंत्रण विधेयक, 2010
7.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) ईनाम (रव्यतबाड़ी में उत्पादन और संपरिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2012
8.	असम	असम उपदान (संशोधन) विधेयक, 2009
9.	असम	पूर्वलक्षी प्रभाव के साथ राष्ट्रपति की पूर्वपद तथ्य के लिए असम ग्रामीण स्वास्थ्य विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2004
10.	असम	असम शिरा नियंत्रण विधेयक, 2011
11.	असम	रजिस्ट्रीकरण (असम संशोधन) विधेयक, 2013
12.	बिहार	बिहार गन्ना (प्रदाय और क्रय का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007
13.	बिहार	दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 2011
14.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ जमाकर्ताओं के ब्याज का संरक्षण विधेयक, 2005
15.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र (संशोधन) विधेयक, 2006
16.	गुजरात	गुजरात शिक्षण संस्थान सेवा अधिकरण विधेयक, 2006
17.	गुजरात	गुजरात टेननसी और कृषि भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 2011
18.	गुजरात	गुजरात सहकारी सोसाइटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2013
19.	हरियाणा	हरियाणा पब्लिक परिसर और भूमि (निष्कासन और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2006
20.	हरियाणा	हरियाणा श्री दुर्गा माता श्राइन विधेयक, 2012
21.	हिमाचल प्रदेश	भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश अभिभावक और आश्रित भरण-पोषण (संशोधन) विधेयक, 2010
23.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन पर कराधान) विधेयक, 2011
24.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण) विधेयक, 2011
25.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012
26.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश भूमि धारण पर सीमा (संशोधन) विधेयक, 2012
27.	झारखंड	दंड प्रक्रिया संहिता (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2011

1	2	3
28.	झारखंड	झारखंड विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विधेयक, 2011
29.	झारखंड	झारखंड निक्षेपकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय स्थापनों में) विधेयक, 2011
30.	कर्नाटक	भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2009
31.	कर्नाटक	कर्नाटक मद्यतस्कर, औषध अपराधी जुआरी, गुंडा, अनैतिक व्यापार अपराधी और स्लम-अतिचारियों की खतरनाक क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009
32.	कर्नाटक	कर्नाटक पशु वध और परिक्षण विधेयक, 2010
33.	कर्नाटक	कर्नाटक अत्यावश्यक सेवगड़ा निरवाहना विधेयक, (कर्नाटक आवश्यक सेवा अनुरक्षण) विधेयक, 2009
34.	कर्नाटक	कारखाना (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2011
35.	कर्नाटक	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2005
36.	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य नवीनात्मक विश्व-विद्यालागाला विधेयक, 2011 (कर्नाटक राज्य नवाचार विश्वविद्यालय) विधेयक, 2011
37.	कर्नाटक	कर्नाटक समुद्री बोर्ड विधेयक, 2011
38.	कर्नाटक	कर्नाटक भूमि अतिचार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011
39.	कर्नाटक	कर्नाटक अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य सेवा प्रशिक्षण संपूरित चिकित्सीय पाठ्यक्रम विधेयक, 2012 (कर्नाटक वैद्यकिया कोर्सगलानू पुर्णागोलुसिदा अभ्यर्थिगाला काडया सेवा ताराबेटी विधेयका, 2012)
40.	कर्नाटक	विद्युत (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2013
41.	केरल	पलाचिमादा कोकोकोला पीड़ित अनुतोष और प्रतिकर दावा विशेष अधिकरण विधेयक, 2011
42.	केरल	राष्ट्रीय मंडल न्यास कोजिकोडे (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) विधेयक, 2012
43.	केरल	रजिस्ट्रीकरण (केरल संशोधन) विधेयक, 2009
44.	केरल	केरल वित्तीय स्थापनों निक्षेपकर्ताओं के हित संरक्षण विधेयक, 2012
45.	केरल	भारतीय भागीदारी (केरल संशोधन) विधेयक, 2012
46.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्टांप विधेयक, 2009
47.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्चछेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010
48.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश कपास बीज (पूर्ति वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010
49.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011
50.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1995
51.	महाराष्ट्र	दंड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006
52.	महाराष्ट्र	अनाथआलय और अन्य पूर्तगृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) निशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) और भवन तथा अन्य संनिमार्ग कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2009
53.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र धन उधार देना (विनियम) विधेयक, 2010

1	2	3
54.	महाराष्ट्र	बंबई प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2009
55.	महाराष्ट्र	मोटर यान (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010
56.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र शैक्षिक संस्थाएं (फीस विनियमन) विधेयक, 2011
57.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सहकारी समिति (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2010
58.	महाराष्ट्र	बंबई अभिघृति और कृषि भूमि, हैदराबाद अभिघृति और कृषि भूमि और बंबई अभिघृति और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (संशोधन) विधेयक, 2012
59.	महाराष्ट्र	बंबई दुकान और स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2011
60.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना (संशोधन) विधेयक, 2011
61.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र भू-जल (विकास और प्रबंध) विधेयक, 2009
62.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र आवास (विनियमन और विकास) विधेयक, 2012
63.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद विधेयक, 2012
64.	महाराष्ट्र	बंबई अभिघृति और कृषि भूमि, हैदराबाद अभिघृति और कृषि भूमि और बंबई अभिघृति और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (संशोधन) विधेयक, 2012
65.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012
66.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नगर निगम और नगर पालिका परषिद (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012
67.	मणिपुर	मणिपुर अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रिकरण विधेयक, 2008
68.	मणिपुर	मणिपुर लोक आयुक्त विधेयक, 2011
69.	मणिपुर	मणिपुर निक्षेपकर्ता संरक्षण (वित्तीय स्थापनों में) विधेयक, 2012
70.	ओडिशा	उड़िसा निक्षेपकर्ता संरक्षण (वित्तीय स्थापनों में) विधेयक, 2011
71.	ओडिशा	ओडिशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाणपत्र (जारी करना और सत्यपान विनियम), 2011
72.	ओडिशा	ओड़िशा समुद्री बोर्ड विधेयक, 2011
73.	ओडिशा	ओड़िशा भू-जल (विनियमन विकास और प्रबंध) विधेयक, 2011
74.	पंजाब	दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2008
75.	पंजाब	भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2008
76.	पंजाब	पंजाब भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010
77.	पंजाब	कारागार (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2011
78.	पंजाब	दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2010
79.	पंजाब	भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2010
80.	पंजाब	पंजाब सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013
81.	राजस्थान	राजस्थान धर्म स्वतंत्रा विधेयक, 2008
82.	सिक्किम	सिक्किम स्थानीय नियोजन संर्वधन विधेयक, 2008
83.	सिक्किम	सिक्किम (पारिस्थितिकीय कार्य वन रक्षक गठन) विधेयक, 2008
84.	सिक्किम	सिक्किम रोलेप-जल विद्युत शक्ति परियोजना (भूमि का अंतरण और उसे निहित करना) विधेयक, 2012-13

1	2	3
85.	सिक्किम	सिक्किम लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012
86.	तमिलनाडु	भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2006
87.	तमिलनाडु	तमिलनाडु व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश और फीस अवधारणा विनियमन) विधेयक, 2006
88.	तमिलनाडु	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) तमिलनाडु संशोधन विधेयक, 2008
89.	तमिलनाडु	तमिलनाडु कारबार सुविधा विधेयक, 2009
90.	तमिलनाडु	तमिलनाडु प्राइवेट वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011
91.	तमिलनाडु	भारतीय स्टांप (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2012
92.	तमिलनाडु	भारतीय स्टांप (तमिलनाडु दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012
93.	तमिलनाडु	भारतीय स्टांप (तमिलनाडु तीसरा संशोधन) विधेयक, 2012
94.	तमिलनाडु	अन्नामलाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012
95.	तमिलनाडु	अन्नामलाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2012
96.	तमिलनाडु	भारतीय भागीदारी (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2013
97.	तमिलनाडु	औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2013
98.	तमिलनाडु	तमिलनाडु स्टांप विधेयक, 2013
99.	त्रिपुरा	त्रिपुरा निजी यान अपेक्षा और नियंत्रक विधेयक, 2011
100.	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2008
101.	उत्तराखंड	राजस्व वसूली (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2006
102.	उत्तराखंड	भारतीय स्टांप (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2011
103.	उत्तराखंड	भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2011
104.	उत्तराखंड	उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, 2011
105.	उत्तराखंड	मजदूरी संदाय (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2012
106.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था प्राधिकरण विधेयक, 2011
107.	उत्तर प्रदेश	दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011
108.	उत्तर प्रदेश	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011
109.	पश्चिम बंगाल	पश्चिमी बंगाल दरिद्र बांधव भंडार (प्रबंध ग्रहण और पश्चात्वती अर्जन) विधेयक, 2009
110.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल ग्रामीण स्वास्थ्य विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2009
111.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और औषधालय विधेयक, 2010
112.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्थाओं में निक्षेपकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2013

[अनुवाद]

आवास क्षेत्र को अवसंरचनात्मक दर्जा

606. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी**: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवास क्षेत्र को अवसंरचनात्मक दर्जा देने की दीर्घकाल से लंबित मांग पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) से (ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने किफायती आवास क्षेत्र को "अवसंरचना का दर्जा" देने पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित "अवसंरचना के उप क्षेत्रों की सुव्यवस्थित मास्टर सूची के अंतर्गत संस्थागत तंत्र (आई.एम.)" पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना

607. **श्री नरहरि महतो**:

श्री मनोहर तिरकी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आर.जी.यू.एम.वाई.) को पूरे देश में लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार, विशेषकर गुजरात में इस योजना के दौरान उद्यमियों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आर.जी.यू.एम.वाई. के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या आर.जी.यू.एम.वाई. के अन्तर्गत उद्यमियों को बाजार-संपर्क बनाने के लिए भी कोई सहायता प्रदान की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) देश में उद्यमिता विकास में इस योजना को कितनी सफलता मिली है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) 2008 में आरंभ हुई राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना का उद्देश्य प्रथम पीढ़ी के सक्षम उद्यमियों की सहायता व सहयोग के लिए चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों अर्थात् उद्यमी मित्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब तक 28 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 650 उद्यमी मित्रों को पैनलबद्ध किया गया है। उद्यमी मित्रों ने अभी तक सहायता प्रदान करने के लिए 35154 लाभार्थियों का पंजीकरण किया है। उद्यमी हैल्पलाइन (एम.एस.एम.ई. के लिए नि:शुल्क कॉल सेंटर-नं. 1800-180-6763) के माध्यम से प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों और अन्य मौजूदा उद्यमियों को सहयोग, मार्गदर्शन और सहायता भी दिए जाते हैं ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं, उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए अपेक्षित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के संबंध में मार्गदर्शन किया जा सके और बैंक ऋण प्राप्त करने आदि में सहायता की जा सके। मंत्रालय राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के तहत उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय द्वारा उद्यमी मित्र के रूप में सूचीबद्ध संगठन प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को हरसंभव सहायता प्रदान करते हैं और इसके बदले में उन्हें इस योजना के तहत सहायता शुल्क प्रदान किया जाता है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) योजना के मार्गनिर्देशों में परिभाषित भूमिकाओं और दायित्वों के अनुसार चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों अर्थात् उद्यमी मित्रों से यह आशा की जाती है कि वे कच्चे माल आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ संपर्क बनाने, उत्पाद/सेवा के लिए विपणन कार्यनीति बनाने और कार्यान्वित करने और बाजार विकास जैसी सेवाओं के लिए सहायता और हैंडहोल्डिंग सहयोग प्रदान करें।

(च) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1569 मामलों में उद्यमी मित्रों ने विपणन संपर्क स्थापित कराए हैं।

(छ) योजना का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराया गया है और अध्ययन में योजना को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी व उपयोगी बनाने और 12वीं योजना में इसे जारी रखने के लिए मौजूदा योजना में कई संशोधन करने के सुझाव दिए गये हैं। मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष और क्षेत्र के अनुभव के आधार पर उपयुक्त संशोधनों के साथ योजना को 12वीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के तहत सृजित दावों और निपटान किए गए दावों की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति

राज्य	सृजित दावे				निपटाए किए गए दावे			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 2/8/2013 तक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 2/8/2013 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	322300	364100	1500	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	80500	0	0	0	0	0	0	0
असम		0	4000	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	4100	21000	0	0	0	0	0	0
डी.सी. (एम.एस.एम.ई.) मु.	0	0	0	0	0	0	0	0
ई.डी.आई. अहमदाबाद	0	3000	0	0	0	0	0	0
गुजरात	182600	207100	117600		122300	124600	0	0
हरियाणा		0	0		75200	0	0	0
हिमाचल प्रदेश		181400	50900		0	0	0	0
आई.आई.ई. गुवाहाटी	88800	2772400	7620900	4215000	0	2785000	5017800	3675000
झारखंड	1427500	37000	0		0	3000	0	0
कर्नाटक	0	0	1000		0	0	0	0
के.वी.आई.सी. मुम्बई	0	500	0		0	0	0	0
महाराष्ट्र	2006500	1700500	85000	4500	1978000	806000	0	0
नेशनल इंस्टीच्यूट	0	144700	13800		0	0	0	0
एन.आई.ई.एस.बी.यू.डी. नोएडा	0	11500	5014100	3082000	0	0	3175500	4261600
एन.एस.आई.सी. नई दिल्ली	23700	1000	0	500	22200	0	0	0
ओडिशा	188800	252500	184200	34700	98000	216900	110200	0
पंजाब	0	574300	0	0	0	325300	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	38500	485600	1226400	563700	0	243300	657900	0
तमिलनाडु	302400	1034200	442900	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	545400	2899000	2987000	3045300	243000	1278800	727300	0
उत्तराखंड	41500	152500	8000	0	0	37600	0	0
पश्चिम बंगाल	34500	0	0	0	0	0	0	0
	5287100	10842300	17757300	10945700	2538700	5820500	9688700	7936600

[हिन्दी]

स्रोत-केन्द्र

608. **श्री पन्ना लाल पुनिया**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर स्रोत-केन्द्र खोलने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो देश के उन जिलों के नाम क्या है जहां स्रोत-केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में किसी जिले में स्रोत केन्द्र खोलने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पी.पी.पी. पद्धति के अंतर्गत पॉलिटेक्निक्स

609. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) पद्धति के अन्तर्गत बहु-तकनीकी संस्थानों (पॉलिटेक्निक्स) की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ लागत का प्राक्कलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें सरकार तथा निजी पक्षों की प्रस्तावित हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन संस्थानों में प्रवेश और नियुक्तियों में सरकार की क्या भूमिका होगी; और

(च) उक्त बहु-तकनीकी संस्थानों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशि थरूर): (क) से (च) जी, हां। सरकार ने 11वीं योजनावधि के दौरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति में 300 पॉलिटेक्निकों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना अनुमोदित की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने भूमि को छोड़कर प्रति पॉलिटेक्निक 15.00 करोड़ रुपये की कुल लागत का अनुमान लगाया है। योजना में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए 3.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधि, राज्य सरकार द्वारा 2.00 करोड़ रुपये और निजी भागीदार द्वारा न्यूनतम 10.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। भूमि निजी भागीदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, राज्य सरकार वैकल्पिक रूप से भूमि उपलब्ध कराएगी। दाखिले राज्या में अनुपालन की जा रही दाखिला प्रक्रियाओं के आधार पर राज्य सरकार के संरक्षण में किए जाएंगे। नियुक्तियां संस्थान प्रबंधन समिति द्वारा की जाएगी। इस योजना पर निजी भागीदारी की प्रतिक्रिया अपर्याप्त है। अत:, ए.आई.सी.टी.ई. ने योजना के संशोधन हेतु समिति गठित की है।

डी.डी.ए. आवास योजना

610. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:**

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

श्रीमती ज्योति धुर्वे:

श्री नारनभाई काछडिया:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की जनता आवास संबंधी समस्या से जूझ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई आवास योजना लाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई आवास योजना के अन्तर्गत स्थान-वार और श्रेणी-वार कहां आवास/फ्लैट बनाये जाने की संभावना है;

(घ) क्या डी.डी.ए. का दिल्ली की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र से सहायता लेने का भी विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या डी.डी.ए. मास्टर योजना के विशेषज्ञों लो-राइज उच्च घनत्व विकास और मिश्रित भूमि उपयोग का आह्वान कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) जी हां। दिल्ली में आवास की कमी है। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में वर्ष 2021 तक 14 लाख मकानों का निर्माण करने पर विचार किया गया है।

(घ) और (ङ) दिल्ली में भू-संग्रहण और विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी संबंधी प्रारूप नीति में आवास की आवश्यकताओं को निजी क्षेत्र के माध्यम से पूरा किए जाने पर विचार किया जाएगा।

(च) और (छ) एम.पी.डी.-2021 में विशेष क्षेत्रों और गांवों के मामले में निम्न ऊंचाई वाले उच्च गहनता वाले विकासों को मान्यता दी गई है। तथापि निम्न ऊंचाई वाले उच्च गहनता विकास से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

शिक्षा ऋण पर ब्याज राजसहायता

611. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:**

श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा ऋणों पर ब्याज राजसहायता के रूप में कोई धनराशि जारी की है जिससे देश में लगभग 25 लाख छात्रों को लाभ पहुंचेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय बैंक संघ की शैक्षिक ऋण योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋणों पर अधिस्थगन काल के वास्ते पूरी ब्याज सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय स्कीम के अंतर्गत शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता जारी की है जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकार प्रदत्त शिक्षा ऋण पर ब्याज राजसहायता

राज्य	कुल	
	खातों की कुल संख्या	दावा की गई कुल सब्सिडी
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2458	16562049:09
आन्ध्र प्रदेश	143098	1178177272

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	518	7628094.05
असम	7879	112453346.2
बिहार	83118	1094802097
चंडीगढ़	1422	17729020.63
छत्तीसगढ़	8331	103444816.9
दादरा और नगर हवेली	229	3121897.98
दमन और दीव	162	1674310.36
दिल्ली	4392	60005542.22
गोवा	1408	17467523.32
गुजरात	22268	258599792.4
हरियाणा	25507	291395241.8
हिमाचल प्रदेश	10539	116115487.9
जम्मू और कश्मीर	4909	48888828.13
झारखंड	32364	488474735.4
कर्नाटक	162403	1327598046
केरल	497199	4649132023
लक्षद्वीप	116	883193
मध्य प्रदेश	66679	646479264.4
महाराष्ट्र	101683	916292701.5
मणिपुर	2704	34715018
मेघालय	1057	16296009.07
मिजोरम	330	4447505
नागालैंड	127	1982330
किसी राज्य का उल्लेख नहीं	21040	176033571.3
ओडिशा	69267	896705988.7
पुदुचेरी	13672	99181329.34
पंजाब	8770	117036484.2
राजस्थान	49477	710299294.9

1	2	3
सिक्किम	112	1351603.09
तमिलनाडु	1000784	6486679444
त्रिपुरा	1612	21888026.21
उत्तर प्रदेश	129484	1716416220
उत्तराखंड	16802	255181137
पश्चिम बंगाल	33900	414495861.9
कुल दावा	2525820	22309635106

लघु उद्योगों के माध्यम से लक्षद्वीप में रोजगार

612. **श्री हमदुल्लाह सईद**: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के माध्यम से सृजित रोजगार अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए पृथक से लघु उद्योगों की स्थापना का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उद्योगों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सरकार द्वारा देश में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में रोजगार का अनुवीक्षण क्षेत्र की समय-समय पर अखिल भारतीय गणना संचालित करके लिया जाता है। आधार संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ संचालित की गई नवीनतम गणना (चौथी गणना) जिसमें 2009 तक आंकड़े संग्रहित किए गए थे और परिणाम 2011-12 में प्रकाशित किए गए थे, तथा साथ ही साथ चौथी गणना में शामिल नहीं किए गए कार्यकलापों अर्थात थोक/फुटकर व्यापार, विधि, शैक्षणिक एवं समाज सेवा, होटल और रेस्तरां, परिवहन एवं भण्डारण तथा वेयर हाउसिंग (शीत भण्डारण को छोड़कर) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित आर्थिक गणना 2005 के लिए गए आंकड़ों के अनुसार लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना 2001-02 के 1638 की तुलना में लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए सृजित रोजगार 4586 है।

(ख) से (घ) उद्यमों की स्थापना वैयक्तिक रूप से किए जाने वाला उद्यमिता प्रयास है। तथापि केन्द्र सरकार योजनाओं जिसमें अन्य के साथ साथ क्रेडिट की सरलतापूर्वक उपलब्धता के लिए सहायता, उद्यमियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार का आकलन उन्नत आधारभूत संरचना आदि के माध्यम से उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है।

दूरसंचार उद्योग का विकास

613. **श्री आर. थामराईसेलवन**:

श्री के. सुगुमार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेल्यूलर मोबाइल उद्योग भारी ऋण और ऋणात्मक वृद्धि दर के बोझ से दबा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2014 तक इस उद्योग की उपभोक्ता संख्या 1 बिलियन तक पहुंच जाएगी जबकि वर्ष 2012 से इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर का संकट जारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और वर्ष 2012 में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोग की ऋणात्मक वृद्धि दर को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख)

अभिगम दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (वायरलैस और वायरलाइन) की ऋण स्थिति और वायरलैस उद्योग का सकल राजस्व निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

2010-11	2011-12	वृद्धि
	ऋण	
173095	182938	5.69%
	सकल राजस्व	
116313	133701	14.95%

(ग) और (घ) मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों में जून, 2012 तक वृद्धि होनी जारी रही है। यह मार्च, 2007 के अन्त तक 165.09 मिलियन थी जो मार्च 2012 तक बढ़कर 919.17 मिलियन हो गई तथा जून, 2012 के अन्त तक यह संख्या और बढ़कर 934.09 मिलियन हो गई। तदुपरांत, मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या फरवरी, 2013 तक घटकर 861.67 मिलियन रह गई और मई, 2013 की समाप्ति तक यह पुन: बढ़कर 870.20 मिलियन तक पहुंची। जून, 2012 के उपरांत मोबाइल फोन कनेक्शनों की संख्या की कमी मुख्य रूप से निष्क्रिय मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों को हटाने के कारण हुई थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, वर्ष 2017 तक टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 1200 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य नियत किया गया है।

(ङ) टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) सरकार ने दिनांक 31 मई, 2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एन.टी.पी.-2012) को अनुमोदित किया है। जिसमें दूरसंचार क्षेत्र के लक्ष्य, कार्यनीतिक संचालन और इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मध्यावधिक एवं दीर्घावधिक मुद्दों का समाधान करने की व्यवस्था की गई है। एन.टी.पी.-2012 का प्रमुख उद्देश्य पूरे देश में वहनीय, विश्वसनीय और सुरक्षित दूरसंचार एवं ब्राडबैंड सेवाएं उपलब्ध करवाकर जनहित को उच्च सीमा तक बढ़ाना है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण टेली-घनत्व को वर्ष 2017 तक 70% और 2020 तक 100% तक बढ़ाया जाना परिकल्पित है।

(ii) दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि में सुधार करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) की वित्तीय सहायता से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित की गई, इनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार है:-

(1) ऐसे विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां फिलहाल कोई फिक्स्ड वायरलैस या मोबाइल कवरेज नहीं हैं, में मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध करने के लिए राज-सहायता प्रदान करने हेतु एक स्कीम शुरू की गई है। दिनांक 31.05.2013 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाताओं द्वारा 7317 स्थलों तथा 16246 बेस ट्रांसीवर स्टेशन को शुरू किया जा चुका है।

(2) दिनांक 31.05.2013 की स्थिति के अनुसार 5,82,147 गांवों अर्थात वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 98.07% आवासित रावस्व गांवों को सार्वननिक ग्रामीण टेलीफोन (वी.पी.टी.) सुविधा प्रदान की गई है।

(3) सरकार ने ब्राडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच कनेक्टिविटी अंतर को पूरा करने के लिए आप्टिकल फाइबर के माध्यम से देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000) को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) सृजित करने हेतु 20,000 करोड़ रुपये की अनुमानित आरंभिक लागत वाली एक परियोजना को अनुमोदित किया है। एक विशेष उद्देश्य साधन (एस.पी.वी.) अर्थात भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) को इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 25.02.2012 को निगमित किया गया है।

आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन

614. **डॉ. पी. वेणुगोपाल**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 (आर.टी.ई.) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए लगभग 61 प्रतिशत सरकारी विद्यालय आयु प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने पर जोर दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए उनसे विद्यालय प्रवेश के समय पूर्व-अध्ययन के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजों की भी मांग करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 14(2) में यह प्रावधान है कि आयु के प्रमाण-पत्र के अभाव में किसी बच्चे को स्कूल में दाखिले से मना नहीं किया जाएगा। राज्य शिक्षा का अधिकार नियमों में प्रक्रिया का आगे विस्तार किया गया है ताकि प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों के दाखिले के प्रक्रियात्मक अवरोध को हटाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रश्न में संदर्भित अध्ययन को मंत्रालय के साथ साझा नहीं किया गया है। तथापि, मीडिया में दी गई सूचना के अनुसार नमूने में 747 विद्यालय शामिल थे। दाखिले के प्रक्रियात्मक अवरोध को हटाया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जन-जागरूकता अभियान और स्थानीय निवारण तंत्र लागू किए गए हैं।

मेट्रो के सी.सी.टी.वी. फुटेज का लीक होना

615. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में दिल्ली मेट्रो का सी.सी.टी.वी. फुटेज लीक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी पाये गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, और;

(ङ) इस संबंध में तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है/कर रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमि. (डी.एम.आर.सी.) ने सूचित किया है कि दिल्ली मेट्रो की सी.सी.टी.वी. फुटेज की एक वीडियो प्रति इंटरनेट में अपलोड की गई पाई गई है। कालकाजी मंदिर मेट्रो पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस द्वारा आई.टी. अधिनियम 2000 की धारा 46/13 के अंतर्गत एक एफ.आई.आर. पंजीकृत की गई है।

(ग) और (घ) प्रेस में यथासूचित इंटरनेट पर अपलोड किए गए एम.एम.एस. के कारण प्रतिकूल रिपोर्टिंग के संबंध में जांच हेतु डी.एम.आर.सी. द्वारा एक आंतरिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु डी.एम.आर.सी. ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

- निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन हेतु एक अभियान चलाया गया है कि ट्रेन प्रचालक ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन लेकर नहीं चलेंगे।
- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) ने भी फील्ड कार्मिकों के लिए ड्यूटी के दौरान मोबाइल न रखने के लिए समान निर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

प्रत्येक जिले का शैक्षिक और औद्योगिक विवरण

616. **श्री पी. कुमार**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को ऐसी राज्यस्तरीय संदर्शी योजना बनाने के लिए कहा गया है जिसमें उनके प्रत्येक जिले का शैक्षिक व औद्योगिक विवरण हो ताकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) राष्ट्रीय स्तर पर एक संदर्शी योजना बना सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. को राज्य सरकारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने सभी राज्य सरकारों को अपने संबंधित राज्यों में तकनीकी शिक्षा का विकास करने के लिए एक संदर्शी योजना मुहैया कराने के लिए कहा है। सामान्यत: एक संदर्शी योजना में 10वीं तथा 12वीं के स्तर के छात्रों की वृद्धि दर, कला, विज्ञान, व्यावसायिक इंजीनियरिंग, मेडीसिन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सीटों की उपलब्धता और उनकी पांच वर्षों तक की संभावित वृद्धि से संबंधित आंकड़े होते हैं।

(ग) और (घ) ए.आई.सी.टी.ई. को आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से संदर्शी योजना/पत्र/अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

शिक्षकों की गुणवत्ता

617. **श्री कुलदीप बिश्नोई**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूली शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने अध्यापक शिक्षा संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) स्कूली शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश की उचित और कड़ी प्रणाली बनाने के लिए आगे और क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) स्कूल अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सरकार ने त्रिआयामी कार्यनीति अपनाई है जिसमें (i) अध्यापक शिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, (ii) अध्यापक-शिक्षा पाठ्यचर्यो का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या कार्यढांचा 2009 के अनुसार संशोधन, और (iii) अध्यापक-प्रशिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण और उनका सतत् व्यावसायिक विकास शामिल है।

सरकार ने 12वीं योजना के दौरान अध्यापक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु 6308 करोड़ रुपये की परियोजना का अनुमोदन किया है। देश के अग्रगण्य अध्यापक शिक्षा विशेषज्ञों की सदस्यों के रूप में नियुक्ति करके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) का पुनर्योजन किया गया है। इसे शिक्षा का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम, 2009 की धारा 23 (1) के तहत शैक्षणिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। तदनुसार एन.सी.टी.ई. ने स्कूल में कक्षा I से VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता की न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के पात्र होने के लिए सभी आकांक्षी अध्यापकों को अध्यापकों पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि जिन व्यक्तियों के पास निर्धारित अर्हताएं नहीं हैं, उनके लिए 5 वर्ष की अवधि के भीतर उन्हें प्राप्त करना आवश्यक है। तदनुसार, राज्य सरकारों ने दूरस्थ पद्धति के माध्यम से 6.6 लाख अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण आरंभ किया है।

केन्द्र सरकार ने राज्यों के दौरे करने और अध्यापक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु उनको दिशा-निर्देश देने के लिए शिक्षा/अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में 50 से अधिक उच्च विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समीक्षा मिशनों का गठन किया है। अब तक 14 राज्यों के लिए संयुक्त समीक्षा मिशन प्रारंभ किए गए हैं।

(ग) और (घ) जस्टिस वर्मा समिति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 30 सिफारिशें की है। एन.सी.टी.ई. ने जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु तरीके निर्धारित करने, जिसमें स्कूल अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अध्यापक-शिक्षा पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों की प्रवेश-पूर्व परीक्षा की सख्त और पारदर्शी प्रक्रिया आरंभ करने की संभावना तलाशना शामिल है, के लिए कई उप-समितियों का गठन किया है। इस कार्य की समीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस वर्मा समिति के पूर्व सदस्यों की उप-समिति द्वारा की जा रही है।

मोनो रेल परियोजना

618. **श्रीमती श्रुति चौधरी**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की पहली मोनो रेल परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके मार्गों की पहचान करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आंवटित की गई है और इसका कितना व्यय हुआ है?.

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से दिल्ली मोनो रेल की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विलंबित दूरसंचार परियोजनाएं

619. **श्री निलेश नारायण राणे**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही दूरसंचार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक परियोजना-वार कितना कार्य हुआ है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की लागत बहुत बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) देश में चालू निम्नलिखित आठ दूरसंचार परियोजनाएं/स्कीमें सरकार द्वारा वित्तपोषित की जा रही हैं:-

(i) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन);

(ii) स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क (एन.एफ.एस.);

(iii) केन्द्रीयकृत निगरानी प्रणाली (सी.एम.एस.);

(iv) वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्लू.ई.) से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए यू.एस.ओ.एफ. से सहायता प्राप्त स्कीम;

(v) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरा जिला एस.डी.एच.क्यू.-डी.एच.क्यू. ओ.एफ.सी. नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन-पूर्वोत्तर-I क्षेत्र के लिए स्कीम।

(vi) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरा जिला एस.डी.एच.क्यू.-डी.एच.क्यू. ओ.एफ.सी. नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन-पूर्वोत्तर-II क्षेत्र के लिए स्कीम।

(vii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरा जिला एस.डी.एच.क्यू.-डी.एच.क्यू. ओ.एफ.सी. नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन-असम के लिए स्कीम।

(viii) साझाकृत मोबाइल और अवसंरचना स्कीम।

इन 8 परियोजनाओं/स्कीमों में से अंतिम दो स्कीमें अर्थात "पूर्वोत्तर क्षेत्र मे अंतरा जिला एस.डी.एच.क्यू-डी.एच.क्यू ओफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन सृजन और प्रबंधन-असम के लिए स्कीम" और "साझाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम" के शुरू होने में विलंब है। इन स्कीमों के संबंध में किए गए कार्य की प्रमात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ङ) इन स्कीमों के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुए विलंब का प्रमुख कारण गांवों का अत्यन्त दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित होना, दुष्कर भू-भाग, प्राकृतिक बाधाएं रहीं हैं। लक्ष्यों को त्वरित और समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए इन परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा यू.एस.ओ.एफ. द्वारा नियमित अंतराल पर की जाती है।

विवरण

1. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरा-जिला उप मंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओ.एफ.सी. नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन (असम के लिए स्कीम)**

यह स्कीम ओ.एफ.सी. नेटवर्क को सुदृढ़ बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में उनके कोर नेटवर्क में नेटवर्क अभिगम से वॉयस और डाटा ट्रैफिक को एकीकृत करने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। इस स्कीम में ब्लॉक मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों के बीच ओ.एफ.सी. नेटवर्क संवर्धन पर विचार किया जाता है। यू.एस.ओ.एफ. इस शर्त पर राज-सहायता प्रदान करेगा कि इसकी साझेदारी अन्य दूरसंचार प्रचालकों के साथ समझौते में निर्धारित दरों पर की जाएगी।

इस स्कीम के अंतर्गत 27 जिलों के 354 स्थलों को समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से 18 माह के भीतर जोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में बी.एस.एन.एल. के साथ दिनांक 12.02.2010 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। यू.एफ.ओ.एफ. 98.89 करोड़ रुपये की राज-सहायता प्रदान करेगा। दिनांक 30.04.2013 की स्थिति के अनुसार लक्षित 354 स्थलों में से 302 स्थलों को ओ.एफ.सी. से जोड़ दिया गया है।

2. **साझाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम**

ऐसे विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, जहां मौजूदा फिक्सड बेतार अथवा मोबाइल कवरेज नहीं थी, में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 27 से अधिक राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों/टावरों को संस्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने के लिए राज-सहायता प्रदान करने हेतु यू.एस.ओ. निधि द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे ग्रामों अथवा ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या 2000 अथवा उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में टॉवर संस्थापित करने के लिए विचार किया गया था। दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी इस समझौते पर नई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए, जो नंवबर, 2013 तक वैध है।

दिनांक 31.05.2013 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 7317 टॉवर अर्थात लगभग 99.51% टॉवर स्थापित कर लिए गए हैं। इस प्रकार सृजित अवसंरचना का उपयोग तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। दिनांक 31.05.2013 की स्थिति के अनुसार, मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा 16246 बी.टी.एस. (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) शुरू कर दिए गए हैं।

उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना हेतु मानदण्ड

620. **श्री भूपेन्द्र सिंह**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च न्यायालय की खण्डपीठों की स्थापना हेतु मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में उच्च न्यायालयों की खंडपीठ की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त खण्डपीठों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारत सरकार द्वारा किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात जिसे संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य के राज्यपाल की सहमति है, भारत सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

(ख) से (घ) कर्नाटक, केरल, पश्चिमी बंगाल और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों से उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए प्रस्ताव है।

धारवाड़ और गुलबर्गा में कर्नाटक उच्च न्यायालय की दो स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति दोनों की सहमति है। यह संघ के मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के अनुमोदन प्राप्ति की प्रक्रिया में है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने, जलपाईगुडी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सूचना दी है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अवसंरचनात्मक सुविधाएं जलपाईगुडी में स्थित में न्यायपीठ की स्थापना के लिएए वर्तमान में अपर्याप्त है।

केरल के मुख्यमंत्री ने तिरूवंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए वर्ष 2005 में एक अनुरोध भेजा था। केरल उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायमूर्तिन ने तिरूवंतपुरम में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए अनुमोदन नहीं किया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सहमति नहीं दी गई है।

मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त नौकरशाहों की सम्पत्ति की जब्ती

621. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त भ्रष्ट नौकरशाहों की सम्पत्ति की जब्ती हेतु नये दिशानिर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह पूर्व दिशा निर्देशों से किस प्रकार भिन्न है तथा यह किस प्रकार भ्रष्टाचार को रोक पाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) वर्तमान में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन आने वाले मामलों में संपत्ति की कुर्की/जब्ती, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की जब्ती के प्रावधान धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भी मौजूद हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8, 9, 10 और 13 के अधीन आने वाले अपराध, धन शोधन निवारण अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट अपराध होते हैं। ये प्रावधान, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि संबंधित लोकसेवक अभी भी सेवा में है अथवा सेवानिवृत्त हो गया है/त्यागपत्र दे दिया है, भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित सम्पत्ति के लिए भी समान रूप से लागू हैं। चूंकि भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित की गई सम्पत्ति की जब्ती से संबंधित मामला विधि द्वारा अभिशासित किया जाता है न कि किसी कार्यकारी दिशानिर्देशों द्वारा, अत: सेवानिवृत्त भ्रष्ट नौकरशाहों की सम्पत्ति की जब्ती के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आवासीय योजनाओं हेतु लोगों का श्रेणीकरण

622. **श्री प्रहलाद जोशी**: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी आवासीय योजनाओं के तहत लाभार्थियों को परिभाषित करने हेतु आय के मानदण्ड को संशोधित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न श्रेणियों के लिए क्या आय निर्धारित की गई है;

(ग) लोगों को श्रेणीबद्ध करने के लिए क्या आधार अपनाए गए हैं; और

(घ) सरकार की विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत लोगों की विभिन्न श्रेणियों को दिये जाने वाले लाभ का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) जी हां। सरकारी आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभभोगियों को परिभाषित करने के लिए आय के मानदंड को 14 नवंबर, 2012 से संशोधित किया गया है। इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए वर्ष में 1 लाख रुपये की आय अर्जित करने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वर्ष में 1-2 लाख रुपये की आय अर्जित करने वाले परिवारों को निम्न आय समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) यह वर्गीकरण विभिन्न आय और व्यय के प्राचलों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में आवास की लागत जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, गैर-कृषि कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, मासिक प्रति व्यक्ति आय और रेजीडेक्स: राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) की संपत्ति मूल्य के ट्रेकिंग सूचकांक के आधार पर किया गया है।

(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के रूप में वर्गीकृत परिवार, संबद्ध योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राजीव आवास योजना के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी और राजीव ऋण योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस प्रकार बड़ा हुआ आय का मानदंड ऐसे शहरी गरीबों के सेट को बढ़ाएगा जो कि जैसा ऊपर बताया गया है, आवास के लाभ के हकदार होंगे।

पासपोर्ट शुल्क

623. **श्री एम. कृष्णास्वामी:**

श्री आर. धुवनारायण:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य तथा तत्काल दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, नहीं। पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसमें एक दशक के बाद 01.10.2012 से पिछली बार संशोधन किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दुबई में कामगारों की हड़ताल

624. **श्रीमती ज्योति धुर्वे:**

श्री नारनभाई काछडिया:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुबई में हजारों भारतीय तथा अन्य प्रवासी कामगारों ने कम मजदूरी, जबरन मजदूरी तथा अन्य अत्याचारों के बारे में अपने नियोजकों के विरुद्ध कोई धरना, प्रदर्शन किया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे अनेक कामगारों को गिरफ्तार किया गया तथा बिना विधिक सहायता के अवैध रूप से निरुद्ध रखा गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुबई में भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) विगत दो वर्षों के दौरान कुछ कतिपय मामलों में, फुजैराह नैशनल ट्रांसपोर्ट

कम्पनी, अरबटेक एंड डालफिन ग्रुप के कार्मिक जिसमें भारतीय कामगार भी शामिल हैं, वेतन का भुगतान न करने या काम करने की खराब स्थितियों के विरुद्ध विरोध करते हुए कुछ समय के लिए हड़ताल पर चले गए थे।

(ख) संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों के अंतर्गत हड़ताल करना अवैध है। अत: हड़ताल करने वाले कुछ कामगारों को जिसमें भारतीय कामगार भी शामिल हैं, स्थानीय विनियमों के अनुसार थोड़े समय के लिए हवालात में रखा गया था।

(ग) और (घ) भारतीय कामगारों द्वारा उठाए गए मामलों को हल करने के वास्ते भारतीय मिशन, नियोक्ताओं एवं स्थानीय प्राधिकरणों के साथ मामले को सदैव उपयुक्त रूप से उठाते हैं। किन्तु हड़ताल जैसे अवैध कार्यों के मामले में भारतीय मिशन की भूमिका सीमित हो जाती है।

सी.बी.एस.ई. तथा आई.सी.एस.ई. बोर्डों का विलय

625. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सी.बी.एस.ई. तथा आई.सी.एस.ई. बोर्डों को विलय कर एकल बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके पश्चात् किस पाठ्यक्रम तथा परीक्षा पद्धति को अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्रमिकों हेतु विद्यालय

626. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश में राज्य-वार श्रमिकों के बच्चों/महिला कर्मकारों की शिक्षा हेतु अनन्य रूप से विद्यालय स्थापित किये हैं/चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल-शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में 6-14 वर्ष आयु-समूह के श्रमिकों/महिला श्रमिकों के बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चों को स्कूल जाने का अवसर प्राप्त हों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के मुख्य साधन सर्व शिक्षा अभियान के तहत पड़ोस में नए स्कूल खोलने, पर्वतीय, घने वन क्षेत्रों और शहरी वंचित बच्चों तथा बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल सुविधाएं प्रदान करने, स्कूल-बाह्य बच्चों को मुख्य-धारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा कुछ विशेष मामलों में परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान करने में भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में यह प्रावधान है कि समुचित सरकार इस अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर राज्य शिक्षा का अधिकार नियमावली में यथा-परिभाषित पड़ोस में स्कूल स्थापित करेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से अब तक देश में 42260 प्राथमिक और 14103 उच्च प्राथमिक अतिरिक्त स्कूलों को संस्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्नक विवरण में दिया गया है।

श्रमिकों/महिला श्रमिकों के बच्चों सहित स्कूल-बाह्य बच्चों के लिए देशभर में विशेष प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि, आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चे को शेष कक्षा के साथ शैक्षिक और सामाजिक रूप में एकीकृत करने में समर्थ बनाया जा सके। वर्ष 2013-14 में मध्य प्रदेश राज्य में 47682 बच्चों के विशेष प्रशिक्षण के लिए संस्वीकृति प्रदान की गई है।

विवरण

आर.टी.ई. लागू होने से अब तक संस्वीकृत स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	स्थान	2010-11		2010-11 (अनुपूरक)		2011-12		2012-13		2013-14		कुल	
		पी.ए.बी. कार्यवृत्त				पी.ए.बी. कार्यवृत्त				पी.ए.बी. कार्यवृत्त			
		प्राथ.	उ.प्राथ.	प्राथ.	उ.प्राथ.	प्राथ.	उ.प्राथ.	प्राथ.	उ.प्राथ.	प्राथ.	उ.प्राथ.	प्राथ.	उ.प्राथ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0	6	11	15	1	1	1	23	13
2.	आन्ध्र प्रदेश	20	5	0	0	13	0	435	0	0	55	468	60
3.	अरुणाचल प्रदेश	194	54	0	0	124.	42	123	49	49	26	490	171
4.	असम	3533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3533	0
5.	बिहार	821	1720	0	0	1756	447	0	0	0	0	2577	2167
6.	चंडीगढ़	7	7	0	0	0	4	2	2	0	0	9	13
7.	छत्तीसगढ़	319	85	0	0	193	140	8	30	45	35	565	290
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	27	O=	3	0	30
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
10.	दिल्ली	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4	2
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	29	8	29	8
13.	हरियाणा	114	177	0	0	8	49	15	4	7	4	144	234
14.	हिमाचल प्रदेश	0	7	0	0	घ40	20	0	0	0	0	40	27

15.	जम्मू और कश्मीर	497	863	0	0	397	330	0	0	0	27	894	1220
16.	झारखंड	927	441	0	0	42	32	0	0	0	0	969	473
17.	कर्नाटक	135	330	3	57	0	0	0	10	0	0	138	397
18.	केरल	6	0	0	0	118	0	0	0	0	0	124	0
19.	लक्षद्वीप	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
20.	मध्य प्रदेश	386	944	0	0	740	0	179	803	0	0	1305	1747
21.	महाराष्ट्र	843	60	0	0	0	0	0	219	0	0	843	279
22.	मणिपुर	0	0	180	0	535	158	76	0	0	0	791	158
23.	मेघालय	574	302	0	0	0	0	0	0	0	0	574	302
24.	मिजोरम	0	0	0	0	21	63	6	0	1	5	28	68
25.	नागालैंड	168	324	95	118	0	0	0	0	97	41	360	483
26.	ओडिशा	648	396	0	0	0	374	0	0	455	0	1103	770
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
28.	पंजाब	27	90	9	13	0	0	0	21	23	15	59	139
29.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	52	1	0	0	0	1	0	2	52
31.	तमिलनाडु	228	218	0	61	0	0	0	0	0	0	228	279
32.	त्रिपुरा	70	71	0	0	0	0	34	1	0	0	104	72
33.	उत्तर प्रदेश	26	1152	0	0	10487	1173	0	0	0	0	10513	2325
34.	उत्तराखंड	7	14	0	0	0	0	46	23	0	0	53	37
35.	पश्चिम बंगाल	15761	1866	0	0	0	0	100	415	427	0	16288	2281
	कुल	25315	9126	288	301	14481	2843	1041	1613	II35	220	42260	14103

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

627. **श्री जगदीश सिंह राणा**: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) तथा भारतीय मूल के लोगों को कृषि, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास हेतु उनके ज्ञान, विशेषज्ञता तथा निधियों का योगदान देने हेतु अनुरोध किया है अथवा अनुरोध करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों और भारत के साथ आर्थिक संबंधों के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए एक प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र (ओ.आई.एफ.सी.) भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ भागीदारी में स्थापित किया गया है। केन्द्र व्यापार नेटवर्किंग पोर्टल चलाता है जिस पर भारतीय मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए विभिन्न प्रश्नों और जांच के उत्तर दिए जाते हैं। ओ.आई.एफ.सी. भी डायस्पोरा बैठकों का आयोजन करता है ताकि प्रवासी भारतीयों को व्यापार एवं योगदान में शामिल करके निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आगे अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के योगदान को सुगम बनाने के लिए केन्द्र ने ज्ञान की ग्लोबल इंडिया नेटवर्क (ग्लोबल-इंक) का गठन किया है। धर्मार्थ योगदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीयों की भारत विकास फाउंडेशन (आई.डी.एफ.-ओ.आई.) का गठन एक लाभ निरपेक्ष न्यास के रूप में किया गया था। फाउंडेशन से प्राप्त धन का उपयोग सामाजिक क्षेत्र में परियोजनाओं को लागू करने में किया जाता है।

(ग) ओ.आई.एफ.सी. की स्थापना के बाद से 11.953 से अधिक प्रवासी भारतीयों के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, 17,832 एक दूसरे के साथ नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हैं, 46,812 ने ई-समाचार पत्रिका 'इंडिया कनेक्ट' की सदस्यता ली है। 170 देशों से करीब 9,79,153 अद्वितीय आगंतुकों ने ओ.आई.एफ.सी. पोर्टल का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त करीब 7000 प्रवासी भारतीय विभिन्न देशों में आयोजित 26 ओ.आई.एफ.सी. डायस्पोरा बैठकों के माध्यम से भारत के सम्पर्क में आए हैं। शिक्षाविदों, डाक्टरों, विद्वानों, वैज्ञानिकों ने ग्लोबल-इंक को ज्वॉइन किया है। 31 मार्च, 2013 तक आई.डी.एफ. ने 23.50 लाख रुपये की राशि धर्मार्थ धन के रूप में आकर्षित की है।

छात्रों के अधिगम स्तरों में गिरावट

628. **श्रीमती पुतुल कुमारी**:

श्री कीर्ति आजाद:

प्रो. सौगत राय:

श्री रमाशंकर राजभर:

श्री बाल कुमार पटेल:

श्री गोपीनाथ मुंडे:

श्री निखिल कुमार चौधरी:

श्री नारनभाई काछडिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के अधिगम स्तर में गिरावट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा का मूल्यांकन करने की कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण एवं अवसंरचना विकास हेतु आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इन विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) एक श्रमसाध्य अनुसंधान प्रणाली के माध्यम से कक्षा-III, V और VIIIवीं कक्षा के बच्चों के अधिगम स्तर का विस्तृत आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करती है। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा राष्ट्रीय शिक्षार्थी उपलब्धि सर्वेक्षण के दो चरण पूरे किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि यद्यपि उपलब्धियां कम रहने पर भी समग्र अधिगम स्तर में सुधार हुआ है। हाल ही में कक्षा V के लिए किया गया सर्वेक्षण का तीसरा चरण भी दर्शाता है कि अधिकांश राज्यों में अधिगम स्तर में वृद्धि हुई है। उपलब्धि के कम स्तर के कारणों में अन्य बातों के

साथ-साथ व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता, स्कूल स्तर पर खराब शिक्षक-छात्र अनुपात और स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में कमियां आदि शामिल हैं। तथापि, आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 लागू होने के साथ निधियन और गहन केन्द्र-राज्य भागीदारी तथा उपक्रमों में हुई वृद्धि से परिप्रेक्ष्य में सुधार हो रहा है।

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्माण और अवसंरचना विकास हेतु आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी समाविष्ट करता है। 20 दिवसीय सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, नि:शुल्क एवं संशोधित पाठ्यपुस्तकों का वितरण, अच्छे शिक्षक-छात्र अनुपात के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, ब्लॉक एवं समूह संसाधन केन्द्रों के माध्यम से स्कूलों और शिक्षकों को अकादमिक सहायता, सतत् और सघन मूल्यांकन पद्धति, उपयुक्त अध्यापन-शिक्षण सामग्री के विकास हेतु स्कूल अनुदान आदि सहित प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए कतिपय हस्तक्षेपों में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्माण और अवसंरचना विकास हेतु आवंटित ज्ञापन निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		प्रा. स्कूल	*पेयजल	*शौचालय	प्रा. स्कूल	*पेयजल	*शौचालय	प्रा. स्कूल	*पेयजल	*शौचालय	प्रा. स्कूल	*पेयजल	*शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	439.51	0.00	151.00	828.28	0.00	0.81	101.99	9.28	79.16
2.	आन्ध्र प्रदेश	148.79	559.60	3606.40	233.60	4261.45	5726.92	7371.23	144.78	4816.51	6434.71	140.85	4326.65
3.	अरुणाचल प्रदेश	2910.00	0.00	265.00	3107.47	2514.32	441.84	5244.51	0.00	1186.10	1408.80	0.00	181.10
4.	असम	11061.75	0.00	4542.00	26238.83	540.75	8537.98	2448.95	0.00	15241.47	1102.63	0.00	0.00
5.	बिहार	19445.16	440.54	13287.55	49036.93	10.24	10580.16	58795.74	911.15	10289.31	29968.76	616.11	11431.64
6.	चंडीगढ़	1054.84	0.00	3.00	1523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
7.	छत्तीसगढ़	1719.28	336.60	4198.30	2235.26	13156.44	14083.12	1153.23	251.17	22264.41	783.31	80.17	12575.67
8.	दादरा और नगर हवेली	45.12	0.00	0.00	2235.26	0.00	0.00	23.32	0.00	247.20	23.32	0.00	82.46
9.	दमन और दीव	8.00	4.60	7.80	2235.26	0.00	3.60	8.00	0.00	130.65	8.00	0.00	5.00
10.	दिल्ली	191.00	0.00	354.20	2235.26	0.00	1343.60	125.61	0.00	1639.41	101.84	0.00	1335.93
11.	गोवा	0.00	6.00	91.44	2235.26	93.50	97.14	0.00	0.00	17.54	0.00	11.60	26.29
12.	गुजरात	0.00	1.95	299.00	2235.26	0.00	1502.17	0.00	0.00	12146.79	0.00	52.00	4693.08
13.	हरियाणा	1164.03	54.11	1004.60	2235.26	3746.94	1038.85	814.21	60.89	3747.52	1000.94	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	हिमाचल प्रदेश	211.25	21.00	2724.76	2235.26	2160.33	279.75	955.50	0.00	330.84	1038.00	0.00	457.74
15.	जम्मू और कश्मीर	15234.79	0.00	2036.00	2235.26	0.00	3493.16	5663.44	0.00	8563.06	3890.38	0.00	0.00
16.	झारखंड	I3274.87	15.98	4452.85	2235.26	7480.83	973.20	315.71	186.22	4967.36	221.01	102.82	922.62
17.	कर्नाटक	1188.00	242.00	2981.75	2235.26	13.00	5365.50	100.89	38.00	2202.70	59.60	0.00	421.08
18.	केरल	42.00	351.00	1205.32	2235.26	0.00	352.40	99.80	6.40	I340.25	3I3.50	11.20	374.50
19.	लक्षद्वीप	54.22	2.30	10.00	2235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	2810.01	71.25	4127.65	2235.26	7004.38	12590.44	2209.57	724.06	12043.34	1189.02	0.00	841.10
21.	महाराष्ट्र	12869.02	169.40	2324.30	2235.26	5066.10	1082.15	1784.83	115.31	22966.82	1639.68	0.00	0.00
22.	मणिपुर	1440.00	0.00	1536.00	2235.26	0.00	747.45	11245.32	0.00	40.03	8917.44	0.00	747.47
23.	मेघालय	5682.25	0.00	0.00	2235.26	0.00	0.00	9986.99	0.00	0.00	5199.68	4.40	2567.52
24.	मिजोरम	0.00	0.00	211.50	2235.26	0.00	0.00	42I3.44	6.00	407.95	4246.52	0.00	200.75
25.	नागालैंड	2802.14	42.75	75.00	2235.26	0.00	210.00	6463.18	207.04	1639.80	2299.46	152.73	I318.19
26.	ओडिशा	4390.90	87.80	1585.76	2235.26	9.94	1310.37	1663.01	220.99	34012.37	11003.99	519.83	8698.84
27.	पुदुचेरी	0.00	12.50	76.44	2235.26	0.00	20.00	0.00	6.50	86.01	0.00	0.00	0.00
28.	पंजाब	255.42	32.62	665.64	2235.26	15081.65	5495.80	1.08	0.33	7733.14	380.57	0.33	4292.96
29.	राजस्थान	0.00	1064.32	I355.87	2235.26	22966.78	798.78	1515.75	1123.51	926.67	4297.74	0.00	0.00
30.	सिक्किम	66.75	0.09	69.80	2235.26	93.38	10.60	32.45	0.09	15.60	62.53	0.00	4.80
31.	तमिलनाडु	1806.00	100.25	8471.40	2235.26	10777.13	8881.40	0.00	520.54	13175.80	0.00	458.63	3998.48
32.	त्रिपुरा	1161.04	0.00	73.80	2235.26	1016.04	3812.84	336.26	10.10	1050.08	126.78	3.10	181.15
33.	उत्तर प्रदेश	36.26	90.12	108.48	2235.26	2290.20	11.76	28284.92	542.48	890.16	4378.92	43.87	1529.50
34.	उत्तराखंड	449.18	27.25	1641.45	2235.26	1639.05	1240.80	3323.84	0.00	1232.55	889.25	0.00	157.36
35.	पश्चिम बंगाल	38829.81	470.60	2492.19	2235.26	7818.89	5310.07	28709.72	116.25	25919.60	3751.86	116.13	2870.48
	उप योग (एस.एस.ए.)	150351.88	4204.64	65885.26	2235.26	107741.33	95492.86	183718.78	5191.82	211274.85	94840.23	2323.03	64324.52

*इसमें उच्च प्राथमिक स्कूल भी सम्मिलित हैं।

टेलीफोन के अन्तरावरोधन हेतु सी.एम.एस.

629. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**

श्री धनंजय सिंह:

श्रीमती भावना पाटील गवली:

श्री पोन्नम प्रभाकर:

श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार के अन्तरावरोधन हेतु केन्द्रीय निगरानी प्रणाली (सी.एम.एस.) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या दूरसंचार क्षेत्र ने उक्त प्रयोजनार्थ कोई दूरसंचार सुरक्षा परियोजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नागरिकों की निजता के उल्लंघन को रोकने हेतु कोई पर्यवेक्षक प्रणाली स्थापित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) सरकार ने दूरसंचार के विधि सम्मत अवरोधन तथा अनुश्रवण के लिए केन्द्रीकृत अनुश्रवण पद्धति स्थापित करने का निर्णय किया है। केन्द्रीकृत अनुश्रवण पद्धति (सी.एम.एस.) के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को करने की परिकल्पना की गई है:

(i) किसी सरकारी एजेंसी द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी.) के बिना किसी हस्तचालित अवरोधन के किसी सुरक्षित नेटवर्क पर लक्षित नम्बर की इस प्रकार प्रत्यक्ष इलैक्ट्रॉनिक व्यवस्था करना ताकि गोपनीयता के स्तर में वृद्धि हो तथा लक्ष्य का शीघ्र निर्धारण किया जा सके।

(ii) ऐसा केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय डाटा आधार तैयार करना जो केन्द्र और राज्य स्तर के विधि प्रवर्तन अभिकरणों को अवरोधन तथा अनुश्रवण में सहायक होगा।

(iii) काल डाटा रिकार्ड (सी.डी.आर.) का विश्लेषण करना ताकि असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों के बीच होने वाली सांठ गांठ को सिद्ध करने में सहायता मिल सके।

(iv) सी.एम.एस. के सतत उन्नयन के लिए संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी)।

(ग) सरकार ने सी.एम.एस. के लिए तैयार की गई एक ऐसी परियोजना का अनुमोदन कर दिया है जिस पर 400 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) नागरिकों की निजता के प्रति सावधानी बरतने के लिए विधि सम्मत अवरोधन तथा अनुश्रवण भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 419 क के साथ पठित भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) द्वारा अधिशासित किया जाता है जिसमें एक समीक्षा समिति के रूप में एक ऐसी निरीक्षण प्रणाली का उल्लेख है जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल सचिव और राज्य सरकार के स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। यही प्रणाली सी.एम.एस. परियोजना के तहत अवरोधन के लिए भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त इसमें जांच/परख और संतुलन की एक अंत निर्मित प्रणाली है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां/विधि प्रवर्तन एजेंसियां लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकती और व्यवस्थापन एजेंसियां 'कन्टेंट' नहीं देख सकती।

[अनुवाद]

सी.एस.सी. तथा ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड परियोजना

630. **श्री निशिकांत दुबे:**

श्री पी.टी. थामस:

श्री रतन सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के तहत किन जिलों में कॉमन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) तथा ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड परियोजना को अब तक राज्य-वार कार्यान्वित किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान परियोजना/स्कीम के तहत जारी की गई तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने जिलों को वर्ष 2013-14 के दौरान कवर किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का परियोजना/स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन.ई.जी.पी. के तहत परियोजना के तीव्र कार्यान्वयन हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) संघ राज्य क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और कर्नाटक में सी.एस.सी. को छोड़कर 607 सामान्य सेवा केन्द्रों (सी.एस.सी.) और 142 ई-जिला मिशन मोड परियोजनाओं को सभी राज्यों में कार्यान्वित कर दिया गया है। इसके विवरण http://deity.gov.in/content/mission-mode-projects पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) विस्तृत जानकारी http://deity.gov.in/content/mission-mode-projects पर उपलब्ध है।

(घ) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बैठकों, वीडियो कांफ्रेसेस एवं स्थानीय निरीक्षणों के द्वारा नियमित रूप से कार्यान्वयन योजना की समीक्षा करता है।

सी.एस.सी. एवं ई-जिला का विवरण निम्नानुसार है:-

सामान्य सेवा केन्द्र:-

- राज्य में योजना कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई एजेंसियां योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.ई.आई.-टी.वाई.) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता है।
- इसके अलावा अधिकार प्राप्त समिति योजना के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है।

ई-जिला एम.एम.पी.:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परियोजना स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है।
- परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लगातार सचिव स्तरीय सम्मेलन और बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(ङ) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने (i) सामान्य सेवा केन्द्र योजना के तेजी से कार्यान्वयन के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्यों के लिए कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश जारी करना।
- कार्यान्वयन पार्टनर के चुनाव के लिए मसौदा आर.ई.पी. उपलब्ध कराना।
- केन्द्र स्तर पर एक परियोजना प्रबंधन युनिट को नियुक्त करना।
- प्रगति की सुचारू मॉनीटरीं के लिए ऑनलाइन मॉनीटरी टूल (ओ.एम.टी.) का सृजन।

(ii) **ई-जिला एम.एम.पी.**:

- परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए समय-समय से नागरिकों की सेवाओं की प्रदायगी के लिए एकीकृत फ्रेमवर्क, कार्यान्वयन दिशानिर्देश, कनेक्टिविटी दिशानिर्देश, लोकलाइजेशन दिशानिर्देश इत्यादि जैसे आवश्यक दिशानिर्देश और परामर्श जारी करना।
- निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर कार्यान्वयन किया गया है।

आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन

631. **डॉ. रत्ना डे**:

श्री राम सिंह कस्वां:

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इसके आरंभ से निर्धारित तथा प्राप्त किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. आदि के बच्चों के हितों की रक्षा हेतु आर.टी.ई. अधिनियम सफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई.) के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का अधिदेश है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.), के अनुसार वर्ष 2008-09 में आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के अधिनियमित होने से पहले प्रारंभिक शिक्षा में कुल 18.77 करोड़ बच्चों को नामांकित किया गया था। इनमें से 3.70 करोड़ बच्चे अनुसूचित जाति के और 2.07 करोड़ बच्चे अनुसूचित जनजाति के थे। डी.आई.एस.ई. के अनुसार वर्ष 2011-12 में कुल नामांकन बढ़कर 19.90 करोड़ हो गया है, जिसमें से 3.94 करोड़ अनुसूचित जाति और 2.17 करोड़ अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं। यह आर.टी.ई. अधिनियम से लाभार्थियों की संख्या में हुई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्शाता है। राज्य-वार नामांकन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आर.टी.ई. अधिनियम कार्यान्वित करने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहायता के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कार्यक्रम के तहत वर्ष 2009-10 में 1960.11 करोड़, वर्ष 2010-11 में 3104.62 करोड़, वर्ष 2011-12 में 2636.82 करोड़, वर्ष 2012-13 में 3754.76 करोड़ और वर्ष 2013-14 में आज की तारीख तक 1912.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

विवरण

प्रारंभिक स्तर (I-VIII) पर राज्यवार नामांकन

राज्य/संघ राज्य	प्रारंभिक (I-VIII) स्तर पर नामांकन (स्रोत: डी.आई.एस.ई. 2008-09)			प्रारंभिक (I-VIII) स्तर पर नामांकन (स्रोत: डी.आई.एस.ई. 2011-12)		
	कुल नामांकन	एस.सी. नामांकन	एस.टी. नामांकन	कुल नामांकन	एस.सी. नामांकन	एस.टी. नामांकन
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	56666	28	4182	53332	224	3957
आन्ध्र प्रदेश	10910363	2028236	1051759	11251101	2110707	1117234
अरुणाचल प्रदेश	325238	2374	248547	341311	1911	258748
असम	5866018	571937	888702	5760967	534042	869906
बिहार	18709289	3249803	426572	20852093	3911853	437894
चंडीगढ़	141202	13075	155	156869	16236	204
छत्तीसगढ़	4493175	669034	1458934	4742902	701475	1537649
दादरा और नगर हवेली	51416	951	36212	59994	1362	40310
दमन और दीव	25160	1125	3027	26459	984	2797
दिल्ली	2647079	286679	10588	2818457	282128	10428
गोवा	173938	4383	15498	186005	3236	16852
गुजरात	7712277	562996	1449137	8376967	636649	1536336
हरियाणा	3242429	918256	5188	3724481	998161	0
हिमाचल प्रदेश	1065278	298704	60721	1005942	282267	58345

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	1907824	164454	273964	1908230	153231	288334
झारखंड	6602944	979877	2029745	6660259	981056	1934139
कर्नाटक	7808300	1501536	619198	8424857	1621785	679886
केरल	3384597	387198	75815	3819863	372437	100462
लक्षद्वीप	10798	2	10727	10165	37	10020
मध्य प्रदेश	15570693	2699958	3684026	15317828	2634666	3769717
महाराष्ट्र	15918204	2341568	1849695	16185891	2290304	1932595
मणिपुर	451557	14585	198008	508064	22304	230610
मेघालय	586114	6975	539342	705616	7903	645215
मिजोरम	238245	953	235291	258653	595	255265
नागालैंड	409491	328	390532	414405	290	381667
ओडिशा	6548485	1297255	1741242	6520130	1242085	1838025
पुदुचेरी	182495	34473	328	180992	34461	489
पंजाब	2827078	1349647	4523	3989063	1523423	399
राजस्थान	12262731	2383875	1851672	12397172	2540181	1946356
सिक्किम	122140	8757	45522	125618	9384	46918
तमिलनाडु	9878621	2422238	180779	9776252	2370741	167174
त्रिपुरा	683367	136810	270750	603580	117577	232258
उत्तर प्रदेश	32358301	8720562	194150	35404745	9538038	276157
उत्तराखंड	1598472	417361	55307	1658918	426342	51426
पश्चिम बंगाल	12957528	3546475	815029	14827957	4039135	1048337
भारत	187727513	37019866	20725117	199055138	39412917	21736821

[हिन्दी]

स्वास्थ्य पर ग्रामीण लोगों द्वारा किया गया व्यय

632. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:**

डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रमों के बावजूद, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या पर अनियत व्यय बढ़ गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण व्यय में प्राथमिकता-वार स्वास्थ्य परिचर्या के पश्चात् परिवहन तथा शिक्षा पर व्यय होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऊपर उल्लिखित मदों पर ग्रामीण लोगों द्वारा किये गये व्यय का क्या प्रतिशत है; और

(घ) ग्रामीण गरीबी तथा ग्रामीण गरीबों की तंदुरुस्ती पर इस व्यय के रुझान का क्या प्रभाव पड़ा है?

संसदीय कार्य तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, 2009 के अनुसार स्वास्थ्य परिचर्या पर अनियत व्यय 2001-02 में 72% से घटकर 2004-05 में 71% हो गया है जो गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाता है।

(ख) और (ग) एन.एस.एस.ओ. 68वें दौर, 2011-12 के परिणाम ग्रामीण व्यय की प्राथमिकताओं के रूप में स्वास्थ्य परिचर्या (6.90% हिस्सा) के पश्चात् परिवहन (4.80% हिस्सा) और शिक्षा (3.10% हिस्सा) पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (यू.आर.पी.) दर्शाते हैं।

(घ) ग्रामीण गरीबी तथा ग्रामीण गरीबों की तंदरुस्ती पर स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी व्यय के प्रभाव के बारे में कोई शासकीय अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

फिरोजशाह कोटला स्टेडियम

633. **श्री कीर्ति आजाद**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम के भूस्वामी एजेन्सी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने दिल्ली तथा जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डी.डी.सी.ए.) के साथ कोई पट्टा विलेख/समझौता/लाइसेंस विलेख निष्पादित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस प्रयोजनार्थ प्रदत्त स्टाम्प शुल्क का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डी.डी.सी.ए.) ने कथित रूप से फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में अवैध रूप से कुछ बॉक्स कॉर्पोरेट हाऊस को पट्टे पर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(ङ) क्या डी.डी.सी.ए. ने बिना संगत अनुमोदन तथा भवन योजना के उक्त स्टेडियम में किसी निर्माण की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि और विकास कार्यालय एक भू-स्वामी एजेंसी हैं।

(ख) दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डी.डी.सी.ए.) को अस्थाई आवंटन का लाइसेंस के आधार पर दिनांक 01.04.2002 से 33 वर्षों की अवधि के लिए विस्तार किया गया था तथा लाइसेंस विलेख निष्पादित किया जाना है।

(ग) और (घ) इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जी नहीं। डी.डी.सी.ए. ने एकीकृत भवन नक्शों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनकी जांच की जा रही है।

ई-लर्निंग मिशन का कार्यान्वयन

634. **श्रीमती अन्नू टन्डन**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्र-स्तरीय ई-लर्निंग मिशन तथा इसके कार्यान्वयन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार डिजीटल माध्यम हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक विषय-वस्तु के उद्देश्य के पुनर्निर्धारण के उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) महोदया, उच्चतर शिक्षा विभाग पहले ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.आई.सी.टी.) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का संचालन कर रहा है, जिसमें उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में इंटरनेट/इंटरानेट पर माड्यूल/नए छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता ज्ञान प्रदान करने में आई.सी.टी. की क्षमता को बढ़ाने की अपेक्षा की गई है। इस मिशन के दो प्रमुख संघटक, विषय सृजन तथा संस्थाओं और नए छात्रों के लिए पहुंच उपकरणों के प्रावधान के साथ संबद्धता है।

(ग) और (घ) एन.एम.ई.आई.सी.टी. योजना के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध विषय-वस्तु को बदलना शामिल है।

जे.एन.एन.यू.आर.ए.एम चरण-II

635. **श्री हरिन पाठक:**

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम) का द्वितीय चरण आरंभ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही इस चरण के तहत शहर-वार किन कार्यों को आरंभ किया गया है अथवा किये जाने की संभावना है, साथ ही इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियों की आवश्यकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है और मिशन के द्वितीय चरण को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निश्चित समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है क्योंकि इसमें अंतरमंत्रालयी परामर्श शामिल है।

चुनावों में 'पेड न्यूज'

636. **श्री एल. राजगोपाल**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चुनावों के दौरान 'पेड न्यूज' के संबंध में चुनाव आयोग (ई.सी.) द्वारा अपनाई जा रही 'नेम एण्ड शेम' नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) चुनावों के दौरान पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जानकारी में आए 'पेड न्यूज' के मामलों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त मामलों में प्रत्येक पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई.सी. की सतर्कता के बावजूद पेड न्यूज के मामलों में राजनीतिक दलों की मिलीभगत अत्यंत प्रचलित है;

(घ) यदि हां, तो निर्वाचन आयोग तथा सरकार इसे किस प्रकार रोकने की योजना बना रही है; और

(ङ) पेड न्यूज को एक भ्रष्ट पद्धति बनाने के प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि उनके पास 'नाम और बदनाम' नीति के नाम से कोई नीति नहीं है।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा यथाप्रस्तुत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए संदत्त समाचारों के मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि आज तक अधिकांश निर्वाचनों में रिपोर्ट किए गए संदत्त समाचारों में लिप्त राजनैतिक दलों के उदाहरण हैं।

(घ) प्रत्येक साधारण निर्वाचन की घोषणा से पहले, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और मीडिया समूहों के साथ इस संबंध में संदत्त समाचारों और उसके उपायों की बावत उनको जागरूक करने के लिए पृथक रूप से बैठक की जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग जिला और राज्य स्तर पर संदत्त समाचार के मामलों की समीक्षा करने के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियां (एम.सी.एम.सी.) गठित करता है और मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियां (एम.सी.एम.सी.) की रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्ययों के उनके खातों में मदों पर व्यय को सम्मिलित करने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। उन अभ्यर्थियों, जो निर्वाचन व्ययों के अपने खातों में ऐसे व्यय को नोटिस जारी किए जाते हैं। उन अभ्यर्थियों, जो निर्वाचन व्ययों के अपने खातों में ऐसे व्यय को सम्मिलित नहीं करते हैं, के विरुद्ध कोई अगली कार्रवाई लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन उनके द्वारा प्रस्तुत उनके निर्वाचन व्यय खातों की संवीक्षा के पश्चात् ही की जाती है। तत्पश्चात् संदत्त समाचारों के सभी सिद्ध मामले भी संबद्ध मीडिया समूहों की बाबत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् (पी.सी.आई.) (प्रिंट मीडिया के लिए) और समाचार प्रसारक संगम (इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए) को अग्रेषित किए जाते हैं।

(ङ) सरकार, निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिए सोद्देश्य कार्यसूची लाने करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्वाचन में संदत्त समाचारों की भूमिका को नियमित करना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन संबंधी सुधारों का मुद्दा समग्र रूप से गत समय में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग और अन्य पणधारियों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात् मुद्दे पर विचार करने और विधि में परिवर्तनों के लिए व्यापक उपायों का सुझाव देने के अनुरोध के साथ भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट किया गया है। विधि आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह शीघ्र ठोस सुझाव दे। विधि आयोग की सिफारिशों के प्राप्त हो जाने पर, मामले की पणधारियों के साथ परामर्श करके और समीक्षा की जाएगी।

विवरण

बिहार के साधारण निर्वाचन, 2010 के दौरान संदत्त समाचार मामलों की प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	संदत्त समाचार मामलों की संख्या
1.	बिहार	15

2011 में साधारण निर्वाचन के दौरान संदत्त समाचार मामलों की प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	संदत्त समाचार मामलों की संख्या जिनमें अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया।	संदत्त समाचारों के पुष्ट मामलों की संख्या
1.	केरल	65	65
2.	पुदुचेरी	3	3
3.	असम	42	27
4.	पश्चिमी बंगाल	15	8
5.	तमिलनाडु*	11	22

2012 में साधारण निर्वाचन के दौरान संदत्त समाचार मामलों की प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	संदत्त समाचार मामलों की संख्या जिनमें अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया।	संदत्त समाचारों के पुष्ट मामलों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	97	97
2.	उत्तराखंड	60	30
3.	पंजाब*	339	523
4.	गोवा*	63	9
5.	मणिपुर	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	495	414
7.	हिमाचल प्रदेश	190	104

*कतिपय मामलों पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। कुछ में परिवर्तन किए जा रहे हैं।

2013 में साधारण निर्वाचन के दौरान संदत्त समाचार मामलों की प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	संदत्त समाचार मामलों की संख्या जिनमें अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया।	संदत्त समाचारों के पुष्ट मामलों की संख्या
1.	त्रिपुरा	नहीं	नहीं
2.	मेघालय	नहीं	नहीं
3.	नागालैंड	नहीं	नहीं

2013 में कर्नाटक विधान सभा निर्वाचन के दौरान संदत्त समाचार मामलों की प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	संदत्त समाचार मामलों की संख्या जिनमें अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया।	संदत्त समाचारों के पुष्ट मामलों की संख्या
1.	कर्नाटक	93	93

साइबर अपराध और वेबसाइटों की हैकिंग

637. **प्रो. सौगत राय:**
श्री उदय सिंह:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री असादूदीन ओवेसी:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री हर्षवर्धन:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती उषा वर्मा:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री शिवराम गौडा:
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री सी. शिवासामी:
श्री अशोक तंवर:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी नागरिकों द्वारा रक्षा एवं सरकारी उपक्रमों की वेबसाइटों सहित सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमले और हैकिंग के मामलों की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) साइबर नेटवर्कों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अति महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एन.सी.आई.आई.पी.सी.) का सृजन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एन.सी.आई.आई.पी.सी. की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या साइबर हमलों से निपटने के लिए देश में साइबर पेशेवरों/विशेषज्ञों का भंयकर अभाव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साइबर पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी भर्ती करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को की गई रिपोर्ट और इसके द्वारा ट्रैक की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2011, 2012 और 2013 (जून तक) क्रमश: कुल 308, 371 और 78 सरकारी वेबसाइटों

को हैंक किया गया। वर्ष 2011, 2012 और 2013 (जून तक) सर्ट-इन को सरकारी, रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित स्कैनिंग/प्रोविंग, स्पैम, मालवेयर इंफेक्शन से संबंधित क्रमश:

कुल 13301, 22060 और 16035 मामलों की सूचना दी गई। यह पाया गया है कि हमलाकर्ता विश्व के विभिन्न भू-भागों में अवस्थित कंप्यूटर प्रणालियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और ऐसी तकनीकों व गुप्त सर्वरों का प्रयोग करते हैं ताकि उस वास्तविक प्रणाली की पहचान छुपाई जा सके जिससे हमले किए जा रहे हैं। साइबर हमलों के स्रोत का पता लगाना मुश्किल होता है।

(ख) वेबसाइटों पर हो रहे साइबर हमलों का पता लगाने एवं उनका निवारण करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। ये उपाय हैं:

(i) 8 मई, 2013 को सरकार द्वारा अनुमोदित एवं 2 जुलाई, 2013 को जारी की गई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 में साइबर स्पेस की सूचना एवं सूचना मूलसंरचना की सुरक्षा करने, साइबर खतरों का निवारण करने एवं उसका प्रत्युत्तर देने, दोषपूर्णता को कम करने एवं सांस्थानिक ढांचा, लोगो, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी एवं सहयोग के माध्यम से साइबर घटनाओं से होने वाली क्षति को कम करने का प्रावधान है।

(ii) सभी नई सरकारी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को होस्ट करने से पहले साइबर सुरक्षा के संदर्भ में लेखापरीक्षा की जाए। होस्ट करने के बाद भी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों की नियमित आधार पर लेखापरीक्षा की जाएगी। होस्ट करने के बाद भी नियमित आधार पर वेबसाइटों और अनुप्रयोगों की लेखापरीक्षा की जाएगी।

(iii) सभी सरकारी वेबसाइटों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) अथवा देश के अन्य किसी सुरक्षित मूलसंरचना सेवा प्रदाता की मूलसंरचना पर ही होस्ट करना अनिवार्य बनाया गया है।

(iv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) जो सरकारी वेबसाइटों को होस्ट करता है, वो अपनी होस्ट करने वाली मूलसंरचना की सुरक्षा स्थिति को लगातार उन्नत कर रहा है एवं उसमें सुधार कर रहा है।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के रूप में एक विधिक ढांचा उपलब्ध है। यह अधिनियम साइबर हमलों एवं सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना से संबंधित मामलों का निवारण करने के लिए विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है।

(vi) केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को साइबर हमलों एवं साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संकट प्रबंधन योजना लागू करने हेतु कहा गया है।

(vii) सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को साइबर हमलों को रोकने, उनका पता लगाने एवं उन्हें कम करने के लिए कदम उठाने हेतु कंप्यूटर सुरक्षा नीति एवं दिशानिर्देश परिचालित किए हैं। इसके अतिरिक्त वेबसाइटों की हैकिंग को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को उपयुक्त सुरक्षा उपाय कार्यन्वित करने की सलाह दी गई है।

(viii) भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) नवीनतम साइबर खतरों एवं प्रतिकारी उपायों के संबंध में नियमित आधार पर चेतावनियां एवं परामर्श जारी करता है। वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए सर्ट-इन ने दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं जो इसकी वेबसाइट (www.cert-in org.in) पर उपलब्ध है। प्रणाली प्रशासकों को बेवसाइटों की सुरक्षित होस्टिंग के संबंध में जागरूक बनाने के लिए सर्ट-इन नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(ix) महत्वपूर्ण सूचना मूलसंरचना का प्रचालन करने वाले संगठनों को अंतरराष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ. 27001 पर आधारित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रियाएं कार्यान्वित करने की सलाह दी गयी है। उनकी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों को उनकी सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना का नियमित रूप से सुरक्षा अंकेक्षण कराने की सलाह दी है।

(x) सरकार द्वारा साइबर हमलों से निपटने के लिए संगठनों की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए साइबर मॉक ड्रिल आयोजित किए जा रहे हैं। नवंबर, 2009 से 7 ऐसे ड्रिल आयोजित किए जा चुके हैं। सरकार साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर. एंड डी.) के द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित कर रही है।

(xi) सर्ट-इन ने कुल 22 आई.टी. सुरक्षा लेखा परीक्षकों का एक पैनल तैयार किया है जिसे किसी सरकारी अथवा निजी संगठनों द्वारा अपने आई.टी. मूलसंरचना की सुरक्षा लेखा परीक्षा के काम में लगाया जा सकता है।

(xii) सरकार साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित कर रही है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70क में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना मूलसंरचना की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी को नामित करने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एन.सी.आई.आई.पी.सी.) को महत्वपूर्ण सूचना मूलसंरचना की सुरक्षा के लिए चिन्हित किया है और इस दिशा में उपयुक्त प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली सुरक्षा प्रमाणन कनसार्टियम, इंक द्वारा किए गए हाल के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि वैश्विक स्तर पर सूचना सुरक्षा पेशेवरों की मांग में नियमित रूप से वृद्धि हुई है और आने वाले समय में यह 13.2% सी.ए.जी.आर. से बढ़ेगा। वर्ष 2016 तक 4.2 लाख सूचना सुरक्षा पेशेवरों की मांग होने का अनुमान है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में हाल के संशोधनों और बदलते हुए खतरों को देखते हुए अनुमान है कि सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में एक लाख से अधिक मानव संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

सरकार द्वारा 8 मई, 2013 को अनुमोदित एवं 2 जुलाई, 2013 को जारी किए गए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 में क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से अगले 5 वर्षों में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 500,000 पेशेवरों का कार्यबल तैयार करने का लक्ष्य शामिल किया गया है। मानव संसाधन विकास की रणनीति में निम्नलिखित शामिल है:

- राष्ट्र की साइबर सुरक्षा की जरूरतों एवं क्षमता निर्माण को सहायता देने के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण मूलसंरचना की स्थापना करना।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जागरूकता एवं कौशल विकास के लिए साइबर सुरक्षा संकल्पना प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।
- कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण के लिए सांस्थनिक तंत्र की स्थापना करना।

साइबर सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण सहित साइबर सुरक्षा पर निजी क्षेत्र के साथ काम करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को मिलाकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए जुलाई, 2012 में एक संयुक्त कार्यदल (जे.डब्ल्यू.जे.) का गठन किया गया है तथा संयुक्त कार्यदल (जे.डब्ल्यू.जी) ने साइबर सुरक्षा पर निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी पर अपनी रिपोर्ट 15 अक्टूबर, 2012 को सौंप दी। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिफारिशों को लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं एवं यह प्रक्रियाधीन है।

भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रक्रिया दल (सर्ट-इन) सूचना मूलसंरचना के प्रचालन में शामिल सरकारी पेशेवरों को साइबर सुरक्षा पर आधारभूत एवं उन्नत प्रशिक्षण दे रहा है। इसके अलावा, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) और प्रगत समाधान विकास केन्द्र (सी-डैक) डिजिटल साक्ष्य के संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं और प्रणालियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायिक प्रयोगशालाओं तथा न्यायपालिका को प्रशिक्षण देते हैं।

विद्यालय न जाने वाले बच्चे

638. **श्री प्रदीप माझी**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या में कोई गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में विद्यालय न जाने वाले बच्चों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देशभर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संस्वीकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में अब तक स्थापित किए गए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में वास्तव में नामांकित तथा विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) देश में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या के आकलन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 और 2009 में दो स्वतंत्र सर्वेक्षण कराए गए थे। इन सर्वेक्षणों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2005 के 134.6 लाख की तुलना में वर्ष 2009

में 81.5 लाख तक की कमी दर्शाई गई थी। राज्यों द्वारा गत 3 वर्षों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में अतिरिक्त कमी संलग्न विवरण-I में दिए अनुसार बताई गई है।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किए जाते हैं। एस.एस.ए. के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) 2011-12 के अनुसार, वर्ष 2009-10 में प्राथमिक स्तर पर नामांकित बच्चों की संख्या 13.34 करोड़, 2010-11 में 13.52 करोड़ तथा 2011-12 में 13.70 करोड़ थी। इसी प्रकार, उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2009-10 में नामांकन 5.44 करोड़, 2010-11 में 5.78 करोड़ तथा 2011-12 में 6.19 करोड़ था।

विवरण-I

विद्यालय न जाने वाले बच्चों (6-14 वर्ष तक की आयु के) की वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	751	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	115810	301271	161538
3.	अरुणाचल प्रदेश	11343	9688	3443
4.	असम	124577	118603	102518
5.	बिहार	352331	282669	271096
6.	चंडीगढ़	3782	6018	4544
7.	छत्तीसगढ़	128185	64860	76204
8.	दादरा और नगर हवेली	103	167	171
9.	दमन और दीव	409	379	133
10.	दिल्ली	23536	9854	7255
11.	गोवा	13024	3608	2500
12.	गुजरात	58137	102836	84358
13.	हरियाणा	107.599	84032	125084
14.	हिमाचल प्रदेश	2414	3243	2811
15.	जम्मू और कश्मीर	36281	43153	59061
16.	झारखंड	236265	502942	280617
17.	कर्नाटक	39841	125888	117845
18.	केरल	10043	21425	1406

1	2	3	4	5
19.	लक्षद्वीप	7	7	0
20.	मध्य प्रदेश	70486	126485	74415
21.	महाराष्ट्र	16145	218799	86856
22.	मणिपुर	21340	9632.	8744
23.	मेघालय	14393	20998	33557
24.	मिजोरम	9759	8234	7362
25.	नागालैंड	20108	11719	8589
26.	ओडिशा	72048	30591	19591
27.	पुदुचेरी	901	885	341
28.	पंजाब	30939	18459	17414
29.	राजस्थान	1210917	497029	410957
30.	सिक्किम	2130	1911	1185
31.	तमिलनाडु	52558	53832	45120
32.	त्रिपुरा	596	1818	1489
33.	उत्तर प्रदेश	194146	109677	64442
34.	उत्तराखंड	8168	6893	6858
35.	पश्चिम बंगाल	218150	136437	131375
	कुल	3206471	2934793	2218879

(स्रोत: वार्षिक कार्य योजना तथा बजट)

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र.सं.	राज्य	2010-11 पी.ए.सी. कार्यवृत्त		2011-12 (अनुपूरक) पी.ए.सी. कार्यवृत्त		2011-12 पी.ए.सी. कार्यवृत्त		2012-13 पी.ए.सी. कार्यवृत्त	
		प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0	6	11	15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	आन्ध्र प्रदेश	20	5	0	0	13	0	435	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	194	54	0	0	124.	42	123	49
4.	असम	3533	0	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	821	1720	0	0	1756	447	0	0
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	7	7	0	0	0	4	2	2
7.	छत्तीसगढ़	319	85	0	0	193	140	8	30
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	27
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	2
10.	दिल्ली	2	0	0	0	0	0	2	2
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	हरियाणा	114	177	0	0	8	49	15	4
14.	हिमाचल प्रदेश	0	7	0	0	40	20	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	497	863	0	0	397	330	0	0
16.	झारखंड	927	441	0	0	42	32	0	0
17.	कर्नाटक	135	330	3	57	0	0	0	10
18.	केरल	6	0	0	0	118	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	2	0	0	0	0	0	0	1
20.	मध्य प्रदेश	386	944	0	0	740	0	179	803
21.	महाराष्ट्र	843	60	0	0	0	0	0	219
22.	मणिपुर	0	0	180	0	535	158	76	0
23.	मेघालय	574	302	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	21	63	6	0
25.	नागालैंड	168	324	95	118	0	0	0	0
26.	ओडिशा	648	396	0	0	0	374	0	0
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	3
28.	पंजाब	27	90	9	13	0	0	0	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	52	1	0	0	0
31.	तमिलनाडु	228	218	0	61	0	0	0	0
32.	त्रिपुरा	70	71	0	0	0	0	34	1
33.	उत्तर प्रदेश	26	1152	0	0	10487	1173	0	0
34.	उत्तराखंड	7	14	0	0	0	0	46	23
35.	पश्चिम बंगाल	15761	1866	0	0	0	0	100	415
	कुल	25315	9126	288	301	14481	2843	1041	1613

(स्रोत: वार्षिक कार्य योजना तथा बजट)

पी.ए.बी.=परियोजना अनुमोदन बोर्ड

भारतीय भाषाओं में वेब विषय-वस्तु

639. **श्री राम सुन्दर दास:**

श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भाषाओं में वेब विषय-वस्तु की अनुपलब्धता के कारण देश में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का भाषा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष कृतक बल स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कृतक बल के विचारार्थ विषय क्या है और इसके लिए क्या वित्तीय व्यवस्था की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने "भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी.डी.आई.एल.) कार्यक्रम" शुरू किया है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाओं में सूचना संसाधन के लिए सॉफ्टवेयर टूल उपलब्ध कराना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा जनता को इनका लाभ पहुंचे के लिए सॉफ्टवेयर टूल युक्त सी.डी. सार्वजनिक डोमेन में जारी की गई है। यह आम आदमी को उनकी अपनी भाषा में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा साथ ही यह विकासकर्ताओं को उन्नत समाधान विकसित करने में भी सहायता प्रदान करेगा। संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी 22 भारतीय भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर टूल और फॉट युक्त सी.डी. जारी कर दी गई है। जारी किए गए सॉफ्टवेयर टूलों को http"//www.iidc.gov.in वैबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मशीनी अनुवाद, क्रॉस लिंगुअल इनफर्मेशन एक्सेस और करेक्टर रिकॉग्नशन के क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाएं कंसोर्टियम मोड़ में शुरू की गई है। इन परियोजनाओं में मशीनी अनुवाद के लिए भारतीय भाषायुग्म और ऑप्टीकल रिकॉग्नशील के लिए इंडिक स्क्रिप्ट शामिल है और इनका कार्यान्वयन देश के अग्रणी शैक्षिक और अनुसंधान संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लैंडलाइन टेलीफोन सुविधाएं

640. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

श्री चंद्रकांत खैरे:

श्री रतन सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान जिन दूरभाष केन्द्रों का उन्नयन, आधुनिकीकरण किया गया है और ऑप्टीकल फाइबर तारों से जोड़ दिया गया है उनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में दूरसंचार सुविधाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में आज की तारीख तक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और कब तक इस प्रतीक्षा सूची को समाप्त कर लिया जाएगा;

(घ) खराब टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. क्रुपारानी किल्ली): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के सभी दूरभाष केंद्र ऑप्टीकल फाइबर से जुड़े हुए हैं। बी.एस.एन.एल. के कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित दूरभाष केंद्र उपग्रह और सूक्ष्मतरंग मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. दूरभाष केंद्रों का सर्कल वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश में दूरसंचार सुविधाओं की बढ़ोत्तरी और विकास हेतु बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित निधियों का सर्कल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जून, 2013 में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में स्थित आवेदकों की संख्या 29605 है। इसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। लैंडलाइन टेलीफोन तभी दिए जाते हैं जब ऐसा करना तकनीकी रूप से संभव हो।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष 2013-14 के दौरान (जून, 2013 तक) प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है:

बी.एस.एन.एल.	एम.टी.एन.एल. (दिल्ली एवं मुंबई)
2,34,962	12,07,911

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. अपनी सेवा गुणवत्ता (क्यू.ओ.एस.) का अनुश्रवण उन मापदंडों पर करते हैं जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और शिकायतों का निवारण आम तौर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के मापदंडों के अनुसार किया जाता है। नियमों का अनुपालन न करने वाले बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, अपेक्षित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमों के अनुसार की जाती है। तथापि, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. ने शिकायतों की संख्या कम करने और अपनी सेवाओं में और सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- महत्वपूर्ण दोषों/केबल चोरी होने वाली जगहों पर नियमित रूप से गश्त लगाई जाती है।
- स्थानीय नागरिक निकायों के साथ समन्वय रखा जाता है।
- फील्ड यूनिटों को अनुदेश दिए गए हैं कि ड्यूटी के उपयुक्त प्रबंध करके छुट्टी के दिनों भी में दोषों का निवारण करें।
- बाह्य संयंत्रों का नियमित रूप से पुनर्संस्थापन एवं उन्नयन किया जाता है।
- बड़े-बड़े केंद्रों के स्थान पर नवीनतम एन.जी.एन. (नेक्सट जेनरेशन नेटवर्क) अवसंरचना की जा रही है।
- ग्राहकों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध/ऑन लाइन प्रणाली से किया जाता है।
- सेवा की गुणवत्ता (क्यू.ओ.एस.) में सुधार के लिए स्टाफ को सुग्राही बनाया जा रहा है।

विवरण-I

30.06.2013 को बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के दूरभाष केंद्रों की संख्या

क्र.सं.	सर्कल का नाम	दूरभाष केंद्रों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50
2.	आन्ध्र प्रदेश	3228
3.	असम	585
4.	बिहार	1193
5.	छत्तीसगढ़	571
6.	गुजरात	2931
7.	हरियाणा	1058
8.	हिमाचल प्रदेश	1150
9.	जम्मू और कश्मीर	371
10.	झारखंड	488
11.	कर्नाटक	2805
12.	केरल	1265
13.	मध्य प्रदेश	2408
14.	महाराष्ट्र	4732
15.	पूर्वोत्तर-I	219
16	पूर्वोत्तर-II	219
17.	ओडिशा	1090
18.	पंजाब	1507
19.	राजस्थान	2243
20.	तमिलनाडु	2003
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2155
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1033
23.	उत्तराखंड	475
24.	पश्चिम बंगाल	1365
25.	कोलकाता	511
26.	चेन्नै	330
	योग	**35985**
	एम.टी.एन.एल.	
	दिल्ली	354
	मुंबई	227
	योग	581

विवरण-II

देश में दूरसंचार सुविधाओं की बढ़ोत्तरी और विकास हेतु पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11 आवंटित निधियां (आर.ई.)	2011-12 आवंटित निधियां (आर.ई.)	2012-13 आवंटित निधियां (आर.ई.)	2013-14 आवंटित निधियां (बी.ई.)
1	2	3	4	5	6
बी.एस.एन.एल.					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	32.77	9.99	9.41	10.40
2.	आन्ध्र प्रदेश	481.26	606.61	460.96	389.75

1	2	3	4	5	6
3.	असम	139.25	314.36	92.03	83.31
4.	बिहार	322.76	267.17	102.20	156.56
5.	छत्तीसगढ़	231.75	141.96	92.30	47.31
6.	गुजरात	405.93	273.49	155.20	185.40
7.	हरियाणा	167.32	164.40	169.08	155.31
8.	हिमाचल प्रदेश	101.58	93.92	73.34	61.23
9.	जम्मू और कश्मीर	80.77	87.12	85.14	63.18
10.	झारखंड	167.83	215.40	117.00	75.36
11.	कर्नाटक	878.85	629.75	356.27	297.52
12.	केरल	520.60	559.63	330.62	175.98
13.	मध्य प्रदेश	530.06	447.58	119.82	145.13
14.	महाराष्ट्र	963.67	828.91	425.78	247.99
15.	पूर्वोत्तर	129.58	140.57	66.95	162.97
16.	ओडिशा	195.46	234.99	148.19	339.34
17.	पंजाब	235.33	408.46	207.05	205.34
18.	राजस्थान	215.21	190.74	229.00	250.73
19.	तमिलनाडु	844.87	615.99	453.31	263.62
20.	उत्तर प्रदेश	671.07	560.43	504.15	466.78
21.	पश्चिम बंगाल	608.10	422.31	201.87	238.25
22.	अन्य	2227.71	1881.57	1009.18	1571.53
एम.टी.एन.एल.					
	दिल्ली	829.76	310.40	265.46	381.78
	मुम्बई	385.10	219.31	179.02	393.43

विवरण-III

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	सर्कल का नाम	प्रतीक्षा सूची में स्थित आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	586
3.	असम	0
4.	बिहार	0
5.	छत्तीसगढ़	0
6.	गुजरात	3104
7.	हरियाणा	409

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	0
9.	जम्मू और कश्मीर	1060
10.	झारखंड	285
11.	कर्नाटक	2260
12.	केरल	8733
13.	मध्य प्रदेश	0
14.	महाराष्ट्र	9535
15.	पूर्वोत्तर-I	198
16	पूर्वोत्तर-II	0
17.	ओडिशा	0
18.	पंजाब	32
19.	राजस्थान	1360
20.	तमिलनाडु	1733
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	35
23.	उत्तराखंड	0
24.	पश्चिम बंगाल	54
25.	कोलकाता	221
26.	चेन्नै	0
	एम.टी.एन.एल.	
	दिल्ली	0
	मुंबई	0

[अनुवाद]

टावरों / हैंडसेटों से विकिरण

641. **श्री नलिन कुमार कटील:**
श्री रतन सिंह:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में मोबाइल टावरों की स्थापना में वृद्धि हो रही है और उसके परिणामस्वरूप इन टावरों से निकलने वाली गैर-आयनीकृत विकीरणों से स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मोबाइल टावरों और मोबाइल हैंडसेटों से उत्सर्जित गैर-आयनीकृत विकीरणों को रोकने के लिए कोई अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जारी उक्त अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और हैंडसेट निर्माताओं/आयातकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) दिनांक 31.05.2013 की स्थिति के अनुसार भारत में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 870.20 मिलियन है जो इस दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक दूसरे स्थान पर है।

(ग) दूरसंचार सेवा प्रदाता समय-समय पर अपने मोबाइल नेटवर्क की क्षमता का संवर्धन करते रहते हैं जिसमें अतिरिक्त मोबाइल टॉवरों का संस्थापन शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने मई, 2006 के तथ्य-पत्र सं. 304 में यह उल्लेख किया है कि अधिक न्यून प्रभावन स्तर तथा अब तक एकत्र किए गए अनुसंधान परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस बात का कोई पुष्टिकारक वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिलता कि बेस स्टेशनों और बेतार नेटवर्कों से उत्सर्जित कमजोर आर.एफ. सिग्नल से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब तक एकत्रित सभी साक्ष्यों से बेस स्टेशनों से निकलने वाले आर.एफ. सिग्नलों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कम अथवा अधिक अवधि वाले प्रतिकूल प्रभाव के मामले सामने नहीं आए हैं।"

(घ) और (ङ) मोबाइल टॉवरों के संबंध में रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड (बेस स्टेशन उत्सर्जन) संबंधी भावन सीमा के मानदंडों में दिनांक 01.09.2012 से अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण (आई.सी.एन.आई.आर.पी.) द्वारा निर्धारित मौजूदा सीमा के 1/10वें भाग तक कमी कर दी गई है।

दोषी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई है और उन पर जुर्माना लगाए जाने के लिए उन्हें मांग पत्र जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मोबाइल टॉवरों के संस्थापन हेतु अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में सभी राज्य सरकारों को दिनांकक 01.08.2013 को संशोधित परामर्शी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और ये दिशा-निर्देश दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in पर भी उपलब्ध है।

मोबाइल हैंडसेटों के विशेष अवशोषण दर (एस.ए.आर.) मूल्य के संबंध में मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:-

(i) मोबाइल हैंडसेटों के लिए विशिष्ट अवशोषण दर को मानव उत्तक के 1 ग्राम भार पर औसतन 1.6 वाट/प्रति किग्रा तक सीमित किया गया है।

(ii) नए डिजाइनों वाले सभी मोबाइल हैंडसेटों के संबंध में दिनांक 1 सितंबर, 2012 से मानव उत्तक के 1 ग्राम भार पर औसतन 1.6 वाट/प्रति किग्रा. एस.ए.आर. स्तर का अनुपालन किया जाएगा। तथापि, 10 ग्राम उत्तक के भार पर औसतन 2.0 वाट/प्रति कि.ग्रा. एस.ए.आर. स्तर का अनुपालन करने वाले मौजूदा मोबाइल हैंडसेट, दिनांक 31 अगस्त, 2013 तक साथ-साथ बने रहेंगे।

(iii) भारत में घरेलू बाजार के लिए दिनांक 01 सितंबर, 2013 से केवल संशोधित एस.ए.आर. स्तर 1.6 वाट प्रतिकिग्रा. का अनुपालन करने वाले मोबाइल हैंडसेटों को ही विनिर्मित अथवा आयातित करने की अनुमति होगी।

उपर्युक्त (iii) के मद्देनजर हैंडसेट विनिर्माताओं/आयातकों द्वारा इन मानदंडों का अनुपालन न करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

642. **श्री बलीराम जाघव:**

श्री गुरुदास दासगुप्ता:

श्री प्रबोध पांडा:

डा. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:

डा. तम्बिदुरई:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मौजूदा सीमा 74 प्रतिशत, जिसमें 49 प्रतिशत निवेश स्वयंमेव किया जा सकता है और शेष के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से सहमति लेनी पड़ती है, से बढ़ा दिया है बढाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में कितनी वृद्धि करने से इस उद्योग के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में हितधारकों से परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) सरकार ने सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए एफ.डी.आई. सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने पर अपना अनुमोदन दे दिया है। इसमें दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता भी शामिल है जिनका 49% निवेश ऑटोमेटिक रूट से होगा और 49% से अधिक निवेश विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) के माध्यम से होगा बशर्ते कि लाइसेंसधारकों और निवेशकों द्वारा सुरक्षा और लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शर्तों के अनुसार किया जाए।

(ग) आशा है कि एफ.डी.आई. सीमा को बढ़ाने से पूंजी के अन्तर्वाह में मदद मिलेगी और वर्तमान सेवा प्रदाता भी निम्नतर लागत पर वित्त समर्थ होने में सहायता मिलेगी।

(घ) और (ङ) एफ.डी.आई. संबंधी नीति का पुनरीक्षण, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चलता ही रहता है ताकि एफ.डी.आई. का अन्तर्वाह होता रहे। उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार ने गृह मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों से परामर्श किया है।

गैर-कॉर्पोरेट व्यावसायिक कंपनियों का विनियामक ढांचा

643. **श्री पी.आर. नटराजन:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) जैसे खेल निकायों सहित गैर-कॉर्पोरेट व्यावसायिक कंपनियों के लिए सरकार के पास विनियामक ढांचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई विधान अधिनियमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघ (एन.एस.एफ.) के कृत्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए और देश में खेल के स्वस्थ्य विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 (एन.एस.डी.सी.) की विरचना की है जिसमें कोई दांडिक उपबंध नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक स्वायत्त निकाय है और यह भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता का अनुपालन नहीं करता है। राष्ट्रीय खेल संघ (एन.एस.एफ.) सरकार से निधियों और विभिन्न अनुतोषों को प्राप्त करने के लिए एन.एस.डी.सी. के साथ अनुपालन करने के लिए अपेक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) युवा कार्य और खेल मंत्रालय इस संबंध में एक विधान लाने पर विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

बेघरों को आवास देना

644. **श्री चंद्रकांत खैरे**:

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वतंत्रता के 60-65 वर्षों के बाद भी बेघरों के लिए आवास उपलब्ध नहीं करा सकी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आज की तारीख तक बेघरों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डा. गिरिजा व्यास): (क) से (घ) आवास की कमी का अनुमान लगाने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समिति ने वर्ष 2012 की स्थिति अनुसार ऐसा अनुमान लगाया है कि शहरी क्षेत्रों में 0.53 मिलियन परिवारों के पास घर नहीं है। इस संबंध में मंत्रालय के पास राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। चूंकि "भूमि" और "कालोनाइजेशन" राज्य के विषय है, इसलिए सभी नागरिकों को आश्रय प्रदान करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्यों का है। तथापि, इस मंत्रालय ने प्रस्तावित "राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन" के अंतर्गत "शहरी बेघरों के लिए आश्रय" घटक बनाया है ताकि राज्यों को बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करने में सहायता प्रदान की जा सके। चूंकि अभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए ऐसी स्थिति में इस संबंध में कोई ठोस कटिबद्धता नहीं की जा सकती है।

भूमिगत तारों से युक्त ग्राम पंचायत

645. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कितनी ग्राम पंचायतों को भूमिगत तारों द्वारा जोड़ा गया है;

(ख) क्या देश में केबल लाइनों के बिछाने के संबंध में शिकायतें/अनियिमितताएं दर्ज की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ग्राम पंचायतों में तारे बिछाये जाने के बावजूद उन्हें टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए जाने के क्या कारण है और ऐसी पंचायतों की संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. क्रुपारानी किल्ली): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बी.एस.एन.एल. द्वारा विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में भूमिगत तारों द्वारा जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

इसके साथ ही, ब्रॉडबैंड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच संयोजकता अंतराल को भरने के प्रयोजनार्थ जहां कहीं आवश्यक होता है वहां सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों अर्थात बी.एस.एन.एल., रेलटेल और पावर ग्रिड की वर्तमान फाइबरों का इस्तेमाल करके तब वृद्धिक फाइबर बिछाकर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों (2,50,000) को जोड़ने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) की योजना बनाई गई है।

अजमेर जिले (राजस्थान) के अरेन ब्लॉक, उत्तर त्रिपुरा जिले (त्रिपुरा) के पाणिसागर ब्लॉक और विशाखापट्टनम जिले (आंध्र प्रदेश) के प्रावदा ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए दिनांक 15.10.2012 को तीन प्रायोगिक परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। इन तीन प्रायोगिक परियोजना ब्लॉकों में 28 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को 100 एम.बी.टी.एस. बैडविड्थ प्रदान किया गया है।

एन.ओ.एफ.एन. की प्रायोगिक परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर तारों (ओ.एफ.सी.) से जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) तारों को बिछाने के संबंध में बी.एस.एन.एल. को कोई शिकायतें/अनियमतताएं प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) अंडमान और निकोबार सर्किल की ग्राम पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उनमें से 7 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अनुरोध नहीं किया है और 2 ग्राम पंचायतों के पास मोबाइल कवरेज उपलब्ध है।

उत्तराखंड सैकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र (एस.एस.ए.) में तकनीकी गैर व्यवहार्यता के कारण टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

विवरण-I

विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में भूमिगत तारों से जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की राज्यवार संख्या

राज्य/सर्किल का नाम	भूमिगत तारों के माध्यम से जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की संख्या	
	विगत 3 वर्षों के दौरान	वर्तमान वर्ष 31.07.2013 तक
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य
असम	324	शून्य
बिहार	1521	शून्य
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य
गुजरात	6	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
हरियाणा	शून्य	शून्य
जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
झारखंड	38	शून्य
केरल	शून्य	शून्य
कर्नाटक	शून्य	शून्य

1	2	3
महाराष्ट्र	3	3
मध्य प्रदेश	169	1
पूर्वोत्तर-I	36	शून्य
पूर्वोत्तर-II	75	शून्य
ओडिशा	शून्य	शून्य
पंजाब	शून्य	शून्य
राजस्थान	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	19	शून्य
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	115	4
उत्तराखंड	131	शून्य
पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य
कुल	2437	8

विवरण-II

एन.ओ.एफ.एन. की प्रायोगिक परियोजना के तहत एन.ओ.एफ.सी. के माध्यम से जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	एन.ओ.एफ.एन. की प्रायोगिक परियोजना के तहत एन.ओ.एफ.सी. के माध्यम से जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	राजस्थान	अजमेर	अरेन	29
2.	त्रिपुरा	पूर्वी त्रिपुरा	पाणिसागर	13
3.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	प्रावदा	16

[अनुवाद]

मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देना

646. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में बड़ी संख्या में निजी/सरकारी कॉलेजों को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विश्वविद्यालयों के सृजन से उच्च शिक्षा में कोई सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए मानकों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। विगत तीन वर्षों के दौरान उच्चतर शिक्षा

की केवल एक संस्था अर्थात, हरियाणा स्थित सोनीपत में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.टी.ई.एम.) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) अधिनियम, 1956 के खंड 3 के अधीन भारत सरकार द्वारा समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) सम विश्वविद्यालय की अवधारणा के पीछे मूल विचार उन संस्थाओं को प्रोमोट, सुदृढ़ करना और यू.जी.सी. के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाना है जो ऐतिहासिक अथवा दूसरी परिस्थितियों से अभी तक विश्वविद्यालय नहीं थे फिर भी किसी विश्वविद्यालय के तुलनीय विशेषीकृत शैक्षिक क्षेत्र में उच्च मापदंडों का कार्य कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को डिग्री प्रदान करने की शक्तियां प्रदान करने से निश्चित रूप से इन संस्थाओं में शिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान के मानदंडों में सुधार हुआ है।

(घ) सरकार ने 6 जुलाई, 2009 को सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के कार्यकरण और उनको जारी रखने की वांछनीयता की समीक्षा करने के लिए विख्यात शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था। इस समीक्षा समिति ने सम विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित नौ मानदंड अपनाए थे:-

1. किसी विश्वविद्यालय के विचार का अध्ययन
2. क्या सभी उनकी वर्तमान गतिविधियां/कार्यक्रम किसी सम विश्वविद्यालय के बिना ही जा सकते थे, किस प्रकार सम विश्वविद्यालय का स्तर बेहतर कार्य निष्पादन के लिए सहायक हो सकता है।
3. सम विश्वविद्यालय के रूप में किसी संस्था की मान्यता के लिए यू.जी.सी. अधिनियम और यू.जी.सी. दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के साथ अनुरूपता
4. अभिशासन के पहलू
5. शिक्षण-अध्ययन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता एवं नवाचार
6. अनुसंधान के परिणाम तथा उसके प्रभाव (अनुसंधान प्रकाशन, पुस्तकें, मोनोग्राफ, पेटेंट आदि)
7. डॉक्टरल तथा अन्य अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम
8. संकाय संसाधन तथा
9. दाखिला प्रक्रिया एवं डिग्रियां प्रदान करना।

विदेशों में हिन्दी शिक्षण

647. **श्री रामसिंह राठवा**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी नागरिकों को हिन्दी सिखाने के लिए विदेशों में पीठ/संस्थाओं/केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों को विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों की उपलब्धियों, यदि कोई हो, के संबंध में कोई प्रलेखन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत दो वर्षों में स्थापित किए गए अथवा आने वाले वर्षों में स्थापित किए जाने वाले ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी, हां। विदेशों में हिन्दी के अध्यापन तथा इसके द्वारा उसका विकास संवर्धित करने के लिए आई.सी.सी.आर. ने विदेश स्थित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हिन्दी पीठें स्थापित की हैं। इस समय आई.सी.सी.आर. 25 हिन्दी पीठों की देख-रेख कर रहा है। इन पीठों का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इस समय आई.सी.सी.आर. भारतीय कला, संगीत एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कई देशों में 36 सम्पूर्ण भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों तथा 2 उपकेन्द्रों का रख रखाव कर रहा है। (संलग्न विवरण-II पर है) तथापि, हिन्दी अध्यापन के लिए विशेष रूप से कोई अन्तरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र नहीं खोला गया है, चूंकि इस परिषद का मुख्य उद्देश्य विदेशों में भारत की संयुक्त सांस्कृतिक विरासत की जानकारी एवं महत्व को संवर्धित करने के लिए भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों तथा आपसी सूझबूझ स्थापित करना, पुनरुद्धार करना तथा सशक्त करना है। इसलिए भारतीय सांस्कृतिक कला केन्द्र, भारत के शास्त्रीय संगीत नृत्य में कक्षाएं आयोजित करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रचारक कार्यकलाप, सम्मेलन एवं संगोष्ठियां आयोजित करने तथा भारतीय उत्सव समारोह इत्यादि जैसे कार्यकलापों में लगे हुए हैं। भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र ने अपने नियमित कार्यकलापों के भाग के रूप में उपलब्ध स्थानीय प्रतिमा की सहायता से कुछ केन्द्रों, जिनकी सूची नीचे दी गई है, पर हिन्दी कक्षाओं की व्यवस्था भी की है। इस समय जिन सांस्कृतिक केन्द्रों में हिन्दी कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, वे हैं: जकार्ता एवं बाली (इण्डोनेशिया), ताशकन्द (उजबेकिस्तान), अस्ताना (कजाखस्तान), दुशाम्बे (तजाकिस्तान), जार्जटाऊन (गयाना), कुवालालम्पुर (मलेशिया), काहिरा (मिस्त्र), कोलम्बो (श्रीलंका), बैंकाक (थाईलैंड), बीजिंग (चीन), मैक्सिको नगर, साओ पोलो (ब्राजील), हेम (नीदरलैंड), सिपोल (दक्षिण कोरिया) तथा सुवा

(फिजी)। इसके अलावा आई.सी.सी.ए. के वित्तपोषण से पोलैंड के तीन नगरों (वर्साव, डांस्क तथा कराकाओ) में कक्षाएं लेने के लिए तीन अंशकालिक हिन्दी अध्यापक भी हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में 25 हिन्दी पीठों तथा पोलैंड में अंशकालिक हिन्दी अध्यापकों के रख-रखाव के लिए आबंटित बजट का विवरण अनुबंध । में दिया गया है। जहां तक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों में हिन्दी अध्यापन का संबंध है, इसका व्यय संबंधित सांस्कृतिक केन्द्र के समग्र बजट में से पूरा कर लिया जाता है। हिन्दी अध्यापन के लिए कोई विशेष बजटीय आवंटन नहीं किया जाता। स्थानीय रूप से नियुक्त ऐसे अध्यापकों को केन्द्रों की अवस्थिति तथा कक्षाओं में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर 200 से 500 अमरीकी डालर के बीच भुगतान किया जाता है।

(घ) और (ङ) इस समय इन पीठों के कार्यनिष्पादन तथा उपयोगिता का मूल्यांकन संबंधित भारतीय मिशन तथा इन पीठों पर आसीन व्यक्तियों, दोनों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर किया जा रहा है। आई.सी.सी.आर. के अध्यक्ष, डा. कर्णसिंह की अध्यक्षता में आई.सी.सी.आर. की शैक्षिक सलाहकार समिति को अभी पुनगर्ठित किया गया है, जिसे पीठे खोलने के स्थान, उन पर प्रोफेसरों के चयन के तौर-तरीकों पर नीतिगत दस्तावेज तैयार करने तथा नियमित अनुवीक्षण एवं समीक्षा की प्रणाली का अधिदेश दिया गया है। जिसका अनुसरण भविष्य में आई.सी.सी.आर. द्वारा किया जाएगा।

विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों तथा मिशनों में हिन्दी अध्यापकों के कार्य निष्पादन तथा उपलब्धियों की जांच-पड़ताल मिशन प्रमुखों/निदेशक, सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा की जाती है। इन अध्यापकों के कार्यों पर टिप्पणियां केन्द्र के कार्यचालन संबंधी रिपोर्टों में शामिल की जाती है, जिसे समय-समय पर परिषद को भेजा जाता है।

(च) विगत 2 वर्षों में आई.सी.सी.आर. ने 9 हिंदी पीठें स्थापित की हैं, जिसका विवरण अनुबंध । (क) में दिया गया है। आई.सी.सी.आर. को गयाना एवं ओमान एवं दक्षिण अफ्रीका (विवरण अनुबंध ।(क) में दिया गया है) में नई हिन्दी पीठें स्थापित करने के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर आई.सी.सी.आर. शैक्षिक सलाहकार समिति द्वारा की गई नीतिगत सिफारिशों तथा अपेक्षित अतिरिक्त वित्तपोषण की गारंटी के आधार पर आगे कार्रवाई करने का इच्छुक है।

विगत 2 वर्षों के दौरान आई.सी.सी.आर. ने विदेशों अर्थात माली (मालदीव), सिओल (दक्षिण कोरिया), रियाद (साऊदी अरब), साओ पोलो (ब्राजील), हेग (नीदरलैंड) एवं तेहरान (ईरान) में 6 भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं तथा इस समय सिओल, साओ पोलो तथा हेम में हिन्दी पढ़ाई की जा रही है।

हालांकि तत्काल भविष्य में विदेशों में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के कई प्रस्ताव हैं, फिर भी आई.सी.सी.आर. ने वांशिगटन, यू.एस.ए. (जिनके लिए हाल ही में उपयुक्त सम्पत्ति की पहचान की जा चुकी है), तथा टोरंटों (कनाडा) (जहां उपयुक्त भवन की तलाश करने के लिए तथा अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक भारत आस्थानी निदेशक को प्रतिनियुक्त किया गया है) पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है।

(छ) भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के शेष प्रस्तावों पर आगामी कार्रवाई आई.सी.सी.आर. को उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त निधि पर भी निर्भर करेगी।

विवरण-।

आई.सी.सी.आर. की हिंदी पीठ के लिए राशि का देशवार आबंटन

क्र.सं.	देश	विश्वविद्यालय/संस्थान एवं शहर	वित्तीय वर्ष 2010-11 में आबंटन (लाख भारतीय रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2012-12 में, आबंटन (लाख भारतीय रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आबंटन (लाख भारतीय रुपए में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	अफगानिस्तान	नागरहार विश्वविद्यालय, जयपुर	शून्य	शून्य	शून्य	सुरक्षा की प्रतिकूल स्थिति के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया

1	2	3	4	5	6	7
2.	अर्मेनिया	पेरेवान राज्य भाषा विज्ञान विश्वविद्यालय, येरेवान	24.00	26.00	30.00	शून्य
3.	अजरबेजान	अजरबेजान भाषा विश्वविद्यालय, बाकु	20.00	32.00	28.00	शून्य
4.	बांग्लादेश	इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, ढाका	शून्य	25.00	25.00	यह पीठ 2011-12 से चल रही है
5.	बेल्जियम	घेंट राजकीय विश्वविद्यालय, घेंट	24.00	32.00	28.00	शून्य
6.	बुल्गारिया	सोफिया विश्वविद्यालय, सोफिया	21.00	32.00	30.70	शून्य
7-9.	चीन	पीकिंग विश्वविद्यालय, बीजिंग	23.00	32.00	30.00	शून्य
		गोगजांग विदेश अध्ययन विश्वविद्यालय, गांगमऊ	शून्य	शून्य	शून्य	वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्थापित परंतु 2013-14 में शुरू होगा
		शंघाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय, शंघाई	शून्य	शून्य	शून्य	तदैव
10.	क्रोएशिया	जागरेव विश्वविद्यालय, जागरेब	24.00	32.00	20.00	शून्य
11.	चेक गणराज्य	चार्ल्स विश्वविद्यालय, पराग्वे	शून्य	शून्य	21.00	वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्थापित परंतु 2012-13 से शुरू
12.	हंगरी	ई.एल.टी.ई. विश्वविद्यालय, बुडापेस्ट	32.00	37.00	32.00	शून्य
13.	म्यांमार	भारतीय दूतावास, यांगून	शून्य	शून्य	शून्य	वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्थापित परंतु 2014-15 से शुरू
14.	पोलैंड	वारसा विश्वविद्यालय, वारसा	24.00	70.00	80.00	शून्य
15.	रोमानिया	बुकारेस्ट विश्वविद्यालय, बुकारेस्ट	25.00	25.00	25.00	शून्य
16.	रूस	जवाहरलाल सांस्कृतिक केंद्र, मास्को	40.00	45.00	42.00	शून्य
17.	स्लोवेनिया	ल्यूबियाना विश्वविद्यालय, ल्यूबियाना	16.00	26.00	23.37	शून्य
18.	स्पेन	बालादोलिद विश्वविद्यालय, ल्यूबियाना	24.00	32.00	26.80	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
19.	श्रीलंका	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलंबो	शून्य	शून्य	16.00	वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्थापित
20.	सूरीनाम	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, पारामारियो	25.00	25.00	24.50	केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा वित्तपोषित
21.	स्विट्जरलैंड	लुसाने विश्वविद्यालय, लुसाने	शून्य	10.00	11.00	यह पीट 2011-12 से शुरू हुई
22.	थाईलैंड	तामपात विश्वविद्यालय, बैंकाक	शून्य	शून्य	शून्य	वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्थापित परंतु 2014-15 से शुरू किया जाना
23.	त्रिनिडाड एवं टैबेगो	बेस्टइंडीज विश्वविद्यालय, पोर्ट ऑफ स्पेन	35.00	40.00	36.00	केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा वित्तपोषित
24.	तुर्की	अंकारा विश्वविद्यालय, अंकारा	24.00	32.00	25.00	शून्य
25.	तुर्कमेनिस्तान	राष्ट्रीय विश्व भाषा संस्थान, अश्गावात	21.00	32.00	24.17	शून्य
	कुल		402	545	531.68	शून्य

पिछले तीन वर्षों के दौरान पोलैंड में अंशकालिक हिंदी अध्यापकों पर वार्षिक व्यय:–

वर्ष	वारसा	डांस्क	कराको	कुल
2010-11	$9000	-	-	$9000
2011-12	$10800	$4500	$6300	$21600
2012-13	$14400	$9000	$6300	$29700

विवरण-II

2011 के बाद से स्थापित हिन्दी पीठें

क्र.सं.	देश	विश्वविद्यालय/संस्थान एवं नगर	प्रस्ताव का विवरण	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	बांग्लादेश	इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केन्द्र, ढाका	भारतीय उच्चायोग, ढाका से 6.7.2009 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ	इस पीठ का वित्तपोषण पूरी तरह आई.सी.सी.आर. द्वारा किया

1	2	3	4	5
			था, जिसमें ढाका विश्वविद्यालय में हिन्दी पीठ स्थापित करने का अनुरोध किया गया था। बाद में 31.8.2010 को भारतीय उच्चायोग, ढाका ने सूचित किया था कि ढाका विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्यापन कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए कुछ समय लग सकता है तथा उन्होंने ढाका में इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र में यह पीठ स्थापित करने की सिफारिश की थी।	जा रहा है यह इसके अपने केन्द्र में स्थित है, इसलिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। 2.6.2011 को हिन्दी अध्यापक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह पीठ शुरू हो गई थी।
2.	स्विट्जरलैंड	लुसाने विश्वविद्यालय लुसाने	24.2.2011 में आई.सी.सी.आर., नई दिल्ली में महानिदेशक, आई.सी.सी.-आर. के साथ बैठक के दौरान यह प्रस्ताव सीधे लुसाने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माया बर्गर से प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव भारतीय दूतावास बलों के विचार प्राप्त करने के लिए उन्हें सौंपा गया था, जिन्होंने इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी तथा इस पीठ के लिए हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापनों का मूल्यांकन किया था।	04.10.2011
3.	चैक गणराज्य	चार्ल्स विश्वविद्यालय पराग्वे	भारतीय राजदूत से 22.12.2008 को यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, विश्वविद्यालय जिसमें सूचित किया गया था कि चार्ल्स विश्वविद्यालय भारत विद्या केंद्र में हिंदी पीठ स्थायित्व करने के लिए तत्पर है। इस प्रस्ताव की सिफारिश मिशन द्वारा की गई थी।	7.6.2011
4.	अजरबैजान	अजरबैजान भाषा विश्वविद्यालय, बाकु	बाकु में भारतीय राजदूत से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि इस विश्वविद्यालय का एक शैक्षिक प्राप्त निधिमंडल भारत का दौरा करेगा तथा हिंदी पीठ खोलने के	25.08.2011

1	2	3	4	5
			लिए चर्चा करेगा। इस प्रस्ताव की सिफारिश हमारे मिशन द्वारा की गई थी।	
5.	श्रीलंका	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कोलम्बो	यह प्रस्ताव 14.7.2011 को भेजा गया था तथा भारतीय उच्चायोग, ढाका ने इस केंद्र पर हिंदी कलाएं शुरू करने के लिए भारत से हिंदी अध्यापक भेजने के लिए इसकी सिफारिश की थी।	इस पीठ का वित्तपोषण पूरी तरह आई.पी.पी.आर. द्वारा किया जा रहा था तथा यह इसके अपने भवन में स्थित है। इसलिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं, 25.3.2012 को हिंदी अध्यापक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह पीठ शुरू हो गई।
6.	चीन	शंघाई अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय, शंघाई	शंघाई में भारत के प्रधान कौहाल से यह प्रस्ताव 2.2.2011 को प्राप्त हुआ, जिसमें आई.पी.पी.आर. से यह अनुरोध किया गया था कि इस विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ खोलने पर विचार किया जाए। इस प्रस्ताव की सिफारिश हमारे मिशन ने की थी।	29.10.2012
7.	चीन	गोगा डाक विदेश अध्ययन विश्वविद्यालय गोंगआ	यह प्रस्ताव गोंगछऊ में भारत के प्रधान कौंसला से 21.12.2011 को प्राप्त हुआ था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि गोगछऊ विश्वविद्यालय ने इस विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ खोलने के अनुरोध के साथ उनसे सम्पर्क किया था। केंद्र को यह पीठ स्थापित करने की सिफारिश की थी।	30.5.2013
8.	थाईलैंड	तामसात विश्वविद्यालय बैंकाक	नवम्बर, 2010 में आई.पी.पी.आर. के अध्यक्ष की थाईलैंड यात्रा के दौरान तामसात विश्वविद्यालय ने यह प्रस्ताव रखा था। 24.10.2010 को राजदूत ने आई.पी.पी.आर. को सिफारिश की थी कि तामसात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए जा रहे भारतीय अध्ययन कार्यक्रम में	30.5.2013

1	2	3	4	5
			प्रोफेसरों/अध्यापकों के माध्यम से सहायता की जाए।	
9.	म्यामांर	भारत का दूतावास, यांगोन	यह प्रस्ताव 3.5.2011 को भेजा गया था तथा भारतीय दूतावास ने दूतावास में हिंदी कलाएं शुरू करने के लिए भारत से अध्यापक भेजने के लिए सिफारिश की थी।	इस पीठ वित्त व्यवस्था आई.पी.-पी.आर. द्वारा की जा रही है यह दूतावास में स्थित होगा इसलिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यह पीठ अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होने की संभावना है।

विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की सूची

क्र.सं.	देश के साथ केंद्र का नाम
1	2
1.	नेहरु केंद्र लंदन (यू.के.)
2.	टैगोर केंद्र बर्लिन, जर्मनी
3.	जवाहर लाल नेहरु सांस्कृतिक केंद्र मास्को, रूस
4.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र अस्ताना, कजाखस्तान
5.	लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केंद्र ताशकंद, उज्बेकिस्तान
6.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दुशांबे, तजाकिस्तान
7.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र काबुल, अफगानिस्तान
8.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो, श्रीलंका
9.	जवाहरलाल नेहरु भारतीय सांस्कृतिक केंद्र जकार्ता, इंडोनेशिया
10.	इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र पोर्ट लुईस, मॉरीशस
11.	मौलाना आजाद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र काहिरा, मिश्र
12.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र डर्बन, दक्षिण अफ्रीका
13.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका
14.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र जॉर्जटाउन, गयाना
15.	महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाड एवं टोबैगो
16.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र पारामारिबो, सूरीनाम
17.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र सूवा, फिजी
18.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र बीजिंग, चीन
19.	भारतीय सांस्कृतिक विंग काठमांडू, नेपाल

1	2
20.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र बैंकाक, थाईलैंड
21.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र अबुधाबी, दुबई
22.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र क्वालालम्पुर, मलेशिया
23.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र टोक्यो, जापान
24.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र मैक्सिको
25.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र थिंपु, भूटान
26.	इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका, बांग्लादेश
27.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र यगोन, म्यांमार
28.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दार-ए-सलाम, तंजानिया
29.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र सियोल, कोरिया
30.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र बुडापेस्ट, हंगरी
31.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र प्राग, चैक गणराज्य
32.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र माले, मालदीव
33.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र साओ पोलो, ब्राजील
34.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र रियाध
35.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र द हेग, नीदरलैंड
36.	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र तेहरान, ईरान

उप-केंद्र

1	2
1.	उप-सांस्कृतिक केंद्र लोटोका, फिजी
2.	उप-सांस्कृतिक केंद्र बाली, इंडोनेशिया

इंटरनेट द्वारा भारत की जासूसी

648. **श्री एस. सेम्मलई:**
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री धनंजय सिंह:
श्री दत्ता मेघे:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका तथा कुछ अन्य देश भारत के विरुद्ध इंटरनेट जासूसी में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अमेरिका ने जासूसी को उचित ठहराया है और उसकी मंशा इसे जारी रखने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है; और

(च) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे उल्लंघन न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जून, 2013 में, अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ काम करने वाले एक ठेकेदार, श्री एडवर्ड स्नोडेन ने एजेंसी के व्यापक इलेक्ट्रानिक निगरानी कार्यक्रमों के बारे में गोपनीय (क्लासिफाइड) सूचना मीडिया को जारी कर दी। मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया कि इन कार्यक्रमों में इंटरनेट सामग्री के टेलिफोनी मेटाडाटा तथा अवरोधन का एकत्रण शामिल है।

(ग) और (घ) अमरीकी पदाधिकारियों ने यह कहते हुए उजागर किए गए निगरानी कार्यक्रमों का बचाव किया है कि ये कार्यक्रम आतंकवादी आक्रमणों को नाकाम करने के उद्देश्य से केवल व्यापक पैटर्नों तथा इंटरनेट ट्रैफिक का अनुवीक्षण करते हैं, और डाटा की सामग्रियों तक नहीं पहुंचा जा रहा है अथवा उनका अनुवीक्षण नहीं किया जा रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि ऐसे निगरानी कार्यक्रम सुरक्षा तथा नागरिक स्वतंत्रता के बीच समझौताकारी समन्वय है और अमरीकी सरकार के सभी तीनों अंगों, कार्यपालिका, कांग्रेस तथा न्यायपालिका को इन कार्यक्रमों की पूरी जानकारी है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी यह कहकर इन कार्यक्रमों की बचाव किया कि इनसे आतंकवादी षडयंत्रों को उजागर किया गया था।

(ङ) और (च) सरकार ने भारत से निर्गत होने वाले इंटरनेट संचारों तक अमरीकी एजेंसियों के पहुंचने की रिपोर्टों पर चिन्ता जताई है। सरकार आम भारतीय नागरिकों की सूचना की निजता से संबंधित भारतीय कानूनों के किसी भी उल्लंघन को अस्वीकार्य मानती है। वाशिंगटन डी.सी. स्थित भारतीय दूतावास ने अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ इन चिन्ताओं को उठाया है। सरकार साइबर मुद्दों पर बने द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों में भी अमरीका के साथ इन चिन्ताओं को उठाया है।

[हिन्दी]

आई.आई.टी. और आई.आई.एम. में शुल्क वृद्धि

649. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**

श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) और भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई.आई.एम.) को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उनके शुल्क ढांचे में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने से उच्च शिक्षा और महंगी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में उक्त संस्थानों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) से (ग) समय के साथ-साथ शिक्षा के खर्चे में भी वृद्धि होती रहती है। इस खर्च का महत्वपूर्ण भाग सरकार की बजटीय सहायता में से वहन किया जाता परंतु, थोड़ा भाग छात्रों के शुल्क से पूरा किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को उत्कृष्टता और वृहत्तर संबद्धता की ओर ले जाना (टेकिंग आई.आई.टी. टू एक्सीलेंस एंड ग्रेटर रिलेवेंस) पर डा. काकोडकर समिति की रिपोर्ट में दिए गए विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2010 के दौरान शुल्क से केवल 7.49 प्रतिशत राजस्व व्यय ही पूरा हुआ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशक समूहों और आई.आई.टी. परिषद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित आई.आई.टी. परिषद ने दिनांक 07.01.2013 को हुई अपनी 46वीं बैठक में आई.आई.टी. के अवर-स्नातक छात्रों के संबंध में शैक्षणिक वर्ष 2013-14 में वर्तमान शुल्क संशोधित कर 50000/- रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 90000/- रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया। अवर स्नातक छात्रों के वार्षिक शुल्क में 25000/- से 50000/- रुपये की वर्तमान वृद्धि वर्ष 2008-09 में हुई पिछली वृद्धि के बाद हुई है। तथापि, भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई.आई.एम.) की शुल्क वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यद्यपि, आई.आई.टी. छात्रों द्वारा दिए जाने वाले शुल्क में लैंगिक भेद शामिल नहीं है परंतु, एस.सी./एस.टी. छात्रों को उनकी माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना शिक्षा शुल्क से छूट दी गई है। वे बी.टेक. कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अपने निवास स्थान से संस्थान तक यात्रा भत्ते (द्वितीय श्रेणी रेल किराया/सामान्य बस किराया) के हकदार हैं। बी.टेक. और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों में दाखिल किए गए एस.सी./एस.टी. छात्रों को नि:शुल्क पुस्तक-बैंक सुविधाएं दी जाती हैं और जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये से कम है वे नि:शुल्क छात्रावास सीट, बेसिक मैसिंग और 250 रुपये प्रति माह की दर से जेब खर्च भत्ता पाने के हकदार हैं। एस.सी./एस.टी. श्रेणियों से अलग दाखिल किए गए छात्रों की संख्या के 25 प्रतिशत तक उन छात्रों, जिनके माता-पिता की आय 4.50 लाख से कम है, को शिक्षा शुल्क में छूट दी गई है और उन्हें एक शैक्षिक वर्ष में 10 माह के लिए 1000/- रुपये का वजीफा दिया जाता है।

इसी प्रकार सभी आई.आई.एम. इस उद्देश्य के लिए गठित समितियों द्वारा सिफारिश किए जाने पर छात्रों को अलग-अलग मामलों के अनुसार आवश्यकता आधारित छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी छात्र पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पढ़ने के अवसर छोड़ न दें, इसलिए छात्रों को आसान बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) आई.आई.टी. और आई.आई.एम. दोनों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त संस्थान हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार का प्रयास निरंतर करते हैं। कुछ उपक्रमों में पी.एच.डी. संख्या बढ़ाकर अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, उद्योग-शिक्षण सहयोग को बढ़ाना और उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पाद

650. **डा. एम. तम्बिदुरई:**

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों की प्रगति और इन उद्योगों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुटीर उद्योगों के सामने वर्तमान में आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन उद्योगों के लाभ के लिए कार्य कर रहे संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कुटीर उद्योगों के विकास और इस क्षेत्र के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रगति और उनकी वर्तमान स्थिति की कोई विशिष्ट समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) और केयर बोर्ड जो क्रमश: खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) तथा केयर के संवर्धन और संपूर्ण विकास के लिए मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान के.वी.आई. और केयर उत्पादों के उत्पादन और निर्यात तथा रोजगार सृजन की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	उत्पादन		निर्यात (करोड़ रू. में)		अनुमानित रोजगार सृजन (लाख व्यक्तियों में)	
	के.वी.आई. (मूल्य करोड़ रु. में)	केयर फाइबर (मात्रा मीट्रिक टन में)	के.वी.आई.	केयर	के.वी.आई.	केयर
2010-11	19871.86	5,25,000	116.84	807.07	113.80	6.97
2011-12	21852.04	5,31,500	83.87	1052.62	119.10	7.02
2012-13 (अनंतिम)	24022.33	5,36,185	80.00	1116.03	124.79	7.10

के.वी.आई. और केयर क्षेत्रों की योजनाओं और कार्यक्रमों का मंत्रालय और कार्यान्वयन एजेंसियों के स्तर पर गहन मॉनीटरिंग और समीक्षा की जाती है। कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं को देखते हुए व्यवस्थागत सुधार के प्रयास एक निरंतर प्रक्रिया है।

(ग) वर्तमान में कुटीर उद्योगों को पेश आ रही कठिनाइयां मुख्य रूप से अपर्याप्त ऋण उपलब्धता, बैंकों द्वारा ऋण के संवितरण में विलंब, अपर्याप्त विपणन सुविधाएं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं। ऋण संबंधी मामलों को बैंकों के साथ निरंतर उठाया जाता है और विपणन संबंधी समस्याओं का मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन विकास सहायता, पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए निधि योजना और खादी सुधार व विकास कार्यक्रम के माध्यम से हल किया जाता है।

(घ) और (ङ) कुटीर उद्योगों का विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार के.वी.आई.सी. और केयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित अनेक योजनाओं के माध्यम से खादी ग्रामोद्योग और केयर के संवर्धन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) शामिल है जो कि एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है और जिसका कार्यान्वयन वर्ष 2008-09 से देश भर में के.वी.आई.सी. के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवकों को संगठित करके गैर कृषि क्षेत्र में कुटीर उद्योगों सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि के लाभार्थियों जैसे विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। पी.एम.ई.जी.पी. के तहत इसके आरंभ से लेकर 2012-13 तक कुल 2.21 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 4147.95 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी की सहायता दी गई है जिससे अनुमानत: 20.34 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु वार्ता

651. **श्री गजानन ध. बाबर:**

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑस्ट्रेलिया शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में पहले और दूसरे दौर की वार्ताओं का क्या परिणाम निकला है; और

(घ) ऑस्ट्रेलिया के साथ असैनिक परमाणु सहयोग समझौता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): (क) से (घ) जैसा कि 17 अक्तूबर, 2012 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दिए गए संयुक्त प्रैस वक्तव्य में बताया गया था, ऑस्ट्रेलिया के लिए, द्विपक्षीय असैन्य नाभिकीय सहकार करार दूसरे देशों के यूरेनियम की बिक्री करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। प्रस्तावित द्विपक्षीय असैन्य नाभिकीय सहकार करार के संबंध में ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत प्रारंभ कर दी गई है।

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं

652. **श्री विश्व मोहन कुमार:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को बिजली, पेयजल, सीवरेज और अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान मलिन बस्तियों के विकास और उनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए धन आवंटित किया है; और

(घ) यदि हां, तो सत्संबंधी वर्ष-वार/महानगर-वार ब्यौरा क्या है और कब तक इन सुविधाओं को उपलब्ध कर दिए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डा. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) आवास और कालोनियां राज्य के विषय होने के कारण यह राज्य सरकारों पर है कि वे अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपने अपने राज्यों में मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को बिजली, पेयजल, सीवर और संरचनात्मक सुविधाएं

जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाए व कार्यान्वित करें। फिर भी, सरकार ने 65 चुनिन्दा शहरों में शहरी निर्धनों को मूल सेवा (बी.एस.यू.पी.) उप मिशन के अधीन तथा अन्य शहरों व नगरों में एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत शहरी निर्धनों/मलिन बस्ती परिवारों को आवास और मूल सेवाएं प्रदान करने के लिए 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) आरम्भ किया गया। मिशन की अवधि 2005-06 से 7 वर्ष थी। मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने और सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. को 2 वर्ष (मार्च, 2014 तक) के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मलिन बस्ती पुनर्विकास के लिए उत्तम आश्रय और मूल सिविक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने तथा किफायती आवास स्टॉक के सृजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर "मलिन बस्ती मुक्त" भारत बनाने को ध्यान में रखकर सरकार ने 02.06.2011 को राजीव आवास योजना (रे) नामक योजना आरम्भ की। मलिन बस्ती पुनर्विकास और उनमें अवसंरचनात्मक सुधारों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता देने के लिए सरकार का राजीव आवास योजनाएं को 12वीं योजना में भी जारी रखने का इरादा है।

(ग) और (घ) जी हां, शहरी निर्धनों को मूल सेवाएं (बी.एस.यू.पी.)-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के एक संघटक के अन्तर्गत देश में मलिन बस्ती पुनर्विकास तथा मलिन बस्तियों में आवास और संबंधित सिविक सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष वार/महानगर वार आबंटित निधियों का पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष में आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मिशन की अवधि को परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च, 2014 तक दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

विवरण

शहरी निर्धनों को मूल सेवाएं के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष में वर्ष वार/महानगर वार स्वीकृत मलिन बस्ती में सिविक सुविधाओं का ब्यौरा

महानगर	परियोजना लागत	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में स्वीकृत मूल सिविक और सामाजिक अवसंरचनाओं सहित कुल डी.यू.	मूल सिविक और सामाजिक अवसंरचना सहित आवासीय इकाइयों के लिए निधि आबंटन				मूल सिविक और सामाजिक अवसंरचना सहित पूरी हुई आवासीय इकाइयां			
			2010-11	2011-12	2012-13 (केवल संशोधित) परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां)	वर्तमान वर्ष 2013-14 (केवल संशोधित परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां)	2010-11	2011-12	2012-13	वर्तमान वर्ष
हैदराबाद	1879.59	78746	196.00	43.16	0.00	0.00	6204	12564	0	0
दिल्ली	3244.98	67784	727.71	320.07	0.00	0.00	5628	1316	0	0
अहमदाबाद	567.68	33824	0.00	17.50	0.00	0.00	10354	3448	2616	300
बंगलौर	595.80	20154	111.91	46.03	0.00	0.00	2629	6337	1489	212
नवी मुम्बई	2862.86	55291	0.00	193.41	0.00	0.00	2575	5295	52	151
पुणे	1125.61	39834	0.00	0.00	23.61	0.00	2707	6954	1612	436
चेन्नई	1380.27	37491	0.00	6.62	0.00	0.00	1567	11801	2210	368
कोलकाता	3548.87	132922	12.06	5.06	0.00	0.00	16376	16311	9373	1535
कुल	15205.65	466046	1047.67	631.85	23.61	0.00	48040	64026	17352	3002

[अनुवाद]

राज्यों और केन्द्र का गरीबी संबंधी अनुमान

653. **श्री शिवकुमार उदासी,**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का प्रत्येक राज्य हेतु गरीबी संबंधी अनुमान लाभार्थियों की राज्य सूची से हमेशा भिन्न रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का गरीबी सूची को संशोधित करने हेतु नया सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्यों में लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या मानक/मापदण्ड अपनाए हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

संसदीय कार्य तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी तथा बहिर्जात रूप से निर्धारित गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है। एन.एस.ए.ओ. उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण सामान्यत: पंचवर्षीय आधार पर किया जाता है। परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण का नवीनतम डेटा एन.एस.एस.ओ. द्वारा वर्ष 2011-12 में किए गए उसके 68वें दौर के सर्वेक्षण में एकत्र किया गया है। योजना आयोग मानदंड के रूप में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एम.पी.सी.ई.) के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित करता है। इनके आधार पर, योजना आयोग ने 2011-12 में देश में गरीबी अनुपात 21.9 प्रतिशत अनुमानित किया है। योजना आयोग राज्यों में लाभार्थियों की सूची तैयार नहीं करता है। से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने "गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा" के लिए जून, 2012 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। समूह के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं:-

i. गरीबी के आकलन की मौजूदा प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा करना तथा इस बात की जांच करना कि गरीबी रेखा सिर्फ उपभोग के आधार पर ही निर्धारित की जानी चाहिए अथवा अन्य मानदंड भी प्रासंगिक हैं और यदि हैं, तो क्या दोनों को इस प्रकार प्रभावी ढंग से संयुक्त किया जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का अनुमान लगाने का आधार तैयार हो सके।

ii. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय लेखा के योगों से प्राप्त आकलनों के आधार पर उपभोग आकलनों के बीच की भिन्नता के मुद्दे की जांच करना; तथा सी.एस.ओ. द्वारा जारी नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए राज्यवार उपभोग गरीबी रेखाओं को अद्यतन करने की प्रक्रिया के बारे में सुझाव देना।

iii. गरीबी के आकलन के लिए वैकल्पिक प्रणालियों के तौर पर, अन्य देशों में प्रयुक्त प्रणालियों की समीक्षा करना जिनमें उनके प्रक्रियागत पहलू शामिल हैं, तथा यह उल्लेख करना कि क्या इस आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान लगाने की कोई विशेष पद्धति तैयार की जा सकती है, जिसमें इसे समय-समय पर अद्यतन करने की प्रक्रिया शामिल है।

iv. इस बारे में सिफारिश करना कि ऊपर उल्लिखित अनुसार गरीबी के आकलन को भारत सरकार की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए हकदारी तथा पात्रताओं के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए।

(ङ) और (च) ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परिवारों की घर-घर जाकर पूर्ण गणना के माध्यम से की जाती है, जिसे बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) जनगणना के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण परिवारों की अंक आधारित श्रेणीकरण की प्रक्रिया के आधार पर, 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. जनगणना की गई, जिसके लिए 13 सामाजिक पैरामीटरों का उपयोग किया गया, जिसमें प्रत्येक पैरामीटर को 0-4 के बीच अंक दिया गया। ग्रामीण परिवारों की अंक आधारित श्रेणीकरण के लिए उपयोग में लाए गए 13 समाजार्थिक संकेतक निम्न है:-

(i) भूमि की प्रचालनात्मक धारिता का आकार समूह

(ii) भवन का प्रकार

(iii) वस्त्र

(iv) खाद्य सुरक्षा

(v) स्वच्छता

(vi) उपभोक्ता वस्तओं का स्वामित्व

(vii) सबसे अधिक शिक्षित वयस्क की साक्षरता की स्थिति

(viii) परिवार श्रम बल की स्थिति

(ix) आजीविका का साधन

(x) बच्चों की स्थिति

(xi) ऋणभार की स्थिति

(xii) प्रयास

(xiii) सहायता की अधिमान्यता

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.-आर.वाई) के अंतर्गत लक्ष्य जनसंख्या यह है जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, लाभार्थियों का चयन करने में सबसे अधिक गरीब को प्राथमिकता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, आय सृजक विशेष ऋण हेतु लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सात गैर-आर्थिक पैरामीटरों पर भी विचार किया जाता है। ये आजीविका स्थितियों से संबंधित है, जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं: (i) निवास इकाई की छत, (ii) आवास इकाई का तल, (iii) जल की उपलब्धता, (iv) स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता, (v) शिक्षा का स्तर, (vi) रोजगार का प्रकार, और (vii) परिवार में बच्चों की स्थिति।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

654. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:**

श्री उदय सिंह:

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री भास्करराव बापू राव पाटील खतगांवकर:

श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रायोजित और एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव-पी.ए.आई.एस.ए. द्वारा कुछ राज्यों में किए गए अध्ययन में पाया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.) के लिए धन प्रवाह और अनाज प्रवाह महत्वपूर्ण अंकुशताओं से ग्रस्त हैं जिसके कारण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का खराब कार्यान्वयन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस अध्ययन की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं? और

(च) क्या उनके मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले मास्टर कुक्स को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय से संपर्क किया है और यदि हां, तो इस संबंध में पर्यटन मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) मध्याह्न भोजन योजना के तहत धन और अनाज प्रवाह का पता लगाने के लिए पी.ए.आई.एस.ए. सर्वेक्षण एक अनोखा प्रयास था। यह सर्वेक्षण बिहार और उत्तर प्रदेश के दो-दो जिलों में किया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि निधियां और अनाज जारी करने में विलम्ब के फलस्वरूप इस योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता खराब हुई है। ये विलम्ब मुख्यत: जिला स्तर पर प्रशासनिक बाध्यताओं, अपर्याप्त स्टाफ, कमजोर निगरानी प्रणाली और स्कूल से जिले को नियमित आधार पर सूचना प्रदान करने वाले सूचना माध्यमों की कमी के परिणामस्वरूप होते हैं।

(ग) से (ङ) इस अध्ययन के निष्कर्ष की जांच की गई है और 25 जून, 2013 को आयोजित राज्य शिक्षा सचिवों की बैठक के दौरान इस रिपोर्ट के निम्नलिखित मुख्य अंशों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया था और उन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।

(i) निधि अंतरण प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाना।

(ii) खाना पकाने की लागत और रसोइया-सह-सहायकों के मानदेय का सीधा अंतरण।

(iii) जिला और ब्लॉक स्तर पर मध्याह्न भोजन के लिए स्टॉफ की उपलब्धता मजबूत करना।

(iv) खाद्यान्न प्रबंधन सरल एवं कारगर बनाना, स्कूलों के खाद्यान्न की सीधी सुपुर्दगी सुनिश्चित करना।

(v) रिकार्ड रखने में समान फार्मेट।

(vi) रिपोर्ट भेजने संबंधी प्रक्रियाएं सरल एवं कारगर बनाना।

(vii) स्कूलों के लिए सूचना प्रवाह सुदृढ़ बनाना तथा शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार करना।

(viii) समुदाय जागरुकता।

(ix) मध्याह्न भोजन पंचायत/स्कूल नवाचार निधि का सृजन।

(च) भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.), पर्यटन मंत्रालय रसोइया-सह-सहायकों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में गुणवत्तायुक्त पोषक भोजन तैयार करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके बाद वे प्रशिक्षित रसोइए-सह-प्रशिक्षक अन्य रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देंगे।

[अनुवाद]

टेलीग्राम सेवाओं को बंद करना

655. **श्री नामा नागेश्वर राव:**

श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग के टेलीग्राफ सेवा के व्यय की तुलना में इससे अर्जित राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देशभर में टेलीग्राम सेवाओं और इसके कार्यालयों को बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा डाक विभाग की वित्तीय स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) अन्य व्यावसायिक उद्देश्य हेतु इन टेलीग्राम कार्यालयों का उपयोग करने तथा नौकरी खोने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) भारत संचार निगम लि. देश में तार (टेलीग्राम) सेवाएं प्रदान कर रहा था। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सेवाओं के प्रचालन से राजस्व और इन पर व्यय निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	राजस्व (करोड़ रु. में)	व्यय (करोड़ रु. में)	हानि (करोड़ रु. में)
1	2010-11	14.87	162.08	147.21
2	2011-12	13.07	149.37	136.03
3	2012-13	9.89	142.68	132.79

(ख) से (घ) तार सेवाएं दिनांक 15 जुलाई, 2013 से बंद कर दी गई हैं। तार सेवाओं की तुलना में संचार के नए साधन अपेक्षाकृत अधिक किफायती, दुत और अधिक विश्वसनीय हैं जिनके कारण तार सेवाओं के प्रयोग में काफी समय से कमी हुई है और बी.एस.एन.एल. के राजस्व में गिरावट हुई है।

तार सेवाएं बंद कर देने के बाद बी.एस.एन.एल. द्वारा तार-कार्यालयों का प्रयोग उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में किया जा रहा है। तार सेवाओं में पूर्व में जो कर्मचारी कार्यरत थे उनकी सेवाओं का उपयोग उपभोक्ता सेवा केन्द्रों और बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाओं में किया जा रहा है। तार सेवाएं बंद कर दिए जाने के कारण बी.एस.एन.एल. के किसी भी कर्मचारी को नौकरी का नुकसान नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. के अंतर्गत आवास परियोजनाओं की स्थिति

656. **डा. किरोड़ी लाल मीणा:**

श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ.) के अंतर्गत दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा सहित विभिन्न स्थानों पर चल रही आवास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सभी स्कीमें योजनानुसार चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो आवास इकाई आवंटित करने हेतु विस्तारित समय-सीमा का योजना-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो योजना-वार इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास योजना केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को शामिल नहीं करती है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डा. गिरिजा व्यास): (क) जैसा कि सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. ने सूचित किया है, देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. के अंतर्गत आवास योजनाओं की मौजूदा स्थिति निम्न अनुसार है:-

(1) मेरठ (फेज-1), कोलकाता (फेज-2), मोहाली (फेज-2), भुवनेश्वर (फेज-2) और ग्रेटर नोएडा।

(2) आवास परियोजनाएं जिनकी योजना बनाई जा रही हैं, विशाखापटनम, मेरठ (फेज-2), चेन्नई (फेज-3) और मोहाली (एस.ए.एस. नगर)

(3) दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में कोई परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग) जैसा कि सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. ने सूचित किया है, मांग सर्वेक्षण करने के बाद योजनाएं बनाई जाती हैं और उसके बाद राज्य सरकार के विकास प्राधिकरणों से भूमि अधिग्रहीत करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। राज्य सरकार के विकास प्राधिकरणों से भूमि उपलब्ध नहीं होने के मामले में आवास योजनाएं टर्नकी परियोजना के रूप में बनाई जाती हैं जिनमें निर्माण एजेंसी द्वारा भूमि भी उपलब्ध कराई जाती है। आवास योजनाओं के लिए विकास प्राधिकरणों का अनुमोदन, पर्यावरण संबंधी अनुमति, विद्युत कनेक्शन आदि भी अत्यावश्यक होते हैं। प्रत्येक योजना में आवास का आबंटन ड्रा से निकाले गए पात्र आवेदकों को किया जाता है। लाभयोगियों की किसी विशिष्ट परियोजना में रिहायशी यूनिटों की संख्या का विशिष्ट आबंटन, परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ही किया जाता है।

(2) चेन्नई (फेज-2), जयपुर (फेज-2), हैदराबाद (फेज-3), मोहाली (फेज-1) और भुवनेश्वर (फेज-1) में विशिष्ट रिहायशी यूनिटों की संख्या का आबंटन कर दिया गया है।

(3) चेन्नई (फेज-3), एस.ए.एस. नगर, मोहाली और विशाखापटनम की आवास परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है और योजना की घोषणा के बाद पात्र आवेदनकर्ताओं को आवंटन किया जाएगा।

(घ) केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को प्राथमिकता-2 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. के समझौता ज्ञापन के अनुसार सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. (जो कि भारत सरकार का ही एक स्वायत्त निकाय है) के न्यूनतम एक वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को योजना की प्राथमिकता-1 के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

(ङ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

रियल एस्टेट विनियामक विधेयक

657. **श्री रुद्रमाधव राय:**
श्री वैजयंत पांडा:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री के. जयप्रकाश हेगड़े:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री जोस के. मणि:
श्री अमरनाथ प्रधान:
श्री प्रदीप माझी:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री एस.एस. रामासुब्बु:
श्री पी. करूणाकरण:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रियल एस्टेट और आवास क्षेत्र बड़े पैमाने पर अविनियमित तथा उपभोक्ताओं के लिए अपारदर्शी है जिसके कारण वे प्रभावी विनियमन के अभाव में सम्पूर्ण सूचना प्राप्त करने या बिल्डरों और विकासकर्त्ताओं के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करने में अक्षम हो जाते हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का रियल एस्टेट विनियामक विधेयक लागू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बिल्डरों के विरुद्ध कितने मामलों की रिपोर्ट है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डा. गिरिजा व्यास): (क) से (ग) और (ङ) जी हां, उपभोक्ताओं के हित में इस सैक्टर के उत्तम विनियमन की आवश्यकता है। इसलिए, रीयल एस्टेट सैक्टर को विनियमित और संवर्धित करने के लिए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के उद्देश्य से और प्लॉट, अपार्टमेंट अथवा भवन की बिक्री, जैसा भी मामला हो, एक प्रभावी और पारदर्शी ढंग से होने तथा रीयल एस्टेट सैक्टर में उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013 का मसौदा तैयार किया है।

कथित विधेयक में अनिवार्य पंजीकरण और रीयल एस्टेट आवास परियोजनाओं के प्रारम्भन पर लोक प्रकरन की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक राज्य में विनिर्दिष्ट कृत्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों के साथ "रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण" और "रीयल एस्टेट अपील अधिकरण" की स्थापना का प्रावधान किया गया है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके, शिकायतों का तीव्र निपटान और विवादों का हल हो सके।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए पारित कर दिया है।

(घ) "भूमि" और "कालोनी" राज्य के विषय हैं और राज्यों का यह बुनियादी दायित्व है कि वे इस मुद्दे को हल करें। यह मंत्रालय बिल्डरों के विरुद्ध शिकायतों का डाटा-बेस नहीं रखता है।

सरकारी आवास में निर्धारित अवधि से अधिक रहना

658. **श्री प्रबोध पांडा**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कई सरकारी कर्मचारी, मंत्री, संसद सदस्य और अन्य अति विशिष्ट व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवासों में नियत समय से ज्यादा समय तक रहते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकारी आवास से ऐसे अधिभोगियों को खाली कराने के लिए सरकार को अनेक बार निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कोई कार्रवाई की है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) जी नहीं। तथापि श्री एस.डी. बांदी बनाम डिविजनल ट्रैफिक ऑफिसर, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य (सिविल अपील सं. 2004 की 4064) और भारत संघ बनाम विमल भाई एवं अन्य (विशेष अनुमति याचिका सं. 2009 की 12065) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत आबंटन रद्द होने पर सरकारी आवास को तत्काल खाली करने, सरकारी आवास के अप्राधिकृत अधिभोगियों के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही संबंधी शीघ्र विचारण और तेजी से निपटान हेतु कुछ सुझाव दिए हैं।

विवरण

टाइपवार विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	क्वार्टर सं.	अधिभोगी का नाम (श्री/श्रीमती)
1	2	3
टाइप-I		
1.	एन/3/332/एड्रयूज गंज	दिवान पुरी
2.	4/13/सी/डी.आई.जैड. एरिया	शिव नरेश
3.	4/68/सी/डी.आई.जैड. एरिया	के.सी. चटेला
4.	4/8/ए/डी.आई.जैड. एरिया	रविन्द्र शर्मा
5.	4/8/सी/डी.आई.जैड. एरिया	तिलक राज
6.	3/जोर बाग नर्सरी	चन्द कैलाश

1	2	3
7.	जी/326/कस्तूरबा नगर	पीएच जेमिनी काता शर्मा
8.	एच/213/कस्तूरबा नगर	सुखदेव
9.	एल/413/कस्तूरबा नगर	सुरेश
10.	एस/513/कस्तूरबा नगर	वीर सिंह
11.	एम/534/कस्तूरबा नगर	राजू सिंह
12.	एम/313/कस्तूरबा नगर	पुरुषोतम
13.	एन/647/कस्तूरबा नगर	शांति स्वरूप
14.	36/423/पंचकुइयां रोड	हरि लाल
15.	सै. 1/1158 आर.के.पुरम	राम अवतार
16.	सै. 3, डी.एस./307, एम.बी. रोड	हरि ओम
17.	सै. 3, डी.एस./337, एम.बी. रोड	शांति देवी
18.	सै. 3, डी.एस./414, एम.बी. रोड	राज कुमार
19.	सै. 3, डी.एस./512, एम.बी. रोड	गंगा देवी
20.	सै. 3, डी.एस./975, एम.बी. रोड	रन भरोसे लाल
21.	सै. 3, डी.एस./121, एम.बी. रोड	राम कुमार
22.	सै. 3, डी.एस./1284, एम.बी. रोड	राम किशन
23.	सै. 3, डीएस/1864, एम.बी. रोड	राम सिंह
24.	सै. 7, 0005, एम.बी. रोड	बंधु लाल
25.	सै. 7, 0745, एम.बी. रोड	रघुविर सिंह नेगी
26.	सै. 7, 1131, एम.बी. रोड	भुवनेश्वर
27.	सै. 7, 1145, एम.बी. रोड	मनोज कुमार-I
28.	सै. 7, 1216, एम.बी. रोड	बीरेश कुमार
29.	सै.1/1154, आर.के. पुरम	राम अवतार
30.	सै.2/0654/ आर.के. पुरम	मनफूल सिंह
31.	7/877, आर.के. पुरम	मिराज
32.	एच/040/श्रीनिवास पुरी	सोजन.एम. थोटिल
33.	एच/078/श्रीनिवास पुरी	मुकेश
34.	एच/080/श्रीनिवास पुरी	मांझी श्रीराम
35.	एच/093/श्रीनिवास पुरी	रामसकल
36.	एच/133/श्रीनिवास पुरी	मदन कुमार
37.	एच/171/श्रीनिवास पुरी	तरुण चक्रवर्ती
38.	एच/243/श्रीनिवास पुरी	प्रकाश चंद
39.	एच/275/श्रीनिवास पुरी	रामलगन
40.	एच/536/श्रीनिवास पुरी	गौतम सुरेन्द्र कुमार
41.	एच/162/श्रीनिवास पुरी	लड्डूराम
42.	एच/179/श्रीनिवास पुरी	अंगूरी देवी
43.	एच/213/श्रीनिवास पुरी	कृपाल सिंह
44.	एच/317/श्रीनिवास पुरी	गिरिश चंद
45.	1/1058/आर.के. पुरम	इन्द्रजीत
46.	2/649/आर.के. पुरम	विमल
47.	2/838/आर.के. पुरम	मदन सिंह
48.	2/919/आर.के. पुरम	शामति प्रसाद
49.	2/1089/आर.के. पुरम	नरेन्द्र पाल
50.	2/1142/आर.के. पुरम	बिसन देव
51.	वाई/1575/तिमारपुर	खजान सिंह
52.	वाई/1576/तिमारपुर	ओम प्रकाश
53.	ए/77/मिन्टो रोड एरिया	गोपाल प्रसाद
54.	ए/138/मिन्टो रोड एरिया	इंदर सिंह
55.	ए/290/मिन्टो रोड एरिया	चंदर भान
56.	ए/363/मिन्टो रोड एरिया	रंजना अरोड़ा
57.	ए/374/मिन्टो रोड एरिया	एम.एम.कांडे

1	2	3
58.	डी/289/मोती बाग	एम. स्वामिनाथन
59.	सी/1051/नेताजी नगर	नंद किशोर
60.	सी/1909/नेताजी नगर	महक सिंह
61.	सी/2088/नेताजी नगर	नानू लाल
62.	बी/318/कस्तूरबा नगर	श्याम सुन्दर
63.	सी/427/कस्तूरबा नगर	जगजीत सिंह
64.	डी/403/कस्तूरबा नगर	वी. महतो
65.	आई/205/कस्तूरबा नगर	सत्य देव
66.	701/2/सादिक नगर	बाला दत्त ढोलखंडी
67.	जी-73/नारोजी नगर	सरदा नंद
68.	जी-193/नारोजी नगर	रणवीर कौर
69.	130/3/सै-1/एम.बी.रोड	आर.सी. महतो
70.	130/5/सै-1/एम.बी.रोड	जय प्रकाश
71.	142/5/सै-1/एम.बी.रोड	सुदामा मांझी
72.	एम.एस./1572/3/एम.बी. रोड	विनोद जोसफ
73.	150/10/सै-1/एम.बी. रोड	जे.के. कॉल
74.	76/एल/4/एम.बी. रोड	राम लाल साह
75.	87/सी/4/एम.बी. रोड	पनामा वी.एन.
76.	446/5/एम.बी. रोड	ज्ञान चंद
77.	644/5/एम.बी. रोड	बी.डी. जोशी
78.	1173/7/आर.के. पुरम	जयरामन जी.
79.	899/3/आर.के. पुरम	जसवंत सिंह यादव
80.	1317/4/आर.के. पुरम	देरोगे पी. बुद्धा
81.	975/3/आर.के. पुरम	नरेन्द्र कुमार
82.	737/12/आर.के. पुरम	शांता कुमारी वानी
83.	917/3/आर.के. पुरम	लेख राज
84.	211/7/आर.के. पुरम	राम संजीवन
85.	727/5/आर.के. पुरम	मोहन लाल
86.	1197/4/आर.के. पुरम	आर.एन. गौरकर
87.	06/5/आर.के. पुरम	पूजा कुमार
88.	306/9/आर.के. पुरम	पुष्पा देवी
89.	892/4/आर.के. पुरम	मदन सिंह
90.	923/5/आर.के. पुरम	राजिन्दर कुमार
91.	1003/8/आर.के. पुरम	एन.एस. रावत
92.	920/4/आर.के. पुरम	चमन सिंह
93.	1678/5/आर.के. पुरम	गंगा सरन
94.	326/9/आर.के. पुरम	मदन सिंह रावत
95.	954/12/आर.के. पुरम	दिनेश चन्द्र देवरा
96.	1267/7/आर.के. पुरम	सकिदा नंद
97.	711/1/आर.के. पुरम	मनबीर सिंह
98.	सी-103, अलवर्ट स्क्वायर	आनंद सिंह बिष्ट
99.	एफ-185, आराम बाग	हरि शंकर मांझी
100.	बी-176, आराम बाग	स्व. श्री मदन मोहन
101.	सी-160, आराम बाग	ओम प्रकाश
102.	एफ-151, आराम बाग	ओम वीर
103.	एस-183, आराम बाग	के.सी. जेकब
104.	ई-159, आराम बाग	राम पाल सिंह
105.	ए-12, आराम बाग	धर्म पाल सिंह
106.	ई-186, आराम बाग	वाणिज्य मंत्रालय
107.	जे-822, काली बाडी मार्ग	स्व. पूरण मल
108.	एच-423, काली बाडी मार्ग	नीलम भटनागर
109.	जे-772, काली बाडी मार्ग	प्रेम सागर
110.	56/एम, सी-4, डी.आई.जैड. एरिया	नंद बल्लभ पांडे
111.	17/एफ, सी-4, डी.आई.जैड. एरिया	रतन लाल

1	2	3
112.	38/1ए, सै-2, डी.आई.जैड. एरिया	कौल विरेन्द्र कुमार
113.	86/सी, सै-4, डी.आई.जैड. एरिया	हरिहर प्रसाद
114.	34/डी, सै-4, डी.आई.जैड. एरिया	अशोक कुमार
115.	33/2बी , सै-2, डी.आई.जैड. एरिया	मुक्ता सूद
116.	एफ-141, मोती बाग	मुकेश गुप्ता
117.	91, न्यू वेस्ट मोती बाग	चन्दर काला
118.	एफ-62, मोती बाग	त्रियोगीनाथ गुप्ता
119.	ई-49, मोती बाग	ए.के. नायक
120.	ए-349, किदवई नगर ईस्ट	शाशू मुदगल
121.	ए-151, किदवई नगर ईस्ट	राम कुमार नोकवाल
122.	बी-153, किदवई नगर ईस्ट	बासव राज
123.	सी-347, किदवई नगर ईस्ट	किशोरी लाल
124.	ए-206, किदवई नगर ईस्ट	जीवन राम
125.	सी-127, किदवई नगर ईस्ट	राजेन्द्र प्रसाद
126.	ए-201, किदवई नगर ईस्ट	एस.के. पटेल
127.	सी-87, किदवई नगर ईस्ट	जय चंद
128.	सी-91, किदवई नगर ईस्ट	महिपाल सिंह
129.	267/एस/4, तिमार पुर	डोरी लाल
130.	293, लांसर रोड	बाबू लाल
131.	367, लांसर रोड	कवंर सिंह
132.	सी-सी, बी-1-4 क्वार्टर नं. 57, हनुमान रोड	आनंद सिंह
133.	275, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	याद राम कश्यप
134.	275, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	जगत नारायण
135.	275, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	सबेसम
136.	691, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	समर पाल
137.	1047, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	नंद किशोर जयसवाल
138.	1054, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	दुलार चंद
139.	1110, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	एन.एस. रावत
140.	1243, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	जगदीश प्रसाद
141.	1245, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	राम नरेश महतो
142.	1433, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	यू. सुमम्मा
143.	1518, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	चन्द्र किशोर डोमाल
144.	1884, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	बुद्ध प्रकाश
145.	1951, लोधी रोड कॉम्पलैक्स	पवन कुमार
146.	सी-2/एफ-01, लोधी कालोनी	जमादार महतो
147.	सी-2/एफ-24, लोधी कालोनी	हरीश चन्द्र नौटियाल
148.	सी 193/3, लोधी कालोनी	हरीश शर्मा
149.	सी 341/3, लोधी कालोनी	सुनील कुमार सिन्हा
150.	523, लक्ष्मी बाई नगर	गोवर्धन महतू
151.	1104, लक्ष्मी बाई नगर	सुमन आनन्द
152.	1234, लक्ष्मी बाई नगर	सुश्री सुष्मा
153.	1341, लक्ष्मी बाई नगर	केशवा नन्द
154.	1476, लक्ष्मी बाई नगर	एन्थोनी
155.	1495, लक्ष्मी बाई नगर	जी.बी. जोशी
156.	1562, लक्ष्मी बाई नगर	राजो
157.	1942, लक्ष्मी बाई नगर	राम प्रकाश शर्मा
158.	डी-811-नेताजी नगर	खिलानंद जोशी
159.	डी-867-नेताजी नगर	नरबहादुर
160.	सी-1121-नेताजी नगर	दिलीप सिंह
161.	सी-1139-नेताजी नगर	एस. मोरीज
162.	ई-1418-नेताजी नगर	रणधीर सिंह
163.	ई-1451-नेताजी नगर	डी.एस. रावत

1	2	3
164.	डी-1456-नेताजी नगर	सुश्री अंजु शर्मा
165.	ई-1593-नेताजी नगर	जे.एस. परमार
166.	ई-1709-नेताजी नगर	बृज मोहन
167.	ई-1718-नेताजी नगर	दिनेश पाण्डेय
168.	ई-1726-नेताजी नगर	आर.पी. चमोली
169.	ई-1737-नेताजी नगर	सुन्दर लाल
170.	एफ-2630-नेताजी नगर	मोहन सिंह रावत
171.	बी-2822-नेताजी नगर	कुलदीप चन्द
172.	बी-2663-नेताजी नगर	सुश्री नीलम रायसादा
173.	बी-2698-नेताजी नगर	अमी चन्द प्रसाद
174.	एफ-2984-नेताजी नगर	नरेन्दर अवस्थी
175.	एच-004, नानक पुरा	दीप नारायण मांझी
176.	एफ-29, नानक पुरा	गुरनाम सिंह
177.	आई-52, नानक पुरा	पी.एस. गुरंग
178.	जी-67, नानक पुरा	जी.एस. रावत
179.	एच-68, नानक पुरा	जय सिंह
180.	एच-80, नानक पुरा	सुश्री नेता धवन
181.	एच-82, नानक पुरा	आनंद सागर
182.	एफ-90, नानक पुरा	रमेश चन्द तिवारी
183.	एफ-95, नानक पुरा	जयवीर सिंह
184.	एफ-177, नानक पुरा	हरीश ढांढा
185.	एच-202, नानक पुरा	मदन लाल
186.	एफ-267, नानक पुरा	चेतमणी शर्मा
187.	एच-285, नानक पुरा	विजय किशोर
188.	एच-291, नानक पुरा	के.एल. पीर
189.	एच-377, नानक पुरा	माधवानंद
190.	एफ-415, नानक पुरा	सुश्री विभा कलतियाल
191.	जी-31, श्रीनिवास पुरी	बच्चू सिंह
192.	जी-54, श्रीनिवास पुरी	ओंकार
193.	जी-55, श्रीनिवास पुरी	प्रकाश
194.	जी-63, श्रीनिवास पुरी	बनवारी लाल
195.	जी-85, श्रीनिवास पुरी	रामपाल
196.	जी-96, श्रीनिवास पुरी	ओम प्रकाश
197.	जी-108, श्रीनिवास पुरी	सोन पाल
198.	जी-118, श्रीनिवास पुरी	गुलाब सिंह
199.	जी-285, श्रीनिवास पुरी	प्रीतम चंद
200.	जी-365, श्रीनिवास पुरी	श्याम लाल
201.	जी-382, श्रीनिवास पुरी	सतीश चन्द्र
202.	जी-457, श्रीनिवास पुरी	राम सिंह
203.	जी-514, श्रीनिवास पुरी	लीला राम
204.	जी-522, श्रीनिवास पुरी	हरीदास
205.	जी-665, श्रीनिवास पुरी	जब्बार सिंह
	टाइप-III	
206.	/50एस 1-, सादिक नगर	पी.पी मुरलीधन
207.	88/13, देव नगर	प्रभु दयाल
208.	66/13, देव नगर	बाबू लाल
209.	एफ-354, नानक पुरा	अशोक कपूर
210.	94/13, देव नगर	ए.के. मन्दरा
211.	213/13, देव नगर	के.के. पाण्डेय
212.	/32एस 1-, सादिक नगर	सुरेन्दर सिंह
213.	98/13, देव नगर	रामस्वरूप
214.	/129एस1, सादिक नगर	बाबू सिंह
215.	178/11, देव नगर	मोहम्मद इशाक
216.	/313एस3-, सादिक नगर	एम पी बलूनी
217.	/1099एस/3-आर.के. पुरम	रानी
218.	/391एस/9-आर.के. पुरम	राजकमल

1	2	3
219.	/392एस/12-आर.के. पुरम	बृज लाल
220.	सी/251-मिण्टो रोड एरिया	मिथलेश स्वामी
221.	सी/26-मिण्टो रोड एरिया	सुष्मा देवी
222.	सी/47-मिण्टो रोड एरिया	दिनेश कुमार कटारिया
223.	सी/76-मिण्टो रोड एरिया	ए.के. अधवारिया
224.	-2वाई/चित्रगुप्ता रोड	भवानी शंकर
225.	/123एस/1-आर.के. पुरम	जुगरान चन्द मोहन
226.	/851एस/8-आर.के. पुरम	बलदेव राज
227.	/845एस/9-आर.के. पुरम	रीमा मल्होत्रा
228.	/4/12एस/1- एम.बी. रोड	धरमनाथ प्रसाद
229.	-147एम/एस/4 एम.बी. रोड	आई योसिहा
230.	एम एस/953/एस/7 एम.बी. रोड	प्रभु दयाल
231.	/6/106एस1/एम.बी. रोड	गणेश राम
232.	/103एस7/एम.बी. रोड	बी.बी. चेतरी
233.	एम एस/2019/एस7/एम.बी. रोड	जयपाल सिंह
234.	डी एस/411/एस7/एम.बी. रोड	टी.पी. विश्वास
235.	/946एस7/एम.बी. रोड	मोहन सिंह
236.	जी2268-, नेताजी नगर	बलदेव चन्द
237.	जी 2283-, नेताजी नगर	आर.एस. पाण्डेय
238.	एच 136-, सरोजिनी नगर	यू.सी. पल्टा
239.	जी 631-, सरोजिनी नगर	जय प्रकाश
240.	जी 74-, सरोजिनी नगर	के डी पटियाल
241.	जी.आई.848-, सरोजिनी नगर	आर. रविन्दर कुमार
242.	आई253-, सरोजिनी नगर	एम.के. गोयल
243.	आई97-, सरोजिनी नगर	एम.सी. हरबाला
244.	बी323-, सरोजिनी नगर	हेम चन्द
245.	आई 88-, सरोजिनी नगर	एन.के. जैन
246.	डी79-, सरोजिनी नगर	एस.के. सागर

1	2	3
247.	बी715-, सरोजिनी नगर	सुसजा साहिब
248.	ए738-, सरोजिनी नगर	एम.एस. शर्मा
249.	एच435-, सरोजिनी नगर	राम बहादुर
250.	सी 341-, सरोजिनी नगर	एस.एल. पोद्वार
251.	2/62बी, एस2-, डी.आई.जैड. एरिया	एस.के. मुदगल
252.	1/76सी, एस2-, डी.आई.जैड. एरिया	ए.के. शर्मा
253.	15/60, एस3-, डी.आई.जैड. एरिया	टी.एन. कौल
254.	39/2, एंड्रयूजगंज	के आर बनसोद
255.	109/2, एंड्रयूजगंज	सोहन पाल
256.	143/3, एंड्रयूजगंज	आर.पी.एस. पठानिया
257.	226/3, एंड्रयूजगंज	एच.एम. सोनकुसरे
258.	-101जे, आराम बाग	के.के. चतुर्वेदी
259.	डी 717-, मंदिर मार्ग	एस.एल. लोकिन्दी
260.	007/3, एंड्रयूजगंज	वी.एस. वर्मा
261.	312/15, लोधी कालोनी	एस.बी. अरोड़ा
262.	626/5, लोधी कालोनी	देसराज सिंह
263.	163/10, लोधी कालोनी	शेखर चौधरी
264.	901/17, लोधी कालोनी	नरेश कुमार
265.	902/17, लोधी कालोनी	एस.सी. खत्री
266.	948/17, लोधी कालोनी	आर.आर. पाण्डेय
267.	1024/19, लोधी कालोनी	चन्द कश्यप
268.	648/6, लोधी कालोनी	जय प्रकाश कुकरेती
269.	बी43/2-, यू.डी.पी. नेहरु नगर	सुशील एम. अंसारी
270.	931, लक्ष्मी बाई नगर	एस.पी. सिंह
271.	सी631/, तिमार पुर	हरी किशन
272.	सी708/, तिमार पुर	होशियार सिंह

1	2	3
273.	डी.एस.943/, तिमार पुर	जी.पी. सिंह
274.	/28 एच, बसंत विहार	भूषण लाल कौल
275.	/14 सी, बसंत विहार	वीरेन्द्र सिंह
276.	/3 एल, बसंत विहार	मोहन लाल शर्मा
277.	/30 जी, बसंत विहार	एस.पी. नौटियाल
278.	/2 के, बसंत विहार	अनीता रोपडा
279.	एफ 176-, नौरोजी नगर	जे.एस. मेहता
280.	-25 एल, वसंत विहार	राज दुलारी
281.	एम.एस. 88/, तिमार पुर	विनोद बिहारी लाल
282.	एम.एस. 133/, तिमार पुर	बाल किशन
टाइप-IV		
283.	जी2409-, नेताजी नगर	धीरज कुमार
284.	ए2476-, नेताजी नगर	नंद कुमार झा
285.	389, लक्ष्मी बाई नगर	राम चन्द्र झा
286.	जैड17-, सरोजिनी नगर	जितेन्द्र कुमार सिंहा
287.	90, एस 3, सादिक नगर	सुधीर कुमार चौधरी
288.	04, एस 3, सादिक नगर	ए. सत्य नारायण
289.	वाई.जैड. 08-,सरोजिनी नगर	रवि कांत राय
290.	119, लक्ष्मी बाई नगर	नाथू लाल
291.	3, बी.आई. 23-, एस 1, एम.बी. रोड	विनोद बिहार दास
292.	3, बी.आई. 19-, एस 1, एम.बी. रोड	आशुतोष राय
293.	एक्स.वाई.29-, सरोजिनी नगर	अजय सक्सेना
294.	470, लक्ष्मी बाई नगर	एस.के. खाबरू, सीएजी
295.	181, लक्ष्मी बाई नगर	आदित्य नारायण मिश्रा
296.	ए 2523-, नेती नगर	अशोक कुमार
297.	753, लक्ष्मी बाई नगर	पी.एस. आत्मीय
298.	079, ए 3, सादिक	विजय कृष्णा
299.	06, बीआई 16, एस 1, एम.बी. रोड	प्रदीप कुमार सरकार
300.	256, लक्ष्मी बाई नगर	पंवार आर.एस.
301.	134, लक्ष्मी बाई नगर	रीता एस लाल
302.	ए 2535, नेताजी नगर	दास नरसिंह
303.	733, एस4, आर.के. पुरम	सतीश सलवान
304.	518, एस3, आर.के. पुरम	ओम प्रकाश
305.	598, एस4, आर.के. पुरम	ब्रज किशोर
306.	381, एस4, आर.के. पुरम	धरम पाल
307.	367, एस3, आर.के. पुरम	के.एल. कौल
308.	452, एस4, आर.के. पुरम	एस.पी. तांती
309.	208, बी.आई., 23, लोधी कालोनी	ओ.पी. शर्मा
310.	85, बी.आई., 21, लोधी कालोनी	के.जी. वर्मा
311.	ए16-, बी.आई., डी. 1, लोधी कालोनी	साहिद हसन
312.	718, एस4, आर.के. पुरम	राजवीर सिंह
313.	593, एस3, आर.के. पुरम	राम मिलन व्यास
314.	-9बी, ब्लॉक-डी, मायापुरी	राम सजीवन
315.	345, एस3, आर.के. पुरम	जी आर गोपालन
316.	35, ब्लॉक नं. 20, लोधी कालोनी	बी.पी. सैनी
317.	791, एस 4, आर.के. पुरम	इंदरजीत शर्मा
318.	504 ए, एस 3, आर.के. पुरम	एम. शशीधरन
319.	753, एस 3, आर.के. पुरम	ललिता लाल
320.	1105, एस 4, आर.के. पुरम	ताज किशन काव
321.	642, एस 4, आर.के. पुरम	सुरेश कुमार साधु
322.	531 ए, एस 3, आर.के. पुरम	एस. आय

1	2	3
323.	646, एस 4, आर.के. पुरम	सुरेश प्रसाद चौबे
324.	594, एस 4, आर.के. पुरम	ओंकार नाथ कौल
325.	265, एस 4, आर.के. पुरम	विजय कुमार आइमा
326.	717, एस 4, आर.के. पुरम	बरकत जमान खान
327.	356, एस 3, आर.के. पुरम	जवाहीर लाल रैना
328.	173, एस 3, आर.के. पुरम	सुश्री सुनील खुशू
329.	1047, एस 4, आर.के. पुरम	ए.के. पसहेन
330.	46, बी.आई., 20, लोधी कालोनी	पी.के. मल्लिक
331.	ए 57-, पंडारा रोड	पी.एस. छग्गर
332.	541, एस 9, आर.के. पुरम	एम.सी. सिद्धरम्मैया
333.	1076, एस 8, आर.के. पुरम	विनोद कुमार शर्मा
334.	ई13-नानक पुरा	दयानन्द सैनी
335.	बी215-नानक पुरा	सीता राम
336.	891, एस 8, आर.के. पुरम	अजय कुमार सिन्हा
337.	477, एस 9, आर.के. पुरम	रतन लाल राजदान
338.	एन 302-, एस 8, आर.के. पुरम	थोमंग सी
339.	566, एस 9, आर.के. पुरम	दरवान सिंह
340.	ए 53-, पंडारा रोड	गुलाम हसन खाण्डे
341.	ए 72-, पंडारा रोड	सतीश कोहली
342.	बी 36-, पंडारा रोड	सतनाम कौर
343.	बी 212-,नानक पुरा	बाल किशन सप्रू
344.	बी 38-, पंडारा रोड	एस कुरैसी
345.	बी 32-, नानक पुरा	स्वर्णजीत सिंह ऋषि
346.	-8यू एफ, बाबर प्लेस	गणेश रामदासी
347.	सी 33-, नानक पुरा	राजेश कुमार साही
348.	1079, एस 12, आर.के. पुरम	देव शर्मा
349.	19, नार्थ वेस्ट मोती बाग	किशन सुमीर कौल
350.	1140, एस 12, आर.के. पुरम	के.एन. जोशी
351.	-2सी, प्रैस ब्लाक	शमशेर अहमद खान
352.	बी 6/1, पेशवा रोड	प्रदीप कुमार
353.	सी 39-, नानक पुरा	शेर सिंह दहिया
354.	सी 19-, नानक पुरा	सदा राम
355.	79, नार्थ वेस्ट मोती बाग	वीना भाटिया
356.	-12 यू.एफ., बाबर प्लेस	शशि बाला ढींगरा
357.	03, यू.एफ. कालेज रोड	राम प्रकाश
358.	138, नार्थ वेस्ट मोती बाग	राजन खन्ना
359.	1331, एस 12, आर.के. पुरम	सोम नाथ सुमन
360.	ए1/4-, पेशवा रोड	अशोक कुमार हुजा
361.	सी137-, नानक पुरा	सुरेश कुमार कोटरू
362.	ए, ब्लॉक नं. 3, मिण्टो रोड (एम.एस.)	बद आलम खान
363.	बी1/1-, पेशवा रोड	करम चन्द
364.	-10यू.एफ. बाबर प्लेस	राम नाथ झा

टाइप-IV (स्पेशल)

365.	डी3-एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	सुधीर मित्तल
366.	क्यू9-एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	ए. बनर्जी
367.	टी18-, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	वी.के. कौल
368.	एम16-एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	राजेश कुमार सिंह
369.	एस42-, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	अनुपमा मंडल
370.	वाई21-, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	कृष्ण मोहन दीक्षित
371.	सी11-एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	मेजर जनरल एस.आर. कुमार, जर्नलिस्ट
372.	डब्ल्यू 1-, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	रमेश भान, जर्नलिस्ट

1	2	3
373.	जैड9-, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	रमेश चन्द्र, जर्नलिस्ट
374.	यू39-, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	सनीव आचार्य, जर्नलिस्ट
375.	ई4-एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	नीलिमा माथुर, जर्नलिस्ट
376.	क्यू4-एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	के. सुनील थॉमस, जर्नलिस्ट
377.	यू35-, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	अजय तिवारी, जर्नलिस्ट
378.	के 5-, एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	वी.वी. बिनु, जर्नलिस्ट
379.	एक्स 27-, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	एस.सी. जोशी, जर्नलिस्ट
380.	यू 8-, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	यू आनंद कुमार, जर्नलिस्ट
381.	एस 35-, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	कमल शेखरी, जर्नलिस्ट
382.	सी 12-, एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	पी.डी. रामकृष्णन, जर्नलिस्ट
383.	सी14-, एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	श्री मंजीत सिंह नेगी, जर्नलिस्ट
384.	1204, एस 12, आर.के. पुरम	जॉर्ज अब्राहम, जर्नलिस्ट
385.	1201, एस 12, आर.के. पुरम	जगदीश नंदन सिंह, जर्नलिस्ट
386.	टी-4, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	मोहम्मद सिराज साहिल, पत्रकार
387.	नडी-7, एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	सरोज गणपत, पत्रकार
388.	एस-9, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	संजय कुमार मिश्रा, पत्रकार
389.	टी-2, हुडको प्लेस एक्सटेंशन	रवि कुमार गरिकपति, पत्रकार
390.	पी-4, एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन	सुश्री उषा श्रीवास्तव, पत्रकार
टाइप-5 ए (डी-II)		
391.	डी II/175, किदवई नगर पश्चिम	बलजीत सिंह
392.	डी II/182, किदवई नगर पश्चिम	डा. प्रतीक
393.	डी II/233, किदवई नगर पश्चिम	सुचित्रा गोस्वामी
394.	डी II/404, ब्लॉक-5, मोतिया खान	विजय बोधंकर
395.	डी II/33, ब्लॉक-5, लोधी रोड काम्पलेक्स	सुधीर मोहन सेठी
396.	डी II/9, ब्लॉक-2, लोधी रोड काम्पलेक्स	अंजनी नंदन शरण
397.	डी II/32, महादेव रोड	पूर्णिमा सिंह
398.	डी II/81, पंडारा रोड	सुश्री शिप्रा विस्वास
399.	डी II/71, पंडारा रोड	अमृत लाल मीणा
400.	डी II/302, पंडारा रोड	अनिल कुमार जैन
401.	डी II/319, पंडारा रोड	बिंबाधर प्रधान
402.	डी II/317, पंडारा रोड	ए.के. किदवई, पत्रकार
403.	डी II/4-3, ब्लॉक के सैक्टर-13, आर.के. पुरम	एस.के. दास
404.	डी II/1-1, ब्लॉक जे, सैक्टर-13, आर.के. पुरम	उमेद सिंह
405.	डी II/2-3, ब्लॉक क्यू, सैक्टर-13, आर.के.पुरम	ब्रिगेडियर आर.एस. नौटियाल
406.	डी II/2507, नेताजी नगर	हेमन्त मधुकर कुलकर्णी
407.	ए-2724, नेताजी नगर	अविनाश मिश्रा
408.	डी II/239, विनय मार्ग	खान ताषीन अहमद
409.	डी II/271, विनय मार्ग	देवेन्द्र मिश्रा
410.	डी II/13, शाहजहां रोड	अवतार सिंह चौहान
411.	डी II/3, पंडित पंत मार्ग	सवितुर प्रसाद
412.	डी II/बी-6, तिलक लेन	योगेन्द्र गर्ग
413.	डी II/डी-6, तिलक लेन	आर.सी. पंडित, पत्रकार
414.	डी II/4, काका नगर	राजीव शर्मा
415.	डी II/97, काका नगर	बी. आनन्द
416.	डी II/145, काका नगर	नवनीत कुमार सहगल

1	2	3
417.	डी II/200, काका नगर	डा. पार्वती सिंह बैस
418.	डी II/201, काका नगर	डी.के. जोशी, पत्रकार
टाइप-5 बी (डी-I) डी II/		
419.	डी-33, आर.के. पुरम	आर.के. महाजन
420.	डी I/बी-7/3, भगवान दास रोड	आर.के. वत्स
421.	डी I/99, रविन्द्र नगर	सुभाष चन्दर
422.	डी I/91, रविन्द्र नगर	रवि नारायण दाश
423.	डी I/115, रविन्द्र नगर	गुरजोत सिंह नारंग
424.	डी I/6, एस.पी. मार्ग	अशोक जुनेजा
425.	डी I/68, रविन्द्र नगर	जी. गुरुचरण
426.	डी I/45, रविन्द्र नगर	लक्ष्मण दास
427.	डी I/07, एस.पी. मार्ग	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
428.	डी I/4, चाणक्यपुरी	अहमद हुसैन
429.	डी I/एस-53, आर.के. पुरम	राजेन्द्र प्रसाद माथुर
430.	डी I/1, एस.पी. मार्ग	अमित मोहन प्रसाद
टाइप-6 ए (सी-II)		
431.	डी-1.2, आर.के. पुरम	अब्दुल अली अजीजी
432.	डी-4, टावर सं. 10 न्यू मोती बाग	आर.के. अर्नोल्ड
433.	32, बापा नगर	विरेन्द्र प्रभाकर
434.	69, चाणक्यपुरी	अशोक चावला
435.	2.2 (एम.एस.) शाहजहां रोड	वी.के. पिपरसेनिया
436.	ए-8.1 (एम.एस.) सैक्टर 13, आर.के. पुरम	ए.के. मनचन्दा
437.	3, चाणक्यपुरी	राजन के. मेधेकर
438.	12-बी, हुडको प्लेस	विपिन कुमार
439.	ए-6, टावर 9, न्यू मोती बाग	डी.एस. रस्तोगी
440.	सी-8, टावर 10, न्यू मोती बाग	एन.पी. भगत
441.	ए-2.3 सैक्टर 13, आर.के. पुरम	के.बी. अग्रवाल
442.	5.3 (एम.एस.) शाहजहां रोड	सी.एल. सेठी
टाइप-6 बी (सी-I)		
443.	9/1901/2001-टी.एस./सी-1/7, बापा नगर	पी.के. रस्तोगी
444.	8/4738/2011-टी.एस./सी-1/39, पण्डारा पार्क	डा. के.एन. शर्मा
445.	8/4551/10-टी.एस./सी-1/49, बापा नगर	श्रीमती कमला गुर्जर
446.	सी-1/3, पंडारा पार्क	ए.बी. माथुर
टाइप-7		
447.	69, न्यू मोती बाग	सुश्री विजया लता रेड्डी

ए.एस.एच.ई., 2012 रिपोर्ट

659. **श्री अशोक तंवर**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) की भारत में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उच्चतर शिक्षा की वार्षिक स्थिति, 2012 (ए.एस.एच.ई., 2012) संबंधी रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा में 8 लाख से 16 लाख शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार उच्चतर शिक्षा में गुणवान शिक्षकों की कमी भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरुर): (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा प्रकाशित भारत में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उच्चतर शिक्षा की वार्षिक स्थिति, 2012 (ए.एस.एच.ई., 2012) के

अनुसार, अनुमानित छात्र मांग को पूरा करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा में संकाय सदस्यों की वर्तमान 8 लाख की संख्या को दोगुना करके 16 लाख किए जाने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि ये क्षमता वृद्धि स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. दोनों स्तरों पर आवश्यक है। इसके ब्यौरे http://eduvisors.com/dwnld_assets. पर उपलब्ध है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में शिक्षकों से संबंधित मुद्दों का समाधान मिशन मोड में करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शिक्षण पदों की अधिकांश भर्तियां राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की जानी है। केन्द्र सरकार, इन रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर यथोचित प्रोत्साहन प्रदान करती है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने शिक्षकों एवं शिक्षण पर एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने के लिए एक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों एवं शिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन की एक योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षकों की कमी, शिक्षक तैयार करने तथा व्यवसायिक विकास से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करना है।

शहरी गरीबों हेतु सस्ते आवास

660. **श्री धनंजय सिंह:**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री हरिभाऊ जावले:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो और निम्न आय वर्ग हेतु निम्न लागत वाले आवासों सहित आवासों की कमी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) कमी को दूर करने के लिए कार्यान्वित योजनाओं और नीतियों का ब्यौरा क्या है:

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार आवंटित और जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं की प्रगति धीमी है;

(ङ) यदि हां, तो योजना/परियोजना-वार इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का इस उद्देश्य हेतु निम्न लागत के आवासों हेतु विशेष कोष बनाने, नई नीतियां बनाने या विद्यमान नीतियों में बदलाव लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डा. गिरिजा व्यास): (क) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में शहरी आवास की कमी का अनुमान लगाने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह ने वर्ष 2012 तक की स्थिति के अनुसार 18.78 मिलियन आवास की कमी होने का अनुमान लगाया है। इनमें से 10.55 मिलियन आवास (56.18%) की कमी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) और 7.41 मिलियन आवास (39.44%) की कमी निम्न आय समूह श्रेणी में है।

(ख) "भूमि " और "कालोनाईजेशन" राज्य के विषय हैं, इसलिए सभी नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, राज्य सरकारों के पहल प्रयासों को पूरा करने और सहायता देने के लिए यह मंत्रालय "सभी के लिए आवास" प्रदान करने के प्रयोजन से बनाई गई राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एन.यू.एच.एच.पी), 2007 और विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, यथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.), शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आई.एस.एच.यू.पी.) और भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) योजना।

(ग) से (ङ) **जे.एन.एन.यू.आर.एम.**: शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) कार्यक्रम और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) जो कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के घटक हैं, के अंतर्गत कोई वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत 1.5 मिलियन आवासों को निर्माण करने के लिए स्वीकृतियां जारी की गई थीं और राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे 31 मार्च, 2014 तक आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लें। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

राजीव आवास योजना: राजीव आवास योजना एक सुधारोन्मुख और मांग आधारित योजना है इसके अंतर्गत प्रगति राज्यों द्वारा निर्धारित गति पर निर्भर करती है। इसलिए राजीव आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजीव आवास योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना: इस योजना की परिकल्पना 3.10 लाख लाभभोगियों को ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए की गई थी। यह एक मांग आधारित योजना थी जिसे प्रायोगिक आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित किया गया था। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

भागीदारी में किफायती आवास: भागीदारी में किफायती आवास भी एक मांग आधारित योजना है और इसके अंतर्गत प्रगति भी राज्यों द्वारा निर्धारित गति पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भागीदारी में किफायती आवास योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(च) भारत सरकार ने निम्न लागत के आवास के निर्माण को सुकर बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से "शहरी आवास निधि" की स्थापना करने की घोषणा की है। हाउसिंग एंड अर्बन डेबलेपमेंट कॉर्पोरेशन (हडको) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) दोनों में से प्रत्येक को 5,000 करोड़ रुपए की धन राशि से कर मुक्त बॉण्ड के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति दी गई है। आवास और शहरी अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए इनको सरणीबद्ध किया जाना है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित किफायती आवास कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य किफायती आवास नीतियां बनाएं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष ओर वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यवार उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	बी एस यू पी								आई एच एस डी पी							
		स्वीकृत डी यू				पूर्ण डी यू				स्वीकृत डी यू				पूर्ण डी यू			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह																
2.	आन्ध्र प्रदेश		5160			21094	20087	562						2366	3476	803	432
3.	अरुणाचल प्रदेश		240				92	8									
4.	असम					352		64						376	435	251	33
5.	बिहार						352	32		5986	9681			1454	589	526	
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)					1600	10624										
7.	छत्तीसगढ़		5248					6624	304					1076	1825	2811	559
8.	दिल्ली (एन.सी.टी.)	21840	12260			5628	1316										
9.	दादरा और नगर हवेली																
10.	दमन और दीव													2			
11.	गोवा										70						
12.	गुजरात	544	10800			16670	14812	8794	300		7144			2385	593	2189	104
13.	हरियाणा					174	842	40			195			1456	1819	1277	79
14.	हिमाचल प्रदेश							40		338	89					32	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.	जम्मू और कश्मीर						356	69	147	953					942	1679	239
16.	झारखंड	4498								3676						1285	
17.	कर्नाटक		170			2588	10896	1804	251					2639	7882		
18.	केरल					3560	3348	1612	323					3806	3175	2042	252
19.	मध्य प्रदेश					1679	4161	3462	99	1104	1155			122	448	2660	
20.	महाराष्ट्र		10442			7592	21910	3149	756	1003	40474			2278	7618	6429	770
21.	मणिपुर							70	130		1385				832	1637	29
22.	मेघालय					16	48	112							48		
23.	मिजोरम					66	70				600			347	473	384	190
24.	नागालैंड					750	520		930		670			480			
25.	ओडिशा					627	254	123	68	316	662			1352	1211	1165	779
26.	पुदुचेरी (यू.टी.)					207	151	72									
27.	पंजाब		2224			140	860	544	56	5328	925					702	160
28.	राजस्थान	5814				160	114			12647	6918			1527	1658	2822	1069
29.	सिक्किम						52										
30.	तमिलनाडु		500			8770	16672	6812	3482		4826			11878	6033	3916	938
31.	त्रिपुरा													903	663	919	
32.	उत्तर प्रदेश		225			6582	13786	3445		8479	1495			3214	6777	4360	
33.	उत्तराखंड					45	9	97			378			336	666	254	
34.	पश्चिम बंगाल	15440	11423			18181	19669.1	10306	1549					11647	7988	4127	587
	कुल	48136	58692			97480	141001	47841	8395	39830	76667			49644	55151	42280	6220

पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य वार स्वीकृत और जारी धनराशि का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	बी एस यू पी								आई एच एस डी पी							
		स्वीकृत डी यू				पूर्ण डी यू				स्वीकृत डी यू				पूर्ण डी यू			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह																
2.	आन्ध्र प्रदेश		113.1			325.1	197.3	95.0						95.3	1.8	102.8	
3.	अरुणाचल प्रदेश		15.6			0.8		16.2						4.5			
4.	असम					12.3										3.7	
5.	बिहार									67.4	150.9			19.3	24.1	128.2	
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)		8.6			38.3	144.9										
7.	छत्तीसगढ़		171.6			7.4		48.7						13.7			
8.	दिल्ली (एन.सी.टी.)	536.1	330.5			183.7	116.0	145.0	152.9					1.4			
9.	दादरा और नगर हवेली																
10.	दमन और दीव																
11.	गोवा	0.00	0.00								1.4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	गुजरात	12.5	216.2			158.4	23.4	65.9	7.3		98.8			6.5	14.5	54.3	
13.	हरियाणा					7.8					37.7			19.8	29.2	12.4	6.4
14.	हिमाचल प्रदेश						2.8			11.7	1.3			5.9		7.7	
15.	जम्मू और कश्मीर					3.2	10.3	5.2		29.5				5.4	26.8	13.6	
16.	झारखंड	77.1				37.5				43.4				13.9	10.6		
17.	कर्नाटक		4.7			50.0	102.3	16.3	20.1					60.4	69.4		
18.	केरल					50.7	7.5	33.0						30.7	13.1	7.6	9.8
19.	मध्य प्रदेश					56.6	32.7	19.1	12.3	16.8	18.8			6.8	18.2	16.4	4.8
20.	महाराष्ट्र		326.9			293.9	296.4	166.2	3.9	16.8	641.2			75.5	51.0	360.9	39.2
21.	मणिपुर						22.0				19.8			5.7	16.0		
22.	मेघालय						10.1	10.1									
23.	मिजोरम					7.2	12.8	12.8	6.9		11.3				14.9		
24.	नागालैंड					26.4		26.4			19.7						
25.	ओडिशा					9.9	7.7	8.5		5.4	11.4			4.7	22.8	33.5	4.5
26.	पुदुचेरी					1.1	7.0	8.1									
27.	पंजाब		48.2			9.0		2.11		99.8	12.1			50.5		10.2	
28.	राजस्थान	88.1				43.2				196.0	111.1			122.0	5.0	99.9	73.4
29.	सिक्किम					8.0	6.6	0.7	6.6							9.0	
30.	तमिलनाडु		7.9			162.4	87.3	163.3			62.7			70.9	11.6	34.5	
31.	त्रिपुरा																
32.	उत्तर प्रदेश	5.4	4.8			284.5	184.0	27.0		177.8	33.7			198.2	199.0	4.7	0.4
33.	उत्तराखंड					8.9	1.3	2.4	2.9		7.4			16.8	15.5	7.5	
34.	पश्चिम बंगाल	355.1	277.7			150.3	289.0	295.0	51.8					34.2	147.6	33.1	17.2
	कुल	1074.4	1525.8			1936.5	1561.5	1186.0	264.6	663.5	1239.4			874.3	693.1	943.5	155.8

विवरण-II

राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रगति

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	जारी करने का वर्ष लागत (लाख रु. में)	कुल परियोजना (केन्द्रीय अंश 1/3) (लाख रु. में)	ए.सी.ए. की प्रथम किस्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	केशव नगर स्लम की डी.पी.आर.; स्व-स्थाने पुन: विकास आर.ए.वाई. प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत जी.एच.एम.सी.	2011-12	5874.59	741.59
2.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	विजयवाडा, नगर निगम में रे के अंतर्गत (रे पायलट परियोजना-I) धाल मिल स्लम क्षेत्र की डी.पी.आर.	2012-13	2013.42	301.11

1	2	3	4	5	6	7
3.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा नगर निगम में रे के अंतर्गत एन.एस.सी. बोस का डी.पी.आर. (रे पायलट परियोजना-2)	2012-13	7617.57	1209.45
4.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम	सूर्या तेजा नगर में यथा स्थाने पुनर्विकास के लिए पायलट परियोजना	2012-13	1131.08	188.51
5.	मध्य प्रदेश	इंदौर	राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) के अंतर्गत इंदौर मेट्रोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना (1463 रिहायशी इकाईयां) के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (महादेव नगर, इंद्रजीत नगर, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगर-2, निपनिया ग्राम काकड, अन्ना भाउ साठे चिकित्सा नगर-I, और राहुल गांधी नगर (बजरंग नगर की प्रायोगिक डी.पी.आर.)	2011-12	8433.55	1242.85
6.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की स्लम मुक्त शहर आयोजना के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (1) एम.एल.बी. स्कूल के पीछे (2) साररा पीपर (3) चौधीर मोहल्ला (4) (रविदास नगर) की प्रायागिक डी.पी.आर.	2011-12	3694.58	557.65
7.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत ग्वालियर नगर निगम की स्लम मुक्त शहरी आयोजना के अनुसार चिन्हांकित स्लमों (शर्मा फार्म-2, शर्मा फार्म सं.-1, शांति नगर वार्ड सं. 21, कैंसर पहाड़ी, महलगांव के पहाड़ी) की डी.पी.आर.	2011-12	5715.52	842.03
8.	मध्य प्रदेश	सागर	राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) के अंतर्गत सागर मैट्रोपोलिस क्षेत्र की स्लम मुक्त शहरी आयोजना के अनुसार चिन्हांकित तीन स्लमों (किशोर न्यायालय के पास वाली स्लम, खटुई बस स्टैंड के पीछे वाली स्लम और कसाई बस्ती) की प्रयोगिक डी.पी.आर.	2011-12	3511.32	500.89
9.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल में निर्माण के लिए ज्ञात स्लमों (अर्जुन नगर, झील नगर, शांति नगर और अम्बेडकर नगर) का पायलट डी.पी.आर.	2012-13	7399.77	1121.18
10.	केरल	तिरुवंतपुरम	पायलट परियोजना के लिए माथीपुरम कालोनी, विजहित गम, तिरुवंतपुरम, केरल रे के अंतर्गत	2011-12	7186.94	1157.39

1	2	3	4	5	6	7
11.	ओडिशा	भुवनेश्वर	पाथरभंडा आर.ए.वाई. (प्रायोगिक परियोजना) रंगा माटिया स्लम सुधार परियोजना भुवनेश्वर, उड़िसा के लिए डी.पी.आर.	2011-12	4476.61	606.86
12.	ओडिशा	भुवनेश्वर	रे के अंतर्गत पत्थरबंध स्लम कलस्टर, भुवनेश्वर (यथास्थाने पुनर्विकास) के लिए पायलट परियोजना	2012-13	8539.99	1223.97
13.	ओडिशा	कटक	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (कटक में यथा स्लम के विकास) कटम में 10 संख्या सल्म कलस्टरों के लिए पायलट परियोजना	2012-13	2583.32	359.26
14.	ओडिशा	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पायलट परियोजना महिषकला स्लम कलस्टर, भुवनेश्वर (स्वस्थाने के लिए पुनर्विकास)	2012-13	3532.33	505.17
15.	मिजोरम	आईजोल	जुआंगतुई, आईजोल में राजीव आवास योजना पायलट परियोजना	2012-13	1120.01	316.34
16.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर शहर में लालगंगा स्लम में यथा स्थाने पुनर्विकास और पुन: आबंटन के लिए राजीव आवास योजना पायलट परियोजना.	2012-13	1359.95	202.93
17.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रायबरेली शहर के स्लम मुक्त शहर के अनुसार ज्ञात स्लम के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	6460.76	989.02
18.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर में मैगजीन मोहल्ला सुधार परियोजना के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	1367.18	173.21
19.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर शहर में लालगंगा स्लम में यथा स्थाने पुनर्विकास और पुन: आबंटन के लिए राजीव आवास योजना पायलट परियोजना	2013-14	3769.59	479.79
20.	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रायबरेली शहर चरण-II की स्लम मुक्त शहर के अनुसार ज्ञात स्लमों के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	5291.01	779.12
21.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	राजीव आवास योजना के अंतर्गत फैजुल्लाहगंज वार्ड, लखनऊ गौड भीत, भारत नगर, चमराही, शिवलोकपुर, दाउद नगर और नया दाउद नगर नामक 5 स्लमों के यथा स्थाने विकास के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	2475.35	358.40
22.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत हरवंस मोहल स्लम सुधार परियोजना के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	518.31	69.02

1	2	3	4	5	6	7
23.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	राजीव आवास योजना पोखर पूर्वा स्लम सुधार परियोजना के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	824.76	100.45
24.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कन्नौज में यथा स्थाने शेखाना और बजरिया शेखाना स्लमों के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	1752.57	219.16
25.	तमिलनाडु	त्रिची	राजीव आवास योजना के अंतर्गत त्रिची में करीकलान स्ट्रीट (नाडुकोडाडूयम पेटाई) के यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	1721.15	233.36
26.	तमिलनाडु	चैन्नई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अथीपट्ट अम्बातुर में काक्कनजी नगर स्लम के पुनर्वास के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	8491.80	1157.46
27.	राजस्थान	भरतपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नमक कटरा स्लम, भरतपुर, राजस्थान के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	908.01	144.26
28.	राजस्थान	बीकानेर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत भाटों और ओडडो का वॉस, बीकानेर के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	1728.04	253.50
29.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत संजयनगर बाटा बस्ती-चरण-I, जयपुर के लिए पायलट डी.पी.आर.	2012-13	9660.97	1489.87
30.	राजस्थान	अलवर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बुध विहार, प्रताप स्कूल के पीछे, और धोबीगट्टा अलवर के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	8345.56	1325.93
31.	राजस्थान	अजमेर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बस्ती स्थल पसंद नगर कोटरा और ईदगाह (चौरसिया वास) अजमेर के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	8511.26	1352.26
32.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत किरण की धानी स्लम, जयपुर राजस्थान की पायलट डी.पी.आर.	2011-12	5729.2	919.9
33.	राजस्थान	कोटा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोटा में स्वामित्व आवासीय योजना के लिए किराए के लिए पायलट डी.पी.आर. (मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय स्कीम विस्तार)	2013-14	7166.58	1138.62

1	2	3	4	5	6	7
34.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत शिमला में कृष्ण नगर स्लम के लिए पायलट डी.पी.आर.	2013-14	3399.65	920.74
35.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	ईटानगर शहर के चिपूंगांव में अवसंरचना सहित 576 (जी+3) किराया आवासों का निर्माण	2013-14	4431.20	1290.97
36.	पंजाब	बटाला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बटाला, पंजाब में तीन स्लमों के यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट डी.पी.आर.	21.12.2012 को स्वीकृत	683.25	110.05
37.	जम्मू और कश्मीर	लेह	राजीव आवास योजना के अंतर्गत लेह ओल्ड टाउन के उन्नयन के लिए पायलट डी.पी.आर.	(अभी जारी किया जा रहा है)	2221.88	593.73
38.	तमिलनाडु	चैन्नई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अथीपट्टू अम्बातुर, चैन्नई में काककबजी नगर स्लम के पुनर्वास (अन्यत्र बसाने के लिए पायलट डी.पी.आर. चरण-II)	30.0.13 को जारी (अभी तक जारी किया जा रहा है)	3222.81	441.64
39.	पंजाब	जालंधर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत जालंधर में 9 स्लमों के यथा स्थाने उन्नयन के लिए पायलट डी.पी.आर.		1259.65	205.34
40.	कर्नाटक	बंगलौर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बसाने वर्धुर हुबली, बंगलौर) में सुलीकुटे ग्राम, सि.नगर 22 में अवसंरचना सहित 900 घरों के निर्माण की पायलट डी.पी.आर.		5709.62	871.67
41.	कर्नाटक	तुमकर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बजाने) तुमकुर में डिब्बूर में अवसंरचना सहित 1200 आवासीय एककों के निर्माण की पायलट डी.पी.आर.		6996.48	1081.27
42.	कर्नाटक	हुबली-धरवाड़	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बजाने) टुमकुर में हुबली-धरवाड़ में अवसंरचना सहित 1072 आवासीय एककों के निर्माण की पायलट डी.पी.आर.।		6766.52	1021.93
43.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अभिज्ञात स्लमों (हरीफाटक राजीव नगर, लोहार पट्टी, मोती नगर, एकता नगर) उज्जैन की पायलट डी.पी.आर.	08.03.2013 को जारी	7201.74	1091.17

1	2	3	4	5	6	7
44.	ओडिशा	जाजपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत ओडिसा जाजपुर में (स्वस्थाने विकास) 15 अदद स्लम क्लस्टरों के लिए पायलट डी.पी.आर.	(अभी तक किया जा जा रहा है)	4778.70	692.98
45.	छत्तीसगढ	बिलासपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अशोक नगर स्लम, वार्ड सं. 42 बिलासपुर छत्तीसगढ पायलट डी.पी.आर.	12.04.2013 को जारी	3567.23	544.69
46.	हरियाणा	यमुनानगर-जगादरी	राजीव आवास योजना के अंतर्गत यमुना नगर जगादरी, हरियाणा के 9 स्लमों में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए पायलट डी.पी.आर.	(अभी तक किया जा जा रहा है)	6036.76	957.52
47.	गुजरात	राजकोट	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नटराजनगर स्लम वार्ड नं. 12, राजकोट में अवसंरचना सहित 252 (जी+4) किराया आवासों का निर्माण	31.05.13 को जारी (अभी तक जारी किया जा रहा है)	1581.25	247.20
48.	गुजरात	अहमदाबाद	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अहमदाबाद में रमेश दत्त कालोनी का यथास्थाने पुनर्विकास (924 आवासों का निर्माण) और जदीबा नगर-इंदिरानगर (163 आवासों का निर्माण) के लिए प्रायोगिक परियोजना।		4111.06	624.00
49.	छत्तीसगढ़	कोबरा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कुआं महा स्लम, कोरबा प्रायोगिक परियोजना		1280.53	195.37
50.	छत्तीसगढ़	भिलाई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत धासीदास नगर, स्लम भिलाई में		6718.55	1025.70
51.	राजस्थान	जोधपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नाटीया बस्ती, जोधपुर की प्रायोगिक परियोजना		1083.66	178.82
52.	केरल	कोलमा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत एस.एम.पी. प्लेस कालोनी, कोल्लम की प्रायोगिक परियोजना		1785.18	249.06
53.	हरियाणा	सिरसा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत सिरसा (कंगनपुर और पार्क आटो मार्किट के पास) 3008 डी.यू. के निर्माण के लिए प्रायोगिक परियोजना		9499.90	1493.69
54.	हरियाणा	रोहतक	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रोहतक में 8 स्लमों का यथा स्थाने आवास और अवसंरचना विकास की प्रायोगिक परियोजना		9589.18	1598.20

1	2	3	4	5	6	7
55.	हरियाणा	अम्बाला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अम्बाला में 48 स्लमों के विकास की पायलट परियोजना		5983.26	997.21

*55 प्रायोगिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की कुल अनुमोदित लागत: 2468.21 करोड़ रु.

*अब तक प्रथम किस्त के रूप में 244.73 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

200 (आर.ए.वाई.) शहरों की सूची

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु. में)/ शहरों की संख्या		शहर-एस.एफ.सी.पी. के लिए जारी निधियां
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	472.72 (11 शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10 969.40 लाख रु. की दूसरी किश्त मार्च 2011 में निर्मुक्त की गई।	1.	ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम (जी.एच.एम.सी.)
			2.	ग्रेटर विशाखापतनम नगर-निगम (जी.वी.एम.सी.)
			3.	विजयवाड़ा
			4.	तिरुपति
			5.	गुंटूर
			6.	नैल्लोर
			7.	करनूल
			8.	राजामुन्दरी
			9.	वारंगल
			10.	काकीनाडा
			11.	रामागुनडंम
2.	अरुणाचल प्रदेश	111.29 (दो शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	12.	नाहरलागुन
			13.	ईटानगर
3.	असम	76.34 (एक शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	14.	गुवाहाटी
4.	बिहार	191.59 (चार शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	15.	पटना
			16.	गया-बोधगया

1	2	3	4	5
			17.	भागलपुर
			18.	मुज्जफ्फरपुर
5.	छत्तीसगढ़	182.88 (चार शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	19.	भिलाई नगर
			20.	रायपुर
			21.	बिलासपुर
			22.	कोरबा
6.	दिल्ली	981.96 (डी.एम.सी.) वित्तीय वर्ष 2010-11	23.	दिल्ली क्षेत्र का नगर-निगम
7.	गोवा	111.70 (तीन शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	24.	मारमागोवा
			25.	पणजी
			26.	मारगोवा
8.	गुजरात	431.64 (आठ शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	27.	अहमदाबाद
			28.	सूरत
			29.	वडोदरा
			30.	राजकोट
			31.	जामनगर
			32.	भावनगर
			33.	भडूच
			34.	पोरबन्दर
9.	हरियाणा	151.3 (नौ शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	35.	फरीदाबाद
			36.	पानीपत
			37.	यमुना नगर
			38.	अम्बाला
			39.	पंचकुला
			40.	करनाल
			41.	रोहतक
			42.	हिसार
			43.	गुडगांव
			44.	सिरसा

1	2	3	4	5
10.	हिमाचल प्रदेश	63.84 (एक शहर) वित्तीय वर्ष 200910	45.	शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	236.80 (आठ शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	46.	जम्मू
			47.	श्रीनगर
			48.	अनंतनाग
			49.	उधमपुर
			50.	बारामूला
			51.	कठुआ
			52.	लेह
			53.	कारगिल
12.	झारखंड	206.11 (चार शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	54.	जमशेदपुर
			55.	धनबाद
			56.	रांची
			57.	बोकारो स्टील सिटी
13.	कर्नाटक	400.4 (दस शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	58.	बंगलौर
			59.	मैसूर
			60.	हुबली-धारवाड़
			61.	मैंगलोर
			62.	बेलगांव
			63.	गुलबर्ग
			64.	देवनगरी
			65.	बिल्लारी
			66.	शिमोगा
			67.	थुनकुर
14.	केरल	263.31 (छ: शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	68.	कोच्ची
			69.	तिरुअनंतपुरम
			70.	कोझीकोड़े
			71.	कन्नूर
			72.	कोल्लम

1	2	3	4	5
			73.	थ्रिसूर
15.	मध्य प्रदेश	288.25 (सोलह शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	74.	इंदौर
			75.	भोपाल
			76.	जबलपुर
			77.	ग्वालियर
			78.	उज्जैन
			79.	सागर
			80.	बुरहानपुर
			81.	देवास
			82.	खंडवा
			83.	रतलाम
			84.	रीवा
			85.	सतना
			86.	सिगरौली
			87.	मुरवारा (कटनी)
			88.	छिंदवाड़ा
			89.	नीमच
16.	महाराष्ट्र	944.67 (अठारह शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	90.	ग्रेटर मुम्बई यू.ए.
			91.	पूना यू.ए.
			92.	नागपुर
			93.	नासिक
			94.	औरंगाबाद
			95.	शोलापुर
			96.	भिवांडी
			97.	अमरावती
			98.	कोल्हापुर

1	2	3	4	5
			99.	संगली-मिराज कुपवाड़
			100.	नांदेड़-वागला
			101.	मालेगांव
			102.	अकोला
			103.	जलगांव
			104.	अहमद नगर
			105.	धुले
			106.	चंदपुर
			107.	लातुर
17.	मणिपुर	55.79 (एक शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	108.	इम्फाल
18.	मेघालय	95.63 (एक शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	109.	शिलोंग
19.	मिजोरम	467.07 (आठ शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	110.	आइजवाल
			111.	चमफई
			112.	कोलासिब
			113.	लोंगतई
			114.	लुंगलई
			115.	मामित
			116.	साईहा
			117.	सरचिप
20.	नागालैण्ड	108.03 (दो शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	118.	कोहिमा
			119.	दीमापुर
21.	ओडिशा	184.12 (सात शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	120.	भुवनेश्वर
			121.	पुरी
			122.	कटक
			123.	राउरकेला
			124.	ब्रह्मपुर

1	2	3	4	5
			125.	सम्बलपुर
			126.	जयपुर
22.	पुदुचेरी	79.01 (दो शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	127.	पुदुचेरी
			128.	ओझूकरी
23.	पंजाब	583.34 (सात शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	129.	लुधियाना
			130.	अमृतसर
			131.	जालंधर
			132.	पटियाला
			133.	भटिंडा
			134.	बाटला
			135.	जलाबाद
24.	राजस्थान	281.15 (आठ शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	136.	जयपुर
			137.	जोधपुर
			138.	कोटा
			139.	बीकानेर
			140.	अजमेर
			141.	उदयपुर
			142.	भरतपुर
			143.	अलवर
25.	सिक्किम	62.39 (पांच शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	144.	गंगटोक
			145.	जोरथंग
			146.	नामची
			147.	रांगपो
			148.	सिंगटम
26.	तमिलनाडु	480.14 (दस शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	149.	चैन्नई नगर निगम
			150.	कोयम्बटूर

1	2	3	4	5
			151.	मदुरई
			152.	तिरुचुरापल्ली
			153.	सालेम
			154.	तिरुपुर
			155.	तिरुवनलवेली
			156.	एरोडे
			157.	वेल्लौर
			158.	तुतीकोरिन
27.	त्रिपुरा	54.68 (एक शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	159.	अगरतला
28.	उत्तर प्रदेश	733.17 (बाइस शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	160.	कानपुर
			161.	लखनऊ
			162.	आगरा नगर-निगम
			163.	वाराणसी
			164.	मेरठ
			165.	इलाहाबाद
			166.	गाजियाबाद
			167.	बरेली
			168.	अलीगढ़
			169.	मुरादाबाद
			170.	गोरखपुर
			171.	झांसी नगर-निगम
			172.	सहारनपुर
			173.	फिरोजाबाद
			174.	मुज्जफ्फर नगर
			175.	मथुरा
			176.	शाहाजहांपुर

1	2	3	4	5
			177.	नोएडा
			178.	रामपुर
			179.	ईटावा
			180.	कन्नौज
			181.	रायबरेली
29.	उत्तराखंड	114.63 (छः शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	182.	देहरादून
			183.	नैनीताल
			184.	हरिद्वार
			185.	राउर केला
			186.	ऋषिकेश
			187.	हल्दवानी
30.	पश्चिम बंगाल	423.27 (पांच शहर) वित्तीय वर्ष 2009-10	188.	कोलकाता यू.ए.
			189.	आसनसोल यू.ए.
			190.	सिलीगुडी (भाग)
			191.	जलपायगुडी
			192.	मुर्सिदाबाद
31.	दमन और दीव	58.06 (दो शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	193.	दमन
			194.	द्वीव
32.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	43.45 (दो शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	195.	सिलवासा
			196.	अमली
33.	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	76.18 (एक शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	197.	पोर्ट ब्लेयर
34.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	15.00 (तीन शहर) वित्तीय वर्ष 2010-11	198.	आमीनी
			199.	कवरती
			200.	मिनीकोए
	कुल	108.16 करोड़ रु.		

विवरण-III

शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज आर्थिक सहायता

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान आई.एस.एच.यू.पी. के अंतर्गत वर्ष-वार प्रगति

30 जून, 2013 के अनुसार

(लाख रु. में)

वर्ष	शामिल राज्य	लाभार्थियों की संख्या	ब्याज सहायता की एन.पी.बी. धनराशि	कुल लाभार्थियों की संख्या	जारी ब्याज सहायता की कुल एन.पी.बी.
1	2	3	4	5	6
2008-09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	आन्ध्र प्रदेश	531	36.82	531	36.83
2010-11	आन्ध्र प्रदेश	5233	378.01		
	कर्नाटक	53	14.50	5859	476.64
	राजस्थान	27	7.84		
	छत्तीसगढ़	542	75.12		
	तमिलनाडु	4	1.17		
2011-12	आन्ध्र प्रदेश	2875	220.52		
	कर्नाटक	546	96.32		
	महाराष्ट्र	241	17.75		
	तमिलनाडु	220	56.5		
	असम	1	0.30		
	मध्य प्रदेश	9	1.55		
	राजस्थान	18	4.10		
	केरल	227	59.70		
	छत्तीसगढ़	170	16.83		
	उत्तर प्रदेश	1	0.29		
2012-13	आन्ध्र प्रदेश	270	24.34		
	कर्नाटक	623	77.21		
	महाराष्ट्र	157	12.77	3267	735.49
	तमिलनाडु	228	65.23		

1	2	3	4	5	6
	राजस्थान	685	234.28		
	केरल	1072	305.66		
	छत्तीसगढ़	232	16.00		
2013-14	आन्ध्र प्रदेश	50	4.45		
	कर्नाटक	130	9.67		
	केरल	41	8.80		
	तमिलनाडु	03	0.72	339	64.00
	राजस्थान	99	35.01		
	मध्य प्रदेश	16	5.35		
			कुल	14304	1786.82

विवरण-IV

भागीदारी में किफायती आवास योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

भागीदारी में किफायती आवास योजना के अंतर्गत 2 राज्यों (राजस्थान व कर्नाटक) में कुल 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 3.08 करोड़ रु. की प्रथम किस्त जारी कर दी गई हैं। परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल आवास ईकाई (ई.डब्ल्यू.एस.+ एल.आई.जी.+ एम.आई.जी.)	कुल परियोजना लागत (लाख रु. में)	ए.सी.ए. के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में जारी राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	कलवर रोड, जयपुर, राजस्थान में किफायती आवास परियोजना	576	1769.44	26.06
2.	नरसिंगपुरा, अजमेर रोड जयपुर, राजस्थान में किफायती आवास परियोजना	432	1346.88	22.23
3.	नवेटा-सांगानेर जयपुर, राजस्थान में किफायती आवास परियोजना	1072	3163.5	37.00
4.	कलवारा, जयपुर, राजस्थान में मेजस्टिक रियल मार्ट में किफायती आवास परियोजना	960	2977.82	45.98
5.	श्याम-पुरा बुहारिया, जयपुर, राजस्थान में किफायती आवास परियोजना	1120	3550.56	52.03

1	2	3	4	5
6.	बगरुखुर्द, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में किफायती आवास परियोजना	400	1215.08	13.36
7.	मुकुंदपुरा, जयपुर, राजस्थान में किफायती आवास परियोजना	512	1455.09	20.95
8.	ओमक्स सिटी अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में किफायती आवास परियोजना	704	2047.10	24.29
9.	वलगेराहल्ली फेज-I, बैंगलूर, कर्नाटक में भागीदारी (रे के अंतर्गत ए.एच.पी.) में किफायती आवास परियोजना	512	3255.51	48.09
10.	सिंगनायाकहल्ली, यलहांका हुबली, बैंगलूर कर्नाटक में भागीदारी में (भागीदारी में राजीव आवास योजना के अंतर्गत किफायती आवास परियोजना)	192	922.4	3.36
11.	कोदाथी, बरथूर हुबली, बैंगलूर कर्नाटक में भागीदारी में (भागीदारी में राजीव आवास योजना के अंतर्गत किफायती आवास परियोजना किफायती आवास)	288	1429.62	21.47
	योग	6768		308.14

एम.एस.एम.ई. कार्य संबंधी वातावरण

661. **श्री के. सुगुमार** : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र के कार्य संबंधी वातावरण के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिश की गई है; और

(ग) सरकार ने एम.एस.एम.ई. की चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। क्षेत्र की समस्याओं की जांच-पड़ताल करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एम.एस.एम.ई. पर कार्य दल का गठन किया गया था। कार्य दल ने वर्ष 2010 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में नीतिगत/कार्यक्रम समर्थन, संस्थागत मामलों और देश में एम.एस.एम.ई. के विकास के लिए वैधानिक/विनियामक उपायों से संबंधित सिफारिशें कीं। सिफारिशों में ऋण, कर निर्धारण, श्रम संबंधी मुद्दे, बुनियादी ढांचा/प्राद्योगिकी/कौशल विकास, विपणन, पुनर्वास व एक्जिट नीति तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष उपायों वाले विषय शामिल हैं।

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के सामने ऋण, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बुनियादी ढांचा, विपणन और संस्थागत ढांचे की चुनौतियां हैं। सरकार ने उन्हें इन समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए नीतियां बनाई हैं। इस प्रकार, ऋण में, क्रेडिट गारंटी योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), कौशल विकास में, उद्यमिता व कौशल विकास कार्यक्रम (ई.एस.डी.पी.), प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम.डी.पी.), टूल इंजीनियरिंग और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उन्नयन में, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.एस.),

बुनियादी ढांचे में, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, विपणन में, अधिप्राप्ति वरीयता नीति और विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) तथा संस्थागत ढांचे में, राज्यों में सूक्ष्म व लघु उद्यम सुविधा परिषदों की स्थापना सरकार द्वारा लागू की जा रही मुख्य नीतियां हैं।

यमुना नदी तल का विकास

662. **श्री एस.आर. जेयदुरई:**

श्री एस.एस. रामासुब्बु:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी तल के विकास के संबंध में कोई अध्ययन करवाया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा यमुना नदीतल के विकास हेतु इसके अधिग्रहण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यह विकास कार्य कब तक शुरु और पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डी.एम.आर.सी.) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) और कुछ अन्य संगठन अपना कूड़ा-कचरा यमुना नदीतल में डाल रहे हैं:

(ङ) यदि हां, तो यमुना नदीतल डाली गई निर्माण सामग्री/कचरे की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(च) नदीतल से कचरा शीघ्रातिशीघ्र हटवाने के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है;

(छ) क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने भी डी.एम.आर.सी. और डी.डी.ए. सहित विभिन्न अभिकरणों को निर्देश दिया है कि वे नदीतल में डाली गई निर्माण सामग्री/कचरा हटाएं और यह सुनिश्चित करें कि उनके ठेकेदारों द्वारा वहां पर कचरा न डाला जाए; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने मास्टर प्लान और जोनल प्लान की सिफारिशों के अनुसार यमुना नदी के तट के विकास के लिए अध्ययन किया है। सभी प्राकृतिक विशेषताओं और स्थल की स्थिति के अध्ययन के परिणामस्वरूप नदी मुहाने के विकास के लिए वैचारिक योजना और ढांचागत योजना का विकास हुआ जिससे जैव-विविधता पार्क और मनोरंजनात्मक क्षेत्रों के लिए नदी के तट के साथ-साथ एकीकृत विकास हुआ।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से बुराड़ी गांव में भूमि अधिग्रहण की है।

विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से किये गये हैं। झरोडा माजरा के समीप जैव विविधता पार्क और पुराने यमुना ब्रिज के समीप गोल्डन जुबली पार्क चरणबद्ध तरीके से विकसित किये जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। पहले से डाली गई सामग्री को यमुना के किनारे से हटाया जा रहा है। 85000 सी.यू.एम. निर्माण सामग्री/मलबे की अनुमानित मात्रा नदी के किनारे पड़ी थी।

(च) इस उद्देश्य से तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार मलबे को दिनांक 31.8.2013 तक हटा दिया जाएगा।

(छ) और (ज) जी हां। न्यायालय के आदेश के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्नलिखित कार्रवाई कर रहा है:

(i) मलबा डालने को रोकने की चेतावनी देते हुए प्रदर्शन बोर्ड लगाये गए।

(ii) सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायी गयी है।

(iii) वाहनों की गतिविधियों को रोकने के लिए नदी किनारे प्रवेश बंद किया गया।

(iv) फिल्ड स्टॉफ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नदी के किनारे मलवा नहीं डाला जाए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

663. **श्री पी. विश्वनाथन**: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये सूक्ष्म और लघु उद्योगों का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने मंजूर किये गये तथा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) सरकार के पास ऐसे कितने प्रस्ताव लंबित हैं और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने लंबित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र के आयुक्तालयों/उद्योग निदेशालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास (एम.एस. एम.ई.डी.) अधिनियम 2006 के तहत दर्ज उद्यमी ज्ञापन (भाग 2) की संख्या के संबंध में पिछले 4 वर्षों में देशभर में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की राज्य-वार, तमिलनाडु सहित और तमिलनाडु के लिए अलग से उद्योगवार संख्या का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा उद्यमी ज्ञापन निर्धारित प्रपत्र में जिला उद्योग केन्द्रों में फाइल किए जाते हैं। उद्यमी ज्ञापन फाइल करने के लिए पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्यमी ज्ञापन फाइल करने के लिए कोई वित्तीय सहायता नही दी जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आयुक्तालयों/उद्योग निदेशालयों के तहत जिला उद्योग केन्द्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा फाइल किए गए उद्यमी ज्ञापन (भाग 2) की संख्या: 2009-10 से 2012-13 से 2012-13 तक (अनंतिम संशोधित अनुमान)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उद्यमी ज्ञापन II की संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	1,192	914	1,170	1,028
2.	हिमाचल प्रदेश	1,053	942	856	772
3.	पंजाब	2,189	2,988	3,087	2,644
4.	चंडीगढ़	255	174	259	139
5.	उत्तराखंड	1,871	1,973	2,121	2,291
6.	हरियाणा	2,747	2,929	2,715	2,105
7.	दिल्ली	165	199	333	430
8.	राजस्थान	14,630	14,904	14,678	15,363
9.	उत्तर प्रदेश	33,479	33,027	32,304	30,793 (*)
10.	बिहार	4,010	4,302	4,108	3,673
11.	सिक्किम	18	40	30	9
12.	अरुणाचल प्रदेश	111	50 (अ)	36 (अ)	41 ((अ)
13.	नागालैंड	1,445	1 ,059 (*)	1,667 (अनु.)	1,390 (अनु.)
14.	मणिपुर	81	122	120	108 (अनु.)
15.	मिजोरम	500	198	131	122

1	2	3	4	5	6
16.	त्रिपुरा	218	218	205	150
17.	मेघालय	1,040	748	573	569
18.	असम	1,678	1,506	1,218	1,446
19.	पश्चिम बंगाल	11,685	10,109	13,470	10,342
20.	झारखंड	669	690	939	3,229
21.	ओडिशा	1,758	1,657	2,155	2,622
22.	छत्तीसगढ़	1,089	1,206	1,741	1,192
23.	मध्य प्रदेश	19,748	19,704	20,104	19,832
24.	गुजरात	19,992	27,939	51,781	68,235
25.	दमन और दीव	107	126	83	76
26.	दादरा और नगर हवेली	105	77	102	93
27.	महाराष्ट्र	11,896	14496	15,606	16,136
28.	आन्ध्र प्रदेश	9,144	9,204	9,260	8,200
29.	कर्नाटक	17,195	18,434	21,021	24,208
30.	गोवा	112	88	97	103
31.	लक्षद्वीप	23	24	8	11
32.	केरल	12,013	10,194	10,020	13,051
33.	तमिलनाडु	41,799	57,902	70,639	90,974
34.	पुदुचेरी	200	186	120	86
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	68	77	82	100
	अखिल भारतीय	214,285	238,406	.282,839	321,563

स्रोत: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग निदेशालयों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास संस्थान

टिप्पणी: (अ) अनंतिम (*) नागालैंड में कुल 11 जिला उद्योग केन्द्रों में से 5 जिला उद्योग केन्द्रों के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए, अत: अनुमानित, (*) उत्तर प्रदेश में 73 जिला उद्योग केन्द्रों में से 7 जिला उद्योग केन्द्रों के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए, अत: अनुमानित तथा (अनु.) अनुमानित, क्योंकि संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी जिला उद्योग केन्द्रों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विवरण-II

दहाई अंक स्तर पर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2004 के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा फाइल किए गए उद्यमों ज्ञापन (भाग 2) की संख्या का उद्योग-वार वितरण: 2009-10 से 2012-13 (अनंतिम संशोधित अनुमान)

(अखिल भारतीय)

क्र.सं.	एन.आई.सी. 2004	विवरण	उद्यमी ज्ञापन II की संख्या			
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	01	कृषि, शिकार और संबंधित सेवा गतिविधियां	1433	1933	3001	3651
2.	02	वानिकी, संलेखन और संबंधित सेवा गतिविधियां	1320	1531	1347	1966
3.	05	मछली पकड़ना, एक्वाकल्चर और मछली पकड़ने से संबंधित सेवा गतिविधियां	35	18	29	84
4.	10	कोयला और लिग्नाइट का खनन; पीट का निष्कर्षण	56	81	59	72
5.	11	क्रूड पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण; तेल और गैस के उत्कर्षण से संबंधित सेवा गतिविधियां सर्वेक्षण को छोड़कर	40	36	53	60
6.	12	यूरेनियम और थोरियम अयस्क का चयन	85	92	66	68
7.	13	धातु अयस्क का खनन	182	170	277	295
8.	14	अन्य खनन और उत्खनन	2220	1970	2248	2202
9.	15	खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थों का निर्माण	21408	22267	23330	26071
10.	16	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	421	598	363	311
11.	17	कपड़े का निर्माण	21960	26162	31705	30844
12.	18	पहनने की पोशाक का निर्माण; फर को तैयार करना और रंगना	19339	23323	25613	30695
13.	19	चर्म और चर्म उत्पादों का निर्माण	3552	4132	3742	4671
14.	20	लकड़ी और लकड़ी उत्पादों का निर्माण	7679	7844	9184	8370
15.	21	कागज और कागज के उत्पादों का निर्माण	4312	5962	3054	4798
16.	22	रिकार्डेड मीडिया का प्रकाशन, मुद्रण और पुन:उत्पादन	2348	2573	6157	8085
17.	23	कोक और शोधित पैट्रोलियम उत्पादों और न्यूक्लियर ईंधन का निर्माण	549	483	469	630

1	2	3	4	5	6	7
18.	24	रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	6342	6321	6179	6633
19.	25	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	5597	6398	7229	8109
20.	26	अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण	9648	10061	12297	12345
21.	27	मूल धातु का निर्माण	3558	4243	4708	5600
22.	28	तैयार धातु का निर्माण	19050	19141	24361	22075
23.	29	मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण एन.ई.सी.	9489	9889	12037	13483
24.	30	कार्यालय, लेखा और संगणना मशीनरी का निर्माण	424	462	637	885
25.	31	विद्युतीय मशीनरी और उपकरणों का निर्माण	3600	4243	4039	4649
26.	32	रेडियो, टेलीविजन और संचार उपस्करों एवं उपकरणों का निर्माण	1028	1119	1737	1473
27.	33	चिकित्सा, परिशुद्धता तथा दृष्टि संबंधी उपकरणों, कलाई घड़ी और दीवार घड़ियों का निर्माण	1068	971	1505	1434
28.	34	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण	865	808	1586	1608
29.	35	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	1167	1202	1338	1549
30.	36	फर्नीचर का निर्माण; एन.ई.सी. निर्माण	8160	8118	12273	12822
31.	37	रिसाइक्लिंग	78	64	286	325
32.	40	विद्युत, गैस, भाप और गर्म जल की आपूर्ति	115	132	669	722
33.	41	जल का संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण	60	97	610	698
34.	45	निर्माण	547	601	1188	2232
35.	50	मोटर वाहन की मरम्मत और रखरखाव, आटोमोटिव ईंधन की खुदरा बिक्री	3492	3395	5542	8715
36.	51	थोक व्यापार और कमीशन व्यापार	316	3011	11176	18231
37.	52	निजी और घरेलू सामान की मरम्मत और रखरखाव; खुदरा व्यापार	6336	7419	11510	12812
38.	55	होटल एवं रेस्टोरेंट	282	401	1089	2582
39.	60	भूमि परिवहन; पाईप लाईन के माध्यम से परिवहन	175	338	2468	2822
40.	61	जल परिवहन	2	9	75	217
41.	62	वायु परिवहन	33	30	18	35
42.	63	सहायक एवं अनुषंगी परिवहन एवं ट्रवेल एजेंट गतिविधियां	278	773	703	1336
43.	64	डाक एवं दूरसंचार	563	589	680	825

1	2	3	4	5	6	7
44.	65	वित्तीय मध्यस्थता, बीमा और पेंशन वित्त पोषण के अलावा	19	35	204	403
45.	66	बीमा ओर पेंशन वित्त पोषण, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के अलावा	5	36	11	15
46.	67	वित्तीय मध्यस्थता से संबंधित अनुषंगी गतिविधियां	30	66	197	204
47.	70	रियल एस्टेट गतिविधियां	6	23	56	255
48.	71	बिना संचालक के मशीनरी और उपकरणों, निजी और घरेलु सामान को किराये पर देना	263	257	578	633
49.	72	कम्प्यूटर और संबंधित गतिविधियां	2871	3130	9598	11025
50.	73	अनुसंधान और विकास	169	158	162	256
51.	74	अन्य व्यापारिक गतिविधियां	3778	4969	12504	16864
52.	75	लोक प्रशासन एवं रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा	30	51	71	162
53.	80	शिक्षा	210	249	372	574
54.	85	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	126	129	383	545
55.	90	सीवेज एवं अवशिष्ट का निपटान, स्वच्छता एवं ऐसी अन्य गतिविधियां	16	18	49	88
56.	91	सदस्यता संगठन की गतिविधियां एन.ई.सी.	24	8	67	34
57.	92	मनोरंजन, सांस्कृतिक तथा खेल गतिविधियां	270	242	678	480
58.	93	अन्य सेवा गतिविधियां	24333	32057	18709	19396
59.	95	घरेलू स्टॉफ के नियोक्ता के रूप में निजी पारिवारिक गतिविधियां	150	171	172	214
60.	96	अलग न की जा सकने वाली सामग्री-स्वयं के उपयोग के लिए निजी घरेलू उत्पादक गतिविधियां	154	234	358	559
61.	97	अलग न की जा सकने वाली सेवाएं-स्वयं के उपयोग के लिए निजी घरेलू उत्पादक गतिविधियां	246	157	1198	1451
62.	99	अतिरिक्त क्षेत्रीय संगठन और निकाय	380	629	652	448
		कुल *	202,295	231,631	282,658	320,695

स्रोत: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग निदेशालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थान

(*) - अनुमानित संख्या में अंतर रिपोर्टिंग न होने/सांख्यिकी समायोजन के कारण है।

टिप्पणी

1. एन.आई.सी.: राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2004
2. सी.एस.ओ.: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
3. एन.ई.सी.: अन्य कहीं वर्गीकृत नहीं

विवरण-III

दहाई अंक स्तर पर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2004 के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा फाइल किए गए उद्यमों ज्ञापन (भाग 2) की संख्या का उद्योग-वार वितरण: 2009-10 से 2012-13 (अनंतिम अनुमान)

(तमिलनाडु)

क्र.सं.	एन.आई.सी. 2004	विवरण	उद्यमी ज्ञापन II की संख्या			
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	01	कृषि, शिकार और संबंधित सेवा गतिविधियां	0	0	6	24
2.	02	वानिकी, संलेखन और संबंधित सेवा गतिविधियां	0	0	0	0
3.	05	मछली पकड़ना, एक्वाकल्चर और मछली पकड़ने से संबंधित सेवा गतिविधियां	0	0	9	4
4.	10	कोयला और लिग्नाइट का खनन; पीट का निष्कर्षण	0	0	0	0
5.	11	क्रूड पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण; तेल और गैस के उत्कर्षण से संबंधित सेवा गतिविधियां सर्वेक्षण को छोड़कर	0	0	0	0
6.	12	यूरेनियम और थोरियम अयस्क का चयन	0	0	0	0
7.	13	धातु अयस्क का खनन	0	0	2	0
8.	14	अन्य खनन और उत्खनन	0	0	8	16
9.	15	खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थों का निर्माण	2743	4352	4800	5798
10.	16	तंबाकू उत्पादों का निर्माण			1	9
11.	17	कपड़े का निर्माण	2813	4564	4922	5795
12.	18	पहनने की पोशाक का निर्माण; फर को तैयार करना और रंगना	4385	7091	6526	7646
13.	19	चर्म और चर्म उत्पादों का निर्माण	602	894	758	1064
14.	20	लकड़ी और लकड़ी उत्पादों का निर्माण	821	951	848	1319
15.	21	कागज और कागज के उत्पादों का निर्माण	2625	4214	1147	2698
16.	22	रिकार्डेड मीडिया का प्रकाशन, मुद्रण और पुन:उत्पादन	0	0	2956	2450
17.	23	कोक और शोधित पैट्रोलियम उत्पादों और न्यूक्लियर ईंधन का निर्माण	0	0	49	63

1	2	3	4	5	6	7
18.	24	रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	931	989	1202	1259
19.	25	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	1680	1844	2399	3031
20.	26	अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण	1306	1739	2318	2649
21.	27	मूल धातु का निर्माण	674	903	1059	1736
22.	28	तैयार धातु का निर्माण	5765	5584	7142	6557
23.	29	मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण एन.ई.सी.	2076	2090	2406	3088
24.	30	कार्यालय, लेखा और संगणना मशीनरी का निर्माण	0	0	71	266
25.	31	विद्युतीय मशीनरी और उपकरणों का निर्माण	644	1437	836	1101
26.	32	रेडियो, टेलीविजन और संचार उपस्करों एवं उपकरणों का निर्माण	0	0	491	332
27.	33	चिकित्सा, परिशुद्धता तथा दृष्टि संबंधी उपकरणों, कलाई घड़ी और दीवार घड़ियों का निर्माण	0	0	266	458
28.	34	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण	0	0	441	489
29.	35	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	191	227	247	478
30.	36	फर्नीचर का निर्माण; एन.ई.सी. निर्माण	0	0	2558	2276
31.	37	रिसाइक्लिंग	0	0	125	188
32.	40	विद्युत, गैस, भाप और गर्म जल की आपूर्ति	0	0	144	138
33.	41	जल का संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण	0	0	444	537
34.	45	निर्माण	0	0	18	90
35.	50	मोटर वाहन की मरम्मत और रखरखाव, आटोमोटिव ईंधन की खुदरा बिक्री	0	0	1888	5013
36.	51	थोक व्यापार और कमीशन व्यापार	0	0	449	111
37.	52	निजी और घरेलू सामान की मरम्मत और रखरखाव; खुदरा व्यापार	0	0	4211	5937
38.	55	होटल एवं रेस्टोरेंट	0	0	495	1558
39.	60	भूमि परिवहन; पाईप लाईन के माध्यम से परिवहन	0	0	330	712
40.	61	जल परिवहन	0	0	60	163
41.	62	वायु परिवहन	0	0	0	0
42.	63	सहायक एवं अनुषंगी परिवहन एवं ट्रवेल एजेंट गतिविधियां	0	0	55	244

1	2	3	4	5	6	7
43.	64	डाक एवं दूरसंचार	0	0	168	358
44.	65	वित्तीय मध्यस्थता, बीमा और पेंशन वित्त पोषण के अलावा	0	0	16	16
45.	66	बीमा ओर पेंशन वित्त पोषण, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के अलावा	0	0	1	4
46.	67	वित्तीय मध्यस्थता से संबंधित अनुषंगी गतिविधियां	0	0	0	1
47.	70	रियल एस्टेट गतिविधियां	0	0	2	12
48.	71	बिना संचालक के मशीनरी और उपकरणों, निजी और घरेलु सामान को किराये पर देना	0	0	201	184
49.	72	कम्प्यूटर और संबंधित गतिविधियां	0	0	5538	6349
50.	73	अनुसंधान और विकास	0	0	0	11
51.	74	अन्य व्यापारिक गतिविधियां	0	0	5473	7812
52.	75	लोक प्रशासन एवं रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा	0	0	1	8
53.	80	शिक्षा	0	0	35	74
54.	85	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	0	0	29	125
55.	90	सीवेज एवं अवशिष्ट का निपटान, स्वच्छता एवं ऐसी अन्य गतिविधियां	0	0	1	4
56.	91	सदस्यता संगठन की गतिविधियां एन.ई.सी.	0	0	6	
57.	92	मनोरंजन, सांस्कृतिक तथा खेल गतिविधियां	0	0	383	79
58.	93	अन्य सेवा गतिविधियां	14543	21023	6106	9011
59.	95	घरेलू स्टॉफ के नियोक्ता के रूप में निजी पारिवारिक गतिविधियां	0	0	0	62
60.	96	अलग न की जा सकने वाली सामग्री-स्वयं के उपयोग के लिए निजी घरेलू उत्पादक गतिविधियां	0	0	3	236
61.	97	अलग न की जा सकने वाली सेवाएं-स्वयं के उपयोग के लिए निजी घरेलू उत्पादक गतिविधियां	0	0	988	1259
62.	99	अतिरिक्त क्षेत्रीय संगठन और निकाय	0	0	1	72
		कुल	41799	57902	70639	90974

स्रोत: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु

टिप्पणी

1. एन.आई.सी.: राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2004
2. सी.एस.ओ.: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
3. एन.ई.सी.: अन्य कहीं वर्गीकृत नहीं

[हिन्दी]

रोहिणी आवासीय योजना

664. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने रोहिणी आवासीय योजना 1981 के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को प्लॉट आवंटित नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के शेष पंजीकृत व्यक्तियों को प्लॉट-आबंटन की प्रक्रिया शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और शेष पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक प्लॉट आबंटित किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) अपेक्षित आकार के रिक्त भू-खंडों की अनुपलब्धता के कारण रोहिणी रिहायशी स्कीम-1981 के तहत 744 व्यक्तियों को भूखंड आवंटित नहीं किए जा सके।

(ख) और (ग) डी.डी.ए. ने स्कीम के शेष पंजीकृतों को भू-खंडों के आवंटन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है तथा उनको वर्ष 2013-14 तक आवंटन कर दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

बी.एम.एस.डब्ल्यू.डी. परियोजना

665. **डा. संजीव गणेश नाईक**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि:

(क) बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर ड्रनेज (बी.एम.एस.डब्ल्यू.डी.) परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना हेतु अब तक कितनी/धनराशि आबंटित और जारी की गई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) मुंबई में पुरानी जल निकासी लाइनों की मरम्मत/पुनरुद्धार और बरसाती जल के नए पंपिग स्टेशन की स्थापना सहित बरसाती जल निकास में सुधार करने हेतु बी.एम.एस.डब्ल्यू.डी. परियोजना स्वीकृत की गई थी जिसमें से अब तक 1000 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। शीघ्र पूर्णता हेतु परियोजना की प्रगति की निगरानी की जाती है।

विश्वविद्यालयों का उन्नयन

666. **श्री यशवंत लागुरी**:

श्री लक्ष्मण टुडु:

श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नार्थ ओडिशा विश्वविद्यालय सहित देश में राज्य विश्वविद्यालयों का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन विश्वविद्यालयों में प्रदान की जा रही सुविधाएं क्या हैं और इस प्रयोजन हेतु पहचान किए गए विश्वविद्यालय कौन-से हैं; और

(ग) इन विश्वविद्यालयों को कब तक उन्नयित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरुर): (क) जी, नहीं। इस समय राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में उन्नयन का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य (गोवा को छोड़कर) में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय पहले ही स्थापित कर दिया है।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को विश्व बैंक ऋण

667. **श्री अशोक कुमार रावत**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में विभिन्न संचार और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं हेतु ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि अनुसार परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी,

हां। सार्वजनिक सेवाओं की ई-प्रदायगी के लिए 150 मिलियन डॉलर की राशि का ऋण विश्व बैंक द्वारा 31.03.11 को स्वीकृत किया गया, जिसकी सं. आई.बी.आर.डी. 8029-आई.एन. है।

यह "सार्वजनिक सेवाओं की ई-प्रदायगी विकास नीति ऋण" आम आदमी के सरोकार से जुड़े क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की प्रदायगी में सुधार लाने के लिए उनके आस-पास नागरिकों के लिए ऑन लाइन सेवाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से एन.आई.जी.पी. की देशव्यापी योजनाओं को सहायता प्रदान करता है।

(ग) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान इस ऋण राशि से डी.ई.आई.टी.वाई ने 235.13 करोड़ रु. मूल्य की 14 उप-परियोजनाएं स्वीकृत कीं।

वर्तमान में इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी है।

[अनुवाद]

जवाहर नवोदय विद्यालय

668. **श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान विद्यालयों में छात्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान पास होने वाले और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों का राज्य-वार प्रतिशत क्या है;

(घ) इन विद्यालयों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और प्रति छात्र व्यय कितना है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा तंत्र स्थापित किया गया है कि विद्यालयों को दी गई धनराशि तरीके से ही छात्रों पर खर्च हो;

(च) क्या निगरानी तंत्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा VI से XII के स्तर तक कक्षाएं चलाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.वी.) में दाखिले, कक्षा VI स्तर पर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जे.एन.वी.एस.टी.) नामक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के जरिए किए जाते हैं। बच्चे कक्षा IX में पार्श्विक प्रवेश के जरिए और कक्षा XI में उपलब्ध रिक्त सीटों के विरुद्ध भी दाखिल किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों की राज्यवार संख्या और उपर्युक्त अवधि के दौरान X और XII की कक्षा के लिए उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है। वर्तमान शैक्षिक वर्ष के लिए दाखिला प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.) को दिए गए कुल सहायता अनुदान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13
नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया गया व्यय	1179.69 करोड़ रु.	1319.93 करोड़ रु.	1494.95 करोड़ रु.

तथापि, इस अनुदान में स्टाफ के वेतनों पर प्रशासनिक खर्च, नए भवनों का निर्माण और उनका रखरखाव शामिल है। भोजन, पुस्तकों, वर्दी इत्यादि के संबंध में प्रति छात्र खर्च इस प्रकार है:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13
प्रति छात्र खर्च	54,445.00 रु.	58,753.00 रु.	64,234.00 रु.

(ङ) से (छ) प्रत्येक विद्यालय के लिए, विद्यालय कार्यकलापों के पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग के लिए एक विद्यालय सलाहकार समिति और एक विद्यालय प्रबंधन समिति है। संबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट, विद्यालय प्रबंधन समिति (वी.एम.सी.) का अध्यक्ष होता है और स्थानीय शिक्षाविद्, जन प्रतिनिधि और जिले के अधिकारी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। वी.एम.सी. की दो उप-समितियां होती हैं अर्थात् विद्यालय खरीद सलाहकार समिति और विद्यालय नियुक्ति समिति। जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्रत्येक कार्यकलाप की प्रभावी मॉनीटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए तीन प्रकार का निरीक्षण अर्थात् आमंत्रण पर निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण, और पैनल निरीक्षण किए जाते हैं। इसी प्रकार, प्रत्येक एकक के वित्तीय लेन-देन की मॉनीटरिंग के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बाह्य लेखापरीक्षा के अतिरिक्त 'आंतरिक लेखा' के नाम से समिति की स्वयं की पद्धति भी है।

विवरण

छात्रों की कुल संख्या और उत्तीर्ण प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छात्रों की कुल संख्या			कक्षा X की उत्तीर्ण %			कक्षा XII की उत्तीर्ण %		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	515	460	501	100	100	100	100	100.00	95.35
2.	आन्ध्र प्रदेश	10091	10238	10533	99.94	99.94	100.00	97.46	98.85	97.82
3.	अरुणाचल प्रदेश	3762	3762	3837	97.94	97.55	98.45	91.43	82.55	76.41
4.	असम	9892	10413	10745	98.46	98.46	99.80	98.39	96.59	96.13
5.	बिहार	14096	14713	15343	99.16	99.28	99.72	96.79	97.76	94.77
6.	चंडीगढ़	508	6451	516	100	100	100.00	100	100	98.68
7.	छत्तीसगढ़	6013	533	6899	100	99.90	100.00	99.61	97.15	98.27
8.	दादरा और नगर हवेली *	267	289	315	100	100	100.00	-	-	-
9.	दमन और दीव	435	486	527	98.68	100	100.00	100	95.45	100.00
10.	दिल्ली	973	997	992	99.36	100	97.40	96.52	91.20	97.06
11.	गोवा	666	683	720	99.02	98.98	100.00	100	98.08	100.00
12.	गुजरात	7105	7926	8545	99.79	100	99.92	97.61	95.94	95.23
13.	हरियाणा	7775	8144	8458	99.35	99.60	99.68	97.73	96.68	98.98
14.	हिमाचल प्रदेश	5965	5021	5028	98.58	100	99.87	97.50	100	98.97
15.	जम्मू और कश्मीर	4838	5114	5370	97.96	99.86	99.88	96.06	95.62	88.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	झारखंड	7251	8167	8863	99.83	99.85	98.98	96.15	93.21	96.04
17.	कर्नाटक	12616	12887	13200	99.86	99.95	99.95	99.57	99.75	98.82
18.	केरल	6462	6566	6597	100	100	100.00	99.73	99.62	99.88
19.	लक्षद्वीप	175	174	167	100	100	100.00	100	100	100.00
20.	मध्य प्रदेश	21377	13149	22895	99.73	99.94	99.88	97.42	96.14	96.98
21.	महाराष्ट्र	12614	3931	13596	99.95	100	99.91	96.01	94.39	98.43
22.	मणिपुर	4027	2419	3861	98.62	93.67	99.66	96.89	95.81	99.42
23.	मेघालय	2155	909	2512	99.41	98.15	98.26	96.08	88.76	85.63
24.	मिजोरम	822	22115	909	97.65	100	99.22	100	100	100.00
25.	नागालैंड	1621	1721	1740	99.30	99.66	99.28	80.25	96.74	86.79
26.	ओडिशा	10656	10959	11462	100	99.83	99.77	96.70	97.15	95.96
27.	पुदुचेरी	1405	1419	1462	100	100	100.00	98.40	99.24	98.81
28.	पंजाब	7926	8348	8416	99.90	99.58	99.84	97.35	93.61	96.69
29.	राजस्थान	15593	15948	16221	99.73	99.52	99.79	96.68	96.47	98.09
30.	सिक्किम	1212	1280	1394	100	100	100.00	92.23	96.83	98.00
31.	त्रिपुरा	1348	1491	1630	100	99.11	100.00	99.03	92.00	92.19
32.	उत्तर प्रदेश	28961	29604	30180	99.34	99.75	99.48	94.33	93.26	94.00
33.	उत्तराखंड	4307	4567	4853	99.84	99.86	100.00	98.80	97.71	99.12
34.	पश्चिम बंगाल	3249	3775	4095	100	100	100.00	98.45	97.73	96.97

*जे.एन.वी.-कक्षा X तक

[हिन्दी]

ब्रिटिश वीजा के लिए नकद बांड

669. **डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:**

श्री आर. थामराईसेलवन:

श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को अधिक जोखिम वाले एशियाई एवं अफ्रीकी देशों की सूची में रखा गया है जिनके नागरिकों को ब्रिटिश वीजा के लिए आवेदन करते समय 3000 पाउंड का नकद बॉन्ड जमा करने की जरुरत होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) सरकार ने ब्रिटिश सरकार द्वारा बीजा बॉण्ड योजना लागू करने की संभावना से संबंधित मीडिया रिपोर्ट देख ली है। इस मामले को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री आनंद शर्मा की 25 जून, 2013 को उनकी लंदन यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों और 25 जुलाई, 2013 को लंदन में वीजा से संबंधित मुद्दों पर आयोजित भारत-यू.के. व्यापक वार्ता सहित यू.के. सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। यह सूचित किया गया है कि ऐसी योजना पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

पेंशनभोगियों को बकाया राशि का विलम्ब से भुगतान

670. **श्री विलास मुत्तेमवार**: क्या **प्रधानमंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को 01.01.2006 से बकाया राशि के भुगतान के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में अत्यधिक देर के क्या कारण है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कर्मचारी संगठनों एवं अन्य निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन संबंधी छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन के लिए इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू. (ए) द्वारा आदेश जारी कर दिए गए थे। इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.2 के उपबंधों को इस विभाग के दिनांक 03.10.2008 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया था।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 01.11.2011 के आदेश में पाया कि दिनांक 03.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिनांक 01.09.2008 के मूल आदेशों में संशोधन कर दिया गया है। माननीय कैट ने निदेश दिए कि पूर्व पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2006 से सेवारत कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए लागू निर्धारण तालिका के आधार पर पूर्व-संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत की दर से न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाए।

उल्लिखित आदेश को चुनौती देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 29.04.2013 के आदेश में दिनांक 1.11.2011 के आदेश को उचित ठहराया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और इस संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के उपरांत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।

यह विशेष अनुमति याचिका हाल ही में दिनांक 29.07.2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई और उसे खारिज कर दिया गया।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

671. **श्री गोपीनाथ मुंडे**:

श्री समीर भुजबल:

श्री अनन्त कुमार:

श्री ए.के.एस. विजयन:

श्री जगदीश सिंह राणा:

श्री रामसिंह कस्वां:

श्री कामेश्वर बैठा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार पर विशेष बल देने का है;

(ख) यदि हों, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित राशि राज्य-वार कितनी है; और

(घ) सार्वभौमिक सेवा, बाध्यता राशि (यू.एस.ओ.एफ.) के अंतर्गत एकत्रित राशि एवं वितरित राशि कंपनी-वार तथा राज्य-वार कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) देश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु सार्वभैमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) की वित्तीय सहायता से विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. **सामान्य आप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) अवसंरचना का सृजन**:

(क) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.): एन.ओ.एफ.एन. की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उप.) अर्थात् बी.एस.एन.एल., रेलटेल एवं पावर ग्रिड के माध्यम से देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000) को जोड़ने एवं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं ब्लॉकों के मध्य कनेक्टिविटी अंतराल को कम करने के लिए जहां पर भी आवश्यक हो वृद्धिशील तार (इनक्रीमेंटल फाइबर) बिछाने की योजना है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर जिला एस.डी.एच.क्यू.-डी.एव.क्यू, ओ.एफसी. नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन एवं प्रबंधन।

ओ.एफ.सी. नेटवर्क को मजबूत बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से उनके कोर नेटवर्क में एक्सेस नेटवर्क से वॉयस एवं डाटा ट्रैफिक को एकीकृत करने हेतु पर्याप्त बैक-हाल क्षमता प्रदान करने के लिए स्कीम को शुरू कर दिया गया है।

ब्लॉक मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय के मध्य स्कीम/ओ.एफ.सी. नेटवर्क संवर्धन को ध्यान में रखती है। यू.एस.ओ.एफ. इस शर्त सहित आर्थिक सहायता प्रदान करेगा कि इसे अन्य दूरसंचार प्रचालकों के साथ करार में निर्धारित दरों पर साझाकृत किया जाएगा।

(i) **असम के लिए स्कीम**:

यह ओ.एफ.सी. कीम 27 जिलों में 354 स्थानों को जोड़ेगी। यू.एस.ओ.एफ. 98.890 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

(ii) **पूर्वोत्तर-I सर्किल (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए स्कीम**:

यह ओ.एफ.सी. स्कीम 19 जिलों में 188 स्थानों को जोड़ेगी यू.एस.ओ.एफ. 89.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

(iii) **पूर्वोत्तर-II सर्किल (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं नगालैंड)**:

यह ओ.एफ.सी. स्कीम 30 जिलों में 407 स्थानों को जोड़ेगी। यू.एस.ओ.एफ. 298.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

2. **साझाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम**:

जहां मौजूदा निर्धारित बेतार अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है वहां विशिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचनागत स्थानों/टॉवरों को स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए राज सहायता प्रदान करने हेतु यू.एस.ओ. निधि द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है। 31.05.2013 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के तहत 7313 अर्थात् 99.51% टॉवर लगाए गए हैं।

3. **सार्वजनिक अभिगम: ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन**:

31.05.2013 की स्थिति के अनुसार 2001 की जनगणना के मुताबिक आबाद 5,82,147 राजस्व गांवों को ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वी.पी.टी.) से कवर किया गया है। शेष सभी गांवों को सितंबर 2013 तक यू.एस.ओ. की आर्थिक सहायता से वी.पी.टी. सुविधाएं दी जानी हैं।

4. **वांमपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवा स्कीम**:

गृह मंत्रालय ने वांमपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) से प्रभावित और वर्तमान में किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा कवरेज न दिए जाने वाले 9 राज्यों के 2199 स्थानों को शिनाख्त करने के बाद उनकी सूचना दूरसंचार विभाग को दी है। इस स्कीम को नामांकन आधार पर बी.एस.एन.एल. द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए 3046.12 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर दिनांक 04.06.2013 को सरकार से मंजूरी प्राप्त हो गई है।

(ग) वर्ष 2011- 2012 और 2012-13 के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित राज्यवार/संचार लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.)-वार निधियों के ब्यौरे अनबंध-I में दिए गए हैं।

(घ) कंपनी-वार और राज्य-वार एकत्रित निधियों के ब्यौरों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सत्ता के पटल पर रख दी जाएगी।

यू.एस.ओ.एफ. के अधीन संवितरित निधियों के राज्य-वार/ सी.सी.ए.-वार और कंपनी-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए राज्य/सी.सी.ए.-वार संवितरित निधियां

(आंकड़े करोड़ में)

सी.सी.ए./राज्य	2011-12	2012-13	कुल जोड़
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.29	0.08	0.36
आन्ध्र प्रदेश	35.11	23.54	58.64
असम	7.98	1.05	9.03
बिहार	11.62	6.61	18.23
छत्तीसगढ़	13.51	10.16	23.67
दूरसंचार विभाग मुख्यालय	1270.62		1270.62
दूरसंचार विभाग एन.ओ.एफ.एन.		405.00	405.00
गुजरात	21.83	1.51	23.35
हरियाणा	4.90	2.23	7.13
हिमाचल प्रदेश	18.52	4.15	22.68
जम्मू और कश्मीर	4.31	3.32	7.63
झारखंड	9.84	3.72	13.57
कर्नाटक	25.53	14.69	40.22
केरल	7.66	3.63	11.29
महाराष्ट्र	57.07	6.23	63.30
मध्य प्रदेश	31.59	19.37	50.96
पूर्वोत्तर-I	14.35	13.68	28.03
पूर्वोत्तर-II	6.18	11.02	17.19
ओडिशा	15.69	16.57	32.26
पंजाब	8.17	6.02	14.19
राजस्थान	41.17	17.98	59.14
तमिलनाडु	14.37	16.42	30.79
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	44.46	20.15	64.61

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	13.69	8.95	22.64
उत्तराखंड	7.57	5.07	12.64
पश्चिम बंगाल	1.93	3.85	5.78
कुल जोड़	1687.96	625.00	2312.00

टिप्पणी: भुगतान ब्यौरे सी.सी.ए. वार है न कि राज्य-वार।

विवरण-II

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए सार्वभौमिक सेवा प्रदाता (सा. सं. प्र.) संवितरण

(आंकड़े करोड़ में)

सी.सी.ए./राज्य	2011-12	2012-13	कुल जोड़
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड		405.00	405.00
भारत संचार निगम लिमिटेड	1634.62	187.01	1821.63
डिशनेट वायरलैड लिमिटेड (एयरसेल)	2.99	2.10	5.09
जी.टी.एल. इंफ्रास्ट्रेक्चर लिमिटेड	7.88	7.29	15.16
के.ई.सी. इंटरनेशनल लिमिटेड	7.61	8,49	16.10
बायोमनेटवकर्स लिमिटेड	0.00	2.86	2.86
रिलायन्स कम्यूनिकेशन लिमिटेड	9.55	5.00	14.55
रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड	0.05	0.04	0.09
रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड	16.53	-2.79	13.74
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	1.09	0.98	2.07
टाटा एनर्जी एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी)	2.51	1.19	3.70
टाटा टेलीसर्विसेज (एम.एच.) लिमिटेड	0.53	2.22	2.74
टाटा एनर्जी एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी)	2.21		2.21
वोडाफोन ऐस्सार सेल्यूलर लिमिटेड	0.46		0.46
वोडाफोन ऐस्सार साउथ लिमिटेड	1.96	5.61	7.57
कुल जोड़	1687.96	625.00	2312.96

[अनुवाद]

पाक अधिकृत कश्मीर में चीन

672. **श्री के.पी. धनपालन:**

श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) के माध्यम से एक आर्थिक कोरिडोर के सृजन करने हेतु समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चीन पी.ओ.के. में अपनी परियोजनाओं के लिए मूलभूत अवसंरचना का विकास कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऐसी घटनाओं के प्रभाव से भारत को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) चीन के प्रधान मंत्री की मई 2013 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर हेतु एक दीर्घावधिक योजना विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। जुलाई, 2013 में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरीडोर पर संयुक्त रूप से एक सहयोग समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की। इस आर्थिक कोरीडोर के तहत परिकल्पित सड़कें तथा अन्य प्रकार की कनेक्टिविटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरेंगी।

(ख) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अवसंरचनात्मक परियोजनाएं निष्पादित कर रहा है। सरकार ने चीन पक्ष के साथ इस मुद्दे को उठाया है और स्पष्ट तौर पर भारत के पक्ष को रखा है कि पाकिस्तान ने वर्ष 1947 से भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है। चीन कश्मीर को एक द्विपक्षीय मामला मानता है, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच ही सुलझाया जाना चाहिए। सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रही गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताओं से चीन को अवगत करा दिया है और उनसे ऐसी गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया है। सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर निगरानी रखती है और इसके रक्षोपाय हेतु सभी अपेक्षित कदम उठाती है।

[हिन्दी]

निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक फीस

673. **नरेनभाई काछादिया:**

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के नाम पर छात्रों से निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जा रही अत्यधिक फीस/ट्यूशन फीस के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे चूककर्ता संस्थानों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों तथा निजी कॉलेजों में एक समान फीस संरचना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा देश में उच्च शिक्षा को वहनीय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरुर): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम-विश्वविद्यालय की घोषणा की जाती है। केन्द्रीय या राज्य शासकीय विश्वविद्यालयों के संबंध में शुल्कों का निर्धारण एवं विनियमन प्रासंगिक अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अंतर्गत गठित उपयुक्त निकायों द्वारा किया जाता है। निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में, शुल्कों का निर्धारण स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, परंतु तकनीकी या व्यावसायिक कार्यक्रमों के मामले में यह राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त शुल्क निर्धारण समितियों द्वारा निर्धारित शुल्कों के अध्यधीन होता है। सम-विश्वविद्यालय भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। इसी प्रकार, निजी विश्वविद्यालय शुल्क निर्धारण एवं दाखिलों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना एवं

अनुरक्षण) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं। उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा मांगे जाने वाले डोनेशन/कैपिटेशन शुल्क संबंधी कुछ घटनों की जानकारी सरकार को मिली है। जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वरा सूचित किया गया है, श्री रामचन्द्र चिकित्सा कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई तथा भारत उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के दो मामलों में संस्थान द्वारा कैपिटेशन शुल्क की मांग करने संबंधी शिकायत को सही पाया गया है। ये मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को जांच हेतु सौंपे गए थे, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर दण्डात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा गठित कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 अधिसूचित किए गए हैं। इन विनियमों के पैरा 6.5 में प्रावधान किया गया है कि "सम-विश्वविद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए वसूले गए शुल्कों के स्तर का युक्तिसंगत संबंध पाठ्यक्रम को संचालित करने की लागत से होना चाहिए। शुल्क ढांचे को विवरणिका तथा संस्थान की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।"

(च) सरकार ने तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अनुचित प्रथाओं की रोकथाम विधेयक, 2010 भी लोक सभा में पेश किया है जिसमें दाखिल किए गए विद्यार्थियों के हितों का संरक्षण करने तथा इनसे जुड़े हुए मामलों या तत्संबंधी प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए निजी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों सहित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में कतिपय अनुचित प्रथाओं को रोकने हेतु प्रावधान किया गया है। इसमें विवरणिकाओं में दर्शाए गए शुल्क ढांचे के अतिरिक्त कैपिटेशन शुल्क या डोनेशन अथवा इससे अधिक शुल्क की वसूली करने के लिए आपराधिक देयता एवं दीवानी दण्ड का प्रावधान भी किया गया है।

[अनुवाद]

3जी लाइसेंसिंग मानकों का उल्लंघन

674. **श्री नीरज शेखर**:

श्री यशवीर सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ टेलीकॉम कंपनियां लाइसेंसिंग मानकों का उल्लंघन करके कुछ सर्किलों में 3जी सेवाएं प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप सरकारी खजाने को भारी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे ऑपरेटरों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा उनसे स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) मैसर्स आइडिया, मैसर्स भारती और मैसर्स वोडाफोन कुछ ऐसे सेवा क्षेत्रों में लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए 3जी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जहां उनको 3जी स्पैक्ट्रम आबंटित नहीं किए गए हैं। ऐसे सेवा क्षेत्रों में 3जी स्पैक्ट्रम का प्रयोग करते हुए 3जी सेवाओं के लिए ग्राहक बनाने के लिए उनके सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.)/एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंसों में भी संशोधन नहीं किया गया है। लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार दंडनीय कार्रवाई करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अनेक मामलों में वित्तीय दंड लगाने के लिए मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इन कंपनियों ने सरकार के निर्णय को न्यायालयों में चुनौती दी है। न्यायालयों के अंतरिम आदेशों के अनुसार इन कंपनियों पर ऐसे सेवा क्षेत्रों में 3जी सेवाओं के लिए नए ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी गई है। यह मामला विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है।

लाइसेंसधारियों के स्पैक्ट्रम प्रभार शुल्क (एस.यू.सी.) का आकलन लाइसेंस की अनुबंध शर्तों के अनुसार किया गया है।

[हिन्दी]

उच्च निवल-सम्पत्ति वाले व्यक्ति

675. **श्री अर्जुन राय**:

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने के बावजूद, देश में उच्च निवल-सम्पत्ति वाले व्यक्तियों (एच.एन.आई.) की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व सम्पत्ति रिपोर्ट, 2013 से इस तथ्य की पुष्टि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उच्च निवल-संम्पत्ति वाले व्यक्तियों के इस विशेष वर्ग के मंदी के नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित न होने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) मेरिल लिंच-कैपजेमिनी की विश्व सम्पत्ति रिपोर्ट ने प्रदर्शित किया है कि भारत में वर्ष 2012 में उच्च निवल-संपत्ति वाले व्यक्तियों (एच.एन.डब्ल्यू.आई.) की जनसंख्या में 22.2% वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष 2011 में एच.एन.डब्ल्यू.आई. जनसंख्या में हुई 18% की गिरावट के मुकाबले सुधार दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को इक्विटी बाजार में पूंजी लगाने, सकल राष्ट्रीय आय, उपभोग एवं जमीन जायदाद (रियर एस्टेट) में सकारात्मक प्रवृत्ति से लाभ हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाजार निष्पादन का एच.एन.डब्ल्यू.आई. संपत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा है और भारत सहित विश्व भर के अधिकांश बाजारों को हुए मुनाफे को देखते हुए वर्ष 2012 में यह प्रभाव असाधारण रूप से सकारात्मक था।

कश्मीर मुद्दा

676. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने कितनी बार और किन-किन मंचों पर कश्मीर मुद्दा उठाया है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या पाकिस्तान ने ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों से इस संबंध में मध्यस्थता करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का दुष्प्रचार बेरोकटोक जारी है। वह संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू व कश्मीर के मुद्दे को बार-बार उठाता रहा है। सरकार का पक्ष यह है कि संपूर्ण जम्मू व कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न हिस्सा है और इस राज्य के भूभाग के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। सरकार भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा हेतु सभी अपेक्षित उपाय करती रहेगी।

इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका अथवा मध्यस्थता की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। शिमला समझौता के तहत, भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दों, जिनमें जम्मू व कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है, को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाने के लिए वचनबद्ध हैं।

[अनुवाद]

हज कोटा

677. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना**:

श्री हंसराज गं. अहीर:

श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब ने हज कोटे में 20% की कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं कि हज कोटे में और अधिक कटौती न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब दूतावास ने विदेश मंत्रालय को 5 जून, 2013 को सूचित किया है कि "हरम शरीफ" के चारों ओर किए जा रहे अवसंरचना संबंधी कार्यों को सुविधाजनक बनाने और उस इलाके को हजयात्रियों के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए स्थानीय आवेदकों (सऊदी) के लिए हज 2013 के कोटे में 50% और सभी विदेशी हज यात्रियों की संख्या में 20% की कटौती की है।

(ग) और (घ) विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब प्राधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठाते हुए हमारे कोटे में की गई 20% की कटौती पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया तथा इस निर्णय पर पुनिर्विचार करने की मांग की। सऊदी अरब सरकार ने 21 जून, 2013 को हज-2013 हेतु भारतीय हज यात्रियों के लिए निर्धारित 136,020 के संशोधित कोटे की अभिपुष्टि की है।

[हिन्दी]

न्यायालयों में चेक अस्वीकार के मामले

678. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न न्यायालयों में राज्य-वार चेक अस्वीकार के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार इन मामलों के निपटान हेतु और अधिक न्यायालय स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्येगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों का महत्वपूर्ण भाग अनादृत चेक मामलों का है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 और अन्य संबंधित उपबंधों के कारण अत्यधिक मुकदमेबाजी को कम करने की दृष्टि से एक अंतर मंत्रालीय समूह इस संबंध में आवश्यक नीति बनाने और विधायी परिवर्तनों के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। अंतर मंत्रालीय समूह ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र का उपयोग, ऐसे मामलों में अनुसरित की जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया का संहिताकरण और संदाय के इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से संव्यवहारों के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को अनादृत चेक मामलों के बैकलॉग समाप्त करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का अनुरोध किया गया है।गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालों में अनादृत चेक मामले की लंबित संख्या के संबंध में और मामलों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विशेष न्यायालयों की संख्या के बारे में ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

इस्राइल के साथ संबंध

679. **श्री अब्दुल रहमान**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्राइल ने भारत से देश में मुसलमानों की भारी जनसंख्या के मद्देनजर इस्राइन के साथ द्विपक्षीय, राजनयिक और अन्य संबंधों में अत्यधिक सावधानी बरतने संबंधी रवैया छोड़ने को नहीं कहा है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का रूख क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) इस्राइल सरकार ने भारी संख्या के मद्देनजर इस्राइल के साथ द्विपक्षीय राजनयिक और अन्य संबंधां में अत्यधिक सावधानी बरतने संबंधी रवैया छोड़ने को नहीं कहा है। इस्राइल के साथ भारत का संबंध दोनों देशों पर आधारित है और इससे अरब जगत के साथ हमारे मजबूत, समय-परीक्षित तथा ऐतिहासिक संबंध प्रभावित नहीं होते।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन

680. **श्री हंसराज गं. अहीर**:

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी दूरसंचार कंपनियां लाइसेंस मानदंडों के उल्लंघन की दोषी पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ऑपरेटर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग की आंतरिक समिति ने कुछ ऑपरेटरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉल व्यवस्था के उल्लंघन का दोषी पाया है, जिससे राजकोष को हानि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों से सरकार को हुए नुकसान की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेटवर्किंग साइटों पर खाता खोलना

681. **श्रीमती अश्वमेघ देवी**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए नेटवर्किंग साइटों पर अकाउन्ट खोलने के लिए दिशा-निर्देश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा नेटवर्किंग साइटों पर खाता खोलने अथवा नेटवर्किंग साइटों पर खाता खोलने में बच्चों के संदर्भ में उनके माता-पिता से अनुमति प्राप्त करने से संबंधित डाटा का सत्यापन करने के लिए कोई विस्तृत दिशा-निर्देश अथवा कानूनी प्रावधान नहीं है। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 ख और यौन संबंधी अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 (पी.ओ.सी.एस.ओ.) में विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन संबंधी कार्यों में लिप्त दिखाने वाली कोई सूचना प्रकाशित अथवा प्रेषित करने के लिए दण्ड के बारे में विस्तार से प्रावधान किये गए हैं। उपर्युक्त कानूनी ढांचे के अंतर्गत बाल अश्लीलता को दाण्डिक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पी.ओ.सी.एस.ओ. की धारा 21 के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध यौन संबंधी अपराधों के बारे में रिपोर्ट करना या उन्हें रिकॉर्ड करना अनिवार्य बनाया गया है। ऐसे किसी अपराध की रिपोर्ट न कर पाने या उसे रिकॉर्ड न कर पाने की स्थिति में कैद या अर्थ दण्ड या दोनों का प्रावधान है।

इसके अलावा, नेटवर्किंग साइटों के कथनानुसार सोशल मीडिया साइट 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी सेवाओं के अभिगम/उन्हें खोलने की अनुमति प्रदान नहीं करती हैं। वे बच्चों की आयु का सत्यापन करती है और उस देश, जहां पंजीकरण किया जाता है और उनके सर्वर अवस्थित होते हैं के मौजूदा कानूनों के अनुसार 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता से अनुमति प्राप्त करती है। बच्चों की आयु के सत्यापन के संदर्भ में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्किंग साइटों के समक्ष तकनीकी दृष्टि से कई चुनौतियां होती हैं।

साइबर स्पेस में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रयोक्ताओं के संदर्भ में उनकी पहचान गुमनाम रहती है। इसका आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना पोस्ट कर सकता है, कोई विवरण दिए बिना कसी भी नाम से खाता खोल सकता है। इसलिए ऐसे किसी बच्चों की आयु का सत्यापन कठिन हो जाता है, जो नेटवर्किंग साइटों पर खाता खोल लेता है। नेटवर्किंग साइटों ने उल्लेख किया है कि वे उनके पास उपलब्ध डाटा के आधार पर बच्चे की आयु का सत्यापन करने के लिए हर संभव प्रयास करती है।

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में वर्ष 2012 की याचिका सं. (ग) 3672 दायर की गई, जिसमें नेटवर्किंग साइटों पर बाल यौन संबंधी कार्यकलापों से संबंधित सूचना की उपलब्धता के मुद्दे उठाए गए हैं और अन्य राहत प्रदान करने के अलावा सदस्यों का सत्यापन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। सरकार ने शपथ पत्र दायर किया है, जिसमें मौजूदा कानूनी प्रावधानों की वास्तविक स्थिति तथा विवरण दिए गए हैं। मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भूटान के साथ संबंध

682. **श्री ताराचंद भगोरा**:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूटान में हुए हाल में चुनाव के बाद द्विपक्षीय संबंध की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी का मुद्दा भूटान के समक्ष उठाए जाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण और मित्रवत संबंध बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) भारत ने भूटान द्वारा अपनी जनतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के प्रयोजनार्थ किए गए उपायों का समर्थन किया है। भारत भूटान के साथ अपने अनूठे एवं विशिष्ट पारंपरिक संबंधों को संजोए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा वह ऐसा करता रहेगा।

(ख) से (च) जुलाई, 2013 में सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित करने के उपरांत नैशनल काउंसिल ऑफ भूटान (अपर हाउस) के एक शिष्टमंडल ने 24 जुलाई-1 अगस्त, 2013 तक भारत की यात्रा की। भारत सरकार भूटानी प्रधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। भूटान को योजनागत सहायता के संबंध में उच्चस्तरीय आदान-प्रदान तथा साथ ही विचार-विमर्श की प्रक्रिया तय की जा रही है।

भूटान की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में एक प्रतिबद्ध विकासमूलक भागीदार के रूप में भारत सरकार भूटान को पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी दे रही है।

महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित निधि

683. **श्री समीर भुजबल**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार कुल कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(ख) 31 मार्च, 2013 तक वास्तव में जारी निधि का ब्यौरा क्या है तथा कितनी निधि वास्तव में उपयोग की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) वर्ष 2010-11 से 2013 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता से संबंधित आवंटनों एवं जारी की गई निधियों की सूचना निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटित की गई निधि@	जारी की गई निधियां#
2010-11	7392.45	6604.08
2011-12	7497.42	5650.85
2012-13	7799.63	5940.60

स्रोत:@ महाराष्ट्र की वार्षिक योजना की वित्तपोषण स्कीम (एस.ओ.एफ.)
केन्द्रीय योजनास्कीम मॉनीटरिंग प्रणाली (सी.पी.एस.एम.एस.)

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग निधियों के उपयोग की निगरानी करते हैं जिन्हें पिछली किश्तों में प्रदान की गई निधियों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद अपेक्षित प्रक्रिया अपनाने के बाद प्रदान किया जाता है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बने आवासों हेतु बायोमैट्रिक सर्वे

684. **श्री पवन कुमार बंसल**: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्वास ई.डब्ल्यू.एस. आवासों हेतु योग्यता का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2006 में कराए गए बायोमैट्रिक सर्वे में संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में कुछ मजदूर और झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां छूट गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या ऐसी विभिन्न बस्तियों के निवासी तब से ही ऐसे सर्वेक्षण के लिए अनुरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि स्लमवासियों के पुनर्वास के लिए 18 मान्यता प्राप्त स्लम कालोनियों का वर्ष 2006 में बायोमैट्रिक सर्वेक्षण किया गया। सैक्टर 53, में पलसोरा के निकट आदर्श कालोनी बायोमैट्रिक सर्वेक्षण के दौरान छूट गई थी क्योंकि यह चंडीगढ़ और मोहाली (पंजाब) की सीमा पर स्थित थी और उस समय चंडीगढ़ और पंजाब के बीच की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं थी। सीमा निर्धारण के पश्चात् यह पाया गया कि यह कालोनी संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की सीमा के अंतर्गत आती है।

(ग) और (घ) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा (i) पलसोरा के निकट आदर्श कालोनी (ii) (मणी माजरा और पंचकुला (हरियाणा) सीमा के पास न्यू इंदिरा कालोनी के निवासियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। आदर्श कालोनी को शामिल न किए जाने का कारण ऊपर बताया गया है। न्यू इन्दिरा कालोनी के वर्ष 2006 के सर्वेक्षण से रह जाने के कारण, इस कालोनी का चंडीगढ़ और पंचकुला (हरियाणा) की सीमा पर स्थित होना था। इस कालोनी के निवासी पंचकुला से चंडीगढ़ में वर्ष 2006 के पश्चात् आए। यद्यपि, चंडीगढ़ की छोटे फ्लैटों की योजना के अंतर्गत पुनर्वास हेतु वे ही निवासी पात्र थे, जिनका नाम वर्ष 2006 के दोरान किए गए बायोमैट्रिक सर्वेक्षण में शामिल है, अत: इस योजना के अंतर्गत वे पात्र नहीं थे।

[हिन्दी]

शिक्षणेत्तर कार्यों में शिक्षक

685. **श्री जगदानन्द सिंह**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाएं अभी भी शिक्षणेत्तर उद्देश्यों के लिए ली जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार, आयोग की चिंताओं से किस हद तक सहमत हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी शिक्षकों को शिक्षणेतर कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने "स्कूल शिक्षा संबंधी टिप्पणी" में अपनी सिफारिशों में निष्कर्ष दिया है कि अनेक शिक्षणेत्तर कार्य जैसे चुनाव बूथों पर कार्य करने तथा सर्वे आदि के लिए आंकड़े एकत्र करने हेतु लगाने से उपलब्ध शिक्षण समय में कमी होती है और साथ ही शिक्षकों की व्यावसायिक गरिमा में कमी आती है। यह सिफारिश की गई है कि इन कार्यकलापों को अनेक सरकारी कर्मचारियों अथवा जिन्हें इन प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से किराए पर लिया जाता है उनके बीच बांटा जाना चाहिए और शिक्षकों के उपर ऐसे कार्य का बोझ अवश्य कम किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 पारित किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के खंड 27 में प्रावधान है कि "किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्यों अथवा स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं अथवा संसद के चुनाव से संबंधित कार्यों जैसा भी मामला हो, के अलावा किसी शिक्षणेत्तर प्रयोजनों के लिए तैनात नहीं किया जाएगा"। केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाएं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन अनुमेय इन कर्त्तव्यों के अलावा किसी शिक्षणेत्तर उपयोग में नहीं ली जा रही हैं।

[अनुवाद]

भारतीय भू-भाग में चीनी घुसपैठ

686. **श्री उदय सिंह:**
श्री पी.के. बिजू:
डा. थोकचोम मैन्या:
श्री ए. सम्पत:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय भू-भाग में चीनी टुकड़ियों द्वारा घुसपैठ तथा भारतीय वायु क्षेत्र के चीन द्वारा उल्लंघन की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो घटना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हमारे देश में हाल ही की घुसपैठ के संबंध में चीन की राय मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में चीनी सरकार से कोई ठोस उत्तर प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा पर शांति तथा सौहार्द्र बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) भारत तथा चीन के मध्य सीमावर्ती क्षेत्र में साझा तौर पर अंकित कोई नियंत्रण रेखा नहीं है। नियंत्रण रेखा की धारणा के संबंध में मतभेद के कारण समय-समय पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिन्हें दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा के संबंध में कोई साझी धारणा होने पर टाला जा सकता था। सरकार चीन की ओर से नियंत्रण रेखा पर किसी अतिक्रमण के मामले को, सीमा कार्मिक बैठकों, फ्लैग बैठकों, भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श समन्वय के लिए कार्यचालन तंत्र तथा राजनयिक, माध्यमों की बैठकों सहित स्थापित तंत्र के माध्यम से नियमित आधार पर निपटाती है। सीमा का प्रश्न लंबित रहने तक भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर शांति तथा सौहार्द्र बनाए रखने की वचनबद्धता को दोनों ओर से कई अवसरों पर दोहराया गया है। भारत की सुरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों पर सरकार लगातार नजर रख रही है तथा इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

[हिन्दी]

कैलाश-मानसरोवर यात्रा

687. **श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण**: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कैलाश-मानसरोवर यात्रा के यात्रियों पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन तीर्थ यात्रियों के वार्षिक व्यय और सुविधाओं में वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा पर केन्द्र सरकार द्वारा किया गया वर्ष-वार व्यय निम्नलिखित हैं:

वर्ष	व्यय
2010	64.57 लाख रुपए
2011	71.21 लाख रुपए
2012	77.50 लाख रुपए

(ख) और (ग) भारत सरकार कुमाउं मंडल विकास निगम लिमिटेड, जो स्वयं भुगतान के आधार पर यात्रा मार्ग के भारतीय ओर यात्रियों को यातायात, आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है; और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) तथा उत्तराखंड राज्य सरकार, जो भारतीय क्षेत्र में यात्रियों को सुरक्षा तथा आधारभूत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराती है, के माध्यम से यात्रा का आयोजन करती रही है। विदेश मंत्रालय प्रत्येक दल के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है। संपर्क अधिकारी को संबंधित भारतीय प्राधिकारियों के संपर्क में बने रहने तथा किसी आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए एक सेटेलाइट फोन उपलब्ध कराया जाता है। चिकित्सा आपात स्थिति में तीर्थयात्रियों को हेलिकॉप्टर से लाने की व्यवस्था भी की जाती है। प्रत्येक वर्ष विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पर्याप्त निधि आबंटित की है और सतत् आधार पर मार्ग में सुविधाओं में सुधार करता रहा है।

अधिकरणों के प्रमुखों की सेवानिवृत्ति की उम्र

688. **श्री पूर्णमासी राम**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न अधिकरणों के प्रमुखों की अधिकरण-वार सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है।

(ख) क्या विधि आयोग ने अधिकरणों के सभी प्रमुखों की समान सेवानिवृत्ति उम्र निर्धारित करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) उक्त सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सरकार, विभिन्न मंत्रालयों/सरकार के विभागों द्वारा प्रसाशित किए जा रहे अधिकरणों के प्रमुखों की सेवानिवृत्ति आदि की आयु के ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखती है। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा प्रमुखों वाले 13 अधिकरणों के अध्यक्षों की आयु संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) भारत विधि आयोग में अपनी 232वीं रिपोर्ट (2009 में) सिफारिश की है कि अध्यक्षों को सेवानिवृत्ति की आयु को, सभी अधिकरणों के लिए समान रूप से 70 वर्ष नियत की जानी चाहिए। इसी तरह, सभी अधिकरणों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु समान रूप से 65 वर्ष नियत की जानी चाहिए। मंत्रियों का समूह, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभिन्न मामलों में उठाने वाले मुद्दों और ऐसे निकायों को सौंपे गए कृत्यों सहित सभी संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सेवानिवृत्ति की आयु, नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की पदावधि से संबंधित शर्तों और अर्ध-न्यायिक/विनियामक निकायों/अधिकरणों आदि के लिए आवासी और कार्यालय स्थानों से संबंधित उपबंधों से संबधित सभी मुद्दों पर विचार करेगा और उनकी जांच करने के लिए मार्च, 2013 में गठित किया गया। मंत्री समूह ने 28 मई, 2013 और 23 जुलाई, 2013 को दो बैठकें की हैं। मंत्री समूह की सिफारिशों के प्रभाव करने के लिए संसद में एक विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए 6 माह का अन्य समय लेगा।

विवरण

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु
1	2	3
1.	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	68 वर्ष
2.	ऋण वसूली अपील अधिकरण	65 वर्ष
3.	विद्युत अपील अधिकरण	70 वर्ष
4.	प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण	68 वर्ष
5.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	70 वर्ष
6.	सशस्त्र बल अधिकरण	भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए 70 वर्ष

1	2	3
		उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए 65 वर्ष
7.	टेलीकाम विवाद निपटान अपील अधिकरण	70 वर्ष
8.	कंपनी लॉ बोर्ड	67 वर्ष
9.	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग	70 वर्ष
10.	साइबर अपील अधिकरण	65 वर्ष
11.	प्रतिभूति अपील अधिकरण	68 वर्ष
12.	ऊर्जा संरक्षण अपील अधिकरण	70 वर्ष
13.	राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण	65 वर्ष

लंबित प्रस्ताव

689. **श्री जयवंत गंगाराम आवले**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को अनुमोदन और निधि आवंटन हेतु महाराष्ट्र सरकार से कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से अनुमोदित और लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रस्ताव के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) से (घ) इस मंत्रालय को प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(i) राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार से शैक्षणिक वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए पात्र बालिकाओं हेतु प्रोत्साहन-राशि की संस्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के लिए 55790 बालिकाओं से संबंधित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र से मांगने हेतु लंबित है। शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के लिए 55704 बालिकाओं के संबंध में 16.71 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है और शैक्षणिक वर्ष 2012-13 के लिए 48611 बालिकाओं के संबंध में प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(ii) महाराष्ट्र सरकार से 2010-11 में साक्षर भारत योजना के तहत् 2 पात्र जिलों नामत: नंदूरबार और गोंडिया के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और 21.31 करोड़ रुपये के अनुमोदित बजट में से केन्द्रीय हिस्से के रूप में 25.01.2011 को 4.79 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई।

(iii) XIIवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से 29.08.2011 को महाराष्ट्र में एक आई.आई.टी. की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वर्तमान में, देश में कोई अतिरिक्त आई.आई.टी. स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(iv) भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के तहत् नए आई.आई.आई.टी. की स्थापना का अनुमोदन किया है। महाराष्ट्र सरकार से भूमि और उद्योग भागीदारों की पहचान करनी अपेक्षित है। महाराष्ट्र सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(v) XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान पहचान किए गए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से प्रत्येक में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत् महाराष्ट्र में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 07 जिलों की पहचान की गई है। सभी सात जिलों के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं और राशि की पहली किस्त की गई है।

(vi) महाराष्ट्र राज्य सरकार से राज्य के 41 गैर-सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निकों के संबंध में पॉलिटेक्निकों के माध्यम से समुदाय विकास योजना में समावेशन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली समुदाय कॉलेजों की नई योजना के प्रस्तावित आरंभ को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा योजना की अविरत समीक्षा के मद्देनजर योजना का विस्तार आस्थगित रखा गया है।

नई परिवर्तित प्रतिशतांक-पद्धति

690. **श्री मानिक टैगोर**:

डा. एम. तम्बिदुरई:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह पता है कि देश में अनेक विद्यार्थी सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टी.) में प्रवेश हेतु नई परिवर्तित प्रतिशतांक-पद्धति के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नई प्रतिशतांक-पद्धति को शुरू करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक विद्यार्थियों और उनके परिजनों ने इस नई परिवर्तित प्रतिशतांक-पद्धति के विरुद्ध अभ्यावेदन देते हुए इसका विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कार्रवाई कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। जे.ई.ई. (एडवांस्ड) की नई योजना में केवल जे.ई.ई. (मेन) में प्रदर्शन के आधार पर शीर्षस्थ 1.5 लाख अभ्यर्थी (सभी श्रेणियों को शामिल करते हुए) जे.ई.ई. (एडवांस्ड) परीक्षा में भाग लेने के पात्र होते हैं। आई.आई.टी. में प्रवेश जे.ई.ई. (एडवांस्ड) में श्रेणी-वार अखिल भारतीय रैंक के आधार पर इस शर्त के अध्यधीन दिया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी लागू श्रेणियों में उनके संबद्ध बोर्डों द्वारा संचालित कक्षा-XII की परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के शीर्षस्थ 20 पर्सेन्टाईल में हों। एन.आई.टी. में प्रवेश सामान्यीकृत पर्सेन्टाइल अंकों पर आधारित कक्षा-XII के बोर्ड अंकों को 40 प्रतिशत अधिमानता तथा बाकी 60 प्रतिशत अधिमानता जे.ई.ई. (मेन) में प्रदर्शन को अधिमानता देते हुए तैयार की गई समेकित वरीयता सूची पर आधारित होता है। यह प्रणाली सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान रूप से लागू की गई है और इसलिए प्रतिभाशाली छात्रों के प्रभावित होने के अवसर पैदा नहीं होते।

(ख) पर्सेन्टाइल विभिन्न बोर्डों की तुलना का अच्छा आधार है और वे भेदभाव रहित हैं। वे विभिन्न बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाओं में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हैं। इस वर्ष की परीक्षा के आंकड़ों के आधार पर सर्वोच्च 20 पर्सेन्टाईल के लिए कटऑफ पर्सेन्टाईल स्कोर एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में भिन्न है। चूंकि भिन्न बोर्ड भिन्न प्रकार से मूल्यांकन करते हैं इसलिए विभिन्न बोर्डों से संबद्ध छात्रों की उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए पर्सेन्टाईल का प्रयोग किया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं जिन्हें अब भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं)

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

इस समय श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी, श्री नरहरि महतो और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री (डा. गिरिजा व्यास): मैं हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौते ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9269/15/13]

...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2011-2012 में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[श्री जितिन प्रसाद]

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9270/15/13]

(3) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट आफिस राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट आफिस राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 9271/15/13]

(5) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आदर्श विद्यालय), बंगलुरू के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आदर्श विद्यालय), बंगलुरू के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9272/15/13]

(7) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9273/15/13]

(9) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9274/15/13]

(11) (एक) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथारिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथारिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9275/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

...(व्यवधान)

(1) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद में वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद में वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9276/15/13]

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9277/15/13]

(5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9278/15/13]

(7) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9279/15/13]

(9) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9280/15/13]

(11) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9281/15/13]

[डा. शशी थरूर]

(13) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9282/15/13]

(15) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखें।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9283/15/13]

(17) (एक) नेशनल कमीशन फॉर माइनॅरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर माइनॅरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कमीशन फॉर माइनॅरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9284/15/13]

(19) (एक) डा.बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखें।

(दो) डा.बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9285/15/13]

(21) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखें।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9286/15/13]

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): मैं योजना आयोग के वर्ष 2013-14 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9287/15/13]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय, श्री सानधुमा खुंगुर बैसीमुथियावी आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03¼ बजे

संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)

कार्य-का-सारांश

[अनुवाद]

महासचिव: मैं संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)-कार्य का सारांक्ष (1 जून, 2011 से 31 मई, 2012 तक) के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03½ बजे

विभागों में संबद्ध स्थायी समितियां

कार्य का सारांश

[अनुवाद]

महासचिव: मैं विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां-कार्य का सारांक्ष (31 अगस्त, 2011 से 30 अगस्त 2012 तक) के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03¾ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पैंतीसवां-प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कडिया मुंडा (खूंटी): अध्यक्ष महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पैंतीसवां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

याचिका समिति

25वें से 27वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:-

(1) न्यूतनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उल्लंघन के बारे में और असम, दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी जिले में डुअर्स के चाय बागान कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के बारे में श्री एच. महादेवन, उप महासचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से प्राप्त अभ्यावेदन संबंधी 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(2) अपने पुत्र श्री सदन कुमार सिंह यादव को सी.सी.एस.ओ./सेल, धनबाद द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियोजन दिए जाने के संबंध में श्रीमती लछी देवी, पत्नी स्वर्गीय एस.के.एस. यादव, पूर्व-प्रभारी (संचार), सी.सी.एम.ओ./सेल से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

(3) आई.डी.बी.आई. बैंक में कार्यरत स्टाफ को वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के बारे में श्रीमती विजया ढावले, महासचिव, ए.आई.आई.डी.बी.ई.ए., मुम्बई से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04¼ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर (बनगांव): मैं "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जांच" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी

[श्री हरीश चौधरी]

समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04½ बजे

इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारीं अपने स्थान पर वापस चले गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04¾ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

21वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): अध्यक्ष महोदया मैं "प्रवासी भारतीय विवाह: अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक/वितीय सहायता/पुनर्वास दिए जाने संबंधी योजना से संबंधित समस्याएं" विषय पर 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 21वां *प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

72वें से 74वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "बी.पी.एल. मानदंड का मूल्यांकन" विषय पर समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 72वां प्रतिवेदन।

(2) संविधान (115वां संशोधन) विधेयक, 2011 के संबंध में 73वां प्रतिवेदन।

(3) 'प्राकृतिक गैस की कीमत के पुनरीक्षण का आर्थिक प्रभाव' विषय पर 74वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05¼ बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री दीप गोगोई (कलियाबोर): महोदया, मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

196वां और 197वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री महेश जोशी (जयपुर): मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन * (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) "राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खंड) विधेयक, 2013" के बारे में 196वां प्रतिवेदन।

(2) "वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2013" के बारे में 197वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

*21वां प्रतिवेदन माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71 क के अन्तर्गत 25.05.2013 को प्रस्तुत किया गया था जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था।

*प्रतिवेदन माननीय सभापति, राज्यसभा को 26 जून, 2013 को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन उसे माननीय लोकसभा अध्यक्ष को भी भेजा गया था।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एम.एफ.पी.) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के माध्यम से "लघु वन उत्पाद विपणन तंत्र शुरू किया जाना और इन उत्पादों के लिए वैल्यू चेन के विकास की योजना"

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

1. अनुमानित 100 मिलियन वन निवासी भोजन, आवास, चिकित्सा, नकद आय इत्यादि के लिए लघु वन उत्पाद (एम.एफ.पी.) पर निर्भर है। एम.एफ.पी. के प्राथमिक संग्रहकर्ता भौगोलिक सीमाओं और मध्यस्थों के प्रभाव के कारण अंतिम उपयोगकर्ताओं या उपभोक्ताओं को अपना सामान सीधे नहीं बेच सकते हैं। अधिकतर एम.एफ.पी. समृद्ध राज्य वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रभावित हैं जिसके कारण बाजार में बेईमान व्यापारी मुक्त रूप से कार्य करते हैं और कई बार राज्य प्रभावी भूमिका निभाने में अक्षम होते हैं। इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2012) के भाषण में यह घोषणा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी ताकि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोग उनके द्वारा एकत्रित वन उत्पाद के उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त हो सकें।

2. इस घोषणा के अनुसरण में, लघु वन उत्पाद (एम.एफ.पी.) संग्रहकर्ताओं जो प्राथमिक रूप से अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, की सामाजिक सुरक्षा के उपायों के रूप में एक योजना तैयार की गई है। इसमें संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि में उनके प्रयासों के लिए उचित आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करने तथा घटती लागत के साथ बिक्री प्रक्रियाओं से राजस्व की हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु एक प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया की निरंतरता बनाये रखने के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करना भी है।

3. इस योजना को लघु वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं के लिए उचित लाभ हेतु राज्य सरकारों और योजना आयोग तथा अंतर-मंत्रालयीय परामर्श से तैयार किया गया है। ट्राइफेड में गठित मूल्य प्रकोष्ठ प्रत्येक एम.एफ.पी. के लिए राज्यवार एम.एस.पी. का प्रस्ताव करेगा तथा मंत्रालय अंतिम रूप से उस राज्य हेतु एम.एस.पी. को अनुमोदित एवं घोषित करेगा।

4. आरंभ में यह योजना भारत के संविधान की अनुसूची 5 के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा झारखंड में कार्यान्वित की जाएगी। (1) तेंदू, (2) बांस, (3) महुआ के बीज, (4) साल के पत्ते, (5) साल के बीज, (6) लाख, (7) चिरोंजी (बीज), (8) जंगली शहद, (9) हरीतकी (हरीता/हरड़), (10) इमली, (11) गोंद (गोंद कराया) तथा (12) करंज नामक 12 अनुमोदित मदों की सूची से बाहर कोई एम.एफ.पी. इस योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि इसे राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत न किया गया हो।

5. प्रारंभिक दो वर्षों के लिए एम.एफ.पी. की खरीद हेतु अग्रिम भुगतान तथा राज्य सरकार को हुई हानियों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय तथा सहभागी राज्य सरकारों द्वारा राज्य एजेंसियों को 75:25 के अनुपात में वित्तीय समर्थन दिया जाएगा।

6. योजना में परिकल्पित आदर्श बेव तथा वेब-क्षम सेवाओं के माध्यम से एम.एफ.पी. के बिक्री के सारे मूल्य कोट करने का समर्थन करता है। यह एम.एफ.पी. संग्रहकर्ताओं की एम.एफ.पी. को खुले बाजार या राज्य एजेंसियों को बेचने का संसूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा। जब भी एम.एफ.पी. का बाजार मूल्य एम.एस.पी. से नीचे गिरता है तो पदनामित एजेंसियां एम.एफ.पी. को खरीदने के लिए संग्रहकर्ताओं तक पहुंचने हेतु सतर्क किया जाएगा। बाजार मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए बाजार संवाददाताओं की सेवाएं पदनामित एजेंसियों द्वारा ली जायेंगी, विशेष रूप से एम.एफ.पी. का व्यापार करने वाले मुख्य बाजारों के लिए।

7. इस योजना में प्राथमिक मूल्य संवर्धन का समर्थन करने के साथ-साथ शीत भण्डारण, गोदामों इत्यादि जैसी

*सभा-पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 9288/15/13

[श्री वी. किशोर चन्द्र देव]

अवसंरचना शृंखला की आपूर्ति का प्रावधान है। प्रस्तावित योजना में बताये गये हस्तक्षेपों के साथ-साथ वैज्ञानिक रूप से फसल कटाई पर बल संग्रहकर्ताओं के लिए उच्चतर लाभ को सुनिश्चित करते समय प्रक्रिया को बनाये रख सकता है। हस्तक्षेप का यह पैकेज असंरचित एम.एफ.पी. बाजारों को संगठित करने में सहायता कर सकता है। संसाधन के पुन: सृजन, निष्कर्षण हेतु उन्नत प्रक्रियाओं तथा एम.एफ.पी. के मूल्य संवर्धन के संबंध में हितधारियों के लिए ट्राइफेड द्वारा उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

8. यह भारत सरकार का एक युग प्रवर्तक विकासात्मक पहल है जो अत्याधिक आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी तथा इससे देश के लाखों जनजातीय लोगों और अन्य परंपरागत वन निवासियों, जिनकी जीवन रेखा गैर-ईमारती लकड़ी वाले वन उत्पाद पर निर्भर है, को सहायता मिलेगी। वन अधिकार अधिनियम के अधिनियम के अनुरूप एक वाटरशेडड विधान है जिसमें जनजातियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने और यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था है कि उनके अधिकार पूर्ण दावों को सुनिश्चित किया जा सके। यह जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार का एक और सुदृढ़ कदम है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षकों की कमी के बारे में दिनांक 13.03.2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2699 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): अध्यक्ष महोदया, मैं दिनांक 13.03.2013 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2699 के लिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षण स्टाफ की स्वीकृत संख्या और तैनाती के ब्यौरे के संबंध में उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध-II को सही करने के लिए एक विवरण देना चाहता हूं जो नीचे दिए अनुसार है:-

लोकसभा के प्रश्न का भाग			13.3.2013 को दिया गया उत्तर			पढ़ा जाए		
भाग (घ) में उल्लिखत अनुबंध-II	क्र.सं.	संस्थाओं के नाम	संस्वीकृत	तैनात (नियमित)	रिक्त	संस्वीकृत	तैनात (नियमित)	रिक्त
	(क)	आई.आई.टी.						
	16.	आई.आई.टी. भुवनेश्वर	90	0	90	90	63	27

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संकाय की कमी के बारे में जिसमें संस्थान-वार संस्वीकृत संकाय संख्या, संकाय की वास्तविक संख्या और रिक्तियां शामिल थी, 13 मार्च, 2013 को लोकसभा में मंत्रालय द्वारा उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2699 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II में अनजाने में हुई गलती के कारण सही विवरण देना आवश्यक हो गया है। अब यह बात ध्यान में आई है कि प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में अनुबंध-II में उल्लिखित तालिका में तैनात संकाय के बताए गए आंकड़े भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर के संबंध में अनजाने में शून्य दर्शाए गए हैं। परिणामस्वरूप प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संबंध में कुल संस्वीकृत संकाय के पदों की संख्या (6076) सही है, संकाय की वास्तविक संख्या और रिक्त पदों

*सभा-पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 9289/15/13

की संख्या शून्य निरूपित कर दी गई थी क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर के संबंध में नियमित तैनात संकाय का ब्यौरा उपलब्ध नही था। ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित ब्यौरे को शामिल करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या 2608 की बजाय 2545 पढ़ी जाए।

असुविधा के लिए खेद है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : डा. मुरली मनोहर जोशी-उपस्थित नहीं।

अपराह्न 12.08 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) लोक लेखा समिति

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए डॉ. गिरिजा व्यास जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया:- प्रश्न यह है:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए डॉ. गिरिजा व्यास जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किय गया है, के स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की शेष अवधि के लिए श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और डॉ. वी. मैत्रेयन जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, के स्थान पर इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की शेष अवधि के लिए श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और डॉ. वी. मैत्रेयन जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, के स्थान पर इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

(दो) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्यक्ष महोदया : श्री जगदम्बिका पाल-उपस्थित नहीं। श्री बंस गोपाल चौधरी।

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल) : श्री जगदम्बिका पाल की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री अम्बिका बनर्जी जिनका निधन हो गया, के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने मे से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ

[श्री बंस गोपाल चौधरी]

पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री अम्बिका बनर्जी जिनका निधन हो गया, के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने मे से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

(तीन) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर (बनगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री मणिकराव होडल्या गावित जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री मणिकराव होडल्या गावित जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर (बनगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की शेष अवधि के लिए श्री डी. राजा, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, के स्थान पर इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है: "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की शेष अवधि के लिए श्री डी. राजा, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, के स्थान पर इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.13 बजे

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम (6) के उप-नियम (दो) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री लालचंद कटारिया, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम (6) के उप-नियम (दो) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के

अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री लालचंद कटारिया, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.14 बजे

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निमहांस), बंगलौर के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी): मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से प्रस्ताव करती हूं:

"कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012 की धारा 5(1) (i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012 की धारा 5(1) (i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.15 बजे

भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी): मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से प्रस्ताव करती हूं:

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश स्थिति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में प्रत्येक के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश स्थिति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में प्रत्येक के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.16 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 6 अगस्त, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[श्री कमल नाथ]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 6 अगस्त, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.16½ बजे

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मुझे माननीय संसद सदस्य श्री यशवंत सिन्हा से रक्षा मंत्री के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने के संबंध में 6 अगस्त 2013 को दिए गए वक्तव्य के द्वारा कथित रूप से सभा को जानबूझ कर भ्रमित करने के बारे में 7 अगस्त 2013 को विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है जो कि भारतीय सेना द्वारा जारी वक्तव्य के अनुरूप नहीं है।

विषय मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब हम शून्य काल की चर्चा आरम्भ करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोकसभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01¼ बजे

इस समय, श्री के. नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01½ बजे

इस समय, श्री एल.राज गोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभापटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण अब नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, तो वे स्वयं 20 मिनट के अन्दर सभा पटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे जिनको प्रथम निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष यथावत माने जाएंगे।

...(व्यवधान)

(एक) लोक सभा सदस्यों द्वारा सांसद कोटे के अंतर्गत उनके निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रहने वाले बच्चों को वहां स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की सिफारिश करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): केन्द्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे को बढ़ाकर 6 प्रवेश तक करने का सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। मैं इसी क्रम में यह सुझाव देना चाहता हूं कि 6 प्रवेश संसदीय क्षेत्र तथा 2 प्रवेश समस्त भारत में कहीं भी देने का प्रावधान

*सभा-पटल पर रखे माने गए।

कर दिया जाए क्योंकि संसदीय क्षेत्र से ही ऐसे बच्चे अथवा उनके माता-पिता देश में अन्य जगहों पर नौकरी या अपने धंधे में बाहर रहते हैं, जिनको इस प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में हर संसद सदस्य उनकी मदद समस्त भारतवर्ष में कर सकता है। मुझे आशा है, मेरे इस विचार एवं सुझाव से मेरे सभी साथी सांसद भी सहमत होंगे। कृपया इसे अमल में लाने हेतु सरकार कोशिश करे।

(दो) मधुमेह रोधी औषधि 'पायोग्लिटाजोन' पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन. पीमाम्बर कुरूप (कोल्लम): मधुमेह की रोकथाम के लिए प्रयुक्त पायोग्लिटाजोन दवा को गरीबों की इन्सुलिन के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने केन्द्र सरकार को सलाह दी है कि इस दवा पर प्रतिबंध को समाप्त किया जाना चाहिए और कतिपय चेतावनियों के साथ इसे बाजार में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तथापि, केन्द्र सरकार इए संबंध में निर्णय लेने में विलंब कर रही है। चूंकि पायोग्लिटाजोन को बाजार से वापस ले लिया गया है, इसका रोगियों के पास उपलब्ध स्टॉक भी समाप्त हो चुका है। इस आशा के साथ कि पायोग्लिटाजोन शीघ्र ही बाजार में उपलब्ध होगी, मधुमेह के रोगी अन्य महंगी दवाइयां जैसे गिल्पिटिन अथवा इन्सुलिन इंजेक्शन खरीदनें के इच्छुक नहीं हैं। डाक्टरों का मत है कि चूंकि मधुमेह के रोगियों की दवा एक दिन के लिए भी टाली नहीं जा सकती, इसलिए उनके पास रोगियों को नई दवाओं अथवा इन्जेक्शन का परामर्श देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तथापि, नई दवाएं काफी महंगी हैं, इसलिए अनेक रोगी इस परामर्श को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अनेक रोगी यह आशा कर रहे हैं कि पायोग्लिटाजोन शीघ्र ही उपलब्ध होगी और वे इस दवा का उपयोग करना आरंभ कर सकेंगे।

11 जुलाई 2013 को विशेषज्ञों और चिकित्सकों के पैनल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा औषध तकनीकी परामर्श बोर्ड के साथ चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि जैसा कि अमरीका जैसे देशों में किया जा रहा है, दवा को ब्लैक बॉक्स चेतावनी के साथ बाजार में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ब्लैक बाक्स रोगियों के लिए चेतावनी होती है कि दवा के अधिक प्रयोग से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं और इसे सीमित मात्रा में ही लिया जाना चाहिए।

जहां पायेग्लिटाजोन की कीमत एक अथवा दो रुपये है, वहीं गिलिप्टिन श्रेणी की दवाओ की कीमत 40 रु. तक है। पायोग्लिटाजोन को बिना किसी चेतावनी के प्रतिबंधित करने के निर्णय से विशेषज्ञ चिकित्सकों के संगठन, जिसे रिसर्च सोसायटी फोर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया कहते है, ने इस संबंध में संकल्प पारित करके चिंता व्यक्त की है।

गरीब मधुमेह रोगियों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से देश में पायोग्लिटाजोन दवा पर प्रतिबंध को तत्काल समाप्त करने की पुरजोर अपील करता हूं।

(तीन) केरल के कोचीन बंदरगाह पर राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल की माल-संभलाई क्षमता की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित): देश का एक प्रमुख प्राकृतिक पत्तन, कोचीन पत्तन पर कम आवागमन हो रहा है। 11 फरवरी, 2011 को क्षेत्र के विकास के लिए बड़े ही उत्साह और आशा के साथ वल्लारपदम में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। 31 जनवरी 2005 के हुए समझौते के अनुसार, कंटेनर टर्मिनल का प्रचालन मैसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (दुबई पोर्ट वर्ल्ड) को सौंपा गया था। इस समझौते के अनुसार 1 अप्रैल 2005 से कोचीन पोत पत्तन के राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल (आर.जी.सी.टी.) का संचालन दुबई पोर्ट वर्ल्ड ने ले लिया था। उस समय आर.जी.सी.टी. पर 2,03011 टी.ई.यू. कंटेनरों की सम्भलाई होती थी जो पुरानी गैन्ट्री क्रेनों और अन्य पुराने उपस्करों के माध्यम से की जाती थी। धीरे-धीरे कंटेनर सम्भलाई क्षमता में वृद्धि होने लगी और वर्ष 2009-10 में यह 2,87,432 टी.ई.यू. और अगले वर्ष यह 3,12,035 टी.ई.यू. हो गयी। परन्तु यह चिंताजनक था कि आई.सी.टी.टी. का प्रचालन आरम्भ होने के पश्चात कंटेनर सम्भलाई में वृद्धि नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप कोचीन पत्तन न्यास के लाभांश में काफी कमी आयी है। साथ ही प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रु. गाद निकालने की लागत कोचीन पत्तन को वहन करनी पड़ती है। इससे कोचीन पत्तन न्यास को व्यावहारिक दृष्टि से वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है। कोचीन पत्तन न्यास को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा तत्काल और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

(चार) आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सिरिसिल्ला शहर में विद्युत करघों के उन्नयन के लिए निधि मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): जैसा कि सरकार इस बात से अवगत है कि वस्त्र उद्योग ने हमारे देश, विशेषकर, आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आंध्र प्रदेश

[श्री पोन्नम प्रभाकर]

तीसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है जहां देश के उत्पादन होने वाली कुल 340 लाख कपास की गांठों में से 76 लाख कपास की गांठों का उत्पादन होता है। राज्य में 180 कताई मिलें और 4250 ओटाई मिले हैं। तथापि, कपड़े का उत्पादन मात्र कुल 2239.40 लाख मीटर होता है जिसमें हथकरघा क्षेत्र भी शामिल है।

राज्य में लगभग 60,000 विद्युत करघे हैं जिनमें से 30850 विद्युत करघे करीमनगर जिले के सिरिसिल्ला शहर में ही है। इनमें मुख्य रूप से सफेद पॉलीस्टर कपड़े, काटन केसमेंट कपड़े, पालिएस्टर और मिश्रित रेयान शर्टिंग और शूटिंग आदि का उत्पादन होता है जो कम गुणवता का कपड़ा है। कम उत्पादन, अधिक प्रचालन लागत, उत्पादों का विविधिकरण नहीं होने, विपणन समस्याओं के कारण उनकी आमदनी गंभीर रूप से प्रभावित होती है और वे कर्ज के जाल में फंस गए हैं जिससे उनका जीवन कष्टदायी हो गया है। ऋणग्रस्तता से बाहर आने में असफल होने पर व्यथित होकर वे आत्महत्या कर रहे हैं। 1997 से राज्य में हुई कुल 813 आत्महत्याओं में से सिरिसिल्ला शहर से ही हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्र में 374 आत्महत्याएं हुई हैं। राज्य सरकार विद्युत प्रशुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत पहले से ही प्रदान कर रही है जो पर्याप्त नहीं है। आई एल एंड एफ एस ने सिरिसिल्ला की बस्तियों में एक अध्ययन किया है जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन और उत्पादन गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल किए जाने की तत्काल आवश्यकता भी इंगित की गई है। दुर्भाग्यवश, ये अर्ध स्वचालित करघे भारत सरकार की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत राज सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के हथकरघा और वस्त्र विभाग ने हाल ही में विशेष परियोजना की स्वीकृति हेतु सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में, मैं आंध्र प्रदेश के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सिरिसिल्ला शहर में स्थित विद्युत करघो के उन्नयन हेतु भारत सरकार की निधियों से परियोजना की शीघ्र स्वीकृति हेतु माननीय वस्त्र मंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का श्रेणीकरण किए जाने हेतु कानून बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल): मैं सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को न्याय प्रदान करने के लिए उनको श्रेणीबद्ध करने की अत्याधिक आवश्यकता की ओर दिलाना चाहूंगा।

संविधान की सच्ची भावना के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों में संसाधनों के समान वितरण को युक्ति संगत बनाने के विनियमित करने के लिए 10.1.2004 को आंध्र प्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों के क, ख, ग, घ, समूहों में यथा श्रेणीबद्ध करने के लिए सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया और आगे कार्रवाई के लिए इसे भारत सरकार को भेज दिया। आंध्र प्रदेश में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने सभी राजनीतिक राज्यों के नेताओं को बुलाकर उन्हें अनुसूचित श्रेणियों के क, ख, ग, और घ समूहों में उप श्रेणिकरण की आवश्यकता से अवगत कराया। भारत सरकार ने 16.11.2006 की अधिसूचना के माध्यम से आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को क, ख, ग, घ समूहों में श्रेणीबद्ध करने के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उषा मेहरा आयोग का गठन किया। न्यायमूर्ति उषा मेहरा आयोग ने 1.5.2008 को अनुसूचित जातियों को क, ख, ग और घ समूहों में श्रेणीबद्ध करने के पक्ष में अनुच्छेद 341 में संशोधन की सिफारिश की।

आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प पारित किए जाने, सभी राजनैतिक दलों के एकमता और न्यायमूर्ति उषा मेहरा आयोग की श्रेणीकरण के पक्ष में अनुच्छेद 341 में संशोधन किए जाने की सिफारिश के मद्देनजर, मैं सरकार से आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को क, ख, ग और घ समूहों में श्रेणीबद्ध करने के लिए संसद के मानसून सत्र में विधेयक लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की अनुरोध करता हूं।

(छह) तमिलनाडु के अरानी में एक रेशम पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. कृष्णास्वामी (अरानी) : मैं तमिलनाडु के अरानी जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, में एक रेशम पार्क स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अरानी, कांचीपुरम की साड़ियों के पश्चात् रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अरानी और आस-पास के बुनकरों द्वारा बनाई गई रेशम और हथकरघा साड़ियों की भारी मांग है। इसके संबंध में, मैने माननीय वस्त्र मंत्री श्री दयानिधि मारन को एक अभ्यावेदन किया था और उन्होंने उस समय यह आश्वासन दिया था कि अरानी में एक रेशम पार्क स्थापित किया जाएगा। परिणामत: बैंगलोर से संबंधित अधिकारियों ने अरानी कस्बे का दौरा किया और भूमि का सर्वेक्षण किया। इसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। भारी मांग और स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए, मैने इस विषय को सभा में उठाया और माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री को भी लिखा था।

उन्होंने सभा में भी आश्वासन दिया और माननीय अध्यक्षा महोदया ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और इस समस्या के समाधान हेतु संबंधित मंत्री को कहा था।

अत:, मैं माननीय वस्त्र मंत्री से अरानी और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों के लाभ और साथ ही तमिलनाडु में रेशम उद्योग और इससे संबंधित श्रमिकों के संरक्षण के लिए अरानी में रेशम पार्क स्थापित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(सात) कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमलों के कारण हुई मौत/घायल होने से हुए नुकसान पर मुआवजा दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री आर.ध्रुवनारायण (चामराजनगर) : मैं वन्य जीवों द्वारा हमले के कारण फसलों की क्षति, पशुओं की मौतों, मनुष्यों को घायल करने, स्थायी विक्लांगता, जान माल की हानि के संबंध में दिए जाने वाले मुआवजे की दर में वृद्धि किए जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर में 1450 वर्ग कि.मी. और मैसूर जिले में 2791 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वन आच्छाणदित क्षेत्र है। मैसूर जिले का एच.डी. कोटे और नंजनगुड वन क्षेत्र और बी.आर.टी. बाघ परियोजना, बांदीपुर बाघ परियोजना, कावेरी वन्य जीव मंडल, कोलेगल और कोलेगल वन्य जीव मंडल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं।

उपर्युक्त घटनाओं के लिए निर्धारित मुआवजा काफी कम है और इससे किसानों को हुई क्षति की पूर्ति नहीं होती। उपर्युक्त दर जून 2009 के दौरान निर्धारित की गई थी और मुआवजे की वही दरें आज भी जारी हैं। उदाहरण के तौर पर पशुओं की मृत्यु होने पर 2500 रु. (न्यूनतम) और 3000 रु. (अधिकतम), घायल लोगों के लिए न्यूनतम 5000 रु. और अधिकतम 20,000 रु. और संपत्ति की क्षति के लिए अधिकतम 7000 रु. की दर से मुआवजा निर्धारित है। फसलों की क्षति के लिए निर्धारित प्रति कुन्तल दर: धान-660 रु., बाजरा/ ज्वार-620 रु., रागी 600 रु., धान 1550 रु., मूंगफली- 1550 रु. गन्ने के लिए 81 रु. और केले के प्रति पौधे के लिए 80 रु. निर्धारित है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से शीघ्रताशीघ्र उचित तरीका निकालकर मुआवजे की दर में वृद्धि करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील करता हूं।

(आठ) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अदा किए गए प्रीमियम के अनुरूप किसानों के फसल बीमा दावों का निपटान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): मेरे संसदीय क्षेत्र के चुरू जिले में मौसम आधारित फसल बीमा क्लेम को लेकर किसान काफी समय से धरने पर बैठे हैं, योजनानुसार ऋणी कृषकों से अनिवार्यत: बीमा प्रीमियम लिया जाता है तथा न्यून तापमान रहने पर बीमा क्लेम दिए जाने का प्रावधान है। मौसम विभाग द्वारा स्थापित मौसम संयंत्रों द्वारा बताए गए तापमान को आधार माना गया है, लेकिन मौसम संयंत्र के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करके बीमा कंपनियां किसानों की प्रीमियम राशि व क्लेम राशि डकारना चाहती है। रबी फसल 2012-13 को बोने के लिए किसानों ने बैंकों एवं सहकारी समितियों से ऋण लिया था, ऋण लेने पर बीमा करवाए जाने की अनिवार्यता के चलते किसानों द्वारा बैंक एवं सहकारी समिति दोनों को ही प्रीमियम अदा किया है, लेकिन किसानों को न तो बैंकों की ओर से मौसम आधारित क्लेम दिया गया तथा न ही सहकारी समितियों की ओर से बीमा क्लेम दिया गया। मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थापित मौसम तापमापी संयंत्रों द्वारा निर्धारित मानकों से काफी पारा नीचे जाना बताया है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग के अभाव में मौसम विभाग द्वारा वास्तविकता से परे आंकड़े तैयार कर किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। रबी फसल 2012-13 की बुवाई के लिए किसानों ने बैंक/जी.एस.एस. से कर्जा लिया, कर्ज लेने पर बीमा प्रीमियम अनिवार्य होने के कारण दोहरा प्रीमियम काट लिया गया, अब उन किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा बीमा कंपनियों को बीमा के लिए प्रीमियम दिया गया। उन्हें प्रीमियम के अनुसार क्लेम का भुगतान नहीं कर गिरदावरी बुआई क्षेत्र को आधार मानकर क्लेम दिया जा रहा है, जो किसानों के साथ अन्याय है। किसानों की काफी भूमि में तो बुआई के बाद बीज अंकुरित ही नहीं हुआ, काफी अंकुरित बीज बाद में खराब हो गया, जिसकी गिरदावरी नहीं हो सकी। दूसरे स्थापित संयंत्रों की रिपोर्ट 15 दिन बाद सार्वजनिक की जानी चाहिए, इसे भी नहीं किया गया। फसल बीमा किसान का हक है। किसानों को उनके द्वारा दिए गए प्रीमियम के अनुसार समुचित फसल बीमा का क्लेम दिया जाए। राजस्थान सरकार ने भी किसानों को उनके द्वारा दिए गए प्रीमियम के अनुसार बीमा क्लेम दिए जाने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजें हैं। मेरी सरकार से मांग है कि किसानों की इस वाजिब समस्या का समाधान कर उनके द्वारा दिए गए प्रीमियम को आधार मानकर बीमा क्लेम का भुगतान किया जाए।

(नौ) असम के मंगलदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): असम में जल संसाधन का कुशल प्रबंधन नहीं हो रहा है। इसलिए असम में एक और बाढ़ और भूमि अवरदन हो रहा है और दूसरी और असम के अनेक भागों में सूखा है। विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंगलदोई के उदलगिरि, दरंग और नलबाड़ी जिलों और उत्तरी कामरूप के भाग सूखाग्रस्त हैं। कुछ महीनों से वहां बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है। किसान कठिनाई का सामना कर रहे हैं और वे 'सली धान' की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग किसान हैं और उनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है।

इस क्षेत्र के किसानों को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है। इसके मद्देनजर मैं केन्द्र सरकार से राहत और खेती के लिए सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को राजी करने का अनुरोध करूंगा।

मैं केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने और समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(दस) प्राचीन भारतीय धार्मिक-ग्रन्थ वेदों को राष्ट्रीय ग्रन्थ घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मैं संस्कृति मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आदिकाल से हमारा भारत आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व में अग्रणी रहा है। हमारा ज्ञान वेदों पर ही आधारित है। वेद हमारी संस्कृति में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वेद मनुष्य के चक्षु हैं। वेदरूपी चक्षु को ग्रहण करके ही व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र के उचित कार्य, व्यवहार संपन्न हो सकते हैं। वेद के ग्रंथ सभी के लिए अपेक्षित हैं। वेद ज्ञान सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सर्वजनीन सृष्टि की आदि में परमात्मा प्रदत्त ज्ञान है। ज्ञान, कर्म, उपासना और जीवन धर्म की व्यवहारिकता से परिपूर्ण वेदवाणी का ही प्रभाव था कि भारत लाखों वर्ष पूर्व ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से आज भी कहीं उन्नत और विकसित था। वेद की विस्मृति सत्य और ज्ञान की उपेक्षा है। लाखों करोड़ों लोगों के उत्थान, पतन, पराधीनता और अंधकार के बाद आज इतने वर्षों के बाद भी वेदों का अस्तित्व बना हुआ है। उस पर दुनियाभर में गहन चिंतन हो रहा है। विश्व शांति के लिए वेदों को कारगर माना जाने लगा है। महोदय, इससे यह सिद्ध होता है कि भारत के ऋषि मुनियों के योग द्वारा गहन चिंतन के पश्चात् जो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान हमें वेदों के द्वारा प्राप्त हुआ है वह आज भी इतने वर्षों के उतार-चढ़ाव के बाद भी वैसा ही है जैसा पहले था। वेद केवल हिन्दुओं का ही धर्मग्रन्थ नहीं है। वेद विश्व के प्रत्येक मानव के चहुंमुखी विकास की बातें करता है, लेकिन दु:ख इस बात का है कि भारत की संसद अभी भी वेदों को नहीं समझ पाई है। वे केवल वेदों को हिन्दुओं का ही धर्मग्रन्थ मान रहे हैं जबकि वह विश्व के समस्त मनुष्यों की सभ्यता का प्रथम ज्ञान ग्रन्थ है। वेद में न केवल धर्मशास्त्र वरन नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित, ज्योतिष विज्ञान, पदार्थ विद्या, ब्रह्म विद्या, अपरा विद्या, परा विद्या आदि ज्ञान-विज्ञान की अनेक-अनेक शाखाओं का ज्ञान बीज रूप में विद्यमान है। अत: मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इस बहुमूल्य धरोहर को विश्व ग्रन्थ के रूप में मानते हुए लोक सभा में वेदों की स्थापना कर वेदों को राष्ट्रीय ग्रन्थ घोषित करें।

(ग्यारह) गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को मामूली शुल्क पर रेलवे लाइन के नीचे पानी की पाइप लाइन बिछाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): हमारे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में उदयपुर से अहमदाबाद वाया हिम्मत नगर एम.जी. रेल लाईन बिछाई गई है जिसमें हिम्मत नगर और उदयपुर के बीच वाली लाइन अजमेर डिवीजन में आती है। उस लाइन में हिम्मत नगर तहसील का एक छोटा सा सूरजपुरा नामक गांव है। इस गांव के किसानों ने अपने खेतों की सिंचाई "4" डायामीटर की पाइपलाईन रेलवे ट्रैक के नीचे से ले जाने की इजाजत रेल विभाग से मांगी है। इस मांग के प्रत्युत्तर में रेल विभाग ने प्रत्येक किसान से डेढ़ से दो लाख रुपये परमीशन चार्ज मांगा है और लाखों रुपये जमा करवाने का एस्टीमेंट दिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन किसानों ने अपनी सोने के टुकड़े जैसी जमीन मुफ्त के भाव रेल तंत्र को दी है तथा रेल लाईन गुजरने से खेतों के दो टुकड़े हो गए हैं उन्हीं खेतों में सिंचाई हेतु सिर्फ "4" डायामीटर की पाइपलाईन रेल ट्रैक के नीचे से ले जाने के लिए लाखों रुपये रेल विभाग को देने पड़े, यह कैसी विडंबना है।

इससे बेहतर है कि किसानों से मुफ्त भाव ली गई जमीन उन्हें वापस दी जाए। एक ओर सरकार कृषि को अपनी प्राथमिकताओं में बताती है और किसानों के लिए लुभावनी रियायतों की घोषणा करती है और दूसरी ओर परमीशन चार्ज के नाम पर लाखों रुपये किसानों से बटोरती है।

मैं इस संबंध में सरकार से मांग करता हूं कि कृषि की सिंचाई हेतु अगर कोई किसान रेल ट्रैक के नीचे से पाइपलाईन ले जाना चाहता है तो उससे मामूली चार्ज वसूल करके परमीशन दी जाए।

(बारह) राज्यों द्वारा भर्ती किए जाने वाले अध्यापकों के संबंध में अध्यापक पात्रता परीक्षा संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) लागू करते समय क्या मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह निर्देशित किया कि यदि पूर्व में भी किसी राज्य ने टीचर की भर्ती करते समय एक या दो पात्रता की परीक्षा ली है तो भी शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद टीचर ईलेजिब्लिटी टेस्ट लेना ही होगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बी.एड. से पहले पी.टी.ई.टी. परीक्षा फिर बी.एड. परीक्षा फिर उन राज्यों की लोक सेवा आयोग के द्वारा भी परीक्षा ली जाती है, ऐसे में क्या टैट की परीक्षा का निर्देश क्या मानव संसाधन मंत्रालय ने जारी किया है कि राज्य चाहे अध्यापक की भर्ती के लिए कैसी भी परीक्षा लें, लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत टैट की परीक्षा आवश्यक रूप से ली जाएगी। राज्यों में एक से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई दो स्तरों पर की जाती है। एक स्तर पर वो स्कूल आते हैं जो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल होते हैं, इन स्कूलों में टैट आवश्यक किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरे स्तर में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल होते हैं उसमें भी कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई करवाई जाती है यहां भी थर्ड ग्रेड के टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन यहां टैट आवश्यक नहीं की गई है, तो क्या मंत्रालय का ऐसी विसंगति की ओर भी कभी ध्यान गया है और यदि गया है तो मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ-साथ प्राईवेट स्कूलों में भी छात्रों की संख्या दो गुनी, तीन गुनी या कहीं कहीं चार गुनी है। प्राईवेट स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों पर टैट किस तरह से लागू होगा यह समझ से परे है। आर.टी.ई. के नियम 23 (2) यद्यपि टैट में पांच साल तक की छूट के लिए प्रावधान किया हुआ है फिर भी केन्द्र सरकार के स्तर पर कितने राज्यों को छूट दी गई है इसकी जानकारी अभी तक नेट पर उपलब्ध नहीं है। टैट की परीक्षा का प्रावधान विसंगतियों से भरा हुआ है तथा राज्य सरकारें असमंजस की स्थिति में अध्यापकों की भर्ती नहीं कर पा रही हैं। अत: ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग करता हूं कि जिन राज्यों में अध्यापकों की परीक्षा लेने की प्रक्रिया पहले से ही मौजूद है ऐसे में टैट की अनिवार्यता लागू करने के बारे में मंत्रालय टैट के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की व्यवस्था करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सुचारू यातायात प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए गंगा और यमुना नदियों के साथ-साथ एक रिंग रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर): इलाहाबाद शहर में प्रतिवर्ष माघ मेला व प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्द्धकुम्भ मेला एवं प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुम्भ मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें देश विदेश से करोड़ों लोग पुण्य लाभ के साथ-साथ भारतीय अध्यात्म व दर्शन तथा संस्कृति की झलक देखने इलाहाबाद आते हैं। इलाहाबाद शहर तीन ओर से गंगा व यमुना नदी से घिरा है जिसके कारण क्षेत्रफल कम व जनघनत्व अत्यधिक है। कुम्भ मेला के अवसर पर जनघनत्व अत्यधिक होने के कारण सुचारू परिवहन व्यवस्था की समस्या पूरे शहर में रहती है। इलाहाबाद शहर में नदी के किनारे-किनारे रिंग रोड बनाकर शहरवासियों एवं आने जाने वाले लोगों को सुचारू परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है।

सरकार से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद शहर में गंगा एवं यमुना नदी के किनारे-किनारे रिंग रोड निर्मित कराये जिससे इलाहाबाद शहर के लोगों को सुचारू परिवहन व्यवस्था का लाभ मिल सके।

(चौदह) तमिलनाडु के मोरापुर और बोमिडी स्टेशनों पर चेन्नई-पलानी एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): मैं माननीय रेल मंत्रीजी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 के रेल बजट में कई नई रेलगाड़ियों की घोषणा की गई और उनमें से बरास्ते जोलरपेट्टर, सेलम, कारू और नामक्कल में चेन्नै-पलानी एक्सप्रेस (दैनिक) एक रेलगाड़ी थी।

चेन्नै से पलानी हेतु इस रेलगाड़ी की घोषणा का एक कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों और अन्य राज्यों से पलानी हेतु भारी संख्या में यात्रियों की आवाजाही हो सकती है।

पलानी हेतु धर्मापुरी, कृष्णागिरी और तिरूवनामलाई जिलों से तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ है। अत: प्रस्तावित रेलगाड़ी का ठहराव मोरापुर और बोमिडी स्टेशनों पर प्रदान किए जाने से इन तीनों जिलों के तीर्थयात्रियों के लिए बेहद लाभप्रद रहेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं माननीय रेल मंत्रीजी से मोरापुर और बोमिडी स्टेशनों पर चैन्नै-पलानी रेलगाड़ी का ठहराव प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(पंद्रह) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के न्यायधीशों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायलय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री का ध्यान उच्च और उच्चतम न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की नगण्य नियुक्ति के बारे में आकृष्ट करना चाहता हूं।

भारी संख्या में अपेक्षित उच्च योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी अधिवक्ताओं के बावजूद देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम हैं। उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या लगभग 850 है। उनमें से केवल 25 न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं जो मुश्किल से लगभग 3 प्रतिशत है। उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या लगभग 0% है। उपरोक्त आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि देश में हाशिए पर चले गए उपरोक्त समुदाय के विरूद्ध सामाजिक अन्याय हों रहा है। केन्द्र सरकार ने उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु कुछ भी नहीं किया है। जब तक उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है तब तक डा. भीमराव अंबेडकर का सपना भारत के संविधान के प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक न्याय का सिद्धांत करना संभव नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में उपयुक्त विधान अधिनियमित कर अथवा प्रशासनिक आदेश जारी कर देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यूनतम 126 न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय में कम से कम 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की नियुक्ति करें।

(सोलह) कटक में मधुपटना पुलिस स्टेशन के नज़दीक फ्लाईओवर के निर्माण पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 ओडिशा के कटक नगर से गुजरता है और यह चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। यह पूर्वी तट में उत्तर और दक्षिण के बीच प्रमुख रास्ता है। चूंकि यातायात वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है तथा सड़क पर निर्भरता बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके परिणामस्वरूप सड़क पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अक्सर होता है कटक शहर में स्थानीय यातायात कई गुणा बढ़ा है और इसलिए कटक नगर के चौराहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर उपरि पुल का निर्माण करने की अविलंबनीय तत्काल आवश्यकता है।

अब भुवनेश्वर और कटक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को छह लेन में परिवर्तित किया जा रहा है और कतिपय स्थानों पर उपरि पुल का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन मधुपटना पुलिस थाने के निकट बनाए जाने वाले उपरि पुल पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे अधिक फायदा नहीं होगा क्योंकि उपरि पुल में कटक-पारादीप रेल लाइन शामिल नहीं है जो राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से गुजरती है। यदि मधुपटना थाने के निकट विवादित उपरि पुल के निर्माण की अनुमति दी जाती है तो यह कटक शहर आने जाने वाला यातायात और अवरुद्ध हो जाएगा और स्थायी रूप से यातायात संकट उत्पन्न हो जाएगा।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस मामले में अविलंब हस्तक्षेप करे और सुचारू यातायात प्रवाह के लिए मधुपटना पुलिस थाने के निकट फ्लाईओवर का विस्तार करने पर पुनर्विचार करें।

(सत्रह) ओडिशा के कटक सर्किल में बी.एस.एन.एल. द्वारा काम पर लगाए गए ठेका मजदूरों को एक महीने में उन्हें काम पर लगाए गए दिनों की संख्या के अनुपात में दिहाड़ी दिए जाने और उनके कार्य अनुभव तथा निष्पादन के अनुसार उनका वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री विभू प्रसाई तराई (जगतसिंहपुर): मैं यह बताना चाहता हूं कि ओडिशा में भुवनेश्वर में सी.जी.एस.टी. के अंतर्गत बी.एस.एन.एल. के कटक परिमंडल के अंतर्गत 400 ठेके और नैमितिक श्रमिकों को तकनीकी और गैर-तकनीकी श्रेणियों में विभिन्न उप प्रमाणों के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। यह बताया गया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. के दूरसंचार परिमंडलों में संलग्न ठेके और नैमितिक श्रमिक एक माह में 26 दिन कार्य करते हैं और उन्हें कुल 26 दिनों के लिए भुगतान किया जाता है जबकि ओडिशा में बी.एस.एन.एल. के कटक परिमंडल के ठेके और नैमितिक श्रमिक एक महीने में 26 दिनों के लिए कार्य करते हैं और उन्हें 18 या 20 दिनों का परिश्रमिक मिलता है। यह प्रवृत्ति बी.एस.एन.एल. के कटक परिमंडल में संलग्न नैमितिक और ठेके श्रमिकों का शोषण और श्रम कानूनों का उल्लंघन को दर्शाता है।

यह देखा गया है कि आजकल अधिकांश ठेके कामगार गरीब परन्तु शिक्षित कामगार है और वे बी.एस.एन.एल. के अर्ध-कुशल

स्थायी और अधिक कुशल कामगारों के समान ही कार्य कर रहे हैं और उन्हें परिश्रमिक के रूप में अकुशल कामगारों को मिलने वाली तुच्छ धनराशि मिलती है। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि बी.एस.एन.एल. प्रबंधन ने वर्ष 2010 में अपने ठेके कामगारों को कार्य निष्पादन के आधार पर न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए आदेश जारी किया था जिसका अभी तक ओडिशा में बी.एस.एन.एल. के कटक परिमंडल के प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पालन नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर मैं सुझाव देना चाहता हूं कि समान कार्य हेतु समान वेतन की संकल्पना को अपनाते हुए कटक परिमंडल में बी.एस.एन.एल.के ठेके कामगारों को विभिन्न कार्य बलों जैसे अधिक कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में उनके संबद्ध ढांचे के अनुसार परिश्रम किया जाये। ठेका कामगार हैं जो बी.एस.एन.एल. में 18 या 20 वर्ष से नियोजित हैं और नियमित किए जाने के सभी मानदंड पूरा करते हैं, प्रबंधन प्राधिकरण को बिना किसी विलंब के उन पर ध्यान देना चाहिए।

इस संबंध में, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि ओडिशा में बी.एस.एन.एल. के कटक परिमंडल के ठेका मजदूरों को उन सभी 26 दिनों का भुगतान किया जाए जो एक माह में उन्होंने काम किया था और उनके काम के अनुभव और कार्या-निष्पादन के अनुसार ठेका मजदूरों को श्रेणीबद्ध करने की कार्रवाई शुरू की जाए।

(अठारह) पश्चिमी घाट क्षेत्र की जैव विविधता को प्रदूषित करने वाले बाक्साइट उत्खनन और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): महाराष्ट्र का सहयाद्री पर्वत 'वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स' में सम्मिलित है और उसी पश्चिमी घाट में आज हो रहे पर्यावरण के विनाश पर हमने तुरंत रोक नहीं लगायी तो इसका सबसे ज्यादा असर पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सांगली और कोंकण के सिंदुदुर्ग, रत्नगिरी, रायकढ़, ढाणे आदि जिलों पर हो सकता है। समूचे भारत में हिमालय और पश्चिमी घाट पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सेंसेटिव प्रदेश है। हिमालय ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है।

पश्चिमी घाट में चल रहे प्रदूषण कारक प्रोजेक्ट के साथ-साथ सबसे ज्यादा गैर-कानूनन बॉकसाइट का उत्खनन हो रहा है। बॉक्साइट निकालने का जो कानूनन परमिट लिया जाता है, उससे कई गुणा ज्यादा उत्खनन हो रहा है। मायनिंग लॉबी ने सरकार के सभी नार्म ठुकरा दिये हैं। जिलाधिकारी, कोल्हापुर की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित हुई है और इस समिति ने भी इस बारे में अपना विरोध जताया है। मैं भी खुद राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से इस बारे में बार-बार शिकायत कर चुका हूं, लेकिन दोनों सरकारें इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। इससे पेड़ों की बेशुमार कटाई हो रही है। इस प्रदेश में भारी उद्योग और बड़े-बड़े वाहनों की वजह से यहां की भूमि फटने और बड़ी-बड़ी दरारें पड़ने की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं। दो साल पहले कोंकण रेल के ऊपर इसी इलाके में लैंड स्लायडिंग की वजह से बड़ी दुर्घटना हुई थी। यह हम भूल नहीं सकते। बढ़ता प्रदूषण, सीमेंट कांक्रिटीकरण का वन्य प्राणियों पर भी बुरा असर हो रहा है। ये सब चीजे रोकने की नितांत आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले समय में यह प्रदेश भी प्राकृतिक आपदा से नहीं बच पायेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन:समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.03 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोकसभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011...वापस लिया गया

[अनुवाद]

अध्यक्षा महोदया: मद संख्या-26 क, प्रो. के.वी. थॉमस

...(व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो.के.वी. थॉमस): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों

[प्रो.के.वी. थॉमस]

पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*...

अपराह्न 3.01 बजे

इस समय श्री के.नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: यह विधेयक वापस लेने के संबंध में है। वह विधेयक पुर:स्थापित नहीं कर रहे हैं। वह विधेयक वापस ले रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. के.वी. थॉमस: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.02 बजे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013*-पुर:स्थापित

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या-26 (ख) प्रो. के.वी. थॉमस।

...(व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो.के.वी. थॉमस): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

डा. एम. तम्बिदुरई जी बोलेंगे।

डा. एम. तम्बिदुरई (करूर): महोदया, अपनी पार्टी अन्नाद्रमुक की ओर से, मैं पुर:स्थापन के स्तर पर ही इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)* अन्नाद्रमुक पार्टी इस खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 के वर्तमान स्वरूप का विरोध करती है क्योंकि यह हमारे संविधान में वर्णित संघीय ढांचे के विरूद्ध है...*(व्यवधान)*। यह संविधान के सिद्धांतों के विरूद्ध है। साथ ही, यह राज्य सरकारों के कार्यकरण में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस अधिकार को उनसे ले लेना संघीय सिद्धांतों के विरूद्ध है। अत: मैं इस स्तर पर इसका विरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

केन्द्र सरकार ने इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश-2013 को एकतरफा और जल्दबाजी में प्रख्यापित किया है। यद्यपि विधेयक में सभी के लिए भोजन की सुरक्षा का दावा किया गया है किन्तु दुर्भाग्य से इस दावे के विपरीत इस विधेयक में अनेक खामियां हैं इनसे गंभीर शंकाएं उत्पन्न हुई हैं और वास्तव में तमिलनाडु जैसे राज्य के लिए खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हो गई है।...*(व्यवधान)*

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में, हम सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहे हैं और जब यह विधेयक प्रभावी होगा तो यह हमारे तमिलनाडु राज्य को प्रभावित करेगा। हमने अनुरोध किया है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक के संगत खंड में तमिलनाडु के लिए खाद्यान्न आवंटन के वर्तमान स्तर की सुरक्षा हेतु एक परन्तुक अंतर्विष्ट किया जाए। तथापि, ऐसा परन्तुक नहीं जोड़ा गया है।...*(व्यवधान)*

महोदया, विधेयक की धारा 3 (2) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 में दिनांक 07.08.2013 में प्रकाशित।

50 प्रतिशत भाग को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के वितरण हेतु पात्र परिवार के रूप में शामिल किया जाएगा। यह पूर्णत: मनमाना है। उन्होंने किस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत के आंकड़े निर्धारित किए? यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अत: हम इसका विरोध करते हैं।...*(व्यवधान)*

दूसरे, इसके परिणामस्वरूप, तमिलनाडु के मासिक खाद्यान्न आवंटन में वर्तमान 2.96 लाख के वर्तमान स्तर से लगभग एक लाख टन की कमी आएगी। पहले ही तमिलनाडु राज्य सरकार सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राजसहायता के रूप में 5000 करोड़ रुपए दे रही है। इस विधेयक के कारण राज्य को 3000 करोड़ रुपये और खर्च करने पडेंगे। इसके लिए हमें संरक्षण चाहिए।

यह भी कहा गया है कि इस विधेयक से केवल तीन वर्ष की अवधि हेतु राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का सीमित आवंटन सुनिश्चित होगा। तीन वर्ष के बाद क्या होगा? राज्य सरकारें इसे किस प्रकार कार्यान्वित करेंगी? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज सहायता देगी? उन्होंने इसकी गारंटी नहीं दी है।

विधेयक की धारा 8 में यह अपेक्षा की गई है कि खाद्यान्न आपूर्ति न होने की स्थिति में राज्य सरकारें खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान करेगी। यह उपबंध पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के मूल प्रश्न का उत्तर नहीं है। यदि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होंगे तो उस समय राज्य सरकारें क्या करेंगी? वे कैसे दे सकती हैं?

इसलिए, यह विधेयक 'खाद्य सुरक्षा विधेयक' नहीं बल्कि वास्तव में 'खाद्य असुरक्षा विधेयक' है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

साथ ही, देश के लिए खाद्य सुरक्षा के स्वरूप पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है और वर्तमान विधेयक के स्थान पर ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिए जो कि हमारे सरोकारों को पर्याप्त रूप से इंगित करता हो। भारत सरकार तमिलनाडु जैसे राज्यों की खाद्य सुरक्षा के संरक्षण के लिए कर्त्तव्यबद्ध है। अत: राज्य सरकारों के साथ विस्तारपूर्वक परामर्श करने के बाद ही इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त तमिलनाडु राज्य सरकार राज सहायता के रूप में 5000 करोड़ रुपये दे रही है, जिसमें सभी को चावल का वितरण सम्मिलित है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चावल और गेंहू जैसे खाद्यान्न गोदामों में पड़े सड़ रहे हैं और उन्हें चूहे खा रहे हैं। अत: जो कुछ उच्च न्यायालय ने कहा है उसके आधार पर उन्हें लोगों को खाद्यान्न निशुल्क वितरित करने होंगे। वे पैसा क्यों वसूल रहे हैं? अत: हम यह कर रहे हैं कि सरकार को सभी को खाद्यान्न-गेंहू और चावल निशुल्क देने चाहिए। हम यह भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक को अभी पुर:स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करना होगा। अत:, हमने इस मुद्दे को उठाया है। पहले इस पर विचार करना होगा और केवल तभी इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जाना चाहिए। अत: मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

श्री टी.आर. बालू (श्री पेरुम्बुदूर): माननीय प्रो. के.वी. थॉमस द्वारा अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को पुर:स्थापित किया गया था। इसमें कई मुद्दों का निपटारा किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में द्रमुक पार्टी धारा 3 (2) 9 और 10 में संशोधन प्रस्तुत करेगी। प्रस्तावित विधेयक से किसी विशेष राज्य द्वारा उठाए जाने वाले खाद्यान्न में कमी नहीं होनी चाहिए। राज्यों की शक्तियों का माखौल नहीं उड़ाया जाना चाहिए और उन्हें घटाकर नगरपालिकाओं की शक्तियों जैसा नहीं बनाना चाहिए।

यह विशेष विधेयक जिस पर यहां चर्चा होने वाली है उसका राज्यों के हितों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अत: हम विधेयक की धारा 3 (2), 9 और 6 में संशोधन देने जा रहे हैं।

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, यह विधेयक राज्यों के अधिकारों का अतिबंधन नहीं करता है। यह संविधान की रक्षा करता है।

महोदया, चर्चा शुरू करते समय, जिन सभी मुद्दों को अब उठाया गया है अब यहां उन पर चर्चा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हमने इस विधेयक को स्थायी समिति को भेज दिया है और हमने स्वाती समिति के अधिकांश प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। अत: संघीय व्यवस्था के विरुद्ध कुछ नहीं है। इससे जनता को खाद्य अधिकार मिलेगा। विश्व में पहली बार खाद्य अधिकार दिया गया है। इस विधेयक पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इसे पारित किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है: जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[श्री के.पी. धनपालन]

प्रो. के.वी. थॉमस: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.00 बजे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के बारे में वक्तव्य*

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या क 7) के प्रख्यपन द्वारा तत्काल विधान किए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदया: प्रतिपक्ष की नेता बोलना चाहती है। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए क्योंकि हमें अगली मद पर चर्चा करनी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, अभी-अभी खाद्य सुरक्षा विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है। लेकिन मैं खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ सीमा सुरक्षा की बात कर रही हूं। फूड सिक्युरिटी जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी बॉर्डर सिक्युरिटी है। फूड सिक्युरिटी बिल हमने अभी प्रस्तुत किया है वह पारित भी होगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आज प्रात:काल आपकी अनुमति से मैने इस विषय को इस सदन में उठाया था कि भारत के रक्षा मंत्री ने कल पाकिस्तानी सेना को भारतीय जवानों की हत्या के आरोप से दोषमुक्त करने का बयान दिया था। जबकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से बाकायदा तौर पर एक टिप्पणी लिखित में देकर पाक सोल्जर्स, पाक सैनिकों को इसके लिए अपराधी ठहराया गया और यह भी कहा गया कि पाक आर्मी इसके लिए दोषी है। लेकिन वह लाइन रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में से काट दी और पाक सोल्जर्स की जगह कहा कि कुछ लोग जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने हुए थे, वे आये। इससे बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और यह बहुत गंभीर विषय बन गया है। संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से यह बात हुई थी कि रक्षा मंत्री सदन में आएं और स्थिति को स्पष्ट करें...*(व्यवधान)* हमने यह कहा था कि वह सत्य को स्वीकार करें और माफी मांगे। पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश में हम यह नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तानी सेना को बरी कर दें। पाकिस्तान कभी हमारे जवान का सिर काटकर ले जाता है, कभी पांच लोगों को मारकर चला जाता है और भारत के रक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर बयान देते हैं कि पाकिस्तानी सेना इसके लिए दोषी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप निर्देश दें कि रक्षामंत्री यहां आएं और स्थिति को स्पष्ट करें।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैडम, रक्षा मंत्री जी ने आज राज्य सभा में बयान दिया है कि उनके पास जो जानकारी उस समय थी, जब उन्होंने राज्य सभा में कल साढ़े तीन बजे बयान दिया था, वह उसके अनुसार दिया है। आज आर्मी चीफ जम्मू गये हैं और जब वह लौटेंगे तो वह आर्मी चीफ की पूरी रिपोर्ट सुनेंगे और देखेंगे तथा उसके बाद अगर कोई आवश्यकता हुई तो वह हाउस में आकर अपना कोई बयान देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा मद सं. 28 पर चर्चा करेगी। श्री वीरेन्द्र कश्यप बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, यह आपके अधिकार का मामला बन गया है, राज्य सभा में उन्होंने क्या कहा, यह यहां कैसे कह सकते हैं। जो बयान उन्होंने लोकसभा में दिया, मैं उसकी बात कर रही हूं। वह आकर लोकसभा में कहें, आप राज्य सभा के बयान की प्रतिक्रिया यहां कैसे कह सकते हैं, ये दोनों अलग सदन हैं।...*(व्यवधान)*...

श्री कमल नाथ: क्योंकि आज रक्षा मंत्री नहीं हैं, मैं इनको जानकारी दे रहा था कि उनका ऐसा बयान हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हम मद सं. 28 जारी रखते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप उन्हें कहिए कि वह लोकसभा में आकर बोलें। अध्यक्ष जी, आप उन्हें लोक सभा में बुलाइये। राज्य

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 9290/15/13

सभा में उन्होंने क्या कहा, यह हम थोड़े ही सुनेंगे।...*(व्यवधान)* वह लोकसभा में आएं।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, उन्होंने कह दिया। हम मद सं. 28 जारी रखते हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : मैडम, उन्होंने राज्य सभा में क्या कहा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हम मद सं. 28 श्री वीरेन्द्र कश्यप पर आगे बात करते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उन्होंने राज्य सभा में क्या कहा, यह हम नहीं सुनेंगे।...*(व्यवधान)* आप उन्हें लोक सभा में बुलाइये।

डॉ. संजय जायसवाल : मैडम, उन्होंने क्या कहा, ठीक-ठीक बतायें?

अध्यक्ष महोदया: उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री आयेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रक्षा मंत्री आ जायेंगे। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री आयेंगे।

...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : मैडम, ठीक से बतायें कि वहां पाकिस्तान आर्मी थी या नहीं थी?...*(व्यवधान)* उसमें पाकिस्तान आर्मी इनवोल्व थी या नहीं थी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

डा. संजय जायसवाल: पहले यह बतायें कि पाकिस्तानी आर्मी थी या नहीं थी?...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.14 बजे

संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012-जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हम मद संख्या 28 पर चर्चा जारी रखते हैं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदया, मैं बोलना चाहता हूं परन्तु पहले सभा में व्यवस्था तो हो...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: वे कह रहे हैं कि उनको बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ये क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: वीरेंद्र जी, आपको बोलना है न, बोलिए।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र कश्यप: महोदया, सभा में व्यवस्था लायी जाए, तब मैं बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे 8 अगस्त, 2013 को समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 अगस्त 2013/17 श्रावण, 1935 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण श्री पी. कुमार	41
2.	श्रीमती पुतुल कुमारी श्री गजानन ध. बाबर	42
3.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर श्रीमती भावना पाटील गवली	43
4.	श्री निशिकांत दुबे श्रीमती ऊषा वर्मा	44
5.	श्री प्रहलाद जोशी	45
6.	डा. रत्ना डे	46
7.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	47
8.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह श्री ए.टी. नाना पाटील	48
9.	श्री संजय धोत्रे श्री भर्तृहरि महताब	49
10.	श्री पोन्नम प्रभाकर	50
11.	श्री एन.एस.वी. चित्तन श्री रघुवीर सिंह मीणा	51
12.	श्री कीर्ति आजाद श्रीमती सुप्रिया सुले	52
13.	श्री पी.सी. मोहन श्री मधु गौड यास्खी	53
14.	श्रीमती अन्नू टंडन डा. भोला सिंह	54
15.	श्री हरिन पाठक	55
16.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय श्री नरहरि महतो	56
17.	श्री राम सिंह कस्वां श्रीमती अश्वमेध देवी	57
18.	श्री एल. राजगोपाल श्री आर. थामराईसेलवन	58
19.	प्रो. सौगत राय	59
20.	श्रीमती सुमित्रा महाजन श्रीमती ज्योति धुर्वे	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साईं प्रताप	527, 583
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	579, 637, 671
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	470, 554, 596, 597, 651
4.	श्री आनंदराव अडसुल	470, 554, 96
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	493, 676
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	513, 557, 588, 677, 680
7.	श्री बदरुद्दीन अजमल	481, 532, 588
8.	श्री अनंत कुमार	573, 671
9.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	516, 536, 556
10.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	574, 689

1	2	3
11.	श्री कीर्ति आजाद	628, 633
12.	श्री गजानन ध. बाबर	470, 554, 596, 651
13.	श्री कामेश्वर बैठा	520, 671
14.	डा. बलीराम	529
15.	श्री पवन कुमार बंसल	506, 684
16.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	501, 512, 520, 538, 587
17.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	557, 635
18.	श्री अवतार सिंह भडाना	463
19.	श्री ताराचन्द भगोरा	540, 565, 682
20.	श्री संजय भोई	548
21.	श्री समीर भुजबल	514, 588, 671, 683
22.	श्री पी.के. बिजू	546, 576, 591, 598, 686
23.	श्री कुलदीप बिश्नोई	495, 528, 617
24.	श्री हेमानंद बिसवाल	501, 582, 588
25.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	591, 593
26.	श्री सी. शिवासामी	536, 588, 637
27.	श्री हरीश चौधरी	546
28.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	512, 520
29.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	557, 571, 588, 635, 687
30.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	605
31.	श्री भूदेव चौधरी	516, 542
32.	श्री निखिल कुमार चौधरी	512, 528, 538, 586, 628

1	2	3
33.	श्रीमती श्रुति चौधरी	498, 501, 618, 657
34.	श्री बंस गोपाल चौधरी	518, 592
35.	श्री राम सुन्दर दास	519, 594, 639
36.	श्री गुरुदास दासगुप्त	589, 642, 648
37.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	564
38.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	469, 544
39.	श्री के.डी. देशमुख	464
40.	श्रीमती अश्वमेध देवी	542, 681
41.	श्रीमती रमा देवी	541, 546
42.	श्री के.पी. धनपालन	504, 557, 637, 672
43.	श्री आर. ध्रुवनारायण	509, 623, 629
44.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	610, 624
45.	श्री निशिकांत दुबे	588, 630
46.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	629
47.	श्रीमती प्रिया दत्त	471, 557
48.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	548, 654
49.	श्रीमती मेनका गांधी	525
50.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	501, 588, 605, 673
51.	श्री ए. गणेशमूर्ति	654
52.	श्री एल. राजगोपाल	587, 636
53.	श्री शिवराम गौडा	474, 637, 686
54.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	547, 572, 577, 641, 650
55.	शेख. सैदुल हक	518, 592
56.	श्री महेश्वर हजारी	601, 637
57.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	501, 562, 657
58.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	477, 485, 603, 664

1	2	3
59.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	530, 537
60.	श्री बलीराम जाधव	522, 642
61.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	521, 530, 595, 644, 649
62.	श्री बद्रीराम जाखड़	510, 555, 625, 666
63.	श्रीमती दर्शना जरदोश	637
64.	श्री हरिभाऊ जावले	660
65.	श्री नवीन जिन्दल	489, 557, 558
66.	डा. मुरली मनोहर जोशी	516, 555, 563, 632
67.	श्री प्रहलाद जोशी	622
68.	श्री पी. कुरुणाकरन	500, 527, 555, 657
69.	श्री कपिल मुनि करवारिया	519, 594, 639
70.	श्री राम सिंह कस्वां	631, 671
71.	श्री नलिन कुमार कटील	497, 591, 641, 657
72.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	660
73.	श्री चंद्रकांत खेरे	523, 640, 644
74.	डा. किरोड़ी लाल मीणा	508, 575, 590, 656
75.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	515, 640, 660, 678
76.	श्री विश्व मोहन कुमार	532, 652
77.	श्री पी. कुमार	616
78.	श्रीमती पुतुल कुमारी	501, 538, 586, 628
79.	श्री यशवंत लागुरी	475, 666
80.	श्री पी. लिंगम	587
81.	श्री एम. कृष्णास्वामी	507, 623
82.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	494, 532, 546
83.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	590, 626
84.	श्री नरहरि महतो	588, 607
85.	प्रदीप माझी	517, 559, 638, 657
86.	श्री जोस के. मणि	583, 590, 657
87.	श्री दत्ता मेघे	598, 648
88.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	534, 540, 570, 654
89.	डा. थेकचाम मेन्या	581, 686
90.	श्री सोमन मित्रा	540, 543
91.	श्री पी.सी. मोहन	593, 637
92.	श्री गोपीनाथ मुंडे	555, 591, 628, 671, 672
93.	श्री विलास मुत्तेमवार	554, 670
94.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	520, 563, 640
95.	डा. संजीव गणेश नाईक	549, 588, 591, 593, 665
96.	श्री नामा नागेश्वर राव	532, 535, 598, 655
97.	श्री नरेनभाई काछादिया	578, 610, 624, 628, 673
98.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	466, 602, 637, 682
99.	श्री पी.आर. नटराजन	462, 566, 592, 643, 656

1	2	3
100.	श्री वैजयंत पांडा	657
101.	श्री प्रबोध पांडा	540, 587, 589, 642, 658
102.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	580, 657
103.	कुमारी सरोज पाण्डेय	501, 584
104.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	551
105.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	548, 654
106.	श्री देवजी एम. पटेल	588, 590
107.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	512, 546, 557, 635
108.	श्री बाल कुमार पटेल	545, 590, 628
109.	श्री किसनभाई वी. पटेल	559, 657
110.	श्री हरिन पाठक	588, 635
111.	श्री संजय दिना पाटील	588
112.	श्रीमती भावना पाटील गवली	629
113.	श्री सी.आर. पाटिल	546, 677, 686
114.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	548, 654
115.	डा. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	522, 642
116.	श्रीमती कमला देवी पटले	467, 603
117.	श्री पोन्नम प्रभाकर	591, 593, 629
118.	श्री अमरनाथ प्रधान	599, 657
119.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	546
120.	श्री पन्ना लाल पुनिया	477, 608
121.	श्री एम.के. राघवन	567, 661
122.	श्री अब्दुल रहमान	560, 577, 588, 648, 679
123.	श्री रमा शंकर राजभर	590, 628
124.	श्री सी. राजेन्द्रन	568, 576
125.	श्री एम.बी. राजेश	566
126.	श्री पूर्णमासी राम	572, 641, 688
127.	श्री जगदीश सिंह राणा	501, 511, 594, 627, 671
128.	श्री निलेश नारायण राणे	499, 546, 555, 619
129.	श्री रायापति सांबासिवा राव	528
130.	श्री रामसिंह राठवा	526, 647, 660
131.	डा. रत्ना डे	501, 631
132.	श्री अशोक कुमार रावत	472, 515, 631, 667
133.	श्री अर्जुन राय	556, 675
134.	श्री रुद्रमाधव राय	539, 599, 657
135.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	473, 606, 660
136.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	527, 561, 568, 590
137.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	468, 604
138.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	479, 610
139.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	588
140.	श्री महेन्द्र कुमार राय	592
141.	प्रो. सौगत राय	589, 628, 637
142.	श्री एस. अलागिरी	537, 541, 553
143.	श्री एस. सेम्मलई	527, 648
144.	श्री एस. पक्कीरप्पा	480, 546

1	2	3
145.	श्री एस.आर. जेयदुरई	547, 641, 662
146.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	588, 593, 657, 662
147.	डा. अनूप कुमार साहा	518
148.	श्री ए. सम्पत	546, 576, 591, 598, 686
149.	श्री फ्रांसिस्का कोज्मी सारदीना	557, 635, 677
150.	श्रीमती सुशीला सरोज	637
151.	श्री हमदुल्लाह सईद	484, 612
152.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	680
153.	श्री नीरज शेखर	520, 674
154.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	477, 483, 585, 610, 611
155.	श्री राजू शेट्टी	502
156.	श्री एंटो एंटोनी	527, 550, 597, 657
157.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	461, 547, 621, 660
158.	श्री भूपेन्द्र सिंह	505, 598, 620
159.	श्री गणेश सिंह	546
160.	श्री जगदानंद सिंह	569, 685
161.	श्री महाबली सिंह	546, 575
162.	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	552
163.	श्री रतन सिंह	523, 533, 630, 640, 641
164.	श्री सुशील कुमार सिंह	558
165.	श्री उदय सिंह	540, 570, 637, 654, 686
166.	श्री यशवीर सिंह	520, 674
167.	श्री धनंजय सिंह	544, 629, 648, 660
168.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	632
169.	राजकुमारी रत्ना सिंह	475, 533, 595
170.	डा. संजय सिंह	476, 586, 593
171.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	585, 610, 611, 637
172.	डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	501, 512, 546, 669
173.	श्री ई.जी. सुगावनम	465, 544, 593, 600, 655
174.	श्री के. सुगुमार	537, 546, 557, 613, 661
175.	श्रीमती सुप्रिया सुले	591, 593, 646
176.	श्री मानिक टैगोर	503, 527, 568, 587, 690
177.	श्रीमती अन्नू टन्डन	544, 634
178.	श्री अशोक तंवर	492, 637, 659
179.	श्री बिभू प्रसाद तराई	540
180.	श्री जगदीश ठाकोर	488
181.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	491, 615
182.	श्री आर. थामराईसेलवन	528, 613, 648, 669
183.	डा. एम. तम्बिदुरई	531, 642, 650, 690
184.	श्री पी.टी. थॉमस	527, 590, 598, 630, 669

1	2	3
185.	श्री मनोहर तिरकी	588, 607
186.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	478, 609
187.	श्री लक्ष्मण टुडु	476, 586, 649, 666
188.	श्री शिवकुमार उदासी	490, 653
189.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	601, 637
190.	श्री हर्ष वर्धन	601, 637
191.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	521
192.	डा. पी. वेणुगोपाल	487, 528, 531, 591, 614
193.	श्री सज्जन वर्मा	486
194.	श्रीमती ऊषा वर्मा	601, 637
195.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	590, 668
196.	श्री पी. विश्वनाथन	496, 637, 663
197.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	524, 640, 645, 675
198.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	482, 553, 593
199.	श्री धर्मेन्द्र यादव	470, 554, 596, 597, 651
200.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	536, 555, 563, 675
201.	श्री मधु गौड यास्खी	470, 554, 596, 597

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	44
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	51, 53, 54
विदेश	:	43, 50, 55, 57, 58
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	60
मानव संसाधन विकास	:	41, 45, 46
विधि और न्याय	:	52
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	56
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	:	48
योजना	:	42
अंतरिक्ष	:	59
शहरी विकास	:	47, 49

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	469, 518, 544, 576, 651
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	465, 482, 496, 509, 513, 521, 529, 532, 541, 548, 550, 571, 583, 593, 596, 598, 613, 619, 629, 630, 637, 639, 640, 641, 642, 645, 655, 667, 671, 674, 680, 681
विदेश	:	480, 493, 494, 498, 506, 516, 554, 555, 589, 623, 647, 648, 669, 672, 676, 677, 679, 682, 686, 687
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	471, 479, 512, 533, 537, 543, 546, 573, 582, 586, 606, 622, 644, 652, 656, 657, 660, 684
मानव संसाधन विकास	:	468, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 483, 486, 487, 489, 491, 492, 499, 503, 504, 505, 507, 514, 519,

		520, 522, 525, 528, 531, 534, 535, 552, 561, 562, 564, 568, 575, 579, 581, 585, 590, 591, 595, 597, 599, 601, 602, 608, 609, 611, 614, 616, 617, 625, 626, 628, 631, 634, 638, 646, 649, 654, 659, 666, 668, 673, 685, 689, 690
विधि और न्याय	:	501, 508, 517, 540, 547, 551, 560, 569, 570, 572, 578, 584, 594, 604, 605, 620, 636, 643, 678, 688
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	481, 488, 490, 495, 500, 511, 603, 607, 612, 650, 661, 663
प्रवासी भारतीय कार्य	:	524, 527, 624, 627
संसदीय कार्य	:	463, 464, 466, 510, 515, 545, 553, 556, 565, 566, 574, 621, 670
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	:	461, 467, 526, 530, 536, 539, 559, 563, 580, 587, 592, 632, 653, 675, 683
योजना	:	
अंतरिक्ष	:	497, 502
शहरी विकास	:	462, 484, 485, 523, 538, 542, 549, 557, 558, 567, 577, 588, 600, 610, 615, 618, 633, 635, 658, 662, 664, 665.